चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 21

गुरुवार, 24 अगस्त, 2006
2 भाद्रपद, 1928 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 4 Feb 2008

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय-सूची

*[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]*

**अंक 21, गुरुवार, 24 अगस्त, 2006/2 भाद्रपद, 1928 (शक)**


| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या | 406 से 409 | 7-51 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 410 से 425 | 51-77 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 3247 से 3476 | 77-350 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | 350-354 |
| लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति | | |
| तीसरा प्रतिवेदन | | 354 |
| रक्षा सौदों की जांच के बारे में दिनांक 10.8.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण | | |
| श्री प्रणब मुखर्जी | | 354 |
| मंत्रियों द्वारा वक्तव्य | | |
| (एक) कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 157वें, 166वें, 170वें, 172वें और 174वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | | |
| श्री महावीर प्रसाद | | 355 |
| (दो) रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें से 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | | |
| श्री आर. वेलु | | 357 |
| अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी | | |
| सभा के कार्यकरण के बारे में | | 376-383 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| सदस्यों द्वारा निवेदन | | |
| (एक) | पृथक तेलंगाना राज्य का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में . . . . . | 383-390 |
| (दो) | देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में . . . . . | 391-400 |
| नियम 377 के अधीन मामले | | |
| (एक) | राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए पेपर और प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता | |
| | डा. राजेश मिश्रा | 400 |
| (दो) | पश्चिम बंगाल में बरहमपुर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को एक पूर्ण प्रसारण केन्द्र के रूप में बदले जाने की आवश्यकता | |
| | श्री अधीर चौधरी . . . . . | 401 |
| (तीन) | झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपाय किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री फुरकान अंसारी . . . . . | 401 |
| (चार) | साऊथ-ईस्टर्न कोल लिमिटेड के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता | |
| | श्री चन्द्र शेखर दूबे | 402 |
| (पांच) | असम के धुबरी जिले में सत्रसाल टीवी प्रसारण केन्द्र का उन्नयन एक निर्माण केन्द्र के रूप में किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री अनवर हुसैन . . . . . | 403 |
| (छह) | बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फारबिसगंज, जोगबनी और नरपतगंज में बीएसएनएल मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री सुकदेव पासवान . . . . . | 404 |

विषय कॉलम

(सात) राजस्थान के अनुभवी निजी प्रैक्टिशनरों को आर.एम.पी. डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव . . . . . 404

(आठ) देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पर्याप्त उपाये किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया . . . . . 405

(नौ) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर, हासौट और नगरम में पानी के बढ़ते खारेपन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 405

(दस) मध्य प्रदेश के नया गांव, जिला नीमच, स्थित सीमेंट संयंत्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय . . . . . 406

(ग्यारह) हल्दिया डाक कॉम्पलेक्स की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में बलारी बार चैनल को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ 406

(बारह) बिहार के विभिन्न भागों में चीनी मिलें खोले जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा . . . . . 408

(तेरह) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किशनपुर अभ्यारण्य से होकर जाने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा . . . . . 408

(चौदह) तमिलनाडु के नल्लाथुर, जिला कांचीपुरम, के स्थानीय लोगों को मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र की नई परियोजना में रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन. . . . . 409

(पंद्रह) उड़ीसा के भद्रक जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी . . . . . 410

विषय कॉलम

(सोलह) महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोयना क्षेत्र में डॉप्लर रडार सिस्टम लगाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील . . . 410

(सत्रह) पंजाब और देश के अन्य भागों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से किए जाने वाले विवाहों को रोकने के लिए एक तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा . . . 411

(अठारह) उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम को चालू वर्ष के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री हितेन बर्मन . . . 412

(उन्नीस) असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सम्पर्क के लिए एनएलसीपीआर निधि के अंतर्गत रंगनाडी और काकोई नदियों पर पुलों को निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा . . . 412

(बीस) कश्मीर में किसानों के हितों के लिए वित्तीय पैकेज और वैज्ञानिक उपकरण दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन . . . 413

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . 414

डा. सुब्बान चक्रवर्ती . . . 414

श्री अधीर चौधरी . . . 417

श्री मोहन सिंह . . . 427

श्री एस.के. खारवेनथन . . . 430

श्री निखिल कुमार . . . 434

श्री विजय कृष्ण . . . 434

श्रीमती वी. राधिका सेलवी . . . 435

श्रीमती अर्चना नायक . . . 437

श्री अजय चक्रवर्ती . . . 440

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| | श्रीमती सुमित्रा महाजन | 443 |
| | श्री किरिप चालिहा | 447 |
| | श्री किन्जरपु येरननायडु | 442 |
| | कुमारी ममता बैनर्जी | 455 |
| | श्री वरकला राधाकृष्णन | 459 |
| | प्रो. रासा सिंह रावत | 462 |
| | श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु | 464 |
| | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 467 |
| | श्री ब्रह्मानन्द पंडा | 469 |
| | श्री टी.के. हमजा | 473 |
| | श्री शैलेन्द्र कुमार | 475 |
| | श्री एल. राजगोपाल | 476 |
| | श्री श्रीप्रकाश जायसवाल | 480 |
| खण्ड 2 से 19 और 1 | | 486 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | | 486 |
| पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 | | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | | |
| | श्री एस. रघुपति | 487 |
| | प्रो. एम. रामदास | 489 |
| | श्री एन.एस.वी. चित्तन | 494 |
| | श्री पी. मोहन | 496 |
| | श्री गणेश प्रसाद सिंह | 498 |
| | श्री ए. कृष्णास्वामी | 498 |
| | श्री एम. अप्पादुरई | 501 |
| | श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन | 503 |

विषय कॉलम

श्री संतोष गंगवार . . . . . 504

श्री रामदास आठवले . . . . . 504

श्री शैलेन्द्र कुमार . . . . . 505

खंड 2, 10 और 1 . . . . . 506

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . . . 507

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के किसानों में व्याप्त भारी निराशा

श्री अनंत कुमार . . . . . 507

श्री जय प्रकाश . . . . . 513

श्री दुष्यंत सिंह . . . . . 517

श्री एम. अप्पादुरई . . . . . 520

श्री शैलेन्द्र कुमार . . . . . 521

श्री रामजीलाल सुमन . . . . . 522

श्री एस.के. खारवेनचन . . . . . 526

श्री वीरेन्द्र कुमार . . . . . 528

श्री रघुनाथ झा . . . . . 529

श्री सी.के. चन्द्रप्पन . . . . . 533

श्री किन्जरपु येरननायडु . . . . . 536

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार . . . . . 541

श्री हंसराज जी. अहीर . . . . . 548

कुमारी ममता बैनजी . . . . . 550

प्रो. एम. रामदास . 556

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु . . . . . 558

श्री रवि प्रकाश वर्मा . . . . . 563

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील . . . . . 566

डा. राजेश मिश्रा . . . . . 569

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| | श्री ए.वी. बेल्लारमिन | 572 |
| | श्रीमती सी.एस. सुजाता | 573 |
| | श्री मोहन रावले | 574 |
| | श्री गणेश सिंह | 577 |
| | डा. करण सिंह यादव | 580 |
| | डा. अरविन्द शर्मा | 582 |
| | श्री एम. शिवन्ना | 585 |
| | श्री सुनिल कुमार महतो | 587 |
| | श्री किशन सिंह सांगवान | 588 |
| | श्री हितेन बर्मन | 593 |
| | श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | 594 |
| | श्री पी. करूणाकरन | 600 |
| | श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा | 601 |
| | श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश | 604 |
| | श्री सुरेश वाघमारे | 609 |
| | श्री मधुसूदन मिस्त्री | 611 |
| | श्री प्रह्लाद जोशी | 613 |
| | श्री हरिभाऊ राठौड़ | 617 |
| | श्री अशोक अर्गल | 620 |
| | श्री शरद पवार | 622-640 |
| अनुबंध-I | | |
| | तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 651-652 |
| | अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 651-666 |
| अनुबंध-II | | |
| | तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 667-668 |
| | अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 667-670 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

गुरुवार, 24 अगस्त, 2006/2 भाद्रपद, 1928 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

*[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]*

*(व्यवधान)*

*(इस समय श्री ए. नरेन्द्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)*

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे बारी-बारी से सदस्यों की बात सुनने दें। प्रश्न काल आरंभ होना है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मध्याह्न 12.00 बजे आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

*[हिन्दी]*

हम 12 बजे आपको बोलने का मौका देंगे।

*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*(इस समय श्री ए. नरेन्द्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई का सवाल बहुत गंभीर है।...*(व्यवधान)* रोज महंगाई बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

*(इस समय श्री राजनारायन बुधौलिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मैं यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मामला क्या है। आप कृपया एक-एक करके बोलिये।

*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.03 बजे**

*(इस समय श्री राजनारायन बुधौलिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी अपने-अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। मुझे एक-एक करके अवसर देने दें। मैं सभी लोगों को एक ही साथ बोलने का अवसर कैसे दे सकता हूं? यह सब क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं यह क्या घटित हो रहा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हम जानते नहीं हैं।

*[अनुवाद]*

मैं कैसे निर्णय ले सकता हूं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता नहीं हैं कि इस सभा में क्या हो रहा है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सुपरमैन नहीं हूं। मैं एक सीधा साधा इन्सान हूं। मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात एक ही साथ कैसे सुन सकता हूं? मुझे पता नहीं है कि कौन-से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे बताइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप में से कोई आकर चेयर पर बैठ जाए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले। आप अपनी सीट पर चले जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई अनुमान नहीं है। आप अपने स्थान पर जाइए और अपना मुद्दे उठाए। यह सब क्या हो रहा है?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मै आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। मुझे प्रश्न काल चलाने दें। यह बिल्कुल अनुचित है। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : चौधरी लाल सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक-एक करके बोलिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने दें। मैं आपको एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, आज से तीन दिन पहले राजस्थान के जयपुर शहर में एक सिख के जबर्दस्ती बाल काट दिए गए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यद्यपि यह प्रश्न काल है मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। परंतु सर्वप्रथम, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता नहीं है कि यहां यह सब क्या हो रहा है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि आप सभी इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मोहन सिंह जी, आप यहां आकर बैठिए और *[अनुवाद]* सभा को नियंत्रित कीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप चाहते हैं कि आपका मुद्दा रिकार्ड में आए, तो आप एक-एक करके बोलिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके, मेरे साथ कोऑपरेट करिए। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया

है। इसकी अनुमति नहीं दी गयी है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

*[हिन्दी]*

यह एडजर्नमेंट मोशन उठाने का टाइम नहीं है।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह एडमिट नहीं किया है। मैं आपके नोटिस देने से क्वैश्चन आवर सस्पैंड नहीं करूंगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न काल है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामजीलाल सुमन, यह अच्छी बात नहीं है। आप मेरे अनुरोध को नहीं मान रहे हैं।

*[हिन्दी]*

मैं आपकी बात बारह बजे सुनूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : अध्यक्ष महोदय, आज से तीन दिन पहले राजस्थान के जयपुर शहर में एक सिख के बाल काट दिए गए। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष महोदय, 1984 के दंगों में कई सिख मारे गए थे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : किसी की बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सबसे कहा है कि मैं बारह बजे सुनूंगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.08 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**पूर्वाह्न 11.15 बजे**

*लोक सभा ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय नेताओं के सहयोग के लिए उनका आभारी हूं। निश्चित रूप से, मैं उठाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके महत्वपूर्ण मुद्दों को कार्यवाही वृतांत में भी उपयुक्त ढंग से सम्मिलित किया जाए ताकि देश यह जान सके कि आप किन मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात न तो कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो सकेगी न ही समझी जा सकेगी। यहां तक कि मैं भी नहीं समझ सकता हूं कि क्या कहा जा रहा है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको प्रश्नकाल के बाद बुलाऊंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, बल्कि आपको ही नहीं औरों को भी बोलने का मौका दूंगा।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : सर, इनका क्या प्रिविलेज है, क्या इन्होंने नोटिस दिया है?

उन्होंने नोटिस नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सबबैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है?

मैं सभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठक जाइए। आपको हमने कहा है, *[हिन्दी]* आप बैठ जाइए। आप सब जानते हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए।

---

**पूर्वाह्न 11.16 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जी.एम. सिद्देश्वर, प्रश्न संख्या 406

### पर्यटन का विकास

*406. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक ने केन्द्र सरकार को राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु कोई विशेष योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख) राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु कर्नाटक राज्य सहित, राज्य सरकारों द्वारा विशेष योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से पर्यटन मंत्रालय, निम्नलिखित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रहा है:

(i) पर्यटक परिपथ

(ii) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(iii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाएं

(iv) कार्यक्रमों सहित मेले और उत्सव

सभी प्रकार से पूर्ण, प्राथमिकता प्रदत्त परिपथों/गंतव्य हेतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर, दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और संबंधित शीर्षों के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां रिलीज की जाती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कर्नाटक राज्य के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है:

| राज्य | गंतव्य | परिपथ | कार्यक्रम/मेले/उत्सव | ग्रामीण पर्यटन |
|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 1. हम्पी | 1. बीजापुर-बीदर-गुलबर्गा | 1. बंगलौर हब्बा - 10 लाख | 1. चेनपुतना गांव - बंगलौर |
| | 2. लिंगामक्की | | 2. हम्पी - 10 लाख | |
| | | | 3. कारावली - 5 लाख | 2. अलकान गांव - बगलकोटे |

वर्ष 2005-06 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की हैं:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | मंजूर की गई राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | शिमोगा में जोग फाल्स का गंतव्य विकास | 462.52 |
| 2. | कर्नाटक में मैसूर का गंतव्य विकास | 353.89 |
| 3. | मंगलौर-उल्लाल-उदुपी-कौल्लूर-होन्नावर-मुरदेश्वर-कुंडापुर-गोकरना पर पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास | 698.00 |
| 4. | एलआरजी परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के चिकमंगलूर में गोल्फ क्लब का विकास | 120.00 |
| 5. | बंगलौर हब्बा 2005 का आयोजन | 15.00 |
| 6. | हम्पी उत्सव 2005-06 | 5.00 |
| 7. | मैसर्स जंगल लोजिस एंड रिजार्टस द्वारा ईको पर्यटन हेतु आईटी अवसंरचना | 53.29 |
| 8. | कोपल जिले के अन्नेगुंडी गांव में जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात परियोजना | 20.00 |
| | कुल | 1727.70 |

उपरोक्त के अलावा, 10वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2005-06 तक) के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य में पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए 7728.13 लाख रुपयों की राशि की परियोजनाएं मंजूर की हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

*(व्यवधान)*

***श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुले केरे नाम से प्रसिद्ध एक बहुत विशाल जलाशय है। यह चन्नागिरी तालुक में है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जलाशय है और इसकी क्षमता 3.5 टी.एम.सी. है। इसका फैलाव 60 किमी. में है। इस जलाशय के निकट काफी प्रसिद्ध सिद्देश्वर मंदिर स्थित है। इसके आस-पास का क्षेत्र काफी सुंदर है जिससे आकर्षित होकर प्रतिदिन यहां सैंकड़ों पर्यटक यहां आते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य को एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है सुले केरे जलाशय में संगीतमय फव्वारा और नौकायन सुविधा की व्यवस्था की जानी है। क्या सरकार इस सिद्देश्वर मंदिर और सुले केरे जलाशय को प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आगे आएगी? यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार का कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है? कृपया ब्यौरा दें। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति बनाए रखें। इस सभा में क्या हो रहा है? यह प्रश्नकाल है।

**श्रीमती अम्बिका सोनी** : महोदय, मैं यह स्वीकार करती हूं कि माननीय सदस्य कर्नाटक से संबंधित विशेष रूप से अपने संसदीय निर्वाचन

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

क्षेत्र से संबंधित पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देने में काफी रूचि रखने वाले सांसद हैं। उन्होंने एक परियोजना विशेष के बारे में यहां कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यटन मंत्रालय ऐसे स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, और इसके साथ ही तीन अथवा चार सर्किटों के लिए भी राज्य को लगभग 20 करोड़ रुपए आबंटित करता है। हमें प्रतिवर्ष माननीय संसद सदस्यों से, गैर-सरकारी संगठनों से और अन्य निकायों से पर्यटन को बढ़ावा देने एवं केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राज्य सरकारों की सहायता एवं परामर्श से इन परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। वे ही इस संबंध में कार्यान्वयन प्राधिकारी होते हैं।

माननीय सदस्य ने मुझसे एक डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। अगर वे इसे एक परिपूर्ण परियोजना बनाना चाहते हैं तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम वर्ष के अंत से पहले कर्नाटक राज्य के लिए निर्धारित की जाने वाली अन्य परियोजनाओं के साथ इस पर भी विचार करेंगे।

**श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : इस कार्यक्रम के लिए आप कितनी धनराशि जारी कर रहे है?

**श्रीमती अम्बिका सोनी** : हम मेलों और महोत्सवों के लिए 30 लाख रुपए तक आबंटित करते हैं। हम डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट तथा सर्किट परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये तथा 8 करोड़ रु. जारी करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि कर्नाटक सरकार इस परियोजना विशेष के संबंध में प्राथमिकता निर्धारण किस प्रकार करती है। केंद्रीय सहायता की राशि इसी पर निर्भर करेगी।

***श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : महोदय, दावणगेरे जिले में उचांगी में एक काफी पुराना किला है। भगवान हरिहरेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति एवं मंदिर दावणगेरे जिले में स्थित हरिहर में है। सांते बेन्नूर में प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे सुन्दर जलप्रपात हैं। अनागोदु एक अन्य आकर्षक पर्यटन केंद्र है। मास्ल्ला-सिद्ध यहीं रहते थे। कोंडाजी में एक सुन्दर विशाल जलाशय हैं लंबे समय से यहां नौकायन व्यवस्था की उपेक्षा की जाती रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संक्षिप्त एवं विषय से संबंधित होना चाहिए। आप कर्नाटक का इतिहास बता रहे हैं।

***श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : बड़ीगेरे एक प्रसिद्ध स्थान है जहां शिवाजी के पिता शाहजी महाराज राजस्व की वसूली के लिए आए थे। घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जीजाबाई और भाई अकोजी ने 23 जनवरी, 1669 को बड़ीगेरे (कर्नाटक) में उनको दफनाया था, कर्नाटक सरकार ने 26 गुंटा भूमि का आबंटन किया है ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। दुर्भाग्यवश, 342 वर्ष के बाद भी यहां कुछ भी नहीं हुआ है।

हजारों मराठी पर्यटक तथा हजारों अन्य पर्यटक हर सप्ताह इस महत्वपूर्ण स्थल का दौरा करते हैं। क्या भारत सरकार उपर्युक्त सभी प्रसिद्ध स्थलों को मिला कर एक समन्वित पर्यटक सर्किट बनाएगी? यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का विचार हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदया, मैं समझता हूं कि आप उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित करें तथा उनके साथ इस विषय पर चर्चा करें।

**श्रीमती अम्बिका सोनी** : महोदय, माननीय सदस्य सभा में नई परियोजनाओं के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं मैं यह कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं कि इन परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया जाएगा या नहीं क्योंकि राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष हम पहले ही हम्पी तथा लिंगामक्की में डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर रखा है। बीजापुर-बीदर-गुलबर्गा खंड में एक सर्किट को प्राथमिकता पर रखा है। वर्ष 2006-2007 में तीन महोत्सव प्राथमिकता पर रखे हैं। ये महोत्सव है- बैंगलोर हब्बा जिसके लिए 10 लाख-रुपये प्राथमिक रूप से नियत किए जा चुके हैं, हम्पी महोत्सव इसके लिए भी 10 लाख रुपये के नियतन की वरीयता दी गई है तथा कारावली महोत्सव के लिए 5 लाख रुपये के नियतन की प्राथमिकता दी गई है। दावलगेरे को इस वर्ष आपकी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हैं। माननीय सदस्य मुझे दो-तीन बार पत्र लिख चुके हैं। मैं उनकी सरकार के साथ उनका प्रवक्ता बनने का भरसक प्रयास कर रही हूं। परंतु, मुझे आशंका हैं कि वे उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इस परियोजना की स्वीकृति की गारंटी नहीं दे सकती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, कर्नाटक के सदस्यों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य इस प्रश्न में रूचि दिखा रहे हैं मैं नही समझता कि मुझे किसी का नाम लेना चाहिए। केवल श्रीमती के रानी कम से कम दक्षिण भारत से एक सदस्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

*(व्यवधान)*

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पढ़ाने की कोशिश न करें।

*(व्यवधान)*

**श्रीमती के. रानी** : महोदय, पर्यटक चाहे जहां भी हो, द्वारा अत्यधिक राजस्व का अर्जन होता हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोली-हिल्स नामक एक पर्यटक स्थल है जो बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन इसे पूर्णतया विकसित नहीं किया गया है अन्यथा यहां और अधिक पर्यटक आते कोली-हिल्स पहुंचने के लिए लगभग 250 से 300 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है, इसकी अनुमति नहीं है।

क्या किसी अन्य सदस्य को कर्नाटक के बारे में प्रश्न पूछना है?

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : धन्यवाद महोदय, कर्नाटक को दक्षिणी कश्मीर कहा जाता है। हमारे यहां कूर्ग-जैसे बहुत सारे गंतव्य स्थल हैं। इन दिनों, शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि यहां अनुशासन का कोई महत्व नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हुई, तो मैं आपसे कहूंगा।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : महोदय, नंदी हिल्स नामक एक स्थल है जिसका दौरा महात्मा गांधी ने किया था। वहां पर गांधी-धाम है। निश्चित रूप से, केन्द्र सरकार द्वारा इस पर बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यहां पर बहुत ही रमणीय हिल स्टेशन है। इन्हें पंचगिरी-हिल्स के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की राजधानी बैंगलोर से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इन दिनों, जनसंख्या बढ़ रही है तथा पर्यटको के लिए हमें नए स्थल तलाशने होंगे। रामनगरम नामक एक और हिल स्टेशन है जहां पर पर्वतों की एक श्रृंखला है जहां पर हम पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग मॉडल के आधार पर टॉय ट्रेल चला सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी सुझाव हैं। प्रश्न एक भी नहीं है।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : मैं केन्द्र सरकार से पूछ रही हूं कि कर्नाटक में पर्यटक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रश्न काल का पूर्णतया उपयोग नहीं कर रहे हैं।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : महोदय, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक दिल्ली से तथा बहुत से विदेशी पर्यटक आते रहे हैं। कर्नाटक में इन पर्यटक स्थलों को और अधिक विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है?

**श्रीमती अम्बिका सोनी** : महोदय, पर्यटन मंत्रालय कर्नाटक सहित राज्यों को वित्तीय सहायता देती हैं मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कर्नाटक केन्द्रीय वित्तीय सहायता में से सर्वाधिक सहायता, वस्तुतः तीसरा सर्वाधिक सहायता पाने वाला राज्य हैं गत नौवी तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कर्नाटक को कई परियोजनाएं दी हैं। मेरे पास कूर्ग की परियोजनाओं सहित उन सभी परियोजनाओं की सूची हैं जिनका वित्त पोषण केन्द्र सरकार ने किया है तथा जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की हैं हमने कूर्ग को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। हमने कूर्ग में ग्रामीण पर्यटन का विकास किया हैं हमारे पास एक सम्पूर्ण सर्किट है जिसमें कूर्ग में गोल्फ पर्यटन भी शामिल है। ये परियोजनाएं कर्नाटक तथा विशेषकर कूर्ग के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2005-2006 में कुल मिलाकर परियोजनाओं के विकास के लिए 1,017.27 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सं. 407 श्री किन्जरपु येरननायडु। क्या यह आपकी सीट है?

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह मेरी सीट है।

## रेल पुलों की स्थिति

+

*407. **श्री किन्जरपु येरननायडु**
**डा. के. धनराजू** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग ने वर्ष 2001 में काडालुंडी पुल के ध्वस्त होने से संबंधित मामले की जांच पड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पुराने पुलों; विशेषकर 50 वर्ष से अधिक पुराने पुलों, को मजबूत करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की थी;

(घ) यदि हां, तो उन पुलों का ब्यौरा क्या है जिनका उक्त परियोजना के अंतर्गत मजबूत करने का कार्य आरंभ किया गया है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन पुलों का प्रतिस्थापन/पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है तथा यात्रियों की सुरक्षा हेतु अन्य क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख) जी हां, इस दुर्घटना में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने वैधानिक जांच की थी। अपनी अंतिम रिपोर्ट में, उन्होंने पुलों के अनुरक्षण/पुनर्स्थापन/पुन: निर्माण और पानी के भीतर उनकी जांच, डिस्ट्रेस्ड पुलों के पुनर्स्थापन की योजना और पुनर्निर्माण, और सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के निरीक्षण तथा अनुरक्षण से संबंधित 8 सिफारिशें की थीं।

(ग) जी नहीं, 50 वर्ष से अधिक पुराने सभी पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई पायलट परियोजना शुरू नहीं की गई है। पुल की जीवट आयु उसकी उम्र पर नहीं बल्कि निरीक्षणों में निर्धारित वास्तविक हालत पर निर्भर करती है। जिन पुलों की मरम्मत की जानी अथवा जिनका पुन:स्थापन किया जाना होता है, उनका कार्य चरणबद्ध आधार पर किया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रेलवे पर पुलों के निरीक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित मल्टी-टीयर वार्षिक आधार पर किए जाने की प्रणाली मौजूद है। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, कतिपय पुलों की मरम्मत एवं पुन:स्थापन को चरणबद्ध आधार पर शुरू किया जाता है। अगर आवश्यकता हो तो ऐसे पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन होने तक गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान पुलों की वर्षवार मरम्मत, पुन:स्थापन/पुनर्निर्माण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

| वर्ष | मरम्मत/पुन:स्थापित किए गए पुलों की संख्या | व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2001-02 | 725 | 108.10 |
| 2002-03 | 1151 | 199.10 |
| 2003-04 | 1563 | 234.71 |
| 2004-05 | 1579 | 390.26 |
| 2006-06 | 1431 | 410.59 |

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आजकल लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश में पानी के लिए बनाए गए एक कमजोर व छोटे पुल के कारण एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

खन्ना समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त हुई धनराशि में से अभी तक सुरक्षा संबंधी मामलों पर धनराशि का अन्यत्र उपयोग किए बिना कितनी धनराशि खर्च की गई है।

श्री आर. वेलु : सर्वप्रथम सदस्य द्वारा यह टिप्पणी कि हाल के वर्षों में, रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है, के संबंध में मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 2000-01 के दौरान 473 दुर्घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें कमी आई है। वर्ष 2005-06 के दौरान यह आंकड़ा 234 रहा और 2004-05 के दौरान भी यह आंकड़ा 234 ही था।

इसके अतिरिक्त इन्होंने पिछले वर्ष नलगौंडा जिले में अप्रत्याशित रूप से बादल फटने की घटना के परिणामस्वरूप पुल के बह जाने के कारण हुई भयंकर दुर्घटना का भी उल्लेख किया है वहां पर एक जलाशय फट गया था। और वह पुल पानी के बाहव को नहीं संभाल पाया। इसलिए यह घटना घटित हुई थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मानसून से पहले इस पुल का निरीक्षण किया गया था। यह एक संयुक्त

निरीक्षण था जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे। लेकिन यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा थी।

इन्होंने जिस विशिष्ट मुद्दे को उठाया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे संरक्षा कोष के अंतर्गत 17,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और हमने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 2,370 पुलों को लिया जाएगा। तदनुसार, हमने 31.3.06 तक 1920 पुल लिए है। 17,000 करोड़ रुपए में से अभी तक हम 12,976.50 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। प्रश्न में मुद्दा यह है कि यह एक अव्यपगत निधि है और इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम रेलवे में सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के इच्छुक है और हम यह चाहते हैं कि अन्य सभी पुरानी परिसंपत्तियों का नवीकरण किया जाए और जहां कहीं भी आवश्यकता हो, रेलपथों का उन्नयन और पुलों का पुनर्निर्माण किए जाए। अत: हम इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के इच्छुक हैं और इस हेतु निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पुराने पुलों के पुनर्निर्माण और पुनरूद्धार तथा रेलपथों के निर्माण हेतु लोगों से सुरक्षा उपकर भी ले रहे है। राज्य सरकार ने कमजोर पुल के स्थलों इत्यादि का उल्लेख करते हुए इस संबंध में अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। रेल मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? रेल मंत्रालय द्वारा इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

आंध्र प्रदेश ने 100 वर्ष पुराने कमजोर पुलों और रेलपथों इत्यादि के संबंध में अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। मंत्रालय द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**श्री आर. वेलु** : महोदय आज की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में 1,27,768 पुल है इनमें से 42 प्रतिशत पुल सौ वर्षों से भी अधिक पुराने हैं जिनकी संख्या लगभग: 51, 340 है। इसके अतिरिक्त 90, 387 से ज्यादा पुल 60 वर्षों से अधिक पुराने हैं जो कुल पुलो का 75 प्रतिशत है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पुलों की बढ़ती आयु चिंता का कारण है। वास्तव में प्रतिवर्ष आवधिक निरीक्षण करके तथा संगठन में पांच स्तरीय निरीक्षण करके पुलों की मात्र उस स्थिति का ही मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे यह पता लगा सके कि अमुक पुल कितना कमजोर है और इसे किस तरह की मरम्मत व पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है क्या इस मुद्दें पर राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं क्योंकि मुझे अभी तक इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि आंध्र प्रदेश ने ऐसी कोई सूची भेजी है या नहीं। यदि ऐसी कोई सूची भेजी गई है तो इस पर वास्तव में विचार किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई भी की जाएगी जिससे उन पुलों को बचाया जा सके।

*[हिन्दी]*

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : अध्यक्ष महोदय, मुरैना और शिवपुर के बीच एक बहुत पुरानी नैरो गेज रेलवे लाइन है, जिसकी हालत आज बहुत जर्जर है। इसके ऊपर जो ब्रिज बना है, जब उस पर से ट्रेन गुज़रती है तो पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है क्योंकि इस बात का खतरा है कि वह ब्रिज कभी भी गिर सकता है। हमने इसके बारे में रेल मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है कि या तो इसका आधुनिकीकरण होना चाहिए या ब्रॉड गेज में इसका कनवर्शन होना चाहिए। अगर ब्रॉड गेज में कनवर्शन न हो, तो इस ब्रिज को फौरन रिपेयर किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कब तक इस कार्य को किया जाएगा और कब तक हमें सूचना दी जाएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु** : महोदय, माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और जहां कहीं भी उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होने उसका उत्तर देते हुए कहा है कि हम धीरे-धीरे सभी मीटर गेज और छोटी लाइनों को ब्राड गेज में परिवर्तित करने जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीटर गेज और छोटी लाइनें होने के कारण रेलवे संचालन का प्रतिफल हमारे अनुकूल नहीं है। वास्तव में हम इन्हें बदलना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम यह कार्य चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं।

हमारे माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया था कि क्या छोटी लाइन को परिवर्तित किया जा सकता है। हमने अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया है कि जब योजना की शुरूआत की जाएगी तो इसमें किस पहलू को पहले लिया जाएगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसाधनों का अभाव है जिसके बारे

में मै पहले ही बता चुका हूं। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा जिस परियोजना का उल्लेख किया गया है तो उसे अच्छी तरह जांचा परखा जाएगा कि इस संबंध में क्या सर्वोत्तम किया जा सकता है अर्थात इसकी मरम्मत की जाए अथवा इसे बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में बदला जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : मोहम्मद सलीम क्या आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक नहीं है।

**मोहम्मद सलीम** : महोदय, मैं अपने स्थान पर नहीं बैठा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

**मोहम्मद सलीम** : महोदय, मै अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं लेकिन इस समय मैं अपनी सीट पर नहीं हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर जाइए और अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** : महोदय, वह सभा में बातचीत करने में मशगूल हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इन्हीं बातों से मुझे दुख पहुंचता है।

**मोहम्मद सलीम** : महोदय रेलवे के ऐसे अनेक पुल हैं जो 50 वर्ष से भी अधिक पुराने है। सरकार द्वारा 1990 से शुरू किए गए इस व्यापक कार्यक्रम के बाद से हम लगातार इस मुद्दे के बारे में पूछते रहे हैं। इसमें सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है और साथ ही इससे दुर्घटनाओं से भी बचा सकता है। आज उत्तर से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सरकार 50 वर्षों से भी अधिक पुराने इन सभी पुलों के नवीकरण, पुनर्मूल्यांकन पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम कब बनाएगी।

कृपया आप हमें यह बताइए कि हम कब तक सुरक्षित हो जाएंगें।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ पुराने पुल पुराने लोगों की तरह बहुत मजबूत हैं।

**श्री आर. वेलु** : महोदय, मै इस मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय से सहमत हूं क्योंकि जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुल की आयु महत्वपूर्ण नही है अपितु पुल की स्थिति महत्वपूर्ण है।... *(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : महोदय, नया नौ दिन और पुराना सौ दिन।

**श्री आर. वेलु** : महोदय, माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिन पुलों का निर्माण पत्थरों की चिनाई से किया गया है वह अब भी बहुत मजबूत हैं जबकि जिन पुलों का निर्माण बाद में किया गया। उनमें दरार इत्यादि आ गई हैं।

जैसाकि मैंने बताया कि आगामी एक वर्ष में रेल संरक्षा योजना के अंतर्गत 2,370 पुलों का निर्माण किया जाएगा क्योंकि यह योजना 2001 से 2007 तक है अर्थात यह एक छः वर्षीय कार्यक्रम था। हमने इन पांच वर्षों के दौरान 6,449 पुलों का निर्माण किया है। इसी प्रकार मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 1989-90 के बाद से हमने लगभग 14,122 पुलों का निर्माण किया है।

मुद्दा यह है कि पुल 50 वर्ष पुराना है अथवा 60 वर्ष पुराना है इसे न देखते हुए पुल की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। मै ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यह उपयोग में लाई गई सामग्री, किए गए कार्य की गुणवत्ता कितने अधिक भार के किस तरह के डिब्बे इस पर चलाए जा रहे हैं और अमुक पुल कितना अधिक उपयोग में लाया गया है इत्यादि पर निर्भर करता है। पुल की स्थिति ठीक है या खराब, इसका निर्णय इन्हीं कारकों के आधार पर किया जाता है।

इन पुलों पर कितना दबाव पड़ रहा है और कितना दबाव पड़ना चाहिए की इन्स्ट्रूमेन्टेशन जांच भी करा रहे हैं ताकि पुलों पर निश्चित दबाव से अधिक भार न पड़े।

मेरा विचार है कि इन उपायों की सहायता से पुलों की अच्छी देख रेख की जा सकेगी और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पुलों के रखरखाव में कमी के कारण कोई दुर्घटना न हो।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला अनुपूरक प्रश्न श्री मोहन रावले द्वारा पूछा जाएगा क्या आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई पुल टूटा हुआ है?

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं मुंबई में जो 11 जुलाई को बम ब्लास्ट हुए थे, वेस्टर्न रेलवे में 11 मिनट में आठ बम ब्लास्ट हुए थे, उस समय रेलवे मंत्रालय ने, रेल मंत्री लालू प्रसाद जी और वेस्टर्न रेलवे ने वहां जितनी जल्दी नोर्मेलसी लाई, 12 घंटे के अंदर वेस्टर्न रेलवे शुरू की, इसके लिए मैं मंत्री जी, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर और स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या कह रहे हैं?

*(व्यवधान)*

**एक माननीय सदस्य** : जो अच्छी बात है, वही बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** : अब मैं बुरी बात भी बताना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ हल्कों में परेशानी भी है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : दुर्भाग्य से जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो मेरे क्षेत्र में एक महालक्ष्मी ब्रिज है, जहां ट्रेक चेंज करते समय कई लोग मर गए। महालक्ष्मी ब्रिज टूटे हुए दस-बारह साल हो गए, उसे बनाने का एनाउंसमेंट भी उन्होंने किया, उस बात को भी चार या पांच साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यह ब्रिज नहीं बना है, जबकि मेरे यहां महालक्ष्मी रेलवे ब्रिज के लिए नीतीश कुमार जी ने आफिशियली डिक्लेयर किया था कि यह ब्रिज तुरंत बन जाएगा, लेकिन अभी तक वह ब्रिज नहीं बना है। इसलिए उस ब्रिज को जल्दी बनाया जाए, क्योंकि जो लोग उस रेलवे ट्रेक से जाते हैं, वे लोग वहां कभी भी मर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में करीरोड स्टेशन में सेंट्रल रेलवे में, करीरोड के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से फुट ब्रिज की आवश्यकता है। करीरोड नामजोशी मार्ग और ईस्ट में त्रिवेणी बिल्डिंग की तरफ ब्रिज होना चाहिए। लोअर परले में वेस्ट में सनमिल गली की तरफ ब्रिज होना चाहिए। वेस्टर्न रेलवे में एलफिंस्टन स्टेशन है, वहां वेस्ट में फितवाला रोड की तरफ ब्रिज होना चाहिए। ये सारे सर्वे हो चुके हैं। अगर आप इन सबका जवाब अभी नहीं दे सकते, तो बाद में बता दें।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब आपको अच्छा उत्तर मिलेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : आप वेस्टर्न रेलवे के आफिशियल्स को बता दें कि वे जल्दी से जल्दी उस ब्रिज को तैयार करें, मैंने जिन चार ब्रिजेस के बारे में बताया है।...*(व्यवधान)*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : वहां आरओबी फुट ब्रिज भी है।

**श्री मोहन रावले** : जी हां, आरओबी फुट ब्रिज भी है।...*(व्यवधान)* वहां ट्रेक चेंज करते समय बहुत से लोग मर गए। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक है।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु** : महोदय, हम इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या यह आवश्यक है।

**श्री मोहन रावले** : कृपया उन तक यह बात भी पहुंचा दें कि इस मामले में शीघ्रता करें।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : शायद डरकर मंत्री जी ने मान लिया है।

**श्री रामदास आठवले** : माननीय अध्यक्ष महोदय, काडालुंडीए का जो पुल था, वहां दुर्घटना हुई थी। मैं रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज इतने मजबूत थे कि सौ साल के बाद भी वे ब्रिज खत्म नहीं होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जैसे ब्रिज बनते थे, उसी तरह के ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि हमारी यूपीए की ट्रेन तो अच्छी स्पीड से चल रही है, लेकिन अभी हमारे जो अलग-अलग पार्टियों के ब्रिज हैं, उनमें अभी तेलंगाना और टीआरएस का ब्रिज थोड़ा खराब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं लालू प्रसाद जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यू.पी.ए. की गाड़ी अलग-अलग पार्टियों के ब्रिजेज पर चल रही है। मेरी आर.पी.आई. पार्टी का ब्रिज बहुत मजबूत है। केवल मेरी ही पार्टी का नहीं, बल्कि सभी पार्टियों के ब्रिजेज बहुत मजबूत हैं।

मेरी पार्टी के ब्रिज को कुछ खतरा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ लेकिन अब तेलंगाना राज्य समिति के ब्रिज का खतरा आपके सामने आया है। इसलिए मै श्रीमती सोनिया गांधी और श्री लालू प्रसाद से निवेदन करते हुए पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी के ब्रिज को मजबूत करने के लिए, उस पार्टी ने जो मांग की है क्या वे उसे पूरा करने वाले हैं?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने इंग्लिश जमाने के पुलों की बात की है। कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप नहीं चाहते कि वह जमाना वापस आए।

*[हिन्दी]*

**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल राज्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विशेषरूप से पश्चिम राजस्थान में जब मीटरगेज रेल चलती थी, तब छोटे-छोटे पुल और फाटक थे, लेकिन जब से वह लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित हुई है, तब से उन्हें बंद कर दिया गया है। मैं खासतौर से जोधपुर से जैसलमेर रूट की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि वहां दो रेलगाड़ियां चलती हैं और 300 किलोमीटर लंबे रूट पर केवल तीन-चार फाटक हैं। उनके दोनों तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन उन फाटकों को अभी तक खोला नहीं गया है जिससे स्थानीय जनता को भारी कठिनाई हो रही है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उन फाटकों को खोलने पर विचार करेंगे?

**अध्यक्ष महोदय** : नए ब्रिज के निर्माण की नहीं, पुराने फाटकों को खोलने की बात कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का जो आशय है अथवा जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं वह उन रेल समपारों की संख्या के बारे में है जो पहले वहां पर थे, और बड़ी लाइन में परिवर्तन के बाद इनकी संख्या घट गई है। यहां हम सुविधा प्रदान करने के लिए है और हम आमान परिवर्तन में मौजूदा रेल समपारों के साथ छेड़-छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। जब हम दस वर्षों के पश्चात नया रेल समपार बनाना चाहतें हैं तो एकमात्र प्रश्न पूरे कार्य के राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण अकंता स्थानीय सरकार द्वारा वित्तपोषण का आता हैं इस वर्तमान मामले में, यदि आप कृपया आमान परिवर्तन में कोई मौजूदा रेल समपार जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो का कोई मामला हमारे ध्यान में लाएं तो हम इसी पर विचार कर सकते हैं तथा उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : "एलसी" से आपका आशय रेल समपार (लेवल क्रासिंग) है। रेल शब्दावली को समझना इतना आसान नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह प्रश्न मूल रूप से रेल यात्रियों की सुरक्षा और पुलों के नवनिर्माण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मेरे संसदीय क्षेत्र, नवसृजित जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक भरवारी रेलवे क्रासिंग है, जो आधे-आधे और पौने-पौने घंटे बंद रहता हैं उस रेलवे क्रासिंग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोग मर चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत उसके लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, और राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तथा सभी ओर से सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, एक प्रस्ताव बनकर चला गया है कि रेलवे क्रासिंग पर एक नया पुल बनाया जाए, लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से एन.ओ.सी. नहीं मिला है। जब रेलवे को एन.ओ.सी. देने के बारे में पत्राचार किया जाता है, तो वहां से उत्तर आता है कि 25 लाख रुपए सरचार्ज के रूप में जमा कराए जाएं, तब पुल निर्माण हेतु एन.ओ.सी. प्रदान की जा सकती है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वहां अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, रेलवे क्रासिंग के कारण आधा-आधा और पौने-पौने घंटे तक यातायात बाधित रहता है, रेलवे की सुरक्षा तथा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्या वे रेलवे द्वारा सरचार्ज के रूप में मांगे जा रहे 25 लाख रुपए की राशि को माफ करते हुए नए पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु** : माननीय सदस्य का मुद्दा यह है कि पुल को हर बार आधे घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। हम पुलों को बंद नही करते हैं, हम केवल रेल समपारों को बंद करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस बात से उनका क्या आशय है जहां कहीं अंडर पास है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : महोदय, पुल बंद करने की नहीं, मै नए

पुल के निर्माण हेतु रेलवे द्वारा मांगे जा रहे सरचार्ज को माफ करने के बारे में पूछ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए। *[अनुवाद]* यहां पर वार्तालाप नहीं करा सकते।

**श्री आर. वेलु** : उपरि पुलों अर्थात रेलवे उपरिपुलों के निर्माण के संबंध में हमने इस महान सभा में कई उल्लेख किया है कि इस बारे में रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई समस्या नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों की पहल पर प्राप्त हुए प्रस्तावों पर गौर करने तथा ऐसे समापारों पर जहां रेल वाहन इकाइयों की संख्या एक लाख से अधिक पड़ जाती है, रेलवे उपरिपुलों का निर्माण करने हेतु हमारे पास लगभग 204 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। यदि आपने प्रस्ताव भेजा है तथा 50 प्रतिशत लागत वहन करने, भूमि अधिग्रहण तथा जीएडी अनुमोदन आदि प्राप्त करने की सहमति दे दी है तो रेलवे सदैव ऐसे प्रस्तावों का खुले दिल से स्वागत करता है और इन्हें स्वीकृति देता है। वास्तव में, पिछले बजट में हमारे माननीय रेल मंत्री ने 104 पुलों को स्वीकृति दी थी। 186 रेल समपार प्रस्तावों को इस समय स्वीकृति दी जानी हैं। हम सिर्फ राज्य सरकारों से ऐसे प्रस्तावों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यदि यह प्रस्ताव आता है तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे बशर्ते कि वह विधिवत रूप से प्रक्रियाबद्ध हो।

**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत।

सं. 408- श्री एम. अंजनकुमार यादव।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

*[हिन्दी]*

**आयुध निर्माणियों में उत्पादन**

**408. श्री एम. अंजन कुमार यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आयुध निर्माणियों उत्पादन के अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माणियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)**

*[अनुवाद]*

(क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**विवरण**

भारतीय आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2006-07 में, जुलाई 06 तक की अवधि में 2090.16 करोड़ रुपए के उत्पादों का विनिर्माण किया है जबकि इनके द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2004-05 की इसी अवधि (अप्रैल से जुलाई के दौरान क्रमशः 1994.20 करोड़ रुपए तथा 1255.62 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का विनिर्माण किया गया था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित आयुध निर्माणियों में उत्पादन का मूल्य गत वर्ष की तुलना में थोड़ा-सा कम रहा है।

| क्र. स. | निर्माणी | 2005-2006 07/05 तक उपलब्धि (रु. करोड़) | 2006-2007 07/06 तक उपलब्धि (रु. करोड़) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आयुध निर्माणी, कटनी | 27.81 | 24.47 | ब्रास कपों का कम कार्यभार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर | 51.84 | 38.44 | बी एम पी II कारतूस-खोखों के लक्ष्य में कटौती तथा संयंत्र का खराब होना |
| 3. | राइफल निर्माणी, ईशापुर | 70.21 | 60.44 | लगाए गए श्रम घंटों में अतिरिक्त समय में कमी के कारण आयी कमी |
| 4. | आयुध निर्माणी, दम-दम | 22.18 | 15.75 | उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन तथा नए मद का विकास किया जा रहा है। |
| 5. | ग्रे आयरन फाउंडरी, जबलपुर | 13.65 | 6.31 | वाहन कास्टिंग का कम कार्यभार |
| 6. | आयुध निर्माणी, वरणगांव | 75.54 | 58.89 | 7.62 एम एम-गोलाबारूद की मांग में कमी |
| 7. | भारी वाहन निर्माणी, आवडी | 256.29 | 216.70 | कवचित स्टील प्लेटों की अनुपलब्धता |
| 8. | आयुध निर्माणी, मेडक | 69.56 | 30.50 | बी एम पी II को सेवा से हटाए जाने तथा कवचित स्टील प्लेटों की अनुपलब्धता के कारण कम कार्यभार |
| 9. | आयुध उपस्कर, निर्माणी, कानपुर | 81.43 | 64.57 | निविष्टियों की अनुपलब्धता तथा कुछ निविष्टियों के विनिर्देशों में परिवर्तन |

आयुध निर्माणियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं:—

(i) नए उत्पादों के विकास हेतु प्रयास।

(ii) कार्मिकों की विवेकपूर्ण तैनाती।

(iii) निविष्ट-सामग्री को शीघ्र प्राप्त करना।

(iv) उत्पादन संबंधी गतिरोधों को दूर करने के लिए प्रयोक्ता तथा डिजाइन एजेंसियों के साथ नियमित बातचीत।

*[हिन्दी]*

**श्री अंजन कुमार एम. यादव** : अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व में शांति की स्थापना में सबसे आगे रहा है लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए सेना और हथियारों की जरूरत भी है। दो सौ साल से हमारे देश में आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज़ चल रही हैं और आज इनकी संख्या 39 है, लेकिन वे अपनी क्षमता के हिसाब से उत्पादन नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज़ में उत्पादन घटिया किस्म का होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी कोई जांच करवायी है? यदि करवायी है तो उसके क्या परिणाम रहे हैं और उन परिणामों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : महोदय, यह कहना सही नहीं है कि आयुध निर्माणियों द्वारा विनिर्मित उत्पाद निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाले होते हैं। वास्तव में, ये आयुध निर्माणियां सशस्त्र सेनाओं की सेवा हेतु समर्पित इकाइयां हैं। जैसाकि स्वयं माननीय सदस्य ने बताया, गत 200 वर्षों, वर्ष 1801 से आज तक, आयुध निर्माणियां भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मांगों को पूरा कर रही हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादन और प्रोडक्ट मिक्स का कार्य निरंतर हो रहा है। नौवीं योजना में विकास और आधुनिकीकरण

पर कुल व्यय 1066 करोड़ रुपये था। दसवीं योजना में यह 1500 करोड़ रुपये था। ग्यारहवीं योजना के दौरान यह 2831 करोड़ रुपये का हो गया है।

दूसरे, उत्पादन के संबंध में माननीय सदस्य को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि भारत हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा निर्यातक नहीं है। इन इकाइयों की स्थापना प्रमुख रूप से भारत की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। हम अर्धसैनिक बलों तथा राज्य की पुलिस की आवश्यकताएं भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए, यह कहना भी सही नहीं है कि उत्पादन में कमी आ रही है। मेरे द्वारा दिए गए विवरण में उत्पादन संबंधी आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई तक केवल चार महीनों की अवधि से संबंधित है। उदाहरण के लिए कोई भी यह देख सकता है कि विशेष प्रकार के इस्पात की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी आई है। परंतु आयात संबंधी प्रबंध किए गए हैं। वित्तीय वर्ष पूरा होने में आठ महीने से अधिक का समय बचा है, हम इसकी भरपाई कर पाएंगे, और यह पद्धति रही है। कुछ वर्षों से भारतीय आयुध निर्माणियों के उत्पादन के कुल उत्पादन में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो रही है। परंतु हमें सभी 39 आयुध निर्माणियों के उत्पादन के संबंध में तीन या चार महीनों की समय सीमा को नहीं बल्कि 12 महीनों की समय सीमा में लेना होगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अंजन कुमार एम. यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज में जो उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादनों के लिए निजी क्षेत्र को मंजूरी दी है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? वही उत्पादन हम अपनी आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज में क्यों नहीं पा रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : जहां तक निजी क्षेत्र की भागीदारी का संबंध है तो वर्ष 2002 में किसी समय एक निर्णय लिया गया था कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भाग ले सकता है।

कतिपय आशय पत्र भी जारी किए गए हैं। इसे अभी मूर्तरूप दिया जाना है। तथापि, लार्सन एंड टुर्ब्रो, टाटा जैसे निजी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को कुछ परियोजनाओं से संबद्ध किया जा रहा है परंतु ये आयुध निर्माणियों के लिए नहीं हैं। डीआरडीओ अथवा कतिपय अन्य संगठनों द्वारा शुरू की गई कुछ विकास परियोजनाओं हेतु उन्हें संबद्ध किया जा रहा है परंतु नीतिगत रूप में, भारतीय निजी क्षेत्र लाइसेंसों के आधार पर 100 प्रतिशत तक भागीदारी कर सकता है। यह छूट सभी के लिए नहीं है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी 26 प्रतिशत तक अनुमति है। निसंदेह लाइसेंसों के आधार पर।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** : महोदय, जबलपुर आर्डिनेन्स फैक्ट्री में वाहन कास्टिंग का कम कार्यभार है ऐसा बताया गया है। इसके साथ ही कुछ जगह पर बम की आवश्यकता नहीं है, यह भी बताया गया है मेरा सवाल यह है कि आर्डिनेन्स फैक्ट्री की क्षमता ज्यादा होते हुए भी, उसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर बड़े सैनिक अधिकारी या उनके विभाग द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर की कमी के कारण बहुत बार उनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता, ऐसी अवस्था यहां दिखाई देती है: क्या सरकार इस संबंध में उचित ध्यान देकर इन सभी आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों की क्षमताओं का पूरा उपयोग करेगी इसके साथ-साथ कुछ जगहों पर अधिकारियों की या कर्मचारियों की कमी है वह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी लोगों की पूर्ति करने के संबंध में क्या सरकार विचार करेगी और कितने दिन में यह विचार पूरा होगा, ताकि ये सभी आर्डिनेन्स फैक्ट्रियां व्यवस्थित रूप से चल सकें?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : माननीय सदस्य इस बात को अवश्य मानेंगे कि ये निर्माणियां सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसीलिए, हमें इनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। युद्ध के दौरान, क्षमता उपयोगिता बहुत अधिक होती है जैसा कि हाल ही करगिल युद्ध के दौरान हुआ था। क्षमता उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सशस्त्र बलों को वाहनों, हथियारों, गोला-बारूद युद्धक प्रणालियों की आवश्यकता होती है जिन्हें आयुध निर्माणियों द्वारा सेना की आवश्यकता के अनुसार प्रदान करना पड़ता है। इसलिए कतिपय क्षमता का सृजन किए जाने की आवश्यकता है। शान्तिकाल के दौरान उक्त क्षमता का पूर्ण दोहन सम्भव नहीं है और युद्ध के समय हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए, अतिरिक्त क्षमता को सृजन किया जाना चाहिए। कुछ निर्माणियों में कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो पाए किंतु मैंने जो समग्र चित्रण प्रस्तुत किया है कि उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है।

आज की स्थिति के अनुसार, सभी 39 आयुध निर्माणियों में कुल

कार्मिकों की संख्या 1.16 लाख से अधिक है। यह बहुत बड़ी संख्या है। यहां कार्मिकों की कोई कमी नहीं है।

**श्री सांताश्री चटर्जी** : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में आयुध निर्माणियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कतिपय सुधारात्मक उपायों का उल्लेख किया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इन उपायों का क्या परिणाम निकला?

माननीय मंत्री जी ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में अभी उत्तर दिया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र जी भागीदारी से हमारी सम्प्रभुता प्रभावित नहीं होगी?

**अध्यक्ष महोदय** : भारतीय कंपनियों के मामले में भी?

**श्री प्रणब मुखर्जी** : जहां तक निजी क्षेत्र की भागीदारी का संबंध है, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, यह ऐसा नहीं है कि विभागीय उपक्रमों की कीमत पर अथवा सरकारी क्षेत्र के आठ एककों या उद्यमों की कीमत पर किया जायेगा। यह प्रतिपूरक प्रयास होगा और निस्संदेह ये भारतीय कंपनियां ही होगी।

इसलिए, सम्प्रभुता का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मैं यह कहता हूं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी तो मैं पिछले दो वर्षों से पूर्णत: स्पष्ट करता आ रहा हूं कि आयुध निर्माणियों और सरकारी क्षेत्र की आठ इकाइयों जैसे विभागीय उपक्रमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जायेगा। इसलिए, इनका हस्तांतरण किसी को भी नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र की बलि देकर निजी क्षेत्र की कोई सम्भावना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि उत्पादन सेनाओं से प्राप्त मांग पर आरम्भ होता है। उन्हें जब भी इसकी आवश्यकता होती है उन्हें उसकी आपूर्ति की जाती है। इनका यूं ही उत्पादन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके पास कोई अन्य बाजार नहीं है।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, पिछले कई वर्षों से यह राष्ट्रीय राष्ट्र की नीतिगत विशेषता रही है- भारत हथियारों के भारी निर्यात में भागीदारी नहीं करता है। हम थोड़ा बहुत निर्यात कर रहे हैं। इसलिए, हम केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करते है; उत्पादन मांग पर निर्भर करता है जो कि प्राप्त आर्डरों से प्रतिबिम्बित होती है; और इस प्रकार इस समूची प्रणाली के लिए पर्याप्त एवं व्यापक व्यवस्था की गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि निजीकरण अथवा निर्माणियों के कम उपयोग के बारे में शंका करने का कोई कारण नहीं है।

## राष्ट्रीय रेल विकास योजना

+

*409. **श्री अर्जुन सेठी :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल नटवर्क के महत्वपूर्ण खंडों से क्षमता संबंधी अवरोधों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय रेल विकास योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं राज्य-वार कौन-कौन सी हैं;

(ग) राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत अब तक पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावनाएं हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) से (ङ) प्रारंभ में राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीआई) के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु कुल 70 परियोजनाओं की पहचान की गई थी। बहरहाल, 7 परियोजनाओं को इस परियोजना से बाहर निकाल लिया गया है। 63 परियोजनाओं में 33 स्वर्णिम चतुर्भुज के सुदृढ़ीकरण, 26 परियोजनाएं पत्तन संपर्क और उसके भीतरी प्रदेश के विकास तथा 4 परियोजनाएं बड़े पुलों से संबंधित हैं। 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 41 परियोजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति सहित उनका ब्यौरा और पूरा करने का समय, जहां कहीं निर्धारित हो, अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

| क्र. स. | राज्य | परियोजना | योजना शीर्ष | लंबाई (किमी. में) | लागत | मार्च 06 तक व्यय | परिव्यय 06-07 | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (करोड़ रुपयों में) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | स्वर्णिम चतुर्भुज कार्य (स्वीकृत) | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | बालापल्ले-पल्लमपेट-गुत्ती-रेणीगुंटा का चरण-I | दोहरीकरण | 41 | 85 | 84.02 | 1 | पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। |
| 2. | आंध्र प्रदेश | गुत्ती-रेणीगुंटा- कहीं-कहीं दोहरीकरण | दोहरीकरण | 151 | 305.95 | 38.2 | 68.4 | यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण द्वारा निष्पादित की जानी है और 2008-09 तक पूरा किए जाने का |
| 3. | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक | रायचूर-गुंतकल | दोहरीकरण | 81.1 | 145.81 | 0 | 57 | यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण द्वारा निष्पादित की जा रही है और 2007-08 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 4. | आंध्र प्रदेश | रेणीगुंटा-गुंतकल | रेल विद्युतीकरण | 308 | 182.55 | 75.78 | 7 | रेणीगुंटा-नंदलूर (86 मार्ग किमी) खंड पर कार्य पूरा हो गया और शेष खंड को 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 5. | आंध्र प्रदेश, उड़ीसा | भुवनेश्वर-कोट्टावालसा | रेल विद्युतीकरण | 457 | 322.71 | 288.97 | 4 | पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। |
| 6. | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर-उरकुरा | दोहरीकरण | 110 | 375.42 | 138.62 | 28.5 | यह परियोजना रेल विकास निगम लि. क्रियान्वित कर रहा है... बिलासपुर-भाटपारा (47 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | गया है। भाटपारा-उरकुरा (60 किमी) खंड 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 7. | दिल्ली, | नई दिल्ली-तिलक ब्रिज 5वीं और 6ठी लाइन | दोहरीकरण | 2.65 | 53.14 | 22.01 | 14.5 | 6ठीं लाइन (3.4 किमी) 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 8. | दिल्ली, उत्तर प्रदेश | सहिबाबाद-आनंद विहार-तीसरी एवं चौथी लाइन | दोहरीकरण | 4 | 49.57 | 0 | 0.5 | कार्य शुरू किया गया है और 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 9. | दिल्ली | आनंद विहार टर्मिनल | यातायात सुविधाएं | 0 | | | | कार्य शुरू किया गया है और 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 10. | दिल्ली, हरियाणा | तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन | दोहरीकरण | 33.5 | 83 | 0 | 10 | 2006-07 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। |
| 11. | हरियाणा, उत्तर प्रदेश | पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 81 | 214.68 | 0.01 | 150 | प्रारंभिक कार्य आरंभ किए गए हैं। |
| 12. | महाराष्ट्र | पकनी-माहौल | दोहरीकरण | 17 | 42.73 | 10.08 | 30.01 | कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जाना है और 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 13. | महाराष्ट्र | पकनी-सोलापुर | दोहरीकरण | 16.28 | 38.52 | 7.01 | 20.5 | कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जाना है और 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 14. | महाराष्ट्र | दिवा कल्याण 5-6 लाइन का दोहरीकरण | दोहरीकरण | 11 | 70 | 48.7 | 5.5 | परियोजना 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 15. | उड़ीसा | कटक-बरांग | दोहरीकरण | 12 | 127.13 | 0 | 40.15 | कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जाना है और 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | उड़ीसा | खोरधा रोड-बरांग तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 35 | 200.28 | 0.11 | 46.6 | कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जाना है और 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 17. | उड़ीसा | रजतगढ़-बरांग | दोहरीकरण | 20 | 178.98 | 1.36 | 72.7 | कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है और परियोजना 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 18. | उड़ीसा | तालचेर-कटक-पाराद्वीप (महानदी और बिरुपा पर दूसरे पुल) | दोहरीकरण | 3 | 109.45 | 21.06 | 39.9 | बिरुपा पर दूसरा पुल पूरा हो गया है और महानदी पर दूसरा पुल रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है तथा 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 19. | तमिलनाडु | अट्टीपट्टु-कोरुक्कूपेट्टे | दोहरीकरण | 18 | 70.56 | 37.55 | 21 | कोरूक्कूपेट-एण्णैर (6 किमी.) 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 20. | तमिलनाडु | चेन्नै बीच-अट्टीपट्टु चौथी लाइन | दोहरीकरण | 22.1 | 50.23 | 0 | 0.5 | प्रारंभिक अध्ययनों के बाद अब कार्य रेलवे द्वारा आरंभ किया गया है। |
| 21. | तमिलनाडु | चेन्नै बीच-कोरूक्कूपेट | दोहरीकरण | 4.1 | 55.23 | 0 | 0.5 | प्रारंभिक अध्ययनों के बाद अब कार्य रेलवे द्वारा आरंभ किया गया है। |
| 22. | तमिलनाडु | पट्टाबिरम-तिरुवालूर चौथी लाइन (15.06 किमी) & तिरुवालूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन (26.83 किमी.) | दोहरीकरण | 41.89 | 71.94 | 36.9 | 28.5 | पट्टाबिरम-तिरुवालूर (16 किमी) खोल दिया गया है। तिरुवालूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन का कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 106.15 | 230.73 | 65 | 85.5 | परियोजना रेल विकास निगम लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रहा है और 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 24. | उत्तर प्रदेश | कानपुर-चंदेरी | दोहरीकरण | 4 | 16.84 | 11.36 | 0.01 | पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। |
| 25. | उत्तर प्रदेश | कानपुर-पनकी तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 9 | 65.7 | 56.93 | 6 | कार्य पूरा होने के नजदीक है और 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 26. | पश्चिम बंगाल | गुरूप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 26 | 54.14 | 71.91 | 0.5 | पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। |
| 27. | पश्चिम बंगाल | टिकियापारा-संतरागाछी चौथी लाइन | दोहरीकरण | 5.6 | 46.79 | 7.51 | 22.5 | 2006-07 के दौरान कार्य पूरा किया जाने का लक्ष्य है। |
| 28. | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा | तालचेर-पाराद्वीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर | रेल विद्युतीकरण | 540 | 406.51 | 359.85 | 35 | पूरा हो गया है। |
| 29. | पश्चिम बंगाल | चंदनपुर-गुरूप तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 17 | 42.3 | 42.3 | 0 | पूरा हो गया है। |
| | | | **स्वर्णिम चतुर्भुज कार्य (अस्वीकृत)** | | | | | |
| 30. | महाराष्ट्र-कर्नाटक | भिगवान-गुलबर्गा | दोहरीकरण | | 394 | | | आरवीएनएल व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। |
| 31. | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक | पुणे-गुंतकल | रेल विद्युतीकरण | | 380 | | | आरवीएनएल व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। |
| 32. | मध्य प्रदेश | भोपाल-बीना तीसरी लाइन | दोहरीकरण | | | | | आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। |
| 33. | पश्चिम बंगाल | पांसकूडा-खड़गपुर तीसरी लाइन | दोहरीकरण | | 120 | | | आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **बड़े पुल** | | | | |
| 1. | असम | डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित बोगीबील पुल | नई लाइन | 46 | 1767.4 | 456.45 | 230 | गिट्टी संग्रहण एवं मिट्टी संबंधी कार्य, पहुंच मार्गों पर पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। मुख्य पुल उपसंरचना के लिए निविदा पर कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के लिए सरकार के पुनर्विचारार्थ प्रस्ताव आरंभ किया गया है। |
| 2. | बिहार | कोसी पुल | नई लाइन | 21.85 | 341.41 | 5.46 | 30 | पुल का सरेखण और स्पेन विन्यास को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उपसंरचना के कार्य शुरू किए गए है। |
| 3. | बिहार | मुंगेर-गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल | नई लाइन | 19.8 | 981 | 131.1 | 120 | 23 में से 6 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। मुख्य पुल उपसंरचना का कार्य प्रगति पर है। |
| 4. | बिहार | पटना - पटना और हाजीपुर के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित गंगा पुल | नई लाइन | 19 | 684.47 | 235.29 | 120 | 40 में से 31 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। मुख्य पुल उपसंरचना का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर रेल एवं सड़क पुल के लिए कार्य की परिधि में आशोधन करने का प्रस्ताव आरंभ किया गया है। |
| | | | | **पत्तन संपर्क कार्य (अस्वीकृत)** | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | ओबुलावारीपल्ले-कृष्णापत्तनम | नई लाइन | 113 | 426.34 | 0 | 10 | इसे एक परियोजना निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन योजना के जरिये निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें कृष्णापत्तनम पत्तन, आंध्र प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और रेल विकास निगम लि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | शामिल होंगे। अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो गया है और वन्य भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। |
| 2. | असम, | सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित रंगिया-मरकोंगसेलेक | आमान परिवर्तन | 510.33 | 915.7 | 0 | 10 | रंगिया-रंगियापारा नॉर्थ के लिए विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूतकनीकी जांच शुरू की गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के लिए सरकार के पुनर्विचारार्थ प्रस्ताव आरंभ किया गया है। |
| 3. | बिहार | मानसी-सहरसा और सहरसा-धौरम माधेपुरा-पूर्णिया | आमान परिवर्तन | 142 | 257.01 | 112.91 | 20 | मानसी-सहरसा पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। सहरसा-दोरम-माधेपुरा-पूर्णिया खंड मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों के कार्य प्रगति पर हैं। |
| 4. | बिहार | बरौनी-तिलरथ बाईपास | दोहरीकरण | 14 | 15.37 | 12.52 | 2.39 | बरौनी में बाईपास लाइन निकालने को छोड़कर, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है, बरौनी से टिटलागढ़ तक कार्य पूरा हो गया है। |
| 5. | दिल्ली, हरियाणा | दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन | आमान परिवर्तन | 83 | 143.88 | 100 | 40 | पूरा हो गया है। |
| 6. | गुजरात | भरुच-सामनी डहेज | आमान परिवर्तन | 62.36 | 165.66 | 0 | 10 | यह कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। विशेष प्रयोजन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
| 7. | गुजरात | गांधीधाम-पालनपुर | आमान परिवर्तन | 313 | 344.62 | 226.95 | 65 | यह कार्य कच्छ रेल कंपनी नामक एक विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। पालनपुर-सामख्यिाली पूरा हो गया है और खोल दिया गया हैं शेष कार्य 2006-07 के दौरान कार्य पूरा किया जाने का लक्ष्य है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | गुजरात | पिपावार तक विस्तार सहित सुरेंद्रनगर-रजौला महुआ और सिहौर-पलिताना | आमान परिवर्तन | 385 | 440.19 | 446.04 | 5 | पूरा हो गया है। |
| 9. | कर्नाटक | अरसीकेरे-हसन-मंगलौर | आमान परिवर्तन | 236 | 417.45 | 326 | 0.01 | पूरा हो गया है। यह खंड माल यातायात के लिए खोला जा चुका है। |
| 10. | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश | होजपेट-गुंतकल | दोहरीकरण | 115.4 | 268.23 | 210.37 | 60 | गुंतकल-त्रोणागल्लू (81 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया हैं त्रोणागल्लू-होजपेट (32 किमी.) खंड 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 11. | महाराष्ट्र, | पनवेल-जसै-जेएनपीटी | दोहरीकरण | 28.5 | 53.25 | 22.62 | 8 | पूरा हो गया है। |
| 12. | महाराष्ट्र | पनवेल-करजत | नई लाइन | 28 | 137.43 | 130.58 | 1 | पूरा हो गया है। |
| 13. | उड़ीसा | देतारी-बांसपानी | नई लाइन | 155 | 913.87 | 583.48 | 155.85 | बांसपानी से क्योझार (57.44 किमी) तक लाइन पूरी हो गई है और खोल दी गई है। क्योझार-टोमका (98.358 किमी) खंड दिसंबर, 2006 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 14. | उड़ीसा | हरिदासपुर-पाराद्वीप | नई लाइन | 82 | 594.34 | 29.51 | 44 | विशेष प्रयोजन योजना का गठन किया जा रहा है। महानदी और लूणा पुल की दीर्घकालिक मदों पर कार्य प्रगति पर है। |
| 15. | उड़ीसा | नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर | दोहरीकरण | 43 | 174.98 | 164.31 | 10 | दोहरीकरण पूरा हो गया है। |
| 16. | उड़ीसा | रेहामा-पाराद्वीप | दोहरीकरण | 23 | 75.51 | 69.17 | 5 | पूरा हो गया है। |
| 17. | उड़ीसा | रजतगढ़-नेरगुंडी | दोहरीकरण | 28 | 84.84 | 83.04 | 0.2 | पूरा हो गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | राजस्थान, गुजरात | भिलडी-समदरी | आमान परिवर्तन | 223 | 244.74 | 8.72 | 115 | यह परियोजना रेल विकास निगम लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए है। परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 19. | राजस्थान, हरियाणा | अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी | आमान परिवर्तन | 294.97 | 469.1 | 0.01 | 270 | यह परियोजना रेल विकास निगम लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए है। परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 20. | तमिलनाडु | कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृद्धाचलम | आमान परिवर्तन | 191 | 261 | 151.56 | 80 | यह कार्य राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी (50:50) के आधार पर किया जा रहा है और रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। वृद्धाचलम-कुड्डालुर (57 किमी.) खंड पूरा हो गया हे और खोल दिया गया हैं शेष को 2006-07 के दौरान पूरा किया जाने का लक्ष्य है। |
| 21. | तमिलनाडु | तंजावूर-विषुपुणम | आमान परिवर्तन | 192 | 231 | 94.3 | 100 | यह परियोजना रेल विकास निगम लि. के पास है। तंजावूर-कुम्भकोणम-मलियादुतरै (71 किमी. खंड खोल दिया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए है। शेष खंडे 2007-08 के दौरान पूरा किया जाने का लक्ष्य है। |
| 22. | उत्तर प्रदेश | आनंदनगर नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप | आमान परिवर्तन | 260 | 381.17 | 52.66 | 5 | मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पश्चिम बंगाल | पांसकूडा-हाल्दिया चरण-I | दोहरीकरण | 14 | 35.02 | 28.68 | 0.5 | पूरा हो गया है। |
| | | | **पत्तन संपर्क (अस्वीकृत)** | | | | | |
| 24. | गुजरात | सूरत-हाजिरा | नई लाइने | | 200 | | | अंतिम स्थान सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पूरक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और एचपीपीएल की ओर स्पष्ट वचनबद्धता की प्रतीक्षा है। |
| 25. | पश्चिम बंगाल | पांसकूडा-हाल्दिया चरण-II | दोहरीकरण | | 239.25 | | | आरवीएनएल व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। |
| 26. | उड़ीसा | छतरपुर-गोपालपुर | नई लाइने | | 50 | | | लाइन का नियोजन उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा पत्तन रियायतें प्रदान किए जाने पर निर्भर है। |

**श्री अर्जुन सेठी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से कुल 70 परियोजनाओं का आरंभ में चयन किया गया था। तत्पश्चात्, इस योजना में से सात परियोजनाओं को इसमें से अलग कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन 70 परियोजनाओं में से कौन-कौन सी सात परियोजनाओं को अलग किया गया है और इसके क्या कारण हैं।

**श्री आर. वेलु** : राष्ट्रीय रेल विकास योजना 15.08.2002 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे के विकास के लिए की गई घोषणा का परिणाम है। इसके तीन घटक है। एक स्वर्णिम चतुर्भुज को सुदृढ़ बनाना; दूसरा पत्तनों के सम्पर्क को सुदृढ़ बनाना अर्थात् मल्टी-नोडल सिस्टम और तीसरा बड़े पुलों का निर्माण करना है।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस योजना में से अलग की गई सात परियोजनाऐं कौन सी हैं। पहली थार्ने-मुम्ब्रा-दिवा 5वीं और 6ठीं लाईन है। यह परियोजना महानगरीय परिवहन प्रणाली से संबंधित है। इसलिए, इसे उन्हें सौंप दिया गया है।

दूसरी कल्याण-कसारा तीसरी लाईन तथा तीसरी परियोजना इगतपुरी-भूसावल तीसरी लाईन है। प्रारम्भिक अध्ययनों के बाद, इन दोनों परियोजनाओं को व्यवहार्य नहीं पाया गया और वर्तमान में इसके कार्यान्वयन की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को व्यवहार्य होना चाहिए और इनका क्रियान्वयन रेलवे को अपनी बजटीय सहायता से पूरा करना चाहिए।

चौथी परियोजना 100 किमी. प्रतिघंटा से माल गाड़ियों को चलाने के प्रोन्नयन कार्यों से संबद्ध है। आरम्भ में हमने सोचा था कि हम स्वर्णिम चतुर्भुज का प्रोन्नयन कर लेंगे जिससे कि 100 किमी प्रति घंटे से माल गाड़ियों को चलाया जा सकें। किंतु अब हम डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोरस पर विचार कर रहे हैं। एक दिल्ली से कोलकाता तक तथा दूसरा लुधियाना से मुंबई तक होगा। इस प्रकार, हमने इसे भी इस योजना से अलग कर दिया है।

पांचवी परियोजना तुगलकाबाद-दादरी आईसीडी से संबद्ध है। यह कार्य 'डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर' के एक भाग के रूप में पूरा किया जायेगा। छठी परियोजना वल्लारपरम-इदापल्ली है; यह केरल की परियोजना है। यह कार्य अब पोत परिवहन मंत्रालय का विषय बन गया है। एक बार उनसे धनराशि मिल जाए, हमें इसे क्रियान्वित कर देंगे। किंतु यह पोत परिवहन मंत्रालय का विषय है।

अंतिम परियोजना झटक-धामरा है; यह निजी क्षेत्र की रेल परियोजना होगी इसलिए इसे योजना से अलग कर दिया गया है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं बिक्री

*410. डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामचंद्र सुमन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादित समूची प्राकृतिक गैस बेची जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक वर्ष कितनी गैस बेची गई;

(घ) क्या उत्पादित गैस के नुकसान का अनुमान लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) आयल एंड नेचुरल गेस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा 2004-05 और 2005-06 के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा क्रमशः 22.970 और 22.574 बिलियन मानक घन मीटर (बीसीएम) थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ओएनजीसी द्वारा 2004-05 और 2005-06 के दौरान तेल की कृत्रिम लिफ्ट, विद्युत और वाष्प उत्पादन और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बिक्री की गई गैस की मात्रा क्रमशः 18.525 और 18.226 बीसीएम हैं।

(घ) और (ङ) उत्पादित गैस की क्षति मुख्यतया गैस के दहन के कारण हैं जो 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः 3% और 2.6% थी।

(च) गैस दहन में और कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

- नई गैस पाइपलाइनें बिछाना।
- गैस कम्प्रेशरों की स्थापना।
- गैस कलेक्टिंग स्टेशनों की स्थापना।
- कैप्टीव विद्युत उत्पादन सुविधाओं की स्थापना।
- अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित गैस के लिए उपभोक्ताओं की पहचान करना।

### एचपीसीएल का विस्तार कार्यक्रम

*411. श्री सुफनी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने विस्तार, विशेषकर मुंबई रिफाइनरी के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या इस विस्तार कार्यक्रम का कंपनी के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की मुंबई और विसाखापटनम में क्रमश: 5.5 एमएमटीपीए और 7.5 एमएमटीपीए क्षमता की एक-एक रिफाइनरी है। इस समय एचपीसीएल आटो फ्यूअल नीति के अनुसार फ्यूअल गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए और 3998 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर दोनों रिफाइनरियों में क्षमता विस्तार के लिए भी परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन परियोजनाओं को जनवरी, 2007 तक पूरी कर लिया जाना निर्धारित है।

1850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मुंबई रिफाइनरी में क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना के भाग के रूप में मुंबई रिफाइनरी की परिशोधन क्षमता विद्यमान 5.5 एमएमटीपीए से बढ़कर 7.9 एमएमटीपीए हो जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद मुंबई रिफाइनरी यूरो-3 और यूरो-4 समतुल्य पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करने की क्षमता रखेगी। इस परियोजना के परिणामस्वरूप प्रस्तावित गुणवत्ता के अनुरूप उत्पाद पैटर्न पर पहुंचा जा सकेगा। इस परियोजना के चालू होने पर उत्पाद स्लेट निम्न प्रकार होगी:

| उत्पाद | उत्पादन टीएमटीपीए |
|---|---|
| एलपीजी | 434 |
| नाफ्था | 355 |
| एमएस | 1015 |
| एसकेओ | 732 |
| एटीएफ | 548 |
| एचएसडी | 1990 |
| एफओ | 1595 |
| बिटुमेन | 321 |
| एलडीओ | 100 |
| ल्यूब्स | 218 |

इसके अलावा, एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी ने ल्यूब आयल बेस स्टाक की गुणवत्ता का बाजार की जरूरत के अनुसार वर्तमान ग्रुप-1 स्तर से ग्रुप-2 गुणवत्ता के स्तर तक उन्नयन के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है। यह परियोजना 638 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जनवरी 2009 में पूरी होने की आशा है। मुंबई रिफाइनरी ने क्रमश: 165 करोड़ रुपए और 314 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मिक्स्ड जाइलीन और प्रोपीलीन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए भी परियोजनायें प्रारंभ की हैं। ये परियोजनायें जून 2008 में पूरी होने वाली है।

*[अनुवाद]*

**महानगरों में रेलवे स्टेशनों का विस्तार**

*412. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**
**श्री असादुद्दीन ओवेसी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भीड़भाड़ को कम करने और यात्रियों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्थान से रेलगाड़ी पकड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली और अन्य महानगरों में और अधिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने और वर्तमान रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास नगरों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए अन्य नगरों, विशेषकर राज्य की राजधानियों और अन्य बड़े नगरों, के लिए भी ऐसी ही योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी हां।

(ख) महानगरों में मौजूदा टर्मिनलों को नया रूप देने और अतिरिक्त टर्मिनलों के प्रावधान के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं और उनका कार्य प्रगति पर हैं:

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | महानगर समूह | रेलवे | कार्य का नाम | लागत | मार्च, 2006 तक किया गया व्यय | बजट आबंटन (2006-07) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | उत्तर | नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला एवं आनंद विहार | 202.66 | 92.06 | 18.22 |
| 2. | मुंबई | मध्य/पश्चिम | छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला, कल्याण, ठाणे, दादर, बांद्रा | 212.12 | 100.09 | 13.46 |
| 3. | चैन्ने | दक्षिण | चेन्नै सेन्ट्रल, चेन्नै एगमोर | 14.55 | 6.48 | 1.73 |
| 4. | कोलकाता | पूर्व | हावड़ा सियालदाह, खिदपुर | 152.42 | 60.29 | 11.64 |
| | | | कुल | 581.75 | 258.92 | 45.05 |

(ग) जी हां।

(घ) राज्यों की राजधानियों और अन्य बड़े शहरों में भीड़ कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनका कार्य प्रगति पर है:

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | रेलवे | राज्यों की राजधानियों और अन्य बड़े नगरों में टर्मिनल सुविधा संबंधी कार्य | लागत | मार्च, 2006 तक किया गया व्यय | बजट आबंटन (2006-07) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | पूर्व मध्य | पटना | 8.90 | 0.75 | 3.00 |
| 2. | पूर्व तट | विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर | 20.57 | 11.36 | 2.94 |
| 3. | उत्तर | मुरादाबाद, अमृतसर | 24.51 | 14.65 | 2.43 |
| 4. | उत्तर मध्य | आगरा | 4.61 | 0.00 | 0.001 |
| 5. | पूर्वोत्तर | लखनऊ, छपरा, गोमतीनगर | 93.77 | 66.24 | 7.70 |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमा | कटिहार, कामख्या, गुवाहाटी | 32.11 | 9.66 | 12.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | उत्तर पश्चिम | रेवाड़ी, बीकानेर | 49.12 | 0.00 | 0.20 |
| 8. | दक्षिण | कोयम्बतूर, पालघाट, कोचुवेली | 32.39 | 19.39 | 4.59 |
| 9. | दक्षिण पूर्व | हटिया, संतरागाछी | 10.85 | 1.75 | 1.10 |
| 10. | पश्चिम | ओखा | 4.57 | 2.32 | 0.50 |
| 11. | पश्चिम मध्य | हबीबगंज, सवाई माधोपुर, जबलपुर | 11.41 | 5.61 | 2.39 |
| | | कुल | 292.81 | 131.73 | 37.41 |

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**हेलीकॉप्टर सेवाएं**

*413. **श्रीमती प्रतिभा सिंह :**
**श्री दुष्यंत सिंह :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर पर्यटकों के पसंदीदा स्थानों के बीच, छोटे विमान और हेलीकॉप्टरों की सेवाएं शुरू करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) घरेलू अनुसूचित आपरेटरों द्वारा प्रचालित छोटे आकार वाले विमानों/हेलीकॉप्टरों, 80 सीटों से कम क्षमता वाले विमानों/ हेलीकॉप्टरों के प्रचालनों को सरल बनाने के लिए, इन्हें अवतरण प्रभारों से छूट दी गई है। इस प्रकार के विमानों को मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों से भी छूट प्रदान की गई है। सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत भी तैयार किए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित एयरलाइनें श्रेणी-I मार्गों पर (जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं), श्रेणी-II मार्गों पर जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप में प्रचालित क्षमता का 10% प्रचालन श्रेणी-I वाले मार्गों पर करें। श्रेणी-I मार्गों पर लगाई गई क्षमता का कम से 50% क्षमता को श्रेणी-III मार्गों पर लगाया जाता है। तथापि, विशिष्ट स्थानों पर वास्तविक प्रचालनों पर निर्णय एयरलाइनों को लेना है जो यात्री मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों के बीच, इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर 52 घरेलू स्टेशनों से प्रचालन कर रही हैं तथा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थानों को सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि., नियमित हेलीकॉप्टर सेवाएं चलाने के लिए मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप प्रशासन की राज्य सरकारों को पट्टे पर हेलीकॉप्टर भी प्रदान करती है।

**ईरान से एलएनजी का आयात**

*414. **श्री अधीर चौधरी :**
**श्री गणेश सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति में अपनी असमर्थता जताई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा)** : (क) ईरान ने भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता तो नहीं प्रकट की है, किंतु उसे अभी नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) और इंडियन कन्सोर्टियम आफ गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडिया आयल कार्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बीच 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) एलएनजी के लिये तेहरान में 13 जून 2005 को हस्ताक्षरित बिक्री-क्रय करार-(एसपीए) को लागू करने की सहमति देनी है। करार अवधि 25 वर्ष है, जो 2009 को अंतिम तिमाही से प्रारंभ हो रही है।

(ख) उपरोक्त एसपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ ही पक्षकारों ने 13 जून, 2005 को एलएनजी एसपीए के पार्श्व पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार एनआईजीईसी ने एसपीए को लागू करने हेतु अपनी मूल कंपनी, नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) का अनुमोदन प्राप्त करने और इसका अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देने की इच्छा व्यक्त की। एनआईजीईसी अब तक एनआईओसी के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सका है और भारतीय कंपनियों को इसकी सूचना नहीं दे सका है।

(ग) ईरानी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है।

## रेलवे कंटेनर प्रचालन

*415. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटेनर आपरेटरों और रेलवे के बीच मॉडल रियायत (कन्सेशन) समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) उक्त योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे रेलवे कंटेनर प्रचालन कितना लाभान्वित होगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सितम्बर, 2006 तक आदर्श रियायती करार के अमल में आ जाने की संभावना है।

(घ) इससे कंटेनर ट्रेन परिचालकों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के यातायात में वृद्धि होगी।

## अभिलेखों की खोज

*416. **डा. आर. सेनथिल** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब तक खोजे गए अभिलेखों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कई पुरालेखों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालयों द्वारा उचित रूप से परिरक्षण नहीं किया जा रहा है और ये नष्ट हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) जी, हां।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखा (नागपुर में अरबी और फारसी तथा मैसूर में संस्कृत और द्राविड) ने अब तक देश के विभिन्न भागों से 73,901 उत्कीर्ण लेखों की खोज तथा प्रतिलिपि तैयार की है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

पुरालेख, जो विरासत स्मारकों के भाग हैं, का संरक्षण तथा परिरक्षण निर्धारित पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। चल (मूवेबल) पुरालेखों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वयं संग्रहालयों तथा मूर्ति रोडों में सुरक्षित कस्टडी में रखा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखाओं द्वारा उत्कीर्ण लेखों की प्रतियां (कागज को पीट कर बनाई गई छाप) परिरक्षित की जाती हैं तथा पुरानी और फटी हुई छापों, यदि कोई हैं, को सुधारने के लिए इनकी आवधिक मानीटरिंग की जाती है।

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का जी.डी.पी. में योगदान

*417. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में दिए जा रहे योगदान का सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिए गए इस योगदान का ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान क्रमश: 11.6%, 12.5% और 11.8% था।

**कच्चे तेल का आयात**

*418. **श्री के.एस. राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय तेल शोधनशालाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करने के लिए केवल एक ही संगठन बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा)** : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये कच्चे तेल की मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार है:-

| तेल कंपनी का नाम | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रु. | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रु. | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रु. |
| आईओसीएल | 32746 | 30777 | 34833 | 44163 | 37512 | 66541 |
| बीपीसीएल | 10379 | 9889 | 11114 | 14275 | 11864 | 21421 |
| एचपीसीएल | 9099 | 8181 | 10226 | 13258 | 10463 | 19435 |
| एमआरपीएल | 7989 | 7408 | 8335 | 10171 | 9174 | 16153 |

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विकलांग लोगों को रियायतें/सुविधाएं**

*419. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दी जा रही रियायतों/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर समितियां गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार)** : (क) विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित रियायतें/सुविधाएं दी जा रही हैं:-

**नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत रियायतें**

1. भारत सरकार और राज्य सरकारों के संगठनों में रोजगार हेतु 3% आरक्षण;

2. सरकार से सहायता प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में 3% आरक्षण;

3. गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3% आरक्षण;

4. अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है; और

5. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा (क) गृह निर्माण; (ख) व्यवसाय स्थापित करने; (ग) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना; (घ) विशेष स्कूलों की स्थापना; (ङ) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना; और (च) विकलांग उद्यमियों द्वारा फैक्टरियों की स्थापना में भूमि के आबंटन का प्रावधान है।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियायतें/ सुविधाएं**

1. जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक साधन और उपकरण नि:शुल्क या रियायती दरों पर मुहैया कराए जाते हैं;

2. सात राष्ट्रीय संस्थान विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति का विकास कर रहे हैं और साथ ही पुनर्वास और उपचारात्मक सेवाएं भी मुहैया कर रहे हैं;

3. एक सौ छब्बीस जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र, पांच संयुक्त पुनर्वास केन्द्र और चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही है;

4. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास गंभीर मानसिक और बहु-विकलांगता ग्रस्त निराश्रित और परित्यक्त बच्चों के स्वास्थ्य और इनकी जीविका आवश्यकताओं की देखभाल करने के इच्छुक परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है;

5. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम स्व-रोजगार उद्यमों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है;

6. 500 विकलांग छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं; और

7. पांच सौ चालीस विशेष स्कूलों, 214 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही 223 अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

**केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की जा रही रियायतें और सुविधाएं**

1. धारा 30 यू0 के अंतर्गत (स्वयं निर्धारिती के लिए जो विकलांग है अथवा गंभीर रूप से विकलांग है) और धारा 80 डीडी के अंतर्गत (विकलांग या गंभीर विकलांगता से पीड़ित आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के लिए) आयकर रियायत ग्राह्य है करदाता को विकलांगता के लिए प्रारंभिक सीमा 1.50 लाख रुपए और गंभीर विकलांगता के लिए 1.75 लाख रुपए है। विकलांग महिला करदाताओं के लिए यह सीमा 1.85 लाख रुपए और गंभीर विकलांगता हेतु 2.10 लाख रुपए है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, 2.35 लाख रुपए की आय पर यदि वे विकलांग हैं और गंभीर रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.60 लाख रुपए की आय पर कोई आयकर देय नहीं है;

2. सहायक यंत्रों और उपकरणों अर्थात् टाकिंग बुक, ब्रेल कंम्प्यूटर टर्मिनल, ब्रेल राइटर और टाइपराइटर, सहायक श्रव्य उपकरण, कर्णयंत्र रोपन और स्टेयर लिफ्ट, क्रचज, व्हील चेयरों, वाकिंग फ्रेम, कृत्रिम अंगों इत्यादि पर सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क में छूट।

3. रेल किराए में रियायत (दृष्टिबाधित, चलन संबंधी विकलांगता और मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 75% और मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए 50%);

4. इंडियन एयरलाइंस द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों और 80% व इससे अधिक चलन संबंधी विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को हवाई यात्रा किराए में 50% रियायत दी जाती है;

5. राज्य संचालित बसों में रियायती बस पास (दृष्टिबाधित के लिए नि:शुल्क बस पास और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर);

6. विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों को ग्राह्य यात्रा भत्ता के दुगनी दर पर परिवहन भत्ता;

7. एस.टी.डी./विकलांग व्यक्ति पी.सी.ओ. टेलीफोन बूथों का आबंटन-रेलवे द्वारा विकलांग व्यक्तियों को 25% आरक्षण दिया जाता है;

8. दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रियायती टेलिफोन कनेक्शन;

9. सर्व-शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्षों की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा है। 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के विशेष जरूरत वाले सभी बच्चों को भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया जाता है;

10. विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विशेष शिक्षक, पुस्तकें व स्टेशनरी, वर्दी, इत्यादि के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

11. सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को अनौपचारिक प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार देने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्शी सेवाएं भी देते हैं;

12. कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा फ्लैट/दुकानों के आबंटन में आरक्षण; और

13. कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विकलांग व्यक्तियों के प्रमाणीकरण हेतु जिला स्तर पर चिकित्सा बोर्ड गठित करने अपेक्षित हैं।

*[हिन्दी]*

## रेल परियोजनाएं

*420. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :**

**श्री राम सिंह कस्वां :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालू प्रमुख रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तव में कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) आज की तारीख तक प्रतयेक परियोजना में जोन-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कई रेल परियोजनाओं को अनुमोदित किए जाने के बावजूद इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन परियोजनाओं के लिए रेलवे द्वारा जोन-वार कितनी धनराशि स्वीकृति की गई; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू तथा पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) आमतौर पर परियोजना का, परियोजना को बजट में शामिल कर लेने तथा संसद द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, कार्य प्रारंभिक क्रियाकलापों जैसे अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, नक्शे एवं अनुमान इत्यादि के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जाता है। 2005-06 के दौरान बजट/पूरक बजट में शामिल प्रमुख परियोजनाओं (100 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली) तथा शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे परिशिष्ट में दिए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ये कार्य 2005-06 में शामिल किए गए थे। अत: वर्ष 2005-06 के लिए व्यय तथा वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय के साथ-साथ लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किए गए थे, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:–

विवरण

| क्र. सं. | परियोजना | रेलवे जोन | लागत | 2005-06 के दौरान खर्च (करोड़ रु. में) | परिव्यय 2006-07 | टिप्पणी/लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किए गए हैं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हथुआ-भटनी नई लाइन | पूर्वोत्तर | 230 | 12.25 | 45 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। 63 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात पेश किए जा चुके हैं तथा 5 गांवों की भूमि अधिगृहीत कर ली गई हैं। 2006-07 के दौरान हथुआ से बथुआ बाजार (22 कि. मी.) तक खंड पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा समय से भूमि सौंप दी जाए। |
| 2. | प्रतापनगर-छोटा उदयपुर आमान परिवर्तन | पश्चिम | 148.6 | 1.33 | 33.91 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों पर कार्य शुरू किया गया है। पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। |
| 3. | छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन | दक्षिण पूर्व मध्य | 383.8 | 0.74 | 45 | अंशत: अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य सरकार को 61 गांवों में से 22 गांवों के भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात पेश कर दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्यों का ठेका देने की कार्रवाई जारी है। पूर्वबलित आरसीसी बाक्स पर कार्य शुरू किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी आमन परिवर्तन | उत्तर पश्चिम | 469.1 | 0.1 | 270 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसे रेल विकास निगम लि. कार्यान्वित कर रही है। |
| 5. | पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन | उत्तर मध्य | 214.7 | 0.01 | 150 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। परियोजना को 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसे रेल विकास निगम लि. कार्यान्वित कर रही है। |
| 6. | मुरादाबाद-लखनऊ-उतरेतिया रेल विद्युतीकरण | उत्तर | 209.2 | 0.01 | 75.05 | कार्य शुरू किया गया है तथा 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। |

## सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की वृद्धि दर

*421. डा. राकेश मिश्रा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की ग्रोथ रेट में भारी गिरावट के कारण वे दबाव में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्रोथ रेट में कितनी गिरावट आई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों के ग्रोथ रेट में आई गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों एयरलाइनों द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या में पिछले 3 वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के मामले में, वाहित यात्रियों की संख्या में वृद्धिउ हुई है तथा यह वृद्धि 2003-04 की तुलना में 2004-05 में 15%, 2004-05 की तुलना में 2005-06 में 3.1% तथा 2005-06 में इसी अवधि में 2006 (अप्रैल, 06 से जुलाई 2006 तक) के दौरान 1.9% है संवृद्धि दर में कम वृद्धि के लिए मुख्य कारण यह है कि इंडियन एयरलाइंस निजी एयरलाइनों की तुलना में यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्षमता नहीं जुटा पाई। इंडियन एयरलाइंस तीन वर्षों के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 7.4%, 6.1% तथा 2.4% क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो सकी है जबकि

इस अवधि के दौरान घरेलू यातायात में 25% (अनुमानित) की वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने 43 नये विमानों की खरीद के लिए इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है जिससे क्षमता में वृद्धि होगी तथा इसके बेड़े में पुराने विमानों को सेवा से निकाला जा सकेगा।

*[अनुवाद]*

## नए रेल मण्डलों का सृजन

*422. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कुछ राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्य में नए रेल मण्डलों का सृजन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) विभिन्न राज्यों में 48 स्थानों पर मंडलों के सृजन के लिए विभिन्न राज्यों के अति विशिष्ट व्यक्तियों से मांगे प्राप्त हुई हैं जिनमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री भी शामिल हैं।

(ख) प्राप्त मांगों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

आंध्र प्रदेश : 4; असम : 2; बिहार : 6; गुजरात : 2; जम्मू एवं कश्मीर : 1; कर्नाटक : 3; केरल : 1; महाराष्ट्र : 3; मध्य प्रदेश : 10; नागालैंड : 1; उड़ीसा : 4; तमिलनाडु : 5; त्रिपुरा : 1; उत्तर प्रदेश : 3 तथा पश्चिम बंगाल : 2;

(ग) नए मंडलों का गठन बिना किसी क्षेत्रीय सीमा का विचार किए किफायत एवं कुशलता के मद्देनजर विभिन्न कारकों जैसे आकार, कार्य भार, संपर्क, यातायात का पैटर्न तथा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। उपर्युक्त आधारों के मद्देनजर सेलम को छोड़कर अन्य प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

## हॉल्ट स्टेशन बनाया जाना

*423. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हॉल्ट स्टेशन बनाये जाने के क्या मानदंड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जोनल रेलवे में कुल कितने हॉल्ट स्टेशन बनाए गए;

(ग) क्या हॉल्ट स्टेशनों का प्रबंधन रेलवे द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या हॉल्ट स्टेशनों पर टिकट जारी करने तथा वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए भारी संख्या में वाणिज्यिक कर्मचारी तैनात किये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) हॉल्ट स्टेशन जनता की मांग पर खोला जाता है। बशर्ते कि वह परिचालनिक तथा इंजीनियरी दृष्टि से किफायती एवं व्यावहारिक हो। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भी हॉल्ट स्टेशन खोलने पर विचार किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तथा मौजूदा वर्ष के दौरान खोले गए हॉल्ट स्टेशनों की संख्या रेलवे-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी नहीं। हॉल्ट स्टेशनों का प्रबंधन आमतौर पर हॉल्ट कंट्रैक्टरों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति रेलवे द्वारा की जाती है। बहरहाल, कुछ विशेष मामलों में टिकटों का वितरण अस्थायी तौर पर वाणिज्यिक कर्मी/गार्ड द्वारा उन हॉल्ट स्टेशनों पर किया जाता है जहां हाल्ट कंट्रैक्टर ने हॉल्ट स्टेशन छोड़ दिया हो अथवा करार अवधि के समापन से पहले ही ठेका रद्द कर दिया गया हो अथवा कोई उपयुक्त ठेकेदार न मिला हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यात्रियों को आवश्यक सेवाएं निरंतर मिलती रहें।

*विवरण*

| रेलवे | वर्ष के दौरान खोले गए हाल्ट स्टेशनों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (जुलाई, 2006 तक) |
| मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्व | 06 | कुछ नहीं | 02 | कुछ नहीं |
| पूर्व मध्य | 27 | 20 | 09 | 01 |
| पूर्व तट | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 01 | कुछ नहीं |
| उत्तर | 01 | 01 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| उत्तर मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्वोत्तर | 04 | 01 | कुछ नहीं | 02 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 01 | 06 | 04 | कुछ नहीं |
| उत्तर पश्चिम | 01 | 01 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण | 03 | 03 | 03 | कुछ नहीं |
| दक्षिण मध्य | 01 | 09 | 02 | 01 |
| दक्षिण पूर्व | 09 | 10 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण पूर्व मध्य | 02 | कुछ नहीं | 02 | कुछ नहीं |
| दक्षिण पश्चिम | 05 | 02 | 01 | कुछ नहीं |
| पश्चिम | 01 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पश्चिम मध्य | कुछ नहीं | 01 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**मादक पदार्थों का सेवन**

*424. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
**श्री सुग्रीव सिंह :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर युवाओं के बीच मादक पदार्थों के उपयोग में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में मादक पदार्थों की बुराई के कारणों का पता लगाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार)** : (क) और (ख) ऐसे कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं जिनसे निश्चित रूप से यह पता चले कि देश में, विशेषकर युवाओं में, खतरनाक रूप से नशीली दवाओं का दुरूपयोग बढ़ रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत में नशीली दवा दुरूपयोग की व्यापकता, तरीके और प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, नशीली दवा उपयोग का कारण उत्सुकता, प्रयोग करके देखना, नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों की संगति में रहना और इसके प्रभावों को महसूस करना है। यह सर्वेक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा यूनाइटेड नेशंन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम (यू.ए.ओ.डी.सी.) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

(ङ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान नशीली दवा दुरूपयोग निवारण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को क्रमश: 22.64 करोड़ रुपए, 25.50 करोड़ रुपए और 22.35 करोड़ रुपए जारी किए गए।

(च) प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए निगरानी और निवारक उपायों के अतिरिक्त, यह मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, नशीली दवाओं के कुप्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और उन्हें यह बताने के लिए कदम उठाता है कि मादक द्रव्यों के दुरूपयोग का व्यक्ति, परिवार और कुल मिलाकर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्भरता पैदा करने वाले नशीले पदार्थों की मांग में कमी करने में सामुदायिक सहभागिता और जन सहयोग बढ़ाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**आयुध निर्माणियों में आग**

*425. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** :

**श्री वी.के. ढुम्मर** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध निर्माणियों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें जीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ङ) आयुध निर्माणियों में आग लगने की घटनाओं के बारे में सूचना समय-समय पर मिलती रहती है। विगत तीन वर्षों के दौरान आग लगने की घटनाओं के संबंध में प्राप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:-

| वर्ष | घटनाओं की संख्या | जीवन की हानि | वित्तीय हानि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 2003-04 | शून्य | – | – |
| 2004-05 | 4 | 1 | 542.07 |
| 2005-06 | 3 | 5 | 18.20 |

आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए आयुध निर्माणियों में अग्नि-दुर्घटनाओं के सभी मामलों की बोर्ड द्वारा जांच निरपवाद रूप से की जाती है ताकि आग लगने की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सके। ऊपर उल्लिखित मामलों में जांच बोर्ड ने अग्नि-दुर्घटनाओं के लिए निम्नलिखित कारणों का पता लगाया है:-

1. इलेक्ट्रिक शार्ट-सर्किट,

2. आस-पास का तापमान अत्यधिक होना,

3. लंबे समय तक अप्रोज्य विस्फोटकों का जमाव,

4. प्रोसेस आदि के दौरान रसायनों की तीव्र प्रतिक्रिया।

आग लगने की ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आयुध निर्माणियों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षोपाय किए गए हैं। सभी यूनिटों को आधुनिक अग्नि-शामक यंत्र मुहैया कराए गए हैं। प्रत्येक यूनिट में एक समर्पित संरक्षा अनुभाग तथा फायर ब्रिगेड अनुभाग भी है, जो योग्य अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं और रात-दिन निगरानी की जाती है। सुरक्षा संबंधी मामलों में सभी कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक एहतियाती उपायों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

## सपेरों हेतु पुनर्वास योजना

**3247. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सपेरों एवं उनके परिवारों हेतु कोई पुनर्वास योजना तैयार की है जिनकी आजीविका वन्यजीव अधिनियम के सख्ती से लागू किए जाने से छिन गई है और ये भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन लोगों को आजीविका के वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वन्य जीव अधिनियम के सख्ती से लागू किए जाने के कारण प्रभावित सपेरों और उनके परिवार के लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

## अल्पसंख्यक बच्चों के लिए विशेष विद्यालय

**3248. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्पसंख्यक बच्चों को बुनियादी सामान्य शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष विद्यालय खोलने का कोई विशेष प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा जांच

**3249. श्री एल. राजगोपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों के साथ जालसाजी करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सी.बी.आई. की जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार की जाली सिफारिशों के अनुपालन में कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार के निर्देश पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आर.सी. 16(ए)/2006-हैदरा. में प्राथमिकी दर्ज की है और आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों के साथ कथित जालसाजी के लिए आठ गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ जांच चल रही है। नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए मद्यपान और नशीली दवा दुरूपयोग निवारण योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु उनके आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन इन गैर-सरकारी संगठनों को जाली सिफारिशों के आधार पर कोई सहायता जारी नहीं की गई है। इन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. वेन्नेला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश;

2. सहाय वेलफेयर एशोसिएशन, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश;

3. जागृति शिक्षा एवं सामुदायिक विकास समिति, खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश;

4. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर युवा संघ, खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश;

5. शारदा शिक्षा समिति, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश;

6. चैतन्य युवाजन संगम, खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश;

7. रोज़ विमला ग्रामीण महिला संगठन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश; और

8. शिवरांजनि शिक्षा समिति, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश;

**लघु उद्योग हेतु आरक्षित खाद्य वस्तुएं**

3250. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों हेतु अनन्य रूप से आरक्षित खाद्य विनिर्माणकारी वस्तुएं कौन सी हैं;

(ख) क्या खाद्य सुरक्षा के वर्तमान मानक लघु उद्योगों हेतु आरक्षित वस्तुओं के लिए समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) निम्नलिखित खाद्य निर्माण मदें, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं-

| क्र.सं. | उत्पाद का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | अचार और चटनी |
| 2. | डबलरोटी |
| 3. | पेस्ट्री |
| 4. | हार्ड बॉइल्ड शुगर कैंडी |
| 5. | रैपसीड ऑयल (निस्सारित विलायक को छोड़कर) |
| 6. | सरसों का तेल (निस्सारित विलायक को छोड़कर) |
| 7. | तिल का तेल (निस्सारित विलायक को छोड़कर) |
| 8. | मूंगफली का तेल (निस्सारित विलायक को छोड़कर) |
| 9. | पिसे और प्रसंस्कृत मसाले जिनमें स्पाइस ऑयल और ओल्योरेजिन स्पाइस शामिल नहीं हैं। |

(ख) और (ग) खाद्य सुरक्षा के वर्तमान मानक सभी खाद्य वस्तुओं पर समान रूप से लागू हैं चाहे वे लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित हैं अथवा नहीं।

**अमरीका से मालवाहक युद्धपोत की खरीद**

3251. **श्री मनीष तिन्दल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से मालवाहक युद्धपोत यू एस एस ट्रेन्टोन की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 26 जुलाई, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इससे भारतीय नौसेना को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस पोत से संबंधित तकनीकी जानकारी भी हस्तांतरित की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 48.23289 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर अमरीका से चार लैंडिंग क्राफ्ट मेकेनाइज्ड (एलसीएम) तथा संबद्ध पैकेज सहित लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी), यूएसएस ट्रेन्टोन की अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया था।

इस पोत से भारतीय नौसेना को संवर्धित जल-थलीय क्षमता उपलब्ध होगी। इसके अलावा, एलपीडी को आपदा राहत ऑपरेशनों में तैनात किया जा सकता है। यह सुदूर समुद्र में तेल प्रतिष्ठान में आग लगने

तथा समुद्र में वायु दुर्घटनाओं जैसे हादसों के दौरान कमान तथा नियंत्रण प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य कर सकता है।

वर्तमान अधिग्रहण के अंतर्गत भारत में ऐसे पोत के विनिर्माण के लिए किसी तकनीकी जानकारी की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, एलपीडी के शामिल होने से, एलपीडी के स्वदेशी विनिर्माण हेतु आवश्यक डिजाइन संबंधी जानकारी उपलब्ध होने के अलावा प्रयोक्ता अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

**वाघा सीमा का विकास**

3252. **श्री मिलिन्द देवरा :**
**श्री हंसराज जी. अहीर :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वाघा सीमा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ग) परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक गंतव्य के रूप में अटारी वाघा सीमा के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 484.58 लाख रुपए की कुल राशि मंजूर की गई है जिसमें अटारी वाघा सीमा, नीम चमेली परिसर, अटारी महल, सामधि परिसर, अटारी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, रामतीर्थ मंदिर परिसर, पुल कंजारी, सराय अमानत खां परिसर तथा राजा सांसी ग्राम कालीन बुनकर परिसर का विकास शामिल है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं समाप्ति की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति तथा निधियों के उपयोग की स्थिति की निगरानी करता है।

*[हिन्दी]*

**विमानपत्तनों पर सुरक्षा**

3253. **श्री राजनरायन बुधौलिया :**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख विमानपत्तनों के सुरक्षा प्रबंधों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विमानपत्तनों पर सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान विमानपत्तनों पर सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित किए जाने पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) संबंधित एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) जी, हां। सभी महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर बायो-मीट्रिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली, विस्फोटक जांच उपकरण, सीसीटीवी, पैरीमीटर इंट्रूजन डिटैक्शन प्रणाली आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों को संस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा उपकरण प्रस्थान क्षेत्र में संस्थापित किए गए हैं तथा उनकी लागत निम्नानुसार है:–

| | |
|---|---|
| इनलाइन एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली | – 58.30 करोड़ रुपए |
| विस्फोटक ट्रेस भेदक | – 62.27 करोड़ रुपए |
| मेटल डिटैक्टर | – 5.77 करोड़ रुपए |
| एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली | – 34.00 करोड़ रुपए |

ये उपकरण चरणबद्ध आधार पर संस्थापित किए जाएंगे।

*[अनुवाद]*

**भारतीय मूल के लोगों द्वारा विमानन क्षेत्र में निवेश**

3254. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में रह रहे भारतीय

मूल के लोगों को भारतीय घरेलू विमान सेवा क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

**भुंतर विमानपत्तन**

3255. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भुंतर विमानपत्तन के रनवे के विस्तार की योजना बाधित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्तार योजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नदी का रूख मोड़ने के लिए डिजिटल टैरेन मैपिंग तैयार करके तथा रनवे विस्तार के लिए भूमि के विकास द्वारा रनवे के विस्तार हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए आई आई टी रूड़की से अनुरोध किया गया है। इस विस्तार कार्य के पूरा किए जाने की समयावधि, आई आई टी रूड़की द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा तत्पश्चात् आवश्यक कदम उठाए जाने पर निर्भर करती है।

**टाइप-II वैक्स की आपूर्ति**

3256. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाइप-II वैक्स की कमी के कारण तमिलनाडु के हजारों लघु माचिस उद्योगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और

(ख) यदि हां, तो इन माचिस उद्योगों को टाइप-II वैक्स की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह बताया गया है कि अनुरक्षण के लिए दिनांक 24.5.2006 से 25.6.2006 तक उसकी योजनाबद्ध कामबंदी के कारण, जून-जुलाई, 2006 के माह के दौरान ग्राहकों की टाइप-II वैक्स की मांग पूरा करने में कुछ विलंब हुआ था। अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद, 30.6.2006 से उत्पादन कार्य पुनः शुरू हो गया और आपूर्ति स्थिति में सुधार की आशा है।

**काम्टी-कलमाना रेल मार्ग पर ओवरब्रिज**

3257. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में काम्टी-कलमाना ओवरब्रिज से संबंधित निर्माण कार्य को आरंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे द्वारा ओवरब्रिज की अवस्थिति और इसके अभिकल्प में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर मौजूदा समपारों के बदले ऊपरी-निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं। यदि समपार पर यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन युनिट हो (गाड़ी वाहन युनिट समपार से 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होने वाला आंकड़ा) अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों पर किया जाता है।

दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है। समपार सं. 567 हावड़ा-मुंबई मार्ग पर कम्पटी-कलुमना के बीच किमी. 1123/4 पर स्थित है जिसपर यातायात का घनत्व 343764 टी वी यू है, अत: लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल द्वारा बदले जाने के लिए अर्हक है। लेकिन अपेक्षित प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार से प्रायोजित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु**

**3258. श्री के. सुब्बारायण** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) सरकार के पास भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**मैला ढोने वाले लोगों का पुनर्वास**

**3259. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मैला ढोने वालों की संख्या का पता लगाने का कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रथा के उन्मूलन और इनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों के कारण ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे लोगों के पुनर्वास पर सरकार द्वारा राज्य-वार और मद-वार कितना धन व्यय किया गया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (घ) पहचान किए गए स्केवैंजरों की संख्या, पुनर्वास हेतु सहायता प्राप्त स्केवैंजरों की संख्या तथा सहायता से वंचित स्केवैंजरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया है।

(ख) पिछले वर्षों के दौरान स्केवैंजरों के पुनर्वास हेतु जारी केन्द्रीय सहायता राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा दर्शाने वाला संलग्न विवरण-II पर दिया है।

***विवरण-I***

*स्केवैंजरों की जनसंख्या, पुनर्वासित स्केवैंजर और पुनर्वास किए जाने वाले स्केवैंजरों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | स्केवैंजरों की जनसंख्या | पुनर्वासित कुल स्केवैंजर | पुनर्वास हेतु शेष स्केवैंजरे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 45822 | 45822 | 0 |
| 2. | असम | 40413 | 1594 | 38819 |
| 3. | बिहार | 12226 | 285 | 11941 |
| 4. | दिल्ली | 17420 | 2941 | 14479 |
| 5. | गुजरात | 64195 | 11653 | 52542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | हरियाणा | 36362 | 15558 | 20804 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 4757 | 2023 | 2734 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 4150 | 211 | 3939 |
| 9. | कर्नाटक | 14555 | 12597 | 1958 |
| 10. | केरल | 1339 | 141 | 1198 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 81307 | 77512 | 3795 |
| 12. | महाराष्ट्र | 64785 | 19086 | 45699 |
| 13. | मेघालय | 607 | 0 | 607 |
| 14. | नागालैण्ड | 1800 | 0 | 1800 |
| 15. | उड़ीसा | 35049 | 10681 | 24368 |
| 16. | पाण्डिचेरी | 476 | 129 | 347 |
| 17. | पंजाब | 2988 | 2988 | 0 |
| 18. | राजस्थान | 57736 | 14169 | 43567 |
| 19. | तमिलनाडु | 35561 | 23687 | 11874 |
| 20. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 213975 | 180719 | 33256 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 23852 | 2338 | 21514 |
| 23. | छत्तीसगढ़ | 3243 | 3243 | 0 |
| 24. | झारखण्ड | 5750 | 0 | 5750 |
| 25. | उत्तरांचल | 1970 | 493 | 1477 |
| | कुल | 770338 | 427870 | 342468 |

**विवरण-II**

*स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार केन्द्रीय सहायता को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण*

(करोड़ रुपये)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | जारी केन्द्रीय सहायता |
|---|---|
| वर्ष : 2002-03 | |
| आंध्र प्रदेश | 29.67 |
| हिमाचल प्रदेश | 2.40 |
| कर्नाटक | 8.88 |
| कुल | 40.95 |
| वर्ष : 2003-04 | |
| असम | 1.63 |
| गुजरात | 3.74 |
| हिमाचल प्रदेश | 3.09 |
| मध्य प्रदेश | 1.25 |
| उड़ीसा | 2.85 |
| उत्तर प्रदेश | 5.37 |
| पश्चिम बंगाल | 1.60 |
| छत्तीसगढ़ | 1.89 |
| कुल | 21.41 |
| वर्ष : 2004-05 | |
| कर्नाटक | 12.19 |
| मध्य प्रदेश | 1.37 |
| कुल | 13.56 |

टिप्पणी : इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2005-06 के लिए बजटीय प्राक्कलन में कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

*[अनुवाद]*

**पश्चिम बंगाल में नया आर्थोपेडिक रीहैबिलिटेशन सेन्टर**

3260. **श्री जोयाकिम बखला** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में नया आर्थोपेडिक रीहैबिलिटेशन सेन्टर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे संस्थान को स्थापित करने हेतु कोई आरंभिक कार्य किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त केन्द्र को कब तक खोले जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) पश्चिम बंगाल में दो नए जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, एक कूच बिहार और दूसरा बीरभूम में स्थापित करने का प्रस्ताव है। अन्य सेवाओं के साथ-साथ ये केन्द्र अस्थि विकलांगता संबंधी पुनर्वास सेवाएं भी मुहैया कराएंगे।

(ख) से (घ) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्रों का खोला जाना, जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने, उपयुक्त भवन की व्यवस्था करने और जनशक्ति को तैनात करने पर निर्भर करेगा।

**संग्रहालयों का उन्नयन**

3261. **श्री के.सी. पल्लानी रामी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 'क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण' की योजना के अंतर्गत संग्रहालयों का विकास करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु तमिलनाडु से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों पर विचार किया गया और कितने लंबित रहे तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) जी हां। इस स्कीम के तहत, पुरावस्तुओं, मुद्रा वस्तुओं, चित्रों, नृजातीय संग्रहों, लोक कला आदि के संवर्धन हेतु विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों सहित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) या फिलहाल लागू अन्य किसी कानून के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों न्यासों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता परियोजना लागत का सीमित 80 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 90 प्रतिशत) या प्रत्येक श्रेणी में निम्नलिखित राशि, जो भी कम हो, निर्धारित किया गया है:–

| उद्देश्य/श्रेणी | स्वीकार्य अधिकतम वित्तीय सहायता (राशि लाख रुपए में) | |
|---|---|---|
| | श्रेणी-I हेतु (सरकारी संग्रहालय और प्रसिद्ध संग्रहालय) | श्रेणी-II हेतु (अन्य संग्रहालय) |
| 1 | 2 | 3 |
| विधि का नवीकरण/मरम्मत/विस्तार तथा आधुनिकीकरण | 50.00 | 25.00 |
| सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकार संग्रहालयों की बुनियादी सुविधाओं का विकास | 300.00 एक बार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| आरक्षित संग्रह का भण्डारण/आधुनिकीकरण | 25.00 | लागू नहीं होता। |
| प्रकाशन | 10.00 | 5.00 |
| प्रयोगशाला संरक्षण/संरक्षण परियोजनाएं | 25.00 | 12.50 |
| संग्रहालय पुस्तकालय | 5.00 | 2.50 |
| उपस्कर | | |
| (i) उपस्कर (सामान्य) | 15.00 | 7.50 |
| (ii) सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपस्कर | 25.00 | लागू नहीं होता। |
| प्रलेखन | 15.00 | 7.50 |

(ग) वित्त वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए क्रमशः 4, 3 तथा 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) ये आवेदन, इस स्कीम के तहत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे गए थे। समिति ने 3 संगठनों के लिए अनुदान की सिफारिश की जबकि शेष 6 संगठनों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## पेट्रोल पंपों/रसोई गैस की एजेंसी के आवंटन की नीलामी प्रणाली

3262. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र एवं रसोई गैस की एजेंसियां लोगों/पक्षों को नियमित आधार पर आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त आवंटनों के कारण पेट्रोल/डीजल को कम मात्रा में कम मात्रा में भरने और रसोई गैस के सिलिंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें उत्पन्न हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कदाचार के उन्मूलन हेतु पेट्रोल/डीजल पंपों और रसोई गेस की एजेंसियों हेतु वार्षिक नीलामी प्रणाली आरंभ करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन, उनके द्वारा तैयार किए गए चयन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें विज्ञापन जारी करना तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, प्रतिभावान खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, अर्द्ध-सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक तथा रक्षा श्रेणी के लिए आरक्षण के प्रावधानों के साथ वाले उम्मीदवारों के साक्षात्कार शामिल हैं।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के संबंध में खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संविदा की आरंभिक अवधि, नवीकरण विकल्प के साथ 5 वर्षों सहित, 5 वर्षों के लिए है। आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) के संबंध में, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप के लिए आरंभिक संविदा अवधि, 5 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प सहित, 15 वर्षों के लिए है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के

संबंध में, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप के लिए आरंभिक संविदा अवधि, 5 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प सहित, 15 वर्षों के लिए है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आरंभिक संविदा अवधि, नवीकरण विकल्प सहित, 10 वर्षों के लिए है। हिन्दुस्तार पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के संबंध में, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप के लिए, 10 वर्षों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 5 वर्षों के नवीकरण के विकल्प सहित, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों के लिए आरंभिक संविदा अवधि 10 वर्षों के लिए है।

तथापि, यदि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की शर्तों को भंग किया जाता है तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप निरस्त हो जाएगी।

खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए नीलामी प्रणाली आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज़ द्वारा पता लगाए कदाचारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस प्रकार के दोषियों के विरुद्ध ओएमसीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 तथा 2005-06) के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) पर पाई गई कम भराई तथा एलपीजी की काला बाजारी की घटनाओं की कंपनीवार कुल संख्या*

| क्र. सं. | ओएमसीज़ का नाम | पिछले तीन वर्षों (2003-2006) के दौरान पता लगाए गए मामलों की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) पर कम भराई | एलपीजी की काला बाजारी |
| 1. | आईओसीएल | 343 | 386 |
| 2. | आईबीपी | 145 | शून्य |
| 3. | बीपीसीएल | 350 | 302 |
| 4. | एचपीसीएल | 264 | 56 |

*[हिन्दी]*

**महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास**

3263. **श्री इंसराज जी. अहीर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदर्भ में पर्यटन की क्षमता पर टाटा कंसलटेन्सी सर्विसेज द्वारा तैयार मसौदे के अनुसार विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) पर्यटक स्थानों/स्थलों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदान किए गए परियोजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। 9वीं तथा 10वीं योजनावधियों के दौरान (2005-06 तक) पर्यटन मंत्रालय ने विदर्भ क्षेत्र के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:-

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृति राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | तदोबा में टूरिस्ट इन | 45.50 |
| 2. | खिंदसे, नागपुर में जंगल रिजार्ट | 49.61 |
| 3. | सिल्लारी/पेंच, जिला नागपुर में प्रकृति व्याख्यान केन्द्र | 49.94 |
| 4. | बोर्डम, जिला वर्धा में पर्यटक परिसर | 48.95 |
| 5. | खेकरनाला, जिला नागपुर में पर्यटक परिसर | 49.46 |
| 6. | विदर्भ विकास योजना | 14.75 |
| 7. | चिखलडारा, जिला अमरावती में साहसिक एवं जलक्रीड़ा | 6.71 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | नवेगांव, खैरी, जिला नागपुर में साहसिक एवं जलक्रीडा गतिविधियां | 6.91 |
| 9. | चिखलदारा, जिला अमरावती में व्यू प्वायंट का विकास | 30.00 |
| 10. | नागपुर में बजट आवास | 48.68 |

उपरोक्त परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

तथापि, 2006-07 के दौरान विदर्भ के विकास के लिए न तो किसी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**स्थानीय ईएमयू में महिला डिब्बे**

3264. **श्री सुनील खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदाह रेलवे खंड में स्थानीय गाड़ियों में महिला डिब्बों को बदल कर एकदम वेन्डर डिब्बे के बाद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीआरएम सियालदाह को महिलाओं की ओर से कोई आपत्तियां मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो डीआरएम द्वारा विशेष रूप से सियालदाह स्टेशन पर महिलाओं को दुर्घटना से बचाने के लिए महिला बोगी के पास प्लेटफार्म पर सामान की भीड़-भाड़ रोकने हेतु वेन्डरों की बोगी को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (घ) जी, हां। 1.2.06 से प्रिंसेप घाट और माजेरहाट के बीच सर्कुलर रेलवे ट्रेक खोले जाने और प्रिंसेप घाट से माजेरहाट बालेगुंग-सोनारपुर-चांपाहाटी-लक्ष्मीकांतपुर आदि के लिए सर्कुलर रेल सेवा का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ गाड़ियों के परिचालन के लिए बालेगुंग में रेक को विपरीत दिशा में लगाना आवश्यक हो गया। परिणामस्वरूप, प्लेटफार्म पर महिला सवारी डिब्बे के निर्धारित स्थान में बदलाव आया। ऐसी कोई दोष रहित प्रणाली तैयार नहीं की जा सकती जो किसी गाड़ी में महिला सवारी डिब्बे की स्थिति के संबंध में महिला यात्रियों को पहले से सूचित कर सके। इस अवांछनीय स्थिति से निजात पाने के लिए महिलाओं के लिए निर्धारित सवारी डिब्बों को प्रत्येक रेक के दोनों सिरों पर लगाने का विनिश्चय किया गया। अत: 'डी' किस्म के सवारी डिब्बे जिनमें अंशत: वेंडरों के लिए स्थान होता है और अंशत: यात्रियों के लिए उनमें से वेंडरों के हिस्से को दोनों सिरों पर ड्राइवर कार के बाद और 'डी' किस्म के सवारी डिब्बों के यात्रियों के लिए निर्धारित हिस्से को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसा करते समय इस अनिवार्यता का भी ध्यान रखा गया कि महिला सवारी डिब्बे को गार्ड अथवा मोटरमैन के डिब्बे के साथ जोड़ा जाए। इस व्यवस्था के तत्काल बाद महिलाओं की ओर से आपत्ति की जाने लगी और उक्त स्थिति को पत्रों तथा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करके भी स्पष्ट किया गया। इसके अलावा, घुसपैठ की समस्या को दूर करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा तथा 'फर्श से छत' तक इस सवारी डिब्बे के ठोस अलगाव की व्यवस्था भी गई और इन उपायों से अधिकांश महिला प्रतिनिधि संतुष्ट हैं। वेंडरों के सवारी डिब्बे के आस-पास प्लेटफार्म पर खाने-पीने की वस्तुएं इकट्ठी होना अपरिहार्य है, वेंडर के डिब्बे का स्थान कोई भी हो। बहरहाल, इस वजह से सियालदह स्टेशन पर किसी दुर्घटना की रिपोर्ट संबंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त व्यवस्था से महिला यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्थान उपलब्ध हो गया है और रेकों को विपरीत दिशा में लगाए जाने से होने वाली असुविधा भी दूर हो गई है।

*[हिन्दी]*

**छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाएं**

3265. **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदन हेतु भेजी गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं की प्रगति पर धनराशि की कमी के कारण असर पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति हो रही है। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय समर्थन से इतर अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

**पंजाब में विमानपत्तनों का विकास**

3266. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विमानपत्तनों के विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) विकासात्मक कार्य को कब तक कार्यान्वित तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास का कार्य चरणबद्ध आधार पर आरंभ किया है इस हवाईअड्डे पर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण, नए अग्निशमन स्टेशन, कार्गो काम्प्लेक्स, कार पार्क का निर्माण, रनवे विस्तार कार्य तथा कार्गो एप्रन आदि कार्य पूरे किए गए हैं। लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत पर एकीकृत टर्मिनल भवन के माड्यूल-II का निर्माण, अतिरिक्त कार पार्किंग, एप्रन का विस्तार, रनवे का विस्तार आदि कार्य किए जाने की योजना है।

पंजाब राज्य सरकार का रक्षा मंत्रालय के सहयोग से हलवारा रक्षा विमानक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सिविल एयर टर्मिनल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भारतीय वायु सेना (रक्षा मंत्रालय) से अनुमति तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर, चण्डीगढ़ हवाईअड्डे पर पार्किंग क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण तथा वर्तमान एप्रन के विस्तार की योजना है।

**अहमदनगर-परली वैद्यनाथ रेलवे लाइन**

3267. श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर-बीड़-परली वैद्यनाथ के बीच 1996-97 में एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त रेलवे लाइन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अहमदनगर-बीड़-पर्ली वैजनाथ नई लाइन परियोजना को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया था।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 353.08 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मार्च, 2006 तक 15.06 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

(ग) 105 गांवों में 1464.77 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की गई है। अहमदनगर-नारायणदोह (15 किमी) खंड पर 5 गांवों में 56.14 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिया गया है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

(घ) पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी तय नहीं की गई है।

*[अनुवाद]*

**पुणे-मिराज रेलवे लाइन का दोहरीकरण**

3268. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-मिराज रेलवे लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान कितना वित्तीय आबंटन किया गया; और

(घ) इस खंड पर कार्य कब तक शुरू होने तथा पूर्ण होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) पुणे-मिराज-कोल्हापुर लाइन के दोहरीकरण (326 किमी) के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, लाइन के दोहरीकरण की लागत (-) 1.06% ऋणात्मक प्रतिफल की दर के साथ 787.21 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रस्ताव पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह एक स्वीकृत परियोजना नहीं है।

## माल डिब्बों का विनिर्माण

**3269. श्री एस.के. खारवेनचन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गोल्डन रॉक वर्कशॉप, तिरुचिरापल्ली द्वारा विनिर्मित माल डिब्बों (वैगनों) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस वर्कशॉप को रेलवे तथा निजी क्षेत्र से भी और नए आर्डर मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गोल्डन रॉक वर्कशॉप के निष्पादन को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निर्मित एवं प्रेषित वैगनों की संख्या :

| क्र. सं. | वैगन की किस्म | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बॉक्सएन/एचएस | 322 | 153 | 150 |
| 2. | बीएलसी (कंटेनर फ्लैट वैगन्स) | 280 | 315 | 325 |
| | जोड़ | 602 | 468 | 475 |

(ख) जी, हां। रेलवे एवं सार्वजनिक क्षेत्र से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए गोल्डन रॉक वर्कशॉप से निम्न नए आदेश प्राप्त किए हैं:

| क्र. सं. | कहां से आदेश प्राप्त हुआ | वैगन की किस्म | मात्रा | संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रेलवे | बॉक्सएन | 240 | दिनांक 6.2.2006 का बोर्ड का पत्र सं. 2005/आरएस (बी) 971/1 |
| 2. | कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) | बीएलसी | 1125 | अगस्त, 2006 में आदेश प्रस्तुत किया गया। |

(घ) गोल्डन रॉक वर्कशॉप के कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर आवश्यक साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने, मल निस्राव संयंत्र की व्यवस्था करने और जी ओ सी वर्कशॉप में नई उत्पादन उच्च हॉर्स पावर रेल इंजन की मरम्मत की सुविधा का निर्माण करने के चार कार्य लगभग 22.2 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत सूची में है और प्रगति पर है।

*[अनुवाद]*

## सैनिक कल्याण बोर्डों को अंशदान

**3270. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय तथा राज्य सैनिक कल्याण बोर्डों को अंशदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य-वार कितना अंशदान दिया गया?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू)** : (क) संघ सरकार इस समय विद्यमान 32 राज्य सैनिक बोर्डों तथा 340 जिला सैनिक बोर्डों के प्रशासनिक व्यय का 50% हिस्सा उपलब्ध कराती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराए गए सरकारी अंशदान की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल आबंटन (करोड़ रुपए में) | 14.72 | 17.70 | 19.88 |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2003-04 (रुपए में) | 2004-05 (रुपए में) | 2005-06 (रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4474500 | 4900000 | 5082500 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5378983 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 7251663 | 2138000 | 2260250 |
| 4. | बिहार | 2179250 | 1256776 | 829380 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 1406250 | 1768750 |
| 6. | गोवा | 411706 | 443940 | 380000 |
| 7. | गुजरात | 4066111 | 1433750 | 3270048 |
| 8. | हरियाणा | 20688279 | 14492039 | 8625000 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3087500 | 10980556 | 6081995 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 0 | 9148606 |
| 11 | झारखंड | 0 | 0 | 900250 |
| 12. | कर्नाटक | 2717750 | 4493118 | 5429248 |
| 13. | केरल | 4644712 | 6311976 | 7279922 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 13867221 | 3249000 | 5684250 |
| 15. | महाराष्ट्र | 9269250 | 17570235 | 20617650 |
| 16. | मणिपुर | 492685 | 150000 | 128500 |
| 17. | मेघालय | 376025 | 405450 | 428288 |
| 18. | मिजोरम | 1215587 | 3540555 | 7937622 |
| 19. | नागालैण्ड | 4558003 | 3035218 | 9173750 |
| 20. | उडीसा | 0 | 0 | 2396115 |
| 21. | पंजाब | 5346930 | 19503755 | 21726358 |
| 22. | राजस्थान | 6861000 | 5121000 | 11860250 |
| 23 | सिक्किम | 1431000 | 625000 | 718750 |
| 24. | तमिलनाडु | 10673500 | 10593500 | 25151317 |
| 25 | त्रिपुरा | 429095 | 499750 | 577750 |
| 26. | उत्तरांचल | 3345000 | 3397250 | 6299122 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 22906646 | 54173177 | 14071250 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 6796162 | 3111500 | 9417046 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ (संघ शासित) | 339990 | 435250 | 1311822 |
| 31. | दिल्ली | 0 | 0 | 1008809 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 0 | 0 | 628500 |
| 33. | नेपाल | 3561690 | 3732955 | 8606902 |
| | कुल | 146370238 | 177000000 | 198800000 |

**विमान कंपनियों के स्टाफ का व्यवहार**

3271. **श्री राजेश कुमार मांझी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान कंपनियों के स्टॉफ का व्यवहार विनम्र नहीं है तथा वे यात्रियों का तुरंत ध्यान रखने के लिए तत्पर नहीं रहते;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) एयरलाइन यात्रियों से कई बार सामान के लापता/खो जाने, उड़ान के विलंब से उड़ने/रद्द होने, व्हील चेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने, विमान के विलम्ब के मामले में भोजन/जलपान न दिए जाने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय को अब तक चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइनों को कहा है कि वे यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, निशुल्क तथा प्रभारयुक्त, दोनों का उल्लेख सुस्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट में करें ताकि विमान की टिकट बुक करने से पूर्व यात्रियों को इन सुविधाओं की जानकारी हो।

*[अनुवाद]*

### मैसूर में विमानपत्तन का विकास

3272. श्री सी.एच. विजयशंकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मैसूर में विमानपत्तन का विकास करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसूर हवाईअड्डे के विकास के लिए मौजूदा हवाईअड्डे की चारदीवारी से लगी 174 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकार केवल 154 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को सहमत हुई है क्योंकि प्रस्तावित 174 एकड़ भूमि में से 20 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है।

(ङ) जनवरी, 2007 ।

*[हिन्दी]*

### पनवेल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच रेलगाड़ी शुरू करना

3273. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीवा होकर पनवेल रेलवे स्टेशन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक रोज एक रेलगाड़ी चलाने तथा प्रस्तावित वसई-दीवा-नारंवेल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ये दोनों परियोजनाएं कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) दीवा के रास्ते पनवेल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक एक दैनिक गाड़ी चलाने के मामले की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों की वजह से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

नारवेल नाम का कोई स्टेशन नहीं है। संभवत: यह पनवेल है वसई रोड-दीवा और दीवा-पनवेल के बीच एक रेल लाइन पहले ही मौजूद है।

### निरक्षरता क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना

3274. श्री गुंडलूर सिद्धमुद्दीन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निरक्षरता क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के लिए किसी अनुसंधान परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं को तय से पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं, आवंटित निधि और व्यय की गई निधि, पूर्ण होने की तारीख आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं, आबंटित निधि और व्यय की गई निधि, पूर्ण होने की तारीख आदि का ब्यौरा*

| क्र. सं. | वर्ष | परियोजना और संगठन का नाम | संस्थान/परियोजना निदेशक का नाम | आबंटन निधि | व्यय | क्या परियोजना पूर्ण हो गई है | यदि हां, तो इनके कब कब तक पूरा होने की संभावना है। | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 2003-04 | सिलिकान इलेस्टोमर का प्रयोग करके लाइटवेट हैंड और फिंगर प्रास्थेसिस का विनिर्माण और जांच अस्थि रोग विभाग | एम.एस. रमैया अस्पताल, बंगलौर | 3,09,360/- | 4,75,977/- | जी, हां (अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। | प्रस्ताव का उद्देश्य किफायत आधार पर कास्मेटिक उंगली प्रास्थेसिस को तैयार करना, जरूरतमंद मरीजों को टैक्नॉलाजी उपलब्ध कराना था। जिन्होंने पूरी या कोई उंगली या हाथ गवां दिया है। सिलिकॉन इलास-टोमर और अन्य सामग्री जैसे पीओपी, प्लासटिसीन इत्यादि से मॉलडिंग तकनीक को तैयार किया गया। रंग तकनीक के मिश्रण की मानकीकरण हेतु कोशिश की गई ताकि विभिन्न रंगों में प्रास्थेसिस उपलब्ध हो सके। तेरह रोगियों को अंगली, प्रास्थेसिस लगाई गई और जांचकर्ता द्वारा त्वचा से मेल खाते हुए रंग की जांच की गई और इसका परिणाम संतोषजनक है। | 1 माह |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2003-04 | एडिप योजना के लिए डाटाबेस | श्री अतुल गुप्ता, नई दिल्ली | 70,000/- | 95,000/- | अंतिम स्तर पर | | 4 माह |
| 3. | 2003-04 | भारतीय विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में विकलांगता अध्ययनों की शिक्षण प्रवृत्तियों और मुद्दों का अध्ययन | विकलांगता और पुनर्वास अध्ययनों हेतु सोसाइटी, नई दिल्ली, प्रो.जी. एन. कर्णा | 3,80,900/- | 3,47,708/- | हां | अध्ययन से पता चलता है कि विकलांगता पाठ्यक्रमों को संचालित करने के 34 विश्वविद्यालय/संस्थान हैं। इनमें से 22 विश्वविद्यालय स्नातक-पूर्व स्तर पर और 25 विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर विकलांगता पाठयक्रम संचालित करते हैं। मुख्य सिफारिशों में विकलांगता अध्ययनों के विकास पर केन्द्रित पूर्ण-विकसित विश्वविद्यालयों का सृजन, गुणवत्ता व्यावसायिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सतत पुनर्वास कार्यक्रमों द्वारा व्यावसायिक कौशलों का विकास करना शामिल है। | लागू नहीं |
| 4. | 2003-04 | विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स पर प्रभाव मूल्यांकन | सन्टेक कंसल्टेंट प्रा. लि. नई दिल्ली, श्री संजय जैन | 7,09,970/- | 7,09,970/- | हां | अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स विकलांगता क्षेत्र में जानकारी और धारणा प्रशिक्षकों के लिए क्षेत्रीय कार्य की जानकारी देने में उपयोगी रहा है। कोर्स को जारी रखने के लिए सुझाई गई भावी नीतियों में यह शामिल है कि पुनर्वास कार्यक्रमों में अनुभव रखने वाले | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना चाहिए, विकलांगता क्षेत्र में विभिन्न गेजेट/ उपकरण को आपरेट करने के लिए व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रायोगिक कक्षाओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण मैन्युअल का प्रावधान हो। | |
| 5. | 2003-04 | राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का मूल्यांकन | भारतीय लोकमत संस्थान, नई दिल्ली, श्री वी.पी. मधोक | 4,20,800/- | 4,20,800/- | हां | अध्ययन में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की क्रेडिट योजनाओं और माइक्रो फाइनेंसिंग योजनाओं ने विकलांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार को वास्तविक रूप में प्रोत्साहित किया है। अध्ययन की मुख्य सिफारिशों में तकनीकी और फील्ड स्टाफ को सशक्त करना, प्रत्येक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के डाटा का कंप्यूटरीकरण करना शामिल है और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम हेतु निधियों की मांग राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा संवितरण आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन के बाद की जानी चाहिए। | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2003-04 | पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरांचल, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का मूल्यांकन | हरयाली ग्रामीण विकास केन्द्र, नई दिल्ली, श्री मुस्ताक अहम | 6,07,450/- | 6,07,450/- | हां | यह अध्ययन मंत्रालय द्वारा 2000-01 से 2002-03 तक संस्वीकृत 120 परियोजनाओं पर आधारित था। इसमें अवसंरचना सुविधाओं के मूल्यांकन और संगठनों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का मूल्यांकन और इनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा का उल्लेख है। देखी गई कमियों और सिफारिशों/सुझावों का उपयोग, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के सुधार के लिए किया जा रहा है। | |
| 7. | 2004-05 | बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली राज्यों में विकलांग बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्षमता पर अध्ययन | सैनटैक कंसल्टेंट प्रा.लि. नई दिल्ली, श्री संजय जैन | 13,03,850 | 4,00,479 | नहीं | प्रश्न नहीं उठता | जुलाई, 2006 में परियोजना निदेशक की सूचना के अनुसार अध्ययन अंतिम चरण में है |
| 8. | 2004-05 | महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए सीबीआर की पहल में लगे गैर-सरकारी संगठनों की | यूनिक सॉल्यूशन, नई दिल्ली, श्री अनूप मुखोपाध्याय | 3,87,450 | 3,48,705 | हां | यह अध्ययन, उपलब्ध अवसंरचना एवं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सीबीआर की पहल के माध्यम से नि:शक्त प्रतिवादी को मिलने वाली शैक्षिक चिकित्सीय | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सफलता का मूल्यांकन अध्ययन | | | | | और आर्थिक सहायता की सीमा का मूल्यांकन करता है सीबीआर की पहल को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए सभी संबंधितों की पूर्ण भागीदारी से पुनर्वास सेवाओं/सीबीआर योजनाओं में सुधार लाने के लिए सिफारिशों में राज्य के विशिष्ट सुझाव शामिल हैं। | |
| 9. | 2004-05 | पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आबंटन, उपयोगिता और मॉनीटरिंग तथा प्रक्रियाओं को ढूंढने के विशेष संदर्भ में सरकारी सहायता के बिना सशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का अध्ययन | युवा सशक्तिकरण और विकास समिति, नई दिल्ली, डा. पी.सी. सिंह | 2,38,900 | 2,14,515 | नहीं | प्रश्न नहीं उठता | अक्टूबर, 2006 |
| 10. | 2004-05 | आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष शिक्षा अध्यापकों में व्यावसायिक दबाव, प्रोफेशनल बर्नआऊट, और कार्य संतुष्टि | पेरियार विश्वविद्यालय सालेम, डॉ. लोकान्धा रेड्डी | 2,28,900 | 2,06,010 | नहीं | प्रश्न नहीं उठता | अगस्त, 2006 |
| 11. | 2005-06 | दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्कूल जाने वाले | सामाजिक कार्रवाई संस्थान, महरौली, नई दिल्ली, डा. जे.डी. बक्शी | 5,17,400 | 4,73,970 | नहीं | प्रश्न नहीं उठता | सितम्बर, 2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विकलांग बच्चों द्वारा सामना की जा रही मनो-सामाजिक समस्याएं | बक्शी | | | | | |
| 12. | 2005-06 | ऑटिज्म और मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए माइक्रोकंट्रोलर आधारित ग्राफिकल/सांऊड आधारित शडयूलर और अलार्म | नेतिका साल्यूशन प्रा.लि., विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन्टरप्रेनयोर पार्क (एसटीईपी) जेएसएसएटीई, सी-20/1 सेक्टर 62, नोएडा 201307 | 2,43,000 | अंतिम रूप नहीं दिया गया है। | हाल ही में मई, 2006 में शुरू किया गया | | 12 महीने, मई, 2007 |
| 13. | 2005-06 | सॉकेट फैबरिकेशन एंड जयपुर फुट/लिम्ब टैकनालॉजी के लिए सैंड कास्टिंग का उपयोग करते हुए हाइब्रिड टेकनालाजी का विकास | भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, नई दिल्ली | 3,27,000, | अंतिम रूप नहीं दिया गया है। | हाल ही में मई, 2006 में शुरू किया गया | | 12 महीने जून, 2007 |
| 14. | 2005-06 | एडवांस जयपुर फुट का विकास | भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर | 33,92,000 | 20,00,000 | हाल ही में मई, 2006 में शुरू किया गया | | 12 महीने मार्च, 2007 |
| 15. | 2005-06 | विकलांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन अपेक्षाओं का आकलन (इस परियोजना की मॉनीटरिंग भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा की जाएगी इसलिए राशि भारतीय पुनर्वास परिषद् को आबंटित की जाएगी) | इंस्टीटयूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान किया जाएगा | 6,86,000 | | हाल ही में मई, 2006 में शुरू किया गया | | 6 महीने सितम्बर, 2006 |

*[अनुवाद]*

**जेपोर में विमानपत्तन**

**3275. श्री परसुराम माझी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में जेपोर में एक विमानपत्तन की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए विभिन्न आवश्यकताएं यथा यातायात संभाव्यता, एयरलाइन प्रचालकों से मांग, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता वित्तीय संसाधनों इत्यादि निर्णायक होते हैं। फिलहाल उड़ीसा में जेपोर में हवाईअड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5 किलोग्राम के सिलिंडरों की बिक्री**

**3276. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और निम्न आय परिवारों को 5 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडरों की बिक्री की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) निम्न आय वर्ग के ग्राहकों की मांग पूरी करने और पर्वतीय भूभाग तथा दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी पहुंचाने के उद्देश्य से अगस्त, 2002 से अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से 5 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपणन कर कर रही हैं। 1.8.2006 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज के 5 कि.ग्रा. सिलेंडरों वाले लगभग 3.27 लाख पंजीकृत ग्राहक है। इन सिलेंडरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने की कोई योजना नहीं है।

**एयर डक्कन के विरुद्ध शिकायतें**

**3277. श्री जे.एम. आरुन रशीद :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ान समय-सारणी, सुरक्षा मानकों इत्यादि का पालन न किए जाने के संबंध में एयर डक्कन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) एयर डक्कन सहित एयरलाइनों के विरुद्ध समय-समय पर उड़ानों में देरी/रद्दीकरण और सेवाओं की कमी इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एयर डक्कन की सुरक्षा मानकों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अधिकांश शिकायतें जो कि देरी, रद्दकरण, टिकट वापसी इत्यादि से संबंधित हैं, की नियमित जांच की जाती है और उत्तर दिया जाता है। एयरलाइनों से कहा गया है कि वे अपने वेबसाइट पर यात्रिओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। घरेलू एयरलाइन प्रचालकों के साथ आयोजित बैठकों में इस मंत्रालय और डी जी सी ए द्वारा यात्रियों की शिकायतों के तत्काल निपटान के लिए नियमित रूप से बल दिया जाता है।

*[हिन्दी]*

**वातानुकूलित यानों का दुरूपयोग**

**3278. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्टेशन पर कुछ रेलवे अधिकारियों ने वातानुकूलित यानों को अपने वैयक्तिक उपयोग के लिए गेस्ट हाउसों में परिवर्तित कर दिया है जैसा कि दिनांक 17 जून, 2006 के देहरादून

से प्रकाशित होने वाले "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन**

3279. श्री डी. नरबुल्ल : क्या नागर विमानन मंत्री ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन के बारे में 23 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे परियोजनाओं को पूरा न किया जाना**

3280. प्रो. एम. रामदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे परियोजनाओं में भारी निवेश किए जाने के बाद भी उन्हें पूरा नहीं किया गया है और नई परियोजनाएं शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी कार्रवाई से संसाधनों की कमी हो गई है और किए गए भारी निवेश से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करके अथवा उच्च घनत्व नेटवर्क को सुदृढ़ करके इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का है ताकि इसका शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अपनी विस्तार योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहुस्तरीय, परिचालनिक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर नई परियोजनाओं को शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहुस्तरीय, आयमान परिवर्तन और नई लाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा चुकी है जिनमें अंतिम परियोजना और परिचालनिक रूप से अपेक्षित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पहले ही निर्धारित की गई है। उच्च घनत्व वाले नेटवर्क से संबंधित है, परियोजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ङ) अतिरिक्त संसाधनों के सृजन, जैसे सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से वित्त पोषण, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागेदारी, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पुनर्गठन**

3281. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन क्षेत्र में दीर्घावधि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका पुनर्गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**सैन्य विद्यालय**

3282. **श्री रामदास आठवले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे सैन्य विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1952 में ''घोष समिति'' ने सैन्य विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के साथ मातृभाषा हिंदी को मुख्य विषय के रूप में अपनाए जाने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या घोष समिति की सिफारिशों के अनुसार सैन्य विद्यालयों में कला के साथ दसवीं और बारहवीं कक्षा में हिन्दी विषय के कोर्स जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) देश में पांच सैन्य विद्यालय हैं जो अजमेर और धौलपुर (राजस्थान) बंगलौर और बेलगाम (कर्नाटक) और चैल (हिमाचल प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) XIवीं और XIIवीं कक्षाओं में हिन्दी एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती। विज्ञान और वाणिज्य (गणित के साथ) पढ़ाए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा**

3283. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर** :
**श्री एम. शिवन्ना** :

क्या संस्कृति मंत्री कन्नड़ को क्लासिकल भाषा के दर्जे के बारे में 14 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कन्नड़ को श्रेण्य भाषा घोषित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के अभ्यावेदनों को, इनकी जांच करने के लिए गठित भाषा विज्ञान विशेषज्ञों की समिति को भेज दिया गया है।

**मुस्लिमों को आरक्षण**

3284. **श्री अनवर हुसैन** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ मुस्लिम वर्गों को रोजगार और अन्य स्थानों पर आरक्षण की मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुस्लिमों में वे कौन-कौन (उपजातियां/समुदाय) हैं जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अनुसूचित किया गया है;

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे 27 प्रतिशत आरक्षण में मुस्लिम अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम समुदायों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) से (च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मुस्लिमों के कुछ समुदायों को शामिल किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची www.ncbc.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अलग से आरक्षण

की प्रतिशतता नियत नहीं की गयी है। संबंधित राज्य सरकारें अन्य पिछड़ा वर्गों को अपनी संबद्ध सूचियों में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती हैं।

*[हिन्दी]*

**पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों/सैनिकों द्वारा घुसपैठ**

3285. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों/सैनिकों द्वारा घुसपैठ किए जाने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक समग्र बहुस्तरीय घुसपैठ-रोधी रणनीति मौजूद है तथा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों को कारगर ढंग से निष्फल किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को प्रलोभन**

3286. **श्री ए.वी. वेल्लारमिन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में कार्य जानकारी और विशेषज्ञता हासिल की है, को उसी क्षेत्र में कार्य करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उन्हें आकर्षक वेतन के प्रलोभन देने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों द्वारा अपने मूल संगठनों से निवृत्तिका और अन्य लाभ के रूप में अर्जित लाभों पर कतिपय प्रतिबंधों को अधिरोपित करके इस प्रचलन को रोकने के लिए दंडात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों/कार्यपालकों के कार्मिक मामले जैसेकि भर्ती, पदोन्नति, त्याग-पत्र इत्यादि का निर्णय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधि उद्यमों के प्रबंधन द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात और दूरसंचार जैसे कुछेक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मॉडल वेतनमान से अधिक वेतनमान दिए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न अनुलाभ तथा भत्ते और कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यपालक को अपनी सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र दिए जाने के 2 वर्ष के भीतर उसके द्वारा किसी भी फर्म, जिसके साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का व्यापारिक संबंध है/रहा है, में नियुक्ति/पद स्वीकार करने से पूर्व सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास**

3287. **श्री कृष्णमुरारी मोघे** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है लेकिन ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण पर होने वाले वार्षिक व्यय में भागीदारी करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उज्जैन से झालावाड़ तक नई रेल लाइन**

**3288. श्री धापरचन्द गेहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माण किए जा रहे नए रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अधुनातन स्थिति क्या है;

(ख) क्या हाल ही में पश्चिम रेल के अंतर्गत रतलाम मंडल के उज्जैन-आगार-सोयत-झालावाड़ मार्ग के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) इस समय देश भर में 1.4.2006 को 28,727 करोड़ रुपए के ग्रोफारवर्ड के साथ नई लाइन संबंधी 91 परियोजनाएं हैं, जिनका ब्यौरा बजट दस्तावेजों में दिया गया है। ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान 550 कि.मी. नई रेल लाइन परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ)वर्ष 2000-01 में आगार, सुनसेर और झालावार के रास्ते उज्जैन और रामगंजमंडी के बीच नई रेल लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार 190 कि.मी. लंबी इस लाइन की लागत 273 करोड़ रुपए आंकी गई थी। चालू परियोजनाओं के भारी बकाया कार्य और अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया था। बहरहाल, मांगों को ध्यान में रखते हुए एक अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

*[अनुवाद]*

**बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर ठहराव**

**3289. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर कुछ सुपरफास्ट अथवा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के ठहराव की पुनर्बहाली के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**कटिहार से पटना/दिल्ली तक नई ट्रेन**

**3290. श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार से पटना, कटिहार से दिल्ली तक नई ट्रेन शुरू करने और कटिहार-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**राजस्थान की रेल परियोजनाएं**

**3291. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास अनुमोदनार्थ अनेक रेल परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं के विशेषकर. राजस्थान की रेल परियोजनाओं के विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षण, उनकी स्थिति देरी के कारण, यदि कोई हों, का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | कि.मी. | स्थिति/देरी के कारण, यदि कोई हों, |
|---|---|---|---|
| 1. | दाहोद-बांसवाड़ा नई लाइन | 120 | सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। चालू परियोजनाओं के भारी ओवरलोड, संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा लाइनों की अलाभकारी प्रकृति के कारण, इन कार्यों को किया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया। |
| 2. | डूंगरपुर के रास्ते रतलाम-बांसवाड़ा नई लाइन | 176 | |
| 3. | उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद खंड का आमान परिवर्तन | 342 | ये सर्वेक्षण हाल ही में पूरे हुए हैं। इन परियोजनाओं पर आगे सर्वेक्षण के परिणाम आने पर ही विचार किया जाएगा। अत: कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। |
| 4. | सादुलपुर-रतनगढ़ बीकानेर और रतनगढ़-डेगाना खंड का आमान परिवर्तन | 364 | |

*[अनुवाद]*

**गेल-टेल परियोजनाएं**

3292. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल इंडिया लिमिटेड ने बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए गए गेल-टेल परियोजना शुरू की है जिसके परिणामत: राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) गेल ने दूर संचार व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व मै. टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेस (टीसीएस) ओवम से एक विस्तृत व्यवसाय रिपोर्ट प्राप्त की थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गेल के बोर्ड ने तकनीकी क्रियान्वयन के लिए मै. टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा विस्तृत नेटवर्क संचालित करने तथा मूल्यनिर्धारण कार्यनीति योजना के लिए मै. केपीएमजी की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। इस कारण से राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी।

(ग) गेल नवरत्न कंपनियों में से एक है और गेल के बोर्ड को निवेश निर्णय लेने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

**धनराशि का कथित दुर्विनियोजन**

3293. **श्री गुरुदास दासगुप्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अखिल भारतीय आई.टी.डी.सी. कर्मचारी संघ से अशोक होटल, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक धनराशि के कथित दुर्विनियोजन के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी; हां।

(ख) से (घ) मामले की जांच की गई थी और पूर्व प्रबंधक

(टेलीफोन), अशोक होटल द्वारा 8.75 लाख रुपयों की राशि के गबन का एक मामला आई.टी.डी.सी. प्रबंधन के नोटिस में आया था। यह अशोक होटल के टेलीफोन बिलों के भुगतान से संबंधित था। ब्याज सहित, धनराशिकी वसूली कर ली गई है।

## नैमित्तिक कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि करने से मना किया जाना

3294. डा. के.एस. मनोज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (सी.आई.ए.एल) में ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाओं में इंडियन एयरलाइन्स के नैमित्तिक कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा मजदूरी में वृद्धि करने से मना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिकरण के इस निर्देश के बावजूद कि ग्राउन्ड हैन्डलिंग सेवाएं केवल इंडियन एयरलाइन्स के नैमित्तिक कर्मचारियों से ही ली जाएं कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) कोचीन हवाईअड्डे पर सभी विमानों की जमीनी कार्रवाई मैसर्स एअर इंडिया द्वारा की जाती है, जो कि कोचीन हवाईअड्डे पर विमानों की जमीनी कार्रवाई करने वाली एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। अत: इंडियन एयरलाइंस द्वारा कोचीन हवाईअड्डे पर जमीनी सेवाओं के लिए अस्थाई कर्मचारी नहीं लगाए गए है।

## आयातित प्रसंस्कृत वस्तुओं का उत्पादन

3295. डा. एम. जगन्नाथ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उन प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने का है जिनका वर्तमान में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती है। किसी नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिट को शुरू करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित करती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की दर सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 25% है जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र में 33.33% है जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता देने के लिए सहायता की अन्य स्कीमें भी परिचालित की जा रही हैं।

## राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष

3296. श्री छितेन बर्मन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष की धनराशि को देश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपयोग में लेने की बजाए विभिन्न जमा योजनाओं में निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) देश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष की धनराशि के उचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय निशक्तजन कल्याण निधि की धनराशि का उपयोग निशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा है। ऐसी निधि, जिसका उपयोग छ: माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाना है, का निवेश अधिकतम लाभ के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों में सावधि जमा के रूप में किया जाता है।

## विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी

3297. **श्री वल्लभनेनी बालशौरी वल्लभनेनी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व पर्यटक आगमनों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में वर्ष 2005 में भारत की हिस्सेदारी क्रमश: 0.49 प्रतिशत तथा 0.84 प्रतिशत थी।

(ग) विश्व पर्यटन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों में भारत पर्यटन का संवर्धन करने के लिए और अवसंरचना आदि का भी विकास करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :-

- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
- विदेशों में एयरलाइनों, टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर आपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।
- संपर्क तथा हवाई सीट क्षमता में वृद्धि करना और प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में मार्ग अवसंरचना में सुधार करना;
- पर्यटक परिपथों तथा गंतव्यों के अवसंरचना विकास की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास; और
- होटल अवसंरचना विशेष तौर पर बजट होटलों की वृद्धि पर फोकस करना।

## कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस भंडारों की खोज

3298. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) ने गत वर्ष कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के विशाल भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार वहां से गैस निकालने में तेजी लाने के लिए जीएसपीसी को सक्षम बनाने के लिए कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी), ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेज और जुबिलिएंट एन्ग्रो के परिसंघ ने वर्ष 2005-06 के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन में केजी-ओएसएन-2001/3 ब्लॉक में गैस की खोज की है।

(ख) और (ग) परिसंघ के साथ केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) में केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी कंपनी के लिए किसी वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है।

*[हिन्दी]*

## ग्रामीण पर्यटन हेतु नीति

**3299. श्री रशीद मसूद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण पर्यटन हेतु कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (ग) पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन को पर्यटन मंत्रालय के गंतव्य विकास की मौजूदा योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, जबकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल उन्नयन समेत, सामुदायिक भागीदारी तथा क्षमता निर्माण को जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण स्थलों तथा गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति तथा विरासत को दर्शाना है, जिन्हें शिल्पकला/हथकरधा/वस्त्र/संस्कृति आदि के मामले में दक्षता हासिल है।

योजना के अंतर्गत निधियां मंजूर की जाती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की जाती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक ऐसे गांव के विकास हेतु अवसंरचना के सृजन के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में तथा यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण आदि हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-II में हैं।

***विवरण-I***

*ग्राम पर्यटन योजना (हार्डवेयर) के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं की सूची*

(लाख रुपयों में)

| राज्य | क्र. सं. | परियोजना का नाम | संस्वीकृति का वर्ष | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1. | नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 2. | पूर्वी गोदावरी जिले के कोनासीमा गांव में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 50.00 |
| | 3. | अनंतपुर जिले में पुट्टापारथी में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2004-05 | 49.50 | 49.50 |
| | 4. | पूर्वी गोदावरी जिले के चिन्चिनाडा में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| | 5. | चित्तूर जिले के श्रीकालाहस्ती में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 6. | पूर्वी सियांग जिले के रेंगो गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 49.62 | 39.69 |
| 3. असम | 7. | गोलाघाट जिले के दुर्गापुर में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2002-03 | 46.83 | 14.04 |
| | 8. | देहिंग-पटकई क्षेत्र, जिला तिनसुखिया में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2004-05 | 44.33 | 35.46 |
| | 9. | कामरूप जिले के सुआलकुच्ची में ग्रामीण पर्यटन | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| | 10. | दुबरी जिले के अक्षरीकांडी गांव में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2005-06 | 48.97 | 39.17 |
| 4. बिहार | 11. | नालंदा जिले के नेपूरा गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| 5. छत्तीसगढ़ | 12. | बस्तर जिले के चित्रकोट गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 13. | बस्तर जिले के चित्रकोट गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 14. | रायपुर जिले के चंपारण में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 50.00 | 15.00 |
| | 15. | जिला बस्तर के नगरनार में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 48.00 | 38.40 |
| | 16. | बस्तर जिले के कोण्डागांव में ग्रामीण पर्यटन | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| 6. दिल्ली | 17. | कोटला मुबारकपुर में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 09.78 | 09.78 |
| | 18. | दिल्ली के नंगली, राजापुर में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 36.30 | 36.30 |
| 7. गुजरात | 19. | कच्छ जिले टेरा में हैरिटेज ग्राम का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 20. | कच्छ जिले के होडका में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 21. | डैंग जिले के नवांगांव और मालेगांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 92.70 | 27.81 |
| 8. हरियाणा | 22. | कुरूक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| 9. हिमाचल प्रदेश | 23. | कुल्लू जिले के नगर में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 24. | कांगड़ा घाटी जिले के परागपुर में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. जम्मू व कश्मीर | 25. | बारामुला जिले के डूंग गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 26. | जम्मू जिले के सुरिन्सर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 27. | श्रीनगर जिले के गगनगीर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 28. | अनंतनाग जिले के पहलगाम, गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 29. | जम्मू जिले के झेरी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| 11. कर्नाटक | 30. | बेल्लूर जिले के कोकारे बेल्लूर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2002-03 | 50.00 | 15.00 |
| | 31. | उत्तर कन्नड़ जिले में एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना के रूप में अट्टीवेरी बर्ड सेन्चुरी का विकास | 2003-04 | 60.00 | 18.00 |
| | 32. | उत्तर कन्नड़ जिले के बनवासी में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 33. | कोप्पल जिले के अन्नेगुंडी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 34. | कोडागु जिले के कुर्ग में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| 12. केरल | 35. | अरुणाकुलम जिले में ग्रामीण पर्यटन गंतव्य के रूप में कुम्बालांगी का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 36. | पथनामथिट्टा जिले के अरुणामुला में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 20.00 | 16.00 |
| | 37. | तिरूवनंतपुरम जिले के बलरामपुर गांव का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| | 38. | स्पाइस परिपथ के लिए एरनाकुलम जिले के कालाडी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 47.20 | 37.76 |
| | 39. | स्पाइस परिपथ इड्डुकी जिले के अन्नाकारा गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| 13. मध्य प्रदेश | 40. | सिद्धि जिले के हतवा गांव में ग्रामीण पर्यटन | 2002-03 | 44.00 | 13.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41. | मंडला जिले के चौगान में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 42. | जिला अशोक नगर के प्राणपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2003-04 | 48.00 | 38.00 |
| | 43. | टीकमगढ़ जिले के ओरछा में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| 14. महाराष्ट्र | 44. | औरंगाबाद जिले के सुलीभंजन - खुलताबाद में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| 15. नागालैंड | 45. | म्पोपुनचुपकेट में ग्रामीण पर्यटन | 2002-03 | 50.00 | 15.00 |
| 16. उड़ीसा | 46. | पुरी जिले के रघुराजपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2002-03 | 50.00 | 40.00 |
| | 47. | पुरी जिले में पिपली गांव का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| | 48. | मयूरभंज जिले के खीचिंग गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 49. | बारगढ़ जिले के बारपल्ली गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| | 50. | खुर्द जिले के हिरापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| | 51. | गंजम जिले के पदनाभपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| 17. राजस्थान | 52. | अलवर जिले के नीमराणा में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 50.00 |
| | 53. | जयपुर जिले के सामोद गांव में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| 18. सिक्किम | 54. | उत्तरी जिले में लाचेन गांव का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| 19. तमिलनाडु | 55. | जिला कुथ्थूकुडी में ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत काजुगुमलई का विकास | 2003-04 | 48.66 | 38.94 |
| | 56. | धर्मपुरी जिले में तीर्थमलई का विकास | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |
| | 57. | शिवगंगा जिले में कराईकुड्डी, चेट्टीनाडु में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58. | रामनाथपुरम जिले में देवीपट्टीनम नवभाषनम का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 59. | तिरूकुरूनगुड्डी, जिला तिरूनेलवल्ली | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 60. | तिरूपुद्दडईमौथूर जिला तिरूनेलवल्ली, तमिलनाडु | 2005-06 | 49.55 | 39.64 |
| | 61. | स्पाइस परिपथ के लिए थेनी जिले के कोमबाई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| | 62. | स्पाइस परिपथ के लिए दिन्दीगुल जिले के ताडियान कुड्डीसाई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| 20. त्रिपुरा | 63. | पश्चिम त्रिपुरा जिले के कमलासागर में ग्रामीण पर्यटन | 2002-03 | 42.92 | 13.48 |
| | 64. | उत्तरी त्रिपुरा जिले के जम्पई हिल्स में ग्रामीण पर्यटन | 2003-04 | 50.00 | 15.00 |
| | 65. | दक्षिण त्रिपुरा जिले के जोयचन्द्रापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| 21. उत्तरांचल | 66. | अलमोड़ा जिले के जागेश्वर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2002-03 | 50.00 | 50.00 |
| | 67. | उत्तरकाशी जिले के अगोरा गांव (डोडीताल) में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 2005-06 | 48.50 | 38.80 |
| | 68. | मोताड और इसके सेटेलाइट स्टेशन में हब ग्राम का विकास | 2005-06 | 48.05 | 38.44 |
| | 69. | चम्पावत जिले के चेखोनीवोरा गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 44.20 | 35.28 |
| | 70. | कोटी, इंद्रोली गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 47.10 | 37.68 |
| | 71. | जिला चमोली के माना गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 50.00 | 40.00 |
| | 72. | रूद्रप्रयाग जिले के सारी ग्राम में देवरीयातल में ग्रामीण पर्यटन (ईको टूरिज्म) का विकास | 2005-06 | 45.14 | 36.00 |
| 22. उत्तर प्रदेश | 73. | रायबरेली जिले के भीतर ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 49.52 | 39.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 74. | मथुरा जिले के मुखराई ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2005-06 | 45.89 | 36.00 |
| 23. पश्चिम बंगाल | 75. | बीरभूम जिले के बल्लभपुर डांगा में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2003-04 | 50.00 | 15.00 |
| | 76. | दार्जिलिंग जिले में सोन्नाडा गांव का विकास | 2004-05 | 50.00 | 40.00 |
| | 77. | बंकुरा जिले के मुकुटमणिपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 2006-07 | 50.00 | 40.00 |
| | | कुल | | 3764.76 | 2826.99 |

**विवरण-II**

*जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान स्वीकृत की गई राज्य-वार परियोजनाओं की सूची*

(लाख रुपयों में)

| राज्य | परियोजना का नाम | जिले का नाम | स्वीकृति का वर्ष | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1. पोचमपल्ली | नालगोंडा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 2. श्रीकलहस्ती | चित्तूर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 2. असम | 3. दुर्गापुर | गोलाघाट | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 4. सुवालकुची | कामरूप | 2004-05 | 19.95 | 15.96 |
| 3. बिहार | 5. नेपुरा | नालंदा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 4. छत्तीसगढ़ | 6. चित्रकूट | बस्तर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 7. नगरनार | बस्तर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 5. गुजरात | 8. होडका | कच्छ | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 6. हरियाणा | 9. ज्योतिसर | कुरुक्षेत्र | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. हिमाचल प्रदेश | 10. नग्गर | कुल्लू | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 8. कर्नाटक | 11. बनवासी | उत्तर कन्नड़ | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 12. अन्नेगुंडी | कोप्पल | 2005-06 | 20.00 | 16.00 |
| 9. केरल | 13. कुम्बालंगी | अर्नाकुलम | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 14. अरनमुला | पथानमथिट्टा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 15. कलाडी (स्पाईस सर्किट) | अर्नाकुलम | 2005-06 | 10.00 | 08.00 |
| | 16. अनक्कारा (स्पाईस सर्किट) | इडुकी | 2005-06 | 10.00 | 08.00 |
| 10. मध्य प्रदेश | 17. परानपुर | अशोकनगर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 18. चोगन | मंडला | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 11. महाराष्ट्र | 19. सुलीभंजन-खुलताबाद | औरंगाबाद | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 12. उड़ीसा | 20. रघुराजपुर | पुरी | 2004-05 | 20.00 | 17.60 |
| | 21. पिपली | पुरी | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 13. पंजाब | 22. राजासांसी | अमृतसर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 14. राजस्थान | 23. नीमराना | अलवर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 24. सामोद | जयपुर | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 25. हल्दीघाटी | राजसमंद | 2004-05 | 19.32 | 15.45 |
| 15. सिक्किम | 26. लाचेन | नार्थजिला | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 16. तमिलनाडु | 27. काजुमलाई | थुथुकुड्डी | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 28. कराईकुड्डी | शिवगंगा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 29. कोम्बई (स्पाईस सर्किट) | थेनी | 2005-06 | 10.00 | 08.00 |
| | 30. थड्डियानकुड्डिडसई (स्पाईस सर्किट) | डींडिगुल | 2005-06 | 10.00 | 08.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. त्रिपुरा | 31. कमलासागर | पश्चिम त्रिपुरा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 18. उत्तरांचल | 32. जगेश्वर | अलमोड़ा | 2005-06 | 20.00 | 16.00 |
| | 33. माना | चमोली | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| 19. उत्तर प्रदेश | 34. भग्गूवाला | सहारनपुर | 2004-05 | 19.75 | 15.50 |
| 20. पश्चिम बंगाल | 35. बल्लभपुर डंगा | वीरभूम | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | 36. मुकुटमणिपुर | बंकुरा | 2004-05 | 20.00 | 16.00 |
| | कुल | | | 679.02 | 544.51 |

**विमानपत्तनों पर वाणिज्यिक गतिविधियां**

3300. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
**श्री सुनिल कुमार महतो :**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे विमानपत्तनों के घाटे को कम करने के लिए इन विमानपत्तनों पर वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कदम इन विमानपत्तनों के घाटे को कम करने के लिए किस सीमा तक सहायक हुए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) घाटे में चल रहे हवाईअड्डों पर व्यावसायिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) कुछ हवाई अड्डों पर एयरसाइड तथा सिटी साइड के विज्ञापन अधिकारों के लिए लाइसेंस दिया जाना, (ii) नई-नई व्यावसायिक सुविधाओं को शामिल करना, जैसे फास्ट फूड की दुकानें, गुब्बारों पर विज्ञापन, वाई-फाई सेवाएं, प्लाज्मा टी.वी. के प्रदर्शन के लिए लाइसेंस दिया जाना, (iii) सभी हवाईअड्डों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग/विमान अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने वाली पार्टियों के सकल टर्नओवर के 11% की दर से रायल्टी की उगाही, (iv) गैर-महानगरीय हवाईअड्डों पर वैश्विक निविदाओं के जरिए ड्यूटी फ्री दुकानों की स्थापना, (v) गैर-महानगरीय तथा अन्तरदेशीय हवाई अड्डों पर मुद्रा विनिमय के काउन्टरों का निजीकरण, तथा (vi) अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर बैगेज रैपिंग सेवा।

(ग) गैर-यातायात राजस्व में वृद्धि से इन हवाई अड्डों पर लगभग 10% से 15% तक घाटा कम करने में मदद मिली है।

**रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विश्राम गृहों का अनधिकृत कब्जा**

3301. **श्री विजय कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विशेषकर पूर्व मध्य रेल मुगलसराय-दानापुर क्युल मंडल में विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा विश्राम गृहों के अनधिकृत कब्जे की जानकारी रेलवे के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त विश्राम गृहों को खाली कराने तथा स्थिति सामान्य बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**पुणे-नासिक रोड़ के बीच रेल सेवा**

3302. **श्री देविदास पिंगले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पुणे-नासिक रोड़ वाया कल्याण के बीच रेल सेवा के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त रेल सेवा को शुरू करने के लिए कोई नया प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) कल्याण के रास्ते पुणे-नासिक रोड के बीच गाड़ी चलाना परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण**

3303. **श्री फ्रांसिस फैन्थम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में नजरिया तय करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) जी, हां। सशस्त्र सेनाओं तें प्रशिक्षण, हर समय संक्रियात्मक तैयारी का उच्च स्तर बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। देश की वर्तमान एवं भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम को परिष्कृत किया गया है। तीनों सेनाओं के आपसी सहयोग तथा संयुक्त रूप से काम करने संबंधी पहलुओं, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के नेतृत्व तथा युद्ध कौशल क्षमताओं को बढ़ाने, प्रौद्योगिकीय कौशल उन्नयन, अत्याधुनिक हथियारों तथा उपस्करों से रूबरू होना, युद्ध क्रीड़ा एवं सिमुलेशन, त्वरित निगरानी तथा प्रतिक्रिया उप-परंपरागत युद्ध पद्धति के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण, आपदाकालीन परिस्थितियों में सिविल प्राधिकारियों को सहायता तथा विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त अभ्यास को सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

**बायो डीजल का उत्पादन**

3304. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बायो डीजल के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं तथा उत्पादन के पूरी तरह शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) संग्रहण एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का तथा इसमें जनता को सहयुक्त बनाने के लिए ताकि वे उसे अपनी आय का स्रोत बनाये, अपनाई गई पद्धति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है तथा अंतिम रूप दिया संगठनात्मक नेटवर्क क्या है;

(घ) क्या गन्ने से पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का ब्राजील माडल भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) बायो डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन, जिसकी स्थापना बड़े पैमाने पर जटरोफा की खेती पर ध्यान देने के उद्देश्य से की गई है, के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। बायो डीजल पर राष्ट्रीय मिशन संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रदर्शन परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिसके

अंतर्गत बायो डीजल के उत्पादन के लिए 4 लाख हेक्टेयर अवक्रमित वन और गैर-वन्य भूमि में जटरोफा की खेती करना शामिल है। योजना आयोग ने 5 वर्षों की अवधि के लिए 1286 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रदर्शन चरण के लिए डीपीआर को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया है। योजना आयोग ने वर्ष 2005-06 के बजट में उपलब्ध 50 करोड़ रुपए की राशि के प्रयोग को अनुमोदित कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पौधशालाओं में जटरोफा बीजों की खेती के लिए विनिर्दिष्ट नौ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु तथा राजस्थान के लिए 49 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

देश में बायो डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर 2005 में, 1.1.2006 से प्रभावी, एक बायो डीजल खरीद नीति की घोषणा की थी। इस नीति में देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 20 खरीद केन्द्रों की पहचान की गई है जहां ये कंपनियां उन बायो डीजल विनिर्माताओं से बायो डीजल की खरीद करेगी जो तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के बाद उनके साथ पंजीकृत हों और विशिष्ट सुपुर्दगी मूल्य पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों से मेल खाने वाला बायो डीजल उपलब्ध करा सकें।

(घ) और (ङ) इस समय भारत में एथेनोल का उत्पादन शीरे से होता है जो चीनी उद्योग का उप-उत्पाद है। ब्राजील में एथेनोल का उत्पादन शीरे के साथ-साथ सीधे गन्ने के रस से भी होता है। जहां भारत में कुछ राज्यों में 5% एथेनोल मिश्रित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है वहीं ब्राजील में वाहनों में 22 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल प्रयुक्त होता है। उनके पास फ्लैक्सी ईंधन वाहन भी हैं जो कि शत-प्रतिशत एथेनोल से चल सकते हैं।

### केरल में फल प्रसंस्करण उद्योग

3305. श्री पी.सी. थामस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में विशेषकर मुवत्तुपुजा एवं वजहाक्कुलम क्षेत्रों में फल आधारित उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में सेब, अनानास, आम, केला तथा अन्य मौसमी फल बहुतायत से उगाए जाने वाले क्षेत्रों में फल प्रसंस्करण के संबंध में अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत केरल में वर्तमान इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है, 39 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता अनुदान के रूप में 1030.60 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने केरल में दो फल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। एक प्रस्ताव मूवाट्टुपुझा से प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की गई है और फर्म से कतिपय सूचना मांगी गई है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विजन 2015-भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिसमें फल और सब्जियां भी शामिल हैं, के लिए रणनीति और कार्य योजना नामक अपने दस्तावेज में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभावना का आकलन किया है। यह दस्तावेज वर्ष, 2005 में जारी किया गया है। राज्यों को भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर अध्ययन आयोजित करने की सलाह दी गई है जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

### पर्यटन योजनाएं

3306. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाओं का कुछ राज्य ही दोहन कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2006 के दौरान नई पर्यटन योजनाओं की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटन के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) राज्यों में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमनों पर आंकड़ों के अनुसार, जैसाकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त हुए हैं, कुछ राज्यों में कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में पर्यटक आगमन बहुत अधिक हैं। तथापि, यह महसूस किया गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच फैली भारत की प्रकृति की विशाल उदारता; इसकी कला, वास्तुकला एवं दार्शनिक विचार के बड़े खजाने; इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत; इसके ग्रामीण देहात और वन्य जीव, और योग, सिद्ध आदि की प्रथाओं के साथ लगभग सभी राज्यों में दोहन करने की व्यापक पर्यटन संभावना है। वर्ष 2003, 2004 और 2005 के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में पर्यटक अवसंरचना का विकास करने के उद्देश्य से, 10वीं योजना 2002-07 के दौरान, और एक पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए, वर्तमान में सरकार मुख्यतया (i) गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास; (ii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता, (iii) आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार और (iv) विदेशों में संवर्धन और प्रचार की पुनर्संरचित योजना, की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कोई राज्य-वार योजनाएं नहीं हैं। तथापि, मंत्रालय परिपथों/गंतव्यों आदि में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ङ) पर्यटन का स्तर बढ़ाने और विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :-

- पर्यटक परिपथों तथा गंतव्यों के अवसंरचना विकास की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- होटल अवसंरचना विशेष तौर पर बजट होटलों की वृद्धि पर फोकस करना;
- संपर्क तथा हवाई सीट क्षमता में वृद्धि करना और प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में मार्ग अवसंरचना में सुधार करना;
- "अतुल्य भारत" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान;
- विदेशों में एयरलाइनों, टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना;
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर आपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा; और
- यूरोप के प्रमुख स्रोत मार्केटों में रोड शोज की शुरूआत करना।

**विवरण**

*राज्य-वार कुल घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आगमन*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003 | 2004 | 2005@ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 74618047 | 89941291 | 94089578 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2318 | 5009 | 3294 |
| 3. | असम | 2163285 | 2295378 | 2478434 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 6105530 | 8135574 | 8750541 |
| 5. | गोवा | 2039497 | 2448959 | 2156474 |
| 6. | गुजरात | 7678013 | 7769550 | 8474000 |
| 7. | हरियाणा | 5988177 | 5465252 | 5972747 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5711316 | 6549413 | 7144630 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 5773176 | 6921715 | 7283826 |
| 10. | कर्नाटक | 11425200 | 27724403 | 25243468 |
| 11. | केरल | 6165849 | 6317728 | 6292922 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6060997 | 8764821 | 7251784 |
| 13. | महाराष्ट्र* | 12259450 | 14610594 | 15452045 |
| 14. | मणिपुर | 93180 | 93725 | 94615 |
| 15. | मेघालय | 378257 | 445902 | 381000 |
| 16. | मिजोरम | 35408 | 38924 | 44988 |
| 17. | नागालैंड | 6348 | 11140 | 18353 |
| 18. | उड़ीसा | 3726265 | 4154353 | 4666286 |
| 19. | पंजाब | 1154604 | 368880 | 435389 |
| 20. | राजस्थान | 13173695 | 17005668 | 19918462 |
| 21. | सिक्किम | 191627 | 245365 | 268267 |
| 22. | तमिलनाडु | 41114564 | 43337850 | 44392444 |
| 23. | त्रिपुरा | 260527 | 264078 | 219007 |
| 24. | उत्तरांचल | 10890469 | 11783455 | 14291565 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 80837000 | 89334000 | 94093988 |
| 26. | छत्तीसगढ़ | 1257557 | 1900200 | 325407 |
| 27. | झारखंड | 401565 | 465861 | 2048758 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 12006220 | 13156083 | 14462550 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 89968 | 109582 | 32372 |
| 30. | चंडीगढ़ | 584316 | 615585 | 637460 |
| 31. | दमन व दीव | 451099 | 403911 | 401078 |
| 32. | दिल्ली* | 2124373 | 2706126 | 3573675 |
| 33. | दादर एवं नागर हवेली | 447961 | 532184 | 560946 |
| 34. | लक्षद्वीप | 5286 | 5174 | 7849 |
| 35. | पांडिचेरी | 525670 | 590498 | 610020 |
| | कुल | 315746814 | 374518231 | 392078222 |

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें

* : अनुमानित

@ : अनंतिम

## सीधी उड़ाने

3307. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2010 के राष्ट्रमण्डल खेलों से पहले देश में दिल्ली तथा अन्य विमानपत्तनों से विदेशों को लम्बी दूरी की सीधी उड़ाने शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बी दूरी की सीधी उड़ानों से क्षेत्र-वार किन-किन क्षेत्रों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के मद्देनजर देश में विमानपत्तनों पर अन्य क्या प्रबंध किये जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन हेतु यातायात अधिकार विभिन्न देशों के साथ हमारे द्वीपक्षीय विमान सेवाओं के करार में उल्लिखित है, तथा यातायात मांग, हमारे वाहकों को लाभ का संतुलन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण हित तथा कूटनीतिक/राजनैतिक पक्ष पर आधारित सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विदेशी राष्ट्रों की एयरलाइनें तथा हमारे अपने वाहक भी इन यातायात अधिकारों का अपने कमर्शियल निर्धारणों के आधार पर उपयोग कर रहे हैं।

2007-2010 के दौरान एअर इंडिया का न्यूयार्क, शिकागो, फ्रैंकफर्ट तथा बीजिंग के लिए लम्बी दूरी की उड़ाने आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार ने दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों के पुनर्गठन और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं तथा बंगलौर यातायात संभावना, एयरलाइन प्रचालकों की आवश्यकता तथा यात्रियों की जरूरतों के आधार पर हवाईअड्डों के उन्नयन/विस्तारण/विकास कार्य को भी हाथ में लिया गया है। दिल्ली हवाईअड्डे पर निम्नलिखित कुछ गतिविधियों के कामनवेल्थ खेलों से पहले पूरे होने की संभावना है:-

(i) नए टर्मिनल का निर्माण (घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय के लिए कॉमन) 2010 मार्च तक।

(ii) नए सामान्तर रनवे का पूरा होना- 10-28 मार्च, 2009 तक।

(iii) विगत कुछ वर्षों में यातायात अधिकारों में व्यापक रूप से उदारीकरण हुआ है तथा अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर दिल्ली के लिए/से सम्पर्कता में भी सुधार हुआ है तथा द्विपक्षीय यातायात अधिकारों के आदान-प्रदान के अनुसार इसमें और सुधार होने की आशा है।

**बैंगलोर सिटी तथा देवनहल्ली विमानपत्तन के बीच रेल लाइन**

**3308. श्री एम. शिवन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंगलोर सिटी तथा देवनहल्ली विमानपत्तन के बीच रेल लाइन बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्धन संस्थान**

**3309. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्धन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए करवाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) वर्तमान में, भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) निम्नलिखित पाठ्यक्रम चला रहा है:-

(i) पर्यटन प्रबंधन में एक वर्षीय पूर्णकालिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्वालियर में है जिसमें प्रवेश क्षमता 60 तथा क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर में 50 है।

(ii) ग्वालियर में दो वर्षीय पूर्णकालिक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट (पीजीडीबीएम) चलाए जा रहे हैं जिसमें प्रवेश क्षमता 60 है।

(iii) तीन वर्षीय पूर्णकालिक बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट (बीटीएम) (आनर्स) पाठ्यक्रम ग्वालियर और भुवनेश्वर में चलाए जा रहे हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमश: 50 व 30 है।

(iv) आईआईटीटीएम के चैप्टरों द्वारा, पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन में एक वर्षीय अंशकालिक पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) डिग्री पाठ्यक्रम जैसे एमबीए और बीटीएम (आनर्स) मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के सहयोग से प्रदान किए जा रहें हैं, जो कि उपर्युक्त विश्वविद्यालय के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार हैं।

(घ) से (च) आईआईटीटीएम को जब तक डीम्डयूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पर्यटन पाठ्यक्रम चलाए जाने की कोई योजना नहीं है।

*[हिन्दी]*

**मिलावट को रोकने के लिए मानदंड/ दिशा-निर्देश**

3310. **श्री वी.के. दुग्गर :**
**श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलावट को रोकने के लिए पेट्रोल/ डीजल डीलरों को कोई नये मानदंड तथा दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए मानदंड/दिशानिर्देश पहले के दिशानिर्देशों से कितने भिन्न है; और

(घ) मिलावट को रोकने में नए मानदंड दिशानिर्देश किस सीमा तक सहायक होंगे?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (घ) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) 2001 के स्थान पर एमडीजी 2005 दोषी डीलरों के खिलाफ और अधिक कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किए गए और 1.8.2005 से लागू किए गए। एमडीजी, 2005 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपमिश्रण, सीलों से छेड़छाड़ करना, वितरण इकाइयों में अप्राधिकृत फिटिंग/गियर खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओएस) के परिसरों में अप्राधिकृत भंडारण सुविधाएं, पेट्रोल/डीजल (एमएस/एचएसडी) की अप्राधिकृत बिक्री/खरीद/विनिमय और ब्रांडेड ईंधन के रूप में सामान्य एमएस/एचएसडी बेचने जैसे गंभीर कदाचार के लिए प्रथम बार ही निलंबन का प्रावधान है। इसमें निलंबन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील करने का भी प्रावधान है। कंपनी स्वामित्व और कंपनी प्रचालित (सीओसीओ) आरओज और सीएनजी तथा आटो एलपीजी स्टेशनों को भी एमडीजी 2005 का अनुपालन करना है। एमडीजी 2005 के परिपेक्ष्य में कुछ अतिरिक्त कदाचार के मामले भी लाए गए हैं जो एमडीजी 2001 के अंतर्गत शामिल नहीं थे। ये हैं, नामत: छेड़ी गई टोटलाइजर सीलें वितरण यूनिटों में प्राप्त अतिरिक्त/अप्राधिकृत फिटिंग/गियर, आरओ परिसरों से संबंधित बाह्य लाइसेंसशुदा परिसरों की भंडारण सुविधा का मिलना, ब्रांडेड ईंधनों के रूप में सामान्य एमएस/एचएसडी की बिक्री, नमूने लेने में और/या निरीक्षण आदि करने में डीलर द्वारा मनाही। एमडीजी, 2005 के कड़ाई से लागू होने से यह आशा है कि इससे आरओज में पेट्रोल/डीजल के अपमिश्रण पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी।

*[अनुवाद]*

**इम्फाल तथा गुवाहाटी के बीच उड़ानें**

3311. **डा. टोकचोम मैन्या** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुधवार तथा रविवार को छोड़कर इम्फाल तथा गुवाहाटी के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार भारी मांग के मद्देनजर इन उड़ानों को बहाल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उड़ानों को कब तक बहाल कर दिये जाने की सम्भावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस की सहायक कम्पनी, एलाइंस एयर, इम्फाल तथा गुवाहाटी के बीच एटीआर 42 विमान के साथ सप्ताह में दो बार उड़ानें प्रचालित कर रही थीं जिसे प्रचालन क्रू की कमी तथा एयरलाइनों के समय पर एवं नियमित प्रचालनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 10 जुलाई, 2006 से हटा लिया गया था। तथापि, इस रूट पर यातायात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य एयरलाइनों द्वारा प्रचालन किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त उड़ानों का पुन: प्रचालन किया जाना, प्रचालन क्रू की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इस समय इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। बहरहाल, शीघ्रातिशीघ्र कर्मीदल को नियुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं का उपयोग**

**3312. श्री सुब्रत बोस** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**तेल तथा गैस संस्थापनों की सुरक्षा**

**3313. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
**श्री गणेश प्रसाद सिंह :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री मो. ताहिर :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई आतंकवादी धमकियों के मद्देनजर देश में तेल तथा गैस के सभी संस्थापन/भंडार सुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ निजी चैनल के कार्मिकों ने कुछ सरकारी क्षेत्र के तेलशोधन कारखानों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इन टेलीविजन चैनलों द्वारा किये गए स्टिंग आपरेशन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त टेलीविजन चैनलों ने ऐसे संस्थापनों की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी हां। बढ़ती हुई आतंकवादी धमकियों के मद्देनजर प्रवेश नियंत्रण उपायों, सुरक्षा कर्मियों की गहन गश्त तथा कर्मियों और सामग्रियों की तोड़-फोड़ रोधी जांचों को अमल में लाते हुए तेल और गेस संस्थापनों की सुरक्षा मजबूत की गई है।

(ख) से (च) बीपीसीएल ने बताया है कि एक दूरदर्शन समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन ने एक विडियो क्लिपिंग प्रसारित की है, जिसमें उन्होंने उनके पानीपत संस्थापन में सुरक्षा खामियों को दिखाया है, जो एक विपणन टर्मिनल है। जांच से यह पता लगा है कि यह घटना 2005 की सर्दियों के समय की है। संस्थापन की अंदर से फोटो लेने के उद्देश्य से समाचार चैनल ने 17 जुलाई, 2006 को संस्थापन का पुन: दौरा किया। चूंकि तेल संस्थापन एक निषिद्ध क्षेत्र है इसलिए दल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। तेल कंपनियों के तेल और गैस संस्थापनों से कोई अन्य अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

*[हिन्दी]*

**एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की कीमतें**

**3314. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने एथेनाल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग कर उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल के विक्रय मूल्य में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा अधिकतम कितने प्रतिशत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान देश में एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की कितने प्रतिशत कीमत कम होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार ब्राजील 22% तक एथेनोल मिश्रित पेट्रोल और संयुक्त राज्य अमरीका व आस्ट्रेलिया 10% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग करता है। स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको और थाईलैंड के भी भिन्न-भिन्न मात्रा में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग करने की सूचना है। एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है। भारत में 5% तक एथेनोल मिश्रित करने की अनुमति है। पेट्रोल और एथेनोल की खुदरा बिक्री कीमतें बराबर हैं अत: 2006-07 के दौरान एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की कीमत में ऐसी कोई कमी करने का कोई विचार नहीं है।

*[अनुवाद]*

**समग्र दृष्टिकोण के लिए परियोजना**

3315. **श्री रबेन बर्मन** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सेरिब्रल पाल्सी प्रबन्धन के लिए समग्र दृष्टिकोण हेतु परियोजना शुरू करने के लिए कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों के डिब्बों पर विज्ञापनों के लिए निविदा**

3316. **श्री राकेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पश्चिम रेल में आय को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर मंडल में खुली निविदा के माध्यम से विज्ञापनार्थ रेलगाड़ियों के डिब्बों के बाहरी भाग को किराए पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विज्ञापनों से रेलवे को अनुमानत: कितनी आय होगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कृष्णा गोदावरी बेसिन से हैदराबाद तक पाइपलाइन**

3317. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नगर युग्म में वहनीय प्रदूषण को कम करने के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन से हैदराबाद तक संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल ने इस संबंध में कोई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ङ) रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड (आरजीपीएल) की योजना काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने की है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में नगर गैस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक

संयुक्त उद्यम कंपनी नामत: मैसर्स भाग्यनगर गैस लिमिटेड का निगमन किया है। हैदराबाद में सीएनजी नेटवर्क की स्थापना परियोजना के लिए प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता और गैस की टाई-अप पर निर्भर करेगी। गेल ने इस संबंध में कोई प्रौद्योगिकीय आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी शैक्षिक संस्था**

**3318. श्री सर्वानन्द सोनोवाल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित व्यावसायिक शैक्षिक संस्था की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किंतु क्षमता-निर्माण के लिए यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु बुनियादी ढांचे के सृजन के वास्ते सहायता देता है।

**द्रुतगामी मालगाड़ियों का अनुरक्षण तथा संचालन**

**3319. श्री पी. मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के निवेश से द्रुतगामी मालगाड़ियों के अनुरक्षण तथा संचालन संबंधी अनवर होदा समिति ने अपनी रिपोर्ट रेलवे को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति की सिफारिशों की जांच रेलवे द्वारा कर ली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गयी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं। बहरहाल, समर्पित फ्रेट कारिडोर परियोजना पर कानसेप्ट पेपर तैयार करने के लिए श्री अनवर-उल-होदा के अधीन एक टास्क फोर्स गठित की गई है। उच्च गति माल गाड़ी चलाने तथा उसके रख-रखाव के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**हथुआ और कटनी रेलमार्ग का आमान परिवर्तन**

**3320. श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर मंडल के अंतर्गत हथुआ और कटनी रेलमार्ग का आमान परिवर्तन किसी पूर्व सर्वेक्षण के कराए बिना स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति देने तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की उपेक्षा करने के क्या कारण थे तथा क्या इसके लिए बजट आबंटन किया गया था?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**माल की बुकिंग हेतु श्रमिकों की कमी**

**3321. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में माल की बुकिंग तथा उसे रेल वैगनों तक लाने ले जाने के लिए श्रमिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो औसतन प्रतिदिन एक श्रमिक कितने फेरे लगाता है और कितनी मात्रा में माल वैगनों में लादता है; और

(ग) श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) सामान की बुकिंग रेल कर्मचारियों द्वारा की जाती है न कि मजदूरों द्वारा इसके अतिरिक्त, माल के लदान की जिम्मेदारी ग्राहकों और इसके बाद उनके द्वारा नियुक्त किए गए मजदूरों की होती है।

(ख) इस तरह की कोई सूचना रेलवे द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र को अतिरिक्त गैस**

3322. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री मोहन रावले :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त प्राकृतिक गैस/एलएनजी की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) जी हां। जनवरी, 2006 में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया था:

1. उरण में गैस आपूर्ति बढ़ाना ताकि महा जेनको पावर प्लांट की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जा सके।
2. उरण और तेलगांव में महाजेनको की विस्तार योजनाओं के लिए 13 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस की आवश्यकता है।
3. दहेज-उरण पाइपलाइन का तेजी से निर्माण।

(ग) उरण क्षेत्र में लगभग 17.5 एमएमएससीएमडी गैस के आबंटन की तुलना में उपलब्धता लगभग 10 एमएमएससीएमडी है। किन्तु गर्मी के मौसम में बिजली की कमी से निपटने के लिए एमएसईबी को गैस की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध के अनुसार 15.4.2006 से 15.6.2006 की अवधि के दौरान मेसर्स आरसीएफ, ट्राम्बे से 0.33 एमएमएससीएमडी गैस जीटीपीएस उरण (एमएसईबी) को भेजी गई। अत: 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान जीटीपीएस उरण (एमएसईबी) को गैस की अधिक आपूर्ति की गई।

महाराष्ट्र क्षेत्र में गैस के पारवहन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से गेल दहेज-उरण पाइपलाइन और डाभोल-पनवेल पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया में है। परन्तु, उपभोक्ताओं को अपनी गैस की जरूरतों के लिए गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ ताल-मेल बैठाना होगा। देश के अन्दर गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु किए गये उपायों में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अधीन घरेलू गैस की उपलब्धता बढ़ाने, तरल प्राकृतिक गैस के आयात और राष्ट्रपार पाइपलाइनों के जरिये गैस के आयात की पहल के प्रयास शामिल हैं।

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण**

3323. **श्री सुभाष महरिया :**
**श्री राम सिंह कस्वां :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को रेवाड़ी-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार और रतनगढ़-ढ़ेगाना रेलमार्गों के आमान परिवर्तन हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) राजस्थान में आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण के लिए क्या समय-सीमा तय की गयी है;

(घ) सर्वेक्षण पूरा किए जाने के पश्चात आमान परिवर्तन को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इन रेलमार्गों का आमान परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने रेलवे को सादूलपुर से होकर रेवाड़ी-देगाना का आमान परिवर्तन करने के लिए निदेश दिया है।

(ख) और (ग) रेवाड़ी सादूलपुर खंड का आमान परिवर्तन एक स्वीकृत कार्य है। सादूलपुर-रतनगढ़-देगाना और रतनगढ़-बीकानेर के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है।

(घ) एक आमान परियोजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन के लिए मार्गों के चयन के लिए अपनायी गई नीति निम्नानुसार है :

(i) इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी लाइनों का दोहरीकरण करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए वैकल्पिक बड़े आमान वाले मार्गों के विकास के लिए लाइनों का परिवर्तन प्रारंभ करना।

(ii) अन्य बड़े आमान वाली लाइनों द्वारा जुड़े हुए स्टेशनों के बीच बड़ा आमान संपर्क स्थापित करना।

(iii) विकास की संभावना वाले बन्दरगाहों, औद्योगिक केन्द्रों और स्थानों के साथ बड़ी लाइन वाला संयोजन स्थापित करना।

(iv) सामरिक आधार पर अपेक्षित लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करना।

(v) पारगमन बिन्दुओं पर विलंब से बचने के लिए वैगनों के फेरों में सुधार करना और पारगमन को कम करना।

(vi) उपर्युक्त नीति के अनुसार न्यूनतम लागत पर लाइनों का आमान परिवर्तन प्रारंभ करना ताकि रेल उपयोगकर्ताओं को उस स्तर से कम की सेवा मुहैया न कराई जाए जो मीटर लाइन पर प्राप्त कर रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, परियोजना को अल्पविकसित क्षेत्र में रेल अवसंरचना में सुधार करने के लिए सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण पर शुरू किया गया है।

(ङ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

## आई टी डी सी में भ्रष्टाचार

**3324. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने आई टी डी सी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की घटनाएं आयी हैं जैसा कि 8 अप्रैल 2006 के 'पंजाब केसरी' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, हां। आई टी डी सी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की कुछेक घटनाएं इस मंत्रालय के सामने आयी हैं, जैसाकि 8 अप्रैल, 2006 के पंजाब केसरी में समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(ख) से (घ) मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है :

| क्रम सं. | उठाए गए मामलों का पाठ | अवस्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री अनिल मैथरानी द्वारा होटल अशोक को देय राशि का सेटलमेंट न होना | केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2000 में मामले की जांच की गई और इसे समाप्त करने की सिफारिश की गई। |
| 2. | मैसर्स जेवीजी कम्पनी से देय राशि की वसूली न होना | मामले की जांच की गई और जांच रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई। आयोग ने मामले को समाप्त करने की सलाह दी है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मैसर्स मोहिनी निटवियर के संबंध में लाइसेंस फीस का अधित्यजन करना | मामले की जांच की गई और जांच रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई। आयोग ने मामले को समाप्त करने की सलाह दी है। |
| 4. | अशोक होटल, नई दिल्ली में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का संस्थापन | मामले की जांच की गई और आरोप सिद्ध नहीं हुआ। |
| 5. | कुतुब होटल (अब विनिवेशित) के पास टेनिस कोर्ट को पट्टे पर देना | मामले की विस्तार से जांच की गई और जांच रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत की गई। आयोग ने मामले को समाप्त करने की सलाह दी है। |
| 6. | अशोक होटल और मेसर्स एक्सक्लूजिव मोटर्स (बैंटले शोरूम) के मध्य करार | मामले की जांच की गई और किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। |

*[अनुवाद]*

**सेना में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा**

3325. **श्री अनन्त नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना में भर्ती प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) भर्ती की आवश्यकता के आधार पर और भर्ती की प्रक्रिया को उम्मीदवार के लिए अधिक अनुकूल तथा पारदर्शी बनाने के लिए सेना में भर्ती प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथापि, वर्तमान में, सेना में भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**जम्मू से जालंधर तक रेलमार्ग का दोहरीकरण**

3326. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा जम्मू से जालंधर तक रेलमार्ग के दोहरीकरण हेतु कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है और इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि आबंटित तथा व्यय की गयी है; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 66% है। कुल मिलाकर 57 किमी पर कार्य पूरा हो गया है तथा 2006-07 के दौरान 81 किमी पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। संपूर्ण परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) परियोजना का अनुमानित लागत 461.23 करोड़ रुपए है। मार्च, 2006 तक किया गया व्यय 257.08 करोड़ रुपए है तथा 2006-07 के बजट में 120 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जातियों हेतु बजट आबंटन**

3327. **श्रीमती तेजस्विनी रमेश** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ उनकी आबादी के अनुपात में बजट आबंटन करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन राज्यों ने दिशा-निर्देशों का पालन किया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में बजट आबंटन नहीं किया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ उनकी आबादी के अनुपात में बजटीय आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना 2006-07 के लिए अनुसूचित जातियों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना पर कार्यकारी समूह की बैठक में दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकांश राज्यों ने दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया है और अनेक राज्यों ने अनुसूचित जाति उप-योजना के दस्तावेज योजना आयोग में प्रस्तुत भी कर दिए हैं।

(ग) ये राज्य है:- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडिचेरी।

(घ) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सशर्त अनुमोदन दे दिया है। अनुमोदित परिव्यय की शर्त है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के समानुपात में बजटीय आबंटन उपलब्ध कराएंगी। राज्य सरकारों से उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया हैं।

*[अनुवाद]*

## आंध्र प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन

**3328. श्री वाडिगा रामकृष्णा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में चिन्हित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं में से कुछ को वर्ष 2003-04 अर्थात दसवीं योजना के मध्य में जाकर स्वीकृति दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित समय सीमा के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित गंतव्यों के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :

(i) पोचमपल्ली

(ii) कोणासीमा

(iii) पुट्टापार्थी

(iv) श्रीकलाहस्ती

(v) चिनचिनाडा

(ख) से (घ) पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण को गंतव्य विकास की मौजूदा योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां मंजूर और जारी की जाती हैं। इस प्रकार परियोजनाओं को चिन्हित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, समय से इनकी समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी निरंतर की जाती है।

*[अनुवाद]*

## रेल पुलों का निर्माण

**3329. श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने रेल पुलों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत वित्तपोषण हेतु रेलवे से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) कुछ समय पहले पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) रेल मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया गया और केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए तथा रेलवे की लागत पर इन कार्यों को शुरू करने और रेलों द्वारा डीजल की खपत पर भुगतान किए जाने वाले उपकर से रेलों को छूट देने के लिए भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था ताकि इस मद के अंतर्गत बचत की गई निधियों का उपयोग ऊपरी सड़क/निचले पुलों के निमार्ण पर भी किया जा सके। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 पर रेल उपरिपुल का निर्माण

3330. **श्री किशन लाल दिलेर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से लोगों द्वारा मथुरा-कासगंज रेलमार्ग/हाथरस शहर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 पर एक रेल उपरिपुल के निर्माण की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा उक्त उपरिपुल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (घ) जी नहीं। उक्त स्थल पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार से कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

बहरहाल, हाथरस सिटी-मुरसन खंड पर समपार सं. 309 स्पेशल मौजूद है जिसपर यातायात का घनत्व 1,52,096 टी वी यू है जो लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल द्वारा बदले जाने के लिए अर्हक है। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर मौजूदा समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं। यदि समपार पर यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन युनिट हो (गाड़ी वाहन युनिट समपार से 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होने वाला आंकड़ा) अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है।

*[हिन्दी]*

## स्टेशनों पर ए टी एम सुविधा

3331. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव** :
**श्री शिशुपाल पटले** :
**प्रो. महादेवराव शिवनकर** :
**श्री अशोक कुमार रावत** :
**श्री मो. ताहिर** :
**श्री के.सी. पल्लानी शमी** :

क्या रेल मंत्री 23 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना को कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर आटोमेटिड टैलर मशीनें (एटीएम) लगाई गई हैं। जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

| क्षेत्रीय रेलवे | 31.7.2006 को स्थापित एटीएम की संख्या |
|---|---|
| मध्य | 8 |
| पूर्व | 1 |
| पूर्व मध्य | 3 |
| पूर्व तट | 2 |
| उत्तर | 4 |
| उत्तर मध्य | 3 |
| पूर्वोत्तर | 1 |
| पूर्वोत्तर सीमा | कुछ नहीं |
| उत्तर पश्चिम | कुछ नहीं |
| दक्षिण | 13 |
| दक्षिण मध्य | 3 |
| दक्षिण पूर्व | 1 |
| दक्षिण पूर्व मध्य | 2 |
| दक्षिण पश्चिम | 3 |
| पश्चिम | 36 |
| पश्चिम मध्य | 6 |

क्षेत्रीय रेलों पर विभिन्न स्थलों पर एटीएम स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है।

एटीएम की स्थापना के लिए मोटे तौर पर शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार हैं :-

(i) क्षेत्रीय रेलों को किसी स्टेशन पर एटीएम स्थापित करने के संबंध में निर्णय लेने का प्राधिकार है जो वहां बैंक की उपलब्धता और मांग के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

(ii) बैंक का चुनाव पैकेट निविदा प्रणाली के द्वारा किया जाता है जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोली शामिल है।

(iii) चुने गए बैंक को बोली के अनुसार लाइसेंस फीस तथा अन्य निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**केरोसिन पर राजसहायता**

3332. **श्री अशोक कुमार रावत :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री मो. ताहिर :**
**श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केरोसिन पर कितनी राजसहायता दी गयी;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजसहायता राशि का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में केरोसिन पर कितनी राजसहायता दी गयी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयूज तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता के भुगतान की राशि निम्नानुसार है:-

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| 2003-04 | 2657 |
| 2004-05 | 1147 |
| 2005-06 | 1057 |

(ख) और (ग) सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2006-07 के लिए मंजूर किए गए बजट प्राक्कलनों के अनुसार पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू

एलपीजी पर राजसहायता की राशि 2900 करोड़ रुपए है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान दी जाने वाली 2900 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित राजसहायता में से पीडीएस मिट्टी तेल पर दी जाने वाली राजसहायता लगभग 1100 करोड़ रुपए होगी।

(घ) ओएमसीज से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल 06 से जून 06) के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता 241 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

*[अनुवाद]*

**आईओसी की विस्तार योजना**

3333. **श्री भर्तृहरि महताब :**
**श्री परसुराम माझी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने अपनी विस्तार योजना का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो आईओसी का किन राज्यों में अपने कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या आईओसी द्वारा उड़ीसा में कोई विशिष्ट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) जी हां। कार्यनीतिक अनिवार्यताओं और अन्य स्थूल आर्थिक कारकों के अनुरूप, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने देश के विभिन्न राज्यों में रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, विपणन, गैस और अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्रों की गतिविधियों का समावेश करते हुए विस्तार योजनायें तैयार की हैं।

(ग) और (घ) आईओसी उड़ीसा राज्य में 1178 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "पारादीप-हल्दिया क्रूड तेल पाइपलाइन प्रणाली" नामक 11-एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्षमता की एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के दिसंबर, 2006 में पूरा होने की संभावना है।

इसके अलावा, आईओसी की इसी राज्य में 25646 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 15-एमएमटीपीए क्षमता की "पारादीप रिफाइनरी परियोजना" क्रियान्वित करने की योजना है। इस परियोजना के अक्तूबर, 2011 तक पूरा होने की आशा है।

*[हिन्दी]*

**बायोडीजल प्रापण नीति**

3334. **श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**
**श्री मो. ताहिर :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने द्वारा घोषित बायोडीजल प्रापण नीति की विफलता के संबंध में कोई आकलन किया है जैसा कि 6 अंगस्त, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत 10 महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एक लीटर भी बायोडीजल नहीं खरीदा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) उक्त परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(च) क्या सरकार का विचार बायोडीजल की कीमतों को कम करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**कृष्णा गोदावरी और पन्ना मुक्ता तापी तेल क्षेत्र में गैस की खोज**

3335. **श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी और पन्ना मुक्ता तापी तेल क्षेत्रों में गैस की खोज कर रही विभिन्न कंपनियों के साथ फील्ड कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन व शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए "फील्ड कांट्रैक्ट" के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए अनेक कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके परिणामस्वरूप गैस की खोजें हुई हैं। सरकार ने 1994 में पन्ना-मुक्ता और तापी क्षेत्रों के विकास और उत्पादन के लिए संविदाओं पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कृष्णा गोदावरी में अन्वेषण ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में सरकार को रायल्टी के भुगतान और लाभ पेट्रोलियम हिस्से का प्रावधान है। पन्ना-मुक्ता और तापी क्षेत्र संविदाओं के तहत संविदाकार को कच्चे तेल पर रायल्टी और उपकर तथा गैस पर रायल्टी का भुगतान करना होता है। वे सरकार को संविदाओं में यथाउपबंधित लाभ पेट्रोलियम का भुगतान भी करते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित मदों के शुल्क रहित आयातों की अनुमति होती है। उनको भारत में तेल और गैस की बिक्री करने की स्वतंत्रता होती है और वे भारत के कानूनों के अध्यधीन हैं।

(ग) सरकार हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के माध्यम से संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के उपबंधों के अनुसार प्रगति की निगरानी करती है।

**तलचर और गोपालपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण**

3336. **श्री जुएल ओराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचर और गोपालपुर के बीच रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) तलचर से गोपालपुर (293 किमी) एक नई बड़े आमान की रेल लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण 2003-04 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, इस लाइन की लागत का आकलन 863.98 करोड़ रुपए आंका गया। चालू परियोजनाओं पर अत्यधिक ग्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण परियोजना को, फिलहाल, शुरू करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

**नांदेड़ रेल मंडल का हस्तांतरण**

3337. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से नांदेड़ रेल मंडल को दक्षिण मध्य रेल से हस्तांतरित करके मध्य रेल में मिलाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) नांदेड़ रेल मंडल को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे

में शिफ्ट करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित अनेक महत्वपूर्ण लोगों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) किसी विशेष जोन के अंतर्गत किसी विशेष मंडल को स्थापित करने का निर्णय बिना किसी क्षेत्रीय दृष्टिकोण के परिचालनिक/प्रशासनिक आधार पर लिया जाता है। जब उपर्युक्त मानदंड के आलोक में देखा गया तो प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया।

## महानगरों में मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम एम टी एस)

3338. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपराई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का कोलकाता विमानपत्तन रेल संपर्क की भांति सभी महानगरों में मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। मल्टी-माडल परिवहन प्रणाली मूलत: शहरी परिवहन से संबंधित है। शहरी परिवहन विषय शहरी विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार का है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में अपनी सर्कुलर रेल प्रणाली को कोलकाता में दमदम कैंट से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एयरपोर्ट तक विस्तार किया है। रेल मंत्रालय के पास किसी अन्य नगरों के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## हाइड्रोकार्बन विजन 2025

3339. श्री एल. राजगोपाल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हाईड्रोकार्बन विजन को सफल बनाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों द्वारा विश्व में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ नेटवर्क बनाने के कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण है;

(ग) विश्व भर के उन अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकारी तेल उपक्रमों ने नेटवर्क स्थापित किया है; और

(घ) हाईड्रोकार्बन विजन 2025 को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भारत हाईड्रोकार्बन झलक-2025 का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में पहले से मौजूद विभिन्न आर एंड डी सुविधाओं के ज्ञानाधार को विश्व भर में आधुनिकतम आर एंड डी केन्द्रों के साथ नेटवर्किंग की जा रही है। इस संबंध में इन संस्थानों और रूस, रुमानिया, कनाडा, नार्वे और कोरिया गणराज्य में संस्थानों के बीच एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, चीन और जापान में संस्थाओं के साथ ऐसे एमओयूज को अंतिम रूप दिये जाने के लिए वार्ताएं जारी हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सरकार से सरकार के एमओयूज टर्की, रुमानिया, यूनाइटेड किंगडम, कोरिया गणराज्य और वेनेजवेला के साथ किए गए हैं। इस मंत्रालय ने पेट्रोफेड के उद्योग संगठन के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

(घ) भारत परिशोधन क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए अपेक्षित विपणन ढांचे का विकास भी किया है। परिशोधन क्षमता घरेलू मांग से अधिक है और अधिशेष मात्रा का निर्यात किया जा रहा है। कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि से कदम नहीं मिला सका है। तथापि, बढ़ती मांग पूरी करने के लिए देश में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों में गति लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति द्वारा अन्वेषण कार्यों को तेज करना।

2. उन्नत तेल निकासी (आईओआर)/वर्धित तेल निकासी (ईओआर) तकनीकों के माध्यम से घरेलू उत्पादन में वृद्धि।

3. उत्पादन जल्दी शुरू करने के लिए खोजों/भंडारों का तेजी से विकास।

4. मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का प्रयोग।

5. इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों तथा उत्पादक परिसंपत्तियों का अर्जन।

6. पुराने तेल क्षेत्रों से ह्रास कम करना।

7. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

**विवरण**

(i) अन्वेषण प्रयासों के तीव्रीकरण के माध्यम से तेल सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना तथा तेल एवं गैस की घरेलू उपलब्धता की वृद्धि करना।

(ii) सतत दीर्घावधिक आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए उच्च आकर्षण वाले पहुंचाने गए देशों में रकबे प्राप्त करना।

(iii) प्राकृतिक गैस की मांग एवं आपूर्ति में कमी को पूरा करने तथा एल एन जी की उपलब्धता सुसाध्य बनाने के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

(iv) शोधन में आत्मनिर्भरता के पर्याप्त स्तरों का रख रखाव करना।

(v) विभिन्न स्थानों में क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त कार्यनीतिक भंडार स्थापित करना।

(vi) तेल एवं गैस के वितरण एवं विपणन के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधायें सृजित करना।

(vii) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, निजी कंपनियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षकारों के बीच स्वतंत्र एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा के लिए हाइड्रोकार्बन बाजार तैयार करना।

(viii) अधिक स्वच्छ एवं ताजा ईंधनों के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना।

(ix) उपभोक्ताओं को उपयुक्त मूल्यों पर गुणात्मक एवं मिलावट रहित पेट्रोलियम उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए शुल्क एवं मूल्य निर्धारण नीति का युक्तीकरण करना।

(x) हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में अपेक्षित निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घावधिक राजकोषीय नीति।

(xi) शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करने तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में एक चरणबद्ध तरीके से विनिवेश करने के उद्देश्य से तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की पुनरसंरचना करना।

(xii) देश के लिए तेल/गैस सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु नियामक एवं वैधानिक फ्रेमवर्क।

*[हिन्दी]*

**ठहराव और रेलवे क्रासिंग की व्यवस्था**

**3340. श्री गणेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मंडल के अंतर्गत जैतवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव और मरहत मोड़, लगरगावो रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्रासिंग की व्यवस्था करने की लंबे समय से मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंधी रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी, हां। 1071/1072 लोकमान्य तिलक (टर्मिनल) वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस को जैतवार स्टेशन पर ठहराव देना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, नई लाइन बिछाते समय अथवा यातायात के चालू होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर राज्य सरकार के परामर्श से समपार की व्यवस्था की जाती है। तत्पश्चात, कोई भी सौंपा गया कार्य जैसे निक्षेप शर्तों पर तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान पर चौकीदार वाले नए समपार की व्यवस्था तभी की जाती है, जब इस प्रकार के प्रस्ताव को समपार के निर्माण की प्रारंभिक लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण एवं परिचालनिक प्रभारों की एकबारगी पूंजीगत लागत को वहन करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत सहमति के साथ

प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार, मौजूदा लाइनों पर बिना चौकीदार वाले नए समपार के निर्माण की अनुमति नहीं है।

अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**बकाया राशियों की वसूली**

3341. **श्री के. सुब्बारायण** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान आईटीडीसी के होटलों के विनिवेश से पूर्व विविध कर्जदारों से आईटीडीसी द्वारा कितनी बकाया राशि प्राप्त की जानी है;

(ख) तब से विविध कर्जदारों से आईटीडीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी बकाया राशि वसूल की गई है, और अब तक इकाईवार/होटल-वार कितनी धनराशि वसूल की जानी शेष है;

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 की बकाया राशियों और उक्त बकाया राशियों की वसूली न होने का होटर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऋण जारी करने वाले या अन्यथा रूप से जिम्मेदार किंतु ऋणों को वसूल कर पाने में विफल रहे अधिकारियों पर ऋणों की ला-वसूली के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंत तक होटलों के विनिवेश से पूर्व विविध कर्जदारों से आईटीडीसी का वसूली योग्य बकाया राशि 4684.07 लाख रुपए था। इसमें विनिवेशित होटल एकर्कों का 1676.11 लाख रुपए शामिल है जो खरीददारों को विविध कर्जदार सहित परिसम्पत्ति और देनदारी के साथ स्थानांतरित किया गया था तथा शेष 3007.96 लाख रुपए की राशि बचे हुए एकर्कों के संबंध में है।

(ख) से (ङ) आतिथ्य उद्योग में, ग्राहकों को दी जाने वाली उधार तथा उसकी वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान होटलवार और प्रभागवार दी गई उधार तथा उसकी वसूली को दर्शाता हुआ विवरण तथा 31.3.2002, 31.3.2003, 31.3.2004 और 2004-05 को बकाया राशि संलग्न विवरण में है। विवरण से देखा जा सकता है कि बकाया राशि कारोबार का लगभग 13-14 प्रतिशत रहा है जो कि उद्योग के मानक के अंदर है। वास्तव में, बकाया राशि कारोबार के सापेक्ष में 31.3.2002 के 16.51 प्रतिशत से घटकर 31.3.2005 को 14.30 प्रतिशत हो गया है। तथापि, आईटीडीसी के प्रबंधन द्वारा बकाया की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

**विवरण**

*वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आईटीडीसी के होटलों की बकाया राशियों का विवरण*

(लाख रुपयों में)

| यूनिट/प्रभाग | 31.3.02 को बकाया | अनुमत क्रेडिट | वसूल किया गया क्रेडिट 2002-03 | 31.3.03 को बकाया | अनुमत क्रेडिट | वसूल किया गया क्रेडिट 2003-04 | 31.3.04 को बकाया | अनुमत क्रेडिट | वसूल किया गया क्रेडिट 2004-05 | 31.3.05 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| होटल एवं केटरिंग यूनिटें | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अशोक होटल | 1003.95 | 5730.57 | 5716.40 | 1018.12 | 5356.01 | 5233.12 | 1141.01 | 7116.90 | 6569.86 | 1688.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सम्राट होटल | 110.58 | 1534.36 | 1500.21 | 144.73 | 1786.79 | 1756.91 | 174.61 | 2194.45 | 2092.96 | 276.10 |
| जनपथ होटल | 195.51 | 85.45 | 61.85 | 219.11 | 163.56 | 74.31 | 308.36 | 252.55 | 131.58 | 429.33 |
| एलएमपीएच, मैसूर | 45.80 | 386.18 | 367.42 | 64.56 | 519.00 | 520.83 | 62.73 | 564.95 | 592.20 | 35.48 |
| पाटलिपुत्र अशोक | 69.78 | 138.43 | 142.25 | 65.96 | 127.10 | 120.80 | 72.26 | 128.66 | 121.07 | 79.85 |
| जयपुर अशोक | 5.44 | 57.83 | 59.44 | 3.83 | 62.96 | 60.80 | 5.99 | 80.07 | 79.19 | 6.87 |
| जम्मू अशोक | 1.68 | 18.91 | 18.96 | 1.63 | 33.72 | 33.49 | 1.86 | 46.10 | 46.23 | 1.73 |
| कलिंग अशोक | 10.01 | 48.50 | 49.57 | 8.94 | 30.66 | 31.12 | 8.48 | 43.74 | 44.14 | 8.08 |
| ताज रेस्टरां | 1.19 | 2.00 | 1.68 | 1.51 | 2.20 | 1.93 | 1.78 | 2.25 | 2.34 | 1.69 |
| आईजीआईएआर | 26.47 | 167.13 | 139.68 | 53.92 | 197.84 | 206.66 | 45.10 | 213.10 | 209.05 | 49.15 |
| विज्ञान भवन | 21.78 | 303.84 | 299.51 | 26.11 | 289.90 | 296.49 | 19.52 | 356.00 | 350.83 | 24.69 |
| नेशनल मीडिया सेंटर | 9.84 | 14.06 | 12.84 | 11.06 | 14.98 | 14.07 | 11.97 | 23.13 | 21.91 | 13.19 |
| वेस्टर्न कोट | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| भरतपुर फोरेस्ट लॉज | 7.72 | 36.20 | 37.27 | 6.65 | 38.14 | 38.09 | 6.70 | 37.50 | 38.25 | 5.95 |
| कोशी रेस्तरां | 1.85 | 0.09 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.25 | 1.69 | 0.08 | 0.00 | 1.77 |
| अशोक क्रिएटिव | 72.36 | 291.06 | 289.90 | 73.52 | 1409.37 | 1113.25 | 369.64 | 1686.35 | 1484.35 | 571.64 |
| एटीटी प्रभाग | 1027.08 | 1596.67 | 1674.96 | 948.79 | 2045.94 | 2036.53 | 958.20 | 2484.66 | 2370.41 | 1072.45 |
| एआरएमएस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.30 | 423.11 | 258.19 | 573.42 | 342.74 | 488.87 |
| एआईटीडी | 124.37 | 1099.14 | 1082.10 | 141.41 | 1250.14 | 1257.88 | 133.67 | 1817.49 | 1878.30 | 72.86 |
| एटीएसएस | 57.25 | 411.28 | 407.59 | 60.94 | 448.19 | 450.35 | 58.78 | 485.17 | 483.21 | 60.74 |
| एमपीडीसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.53 | 15.90 | 25.63 | 42.90 | 59.58 | 8.95 |
| एसइएल | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.09 |
| मुख्यालय | 251.67 | 84.58 | 24.52 | 311.73 | 44.82 | 68.28 | 288.27 | 38.47 | 26.25 | 300.49 |
| कुल | 3044.46 | 12006.31 | 11886.15 | 3164.62 | 14544.15 | 13754.17 | 3954.60 | 18187.94 | 16944.47 | 5198.07 |
| कारोबार | 18444.19 | | | 23728.33 | | | 29065.05 | | | 36349.45 |
| कारोबार का प्रतिशत | 16.51 | | | 13.34 | | | 13.61 | | | 14.30 |

## राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली

3342. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय रेल सूचना प्रणाली में महत्वपूर्ण स्टेशनों और नियंत्रण कार्यालयों पर मुहैया कराए गए टर्मिनलों से रेलगाड़ी चालन संबंधी जानकारी को अद्यतन करने की व्यवस्था है। यह सूचना यात्रियों को स्टेशनों पर सूचना कार्यालयों, संकेतक बोर्डों और उद्घोषणाओं से और टेलीफोन पर इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस प्रणाली द्वारा दी जाती है।

## कर्नाटक में हवाई पट्टी का विस्तार

3343. श्री जी. करूप्पाकर रेड्डी :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हवाई पट्टियों के विस्तार और उन्हें नियमित विमान सेवाओं के लिए चालू करने हेतु केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने मैसूर हवाईअड्डे के उन्नयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर सहमति हो गई है तथा इस उद्देश्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) तथा कर्नाटक सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) उन्नयन योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इस कार्य को प्रदान किए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् ही कार्य के आरम्भ होने की आशा है।

## दुर्गापुर से हावड़ा तक नई रेलगाड़ी

3344. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर से हावड़ा तक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्गापुर को आदर्श स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। बेहतर यात्री सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मई, 2000 में दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का माडल स्टेशन के रूप में चयन किया गया था। दुर्गापुर स्टेशन पर 19 कार्य (विवरण के रूप में संलग्न) पूरे कर लिए गए हैं तथा स्टेशन का और विकास करने के लिए 6 कार्यों (विवरण के रूप में संलग्न) को स्वीकृति दी गई है।

(i) कार्य जो पूरे किए जा चुके हैं :

1. प्लेटफार्म सतह और निकासी में सुधार।
2. भुगतान करो और प्रयोग करो शौचालय मुहैया कराए गए हैं।
3. बुकिंग कार्यालयों में यूटीएस मुहैया कराया गया है।
4. साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
5. गाड़ी संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं।

6. एनटीईएस मुहैया कराया गया है।

7. कंप्यूटरीकृत उद्घोषणा प्रणाली सहित यात्री उद्घोषणा प्रणाली मुहैया कराई गई है।

8. बुकिंग तथा पूछताछ काउंटर का उन्नयन।

9. पानी की पर्याप्त टूटियों सहित पीने का पानी काफी मात्रा में उपलब्ध कराया गया है।

10. टेलीफोन बूथ उपलब्ध कराए गए हैं।

11. एबीविएएिटिड डायलिंग सिस्टम मुहैया कराया गया है।

12. आईवीआरएस मुहैया कराया गया है।

13. प्रकाश सहित परिगमन क्षेत्रों में सुधार किया गया है।

14. टच स्क्रीन एनटीईएस उपलब्ध कराया गया है।

15. 24 सवारी डिब्बों को खड़ा करने के लिए ऊंचे प्लेटफार्म बनाए गए हैं।

16. माड्यूलर खान-पान स्टाल बनाए गए हैं।

17. शिकायतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

18. मशीनों द्वारा सफाई की व्यवस्था की गई है।

19. साफ-शुद्ध पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रो क्लोरीनेशन उपलब्ध कराया गया है।

(ii) निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति दी गई है :

1. प्रकाश व्यवस्था में सुधार।

2. प्लेटफार्म नं. 1 के हावड़ा तथा कालका दोनों छोरों पर शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था, प्लेटफार्म नं. 2 तथा 3 के हावड़ा छोर पर शौचालय तथा प्लेटफार्म नं. 4 व 5 पर शौचालय की व्यवस्था की गई है।

3. प्लेटफार्म सतह में सुधार।

4. पीने के पानी के बूथों का नवीकरण।

5. रिट्रो-रिफ्लेक्टिव शीटों का प्रयोग करके स्टेशन नाम बोर्डों में सुधार।

6. एटीएम की व्यवस्था।

**मांस के अवैध खाद्य उत्पाद**

**3345. श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने बड़ी संख्या में मांस की अवैध खाद्य उत्पाद इकाइयों को अपने अधीन लाने के कोई प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित फुटकर बाजारों में निरीक्षणों की बारंबारता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) जी, हां। मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 में मांस के प्रसंस्करण के लिए लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें, निरीक्षण की प्रक्रिया और उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेबलिंग संबंधी अपेक्षाओं की अनुपालना की जा रही है और बेचे जा रहे मांस खाद्य उत्पाद स्वास्थ्यकर और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं, अप्राधिकृत मांस खाद्य उत्पादों की बिक्री का पता लगाने के लिए खुदरा व्यापारियों की दुकानों में बारम्बार जांच करके, अप्राधिकृत मांस खाद्य उत्पाद विक्रेताओं को मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 के अधीन लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। जहां कहीं मांस खाद्य उत्पाद आदेश के उपबंधों के उल्लंघन का पता चलता है, वहां उक्त आदेश के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक कानूनी कार्यवाही/मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान मांस खाद्य उत्पाद आदेश के अंतर्गत 469 निरीक्षण किए गए और 50 खुदरा व्यापारियों की दुकानों की जांच की गई।

(घ) मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि वे प्रत्येक माह कम से कम 4 बार खुदरा व्यापारियों की दुकानों/बाजार से बाजार नमूना लें तथा निरीक्षण करें। निरीक्षण अधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि

वे मुख्यालय और मुख्यालय से बाहर के स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए कम से कम पूरे 10 दिन रखें जिसमें वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खुदरा व्यापारियों की दुकानों की जांच करने पर अधिक ध्यान दें। उद्योग, वैज्ञानिकों और अन्य पणधारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उक्त आदेश की समीक्षा की जा रही है।

**इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा पाइपलाइनें बिछाया जाना**

**3346. श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने देश के दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न भागों में पाइपलाइनें बिछाना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइन बिछाने संबंधी वर्तमान स्थिति, इसकी अनुमानित लागत तथा इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में शुरू/निष्पादनाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनों के संबंध में वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत, समापन तिथि और लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में) | लाभान्वित होने वाले क्षेत्र | स्थिति | समापन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चेन्नई-त्रिची-मदुरई पाइपलाइन और सांकरी तक ब्रांचलाइन | 363.0 | तमिलनाडु | शुरू हो गई। 26.6.06 को राष्ट्र को समर्पित | पूर्ण |
| 2. | सी पी सी एल, मनाली से ए एफ एस, चेन्नई तक ए टी एफ पाइपलाइन | 48.0 | तमिलनाडु | विभिन्न कार्यों को प्रदान करने के लिए निविदा देने और क्रय आदेश प्रगति पर | नवम्बर, 2007 |

**अस्वच्छ जल की बिक्री**

**3347. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर मिनरल वाटर के नाम पर अस्वच्छ जल की बिक्री के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने मिनरल वाटर के नाम पर अस्वच्छ जल की बिक्री को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) खराब गुणवत्ता वाले मिनरल वाटर के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेल परिसर और गाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता वाले पैक किए गए पीने का पानी मुहैया कराने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा 'रेल नीर' का निर्माण किया जाएगा और देश भर में चरणबद्ध आधार पर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अभी तक दो संयंत्र, एक नांगलोई (दिल्ली) और दूसरा दानापुर (बिहार) में स्थापित किया गया है। जहां कहीं भी 'रेल नीर' उपलब्ध नहीं है, क्षेत्रीय रेलवे उपलब्ध भारतीय मानक ब्यरो द्वारा अनुमोदित पैक किए गए पीने का पानी जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया

गया है की सप्लाई खरीदने के लिए स्वतंत्र है। विभिन्न स्तरों पर नियमित जांच/निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं तथा कमियां/अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

### ओ.एन.जी.सी. द्वारा भूमिगत स्वच्छ जल का दोहन करने के लिए ड्रिलिंग

**3348. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) भूमिगत स्वच्छ जल का दोहन करने के लिए मरूस्थलों में ड्रिलिंग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के माध्यम से दोहन किए गए जल की ढुलाई जल की कमी वाले क्षेत्रों तक करने के लिए किस परिवहन माध्यम का उपयोग किया गया है; और

(घ) तेल संसाधनों के अतिरिक्त और अधिक जल का दोहन करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) कार्यक्रम के तहत "सरस्वती परियोजना" नामक एक परियोजना आरम्भ की है, जो देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों के कल्याण के लिए योगदान की एक पहल है। यह परियोजना उन गहरे जल-स्रोतों की पहचान करने पर केन्द्रित है, जिनका अन्यथा अन्य एजेंसियों जैसे राज्य भूजल विभागों और केन्द्रीय भूजल निकायों द्वारा दोहन नहीं किया गया है।

(ख) जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिलों में तीन प्रायोगिक क्षेत्रों का विद्युत प्रतिरोधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और जैसलमेर शहर के निकट एक कुंए का वेधन कार्य प्रगति पर है।

(ग) गहरे भूजल स्रोतों को अभिज्ञात करने तथा सुनिश्चित करने के पश्चात राज्य सरकार के साथ परामर्श से जल के परिवहन के माध्यमों पर विचार किया जाएगा।

(घ) "सरस्वती परियोजना" के तहत ओ एन जी सी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रवण निर्जल/अर्द्धनिर्जल क्षेत्रों में 1000 मीटर से 1200 मीटर गहराई तक के गहरे जलस्रोतों को अभिज्ञात करने के लिए संकेद्रित प्रयास कर रहा है।

ओ एन जी सी ने केन्द्रीय भूजल बोर्ड के साथ गंगा बेसिन में गहरे जलस्रोतों के अन्वेषण हेतु आंकड़ों की भागीदारी के लिए दिनांक 24.1.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

*[हिन्दी]*

### इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के वेतन को संशोधित किया जाना

**3349. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लंबी अवधि से संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त कंपनी के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** (क) और (ख) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारी दिनांक 01-01-1999 से 1992 के वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहें हैं। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा बनाये गये मानदण्डों के अनुसार ही वेतनमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन किये जाते हैं जो साथ-साथ वेतन भुगतान के संबंध में अतिरिक्त व्यय को जुटाने के लिये कंपनी की सक्षमता के मापदण्ड भी निर्धारित करते हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भाधीन हानि उठा रही कंपनी के रूप में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, वर्तमान में आंतरिक सृजित संसाधनों के माध्यम से वेतन तथा मजदूरी में किसी भी प्रकार की वृद्धि के अतिरिक्त भार को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**वातानुकूलित डिब्बों का निरीक्षण**

3350. **श्री प्रह्लाद जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों की निरीक्षण यात्रा हेतु कुछ प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डिब्बों को निरंतर बनाए रखने की प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतीक्षा में रखे गए ऐसे अतिरिक्त डिब्बों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे डिब्बों के रख-रखाव की वार्षिक अनुत्पादक लागत कितनी है;

(घ) क्या रेलवे इन डिब्बों को नई रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु उपयोग करने के इरादे से ऐसी प्रणाली को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

**छोटे विमान और हेलीकाप्टरों के प्रचालन हेतु दिशा-निर्देश**

3351. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे विमान में यात्रा करते समय देश के अनेक प्रमुख नेताओं की मृत्यु के कारण सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जा रहे छोटे विमान और हेलीकाप्टरों के प्रचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन की अपेक्षा के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले छोटे विमानों तथा हेलीकाप्टरों के प्रचालन के लिए 1981 के हवाई संरक्षा परिपत्र सं. 02 तथा दिनांक 13.09.1996 के एक परिपत्र के रूप में दिशा-निर्देश जारी किए थे।

(ग) और (घ) राज्य/केन्द्रीय मंत्रियों, एस पी जी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को लाने-ले-जाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने प्रचालकों तथा संबंधित एजेंसियों की टिप्पणियों के लिए निजी/राज्य सरकार के विमानों/हेलीकाप्टरों के इस्तेमाल हेतु एक मसौदा नागर विमानन अपेक्षा (सी ए आर) परिचालित की है। सी ए आर को अंतिम रूप दिए जाते समय नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इन प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**गेल द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना**

3352. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड वायु प्रदूषण से जुड़े रोगों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है जैसा कि दिनांक 31 मई, 2006 के "द एशियन एज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें गेल की भूमिका और कार्य क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों को किन-किन शहरों में स्थापित किया जाएगा; और

(घ) इन केन्द्रों को स्थापित करने में कितना निवेश होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) वायु प्रदूषण संबंधित बीमारियों के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।

(ग) गेल 23 शहरों में वायु प्रदूषण संबंधित रोग निदान केन्द्रों (ए पी आर डी-डी सी) की स्थापना कर रही है। प्राथमत: केवल एक ए पी आर डी - डी सी केन्द्र का अनुसंधान और आंकड़ा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) चूंकि प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है, इसलिए निवेश आवश्यकताओं का परिकलन नहीं किया जाता है।

## काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों का विस्तार

**3353. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन (एससीआर) पर प्लेटफार्मों के विस्तार से जुड़ा कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे की काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों हेतु सुविधाओं में सुधार करने की कोई योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) काचीगुडा स्टेशन के तीनों प्लेटफार्मों पर इस स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सम्हलाई की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस स्टेशन पर मॉडल स्टेशन के लिए यथानिर्धारित सभी "वांछनीय सुविधाएं" पहले ही उपलब्ध हैं। बहरहाल, प्लेटफार्म पर अनेक कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंकरीट (आरसीसी) कवर, प्लेटफार्मों के किनारों पर ग्रेनाइट क्लैडिंग करके आरसीसी कवर का सौंदर्यवर्धन, कैंटीन के लिए अन्यत्र स्थान निर्धारित करके प्रतीक्षालय का विस्तार सहित, प्रतीक्षालय में सामान्य सुधार, पे एंड यूज शौचालयों को अन्यत्र शिफ्ट करके उनका अपग्रेडेशन, स्टेशन इमारत के मोहरे का सौंदर्यवर्धन, जनाना साइडिंग के निकट अतिरिक्त पार्किंग स्थल की व्यवस्था सहित परिचलन क्षेत्र में सुधार, बाहरी दीवारों तथा इमारत की संरचना संबंधी विशेषताओं का पुनरुद्धार, ऊपरी पैदल पुल का विस्तार, प्लेटफार्म सं. 1 पर पानी सोखने वाले कंकरीट तथा प्लेटफार्म के किनारों पर डिजाइनदार टाइलें लगाकर सुधार संबंधी कार्य शामिल हैं।

## देहरादून रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाएं/रेल के पटरी से उतरने की घटनाएं

**3354. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून रेलवे स्टेशन पर बार-बार रेल दुर्घटनाएं/रेल के पटरी से उतरने की घटनाएं हो रही हैं जैसा कि दिनांक 26 जून, 2006 और 28 जून, 2006 के "दैनिक जागरण (देहरादून)" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने ऐसी दुर्घटनाओं/रेल के पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (घ) जी, हां। 27.4.2006 तथा 25.6.2006 को देहरादून यार्ड में शंटिंग इंजन के पटरी से उतरने की दो घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। लापरवाही के लिए जिम्मेदार रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

भारतीय रेल पर संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतत् आधार पर सभी संभव उपाय किए जाते हैं, जिनमें संरक्षात्मक पद्धतियों के अनुपालन के लिए मॉनीटरिंग करने तथा कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए संरक्षा अभियान चलाना तथा नियमित अंतरालों पर निरीक्षण किया जाना शामिल है।

*[अनुवाद]*

**औद्योगिक इकाइयों को रियायतें**

3355. **प्रो. एम. रामदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने औद्योगिक साइडिंग्स में सामान को चढ़ाने और उतारने के प्रबंध हेतु यांत्रिक उपकरणों को संस्थापित करने के लिए निवेश पर औद्योगिक इकाइयों को दी जा सकने वाली रियायत की सीमा पर विचार करने के लिए सीट्राम नाम की प्रोफेशनल एजेंसी नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एजेंसी ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अध्ययन के निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां। टर्मिनल प्रोत्साहन एवं इंजन भार योजना (टीआईईएलएस) की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए मैसर्स परिवहन अनुसंधान एवं प्रबंधन केन्द्र (सीटीआरएएम) को नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, नहीं। एजेंसी अभी भी उनका अध्ययन कर रही है। अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**जैव-ईंधन का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग**

3356. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव-ईंधन का वाणिज्यिक स्तर उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे और अन्य उद्योगों द्वारा बायो-डीजल के उपयोग का कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) सरकार द्वारा बायो-डीजल के उत्पादन हेतु अब तक कितने पायलट प्लांट स्थापित किए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (च) बायो डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन, जिसकी स्थापना बड़े पैमाने पर जटरोफा की खेती पर ध्यान देने के उद्देश्य से की गई है, के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। बायो डीजल पर राष्ट्रीय मिशन संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रदर्शन परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत बायो डीजल के उत्पादन के लिए 4 लाख हेक्टेयर अक्रमित वन और गैर-वन्य भूमि में जटरोफा की खेती करना शामिल है। योजना आयोग ने 5 वर्षों की अवधि के लिए 1286 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रदर्शन चरण के लिए डीपीआर को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया है। योजना आयोग ने वर्ष 2005-06 के बजट में उपलब्ध 50 करोड़ रुपए की राशि के प्रयोग को अनुमोदित कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पौधशालाओं में जटरोफा बीजों की खेती के लिए विनिर्दिष्ट नौ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु तथा राजस्थान के लिए 49 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

देश में बायो डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर 2005 में, 1.1.2006 से प्रभावी, एक बायो डीजल खरीद नीति की घोषणा की थी। इस नीति में देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 20 खरीद केंद्रों की पहचान की गई है जहां ये कंपनियां उन बायो डीजल विनिर्माताओं से बायो डीजल की खरीद करेंगी जो तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के बाद उनके साथ पंजीकृत हों और विशिष्ट सुपुर्दगी मूल्य पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों से मेल खाने वाला बायो डीजल उपलब्ध करा सकें।

बायो-डीजल के प्रयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन रेलवे रोडवेज तथा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) जैसे टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा आदि द्वारा किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने बताया है कि हरियाणा रोडवेज की बसों पर उनके परीक्षण के दौरान धुएं में 10-15% कमी पाई गई है।

*[हिन्दी]*

**परियोजना क्षेत्र हेतु रसोई गैस सुविधा**

**3357. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी के घरेलू उपयोग में काम आने वाली रसोई गैस के वितरण क्षेत्र को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल माइन्स वर्कर्स क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी पाटनसावंगी, तहसील-सनानेर, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा मांग पर आम आदमी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजना क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की समस्याओं और गैस सिलिण्डर ढोने के साथ जुड़े सुरक्षा जोखिम के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र के सभी लोगों को रसोई गैस सिलिण्डर मुहैय्या कराने हेतु एक नई नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) अपने अधिकृत एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से घरेलू एल पी जी का वितरण करती है। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों का व्यापार क्षेत्र उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में परिभाषित होता है, जो कंपनी द्वारा उनके साथ हस्ताक्षरित किया जाता है। यह क्षेत्र उस बाजार की श्रेणी पर निर्भर करता है जहां कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर प्रचालन कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) मैसर्स कोल माइन्स वर्कर्स क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, पाटनसावंगी, तहसील-सनानेर, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) की परियोजना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जो वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों की एल पी जी मांग पूरी करती है। जहां तक इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को क्षेत्र के गैर परियोजना व्यक्तियों को एल पी जी आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध का संबंध है, यह संभव नहीं है क्योंकि एक परियोजना डिस्ट्रीब्यूटरशिप होने के कारण इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन क्षेत्र स्पष्ट रूप से केवल परियोजना की चिन्हित कालोनियों/क्षेत्रों तक ही सीमित है। ओ एम सीज की एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पहले से ही परियोजना के आस पास क्षेत्रों में प्रचालन कर रही हैं, जो क्षेत्र के आम लोगों की मांग को पूरा कर रही हैं।

*[अनुवाद]*

**पूंजीगत वस्तु उद्योग में निवेश**

**3358. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत वस्तु उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूंजीगत वस्तु उद्योग अपनी मशीन संबंधी आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत आयात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह)** : (क) और (ख) पूंजीगत वस्तु उद्योग को सभी विनिर्माण इकाइयों के मुख्य उद्योग के रूप में माना गया है तथा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो देश में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का लगभग 80% भाग है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 9% की अनुमानित वृद्धि को कायम रखने के लिए पूंजीगत वस्तु उद्योग को प्रतिवर्ष 16-18% वृद्धि की आवश्यकता होगी जिसके लिए निवेश आवश्यक है।

(ग) यह सत्य है कि देश में पूंजीगत मालों का पर्याप्त रूप से आयात होता है।

(घ) पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में सीआईआई द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन में दर्शाया गया है कि सितम्बर, 2004 से अगस्त, 2005 के बीच पूंजीगत वस्तुओं के लिए उत्पादन और आयात के प्रचलन ने दर्शाया है कि इस अवधि के दौरान आयातों में 40% से 55% तक की विभिन्नताएं आयी हैं।

(ङ) भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग औद्योगिक मशीनरी, प्रोसेस इक्विपमेंट, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मशीन टूल्स आदि क्षेत्रों में सुस्थापित है तथा यह विनिर्माण क्षेत्र की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

विनिर्माण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने तथा इसे कायम रखने के लिए नीतिगत संवाद का क्रमागत मंच मुहैया कराने तथा उसके द्वारा पूंजीगत वस्तु उद्योग क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की स्थापना की है जिसने विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है।

**पिछड़े वर्गों की जनसंख्या**

3359. श्री किन्नेरपु वेरेननायडु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आवश्यक आंकड़ों के अभाव में सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अपनी विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न कल्याणकारी योजनओं के लिए लक्ष्य का निर्धारण बजट आबंटन के अनुसार किया जाता है।

**सी.एन.जी. आधारित टैक्सी-परिवहन**

3360. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने मुम्बई में सी.एन.जी. आधारित टैक्सी-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यू के की ब्रिटिश गैस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुंबई तथा अन्य महानगरों में सी एन जी आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। गेल ने मुंबई में नगर गैस वितरण के लिए ब्रिटिश गैस के साथ मिलकर मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड (एम जी एल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है। कंपनी को दिनांक 8 मई, 1995 को निगमित किया गया था। वर्तमान में गेल और ब्रिटिश गैस, प्रत्येक 49.75% इक्विटी के धारक हैं और महाराष्ट्र सरकार इस कंपनी की 0.5% इक्विटी की धारक है।

(ग) एम जी एल की मुंबई के समीपस्थ क्षेत्रों, जिसमें मीरा, भायंदर, ठाणे, नवी मुंबई, बेलापुर, तलौजा, कल्याण डोम्बिविली, अम्बर नाथ, बदलापुर, रेहा और तारापुर शामिल हैं में अपने प्रचालन क्षेत्रों के विस्तार की योजनाएं हैं।

दिल्ली में सी एन जी सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। जहां तक अन्य महानगरों का संबंध है, सी एन जी की उपलब्धता गैस की उपलब्धता, पाइपलाइन संरचना के विकास तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

*[हिन्दी]*

**मैला ढोने वालों में साक्षरता**

3361. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैला ढोने/सफाई के कार्यों में लगे व्यक्तियों की साक्षरता कई राज्यों में उनकी साक्षरता के संबंध में कभी भी कोई अध्ययन न कराए जाने के कारण दुष्प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अध्ययन न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) सफाई कार्यों में लगे लोगों की साक्षरता के संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है। सफाई कार्यों में लगे अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जातियों के होते हैं और जनगणना आकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 1991 के 37.41% से बढ़कर 2001 में 54.69% हो गई है।

(ग) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सफाई करने, चमड़ा शोधन करने, चमड़ा उतारने आदि कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को दसवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत सफाई कार्यों में लगे लोगों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि अधिकांश सफाई कर्मी अनुसूचित जातियों के होते हैं।

*[अनुवाद]*

## मदुरै और डिंडीगुल रेलवे लाइन के बीच आमान परिवर्तन

3362. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास मदुरै और डिंडीगुल के बीच मौजूदा मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत कितनी है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है।

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मदुरै-डिंडीगुल (अम्बादुतुरै-कोडाइकनाल रोड) खंड का दोहरीकरण मौजूदा मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पहले ही बजट में शामिल किया गया है तथा कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत 97.81 करोड़ रुपए है।

पुलों का कार्य पहले ही शुरू हो गया है। दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने का कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

## पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात मूल्य

3363. **डा. चिन्ता मोहन :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की वजह से वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों में भी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात एवं आयात में वृद्धि होने की वजह से कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं निर्यात मूल्यों में लगातार अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात एवं आयात मूल्यों में कितना अंतर रहा है; और

(ङ) वर्ष 2006-2007 के दौरान उक्त मूल्यों के बीच कितना अन्तर होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

*2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 की अवधि के लिए कच्चे तेल के आयात व निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात तथा वर्ष 2006-07 में अप्रैल-जून के दौरान उक्त मूल्यों के बीच अंतर की अनुमानित सीमा*

| पेट्रोलियम उत्पाद | | 2003-04 | | | 2004-05 | | | 2005-06 (ई) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रुपए | दर रुपए/ मी.ट. | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रुपए | दर रुपए/ मी.ट. | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रुपए | दर रुपए/ मी.ट. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| कच्चा तेल | सार्वजनिक क्षेत्र | 60,294 | 56,790 | 9,419 | 64,508 | 81,864 | 12,691 | 69,013 | 123,530 | 17,899 |
| | संयुक्त क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | निजी क्षेत्र | 30,140 | 26,738 | 8,871 | 31,353 | 35,139 | 11,208 | 30,395 | 48,172 | 15,848 |
| कुल कच्चा तेल आयात | | 90,434 | 83,528 | 9,236 | 95,861 | 117,003 | 12,206 | 99,409 | 171,702 | 17,272 |
| उत्पाद आयात | | | | | | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| | एलपीजी | 1,492 | 2,246 | 15,054 | 2,068 | 3,942 | 19,057 | 2,449.5 | 5,923 | 24,181 |
| | पेट्रोल | | | | 233 | 501 | 21,491 | 485 | 1,283 | 26,445 |
| | विमानन पेट्रोल | 2 | 9 | 45,000 | 3 | 14 | 44,905 | 2.0 | 10.7 | 54,160 |
| | मिट्टी तेल | | | | 210 | 429 | 20,403 | 876.1 | 2203.4 | 25,150 |
| | डीजल | | | | 703 | 1,422 | 20,220 | 700 | 1,654 | 23,615 |
| | नाफ्था | 93 | 147 | 15,806 | 252 | 470 | 18,681 | 298 | 699 | 23,488 |
| | ईंधन तेल | 295 | 252 | 8,542 | 314 | 304 | 9,678 | 277 | 360 | 12,974 |
| | स्नेहक | 1 | 4 | 40,000 | | | | | | |
| | एमटीबीई | | | | 22 | 43 | 19,471 | 40 | 130 | 32,121 |
| | अन्य | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक क्षेत्र | 1,883 | 2,658 | | 3,806 | 7,126 | 18,720 | 5,128 | 12,262 | 23,911 |
| निजी क्षेत्र | | | | | | | | | |
| एलपीजी | 216 | 312 | 14,444 | 265 | 472 | 17,770 | 269.1 | 656 | 24,376 |
| प्रोपेन | 450 | 592 | 13,156 | 588 | 987 | 16,785 | 357 | 787 | 22,066 |
| नाफ्था | 2,278 | 2,737 | 12,015 | 1,962 | 3,559 | 18,141 | 2,175 | 5,036 | 23,152 |
| विमानन पेट्रोल | | | | | | | 0 | 0 | 49.916 |
| मिट्टी तेल | 804 | 890 | 11,070 | | | | 4 | | 25,584 |
| डीजल | 100 | 116 | 11,600 | 111 | 181 | 16,356 | 32.5 | 70 | 21,506 |
| ईंधन तेल | 658 | 558 | 8,480 | 426 | 388 | 9,097 | 511 | 739 | 14,462 |
| स्नेहक | 611 | 978 | 16,007 | 557 | 963 | 17,305 | 1,220 | 3,148 | 25,803 |
| अन्य | | | | | | | 161 | 203 | 12,593 |
| सीबीएफई | 148 | 128 | 8,649 | 191 | 158 | 8,246 | 29 | 48 | 16,572 |
| आरपीओ | 11 | 9 | 8,182 | 11 | 10 | 8,831 | | | |
| एलएसडब्ल्यूआर | 775 | 740 | 9,548 | 845 | 1,012 | 11,982 | 601 | 954 | 15,887 |
| बिटुमन | 6 | 5 | 8,333 | 21 | 17 | 7,915 | 15 | 19 | 13,120 |
| कोयला | | | | 44 | 15 | 3,432 | 912 | 1,289 | 14,133 |
| मोम | | | | | | | 170 | 228 | 13,432 |
| पी. मोम | 61 | 0.19 | 31 | 0.2 | 0.3 | 13,810 | 92.4 | 124.3 | 13,447 |
| निजी क्षेत्र | 6,118 | 7,065 | 11,548 | 5,021 | 7,762 | 15,458 | 6,549 | 13,313 | 20,329 |
| कुल उत्पाद आयात | 8,001 | 9,723 | 12,152 | 8,828 | 14,887 | 16,864 | 11,677 | 25,575 | 21,902 |
| कुल आयात | 98,435 | 93,251 | 9,473 | 10,4689 | 131,891 | 12,598 | 111,086 | 197,278 | 17,759 |
| निर्यात | | | | | | | | | |
| पेट्रोल | 2,979 | 4,021 | 13,498 | 2,897 | 5,625 | 19,419 | 2,273 | 5,579 | 24,542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाफ्था | 2,176 | 2,653 | 12,192 | 2,926 | 5,030 | 17,193 | 4,996 | 10,674 | 21,367 |
| मिट्टी तेल | | | | 207 | 460 | 22,212 | 121 | 371 | 30,616 |
| एटीएफ | 1,660 | 1,950 | 11,747 | 2,480 | 4,448 | 17,931 | 2,781 | 6,983 | 25,108 |
| डीजल | 6,181 | 6,763 | 10,942 | 7,286 | 11,782 | 16,172 | 8,464 | 18,798 | 22,210 |
| ईंधन तेल | 1,310 | 928 | 7,084 | 1,792 | 1,517 | 8,467 | 1,801 | 2,246 | 12,468 |
| एलडीओ | | | | 0.03 | 0.05 | 16,667 | 0.2 | 0.5 | 21,834 |
| स्नेहक | 17 | 36 | 21,176 | 5 | 23 | 48,122 | 5 | 20 | 40,568 |
| कोयला | | | | | | | 42 | 58 | 13,848 |
| टीएएमई | 83 | 117 | 14,096 | | | | 10 | 25 | 24,250 |
| वीजीओ | | | | 98 | 114 | 11,721 | 696 | 1,185 | 17,039 |
| रिफोर्मेट | 210 | 309 | 14,714 | 321 | 551 | 17,179 | 233 | 590 | 25,300 |
| बिटुमन | 4 | 4 | 10,000 | 47 | 31 | 6,631 | 31 | 23 | 7,378 |
| श्वेत तेल/जैली | 0.04 | 0.37 | 92,500 | 9 | 40 | 44,778 | 1 | 5 | 32,661 |
| एलपीजी | | | | 145 | 306 | 21,152 | 53 | 164 | 31,177 |
| अन्य | | | | 0.2 | 0.7 | 36,000 | | | |
| कुल निर्यात | 14,620 | 16,781 | 11,478 | 18,211 | 29,928 | 16,434 | 21,507 | 46,720 | 21,723 |

| पेट्रोलियम उत्पाद | अप्रैल-जून 2006-07 (अनंतिम) | | |
|---|---|---|---|
| | मात्रा टीएमटी | मूल्य करोड़ रुपए | दर रुपए/मी.ट. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आयात | | | |
| कच्चा तेल | | | |
| पीएसयू | 19120.5 | 41925.0 | 21927 |
| निजी | 7684.8 | 14805.1 | 19265 |
| कुल कच्चा तेल | 26805.4 | 56730.1 | 21164 |
| उत्पाद | | | |
| वीएसयू | | | |
| एलपीजी | 207.2 | 467.6 | 22572 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पेट्रोल | 139.2 | 486.6 | 34956 |
| नाफ्था | 134.9 | 384.2 | 28473 |
| विमानन पेट्रोल | 0.8 | 6.1 | 75814 |
| मिट्टी तेल | 299.6 | 963.5 | 32160 |
| डीजल | 261.4 | 823.3 | 31501 |
| ईंधन तेल | 98.1 | 155.6 | 15864 |
| उप योग | 1141.1 | 3286.8 | 28804 |
| **निवी/प्रत्यक्ष** | | | |
| प्रोपेन | 145.6 | 301.9 | 20734 |
| एलपीजी | 82.5 | 195.1 | 23649 |
| नाफ्था | 1069.0 | 3063.1 | 28654 |
| एलओबीएस | 160.3 | 637.3 | 39771 |
| ईंधन तेल/एलएसएचएस | 133.9 | 226.8 | 16937 |
| एलएसडब्ल्यूआर (आरआईएल) | 424.8 | 878.3 | 20675 |
| उप योग | 2016.1 | 5302.5 | 26301 |
| कुल उत्पाद | 3157.2 | 8589.4 | 27206 |
| कुल आयात | 29962.6 | 65319.5 | 21800 |
| **निर्यात** | | | |
| एलपीजी | 35.1 | 84.0 | 23946 |
| एमएस | 820.5 | 2595.9 | 31640 |
| नाफ्था | 1404.4 | 3814.1 | 27158 |
| एचएसडी | 1901.2 | 5437.7 | 28602 |
| ईंधन तेल/सीबीएफएस | 878.7 | 1312.5 | 14937 |
| एटीएफ | 806.2 | 2456.8 | 30475 |
| मिट्टी तेल | 23.4 | 85.6 | 36557 |
| रिफार्मेट | 26.2 | 89.8 | 34266 |
| बिटुमन | 0.1 | 0.2 | 12810 |
| कुल निर्यात | 5895.8 | 15876.7 | 26929 |

## सिम्यूलेटरों की खरीद

3364. **श्री तूफानी सरोज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार बेहतर उड़ान प्रशिक्षण के लिए सिम्यूलेटरों की खरीद पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) सरकार उड़ान प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों की सतत् समीक्षा करती है तथा तदनुसार विभिन्न विमानों के लिए सिम्यूलेटरों को शामिल करने का निर्णय लेती है। वायुसेना के लिए अपेक्षित सिम्यूलेटरों की अधिप्राप्ति, स्थापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

*[अनुवाद]*

## पीएमएस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करना

3365. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री हरिभाऊ राठौड :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1997-98 से 2002-03 के दौरान 17183.35 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर करने और जारी करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) केन्द्र सरकार के पास कितनी धनराशि शेष है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान उनके द्वारा वहन किए गए 12068.24 लाख रुपये और वर्ष 2001-02 के लिए 26.96 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) 4,39,13,645 रुपये की राशि 30 मार्च, 2002 को जारी की गई थी।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान 200.00 करोड़ रुपये की निधि जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पहले जारी निधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दिए जाने, वर्ष 2002-03 से लेखापरीक्षित लेखों और लाभार्थियों की संख्या के बारे में न बताये जाने के कारण कोई निधि जारी नहीं की जा सकी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त योजना के अंतर्गत यह निधि वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी करती है।

## नौसेना में भर्ती घोटाला

3366. **श्री अधीर चौधरी :**
**श्री उदय सिंह :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नौसेना में किसी भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही भर्ती घोटाला थलसेना में भी हुआ था;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सैन्य बलों में इस प्रकार भर्ती को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) नई दिल्ली में जुलाई, 2006 में नौसेना में नौसैनिकों की भर्ती के दौरान छद्मरूप धारण संबंधी एक मामले का पता चला था। छदम रूप धारक को जांच करने के लिए तुरंत सिविल पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) सेना की भर्ती में दलालों और छदम रूप धारण करने जैसी गतिविधियों के एकाध मामले का पहले पता चला था। ऐसी सभी शिकायतों की तत्काल जांच की गई थी और गैर कानूनी गतिविधियों की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए सिविल पुलिस/सी बी आई को दी गई थी।

(च) किसी कपटपूर्ण भर्ती की जांच करने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान सतत चौकसी बरती जाती है।

## अनुसूचित जातियों हेतु योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

3367. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की कोचिंग एवं संबंधित योजनाओं के अंतर्गत धनराशियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशियों के आबंटन एवं उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है जिन्होंने इन धनराशियों का उपयोग नहीं किया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने धनराशि के समुचित उपयोग के लिए क्या उपाय किये हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ङ) किसी विशेष वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, पात्र क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मंत्रालय, राज्य सचिवों की बैठकों के माध्यम से और राज्य सरकारों को समय-समय पर पत्र भेजकर निधि के समुचित उपयोग के लिए उनसे आग्रह करता है।

**विवरण**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003-04 | | | | 2004-05 | | | | 2005-06 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विश्व-विद्यालय | गैर-सरकारी संगठन | कुल | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विश्व-विद्यालय | गैर-सरकारी संगठन | कुल | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विश्व-विद्यालय | गैर-सरकारी संगठन | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 34.05 | 5.13 | 38.44 | 77.62 | 25.99 | 33.37 | 17.01 | 76.37 | 16.09 | 20.13 | 27.8 | 64.02 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 4.92 | 4.92 | 0 | 12.25 | 1.3 | 13.55 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 8.02 | 8.02 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 20 | 15.56 | 0 | 0 | 15.56 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 14.33 | 0 | 5.59 | 19.92 | 0 | 4.5 | 4.94 | 9.44 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38 |
| 13. | केरल | 20.54 | 0 | 0 | 20.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 25.63 | 10.85 | 15.36 | 51.84 | 82.89 | 35.62 | 7.31 | 125.82 | 0 | 7.14 | 11.43 | 18.57 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 3.4 | 25.99 | 29.39 | 0 | 12.59 | 23.3 | 35.89 | 0 | 11.8 | 6.81 | 18.61 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 21.87 | 21.87 | 0 | 0 | 14.48 | 14.48 | 0 | 0 | 15.83 | 15.83 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 23.78 | 0 | 23.78 | 5.91 | 22.12 | 0 | 28.03 | 3.62 | 2.22 | 0 | 5.84 |
| 22. | राजस्थान | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 27.72 | 27.72 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0 | 8.44 | 4.94 | 13.38 | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 39.76 | 23.76 | 63.52 | 0 | 46.4 | 12.16 | 58.56 | 0 | 12.36 | 15.93 | 28.29 |
| 27. | उत्तरांचल | 5.45 | 3.82 | 0 | 9.27 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 4.73 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 |
| 31. | दादरा व नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दिल्ली | 0 | 7.14 | 6.39 | 13.53 | 5.25 | 5.7 | 11.61 | 22.56 | 10.00 | 0 | 15.97 | 25.97 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23.36 | 0 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 100.00 | 98.62 | 180.08 | 378.70 | 140.04 | 232.16 | 123.45 | 495.645 | 45.27 | 59.05 | 150.12 | 254.44 |

**अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति**

**3368. श्री के.एस. राव** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) अल्पसंख्यक संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रिक संबद्धता देने हेतु प्रक्रिया को सुचारू बनाने और सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक छात्रों को अंक प्रतिशत में छूट देने का है जिससे कि वे तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति अभी तक दो रिपोर्टें दे चुकी है, जिसमें कई सिफारिशें हैं। सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है। इनमें से अधिकांश का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है। फिलहाल अल्पसंख्यक संस्थानों के अन्तर्राज्यीय सम्बद्धीकरण प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस समय अल्पसंख्यक छात्रों के अंकों की प्रतिशतता में छूट दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

**देहरादून-तिरूवनंतपुरम/कोचीन के बीच रेल सेवा**

**3369. श्री एस. अजय कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देहरादून और तिरूवनंतपुरम/कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दून मलयाली समाज से इस बारे में कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच की गई, परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

*[हिन्दी]*

**देहरादून रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा**

**3370. डा. राजेश मिश्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर समुचित कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण सुविधा न होने की वजह से आम व्यक्तियों एवं पर्यटकों को खासतौर से विशेषकर ग्रीष्मकाल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे देहरादून रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) देहरादून रेलवे स्टेशन पर छः काउंटर (दो पालियों में) सहित एक पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है, वर्तमान कार्यभार को संभालने के लिए इसे पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**जोधपुर विमानपत्तन का विकास**

3371. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर विमानपत्तन के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जोधपुर हवाईअड्डा भारतीय वायुसेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यहां सिविल एन्कलेव का रखरखाव करता है जिसमें यात्री टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सीवे, कार पार्क आदि शामिल हैं। एयरबस श्रेणी के विमानों के प्रचालन को सुगम बनाने के लिए, भारमीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 13.15 करोड़ रुपए की लागत से, एबी320 श्रेणी के 3 विमानों के सम्भालने के लिए सिविल एप्रन का विस्तार व सुदृढ़ीकरण और मौजूदा लिंक टैक्सी-वे को चौड़ा करना और इसका सुदृढ़ीकरण तथा नए लिंक टैक्सी-वे का निर्माण जैसे विकास कार्य हाथ में लिए हैं।

(ग) जुलाई 2006 तक हुई वास्तविक प्रगति 36% है।

(घ) दिसम्बर, 2006।

**उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रेल लाइन बिछाना**

3372. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सीकर-नोखा, सरदार शहर-हनुमानगढ़, चुरू-नोहर, भिवानी-पिल्लनी-चुरू के बीच नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस पर रेलवे ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सर्वेक्षणों का विवरण और उनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सिकार-नोखा | सुजानगढ़ और बिदसर (189 किमी.) से होकर सिकार-नोखा के बीच नई बड़ी आमान लाइन का सर्वेक्षण नवंबर, 2001 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार, 189 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत (-) 23.30% लाभ दर के साथ 431 करोड़ रु. आंकी गई थी। संसाधनों की तंगी और लाइन की अलाभप्रद प्रकृति के कारण कार्य को शुरू करना व्यवहारिक नहीं समझा गया। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | सरदारशहर-हनुमानगढ़ | सरदारशहर (198 किमी) से होकर हनुमानगढ़ से होकर रतनगढ़ के बीच नई बड़ी आमान लाइन का सर्वेक्षण फरवरी, 2000 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 198 किमी. लंबी लाइन की निर्माण की लागत (-) 25.88% लाभ दर के साथ 287 करोड़ रु. आंकी गई थी। संसाधनों की तंगी और लाइन की अलाभप्रद प्रकृति के कारण कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया। |
| 3. | भिवानी-पिलानी-चुरू | भिवानी-लोहारू (65 किमी.) जो भिवानी-पिलानी-चुरू खंड का एक हिस्सा है, के बीच नई बड़ी आमान लाइन का सर्वेक्षण कार्य बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आगे परियोजना पर विचार किया जायेगा। |
| 4. | चुरू-नोहार | चुरू-नोहार नई लाइन का सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। |

*[अनुवाद]*

**रेल की पटरियों का नवीकरण**

**3373. श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं और नौवीं पचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रेल की पटरियों का नवीकरण किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पटरियों के नवीकरण के लिए रेलवे ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) निर्धारित अवधि के भीतर शेष कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए रेलपथ नवीकरण कार्य की लंबाई तथा उस पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

| योजना | किया गया रेलपथ नवीकरण (रेलपथ कि.मी. में) | किया गया व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| आठवीं योजना | 14205 | 7217.35 |
| नौवीं योजना | 15793 | 10357.86 |

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23000 किमी. रेलपथ का नवीकरण करने की योजना है। दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान किया गया नवीकरण का कार्य निम्नानुसार है:-

| वर्ष | किया गया रेलपथ नवीकरण (रेलपथ कि.मी. में) |
|---|---|
| 2002-03 | 4776 |
| 2003-04 | 4986 |
| 2004-05 | 5566 |
| 2005-06 | 4725 |
| जोड़ | 20053 |

(ङ) चालू वर्ष के लिए बनाई गई योजना निम्नानुसार है:-

| वर्ष | लक्ष्य |
|---|---|
| 2006-07 | 4000 नियोजित |

*[हिन्दी]*

## रेल नेटवर्क

3374. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान रेल नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और उस नेटवर्क में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की राज्यवार तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अभी तक राजस्थान में नई रेल लाइन बिछाने, आमान परिवर्तन और रेलवे स्टेशनों की स्थितियों में सुधार के लिए मदवार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा राजस्थान में किए जा रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वार्षिकी 2004-05 में 2004-05 के अंत तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रेलवे लाइन के मार्ग कि.मी. का राज्यवार विवरण दिया गया है।

(ख) दसवीं पचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान नई लाइनों के लिए लगभग 161 करोड़ रु. की रकम और आमान परिवर्तन के लिए 635 करोड़ रु. की रकम खर्च की गई है। स्टेशनों की स्थिति में सुधार के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ये कार्य मुख्यत: योजनाशीर्ष "यात्री सुविधाएं" के तहत किए जाते हैं। इस योजनाशीर्ष के तहत आबंटन और किए गए व्यय का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता। उत्तर मध्य, उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और पश्चिम रेलवे राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं। योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान योजनाशीर्ष यात्री सुविधाएं के तहत इन रेलों पर किया गया व्यय लगभग 238 करोड़ रु. है।

(ग) वर्तमान में 11 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन और 2 दोहरीकरण सहित कुल 17 सर्वेक्षण प्रगति पर हैं।

## पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन

3375. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री बंसगोपाल चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उत्पादन में कितना अंतर है;

(ख) क्या पिछले वर्षों में देश में पेट्रोल, डीजल, नाफ्था, फर्नेस तेल की मांग में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 के दौरान उक्त उत्पादों की मांग की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर इसकी मांग से कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश में इसकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन मांग से अधिक है। इस प्रकार, एल पी जी, जिसका आयात किया जाता है, को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। तथापि, देश में संसाधित 75% से अधिक क्रूड का आयात किया जाता है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए पेट्रोल, डीजल नाफ्था तथा भट्ठी तेल की मांग में वृद्धि/कमी का प्रतिशत निम्नवत् है-

आंकड़े (टी एम टी) में

| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| पेट्रोल प्रतिशित वृद्धि | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| डीजल प्रतिशत वृद्धि | 1.2 | 6.9 | 1.3 |
| नाफ्था प्रतिशत वृद्धि | (-)0.8 | 17.9 | (-)12.4 |
| भट्ठी तेल प्रतिशत वृद्धि | 1.6 | 4.6 | (-)6.0 |

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत निम्नवत् है-

आंकड़े (टी एम टी) में

| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| उत्पादन प्रतिशत वृद्धि | 0.9 | 2.3 | (-)5.7 |

(ङ) से (छ) भारत शोधन क्षेत्र में आत्म निर्भर है और उसने पेट्रोलियम उत्पादों की देशी मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित विपणन बुनयादी ढांचा भी विकसित किया है। शोधन क्षमता देशी मांग से अधिक है तथा अधिशो मात्रा का निर्यात किया जा रहा है। कच्चे तेल का देशी ठत्पादन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ मेल नहीं रखता। तथापि, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं-

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति द्वारा अन्वोण कार्यों को तेज करना।
2. उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर)/वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) तकनीकों के माध्यम से घरेलू उत्पादन में वृद्धि।
3. उत्पादन जल्दी शुरू करने के लिए खोजों/भण्डारों का तेजी से विकास।
4. मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का प्रयोग।
5. इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वोण रकबों तथा उत्पादक परिसंपत्तियों का अर्जन।
6. पुराने तेल क्षेत्रों से ह्रास कम करना।
7. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

## विमानपत्तनों पर विकलांग यात्रियों हेतु सुविधाएं

3376. श्री रशीद मसूद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग यात्री विमानपत्तनों पर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विकलांग यात्रियों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कोई नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इकाओ की सिफारिशों के अनुसार विकलांग यात्रियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हवाईअड्डों पर उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षा जांच आहातें, प्रसाधन, एलीवेटर्स, एक अलग रैम्प तथा एअरसाइड में एक लोडिंग डाक, चिकित्सा जांच कक्ष में मुफ्त व्हील चेयर की उपलब्धता, टर्मिनल और कर्ब साइड में रैंप कार्मिक-सहित पीसीओ बूथों की व्यवस्था, कार पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग स्लाट तथा चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, कोयम्बतूर, कालीकट, जयपुर, अमृतसर, नागपुर, गोवा, पटना, भुवनेश्वर, अगरतला तथा डिब्रूगढ़ हवाईअड्डों पर प्रभार आधारित एम्बुलिफ्टों की व्यवस्था सम्मिलित हैं।

**मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन परियोजना**

3377. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर-रतलाम, रतलाम-खंडवा, इंदौर-उज्जैन और इंदौर-खंडवा के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन रेल लाइनों के आमान परिवर्तन परिवर्तन के कार्य को आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री, तथा वन एवं परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। फतेहाबाद चन्द्रवतीगंज-उज्जैन ब्रांच लाइन सहित इंदौर एवं खंडवा के रास्ते रतलाम-अकोला का आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा चुका है।

(ग) कार्य स्वीकृत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**बालिकाओं के लिए सैनिक विद्यालय**

3378. **श्री फ्रांसिस फैन्चम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य बलों के सभी अंगों में बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दृष्टि से बालिकाओं हेतु सैनिक विद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में मालगाड़ी चालकों की सेवाएं**

3379. **श्री रामदास आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियां मालगाड़ी चालकों द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी वजह से दुर्घटनाओं एवं पटरियों से उतरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न रेलवे कर्मचारियों के संघों ने इस पहलु को रेलवे के ध्यान में लाया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां सामान्यत: मालगाड़ी ड्राइवरों द्वारा नहीं चलायी जाती है, केवल आपवादिक मामलों में ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। आकस्मिकताओं के दौरान ही उपयुक्त माल ड्राइवर की तैनाती की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रिक्तियां भरने, आर्थिक क्षतिपूर्ति जैसे मामले कर्मचारियों की यूनियन द्वारा कुछ रेलों के नोटिस में लाया गया है और उनपर मौजूदा नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई है। बहरहाल, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में माल ड्राइवर लगाए जाने के कारण गाड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि के पहलु संबंधी मामला उठाए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

*[अनुवाद]*

## असम में पेट्रोल पम्पों का आधुनिकीकरण

**3380. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) असम के कौन कौन से शहरों और नगरों में सी एन जी के प्रयोग को आरम्भ और शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण और पेट्रोलपम्पों के आधुनिकीकरण जैसे व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपाय किये गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में गुवाहाटी और कुछ अन्य शहरों के लिए किसी विशिष्ट कार्य योजना पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) असम के कितने पेट्रोल पम्प पहले ही आधुनिक बनाए जा चुके हैं और अनुवर्ती वर्ष में कंपनी-वार कितने आधुनिक बनाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) असम के सभी पेट्रोल पम्पों के आधुनिकीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) भारत में बहुत से शहरों में सी एन जी जैसी वैकल्पिक ईंधन विकल्पों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है। अनुपलब्धता के कारण असम में सी एन जी शुरू नहीं की गई है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) की चार खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) में आटो एल पी जी शुरू करने की योजना है। सरकार की आटो ईंधन नीति के अनुसार यूरो-II का भारत चरण-II अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्ता और विनिर्देशनों वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति असम में 1.4.2005 से की जा रही है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने असम राज्य में सिलचर शहर में नगर गैस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु घरेलू, वाणिज्यिक और आटोमोबाइल क्षेत्रों में मांग मूल्यांकन कार्य किया है।

(घ) और (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। असम राज्य में वर्ष 2004-05 और 2005-2006 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा आधुनिकीकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों और वर्ष 2006-07 में आधुनिकीकरण की योजनाओं का कंपनीवार ब्यौरा निम्नानुसार है-

| | वर्ष के दौरान आधुनिकीकृत आर ओज की संख्या | | वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के लिए नियोजित आर ओज की संख्या |
|---|---|---|---|
| | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| आई ओ सी | 0 | 1 | 3 |
| एच पी सी | 8 | 8 | 13 |
| आई बी पी | 2 | 4 | 7 |

## अंगमली-साबरीमाला रेलवे लाइन हेतु भूमि का अर्जन

**3381. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या रेलवे ने मुवाटुपुझा से होकर अंगमली से साबरीमाला तक रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त परियोजना हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या रेलवे ने उन भूमिधारकों को कोई मुआवजा अदा किया है जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। अंगमाली-साबरीमाला (अजुथा) नई लाइन का कार्य वर्ष 1997-98 के बजट में शामिल किया गया था जो रिर्जव वन क्षेत्र से पहले अजुथा में समाप्त होगी।

(ग) और (घ) जी हां। एर्णाकुलम, इदुक्की तथा कोट्टयम जिले में आने वाली 470 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण संबंधी आवश्यक मांग को केरल सरकार के पास भेजा गया है।

(ङ) और (च) मुआवजे के भुगतान के लिए रेलवे द्वारा केरल सरकार के पास 3.55 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। बहरहाल, अब तक रेलवे को भूमि नहीं सौंपी गई है।

## सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

3382. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां स्थित हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी क्या उपलब्धियां रहीं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## शहरी गैस वितरण नेटवर्क नीति

3383. श्री सुरेश कलमाडी :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी गैस वितरण नेटवर्क नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुनिंदा कंपनियां वितरण हेतु अनन्य अधिकारों के लिए जोर दे रही है जबकि योजना आयोग अनन्य अधिकारों को प्रदान करने का विरोध कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान यथास्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार पी एन जी आर बी अधिनियम के अंतर्गत एकल संचालक हेतु एक शहर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण को आरक्षित रखेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एकाधिकारिक मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (छ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड अन्य बातों के साथ, किसी नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस नेट वर्क को बनाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने की अनन्यता अवधि के बारे में उपभोक्ताओं के हितों की पूरी रक्षा करते हुए उतने वर्षों के लिए निर्णय कर सकता है जो वह अपने द्वारा पारदर्शी ढंग से निर्मित विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप आदेश द्वारा नियत करे।

नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए संगठनों को अनन्यता प्रदान करने के मुद्दे सहित नीति के मसौदे पर बैठकों में, जिनमें योजना आयोग का प्रतिनिधि भी उपस्थित था, उद्योग के साथ चर्चा की गई। अभी इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

## सी सी आर टी में प्रशिक्षण कार्यक्रम

3384. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी सी आर टी) के माध्यम से सेवारत शिक्षकों के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सी सी आर टी द्वारा कितने सेवारत शिक्षक प्रशिक्षित किये गए;

(ग) क्या सी सी आर टी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भागीदारियों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवाकालीन अध्यापकों के लिए सी सी आर टी द्वारा 215 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए सेवाकालीन अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है :-

| वर्ष | प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या |
|---|---|
| 2003-04 | 4300 |
| 2004-05 | 4635 |
| 2005-06 | 5642 |

(ग) और (घ) सी सी आर टी की परिषद की सोसायटी ने पाठ्यक्रम विषय-वस्तु की समीक्षा करने तथा साथ ही सेवाकालीन स्कूल अध्यापकों की भागीदारी की संख्या बढ़ाने की बाबत सुझाव देने के लिए एक समीक्षा गठित की है।

## प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना

3385. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दिल्ली मेट्रो रेल के प्लेटफार्मों की तरह प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रेल में 8000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों को स्टेशन पर यात्री यातायात से आय के आधार पर सात कोटियों अर्थात् 'ए-1', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', तथा 'एफ' में बांटा गया है। प्लेटफार्मों का स्तर स्टेशन की कोटि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम आवश्यक सुविधा के मानदंडों के अनुसार 'ए1', 'ए' तथा 'सी' कोटि के स्टेशन पर उच्च स्तर के प्लेटफार्म की व्यवस्था, 'बी' तथा 'डी' कोटि के स्टेशन पर मीडिया स्तर का प्लेटफार्म तथा 'ई' तथा 'एफ' कोटि के स्टेशन पर पटरी की सतह के प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, मीडियम/पटरी की सतह के प्लेटफार्म की ऊंचाई को बढ़ाना यातायात वृद्धि तथा संभाली जाने वाली गाड़ियों की किस्म आदि के आधार पर किया जाता है।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों की स्थापना

3386. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी हाई स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की यूनिटों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

## सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास

3387. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** :
**श्री ब्रजेश पाठक** :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सफाई कर्मचारियों के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) "भंगी आंदोलन" के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के साथ अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या झारखण्ड में खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव का कोई मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का गठन देश में सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1997 के दौरान किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम व्यवहार्य स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए सफाई कर्मचारियों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपये की है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 17 में किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान ऐसे आन्दोलन के लिए किसी राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन ने सहायता नहीं मांगी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत में विश्व धरोहर स्थल**

3388. **श्री राकेश सिंह :**
**श्री चाडिग्ग रामकृष्णा :**
**श्री एस.के. खारवेनथन :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विश्व धरोहर स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए कुछ सांस्कृतिक स्थलों के नाम भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) विश्व विरासत सूची में भारत से शामिल किए गए सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) विश्व विरासत सूची में लाल किला, दिल्ली को शामिल करने के लिए लाल किला दिल्ली के नामांकन डोजियर विश्व विरासत केन्द्र को प्रस्तुत किए गए हैं। यूनेस्को की सलाहकार निकाय के एक विशेषज्ञ द्वारा नामांकन का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस रिपोर्ट को निर्णय के लिए विश्व विरासत समिति के समक्ष रखा जाएगा।

**विवरण**

*विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए भारत के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल*

**सांस्कृतिक स्थल**

| क्रम सं. | स्मारक/स्थल का नाम | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002) | बिहार |
| 2. | हुमायू का मकबरा (1993) | दिल्ली |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | कुतुब मीनार परिसर (1993) | दिल्ली |
| 4. | चर्च तथा कान्वेंट्स, गोवा (1986) | गोवा |
| 5. | चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004) | गुजरात |
| 6. | स्मारक समूह, हम्पी (1986) | कर्नाटक |
| 7. | मंदिर समूह, पट्टडकल (1987) | कर्नाटक |
| 8. | स्मारक समूह, खजुराहो (1986) | मध्य प्रदेश |
| 9. | बौद्ध स्मारक, सांची (1989) | मध्य प्रदेश |
| 10. | प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003) | मध्य प्रदेश |
| 11. | अजन्ता गुफाएं (1983) | महाराष्ट्र |
| 12. | एलोरा गुफाएं (1983) | महाराष्ट्र |
| 13. | एलिफेंटा गुफाएं (1987) | महाराष्ट्र |
| 14. | छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), मुम्बई (2004) | महाराष्ट्र |
| 15. | सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984) | उड़ीसा |
| 16. | स्मारक समूह, महाबलीपुरम् (1984) | तमिलनाडु |
| 17. | तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम् तथा दारासुरम स्थित ग्रेट लिविंग चोल मंदिर (1987 तथा 2004) | तमिलनाडु |
| 18. | आगरा किला (1983) | उत्तर प्रदेश |
| 19. | ताजमहल (1983) | उत्तर प्रदेश |
| 20. | फतेहपुर सीकरी (1986) | उत्तर प्रदेश |
| 21. | माउंटेन रेलवे आफ इंडिया (1999 तथा 2005) | पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु |
| **प्राकृतिक स्थल** | | |
| 1. | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985) | असम |
| 2. | मानस वन्य जीव अभयारण्य (1985) | असम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | केयोलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985) | राजस्थान |
| 4. | सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987) | पश्चिम बंगाल |
| 5. | नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005) | उत्तरांचल |

*[अनुवाद]*

**आटो ईंधन नीति का क्रियान्वयन**

3389. **श्री वी. विनोद कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक "राष्ट्रीय आटो ईंधन नीति" बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अक्तूबर, 2003 में अनुमोदित आटो ईंधन नीति में बताए दिशानिर्देशों के अनुरूप देश भर में ईंधन की गुणवत्ता निम्नानुसार उन्नत की गई है-

| ईंधन गुणवत्ता | राज्य/शहर | लागू करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| यूरो-III पेट्रोल और डीजल | 13 शहर (दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ) | 1.4.2005 |
| बीएस-II पेट्रोल | पूरे देश में | 1.4.2005 |
| बीएस-II डीजल | राजस्थान, पश्चिमी उ. प्र., उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य | 1.4.2005 |
| | राजस्थान | 1.6.2005 |
| | पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल | 1.7.2005 |
| | मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और चंडीगढ़ | 1.9.2005 |
| | पंजाब और जम्मू व कश्मीर | 1.10.2005 |

*[हिन्दी]*

**भोपाल से नई रेलगाड़ियां**

3390. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
**श्री कृष्ण मुरारी मोघे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल से गुवाहाटी, भोपाल से भुवनेश्वर तथा भोपाल से राज्य के अन्य प्रमुख शहरों तक नई रेलगाड़ियां चलाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) भोपाल से गुवाहाटी, भुवनेश्वर इत्यादि के लिए गाड़ी प्रारंभ करने के

मामले की जांच की गई परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यवहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, 2006-07 के बजट में जैसाकि घोषणा की गई थी, भोपाल को निम्नलिखित सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

**नई गाड़ियां :**

1. 2611/2612, निजामुद्दीन-चेन्नै गरीब रथ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

2. 9053/9054, बलसाड-उधना-कानपुर उद्योग कर्मी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

3. 2103/2104, पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

4. 9323/9324, इंदौर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (1.7.2006 से शुरू)

**विस्तार**

1. 2181/2182, जबलपुर-कोटा एक्सप्रेस जयपुर तक (1.7.2006 से विस्तारित)

2. 1271/1272 इटारसी-बीना विंध्याचल एक्सप्रेस, भोपाल तक (1.7.2006 से विस्तारित)

3. 8473/8474 पुरी-जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक), जोधपुर तक (5.7.2006 से विस्तारित)

4. 2967/2968, जयपुर-चेन्नै एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन), कोयम्बटुर तक (25.7.2006 से विस्तारित)

**फेरे :**

1. 2715/2716, अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्सप्रेस को 5 दिन से 7 दिन तक (2.8.2006 से बढ़ाया गया)।

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों हेतु योजनाओं की समीक्षा**

**3391. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री सुनिल कुमार महतो :**
**श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अब भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की गई योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के बावजूद गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) इन योजनाओं की समीक्षा के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कम होकर ग्रामीण क्षेत्रों में 48.11% से 36.25% और शहरी क्षेत्रों में 49.48% से 38.47% हो गया है। चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में कोई जनगणना नहीं हुई है इसलिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (छ) इस मंत्रालय की योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। वर्ष 1993-94 से 1999-2000 की अवधि के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत

में कमी अपने आप में इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव की द्योतक है।

**रेल यात्री सेवा एजेंटों तथा रेल पर्यटक एजेंटों की नियुक्ति**

3392. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**
**श्री एस.के. सारवेनवन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा रेल यात्री सेवा एजेंटों (आरटीएसए) तथा रेल पर्यटक एजेंटों (आरटीए) की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या आरटीएसए तथा आरटीए की नियुक्ति एक निर्धारित अवधि के लिए की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने आरटीएसए तथा आरटीए की नियुक्ति की गई;

(ङ) क्या रेलवे को अनधिकृत निजी एजेंसियों के रेलवे टिकटिंग के अवैध व्यापार में लिप्त होने की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो रेलवे द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं (आर टी एस ए) और पर्यटक अभिकर्ताओं (आर टी ए) की नियुक्ति रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम, 1985 तथा रेल पर्यटक एजेंट नियम 1980 के प्रावधानों तथा उनमें आशोधनों एवं रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) आर टी एस ए तथा आर टी ए की नियुक्ति क्रमश: 3 एवं 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अवधि की समाप्ति पर इन एजेंटों के लाइसेंसों का नियमानुसार नवीकरण किया जाता है।

(घ) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान नियुक्त आर टी एस ए तथा आर टी ए का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| वित्तीय वर्ष | आर टी एस ए | आर टी ए |
|---|---|---|
| 2003-2004 | 24 | कुछ नहीं |
| 2004-2005 | 56 | 02 |
| 2005-2006 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

(ङ) ऐसे कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(च) इस प्रकार की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वाणिज्यिक तथा सतर्कता विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से आरक्षण कार्यालयों के भीतर तथा उनके आस-पास जांच की जाती है।

**विकलांगों हेतु धनराशि**

3393. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के रोजगार की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए मैसूर, गुलबर्ग और हुबली में धनराशि जारी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ने केन्द्र सरकार से मंगलौर में जिला रोजगार कार्यालय में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 01.04.2005 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया है और इसलिए इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कोई निधि स्वीकृत नहीं की जाती है।

*[हिन्दी]*

**बिहार में गंगा नदी पर रेल पुल**

**3394. श्री विजय कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा नदी पर क्रमशः पटना तथा मुंगेर में एक वृहत परियोजना के अंतर्गत रेल पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों रेलवे पुलों के निर्माण की गति बहुत धीमी है तथा निर्माण कार्य के निर्धारित अवधि में पूरा होने की संभावना बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इन पुलों के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) पटना और मुंगेर में रेल-सह-सड़क पुल निर्माणाधीन है।

(ख) से (घ)इन दोनों रेल-सह-सड़क पुलों पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, संपर्क मार्गों पर पुल इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप शुरू हो गए हैं। पुल खास का उपसंरचना संबंधी कार्य भी शुरू हो गया है। बहरहाल, विभिन्न कारणों से मूल समय अनुसूची की तुलना में प्रगति धीमी है। मुंगेर पुल पर 31.3.2006 तक 131.10 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और 2006-07 के दौरान इस कार्य के लिए 120 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। पटना के निकट पुल पर 31.3.06 तक 235.29 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और 2006-07 के दौरान इस कार्य के लिए 120 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। ये पुल संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार चार वर्षों की अवधि में पूरा हो सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**पुरी-कोणार्क समुद्र तट का विकास**

**3395. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी-कोणार्क समुद्र तट को विकसित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उन पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनका पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, गंतव्यों के उत्पाद/अवसंरचना विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता की योजनाओं के अंतर्गत, उनके साथ विचार-विमर्श से अभिनिर्धारण किया जाता है। सभी प्रकार से पूर्ण, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रस्तावों की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इन्हें अनुमोदित किया जाता है तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर धनराशि जारी की जाती है।

वर्ष 2003-04 के दौरान, एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पुरी के विकास हेतु 394.55 लाख रुपए की कुल राशि मंजूर की गई है। वर्ष 2005-06 में भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास हेतु एक अन्य परियोजना के लिए 720.09 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

दसवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति और निधियों की उपयोगिता की अवस्थिति को मानिटर करता है।

**विवरण**

*दसवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं दर्शाता हुआ विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **वर्ष 2002-03** | |
| 1. | रघुराजपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना | 50.00 |
| 2. | कार्यालय और इसके समूहों का कम्प्यूटरीकरण | 7.50 |
| | कुल | 57.50 |
| | **वर्ष 2003-04** | |
| 1. | एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पुरी का विकास | 394.55 |
| 2. | कोणार्क उत्सव | 5.00 |
| 3. | लोक नृत्य उत्सव | 5.00 |
| 4. | राजरानी संगीत उत्सव | 5.00 |
| 5. | बौद्ध महोत्सव | 10.00 |
| | कुल | 419.55 |
| | **वर्ष 2004-05** | |
| 1. | धौली (जिला खुर्दा) में पीस पार्क और एम्पीथियेटर का विकास | 488.51 |
| 2. | उड़ीसा में बौद्ध परिपथ का एकीकृत विकास-पर्यटक परिपथ के अंतर्गत ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी तथा लंगुडी में सुविधाओं का विकास | 740.67 |
| 3. | पुरी में श्रीक्षेत्र वसंत उत्सव | 15.00 |
| 4. | खेरावाला उत्सव, 2004-05 | 5.00 |
| 5. | जिला पुरी के ग्राम पिपली में जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना (साफ्टवेयर) | 20.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | जिला पुरी के ग्राम रघुराजपुर में जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना (साफ्टवेयर) | 20.00 |
| 7. | जिला पुरी के ग्राम पिपली का विकास (साफ्टवेयर) | 50.00 |
| | कुल | 1339.18 |
| | **वर्ष 2005-06** | |
| 1. | गोपालपुर-आन-सी (जिला गंजम) का विकास | 331.43 |
| 2. | जिला पुरी में साखी गोपाल का विकास | 294.04 |
| 3. | जिला गंजम में तप्तापानी का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास | 500.00 |
| 4. | पर्यटक गंतव्य के रूप में जिला पुरी में चिल्का झील तथा गंजम का विकास | 389.05 |
| 5. | भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास | 720.09 |
| 6. | जिला मयूरभंज के ग्राम खिचिंग में ग्रामीण पर्यटन का विकास | 50.00 |
| 7. | पुरी में श्रीक्षेत्र उत्सव | 15.00 |
| 8. | पुरी बीच उत्सव, 2005 | 4.00 |
| 9. | कोणार्क उत्सव, 2005 | 3.00 |
| 10. | राजरानी उत्सव, 2005, भुवनेश्वर | 3.00 |
| | कुल | 2309.61 |

**भुवनेश्वर में धरोहर जोन**

**3396. श्री अनन्त नायक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक धरोहर जोन स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, नही। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 में विरासत क्षेत्र स्थापित करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**दिव्य दृष्टि परियोजना**

**3397. श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**
**श्री मो. ताहिर :**

**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु के लड़ाकू विमानों की निगरानी हेतु दिव्य दृष्टि परियोजना के निर्धारित समय के अनुसार पूरा होने की संभावना नहीं है जैसा कि दिनांक 06 अगस्त, 2006 को 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना हेतु उपकरण खरीदने हेतु ठेके जिन निजी कंपनियों को दिए गए थे उन्होंने उपकरणों की आपूर्ति में कुछ अनियमितताएं बरतीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए गए हैं तथा इसमें अधिक समय लग जाने के कारण उक्त परियोजना की लागत में वृद्धि हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (च) "दिव्य दृष्टि" रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा सिग्नल आसूचना निदेशालय की एक संयुक्त परियोजना है। भारतीय इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड उप-प्रणालियों की अधिप्राप्ति करने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख उत्पादन एजेंसी थी। भारतीय इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड ने कुछ उप-प्रणालियों की अधिप्राप्ति के लिए एक प्राइवेट फर्म को एक संविदा दी थी परन्तु उक्त उप-प्रणालियों की अधिप्राप्ति नहीं की जा सकी क्योंकि फर्म के साथ लेनदेन समाप्त हो गया है। फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया था। परियोजनाओं की तकनीकी जरूरतों तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**तेल शोधन कारखानों की स्थापना**

3398. **श्री दुष्यंत सिंह :**
**श्री जुएल ओराम :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कुछ नए तेल शोधन कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नए तेल शोधन कारखानों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन तेल शोधन कारखानों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की तेल शोधन कारखाना वार अनुमानित लागत कितनी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) निम्नलिखित नई रिफाइनरियों की स्थापना कर रही हैं-

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | रिफाइनरी की अवस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | आई ओ सी एल | पारादीप, उड़ीसा |
| 2. | एच पी सी एल | बठिंडा, पंजाब |
| 3. | बी पी सी एल | बीना, मध्य प्रदेश |

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) अपनी सहायक कंपनी मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल) के माध्यम से काकीनाडा के निकट आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में एक निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी, बाड़मेर राजस्थान में एक कूप शीर्ष रिफाइनरी तथा मंगलोर, कर्नाटक में एक निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है।

(ख) से (घ) पारादीप, बठिंडा और बीना परियोजनाओं की प्रगति, पूरा होने के लक्ष्य तथा अनुमानित लागत से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| परियोजना का नाम | स्थापित क्षमता (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) | परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में) | पूरा होने का लक्ष्य | की गई प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| पारादीप रिफाइनरी, आई ओ सी एल | 15.00 | 25,000 | अप्रैल, 2011 | – रेलवे लाईन के ऊपर बने पुल तथा सांत्रा क्रीक सहित रिफाइनरी स्थल को राष्ट्रीय राजमार्ग 5-ए से 7 किलोमीटर (लगभग) तक संपर्क सड़क पूरी तैयार हो गई है और पहले से ही प्रचालन में हैं।<br>– परियोजना के लिए 3,300 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहीत की गई है।<br>– सांत्रा क्रीक के दक्षिण की ओर की चहारदीवारी का कार्य प्रगति पर है।<br>– पारादीप पत्तन में 6 किलो मीटर (लगभग) तटीय सड़क/मार्ग तथा जेट्टी का विनिर्माण कार्य पारादीप पत्तन को सौंप दिए गए हैं।<br>– हरित पट्टी के विकास का कार्य उड़ीसा वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड को सौंप दिया गया है। |
| बठिंडा रिफाइनरी एच पी सी एल | 9.00 | 9,806 | 2010-11 | – आधाभूत संरचना गतिविधियां, जिनमें स्थल का वर्गीकरण, आंतरिक और बाह्य सड़कें, नाले व पुलिया, कच्चे पानी की नहरें, क्षेत्र में रोशनी आदि शामिल हैं, पूरी हो गई हैं। |
| बीना रिफाइनरी, बी पी सी एल | 6.00 | 6,354 | दिसम्बर, 2009 | - परियोजना के लिए भूमि प्राप्त हो गई है।<br>- सभी सरकारी मंजूरियां मिल गई हैं।<br>- परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति हो गई है। |

**किसानों को मुआवजा**

3399. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने विमानपत्तन के निर्माण के लिए कानपुर में भूमि का अर्जन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई है, भारतीय वायु सेना ने उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय वायु सेना के पास मुआवजे के कितने मामले लंबित हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(छ) लंबित मुआवजे के मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वायु सेना स्टेशन, चकेरी, कानपुर के लिए अर्जित भूमि के मुख्य हिस्से के लिए पूरे मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त भूमि के अर्जन के लिए भी मुआवजे का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। तथापि, सरकार ने उपर्युक्त अतिरिक्त भूमि के अर्जन में शामिल सात व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) यह मामला इलाहबाद उच्च न्यायालय में लंबित है और न्यायाधीन है।

### महाराष्ट्र को रेलवे की भूमि का हस्तांतरण

3400. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि के चयन की प्रतीक्षा किए बिना राज्य की लातूर-हारनगुअल के बीच अप्रयुक्त छोटे आमान वाली रेल भूमि के तत्काल हस्तांतरण के लिए रेलवे से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक हस्तांतरित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा नीति के अनुसार प्रश्नगत भूमि के बदले महाराष्ट्र सरकार से समान मौद्रिक मूल्य के बदले उपयुक्त भूमि के अंतरण के लिए मध्य रेलवे को 01.02.2006 को आदेश जारी किए जा चुके है।

(ग) इसमें लगभग 3 महीने लगने की संभावना है जो कि राज्य सरकार और रेल प्रशासन द्वारा रेलवे भूमि को संयुक्त रूप से नापना, राज्य सरकार द्वारा रेलवे भूमि का मूल्यांकन पूरा किया जाना और राज्य सरकार के पास समान मूल्य की भूमि रेलवे को तुरंत अंतरण के लिए उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार वचनबद्धता जारी किया जाना कि महाराष्ट्र सरकार मध्य रेलवे को समान मौद्रिक मूल्य की भूमि सौंपेगी जिसकी महाराष्ट्र सरकार और रेलवे द्वारा सामूहिक रूप से पहचान की जाएगी।

### असम और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क

3401. श्री अनवर हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.पी. शुक्ला आयोग ने असम तथा बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी भारत-बंग्लादेश सीमा पर धुबरी से रेल संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेल संपर्क के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अंशत: सही एस.पी. शुक्ला आयोग ने भारतीय तथा बंग्लादेश रेलवे के बीच विशेषकर करीमगंज तथा अगरतला क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

### कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से महिलाओं की भर्ती

3402. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी भर्ती करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष नियम बनाए जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) जी, नहीं। सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसरों का चयन, सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता है।

*[हिन्दी]*

**चौकीदार वाले समपारों से चौकीदार हटाना**

**3403. श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौकीदार वाले कुछ समपारों पर से चौकीदारों को हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब के खारेटा आनंदपुर साहिब के रेल समपार को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है तथा लोगों को एक किलोमीटर की दूरी वाले इस स्थान पर जाने के लिए 13 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा उक्त रेल समपार को जनता के लिए खोलने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे में 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान चौकीदार वाले 27 समपारों को बिना चौकीदार वाले समपार के रूप में परिवर्तित किया है। इसके अलावा, 9 मामलों में राज्य सरकारों से चौकीदार वाले समपारों को बिना चौकीदार वाले समपार के रूप में परिवर्तित करने के लिए, अपनी सहमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। इन मामलों में राज्य सरकारों की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। उक्त कैनल क्रासिंग (समपार को आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। खरेता आनंदपुर साहिब, पंजाब स्थित समपार कैनल क्रासिंग है और इसकी व्यवस्था, नहर के एक छोर पर निर्मित भरतगढ़-खरोता सड़क के नजदीक नांगल-हिडेल नहर का निरीक्षण करने के लिए की गई है। इस नहर समपार का उपयोग एवं नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड इस कैनल क्रासिंग को प्राय: बंद रखती है और अपनी आवश्यकतानुसार ही इसे खोलती है।

(ङ) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित कैनल क्रासिंग का उपयोग नहर की देखभाल करने और नेमी अनुरक्षण के लिए पहुंच मार्ग के रूप में किया जाता है। रेलवे इस समपार फाटक को निक्षेप शर्तों पर चौकीदार वाले समपार बना सकती है बशर्ते कि पंजाब राज्य सरकार इस समपार को आम जनता के उपयोग हेतु खोलने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से कहे और इस प्रस्ताव के लिए भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड सहमत हो और समपार पर चौकीदार तैनात करने की संपूर्ण पूंजीगत लागत को जमा कराने का प्रस्ताव करें।

*[अनुवाद]*

**जनजातिय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता**

**3404. डा. एम. जगन्नाथ** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा बढ़ावा देने का कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में राज्य-वार ऐसे कितने संगठन कार्यरत हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय जनजातीय/लोक कला संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन, की एक विशिष्ट स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत, जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों, जनजातीय तथा गैर-जनजातीय दोनों

को प्रति परियोजना अधिकतम 2.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) 2005-06 के दौरान "जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण संबंधी स्कीम" के तहत विभिन्न एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

| वित्त वर्ष | जारी की गई राशि |
|---|---|
| 2005-06 | रुपये 1,85,00,000/- |

(राज्यवार विवरण संलग्न है)

(ग) ऐसी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

**विवरण**

*जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन संबंधी स्कीम के तहत राज्यवार मंजूर की गई राशि के ब्यौरे*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2005-06 में जारी की गई राशि (रु. में) | 2004-05 में जारी की गई राशि (रु. में) | 2003-04 में जारी की गई राशि (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 12,77,000/- | 6,75,000/- | 5,59,500/- |
| 2. | असम | 4,65,000/- | 10,50,000/- | 2,37,000/- |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 50,000/- | 2,00,000/- | — |
| 4. | बिहार | 8,90,000/- | 5,02,000/- | 2,30,000/- |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 30,000/- | — | — |
| 6. | चंडीगढ़ | 1,00,000/- | 2,30,000/- | 75,000/- |
| 7. | दिल्ली | 6,77,000/- | 6,45,000/- | 4,19,000/- |
| 8. | गुजरात | 1,55,000/- | 3,50,000/- | 1,80,000/- |
| 9. | हरियाणा | 6,25,000/- | — | — |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 7,95,000/- | 7,30,000/- | 2,75,000/- |
| 11. | झारखंड | 60,000/- | 50,000/- | — |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 1,50,000/- | 1,50,000/- | — |
| 13. | कर्नाटक | 30,09,000/- | 19,85,000/- | 9,31,000/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 50,000/- | 3,35,000/- | 50,000/- |
| 15. | मणिपुर | 13,30,000/- | 9,40,000/- | 5,71,000/- |
| 16. | मध्य प्रदेश | 6,35,000/- | 4,45,000/- | 75,000/- |
| 17. | महाराष्ट्र | 5,70,000/- | 3,80,000/- | 86,000/- |
| 18. | मिजोरम | 30,000/- | — | — |
| 19. | नागालैंड | 4,85,000/- | 1,20,000/- | 1,00,000/- |
| 20. | उड़ीसा | 26,87,000/- | 9,10,000/- | 3,57,000/- |
| 21. | पंजाब | 25,000/- | — | — |
| 22. | पांडिचेरी | 60,000/- | — | — |
| 23. | राजस्थान | 7,80,000/- | 7,50,000/- | 3,75,000/- |
| 24. | सिक्किम | 1,30,000/- | — | — |
| 25. | तमिलनाडु | 1,90,000/- | 3,15,000/- | 75,000/- |
| 26. | त्रिपुरा | 60,000/- | 1,50,000/- | 32,500/- |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 13,40,000/- | 4,45,000/- | 7,15,228/- |
| 28. | उत्तरांचल | 5,70,000/- | 4,00,000/- | — |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 12,75,000/- | 7,70,000/- | 6,31,000/- |
| 30. | गोवा | — | 75,000/- | — |
| | कुल | 1,85,00,000/- | 1,26,02,000/- | 59,74,228/- |

**विदेशों में पर्यटन कार्यालय**

3405. **श्री छितेन बर्मन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान विदेशों में विभिन्न पर्यटन कार्यालयों के अनुरक्षण पर देश-वार कितना खर्च आया;

(ख) क्या सरकार ने उभरते हुए बाजारों के दोहन के लिए विदेशों के इन कुछ कार्यालयों के स्थानांतरण का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क)

वर्ष 2005-06 के दौरान विदेशों में पर्यटन कार्यालयों के अनुरक्षण पर आए खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

| क्र. सं. | विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालय (भा.प.का.) के देश-वार नाम | खर्च (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | भारत पर्यटन कार्यालय एमस्टर्डम, नीदरलैण्ड | 88.36 |
| 2. | भारत पर्यटन कार्यालय दुबई, यू.ए.ई. | 99.87 |
| 3. | भारत पर्यटन कार्यालय फ्रेंकफर्ट, जर्मनी | 232.11 |
| 4. | भारत पर्यटन कार्यालय जोहन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका | 57.50 |
| 5. | भारत पर्यटन कार्यालय न्यूयार्क, यू.एस.ए. | 221.79 |
| 6. | भारत पर्यटन कार्यालय लास एंजेलिस, यू.एस.ए. | 69.01 |
| 7. | भारत पर्यटन कार्यालय लंदन, यू.के. | 251.05 |
| 8. | भारत पर्यटन कार्यालय मिलान, इटली | 82.75 |
| 9. | भारत पर्यटन कार्यालय पेरिस, फ्रांस | 138.85 |
| 10. | भारत पर्यटन कार्यालय सिडनी, आस्ट्रेलिया | 172.87 |
| 11. | भारत पर्यटन कार्यालय सिंगापुर, सिंगापुर | 83.90 |
| 12. | भारत पर्यटन कार्यालय टोरंटो, कनाडा | 98.71 |
| 13. | भारत पर्यटन कार्यालय टोक्यो, जापान | 219.95 |
| | कुल | 1816.72 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय**

3406. **श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के साथ वायुदूत के विलय पर अब तक क्षतिपूर्ति की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या वायुदूत को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर अधिस्थगन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्षतिपूर्ति के समय पर भुगतान तथा सभी बकाया राशि के निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) वायुदूत लिमिटेड की ओर 138.31 करोड़ रुपए की कुल बकाया में से, देनदारों को 135.20 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

(ख) से (घ)इस समय 30 सितम्बर, 2006 तक देयताओं के भुगतान में एक प्रकार का ऋणस्थगन है। शेष राशि का भुगतान करने के लिए उन्हीं लेनदारों से ब्यौरों की प्रतीक्षा है तथा यह आशा की जाती है कि 30 सितम्बर, 2006 तक सभी बकाया क्लीयर कर दी जाएंगी।

**स्वास्थ्य एवं शिक्षा ऋण योजनाएं**

3407. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके वार्डों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा ऋण योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू)** : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**चेन्नई-हावड़ा ट्रंक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण**

3408. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई-हावड़ा ट्रंक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) चेन्नै-हावड़ा ट्रंक रेल मार्ग का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## पश्चिम मध्य रेलवे के रेलवे अस्पतालों में सुविधाएं

**3409. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत प्रत्येक रेलवे अस्पताल की क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जोन के अंतर्गत प्रत्येक अस्पताल के आधुनिकीकरण/उन्नयन पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क)

| क्र.सं. | अस्पताल का नाम | क्षमता (बिस्तरों की संख्या) |
|---|---|---|
| 1. | सेंट्रल अस्पताल, जबलपुर | 125 |
| 2. | मंडल अस्पताल, कोटा | 104 |
| 3. | मंडल अस्पताल, भोपाल | 60 |
| 4. | उप-मंडल अस्पताल, गंगापुर सिटी | 50 |
| 5. | उप-मंडल अस्पताल, बीना | 37 |
| 6. | उप-मंडल अस्पताल, इटारसी | 25 |
| 7. | उप-मंडल अस्पताल, न्यू कटनी जं. | 25 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम-मध्य रेलवे के प्रत्येक अस्पताल के आधुनिकीकरण/ग्रेडोन्नयन पर किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है :-

| अस्पताल का नाम | पश्चिम-मध्य रेलवे के अस्पतालों के आधुनिकीकरण/ ग्रेडोन्नयन पर किया गया व्यय | | |
|---|---|---|---|
| अस्पताल वर्ष | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| सेंट्रल अस्पताल, जबलपुर | 48.46 | 42.15 | 184.18 |
| मंडल अस्पताल, कोटा | 1.82 | 15.38 | 18.26 |
| मंडल अस्पताल, भोपाल | 17.93 | 9.47 | 11.78 |
| उप-मंडल अस्पताल, गंगापुर सिटी | 0.18 | 0 | 0 |
| उप-मंडल अस्पताल, बीना | 0 | 0 | 0 |
| उप-मंडल अस्पताल, इटारसी | 0 | 0 | 0 |
| उप-मंडल अस्पताल, न्यू कटनी जं. | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 68.39 | 67.00 | 214.22 |

*[अनुवाद]*

## एन सी सी आंदोलन

**3410. श्री प्रह्लाद जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) आंदोलन अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार क्रमशः क्षीण होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो एन सी सी आंदोलन के मूल गौरव एवं लोकप्रियता को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) आन्दोलन, जुलाई 1948 की

1.675 लाख कैडेटों की स्वीकृत नफरी से बढ़कर वर्तमान में 13 लाख कैडेट की स्वीकृत नफरी तक पहुंच गया है।

### एएआई कर्मचारियों द्वारा विरोध

3411. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों का निजीकरण करते समय सरकार ने कर्मचारी संघ के नेताओं से परामर्श किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों ने निजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में गठित त्रिपक्षीय समिति की बैठक आयोजित किए बिना इन विमानपत्तनों के निजीकरण का मनमाना निर्णय लिए जाने के खिलाफ अब हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एएआई कर्मचारियों की आशंकाओं का हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना के संबंध में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले व्यापक सलाह-मशविरा किया गया था। विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने दिनांक 17.08.06 व 18.08.06 को सम्मिलित अवकाश के लिए सूचना दी थी, जिसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन द्वारा की गई अपील के परिणामस्वरूप वापस ले लिया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की किसी भी आशंकाओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा गया है।

*[हिन्दी]*

### आपरेशन मरहम

3412. श्री मिलिन्द देवरा : कया रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आपरेशन मरहम (आपरेशन बाम) आरंभ किया था जिसके अंतर्गत इसने भूकंप प्रभावित इण्डोनेशिया में राहत आपूर्तियों से भरे हुए नौसैनिक जहाजों एवं आई ए एफ विमानों को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इंडोनेशिया के प्रभावित लोगों को खाद्य, दवाओं आदि के रूप में कितनी राहत सामग्री प्रदान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इंडोनेशिया में 27 मई, 2006 को भूकंप आने के बाद भारत सरकार ने इंडोनेशिया सरकार को 2 मिलियन अमरीकी डालर की राहत सहायता की घोषणा की थी। आपरेशन राहत के अंतर्गत इंडोनेशिया को 40 टन राहत सामग्री के साथ-साथ टैंट, जलारोधी कवर, प्लास्टिक जेरिकन तथा दवाइयां दो आई एल-76 विमानों द्वारा भेजी गई थी तथा सशस्त्र सेना ने भारतीय नौसेना के दो पोतों द्वारा 142 टन दवाइयां, चावल, आयल हाइड्रो, दुग्ध पाउडर, कंबल, स्वास्थ्यकर रसायन तथा ऐक्वा टैबलेट्स भिजवाई थी। पीड़ितों को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।

### सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म

3413. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल में आ रहे प्लेटफार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त स्टेशन पर निकट भविष्य में कोई नया प्लेटफार्म बनाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या की समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफार्म परिचालन में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिकंदराबाद/हैदराबाद और काचेगुडा कोचिंग टर्मिनल पर मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि के लिए महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा एक व्यावहारिकता अध्ययन स्वीकृत किया गया है।

*[अनुवाद]*

## ए टी एफ की कीमतें

**3414. श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत कुछ वर्षों में एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और विमान यात्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) एविएशन टर्बाइन ईंधन की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा एविएशन टर्बाइन ईंधन के मूल्य की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) सरकार ने 1 अप्रैल, 2001 से ए टी एफ के मूल्यों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है। इस नियंत्रणमुक्ति के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियां आयात समता मूल्य निर्धारण व्यवस्था के आधार पर ए टी एफ की कीमतें निर्धारित करती हैं।

(ख) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में जनवरी, 2005 से अगस्त, 2006 तक घरेलू एयरलाइनों के लिए ए टी एफ की कीमतें (रुपए/कि.ली.) संलग्न विवरण में दी गई हैं। भारत में घरेलू एयरलाइनों की कुल प्रचालन लागत में ए टी एफ की कीमत लगभग 30% आती है अत: ए टी एफ की कीमत में किसी भारी घट-बढ़ का हवाई यात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**विवरण**

*एटीएफ की कीमतें*

*महानगरों में एटीएफ की कीमतें : घरेलू (रुपए/किलोलीटर)*

(रुपए/किलोलीटर)

| वर्ष | माह | दिल्ली | कोलकाता | मुम्बई | चेन्नई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2005 | जनवरी | 25859.04 | 29939.9 | 26414.03 | 28381.34 |
| 2005 | फरवरी | 25923.94 | 30115.65 | 26535.7 | 28548.76 |
| 2005 | मार्च | 25833.08 | 29929.51 | 26414.03 | 28367.38 |
| 2005 | अप्रैल | 30608.39 | 34811.8 | 31388.03 | 33458.69 |
| 2005 | मई | 33035.51 | 37258.93 | 33889.24 | 35984.12 |
| 2005 | जून | 29920.5 | 34000.6 | 30644.44 | 32635.49 |
| 2005 | जुलाई | 31750.56 | 35907.87 | 32550.75 | 34602.81 |
| 2005 | अगस्त | 32321.65 | 36516.28 | 33145.64 | 35230.69 |
| 2005 | सितम्बर | 34748.76 | 39085.07 | 35687.39 | 37867.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | अक्तूबर | 36410.1 | 40764.4 | 37417.95 | 39611.81 |
| 2005 | नवंबर | 35761.14 | 40020.8 | 36714.91 | 38863.85 |
| 2005 | दिसंबर | 31750.56 | 35978.32 | 32564.27 | 34664.1 |
| 2006 | जनवरी | 34099.80 | 38628.24 | 35065.47 | 37349.10 |
| 2006 | फरवरी | 35228.99 | 39736.88 | 36214.67 | 38493.22 |
| 2006 | मार्च | 34995.36 | 39458.84 | 35957.79 | 38214.16 |
| 2006 | अप्रैल | 35826.36 | 40465.16 | 36863.63 | 39232.71 |
| 2006 | मई | 39642.24 | 44940.28 | 41027.79 | 43209.21 |
| 2006 | जून | 40408.02 | 45616.28 | 41784.91 | 43940.32 |
| 2006 | जुलाई | 41303.58 | 46564.46 | 42731.31 | 44905.05 |
| 2006 | अगस्त | 42367.51 | 47691.07 | 43826.43 | 46063.12 |

**रेल परियोजनाएं**

3415. **प्रो. एम. रामदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेल परियोजनाओं को बिना किसी खास औचित्य के एवं पृष्ठभूमिक कार्य किए बिना ही आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, विगत में सर्वेक्षण पूरा किए बिना और अपेक्षित मंजूरियों के बिना ही परियोजनाओं को बजट में शामिल किया जा चुका है। बहरहाल, इन परियोजनाओं पर कार्य सर्वेक्षण पूरा करने के बाद और आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही शुरू किया गया था।

(ग) 2002-03 से और उसके बाद से, आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है।

*[हिन्दी]*

**ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए निधियां**

3416. **श्री हंसराज वी. अहीर :**
**श्री दलपत सिंह परस्ते :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए भारत-रूस संयुक्त परियोजना को निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) थल सेना में ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस के लिए भारतीय और रूस की सरकारों द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर पूरी सहायता दी जाती है।

(घ) भारतीय सेना ने ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के उत्पादन के लिए पहले ही आदेश प्रस्तुत कर दिए हैं और इन्हें 2007 में शामिल किया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

## यात्रियों के लिए सुविधाएं

**3417. श्री गणेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मंडल के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों हेतु सुविधाओं की स्थिति शोचनीय हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सतना, मानिकपुर, मैहर, कटनी और जबलपुर रेलवे स्टेशन पर इन सुविधाओं में सुधार के लिए कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। जबलपुर, कटनी, सतना और मैहर स्टेशनों पर परिचलन क्षेत्र के विकास, प्लेटफार्म पर सायवान के विस्तार, प्रतीक्षा कक्ष, विश्राम कक्षों तथा शौचालय ब्लाक (पे एंड यूज सहित) के नवीकरण आदि से संबंधित कार्य 9.63 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू किए गए हैं और मानिकपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 3 में विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है।

## हाइड्रोकार्बन महानिदेशक के लिए पृथक संवर्ग

**3418. श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
**डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) जो कि हाइड्रोकार्बन की खोज एवं दोहन के संबंध में तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है तथा खोज कार्यक्रमों की समीक्षा करता है, के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है और इसके सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त महानिदेशालय के लिए एक पृथक संवर्ग का गठन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त महानिदेशालय के लिए एक पृथक संवर्ग का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) दिनांक 8 अप्रैल, 1993 के सरकारी संकल्प द्वारा हाइड्रोकार्बन महा निदेशालय की स्थापना की गई थी। संकल्प के अनुसार तेल उद्योग से प्रतिनियुक्ति/नियम कार्यकाल आधार पर स्टाफ लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

## डिंडिगुल एवं तिरूमंगलम रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी

**3419. श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिंडिगुल एवं तिरूमंगलम रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डिंडिगुल स्टेशन को माडल स्टेशन घोषित किया गया है। प्रस्तावित सुविधाओं में सभी प्लेटफार्मों तथा परिचलन क्षेत्रों

को जोड़नेवाले उपरी पैदल पुल का निर्माण, स्टेशन भवन का नवीकरण, बुकिंग तथा पूछताछ कार्यालय में सुधार, मानक संकेत चिन्हों की व्यवस्था, प्लेटफार्म सं. 1 से 4 पर यात्री डिब्बा मार्गदर्शन प्रणाली, राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली/इंटरएक्टिव बायस रिस्पान्स प्रणाली तथा टच स्क्रीन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था एक वर्ष के भीतर किए जाने की संभावना है।

तिरूमंगलम एक 'ई' कोटि का स्टेशन है जहां पर चालू वर्ष के दौरान अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) तथा यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

*[हिन्दी]*

**ओ एन जी सी द्वारा अर्जित लाभ**

3420. **डा. चिन्ता मोहन :**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
**श्री के.सी. पल्लनी स्वामी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ एन जी सी) ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ओ एन जी सी द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कंपनी के कारोबार मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ओ एन जी सी द्वारा अर्जित कर पश्चात निवल लाभ निम्नानुसार हैं-

| वर्ष | निवल लाभ (रुपए करोड़) |
|---|---|
| 2004-05 | 12,983 |
| 2005-06 | 14,431 |

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ओ एन जी सी द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा निम्नानुसार है-

| वर्ष | तेल उत्पादन (एम एम टी)* |
|---|---|
| 2004-05 | 26.484 |
| 2005-06 | 24.404 |

*संचनित सहित

(ग) जी, हां। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में ओ एन जी सी की कुल बिक्री बढ़ी है।

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ओ एन जी सी की बिक्री निम्नानुसार है-

(रुपए करोड़ में)

| वर्ष | बिक्री | वृद्धि |
|---|---|---|
| 2003-04 | 32,524 | — |
| 2004-05 | 46,711 | 14,187 |
| 2005-06 | 48,244 | 1,533 |

*[अनुवाद]*

**सरकारी निजी परियोजनाओं की समीक्षा**

3421. **श्री अधीर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी सरकारी-निजी परियोजनाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार ऐसी परियोजनाओं को सरकारी-निजी भागीदारी के स्थान पर स्वयं संचालित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इसकी आय पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

**पीएसयू को केन्द्रीय सहायता**

3422. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
**डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के पास कार्यकारी पूंजी भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पीएसयू-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) से (ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार, दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 237 थी। इनमें से 227 उद्यम प्रचालनरत थे तथा 10 उद्यम निर्माणाधीन थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 143 उद्यमों ने लाभ कमाया तथा 73 उद्यमों ने घाटा उठाया और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 1 उद्यम ने कोई लाभ/घाटा नहीं दर्शाया था। विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 47 उद्यम अपनी कार्यचालन पूंजी (निवल वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित) प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत बनाने, आधुनिकीकरण करने, पुनर्स्थापन तथा पुनर्गठन करने का कार्य शुरू करने के लिए दिसम्बर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) गठित किया था। बीआरपीएसई ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 32 मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उनके आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 19 उद्यमों की पुनर्स्थापन योजना तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 1 उद्यम को बंद करना अनुमोदित कर दिया है।

***विवरण***

*विगत 3 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र को जो उद्यम अपनी कार्यचालन पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे उनकी सूची*

1. एयरलाइन एलाइड सर्विसिज लि.
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.
3. असम अशोक होटल निगम लि.
4. भारत कोकिंग कोल लि.
5. भारत लेदर कारपो. लि.
6. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
7. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.
8. बड्र्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.
9. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
10. ब्रुशवेयर लि.
11. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.
12. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
13. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
14. केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

15. इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

16. फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

17. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.

18. हिन्दुस्तान केबल्स लि.

19. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.

20. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कं. लि.

21. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.

22. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.

23. एचएमटी चिनार वाचेज लि.

24. एचएमटी मशीन टूल्स लि.

25. एचएमटी वाचेज लि.

26. हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.

27. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

28. जम्मू एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लि.

29. मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.

30. मेकॉन लि.

31. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.

32. नेशनल जूट मैन्यु. कारपोरेशन लि.

33. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

34. नेपा लि.

35. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.

36. नेटेका (गुजरात) लि.

37. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.

38. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.

39. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.

40. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.

41. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.

42. पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि.

43. प्रागा टूल्स लि.

44. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.

45. रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.

46. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.

47. उत्कल अशोक होटल निगम लि.

*[हिन्दी]*

**लैंडिंग प्रणाली को सुचारू किया जाना**

**3423. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैंडिंग समय पर न होने की स्थिति में अतिरिक्त तेल खपत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लैंडिंग प्रणाली को सुचारू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) ईंधन के रूप में हानि के संबंध में विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर अवतरण प्रणालियों को सरल बनाने के लिए की गई कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली हवाईअड्डे पर नए बहुत तेजी से निकास टैक्सी पथों का निर्माण, एक सामान्तर टैक्सी-ट्रैक और अतिरिक्त पार्किंग स्टैंडों का निर्माण, दोनों

रनवे के साथ-साथ उपयोग के लिए कार्यविधि का कार्यान्वयन, सुधरे हुए एटीसी कार्यविधि का कार्यान्वयन, व्यस्ततम काल के दौरान एक समर्पित क्लीयरैंस डिलीवरी स्थिति का कार्यान्वयन, व्यस्ततम घंटों के दौरान सामान्य विमानन विमानों के प्रचालन पर प्रतिबंध, दिल्ली हवाईअड्डे पर एटीसी स्वचलन प्रणाली का स्तरोन्नयन तथा अग्रिम भू संचलन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

*[अनुवाद]*

**रेलवे समय सारणी की अनुपलब्धता**

**3424. श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई रेलवे स्टेशनों पर अद्यतन रेलवे समय-सारणी उपलब्ध नहीं है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आईडीएस, कश्मीर हाउस से चुराए गए सामान**

**3425. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
**श्री उदय सिंह :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर हाउस स्थित समन्वित रक्षा सेवा (आई डी एस) से कुछ सामानों की चोरी की गयी है जैसाकि दिनांक 30 जुलाई, 2006 के 'दी टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके परिणाम क्या है; और

(ङ) देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ङ) जी, हां। 24 जुलाई, 2006 की सुबह कश्मीर हाउस स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के कमरा सं. 49 दक्षिण ब्लॉक में स्टोरकीपर की मेज की दराज से तेरह कंप्यूटर प्रिंटर इंक काट्रिज गुम पाए गए थे। इस संबंध में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने 25 जुलाई, 2006 को चाणक्य पुरी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसकी पुलिस जांच कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने भी जांच अदालत के आदेश दिए हैं। जांच अदालत की सिफारिशों के अनुसरण में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय से संबंधित सभी सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए मेजर जनरल की अध्यक्षता में एक अफसर बोर्ड बनाया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी पहलू से कोई समझौता नहीं किया गया है।

**जैविक रूप से संशोधित खाद्य**

**3426. श्री राजेन गोहेन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैविक रूप से संशोधित खाद्यों और आर्गेनिक खाद्य उत्पादों की लेबलिंग/मार्किंग हेतु मानदंडों का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छोटे किसानों के हित में आर्गेनिक कृषि उत्पादों को स्थानीय बाजारों में इसे उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्रमाणन हेतु मानदंड भी निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत जैविक रूप से रूपांतरित खाद्यों की लेबलिंग/मार्किंग के लिए मानदंड निर्धारण हेतु एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नैसर्गिक (आर्गेनिक) उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति एवं कार्यक्रम के जरिए एक संस्थागत तंत्र तैयार किया है। इस कार्यक्रम में नैसार्गिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु मानकों के साथ साथ

राष्ट्रीय नैसर्गिक प्रमाणन चिह्न के उपयोग के वास्ते विनियमन भी शामिल हैं। राष्ट्रीय नैसर्गिक उत्पादन कार्यक्रम के उद्देश्यों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) नैसर्गिक कृषि तथा उत्पादों संबंधी प्रमाणन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के वास्ते अनुमोदित मानदंडों के अनुसार साधन उपलब्ध करना।

(ख) प्रमाणन कार्यक्रमों को प्रत्यायित करना।

(ग) नैसर्गिक उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नैसर्गिक उत्पादों के प्रमाणन को सुकर बनाना।

(घ) नैसर्गिक खेती एवं नैसर्गिक प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना।

*[हिन्दी]*

**रक्षा बलों के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद**

**3427. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
**श्री हुकमराम गणपतराम रेंगे पाटील :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह में तैनात रक्षा बलों के लिए खाद्य एवं अन्य कृषि आधारित पदार्थों की आपूर्ति स्थानीय किसानों एवं उत्पादकों से करने के स्थान पर दिल्ली एवं अन्य शहरों से की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) रक्षा सेनाओं के लिए कृषि आधारित सभी सूखी मदों नामत: चावल, गेहूं, दालें, चाय तथा प्रसंस्कृत खाद्य मदों की अधिप्राप्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य स्तरीय फेडरेशनों से केन्द्रीय रूप से की जाती है। उपर्युक्त मदों की केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्ति इसलिए की जाती है क्योंकि उनका स्थानीय स्तर पर उत्पादन नहीं होता है तथा एकमुश्त खरीद द्वारा बचत भी हासिल हो सके। ताजा/नष्ट होने वाली मदों की अधिप्राप्ति वार्ता द्वारा तय संविदाओं के माध्यम से की जाती है। जो मदें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती केवल वे ही दूसरे क्षेत्रों से मंगायी जाती हैं।

(ग) लद्दाख क्षेत्र के संबंध में लद्दाख में तैनात सैन्य दलों के लिए ताजी सब्जी, ताजे फल, आलू, प्याज, डबल रोटी और लूसर्न हे कि आपूर्ति के लिए लेह (लद्दाख), कारू, नीमू, नुबरा, दाह तथा कारगिल में स्थित सहकारिता विपणन समितियां लिमिटेड के साथ वार्ता द्वारा तय संविदाएं करने के लिए पहले ही 8 फरवरी, 2006 को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। लद्दाख क्षेत्र में तैनात सैन्य दलों के लिए ताजे दूध की अधिप्राप्ति लद्दाख क्षेत्र की सहकारी समितियों से सैनिक फार्मों द्वारा की जाती है।

*[अनुवाद]*

**हृदय रोगियों को निशक्तता लाभ**

**3428. श्री एल. राजगोपाल** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने "निशक्तता" शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए यह विनिर्णय दिया है कि हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्ति सरकार में रोजगार आदि के प्रयोजनार्थ निशक्तता अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो हृदय रोगों से पीड़ित लोगों को निशक्तता लाभ देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रेल लाइनों को पट्टे पर देना**

**3429. श्री पी.सी. थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार वाणिज्यिक महत्व वाली कुछ रेल लाइनों को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ पहचानी गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे को उससे कितनी अनुमानित राशि अर्जित होगी; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) जी नहीं। बहरहाल, हिल रेलवे की संभाव्यताओं का दोहन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उनके रियायती विपणन अधिकार, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को दिए जाएं।

**धरोहर और पर्यावरणानुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना**

**3430. श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में धरोहर और पर्यावरणानुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक दी जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) धरोहर और पर्यावरणानुकूल पर्यटन सहित, पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय उनके परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त धरोहर और पर्यावरणानुकूल पर्यटन परियोजनाओं सहित, पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन की विनियमित वृद्धि सुनिश्चित करने और सतत पर्यटन विकास प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के परिक्षण, उन्हें बनाए रखने और समृद्ध करने के उद्देश्य के साथ एक पर्यावरणानुकुल पर्यटन नीति तैयार की है। इसकी हैरिटेज होटलों के संवर्धन हेतु भी एक योजना है। पर्यटन मंत्रालय की आवास अवंसरचना योजना के लिए प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुमोदित हैरिटेज होटलों को भी 75 लाख रुपए तक की इमदाद प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, वर्ष 2006-07 के दौरान मंजूरी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं।

***विवरण***

*वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | राज्य | गंतव्य | परिपथ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1. चारमीनार और गोलकोण्ड़ा सहित हैदराबाद | 1. समुद्रतट परिपथ विजाग |
| | | 2. वारंगल | 2. बौद्ध परिपथ |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1. लोहित जिले के परशुराम कुंड में सुविधाएं | 1. तिनसुकिया (असम)-नामसई-तेजू-वालोंग-डोंगी |
| | | 2. डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रामपोट) का नवीकरण एवं संरक्षण | |
| 3. | असम | 1. कामाख्या और हाजो का सैटेलाइट तीर्थ टाउनशिप | ओरांग-तेसपुर-नामेरी-भालुकपोंग-त्वांग पर्यटक परिपथ |
| | | 2. शिवसागर संगम केन्द्र और गुवाहाटी के होटल ब्रह्मपुत्र अशोक में वेलनैस सैंटर | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 1. मंडेश्वरी मंदिर | 1. बोधगया-नालंदा-राजगीर |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1. चित्रकूट फाल | 1. जगदलपुर परिपथ |
| | | 2. राजीम | |
| 6. | दिल्ली | कॉमनवेल्थ खेलों के लिए मास्टर प्लान के अनुसार अवसंरचना का विकास | — |
| 7. | गोवा | — | 1. उत्तरी गोवा परिपथ |
| | | | 2. दक्षिणी गोवा परिपथ |
| 8. | गुजरात | 1. चम्पानेर | 1. जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर |
| | | 2. गिर | |
| | | 3. द्वारका | |
| 9. | हरियाणा | 1. सूरजकुंड | 1. कुरूक्षेत्र |
| | | 2. सोनीपत-एथनिक इंडिया | |
| | | 3. बडकल | |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला | 1. जनजातीय क्षेत्रों में ईको पर्यटन |
| | | | 2. तीर्थ परिपथ |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | (क) भदेरवाह, किश्तवार, पुंछ, राजौरी, लखनपुर-सारथल, कोकेरनाग, लेह और कारगिल के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं @ 2 करोड़ रुपये प्रति पर्यटन विकास प्राधिकरण | कारगिल में पर्यटक परिपथ का विकास-3.00 करोड़ रुपये |
| | | (ख) पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पटनीटाप के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं @ 3 करोड़ रुपये प्रति पर्यटन विकास प्राधिकरण | |
| | | (ग) मुबारक मंडी, चरण-1 में हैरिटेज भवन का नवीकरण - 3.00 करोड़ रुपए | |
| | | (घ) जम्मू में गोल्फ कोर्स -2.00 करोड़ रुपए | |
| | | (ङ) श्रीनगर में क्षतिग्रस्त टीआरसी का पुनर्निर्माण -4.00 करोड़ रुपये | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | झारखंड | 1. राजमहल | 1. रांची-रामगढ़-राजारप्पा-तेनूघाट-हजारीबाग-पदमा इटखोरी |
| | | 2. पारसनाथ | |
| 13. | कर्नाटक | 1. हम्पी | 1. बीजापुर-बिदर-गुलबर्गा |
| | | 2. लिंगामक्की | |
| 14. | केरल | 1. वागामोन | 1. दक्षिणी ईको पर्यटन |
| | | 2. कुमारकोम | |
| | | 3. पदनाभापुरम पैलेस | |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1. पन्ना | 1. अमरकंटक-मंडला-डिंडोई |
| | | 2. मांडु | 2. होशंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बखानी |
| 16. | महाराष्ट्र | 1. कुंकेश्वर | 1. एलीफेण्टा सहित बौद्ध परिपथ |
| | | | 2. फोर्ट परिपथ |
| 17. | मणिपुर | 1. नोंग्मेचिंग (गोल्फ कोर्स के साथ ईको पार्क) | 1. इम्फाल-विष्णुपुर-सेन्द्रा-चूड़ाचांदपुर |
| | | 2. इम्फाल | |
| 18. | मेघालय | 1. जोवाई के आस-पास गुफाओं का संरक्षण एवं विकास | 1. विलियम नगर-जकरेम-जोवाई |
| | | | 2. शिलांग-चेरापूंजी जोवाई मावपलांग |
| 19. | मिजोरम | 1. चलतलांग | 1. दक्षिणी हरांगचाकवान, तावीपुईज, लांगटलाई, साहिया, वामबुक, संगाऊ, एस. वनलाईफाई |
| | | 2. चलफिल्ह | 2. पूर्वी-केट्टुम, एन. वनलाईफाई, पूर्वी लुंगदार, खाठबंग, फरकान, जोखावथार, हनलान |
| 20. | नागालैंड | 1. कोहिमा जिले में टूपहेमा पर्यटक यात्रा गंतव्य | 1. जूनहेबोटो तुएनसांग-कीफरी |
| | | 2. जजूनहेबोटो जिले में आइजूटो | 2. गर्वनर का कैंप (गोखा)-नुई लैंड क्षेत्र (दीमापुर)-जलुकी (पेरेन) |
| 21. | उड़ीसा | 1. चिल्का | 1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क |
| | | | 2. सिम्पलीपाल-चांदीपुर-तलसारी-पंच-लिंगमेश्वर |
| | | | 3. अराकू घाटी-सोनबेडा-कोरपुट-मलकागिरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22. | पंजाब | 1. रोपड़ | 1. स्वतंत्रता संग्राम परिपथ दिल्ली-अमृतसर |
| | | 2. फतेहगढ़ साहिब (आम खास बाग के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित) | 2. तीर्थ परिपथ |
| | | 3. कपूरथला | |
| 23. | राजस्थान | 1. अजमेर शरीफ | 1. ईको टूरिज्म सर्किट |
| | | 2. जैसलमेर | 2. स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था |
| 24. | सिक्किम | 1. सरमसा में मनोरंजन पार्क का विकास | 1. सोरांग में तीर्थ यात्रा परिपथ |
| | | | 2. सिक्किम के पूर्व और पश्चिम में अरितार, फोडांग और मंगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास |
| 25. | तमिलनाडु | 1. मदुरई 2. तंजावुर | चेन्नई-कांचीपुरम-महाबलीपुरम |
| | | 3. कन्याकुमारी | |
| 26. | त्रिपुरा | 1. चतुर्दशी देवता बारी | 1. उत्तर-पश्चिम त्रिपुरा परिपथ का विकास |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1. अलीगढ़ | 1. आगरा-फतेहपुर सीकरी-मथुरा |
| | | | 2. वाराणसी-सारनाथ |
| | | | 3. ब्रजभूमि-वृंदावन |
| 28. | उत्तरांचल | 1. यमनोत्री | 1. ऋषिकेश-हरिद्वार (विशाल परियोजना) |
| | | 2. टिहरी | 2. बिंदसार-बैजनाथ-मानेसर |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1. गोके | 1. स्वतंत्रता परिपथ |
| | | 2. कालीमपोंग | 2. चाय पर्यटन |
| | | 3. पलासी | 3. समुद्रतट परिपथ |

**कानपुर-आगरा रेल लाइन का आमान परिवर्तन**

3431. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर-आगरा मीटर गेज रेल लाइन के कुछ भाग को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बदली गई लाइन और जिस भाग को अभी बदला जाना है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल लाइन के शेष भाग का आमान परिवर्तन कार्य पूरा करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) शिकोहाबाद होकर कानपुर-आगरा छावनी, टुंडला पहले से ही एक बड़े आमान की लाइन है। बहरहाल, कानपुर-कासगंज-मथुरा-अचनेरा के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है और कानपुर-फर्रूखाबाद पहले ही परिवर्तन किया जा चुका है।

(ग) और (घ) फर्रूखाबाद-कासगंज को 2006-07 अवधि के दौरान पूरा किए जाने की योजना है और शेष भाग के कार्य को पूरा करना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

## एयर लाइनों की संयुक्त समय-सारणी

**3432. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी और निजी एयरलाइनों की संयुक्त समय-सारणी जारी करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों सहित सभी एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर अपनी उड़ानों का कार्यक्रम निर्धारित करती हैं तथा ऐसे कार्यक्रमों को अलग-अलग प्रकाशित करती हैं। चूंकि सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों को नियंत्रित नहीं करती है, इसलिए सरकार द्वारा सभी एयरलाइनों का संयुक्त समय-सारणी प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा किया गया खर्च

**3433. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय ने ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के संबंध में भारी खर्च किया था जो कभी आयोजित नहीं की गई जैसाकि दिनांक 29 जुलाई, 2006 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 2003 में ब्राजील में भारत के राजदूत के सुझाव पर, भारत सरकार ने ब्राजील के एक निजी गैर-लाभकारी संगठन "ब्राजील-कनेक्ट" के सहयोग से ब्राजील में "शाश्वत भारत" नामक प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय किया था। नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय ने स्थल निरीक्षण, वस्तुओं के चयन, राष्ट्रीय जांच एवं मूल्यांकन समिति की बैठकों के आयोजन पर लगभग 6,02,576/- रु. खर्च किए। इसके अतिरिक्त, भारत के भीतर और भारत से ब्राजील वस्तुओं के परिवहन हेतु बक्सों के निर्माण पर 18.62 लाख रु. की राशि भी खर्च की गई है। इस प्रकार उक्त प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा कुल लगभग 24,64,576/- रु. की राशि खर्च की गई।

इस बीच ब्राजील में भारत के राजदूत के परामर्श से प्रस्तावित प्रदर्शनी रद्द कर दी गई थी, क्योंकि कोई करार नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक जांच से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बक्सों/क्रेटों के निर्माण संबंधी अनियमितताओं का पता चला है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

**3434. श्री वी. विनोद कुमार** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक अनुसूचित विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष संबद्धता प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग" की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) और (ख) जी, नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्रदान की गई है न कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग से। आयोग को किसी विश्वविद्यालय और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के बीच विवाद पर निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

## रेल परियोजनाओं की पहचान हेतु संयुक्त कार्यदल

3435. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पारस्परिक हित की रेल परियोजनाओं की पहचान करने वाले संयुक्त कार्यदल के गठन हेतु इटली के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का दूसरे देशों में निर्माण और परामर्श परियोजनाओं में इटली के साथ संयुक्त बोली लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल और फेरोवी डेल्लो स्टार्टो (इटैलियन रेलवे) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि दोनों के बीच रेल सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर माननीय रेल मंत्री जी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के दौरे के अवसर पर 3.7.06 को रोम में किए गए थे। इन दोनों रेलों के बीच सहयोग वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उन्हें लागू करने की व्यवस्था करने के लिए एक संयुक्त कार्य समिति का गठन किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## एन बी सी एफ डी सी द्वारा महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना

3436. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा** :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाएं विनिर्दिष्ट दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जिसके फलस्वरूप वे योजना के लाभ से वंचित रह जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना के इस पहलू की कभी जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर घटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे नई योजना का लाभ उठा सकें; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) 'नई स्वर्णिम योजना' एक आवधिक ऋण योजना है जिसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाता है। योजना का ब्योरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) लाभार्थियों को ऋण राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 4% की वार्षिक दर पर उपलब्ध कराया जाता है और इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि लाभार्थी निर्धारित दर पर लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी करने में असमर्थ हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

*गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली पिछड़े वर्गों की महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने के लिए "नई स्वर्णिमा"*

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की योजना "नई स्वर्णिमा" के लिए लक्षित वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाएं हैं।

- नई स्वर्णिम योजना की मुख्य विशेषताएं

- लाभार्थी महिला को इस योजना अंतर्गत 50,000 रुपए तक की परियोजना के लिए कोई भी राशि अपनी ओर से नहीं लगानी होती है जबकि निगम द्वारा संचालित सामान्य योजनाओं में परियोजना की कुल लागत का 5% लाभार्थी को लगाना होता है।

- ऋण की वापसी की अवधि सामान्य ऋण की तुलना में दो वर्ष अधिक है।

- ऋण की राशि पर ब्याज दर निगम की सामान्य ऋण योजना की तुलना में कम है।

**पात्रता :**

- केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाएं इस योजना के तहत ऋण के लिए पात्र हैं।

- ग्रामीण आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 20,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।

- शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 27,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।

**ऋण की अधिकतम राशि** 50,000/- रुपए प्रति लाभार्थी

**वित्तपोषण का तरीका**

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | 95% |
| राष्ट्रीय चैनेलाइजिंग एजेंसी का अंशदान | 5% |

**ब्याजदर**

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से राष्ट्रीय चैनेलाइजिंग एजेंसी को | 1% वार्षिक |
| राष्ट्रीय चैनेलाइजिंग एजेंसी से लाभार्थी को | 4% वार्षिक |

**अदायगी अवधि**

- यह योजना की प्रकृति पर निर्भर करता है फिर भी सामान्य योजना से इसकी अदायगी अवधि दो वर्ष अधिक है।

*[हिन्दी]*

**बड़ी लाइन परियोजनाएं**

**3437. श्री विजय कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान कितनी मीटर गेज वाले रेलमार्गों को बड़ी लाइन में बदला गया है; और

(ख) अभी तक बड़ी लाइन में बदली गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) 2005-06 के दौरान, 11 परियोजनाओं के मीटर आमान खंडों को बड़ी लाइन में बदला गया है। ये 744 किमी. को पूरा करते हैं।

(ख) 01.04.1992 से, 'एक ही आमान की योजना' के अंतर्गत 12,200 किमी मीटर लाइनों/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया है। इस अवधि के दौरान 'आमान परिवर्तन' योजना शीर्ष के तहत लगभग 13,800 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

*[अनुवाद]*

**विश्व धरोहर सूची में मावुली द्वीप को शामिल करने हेतु नामांकन**

**3438. डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व धरोहर समिति ने असम स्थित माजुली द्वीप को वर्ष 2006 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के भारत के नामांकन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नामांकन में मुख्य खामियां क्या बतायी गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन प्रमुख खामियों का विश्लेषण किया है जिसे माजुली द्वीप का नामांकन पहली बार में शामिल नहीं हो सका;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा माजुली द्वीप को विश्व धरोहर सूची में नामांकित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (च) भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण ने असम के जोरहाट जिला में मजुली द्वीप को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए इसके नामांकन डोजियर विलनियस, लिथुआनिया में दिनांक 8-16 जुलाई, 2006 के बीच आयोजित विश्व विरासत समिति के 30 वें सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किए थे। प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात कमेटी ने निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ प्रस्ताव को वापिस कर दिया अर्थात् :

(क) द्वीप में शेष बचे सट्टरासों तथा किस प्रकार उन्होंने भूदृश्य पद्धतियों को प्रभावित किया और प्रभावित कर रहे हैं और मजुली में जनता तथा प्रकृति और बाहरी क्षेत्र के बीच परस्पर सम्बन्ध के बारे में सूचना एकत्र करना;

(ख) सट्टरास तथा उनकी चल विरासत से जुड़े भूदृश्य में वास्तुकला और स्थानिक पद्धतियों की एक सूची बनाना;

(ग) कानूनी संरक्षण प्रदान करना;

(घ) सट्टरा भूदृश्यों तथा भवनों के विशिष्ट स्वरूप, जनता तथा प्रकृति के मध्य परस्पर संबंध, जीव विविधता को बनाए रखने के लिए पारम्परिक खेती पद्धतियों की सम्भाव्यता, पारम्परिक ज्ञान को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता, पारम्परिक वास्तुकला का संरक्षण तथा विकास, दीर्घकालीन विकास के लिए एक सांस्कृतिक पर्यटन नीति तथा दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रबन्धन योजना का विस्तार करना;

(ङ) जिस नदी बेसिन पर मजुली स्थित है उस समग्र नदी बेसिन तथा मौसम परिवर्तन के सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करना ताकि मध्य सीमा में स्थित द्वीप के बने रहने की सम्भावनाओं का पता चल सके;

(च) जोखिम से निपटने की नीति विकसित तथा कार्यान्वित करना;

(छ) मजुली सांस्कृतिक भूदृश्य की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रस्तावित पुलों के प्रभाव पर ध्यानपूर्वक विचार करना;

(ज) स्थल की संकटापन्न तथा खतरे में प्रजातियों का विशेष उल्लेख करते हुए वनस्पति तथा वन्य जीवों की सूची तैयार करना जो स्थानीय प्रबंधन पद्धतियों के परिणामस्वरूप संरक्षित की जा सकती हैं।

इस मामले पर 20.7.2006 को असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा विश्व विरासत समिति द्वारा मांगी गई सूचना को एकत्र करने के लिए तथा विश्व विरासत समिति के विचारार्थ अतिरिक्त सूचना सहित नामांकन डोजियर को पुन: प्रस्तुत करने के लिए असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ तथा संरक्षण वास्तुविद शामिल करते हुए एक कोर ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया।

**फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

3439. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी राज्यों में फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में किए गए प्रोत्साहनात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में फल आधारित इकाइयों को स्थापित करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से 50 लाख रुपए तक और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33.33% की दर से 75 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

सरकार ने फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सामान्यत: कई नीतिगत और राजकोषीय उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

(ii) फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेज के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बजट 2004-05 में आयकर अधिनियम के तहत पांच साल के लिए लाभ पर 100% आयकर छूट और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ पर 25% आयकर छूट की घोषणा की गई है।

(iii) रेफ्रिजरेटिड वैनों पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है।

इनके अलावा, योजना स्कीमों के तहत, संवर्धनात्मक कार्यकलापों, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा बुनियादी विकास हेतु सहायता दी जाती है।

गत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान इस मंत्रालय ने राजस्थान में कुल 264.09 लाख रुपए की अनुमोदित सहायता वाली 17 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इस अवधि के दौरान फल प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता नहीं दी गई है। राजस्थान में जल्द ही निवेशकों की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

**रेलवे सूचना पट्ट पर भाषा का प्रयोग**

**3440. श्री एम. शिवन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक रक्षण वैदिके रेलवे सूचना पट्टों पर लिखने के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी के स्थान पर कन्नड़ भाषा के प्रयोग को वरीयता देने की मांग करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए तेल एवं गैस संयंत्र**

**3441. श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल और गैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप हुई हानि का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन संयंत्रों की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के कारण आई ओ सी, बी पी सी, एच पी सी, गेल एवं

ओ एन जी सी के क्षतिग्रस्त तेल एवं गैस संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आई ओ सी, बी पी सी, एच पी सी एवं गेल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 50.1 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान है। हजीरा स्थित ओ एन जी सी की गैस संसाधन इकाई मैसर्स नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. में बीमांकित है। इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा क्षति का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) तेल और गैस स्थापनाओं का मरम्मत कार्य प्राथमिकता आधार पर किया गया है। इनमें से कुछ का प्रचालन शुरू हो गया है/किया जा रहा है।

| | विवरण |
|---|---|
| आई ओ सी एल | हजीरा टर्मिनल |
| | दुमड टर्मिनल |
| | असोज टर्मिनल |
| | डेहरी डिपो |
| | निशातपुरा डिपो |
| | हजीरा एल पी जी संयंत्र |
| एच पी सी एल | हजीरा डिपो |
| | निशातपुरा डिपो |
| बी पी सी एल | हजीरा पी ओ एल डिपो |
| गेल | एच बी जे पाइपलाइन का हजीरा कम्प्रेसर स्टेशन |
| | गुजरात क्षेत्र पाइपलाइन, बड़ौदा |
| | ए पी क्षेत्र पाइपलाइन, राजामुंदरी |
| ओ एन जी सी | गैस संसाधन संयंत्र, हजीरा |

इसके अतिरिक्त, सूरत शहर में बी पी सी एल के 17 खुदरा बिक्री केन्द्र और आई ओ सी एल के 15 खुदरा बिक्री केन्द्र और हजीरा स्थित बी पी सी एल का भरण संयंत्र भी हाल ही में आई बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ था।

*[अनुवाद]*

**पुरी से कोणार्क तक नई रेल लाइन**

3442. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का उड़ीसा के स्वर्णिम त्रिभुज अर्थात् भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को रेल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को लागू करने के लिए नई रेल लाइनें बनाए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार पहले चरण में पुरी से कोणार्क तक एक रेल लाइन बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ)प्रश्न नहीं उठता।

**भुवनेश्वर-बंगलोर एक्सप्रेस की बारम्बारता**

3443. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों ने भुवनेश्वर-बंगलोर एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) 2845/2846, भुवनेश्वर-यशवंतपुर एक्सप्रेस के फेरे में वृद्धिकरने की जांच की गई परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, 2006-07 के रेल बजट में 8563/8564 बंगलोर-विशाखापटनम प्रशांति एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक विस्तार देने की घोषणा की गई है।

**अर्जुन टैंक**

3444. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** :

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 32 वर्षों के विकास कार्य के बाद भी मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' अभी तैयार नहीं हो पाया है जैसाकि दिनांक 8 अगस्त, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी आर डी ओ ने सेना को प्रयोग का आकलन करने हेतु एक अन्य 'परिक्षणात्मक' टैंक ('टैंक-एक्स') की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा डी आर डी ओ को देश में प्रयोक्तानुकूलन हथियार बनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) मुख्य युद्धक टैंक, 'अर्जुन' तैयार हो गया है। मुख्य युद्धक टैंक, 'अर्जुन' परियोजना मई, 1974 में संस्वीकृत की गई थी। जनरल स्टाफ गुणात्मक अपेक्षा (जी एस क्यू आर) को अक्तूबर, 1985 में अंतिम रूप दिया गया था और परियोजना मार्च 1995 में पूरी की गई थी। प्रयोक्ताओं द्वारा 124 टैंकों के लिए मांग-पत्र मार्च, 2000 में दिया गया था। ये इस समय भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में निर्माणाधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एक अतिसक्रिय कदम (प्रोएक्टिव स्टेप) के रूप में एक माड्यूलर टरेट के साथ टी-72 टैंकों के उन्नयन के लिए एक संभावित तरीके का प्रदर्शन करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा टैंक-एक्स का निर्माण किया गया है।

(ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार शस्त्रों एवं प्लेटफार्मों के विकास-कार्य में लगा हुआ है। शस्त्रों को प्रयोक्त-अनुकूल बनाने के लिए प्रयोक्ताओं को ठीक विकासात्मक चरण से ही परियोजना में शामिल किया जाता है।

**सवारी डिब्बों में एयर ब्रेक प्रणाली**

**3445. श्री के. सुब्बारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सवारी डिब्बों में एयर ब्रेक प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) वर्तमान में, यात्री रेलगाड़ी रेकों में चल रहे सभी सवारी डिब्बे एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित हैं।

*[हिन्दी]*

**रक्षा निर्माणी, जबलपुर में उत्पादन**

**3446. श्री राकेश सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों की कमी के कारण इन निर्माणियों में उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यदि उत्पादन में कोई गिरावट आई हो तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इससे निपटने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जबलपुर स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए गए ट्रेड प्रशिक्षुओं और बेरोजगार रह गए प्रशिक्षुओं का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन लागत निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपयों में)

| निर्माणी | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| वाहन निर्माणी | 1073.57 | 959.35 | 1148.87 |
| आयुध निर्माणी खमरिया | 805.07 | 537.56 | 540.03 |
| तोप वाहन निर्माणी | 206.55 | 180.91 | 182.18 |
| ग्रे आयरन निर्माणी | 28.73 | 45.30 | 43.26 |

(ग) सेना में वाहनों की जरूरत में कमी हो जाने के कारण वाहन निर्माणी और ग्रे आयरन निर्माणी, जबलपुर का कार्यभार कम हो गया है।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) व्यावसायिक प्रशिक्षुओं का ब्यौरा :-

| निर्माणी | प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षु | दी गई नियुक्ति | नियुक्त नहीं किए गए |
|---|---|---|---|
| आयुध निर्माणी खमरिया | 335 | 255 | 80 |
| तोप वाहन निर्माणी | 238 | 10 | 228 |
| वाहन निर्माणी | 300 | 117 | 183 |
| ग्रे आयरन निर्माणी | 68 | 2 | 66 |

*[अनुवाद]*

## लक्ष्य प्राप्ति

**3447. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दसवीं पचंवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के लिए नई लाइनों, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) डिब्बों की खरीद के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्ति के कार्यक्रम से पीछे चल रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों, दोहरीकरण और ई एम यू डिब्बों की खरीद संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के पहले चार वर्षों के दौरान किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किए गए थे;

(घ) क्या रेलवे दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(च) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दसवीं योजना अवधि के लिए 1310 किमी नई लाइन और 1500 किमी दोहरीकरण के लक्ष्य की तुलना में योजनाके प्रथम चार वर्षों के दौरान क्रमश: 670 किमी और 913 किमी का लक्ष्य हासिल किया गया है। दसवीं योजना अवधि के लिए 1965 के लक्ष्य की तुलना में पहले चार वर्षों के दौरान 582 अदद इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ई एम यू) प्राप्त किए गए हैं।

(घ) से (च) 2006-07 के लिए नई लाइन और दोहरीकरण के लिए क्रमश: 550 किमी और 450 किमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और दसवीं योजना के लक्ष्यों के संबंध में इसमें कुछ कमी होगी। जहां तक ई एम यू प्राप्ति का संबंध है, 2006-07 के लिए 289 अदद का लक्ष्य है। इस प्रकार, योजना अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी होने की संभावना है। 2007-08 से और उसके बाद ई एम यू की कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता के संवर्द्धन हेतु कार्य मंजूर किए गए है।

*[हिन्दी]*

## राजघाट के निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास

**3448. श्री रामदास अठावले** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजघाट, विजयघाट तथा वीर भूमि के निकटवर्ती क्षेत्रों को हरित पट्टी के रूप में विकसित करने तथा उनके सौंदर्यीकरण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

## रेल परियोजनाएं

**3449. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रेल परियोजनाओं और जोनवार पूरी की गई प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान जोनवार पूरी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान जोनवार शुरू की जाने वाली नई प्रमुख रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान पूर्णतया पूरी हो चुकी परियोजनाओं का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें प्रत्येक परियोजना पर उपगत व्यय शामिल है:

(करोड़ रुपयों में)

| क्र.सं. | परियोजना | रेलवे | योजना शीर्ष | मार्च 2006 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पणवेल-करजत | मध्य | नई लाइन | 130.58 |
| 2. | नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर | पूर्व तटीय | दोहरीकरण | 164.31 |
| 3. | लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना | पूर्व | नई लाइन | 118.5 |
| 4. | कोलकाता सर्कुलर रेलवे: प्रिंसेपघाट से माजेरहाट | पूर्व | महानगर परिवहन परियोजना | 153.72 |
| 5. | जम्मू तवी-उधमपुर | उत्तर | नई लाइन | 511.48 |
| 6. | आगरा-बांदीकुई | उत्तर पश्चिम | आमान परिवर्तन | 192.5 |
| 7. | लूणी-बाडमेर-मुनाबाव | उत्तर पश्चिम | आमान परिवर्तन | 302.7 |
| 8. | काकिनाडा-कोठापल्ली | दक्षिण मध्य | नई लाइन | 97.45 |
| 9. | सिकंदराबाद-मुदखेड़ और जनकमपेट-बोधन | दक्षिण मध्य | आमान परिवर्तन | 341.15 |
| 10. | गुडूर-रेणीगुंटा-तिरुपति | दक्षिण मध्य | दोहरीकरण | 174.49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | तामलुक-दीघा | दक्षिण पूर्व | नई लाइन | 289.53 |
| 12. | अरकोणम-चेंगलपट्टू | दक्षिण | आमान परिवर्तन | 709.39 |
| 13. | चेन्नै बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू उपनगरीय आमान परिवर्तन | दक्षिण | महानगर परिवहन परियोजना | 304.22 |
| 14. | अरसीकेरे-हासन-मंगलौर | दक्षिण पश्चिम | आमान परिवर्तन | 326 |
| 15. | उधना-जलगांव | पश्चिम | रेल विद्युतीकरण | 137.35 |
| 16. | लुधियाना-अमृतसर | उत्तर | रेल विद्युतीकरण | 113.38 |

(ख) 2006-07 के दौरान पूरा होने वाली संभावित प्रमुख परियोजनाएं, जोनवार, इस प्रकार हैं:

| क्र. सं. | परियोजना | रेलवे | योजना शीर्ष | मार्च 2006 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी | पूर्व मध्य | नई लाइन | 64.5 |
| 2. | कुमारघाट-अगरतला | पूर्वोत्तर सीमा | नई लाइन | 109 |
| 3. | आरा-सासाराम | पूर्व मध्य | नई लाइन | 98 |
| 4. | कोलायत-फलौडी | उत्तर पश्चिम | नई लाइन | 111.39 |
| 5. | दैतारी-बांसपानी | पूर्व तट | नई लाइन | 155 |
| 6. | नीमच-रतलाम | पश्चिम | आमान परिवर्तन | 135 |
| 7. | समस्तीपुर-खगड़िया एवं मानसी-खगड़िया | पूर्व मध्य | आमान परिवर्तन | 94 |
| 8. | अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ | उत्तर पश्चिम | आमान परिवर्तन | 297 |
| 9. | मुदखेड़-अदिलाबाद | दक्षिण मध्य | आमान परिवर्तन | 162 |
| 10. | गांधीधाम-पालनपुर | पश्चिम | आमान परिवर्तन | 313 |
| 11. | हापुड़-कानकाठेर | उत्तर | दोहरीकरण | 42.71 |
| 12. | होजपेट-गुंतकल | दक्षिण मध्य | दोहरीकरण | 115.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | शोरणूर-कालीकट | दक्षिण | दोहरीकरण | 86 |
| 14. | टिटलागढ़-लांजीगढ़ | पूर्व तट | दोहरीकरण | 47 |

(ग) 2006-07 के दौरान शुरू की गई प्रमुख रेल परियोजनाओं का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

*100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 2006-07 के बजट में शामिल की गई परियोजनाएं*

| क्र.सं. | रेलवे | योजना शीर्ष | परियोजना | किलोमीटर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पूर्व तट | दोहरीकरण | विजयनगरम-कोट्टावालसा | 34.7 |
| 2. | पूर्व तट | दोहरीकरण | संबलपुर-टिटलागढ़ | 182 |
| 3. | पूर्व मध्य | नई लाइन | छपरा-मुजफ्फरपुर | 84.65 |
| 4. | उत्तर | दोहरीकरण | उत्रेतिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद का शेष खंड | 148 |
| 5. | उत्तर | रेल विद्युतीकरण | उत्रेतिया-सुल्तानपुर-मुगलसराय | 288 |
| 6. | दक्षिण मध्य | नई लाइन | ओबुलवरीपल्ले-कृष्णापुरम | 113 |
| 7. | दक्षिण मध्य | नई लाइन | मनोहराबाद-कोठापल्ली | 148.9 |
| 8. | दक्षिण पूर्व मध्य | दोहरीकरण | खोडरी-अनुपपुर | 61.6 |
| 9. | दक्षिण | आमान परिवर्तन | दिंडीगुल-पोलाची-पालघाट एवं पोलाची कोयमबातूर | 224.88 |
| 10. | दक्षिण | महानगर परिवहन परियोजना | महानगर रेल परिवहन प्रणाली का वेलाचेरी से सेंट टामस माउंट तक विस्तार | 5 |
| 11. | पश्चिम मध्य | रेल विद्युतीकरण | बीना-कोटा | 303 |
| 12. | पश्चिम | आमान परिवर्तन | भारुच-सामनी-दाहेज | 625.36 |

**सी एन जी ईंधन से चलने वाले इंजनों का प्रचालन शुरू करना**

**3450. श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार इंजनों को हरित सी एन जी ईंधन से चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंजन को सी एन जी ईंधन से चलाने पर अनुमानत: कितनी राशि बचत होगी; और

(ग) सी एन जी इंजनों का प्रचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल उत्तर रेलवे में क्रम्प्रेश्ड नेचूरल गैस (सी एन जी) से डीजल मल्टीपल यूनिट (डी एम यू) को चलाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। सी एन जी आधारित डीजल मल्टीपल यूनिट की परिचालन लागत डीजल आधारित डी एम यू से प्रदूषण कम करने के साथ वित्तीय रूप से 25% कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं

**3451. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या रेलवे ने उक्त योजना के अंतर्गत इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) इससमय, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के रूप में 33 परियोजनाएं हैं। इन 33 परियोजनाओं में से, अभी 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना है। 29 स्वीकृत परियोजनाओं में से, 6 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 23 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान उक्त परियोजनाओं पर क्रमश: 220.23 करोड़ रु., 191.7 करोड़ रु. और 182.87 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 796.3 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं को लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूरा करने के लिए रेलवे ने रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) के माध्यम से गैर-बजटीय उपाय किए हैं।

## एश्योर्ड डीसेंट लास्ट राइट्स स्कीम

**3452. श्री मिलिन्द देवरा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना ने अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एश्योर्ड डीसेंट लास्ट राइट्स स्कीम" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) मृत सैनिक के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(घ) किन-किन राज्यों को इसके दायरे में लाए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान इस योजना के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना, मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को स्वर्गीय भूतपूर्व सैनिक के एक सिपाही और वेटरन के रूप में उसके स्तर के अनुरूप उसके अन्तिम संस्कार को शालीन तथा गौरवमयी ढंग से करने में मदद करने की परिकल्पना करती है। इस योजना का वित्त-पोषण कैंटीन लाभ से सृजित कल्याण निधि से किया जाएगा।

(ग) मृतक के परिवार को 2500/-रु. तक का अनुदान दिया जा सकता है।

(घ) सम्पूर्ण देश।

(ङ) शून्य, क्योंकि इस योजना के लिए वित्त-पोषण कैंटीन लाभ से सृजित कल्याण निधि से किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

## मदुरै और चेन्नई के बीच रेल सेवा

**3453. श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मौजूदा रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मदुरै और चेन्नई के बीच अन्य रेल सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) जी, नहीं, वर्तमान में, मदुरै-चेन्नई के बीच लाइन क्षमता की अत्यधिक तंगियों के कारण नई गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, जैसाकि रेल बजट 2006-07 में घोषणा की गई थी, 2006-07 के दौरान मदुरै के रास्ते 2667/2668 चेन्नई-एग्मोर-नागरकोइल एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाई जा रही है जो चेन्नई एग्मोर-मदुरै के यात्रियों को भी सेवा प्रदान करेगी।

**इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति**

**3454. श्री एल. राजगोपाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों और भारतीय चीनी मिल संघ ने कुछेक राज्यों में इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों को इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी;

(ग) क्या इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए चुने गए राज्यों में आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ङ) एथेनाल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आई ओ सी, ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की ओर से एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय चीनी मिल संघ के साथ 4.8.05 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एण्ड एन जी) ने 1.1.2003 से प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों तथा निकटस्थ संघ शासित प्रदेशों में अनिवार्यत: 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करने की योजना शुरू की थी। एम ओ पी एण्ड एन जी ने 10 राज्यों और 3 संघ शासित राज्यों में एथेनोन मिश्रित पेट्रोल (ई बी पी) की बिक्री अनिवार्य बनाने के लिए दिनांक 27.10.2004 को इस शर्त के साथ कि, यदि वैकल्पिक प्रयोगों के लिए देशी एथेनोल का मूल्य एथेनोल-मिश्रित पेट्रोल आपूर्ति के लिए देशी एथेनोल स्रोत मूल्य के समतुल्य हों, उस स्थल पर पेट्रोल का आयात समता मूल्य, स्थल पर एथेनोल की सुपुर्दगी मूल्य के समतुल्य हों, और ऐसे मूल्यों पर एथेनोल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए एथेनोल की बाधा रहित आपूर्ति बनाए रखने में देशी एथेनोल उद्योग सक्षम हो, एक संशोधित अधिसूचना जारी की हैं। इस संशोधित अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) निविदा प्रक्रिया द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एथेनोल का प्रापण कर रही है। फिलहाल, ओ एम सीज एथेनोल की उपलब्धता के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू कर रही है। दो जिलों नामत: चित्तूर तथा नैल्लोर को छोड़कर संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य में ई बी पी कार्यक्रम लागू करना परिकल्पित है।

**एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता**

**3455. श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में वित्तीय/तकनीकी सहायता का उपयोग किया गया है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**लेबनान से भारत के लोगों को निकालकर लाना**

**3456. श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लेबनान से भारत के लोगों को निकाल कर लाने के लिए आपरेशन 'सुकून' चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस आपरेशन में भारतीय नौसेना के कितने जहाजों को लगाया गया;

(ग) इस समय लेबनान में कुल कितने भारतीय हैं और भारतीय नौसेना ने अभी तक कितने व्यक्तियों को वहां से निकाला है;

(घ) लेबनान पर हाल ही के इस्राइली हमले में भारतीय मूल के कितने लोग मारे गए; और

(ङ) सरकार द्वारा लेबनान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय नौसेना के चार पोत तैनात किए गए थे।

(ग) इस्राइल और लेबनान के बीच हाल ही में लड़ाई शुरू होने के समय लगभग 12,000 भारतीय लेबनान में रह रहे थे। भारतीय नौसेना ने 20 से 29 जुलाई, 2006 के मध्य बेरूत छोड़ने के इच्छुक 2280 व्यक्तियों को वहां से बाहर निकाला। बाहर निकाले गए व्यक्तियों में 69 नेपाली, 436 श्रीलंकाई और 7 लेबनानी नागरिक शामिल थे।

(घ) एक भारतीय नागरिक मारा गया।

(ङ) इस क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी स्थिति के आकलन के पश्चात् भारतीय प्राधिकारियों ने शीघ्रता से कार्रवाई की और भारतीय नागरिकों को लेबनान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्काल व्यवस्था की। बेरूत में भारतीय मिशन विभिन्न भारतीय संगठनों के माध्यम से लेबनान में भारतीय नागरिकों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और लेबनान छोड़ने के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर रहा है।

### पालिया-निघासन-टिकुनिया रेल लाइन के लिए ताजा सर्वेक्षण

3457. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली बरेली पीलीभीत दुधवा सीतापुर-लखनऊ रेल लाइन वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली ट्रेनों से अन्य जीवों के कटने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ट्रेनों के प्रवेश को टालने के लिए पालिया-निघासन-टिकुनिया रेल लाइन बिछाने हेतु ताजा सर्वेक्षण कराने की अविलंब आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो पालिया-निघासन-टिकुनिया रेल लाइन बिछाने हेतु ताजा सर्वेक्षण करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

### लम्बाड़ियों की नरजातीय पहचान

3458. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने संरक्षण हेतु लंबाड़ियों के अनेक सांस्कृतिक पुरावशेषों का संग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के एक जनजातीय समूह लम्बाड़ी के बीच जनजातीय संस्कृति की "नरजातीय पहचान" को संरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृती मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय मानविज्ञान सर्वेक्षण ने लम्बाड़ियों के अनेक सांस्कृतिक शिल्प-तथ्यों का संग्रह किया है और उन्हें परिरक्षित करके मैसूर स्थित क्षेत्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया है। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने ''मानव उत्पत्ति, जीनोम एवं भारत के लोग'' तथा ''सांस्कृतिक विविधता का कीर्तिगान'' नामक दो प्रदर्शनियां आयोजित की हैं जिनमें लम्बाड़ी संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है। लम्बाड़ी समुदाय पर नृजाति-वर्णन रिपोर्टें तैयार की गई हैं और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की राष्ट्रीय श्रृंखला ''भारत के लोग, आंध्र प्रदेश राज्य ग्रन्थ'' तथा ''अनुसचित जनजाति, भारत के लोग'' में प्रकाशित की गई हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में लम्बाड़ियों से संबंधित वस्तुपरक संस्कृति, कलाओं तथा शिल्पों सहित सांस्कृतिक वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह है। उक्त संग्रहालय ने लम्बाड़ियों से संबंधित मंच कलाओं की प्रस्तुति भी आयोजित की है।

**गंतव्य स्थल विकास योजनाएं**

**3459. श्री प्रहलाद जोशी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन केन्द्र विकसित करने के लिए विभिन्न गंतव्य स्थल विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक महत्व वाले लाकुंडी, गदाग, डुम्बल और लक्ष्मेश्वर स्थलों के संबंध में गंतव्यस्थल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास के लिए ''गंतव्य तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास'' की अपनी मौजूदा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटक गंतव्य के विकास से संबंधित परियोजना के लिए अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए तथा पर्यटक परिपथ के विकास के लिए अधिकतम 8.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक सरकार को लाकुंडी, गदाग में 30.00 लाख रुपए की राशि से मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना पूरी हो चुकी है। उसके बाद से डुम्बल तथा लक्ष्मेश्वर के विकास हेतु कर्नाटक राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न इन्हें प्राथमिकता दी गई है।

*[हिन्दी]*

**चावल व्यापारियों को मुआवजा**

**3460. श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को 22 और 23 जून को 'कानकोर' के कन्टेनर के जरिए मुल से मुंबई के रास्ते में वर्धा जल में चावल के भीगने से व्यापारियों को हुए नुकसान की जानकारी है जैसाकि 11 जुलाई, 2006 के नागपुर संस्करण के नवभारत समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या चावल व्यापारियों ने हुए नुकसान हेतु रेलवे में मुआवजे की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पार्टियों के मुआवजा संबंधी दावों की कानकोर द्वारा नियमानुसार जांच की जाएगी।

*[अनुवाद]*

## डिजिटल लाइब्रेरी

3461. **श्री वी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो डिजिटल विषय-वस्तु का भण्डार होगी जिससे सम्पर्क (एक्सेस) आसान हो जाएगा।

(ग) इस परियोजना का समय मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया है।

## एअर इण्डिया का कार्य निष्पादन

3462. **श्री रघुनाथ झा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया 2002 की गर्मियों से 2004 की सर्दियों तक 3.05 से 12.40 प्रतिशत मामलों में अपने उड़ान कार्यक्रमों का अनुपालन नहीं कर पाई;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इण्डिया अपनी कुल उड़ाने का 0.029 से 1.95 उड़ाने रद्द करती है, 3.02 से 10.19 प्रतिशत मामलों में उड़ान का पुनःनिर्धारण तथा 17.35 से 21.87 प्रतिशत मामलों में भारी संख्या में उड़ानों में 20 मिनट से ज्यादा का विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एअर इंडिया के घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) एअर इंडिया की क्षमता तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) एयर इंडिया निरंतर अपने समयबद्ध निष्पादन में सुधार के प्रयास करती है। नेटवर्क के अनुसार एअर इंडिया की उड़ानों की अनुसूचित उड़ानों सहित समयबद्धता ग्रीष्म, 2004 शीत, 2004 के दौरान 69 प्रतिशत थी जबकि रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या 2004 व 2005 में क्रमशः 0.41 प्रतिशत तथा 1.20 प्रतिशत थी। देरियां मुख्यतः तकनीकी कारणों, पुराने बेड़े, हवाईअड्डों के संकुलन तथा एटीसी पर दबाव से हुई।

(घ) एअर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी एअर इंडियां चार्टर लिमिटेड ने 68 नये विमानों की खरीद का आदेश दिया है जो क्रमबद्ध तरीके से नवम्बर, 2006 में सुपुर्द किये जाने हैं तथा जिनसे एअर इंडिया के समयबद्ध निष्पादन में सुधार हेतु बड़ी सहायता मिलेगी। मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों का अवसरंचनात्मक विकास भी इन हवाईअड्डों पर दबावों को दूर करने में सहायक होगा, जिससे सहज प्रचालनों का रास्ता खुलेगा।

## अन्य पिछड़ी जातियों को सूची से बाहर करना

3463. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने हेतु सामाजिक रूप से अग्रणी व्यक्तियों/वर्गों को बाहर रखने हेतु मानदंड निर्धारित करने हेतु विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें दी गई हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऐसे व्यक्तियों/वर्गों की कोई सूची तैयार की है जो वंशानुगत पेशों में शिल्पकारों के रूप में कार्यरत हैं जिन पर बाहर किए जाने का नियम लागू नहीं होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो अन्य पिछड़े वर्गों, जिन पर बाहर रखे जाने का नियम लागू नहीं होगा की पृथक सूची तैयार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त सूची कब तक तैयार और अधिसूचित की जाएगी ?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, हां। विशेषज्ञ समिति दिनांक 22.2.1993 के संकल्प संख्या 12011/16/93-बीसीसी (सी) के तहत नियुक्त की गयी थी।

(ख) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को 10.3.1993 को प्रस्तुत की गयी थी तथा इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के परिणामस्वरूप, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभ से सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों को निकालने के विषय में 9.9.1993 का का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) जारी किया था।

(ग) से (च) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव, जो पहले "क्रीमी लेयर" संबंधी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव थे, को कारीगरों और व्यवसायों एवं आजीविकाओं की सूची विनिर्दिष्ट करने का कार्य सौंपा गया था। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कारीगरों, जो पुश्तैनी व्यवसायों और आजीविकाओं में लगे हुए थे, की सूची कोई नयी अथवा अतिरिक्त नहीं होने जा रही है परन्तु यह केवल ऐसी आजीविकाओं में लगे व्यक्तियों के विषय में होगी परन्तु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में वर्णित जातियों से पहले से संबंधित हों। उन्होंने यह भी राय दी थी कि यदि कारीगरों के रूप में कार्यरत और पुश्तैनी आजीविकाओं में लगे व्यक्तियों के रूप में क्रीमी लेयर के नियम को लागू करने से छूट की सूची तुरंत अधिसूचित नहीं की जाती है तो भी केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण योजना के क्रियान्वयन में कोई कानूनी अथवा अन्य अड़चन नहीं है।

**विवरण**

**विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें**

1. (i) संवैधानिक पद : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि जिनका नियत कार्यकाल होता है, आरक्षण के लाभ से निकाल दिए जाएं। तथापि, उपराज्यपाल, मंत्री विधायिका के सदस्य (जो मुख्यत: संसद सदस्य होते है) आदि जिनका स्वरूप बहुत ही अलग तरह का, अस्थायी और अक्सर अल्पकालिक होता है, को न निकाला जाए।

(ii) सेवा प्रवर्ग

(क) यदि पत्नी या पति में से कोई श्रेणी-I अधिकारी है, सम्मिलित न करने का नियम लागू होगा। जहां पति/पत्नी दोनों श्रेणी-I अधिकारी हैं और उनमें से एक का निधन हो जाता है तो सम्मिलित न करने का नियम फिर भी लागू रहेगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां पति व पत्नी दोनों का निधन हो जाता है अथवा अशक्त हो जाते हैं तो तब यह अपवाद होगा। यहां तक कि किसी ऐसी स्थिति में भी जहां पत्नी/पति में से किसी ने भी यू. एन., आई एम एफ, विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष तक रोजगार का फायदा उठाया है, आरक्षण की प्रसुविधा से, सम्मिलित न करने का नियम लागू होता रहेगा। दूसरा अपवाद ऐसे मामलों में, जहां कोई महिला, जिसने श्रेणी-I अधिकारी से शादी की है स्वयं किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहे, बनाया गया है। यदि वह सामाजिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग की श्रेणी की है तो वह सम्मिलित न किए जाने के नियम से अपात्र नहीं होगी।

(ख) यदि पति/पत्नी दोनों श्रेणी-II अधिकारी हैं, तब सम्मिलित न करने का नियम उनकी संतान पर लागू होगा। यदि पति/पत्नी में से कोई एक श्रेणी-II अधिकारी है तब सम्मिलित न करने का नियम लागू नहीं होगा। यदि पति/पत्नी दोनों श्रेणी-II अधिकारी हैं और इनमें से किसी एक का निधन हो जाता है, तब सम्मिलित न करने का नियम लागू नहीं होगा। तथापि, यदि पति/पत्नी में से कोई उपर्युक्त किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नियोजन का फायदा कम से कम 5 वर्ष तक उठाया है तो मृत्यु की स्थिति में भी सम्मिलित न करने का नियम लागू होगा। यदि पत्नी श्रेणी-I अधिकारी है और पति श्रेणी-II अधिकारी है तथा पत्नी का

निधन हो जाता है, तब सम्मिलित न करने का नियम लागू नहीं होगा परन्तु यदि पति का निधन हो जाता है तो उस स्थिति में सम्मिलित न करने का नियम लागू होगा।

(ग) श्रेणी-I व श्रेणी-II अधिकारियों के संबंध में वर्णित मापदंड पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष व समतुल्य पद तथा निजी क्षेत्र में समतुल्य व हैसियत वाले पदों को धारित करने वाले अधिकारियों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा। तथापि लंबित मूल्यांकन या पद यह देखने के लिए कि कौन से पद समकक्ष या समतुल्य हो सकते हैं अपवर्जन निम्न मद (vi) के अंतर्गत सुझाए गए आय/संपत्ति मापदंड के आधार पर किया जा सकेगा।

(iii) अर्ध-सैनिक बलों सहित सशस्त्र बल (सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति शामिल नहीं है) अपवर्जन नियम सेना में कर्नल और ऊपर के स्तर और नौ सेना और वायु सेना और अर्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर लागू होगा। पति-पत्नी के रैंक आपस में मिलाए जाने का नियम सशस्त्र और अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों के मामले में इन सेवाओं की विशिष्ट प्रकृति और इन बल सदस्यों द्वारा सामना की गई मुश्किलों के मद्देनजर लागू नहीं किया गया है।

(iv) व्यावसायिक वर्ग और ट्रेड, व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति

इस श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जो किसी सरकारी या निजी सेवा नियोजन में नहीं हैं लेकिन डाक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और आय-कर परामर्शक इत्यादि व्यवसायों से जुडे हैं। इनके मामले में अपवर्जन नियम निम्नलिखित पद (vi) में सुझाए आय/संपत्ति मापदंड द्वारा लागू होगा। इसी तरह ट्रेड, व्यवसाय और उद्योग से जुड़े व्यक्ति आय/संपत्ति मापदण्ड द्वारा शासित होंगे।

यदि पति का कोई व्यवसाय है और पत्नी-II या निचले ग्रेड में नियोजित है, तो आय/संपत्ति मूल्यांकन केवल पति की आय के आधार पर ही होगा। इसके विपरीत यदि पत्नी का कोई व्यवसाय है और पति श्रेणी-II या निचले ग्रेड में नियोजित है, तो आय/संपत्ति का मूल्यांकन केवल पत्नी की आय के आधार पर ही होगा और पति की आय इसके साथ नहीं मिलाई जाएगी। ऐसा सुझाव महिलाओं को सेवा या व्यवसायों में आने को हतोत्साहित नहीं करने के लिए किया गया है।

(v) सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि

यदि कोई व्यक्ति (पिता, माता और अवयस्क बच्चों के रूप में परिभाषित) किसी ऐसे परिवार से संबंधित है जिसके पास केवल सिंचित भूमि है और सिंचित भूमि की सीमा (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) की सावधिक उच्चतम सीमा के बराबर या 65% से अधिक है, तो अपवर्जन का नियम लागू होगा। यदि किसी स्थिति में किसी व्यक्ति के पास विभिन्न तरह की सिंचित भूमि है तो कुल भूमि को संगत भूमि उच्चतम सीमा में मौजूद संपरिवर्तन सूत्र के आधार पर सामान्य डिनोमिनेटर के अंतर्गत एकल प्रकार का लाए जाने पर यदि सीमा या सिंचित भूमि 65% तक आती है, तो अपवर्जन नियम लागू होगा।

यदि किसी व्यक्ति की सारी भूमि असिंचित है, तो अपवर्जन नियम चाहे उस भूमि का क्षेत्र कुछ भी हो लागू नहीं होगा। यदि किसी परिवार के पास सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि है, तो अपवर्जन नियम इस प्रकार लागू होगा:

(1) यदि सामान्य डिनोमिनेटर के अंतर्गत एकल प्रकार पर लाए जाने पर कुल सिंचित क्षेत्र सिंचित भूमि की सावधिक उच्चतम सीमा के 40% से कम है तो अपवर्जन नियम लागू नहीं होगा।

(2) यदि उपरोक्त (1) के अंतर्गत कुल सिंचित भूमि की सावधिक उच्चतम सीमा के 40% या इससे अधिक है, व्यक्ति द्वारा धारित कुल

असिंचित भूमि मौजूदा संपरिवर्तन सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार की भूमि में परिवर्तित की जाएगी।

(3) असिंचित क्षेत्र से इस प्रकार गणना किए गए सिंचित क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और इस प्रकार मिलाया गया कुल क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के रूप में 65% अथवा सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी उच्चतम सीमा से अधिक है, तो अपवर्जन का नियम लागू होगा।

नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में जहां भूमि सीलिंग (उच्चतम सीमा) कानून नहीं लागू होते हैं, वहां के लिए यह सुझाव है कि अपवर्जन का नियम कृषि धृति के आधार पर लागू न किया जाए।

**(ख) वृक्षारोपण**

आम, नींबू, संतरा का वृक्षारोपण जिसे कृषि की श्रेणी में रखा जाता है उसे उपर्युक्त (क) की श्रेणी में रखा जाएगा।

चूंकि काफी, चाय, रबर के बागान कृषि संपत्ति के रूप में नहीं दर्ज किए जाते है, इसे उच्चतम सीमा कानून के अधीन नहीं लाया जाता है। इन मामलों में यह सुझाव है कि आय/संपत्ति का मानदंड मद सं. (vi) के अधीन लागू हो।

**(ग) नगर बस्तियों की खाली भूमि और पुराने भवन**

यह सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में आय/संपत्ति का मानदंड मद सं. (vi) के अनुसार लागू किया जाएगा।

**(vi) आय/सम्पत्ति मानदंड**

ऐसे लोग जिनकी सकल वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए* या उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित छूट सीमा से ऊपर की सम्पत्ति है उन्हें लाभ अथवा आरक्षण से अलग रखा जा सकता है। इसमें यह सावधानी और जोड़ी गई है कि यह मानदंड ऐसे लोगों के लिए लागू किया जाए जिनकी आय अथवा सम्पत्ति इस स्तर तक लगातार तीन वर्षों तक रही हो।

विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्णित किसी भी श्रेणी में कोई भी व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ के लिए अपात्र नहीं है, और सम्पत्ति के अन्य स्रोतों से आय रखता है उसे मद सं. (vi) के मानदंड के अधीन माना जाएगा और आरक्षण के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में उसकी आय को वेतन अथवा कृषि भूमि की आय को मिलाए बिना परिकलित किया जाएगा।

**2. विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशें**

**(i) आय सीमा में संशोधन**

समिति ने सुझाव दिया है कि रुपए के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त मानदंड का समय-समय पर उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रतिमानों को प्रति तीन वर्ष में संशोधित किया जाए परन्तु यदि उचित प्रतीत हो तो यह संशोधन पहले कर लिया जा सकता है।

**3. पैतृक व्यवसायों में लगे लोगों के लिए छूट**

ऐसे व्यक्ति जो पैतृक व्यवसायों जैसे- धोबी, नाई आदि के कार्यों में लगे हैं, उन्हें अपवर्जन के नियम से मुक्त रखा जाए।

**4. अत्यधिक पिछड़े वर्गों को अपवर्जन के नियम से मुक्त रखना :**

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार पिछड़े वर्गों को दो या अधिक श्रेणियों में विभाजित कर सकती है (पिछड़ा, अधिक पिछड़ा और उत्यधिक पिछड़ा वर्ग आदि) ऐसे लोग जो निचली दो श्रेणियों में आते हैं अर्थात् अत्यधिक पिछड़े वर्ग में आते हैं उन्हें अपवर्जन के नियम से मुक्त रखा जाए। ऐसे मामलों में 'क्रीमीलेयर' बनाने को विचाराधीन रखा जाए।

*टिप्पणी : सकल वार्षिक आय सीमा को 1.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। संदर्भ-कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (रिज.) दिनांक 9.3.2004।

## सुपर जम्बो यात्रियों के लिए विमानपत्तन

3464. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए शुरू किए गए 500 से ज्यादा सीटों वाले सुपर जम्बो एयरबस ए-380 का संचालन करने के लिए देश में चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की नामनिर्दिष्ट गेटवे के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सबसे बड़ी यात्री जेटलाइनर के लंबे विंगस्पैन के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों को चिन्हित किया गया है।

(ग) ए-380 प्रकार के विमान की हैंडलिंग के लिए, दिल्ली हवाईअड्डे पर दो विमान बे का प्रस्ताव है, मुम्बई हवाईअड्डे पर तीन विमान बे का निर्माण करने तथा बी-3 टैक्सी वे को चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया है, कोलकाता हवाईअड्डे पर एक विमान बे का प्रस्ताव है तथा चेन्नई हवाईअड्डे पर एक विमान बे का निर्माण किया गया है।

*[हिन्दी]*

## अ.जा./अ.ज.जा. के रसोई गैस डीलरों के लिए ब्याज दर

3465. श्री अशोक अर्गल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों जिन्हें रसोई गैस की डीलरशिप आवंटित की गई है को स्वीकृत ऋण पर 17.75 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर वसूलने का निर्देश दिया है जबकि समझौते के वक्त 1 रुपए प्रति सिलिण्डर वसूली राशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सारे देश में अनुसूचित जाति/जन जाति (एस सी/एस टी) श्रेणी की एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के पास एक निकाय निधि योजना है। इस योजना के अनुसार ओ एम सीज आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराती है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने के समय कार्यशील पूंजी ऋण देती है। यह ऋण एक लाइसेंस फीस के रूप में, जो आरम्भ में 1 रुपए प्रति सिलेंडर था और बाद नवम्बर, 1997 में उसे बढ़ाकर 2 रुपए प्रति सिलेण्डर कर दिया गया, हमेशा वसूल किया जाता रहेगा।

सरकार ने ओ एम सीज को सलाह दी है कि जिन वितरकों ने निकाय निधि योजना के अधीन लाभ लिया है, उनसे ओ एम सीज द्वारा लगाई गई पूंजी की पूरी वसूली हो जाने के बाद लाइसेंस फीस की वसूली बंद कर दी जाये। वितरकों को भी विकल्प दिया गया है कि वे निकाय निधि योजना के अधीन बकाया राशि को विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से लाइसेंस फीस अदा करने का विकल्प चुन लें अथवा बकाया राशि को एकमुश्त किसी समय अदा कर दें।

इस समय ओ एम सीज अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उस समय लागू प्राइम लैंडिंग रेट से 1% ज्यादा और वितरकों को दिये गये कार्यशील पूंजी ऋण पर 11% वार्षिक ब्याज वसूल कर रही हैं।

*[अनुवाद]*

## एचसीएल का बीएसएनएल में विलय

3466. श्री रेवती रमन सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) का विलय भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन में, माननीय सांसदों के शिष्टमंडल ने एचसीएल के पुनरूद्धार के लिए जैव्य विकल्प के रूप में एचसीएल को बीएसएनएल के साथ विलय का प्रस्ताव किया है। दूर संचार विभाग में एचसीएल को बीएसएनएल के साथ विलय की जांच की गई तथा यह विचार किया कि इन दोनों के विलय का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि इन दोनो के बीच न कोई कार्यात्मक और ना ही कोई प्रौद्योगिकी सहक्रियाशीलता का संबंध है।

## रक्षा परियोजनाएं

**3467. श्री एन. जनार्दन रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रक्षा परियोजनाओं को पूरा करने में असाधारण विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना की लागत और समय वृद्धि हो गई जैसाकि दिनांक 24 जुलाई, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) से (ग) अनुसंधान एवं विकास संगठन युद्धक वायुयानों, सामरिक प्रणालियों, युद्धक टैंकों, इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति और सूचना प्रणालियों, बख्तरबंद गाड़ियों और शस्त्रास्त्र, जीवन रक्षक प्रणालियों, नौसेना प्रणालियों, प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों आदि के विकास में लगा हुआ है। निम्नलिखित एक अथवा अधिक प्रारंभिक कारणों की वजह से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की कुछ परियोजनाओं में अनुमानित समय से अधिक समय लगा है :-

- तकनीकी जटिलताएं।
- प्रौद्योगिकीय प्रतिबंध/रोक और विभिन्न नियंत्रण व्यवस्थाएं।
- देश में अवसंरचना की अनुपलब्धता।
- विस्तारित और दीर्घकालिक प्रयोक्ता परीक्षण।
- विकास चरण के दौरान प्रणाली विनिर्देशों में संशोधन।

(घ) सरकार ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाएं :-

- बहु स्तरीय समीक्षा तंत्रों के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समय पर समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना।
- नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और निर्धारण को अपनाना।
- प्रयोक्ता सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पादन एजेंसियों के बीच सामूहिक बैठकों के माध्यमों से सहयोग और बेहतर तालमेल बढ़ाना।
- विकास और उत्पादन के लिए "समवर्ती इंजीनियरी" और "संयुक्त उद्यम" दृष्टिकोण अपनाना।
- बेहतर परियोजना प्रबंधन विधियां तैयार करके कार्यान्वित करना।

*[हिन्दी]*

## भीम बेतका पर रेलवे स्टेशन का निर्माण

**3468. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को भी बेतका पर नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

**जीएमआर फ्रैपोर्ट में विदेशी नागरिक की नियुक्ति**

3469. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आईजीआई विमानपत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में लेने वाले जीएमआर फ्रैपोर्ट कंसोर्टियम ने इसके प्रमुख के रूप में एक विदेशी नागरिक को नियुक्त किया है जैसा कि दिनांक 26 जुलाई, 2006 के दि **इकोनामिक टाइम्स** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कंसोर्टियम द्वारा सुरक्षा मंजूरी ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (घ) दिल्ली हवाईअड्डा एक संयुक्त उद्यम कंपनी दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) के नियंत्रणाधीन है, जिसके प्रमुख एक भारतीय नागरिक श्री श्रीनिवास बोम्मीदला हैं। श्री श्रीनिवास बोम्मीदला के नीचे एक ग्रीक नागरिक मि. इयोनिस पापास्टीफानु को दिल्ली हवाईअड्डे का मुख्य प्रचालन अधिकारी (सी ओ ओ) नियुक्त किया गया है। मि. इयोनिस पापास्टीफानु को हवाई अड्डा प्रवेश-पास (एईपी)/फोटो पहचान-पत्र (पी आई सी) जारी करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) ने आसूचना ब्यूरो से सुरक्षा संबंधी क्लियरेंस ली थी। दिल्ली हवाईअड्डे की जे वी सी के कंसोर्टियम की सुरक्षा जांच की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**अजंता गुफाओं में रिसाव**

3470. **श्री सुरेश अंगदि** :
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजंता में भव्य प्राचीन शिला गुफाएं वर्षा जल के रिसाव के कारण खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिला-गुफाओं को मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक आपदा से संरक्षित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) वर्षा के पानी के रिसाव के कारण अजन्ता गुफाएं खतरे में नहीं है।

(ख) से (घ)अजंता गुफाएं दक्कन का पठार में खोदी गई हैं जहां कई प्राकृतिक क्षैतिज तथा उर्ध्वाकार ठंडक प्रदान करने वाली दरारें हैं जहां से वर्षा के पानी का रिसाव होता है। वर्षा समाप्त होने के बाद भी कुछ दिन रिसाव होता रहता है। मानसून के दौरान गुफा सं. 1, 2, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 व 26 में रिसाव होता है। रिसाव के अधिकांश प्वाइंट गुफाओं के बरामदों में है।

रिसाव तथा भूतल जल प्रबंधन की समस्या पहले ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (सी डब्ल्यू पी आर एस) तथा संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, चैन्नै (एस ई आर सी) को भेजी जा चुकी है तथा अध्ययन प्रगति पर हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनुसार, भूतल जल को नियंत्रित करने के लिए तीन विभिन्न स्तरों पर मुहैया किए गए परिधिरेखा के नालों (कण्टूर ड्रेन्स) की मरम्मत की गयी है। कई गुफाओं के क्षतिग्रस्त तथा लापता अग्रभागों तथा खम्भों को पुन: निर्मित किया गया है जिन्होंने गुफाओं में वर्षा के जल के प्रवेश को प्रभावकारी रूप से नियंत्रित किया है।

जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन प्रोजेक्ट के अधीन अजंता और एलौरा गुफाओं के संरक्षण कार्यों की मानीटरिंग करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया गया है और नवम्बर, 2004 तथा नवम्बर, 2005 तें इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं जिसमें गुफाओं के संरक्षण की समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी।

*[हिन्दी]*

## सांस्कृतिक विरासत का पुनरूद्धार

**3471. श्री अशोक अर्गल** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं सदी के शैवायत मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया, मिटारली, बटेश्वर और कुछ अन्य स्थानों पर अवस्थित हैं जिनमें 108 शिवलिंगों वाला विशिष्ट मंदिर शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रस्ताव इनके पुनरूद्धार के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का है ताकि इन पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के मौरैना जिला में बटेश्वर, सिहोनिया, मितराली, पदावली के संरक्षित मंदिरों तथा नारेसर स्थित मंदिर समूहों का नियमित संरक्षण कार्य करता है जैसा कि वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम में व्यवस्था है।

उपरोक्त मंदिरों के संरक्षण तथा रखरखाव के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय तथा वर्ष 2006-07 के लिए किया गया आबंटन निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

| वर्ष | व्यय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2003-04 | 1.61 |
| 2004-05 | 9.68 |
| 2005-06 | 35.12 |
| 2006-07 के लिए आबंटन | 64.78 |

*[अनुवाद]*

## ट्रैवल पैकेज

**3472. श्री रेवती रमन सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैवेल एजेंसियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को कई ट्रैवल पैकेजों की पेशकश की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि इन पैकेजों के विज्ञापनों में अंतर्विष्ट किसी विशेष शर्त के कारण पर्यटकों को ठगा न जाए और ये वास्तविक एवं गुणवत्ता पूर्ण हों; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने तथा सेवा तथा गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास प्रामाणिक ट्रेवल एजेंटों, टूअर आपरेटरों, पर्यटक परिवहन आपरेटरों, डोमेस्टिक टूअर आपरेटरों तथा एडवेंचर टूअर आपरेटरों को मान्यता प्रदान करने की एक स्वैच्छिक योजना है। यह मान्यता आवेदकों द्वारा दिशा-निर्देशों में दिए गए विभिन्न प्रावधानों और शर्तों को पूरा करने पर ही दी जाती है। शुरूआत में यह मान्यता 3 वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है और उसके बाद इसे 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया जाता है। इसके अलावा, पर्यटकों की शिकायत निवारण के लिए पर्यटन मंत्रालय में एक शिकायत कोष्ठ है।

### लेह में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण

3473. श्री छेवांग चुपस्तन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में एवं सिंधु नदी पर स्थित बार्चिंग घाट पर सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई है;

(ग) क्या लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) भारतीय गणतंत्र की 50वी वर्षगांठ मनाने के भाग के रूप में वर्ष 2000-2001 के दौरान, लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद को लेह में एक बहुदेशीय सांस्कृतिक परिसर (सिंधु संस्कृत केन्द्र) के लिए 300.00 लाख रु. मंजूर किए गए और जारी किए गए। तदनंतर, परिषद द्वारा कार्य का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी। लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद ने परियोजना को पूर्ण करने के लिए 544.80 लाख रु. की संशोधित परियोजना लागत सूचित की है। चूंकि भारतीय गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ का समारोह पहले ही पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत आरंभिक रूप से परियोजना को मंजूर किया गया था, संस्मारक कार्यक्रमों के लिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2000-2001 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने शे, लेह (चरण-1) में सिंधु घाट के निर्माण के लिए 98 लाख रु. मंजूर और जारी किए थे और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा परियोजना पूर्ण कर ली गई है।

### प्राकृतिक गैस की बिक्री

3474. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री चतुरभाई पनाभाई पारड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना, मुक्ता और तापती (पी एम टी) संयुक्त उद्यम भागीदारों ने 1 अप्रैल, 2006 से 4 एम एम एस सी एम डी तक प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो बोलीदाताओं में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (जी एस पी सी) ने गैस के लिए उच्चतम मूल्य की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो जी एस पी सी को गैस आवंटित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने निविदा प्रक्रिया नियमावली का पालन करने तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले जी एस पी सी को गैस की पेशकश करने के लिए केन्द्र सरकार से अभ्यावेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) पन्ना, मुक्ता और तापी संयुक्त उद्यम (पी एम टी जे वी) वर्ष 2004-05 से लगभग 10.6 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) गैस का उत्पादन कर रहा है। सरकार ने 1.4.2005 से पी एम टी जे वी को 4.6 एम एम एस सी एम डी गैस की सीधी बिक्री करने की अनुमति दी थी। शेष 6 एम एम एस सी एम डी गैस एक वर्ष की अवधि अर्थात 31.3.2006 तक गेल के माध्यम से विद्यमान विद्युत और उर्वरक उपभोक्ताओं को सतत रूप से आपूर्ति की जाती रही है। यह भी निर्णय लिया गया था कि गेल के माध्यम से गैस की आपूर्ति की स्थिति की पुनरीक्षा वर्ष के अंत में की जाएगी। इस बीच संभवत: यह माना गया कि गेल द्वारा विपणन की जा रही गैस को 1.4.2006 से जे वी द्वारा सीधे विपणन के लिए जारी किया जाए। पी एम टी जे वी ने संभावित खरीददारों से 1 अप्रैल, 2006 से 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 एम एम एस सी एम डी तक गैस की खरीद करने के लिए इस शर्त पर हिताभिव्यक्ति मांगी कि जे वी को बेची जाने वाली मात्रा निश्चित करने का अधिकार होगा। पी एम टी जे वी द्वारा दी सूचना के अनुसार जी एस पी सी और एक दूसरे खरीददार ने इस गैस के लिए सर्वाधिक

मूल्य का प्रस्ताव किया था। गेल द्वारा विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 31.3.2006 के बाद गैस की आपूर्तियां जारी रखने के मामले की मार्च, 2006 में मंत्रालय में पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर इस व्यवस्था को और दो वर्षों अर्थात 31.3.2008 तक जारी रखा जाएगा क्योंकि इस समय गैस आपूर्ति के कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है और गैस आपूर्तियों में किसी भी व्यवधान से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान परिसंपत्तियां बेकार पड़ी रहेंगी।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने संसद सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री को सम्बोधित दिनांक 8.3.06 के पत्र की एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त की थी। इस समय पी एम टी जे वी के गैस उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं है। वर्ष 2007 के मध्य से अतिरिक्त गैस का उत्पादन होने की आशा है। जी एस पी सी अपनी आवश्यकताओं के लिए पी एम टी जे वी से गठबंधन कर सकता है।

### थल सेना की आधुनिकीकरण योजना

3475. श्री राजपति सांबासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना ने आधुनिकीकरण योजना पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सेना का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं, खतरे की संभावनाओं तथा इनके निवारण के विश्लेषण पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में मौजूदा और प्रत्याशित खतरे के आधार पर सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक समग्र अध्ययन किया गया है। इसको 31.03.2017 तक की समयावधि को शामिल करते हुए सेना की दीर्घकालीन संदर्शी योजना के भाग के रूप में प्रक्षेपित किया गया है जो पंचवर्षीय योजना और वार्षिक अधिग्रहण योजना का आधार होगा। सेना के आधुनिकीकरण हेतु हथियार तथा उपस्कर वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं में शामिल किए जाते हैं तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए इनकी अधिप्राप्ति की जाती है।

*[हिन्दी]*

### गेल अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3476. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गेल (इंडिया) लि. के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध नवम्बर, 2002 में मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एस पी, सी बी आई, ए सी बी नई दिल्ली ने दिनांक 14 नवम्बर, 2002 की आर सी संख्या डी ए आई -2002-ए-0063 के साथ एफ आई आर संख्या 0016354 द्वारा गेल के तीन अधिकारियों के विरूद्ध एक मामला दर्ज कराया है। सी बी आई ने एक अधिकारी श्री ए.के. राय, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक (कारोबार विकास) के विरूद्ध मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। गेल प्रबंधन ने इसके बजाए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विधिवत परामर्श करने के बाद, अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभी तक इस मामले में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

---

मध्याह्न 12.00 बजे

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[हिन्दी]*

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 1145 (अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयोग की पुनर्स्थापना तथा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की नियुक्ति खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में की गयी है।

(दो) का.आ. 1297 (अ) जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जुलाई, 2006 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1145(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 जो 17 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 483 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4864/06]

*[अनुवाद]*

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4865/06]

(ख) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4866/06]

(3) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4867/06]

(5) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4868/06]

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या सा.का.नि. 307(ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4869/06]

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : महोदय, मैं निमनलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य संशोधन नियम, 2006 जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 11 अगस्त 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4870/06]

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) भारत में बाघ रिजर्व के मूल्यांकन प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4871/06]



(2) बाघ रिजर्व के आकलन प्रतिवेदन की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4872/06]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4873/06]

---

अपराह्न 12.01 बजे

## लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

### तीसरा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री चन्द्रभूषण सिंह** (फरुखाबाद) : मैं लाभ के पदों संबंधी सयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

अपराह्न 12.02 बजे

## रक्षा सौदों की जांच के बारे में दिनांक 10.8.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

*[अनुवाद]*

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : महोदय मैंने लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 दिनांक 10/08/06 के भाग(ग) (दो) में उत्तर दिया

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4874/06

[श्री प्रणब मुखर्जी]

था कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2005 (डी पी पी 2005) में कुछ प्रावधानों में" 300 करोड़ रु. से ज्यादा की खरीद हेतु निष्ठ समझौता पर हस्ताक्षर किया जाना" शामिल है। उत्तर में दर्शाई गई "300 करोड़ रु." की संख्या को "100 करोड़ रु." पढ़ा जाए।

जैसे ही त्रुटि ध्यान में आई, उसे दूर करने के लिए कार्रवाई की गई है।

शुद्धि करने वाला वक्तव्य अब सभा पटल पर रखा जा रहा है।

---

अपराह्न 12.08 बजे

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

**(एक) कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 157वें, 166वें, 170वें, 172वें और 174वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

*[हिन्दी]*

*लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निर्देश पर लोक सभा बुलेटिन-भाग-II दिनांक 1 सितंबर, 2004 विहित लोक सभा में कार्यविधि और कारबार संचालन नियम के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की 152वीं, 165वीं, 170वीं, 172वीं और 174वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की "पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कयर उद्योगों की क्षमता और सुधार पर समिति की 141वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई" पर 157वीं रिपोर्ट में 22 सिफारिशें/अवलोकन हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कयर उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा विहित करते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 12 दिसंबर, 2005 को प्रस्तुत की गयी है।

अनुदानों की मांगे (2004-05) पर समिति की 152वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई पर 166वीं रिपोर्ट में 12 सिफारिशें/अवलोकन विहित है। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए कार्यनीति बनाने, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मौजूदा श्रम कानूनों में सुधार, भंडार मालसूची कम करने और राज्य सरकारों द्वारा रिबेट के बकाए के भुगतान के लिए प्रभावी उपाय करने, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे अपारम्परिक राज्यों में निकटतम उपलब्ध स्थान से कयर फाइबर का स्रोत खोजकर कयर इकाइयां स्थापित करने की कार्यनीति का कार्यान्वयन करने, स्फूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र पर वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में क्लस्टरों के विकास से संबंधित है। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरादेते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 8 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की 170वीं रिपोर्ट में 59 सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर ऋण की सामयिक और पर्याप्त सुपुर्दगी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वित्तीय सहायता के रूप में विपणन समर्थन सुनिश्चित करते हुए कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को युक्ति संगत बनाने और सुदृढ़ करने, आरईजीपी और पीएमआरवाई के अधीन रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, खादी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने, कयर उद्योगों के लिए सहकारिताकरण स्कीम के सुदृढ़ीकरण, ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन को बढ़ाने, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को कर छूट के रूप में राजकोषीय रियायत तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित हैं। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

---

*सभा पटल में रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4875/06

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की "कयर उद्योगों के संवर्धन और प्रचुरोद्भवन के लिए आवश्यकता" पर 172वीं रिपोर्ट में कयर क्षेत्र के संबंध में 36 सिफारिशें/अवलोकन विहित हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर पारम्परिक और अपारम्परिक अंचलों में कयर उद्योग के संवर्धन और पुधुरोद्भवन के लिए आवश्यकताओं और कयर क्षेत्र ने बाजार विकास से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशें/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिशें/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई दर्शाते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 9 मार्च, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के अधीन स्कीमों के अनुवीक्षण और सामायिक तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वयन पर 174वीं रिपोर्ट में 17 सिफारिशें हैं। ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से पीएमआरवाई के बेहतर कार्यकरण के लिए मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने, इन राज्यों में ग्रामोद्योगों के सुधार के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने से संबंधित है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 6 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा इस वक्तव्य के अनुबंध-I से V में दिया गया है जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया हैं मैं इन अनुबंधों की विषयवस्तु पढ़ने के लिए सदन का मूल्यांकन समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इन्हें पठित माना जाए।

---

**अपराह्न 12.03½ बजे**

## (दो) रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वां, से 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*[अनुवाद]*

***रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग 2 के माध्यम से जारी निदेश 73(क) के अनुसरण में रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

लोक सभा को 25.11.2005 को प्रस्तुत "यात्री सुविधाएं" पर समिति के 15वें प्रतिवेदन में सात सिफारिशें थी और इस पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां का अंग्रेजी रूपांतर 12.04.2006 को तथा हिन्दी रूपांतर 15.5.2006 को प्रस्तुत की गई थी।

दिनांक 09.12.2005 के लोक सभा को प्रस्तुत "रेलवे नेटवर्क-नई लाइनें का विस्तार - आमान परिवर्तन दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण" पर समिति के 16वें प्रतिवेदन में आठ सिफारिशें थी तथा इस पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां समिति को 18.5.2006 को (अंग्रेजी रूपांतर) तथा 6.6.2006 को (हिन्दी रूपांतर) प्रस्तुत की गई थी।

दिनांक 03.02.2006 को लोक सभा को प्रस्तुत "प्रोडक्शन यूनिट्स एण्ड रेलवे वर्कशाप्स एण्ड मेन्टेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक" पर समिति के 17वें प्रतिवेदन में 20 सिफारिशें थी और इन पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां समिति को 28.04.2006 को (अंग्रेजी रूपांतर) तथा 15.05.2006 को (हिन्दी रूपांतर) प्रस्तुत की गई थी।

दिनांक 22.02.2006 को लोक को प्रस्तुत "वर्ष 2005-06 हेतु अनुदानों की मांगों" पर समिति के 18वें प्रतिवेदन में 11 सिफारिश की और इस पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां 19.07.2006 को (अंग्रेजी रूपांतर) तथा 02.08.2006 को (हिन्दी रूपांतर) समिति को प्रस्तुत की गई थी।

इन प्रतिवेदनों में की गई सभी सिफारिशों का ब्यौरा तथा इनके कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला वक्तव्य संलग्न है। चूंकि वक्तव्य काफी लंबा हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

---

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य कार्य प्रणाली के तहत अब हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करना है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं।

*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल में रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4876/06

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे एक वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है, जिनके नाम ध्यानाकर्षण की सूची में हैं, इसे बाद में लेने के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा। अभी 3-4 अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं वादा करता हूं कि यहां उपस्थित सभी नेताओं की जानकारी तथा सहमति से मैं इसके तुरंत बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आऊंगां शेष मामले अपने आप आज लिये जाएंगे।

अब श्री ढींडसा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने वचन दिया है। मैं आपको बुलाऊंगा बशर्ते कि सभा चले। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैंने आज क्वश्चन आवर सस्पैंड करने का नोटिस इसलिए दिया था कि पिछले दो-तीन दिनों में दो ऐसे वाक्ये हुए हैं जिनसे सारी दुनिया के सिखों के दिलों पर चोट पहुंची है और बहुत प्रोटैस्ट्स हो रहे हैं। मैंने अपने नोटिस में दो बातों का जिक्र किया है - एक मामला सऊदी अरब से संबंधित है और दूसरा जयपुर से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्लीज़, आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आश्वासन दिया हैं मैं माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा। हम इस पर सहमत हुए हैं। मैं एक-एक करके बुलाऊंगां आप सभी एक साथ नहीं बोल सकते, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कृपया उन्हें अपना निवेदन करने दें।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हमने विषय एप्रूव किया है। आप बोलिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी बोलिए। अगर जरूरत होगी तो आपको भी बुलाएंगे।

*(व्यवधान)*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : एक डाक्टर सऊदी अरब में गया। वहां जाने पर उस कंपनी ने उसे कहा कि पहले आप अपने हेयर कटवाओ, उसके बाद हम आपको नौकरी पर रखेंगे। उन्होंने इस बात को ऑब्जैक्ट किया और कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए आप मुझे वापस भेज दीजिए। उस कंपनी ने उसे वापस भेजने की बजाय उसका पासपोर्ट रख लिया। परसों एसजीपीसी के प्रैजीडैंट को उसकी लैटर मिली। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी। एसजीपीसी के प्रैजीडैंट ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी। अभी तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। डॉ. साहब की छोटी सी लैटर है, जिसे मैं यहां पढ़ना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है। आप इस मामले का संदर्भ नहीं दे सकते। आप यह पत्र नहीं पढ़ सकते।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : सरकार इस बात का नोटिस ले क्योंकि यह बात काफी दिन से चल रही है। हम चाहते हैं कि डा. को उसका पासपोर्ट मिले। अगर वह बाहर नहीं रहना चाहता, तो उसे वापस आने की इजाजत मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा जयपुर का है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा) : महोदय, वे 'शून्य काल' में एक साथ दो मामले नहीं उठा सकते...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह अजीब बात है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : दूसरा मुद्दा जयपुर का है। वहां कुछ लड़के एक लड़की से छेड़खानी कर रहे थे, तो सिख स्टूडैंट ने उनको रोका। इस पर उन चार लड़कों ने उस सिख स्टूडैंट के बाल काट दिये। इसको लेकर बहुत बड़ा प्रोटैस्ट हुआ।...*(व्यवधान)* मैं ही नहीं, बल्कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रैजीडैंट भी वहां गया। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अत्यंत निंदनीय कार्य है।

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : मैंने भी कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि अगर उन लड़कों को अरैस्ट नहीं किया जाता तो हम यह प्रोटैस्ट जारी रखेंगे। हमें खुशी है कि वे लड़के अरैस्ट हो गये। लेकिन उन पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यह सारे सिखों के लिए अपमान की बात है। ...*(व्यवधान)* आप देखिये कि ये लोग कितने सीरियस हैं? ये लोग पहले इश्यू को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप हमें बोलिये। हम आपकी बात रिकार्ड करवाते हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर जाइये।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : मैं सारे हाऊस से दरख्वास्त करता हूं कि सिखों ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : देश के लिए जो भी किया है, उसमें हम सब भी शामिल हैं

*(व्यवधान)*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : जहां भी ऐसा होता है, वहां मैटर को कंडम करना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बैनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय हम इसकी निंदा करते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अध्यक्ष पीठ से आप सभी की ओर से इसकी निंदा करता हूं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : सारे लोग इस बात को कंडम करें। सरकार को इन दोनों इश्यूज को गंभीरता से देखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय मैंने भी नोटिस दिया है... *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस बारे में बोलना चाहते हैं, तो हम आपको बोलने के लिए बुलायेंगे।

*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : आपने पूरे सदन की ओर से इस घटना की निंदा की, यह सर्वथा उचित है क्योंकि जो कुछ हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा होता और उसमें कोई बात होती, तो वह एक साधारण बात होती। लेकिन जिस प्रकार से उन लड़कों ने सिख लड़के के बाल काटकर उसे एक प्रकार से अपमानित किया है, स्वाभाविक रूप से उसकी बहुत प्रतिक्रिया हैं मेरे दूसरे साथी भी वहां गये थे। सिद्धू जी कल जयपुर गये थे। वे वहां सब अधिकारियों से मिले। सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी, वह उन्होंने की है। मैं यहां इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिकायत उस सैंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में भी है। अब वह शिकायत सही है या गलत, इस बारे में मैं नहीं जानता। मुझे वहां की सरकार ने बताया कि उस बारे में

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

जांच और आवश्यक कार्रवाई केन्द्र सरकार के एचआरडी मंत्री ही कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में पूरे देश के सिख समुदाय को हिला देने वाली जो घटना हुई है, मैं उसकी भर्त्सना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक लड़की के साथ कुछ गुंडे छेड़खानी कर रहे थे, तो एक सिख लड़के ने उनको ऐसा करने से रोका। तीन-चार दिन पहले उन्होंने उस लड़के को घेर कर मारा और उसके बाल काट दिये। हालांकि पहले भी उस लड़के ने कम्पलेंट की थी। इसका प्रतिफल यह हुआ कि इससे पूरे देश के सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस लगी है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि राजस्थान में सबसे पहले माइनौरिटीज पर, मुसलमानों पर अटैक किये गये। उसके बाद क्रिश्चियन्स पर अटैक किये गये।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे हटा दिया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : उसके बाद मुसलमानों पर हमले किए गए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे हटा दिया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या बात कर रहे हैं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग बैठिए।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय इतना ही नहीं* हमेशा इसी तरह के काम करते हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे मेरे पास लायें, मैं इसे देखूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय यदि उन्हें बोलने दिया जाता है, तो मुझे भी बोलने दिया जाए।

*[हिन्दी]*

ये लोग हमेशा इससे भी ज्यादा खराब लैंग्वेज बोलते हैं। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री से पूरे देश के सिख समुदाय से माफी मांगने की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. करण सिंह यादव।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे मेरे पास लायें, मै इसे देखूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जा रहा। मैंने इसे निकाल दिया है।

*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री श्रीचन्द कृपलानी आप अपनी सीट पर जायें। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। आप इस सीट से नहीं बोल सकते।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जा रहा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने डा. करण सिंह यादव को बोलने के लिए कहा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। वहां इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है जिसे लेकर पूरे सिख समुदाय में भारी आक्रोश है और जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या होगी कि पिछले... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा करण सिंह यादव ने श्री ढींडसा द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध दिया है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें काबू में करें। उनकी सीट वहां है। मैं उन पर नियंत्रण कर रहा हूं। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने दिया है। कृपलानी जी एक न एक दिन आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप जानबूझ कर सभा के काम में व्यवधान डाल रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप जारी नहीं रखना चाहते, तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है? आप लोग बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा के सभी-वर्गों से सहयोग करने की अपील करता हूं। कुछ माननीय सदस्य कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैं आंध्र प्रदेश से मेरे मित्रों को बुलाना चाहता हूं। वे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कृपाल यादव, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैं आपका नाम लूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. करण सिंह यादव** : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। मैं राजस्थान से सांसद हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप एसोशिएट कर दीजिए। आपका नाम रिकार्ड में आएगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. यादव, आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है।

*[हिन्दी]*

प्लीज आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : बिना मेरी अनुमति के कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें भी शांत करने की कोशिश कर रहा हूं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैंने सभी आपत्तिजनक टिप्पणियां हटा दी हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदन के नेता से अपने सदस्यों को नियंत्रित करने की अपील करता हूं। यह उचित तरीका नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह दुर्भाग्य की बात है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 1.00 बजे**

*लोकसभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल** (झुंझुनू) : राजस्थान में पांच लोग बाढ़ में बह गए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा। श्री प्रभुनाथ सिंह के वक्तव्य को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए, आपका कुछ भी रिकार्ड में नही जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मुझे खेद है। कृपया बैठ जायें।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप शोर क्यों मचा रहे हैं? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी दोपहर के एक बजे हैं तथा हमने आज किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की। हमे सभा के समय का सदुपयोग करना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**डा. करण सिंह यादव** : महोदय, मैं राजस्थान से एकमात्र सदस्य हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह देश एक संघीय ढांचे पर चलता है और अभी जो परिस्थिति बनी हुई है कि केन्द्र सरकार उन राज्यों को जिनमें कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित दलों की सरकारें नहीं हैं अनावश्यक रूप से उन राज्यों में हस्तक्षेप कर रही है। खास तौर से बिहार में इसलिए हस्तक्षेप कर रही है कि कुछ बिहार के जो अपने को राजनीतिक आका कहते हैं वे लोग केन्द्र सरकार पर दबाव बनाते हैं और उनके दबाव की बदौलत केन्द्र सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के तौर पर 6-7 तारीख को राज्य में सूरजगाढ़ थाने में एक घटना घटी, जिसमें एसपी ने स्वयं जाकर एफआईआर कराई थी और उसी घटना में 13 अगस्त को अपने को जो पीड़ित हरिजन महिला कहती थी मुंगेर में जाकर हरिजन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अध्यक्ष जी, इन दोनों घटनाओं में कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य का विषय है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे देखूंगा। यदि यह राज्य का विषय है तो आप इसे यहां नहीं उठा सकते हैं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : 22 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास पर पीड़ित महिला मिलने गयी। मुख्यमंत्री ने वहां जो दरोगा महिला थी उसको बुलाकर कहा कि एफआईआर कराओ और इसको मैडीकल जांच कराओ। पीड़ित महिला वहां से भाग गयी और उसने मैडीकल जांच नहीं कराई।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य का विषय है। हम यहां से कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष जी, केन्द्र इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है और उसके हस्तक्षेप का कारण यह है कि*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायगा। कृपया ऐसी बातें नहीं करें। मेरे द्वारा दिए गए अवसर का दुरूपयोग नहीं करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है। इसकी अनुमति नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : राजद के लोग घटना को अंजाम दिलवाते हैं और केन्द्र सरकार खासकर*.... इन लोगों को संरक्षण देते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा को चलाना मेरे लिए असंभव होता जा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

रहा है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : डिलीट कर दिया है।

*(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना ही सबसे अच्छा होगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सोचता हूं कि यही बेहतर होगा। मैं सभी का सुझाव चाहता हूं कि क्या सभा को स्थगित कर दिया जाए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर जांय तथा चुप रहें

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रभुनाथ जी, आपकी बात समाप्त हो गई है। आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायगा। एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर जांय तथा चुप रहें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, मैं आपके खिलाफ नोटिस जारी करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल पर दो दिन पहले आपने बोलने की इजाजत दी थी।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन राज्य के विषय नहीं लाएं। मैंने किसी को राज्य से संबंधित मामले लाने की अनुमति नहीं दी थी। आप कुछ कहना चाहते थे।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल पर चर्चा हुई थी। आपने बोलने की अनुमति दी थी। आज मानवाधिकार के लोग उस महिला को लेकर घूम रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस महिला के साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप दोनों खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। किसकी बात सुनें?

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया यह ध्यान रखें कि आपका योगदान आने वाली संतति के लिए रिकार्ड किया जायेगा। इसके लिए कृपया ऐसे मामले नहीं उठाएं जो इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर हों।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए, वह बात प्रोसीडिंग से हटा दी गई है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उन्हें सुनना है। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कृपाल यादव, आप क्या कर रहे है?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी एक लाइन भी रिकार्ड में नही जा रही है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह, राज्य से संबंधित मामलों का उल्लेख नहीं करें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप किस को बोलने के लिए मना करोगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कह रहा हूं कि बहुत हो गया है, आप बैठ जाइए। बहुत हो गया, सब देख लिया।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया ऐसा ही करें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह की एक घटना आरा में भी घटित हुई है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि घटना करने वाले कौन हैं, लेकिन वे बिहार की सड़कों पर घूम-घूम कर कह रहे हैं*...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं

*(व्यवधान)*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : *...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मुझे खेद है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। आप अवसर का दुरूपयोग कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे निकाल दिया जाएगा।

*(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे निकाल दिया हैं

*(व्यवधान)***

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, यह ठीक नहीं है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रभुनाथजी, आप यह जानबूझकर बोल रहे हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मधुसूदन रेड्डी आप आगे आइए। यह ठीक नहीं है। मैंने श्री मधुसूदन रेड्डी को बोलने के लिए कहा है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथसिंह जी, यह बहुत गलत बात है। कृपया मुझे बोलने दीजिए। आप एक सदस्य के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। यह उचित नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपका आदर करता हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप केन्द्र के भेदभाव का मामला उठाना चाहते थे किंतु आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा कि इसे मैंने कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है। मैंने इस पर अपनी असहमति व्यक्त कर दी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**अपराह्न 1.10 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई*

---

**अपराह्न 2.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

*[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यो, सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 2.01½ बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई*

---

**अपराह्न 3.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

*[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]*

## अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

### सभा के कार्यकरण के बारे में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बोलने के लिए अवसर दूंगा। कृपया सभा को सामान्य ढंग से काम करने दीजिए।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजनावकाश के पूर्व मैंने सभा को स्थगित किया था। मुझे यह बताया गया है, क्योंकि इस घटना को टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया, कि जैसे ही मैं उठकर बाहर गया सभा में कुछ अत्यंत निंदनीय घटना घटित हुई है। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे विश्वास है कि भारतीय संसद में ऐसी घटना के प्रति यहां बैठे सभी पक्षों के सदस्य अपना गहरा क्षोभ, दु:ख व्यक्त करते हुए इस घटना की निंदा करने में मेरा साथ देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य यह चाहेगा कि सभा कि गरिमा तथा साख को

न केवल बनाए रखा जाए अपितु उसे बढ़ाया भी जाए। इसलिए मैं सभी सदस्यों से यह अपील करता हूं कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी सुचारू रूप से कार्य करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सहयोग करें।

मैं पुनः कहता हूं कि जिस घटना के बारे में मुझे बताया गया है, वह घटित नहीं होनी चाहिए थी। यह बहुत गलत बात है। इससे हमारी इस सर्वोच्च संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मैं अध्यक्ष के नाते इस घटना की भर्त्सना करता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं जो सदस्य कुछ कहना चाहते हैं उन्हें अपनी बात यहां रखने का अवसर देने की हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हर चीज की कुछ सीमा होती है। हमारा न तो कोई व्यक्तिगत मुद्दा होता है, न ही कोई व्यक्तिगत हित। हम तो मात्र यह चाहते हैं कि यह सभा सुचारू रूप से कार्य करती रहे। इसलिए मेरा एक बार पुनः आप से यही अनुरोध है। मैं आप से सहयोग का भी अनुरोध करता हूं।

कतिपय ऐसे शब्द हैं जो कार्यवाही-वृत्तांत में गए हैं। मैं उन शब्दों को निकाल दूंगा। मेरा यही कहना है कि मैंने पहले ही इन शब्दों को निकालने का निर्णय ले लिया है। इन शब्दों को निकाल दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से, जैसा कि आप चाहते हैं, इस सर्वोच्च संस्था का कोई अनादर नहीं होगा। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि इस घटना में कुछ गलती हुई है, कोई गलत व्यवहार हुआ है तो मैं उसकी भी पुरजोर भर्त्सना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है और सदस्य भी ऐसा महसूस करेंगे कि ऐसी घटना से न तो सदस्यों की साख बढ़ती है और न ही देश का भला होता हैं इस सभा के सदस्य होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है तथा उसी में इसका सम्मान निहित है। लोगों ने हमें चुनकर यहां भेजा है इसलिए हम सभी को आपस में सहयोग करना चाहिए।

कृपया यह मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सभी सदस्यों का सम्मान करता हूं। मैं केवल उसी अंश को निकालूंगा जो कि निंदनीय हैं तथा कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किए जाने के लायक नहीं हैं। जो अनुचित शब्द यहां उपयोग किये गऐ हैं, मैं उनका भी पुरजोर विरोध करता हूं। अब हमें इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। सदन के सुचारू कार्यकरण के लिए हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, श्री प्रभुनाथ सिंह से मेरा यही निवेदन है। इस पक्ष से श्री लालू प्रसाद यादव तथा प्रत्येक सदस्य से भी यही अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह महान संस्थान सुचारू रूप से अपना कार्य करे। इस महान संस्थान के प्रति हम गहन सम्मान की भावना रखते हैं। हमें स्वयं ही इसे नष्ट नहीं करना चाहिएं अतएव यह मेरी अपील है।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि संसदीय जनतंत्र में मर्यादित भाषा के इस्तेमाल से, गार्डेड लैंग्वेज में कटु से कटु बात को भी रखा जा सकता है। आपने अभी अपील की, आपके अपील करने से पहले मैंने यह तय किया और आपने भी हिदायत की थी कि अगर इसी तरह का व्यवहार होगा तो भारतीय संसद में हम लोगों को यह देखना पड़ेगा, जैसा सीन आज आया। जो उत्तर प्रदेश असैम्बली में हुआ था।

**अध्यक्ष महोदय** : छोड़िये।

**श्री लालू प्रसाद** : मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं और मैं चेतावनी भी नहीं दे रहा हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए। पटना के लखीसराय और आरा में दो इन्सीडैन्ट्स हुए। मुख्य मंत्री, नीतीश जी को मैंने फोन किया कि दोनों को बुलाकर सुन लीजिए। मुख्य मंत्री ने सुना। ये सभी लोग पटना में गये, ह्यूमैन राइट्स कमीशन में गये, महिला आयोग में गये। आर.जे.डी. ने इस सवाल को कल उठाया...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप उसे छोड़िये।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : लालू जी, अभी जरूरत नहीं है। हम भी यह मानते हैं, हम भी सोचते हैं और आप भी, जो घटना घटी है, उस घटना की आप निन्दा करेंगे।

*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आप भी मेरी बात को सुन लीजिए। आज ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को और उलझाने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। मेरी अपील है कि परिस्थिति को उलझाने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : आप मेरी बात को रखने दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पहले सुनिए।...*(व्यवधान)*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी बात एक मिनट सुन लीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि लालू जी अपनी बात को रखें लेकिन उस बात पर, जो विषय वह कह रहे हैं, उस विषय पर, फिर हम लोगों को भी कहने का मौका दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है। यह राज्य का विषय है।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : महोदय, आज जिस भाषा का यहां इस्तेमाल किया गया, मैं पूरे सदन से, सभी माननीय सदस्यों से...*(व्यवधान)* सभी दल के लोगों से...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : जो बाद में हुआ, उसके बारे में क्या कहना है?...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आप पहले हमारी बात को सुनिए।...*(व्यवधान)* आप क्यों डिफेंड करते हैं? महोदय, यहां रिकार्ड है और दुनिया ने देखा है कि प्रभुनाथ सिंह जी ने किस तरह से कहा कि... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वह नहीं बोला है। उसके बाद बोला है। हमने देखा है। लालू जी, इस पर मत जाइए। जो रिकार्ड में है, हमने देखा है।

*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आप उसे देखिए। पूरा सदन देखें।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे। यह जो घटना हुई है, ठीक नहीं हुई है। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।

**श्री लालू प्रसाद** : महोदय, आप रिकार्ड देखिए और सदन के सभी दलों के नेता देखें। मैं एकतरफा इस एक्शन की प्रतिक्रिया में, मेरे दल के कतिपय सांसदों द्वारा जो यहां पर, टेबल पर व्यवहार हुआ, मैं एकतरफा क्षमा चाहता हूं और मैं एनश्योर करता हूं कि हमारे दल के कोई भी सदस्य, लेकिन इसी तरह का व्यवहार होगा तो कोई मंत्री या कोई सांसद किसी तरह की गाली सुनने नहीं आया है, चूड़ी पहनकर बैठने नहीं आया है, क्या कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। हम उनको मौका दे रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे कौन कितना रहना चाहिए, रखेंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रभुनाथ जी, अवसर के अनुरूप व्यवहार करें, हाउस का बहुत बुरा समय जा रहा है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अवसर के अनुरूप बर्ताव करें। जो भी हो, हम सभी चिन्तित है। हम सभी भाई और बहने हैं, हम इस भावना से कार्य कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

कभी-कभी पॉलिटिक्स का जो होता है, वह छोड़िए। वह तो हम लोगों की पॉलिटिक्स की लड़ाई रहेगी। पॉलिटिक्स को छोड़कर यहां व्यक्तिगत नहीं होना चाहिएं आपसे अपील कर रहे हैं। आपकी हम इज्जत करते हैं, हम सबकी ही इज्जत करते हैं। थोड़ा काम करने दीजिए। हमारे आंध्र प्रदेश के दोस्त, हमारे भाई लोग सुबह से बैठे हैं, वे इन्तजार कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा बोलने देना चाहते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम भी एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी इतने ब्रॉडमाइंडेड हैं। आप भी मान लीजिए। सब ठीक है।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी बोला है, आपकी प्रोसीडिंग में है और आपने प्रोसीडिंग अंदर मंगाकर पढ़ी भी है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, हम तय करेंगे।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा है जिससे मैंने किसी व्यक्ति का अपमान किया हो। आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। आपके चैम्बर में हमने पढ़ा है और वह प्रोसीडिंग में दर्ज है। इसके बाद जो भाषा बोली जाती है कि इसी तरह बोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा बन जाएगा। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, अब नहीं होगा। हमने बोला है।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा इस सदन को बनाना है कि कुछ और बनाना है, यह तो तय करना होगा। ...*(व्यवधान)* ऐसे एक बात करके कोई भी बात नहीं चल सकती है और मैं यह कहता हूं कि जिस ढंग की यह घटना इस लोक सभा में की गई, वह निन्दनीय तो है। मैं महसूस करता हूं कि मैं लोक सभा के सदस्य के लायक नहीं हूं। इसलिए मैं अपना इस्तीफा आपको दे रहा हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मैं सबके सामने ही करता हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए।...*(व्यवधान)* जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, हो गया।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वे वापस आएंगे। मैं उन्हें स्वयं वापस लाऊंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। अब, मैं श्री मधुसूदन रेड्डी को पुकारता हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : महोदय, मुझे दो मिनट की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जायें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : खारबेल जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

*[अनुवाद]*

आप बहुत आदरणीय सदस्य हैं कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाईं** : महोदय कृपया मुझे दो मिनट के लिए अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)* महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए।

**श्री खारबेल स्वाईं** : महोदय, मैं कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे यह मुद्दा और भी जटिल हो जाए। मैं पिछले नौ वर्षों से इस सभा में हूं। मुझे कभी यह उम्मीद नहीं रही कि मुझ पर कोई शारीरिक हमला हो सकता है। मैं आज वास्तविक रूप से भयभीत हूं कि भविष्य में इस सभा के किसी भी माननीय सदस्य पर शारीरिक हमला हो सकता है।

महोदय, मैं यहां एक प्रश्न रखना चाहूंगा। आप कृपया श्री लालू प्रसाद द्वारा की गयी टिप्पणियों को पढ़ें। उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। आप उनके भाषण को पढ़ सकते हैं। खेद प्रकट करने के ठीक पहले वह रूक गए थे। उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। उनका इरादा खेद

[श्री खारवेल स्वाईं]

प्रकट करने का नहीं था। वह कभी भी खेद प्रकट नहीं करेंगे। वह सोचते हैं कि वह सब ठीक हुआ। महोदय, मैं आपसे मात्र एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या मुझे इस सभा में...*(व्यवधान)* अपने अंगरक्षक के साथ आना पड़ेगा? मैं आपसे यह आश्वासन चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह हम सभी का उत्तरदायित्व है। आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। श्री स्वाईं, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में हम सभी इस बात को महसूस करेंगे कि जो कुछ भी घटित हुआ वह बिल्कुल निन्दनीय है और इसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्यथा, संभवत: कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आज की चेतावनी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो। मैं जब तक इस पद पर हूं तब तक के लिए मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। आप इन सब बातों में न जाइए। मैंने बोलने के लिए श्री मधुसूदन रेड्डी का नाम पुकारा है। वे सुबह से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। मेरे अनुरोध पर वे यहां आए हैं तथा कल की घटना के लिए खेद प्रकट किया है। श्री आप सामने आ सकते हैं।

---

**अपराह्न 3.10 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### (एक) पृथक तेलंगाना राज्य का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में

*(अनुवाद)*

**श्री मधुसूदन रेड्डी** (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगली पंक्ति से बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं अपने क्षेत्र तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, तेलांगना संघर्ष का प्रादुर्भाव ऐसे ही नही हुआ बल्कि यह पिछले 50 वर्षों के शोषण, हतोत्साह और बेइज्जती की कहानी है। तेलंगाना की जनता सभी प्रकार के अन्याय की धैर्यपूर्वक चुपचाप इस आशा के साथ बर्दाश्त करती रही कि एक दिन उनके दिन लहरेंगे और उन्हें न्याय मिलेगा।

पिछले आम चुनाव के दौरान, हमने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। परिणाम यह रहा कि पूरे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों ने भारी बहुमत से विजय हासिल की। हमारा नारा और हमारा सरल चुनाव घोषणापत्र था अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना। उस समय माननीय प्रणब दा ने, जो उस समय चुनावी कमान संभाल रहे थे, बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमारे नेता, श्री के. चन्द्रशेखर राव को इस बात का आश्वासन दिया था। तेलगु देशम पार्टी का सफाया हो गया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी। यदि मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस हाई कमान की ओर से हिमाचल भवन में यह आश्वासन दिया गया कि निश्चित रूप से तेलंगाना राज्य हमारे हाथों में होगा। इस प्रकार, इस पार्टी के सर्वोच्च स्तर से स्पष्ट आश्वासन प्राप्त होने के साथ कांग्रेस के लोगों ने और हमने, दोनों के दुपट्टा ओढ़ते हुए, कहा : ''जय तेलंगाना''। यहां तक कि सोनिया गाँधी जी, राजशेखर रेड्डी जैसे शीर्ष नेता, और सभी कांग्रेसी नेता जो मेरे भाई हैं, जो यहां उपस्थित हैं, ने भी काफी उत्साहपूर्वक कहा था: ''जय तेलंगाना''। 'जय' तेलंगाना'' नारे के साथ, जनता मौके पर खरी उतरी और तेलंगाना क्षेत्र में हमारे लिए भारी मतदान किया। तेलगु देशम पार्टी की 16 सीटों में से मात्र एक सीट जीत पायी।

सभी 15 सीटों पर कांग्रेस और टी.आर.एस. गठजोड़ ने अपने सहयोगी दलों जैसे भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सलिस्ट) तथा एम.आईएम. के साथ मिलकर कब्जा कर लिया।

**श्री असादूद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद) : मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात कह दी है। इस सभा के सभी सदस्य काफी भावुक हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : इस प्रकार, तेलगू देशम पार्टी को केवल एक सीट प्राप्त हुई है और शेष 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने कब्जा कर लिया है। तत्पश्चात् हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। वहां भी हमें दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। उस समय कांग्रेस और टी.आर.एस. के मुंह से एक ही नारा निकल रहा था : "जय तेलंगाना"। अत:, इसके पश्चात् हम इस स्पष्ट आश्वासन के साथ यू.पी.ए. सरकार में शामिल हुए कि तेलंगाना राज्य तेलंगाना के लोगों की भावनाओं और जनादेश के अनुसार बनाया जाएगा। यू.पी.ए. के भागीदारों के बीच सर्वसम्मति के पश्चात् साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दोनों सभाओं को संबोधित करते समय इस आशय का आश्वासन दिया। तत्पश्चात् माननीय रक्षा मंत्री के सभापतित्व में और आर.जे.डी तथा डी.एम.के. से अन्य सहयोगियों की सदस्यता वाली यू.पी.ए. की एक उप-समिति का गठन किया गया। उस समय यह आश्वासन दिया गया कि यू. पी.ए. द्वारा 15 दिनों के भीतर तेलंगाना के पक्ष में एक प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाएगा। ये 15 दिन बढ़कर 8 सप्ताह हो गए हैं। समिति की घोषणा करते समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने यह कहा था कि प्रतिवेदन 8 सप्ताह के अंदर सभापटल पर रखा जाएगा। महोदय, 8 सप्ताह बीत गए हैं; 80 सप्ताह भी बीत चुके हैं; आज तक भी कांग्रेस पार्टी में कोई फुसफुसाहट नहीं है, कोई बात अथवा संकेत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मतदान पूर्व के सभी सहयोगी दलों ने पत्र दिए हैं; अधिकांश दलों ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए अपनी सहमति दी है। यहां तक कि दूसरे पक्ष के दलों ने खुले तौर पर तेलंगाना का समर्थन करने की इच्छा जाहिर की है। अभी तक दो वर्ष बीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी कोई न कोई बाधा डाल रही है और यह कह रही है कि भाजपा इसका खुलकर समर्थन नहीं कर रही है; अब भाजपा खुलकर सामने आएगी तो वे निश्चित रूप से तेलंगाना मामले पर विचार करेंगे। यह बात रिकार्ड में है। हैदराबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में उप-समिति के सभापति ने यह स्पष्ट रूप से घोषणा की कि यदि भाजपा अपनी सहमति देती है तो वे प्रतिवेदन तैयार करने में एक घंटे का समय भी नहीं लेंगे और इसे प्रस्तुत करेंगे।

तत्पश्चात् भाजपा ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में संकल्प पारित किया। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके ऋणी हैं। तेलंगाना की जनता उनकी ऋणी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया। यू.पी.ए. के सभी भागीदार दल काफी कृपालु रहे हैं और उन्होंने खुलकर समर्थन किया है हम यू.पी.ए. के सभी भागीदार दलों के समर्थन के लिए उनके आभारी हैं।

तीन दिन पहले कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ा है। यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी। यह कहा गया कि उस बैठक में यूपीए के राजनैतिक पार्टियों के बीच सर्वसम्मति नहीं हुई और इसलिए कोई राय कायम नहीं हो सकी।

अध्यक्ष महोदय, "सर्वसम्मति" का अर्थ क्या है? प्रजातंत्र में 'सर्वसम्मति' का आशय 'सहमति' नहीं है और यह अधिसंख्यक जनता की इच्छा है जो किसी भी प्रजातांत्रिक ढांचे में अभिभावी होगी। अत:, इस मामले में भी दूसरे पक्ष की पार्टियों सहित आधे से अधिक पार्टियां खुलकर समर्थन कर रही हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति बताने में क्या बाधा है। अब उनका कहना है : "कांग्रेस कार्य समिति का यह संकल्प है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन समिति (एस.आर.सी.) का गठन किया जाना है। हमारी कांग्रेस कार्य समिति की नीति यह है।" मेरा कहना यह है कि अगर ऐसा है तो आपने यह तथ्य साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया। उसमें आपने सामान्य रूप से यह उल्लेख किया है कि एक पृथक् तेलंगाना राज्य पर विचार उपयुक्त समय आने पर किया जाएगा। आपने यह कभी उल्लेख नहीं किया कि एक दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा। उप-समिति का गठन किए जाने के समय भी दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का कोई उल्लेख नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने विगत दो वर्षों में उप-समिति को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया जिसमें यह कहा गया है कि उनकी आधिकारिक स्थिति यह है। दुर्भाग्यवश, उन सबके बाद भी अब वे यह कह रहे हैं कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा। महोदय, यह कुछ नहीं है बल्कि*. .. तेलंगाना की जनता। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझक कर...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह शब्द असंसदीय है।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : मैं वह शब्द वापस लेता हूं। मुझे खेद है। मैं कनिष्ठ सदस्य हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप काफी विचारशील व्यक्ति हैं और काफी सम्मानित सदस्य हैं।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : महोदय, कांग्रेस पार्टी विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग रूख लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। हैदराबाद में कुछ नेता कुछ कहते हैं और दिल्ली में कुछ नेता कुछ और कहते हैं और इससे तेलंगाना की जनता भ्रम की स्थिति में है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मधुसूदन रेड्डी]

इसलिए, इन सभी बातों का अवलोकन करने के उपरांत टी.आर.एस. के अध्यक्ष श्री के. चन्द्रशेखर राव ने और श्री ए. नरेन्द्र ने यूपीए सरकार के रवैये के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमण्डल से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद श्री के. चंद्रशेखर राव अनिश्चित कालीन अनशन पर हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके माध्यम से अनशन समाप्त करने के लिए उनसे पुन: अनुरोध करता हूं। यह अनुरोध मैंने कम-से-कम दस बार किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनशन समाप्त करने के लिए उनसे अनुरोध करने में पूरी सभा मेरे साथ है। निश्चित रूप से उनका मुद्दा हल नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि अनशन खत्म करने के लिए उनसे अनुरोध करने में आप सभी मेरे साथ हैं। कृपया उन्हें बताएं कि यह इस सभा का सर्वसम्मत अनुरोध है।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : महोदय, मेरी पार्टी इस सभा द्वारा हमारे नेता के प्रति व्यक्त की गई चिंता के लिए ऋणी है। मैं अपने नेता को निश्चित रूप से इस सभा की भावनाओं से अवगत कराऊंगा ...*(व्यवधान)*

महोदय, अब उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। वे उच्च रक्तचाप के मरीज हैं। हर घंटे डाक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। अगर कोई अवांछनीय घटना घट जाती है तो...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, ऐसा नहीं होगा।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : तेलंगाना में यह जिंदा ज्वालामुखी है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसको विस्फोट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : उस ज्वालामुखी को फूटने मत दीजिए। मैं इस सभा से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे मुद्दे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख रखें, यह एक वास्तविक मुद्दा है, एक युक्तियुक्त मुद्दा है और हम सभी चौदहवीं लोक सभा के प्रति सम्मान प्रकट कर सकेंगे ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने काफी अच्छा भाषण दिया है।

**श्री मधुसूदन रेड्डी** : तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रविन्द्र नाइक, क्या आप उनके साथ होना चाहते हैं? आप सिर्फ उनका समर्थन कर सकते हैं।

**श्री रविन्दर नाइक धारावत** (वारांगल) : महोदय, मैं बोलना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

*[हिन्दी]*

**श्री रविन्दर नाइक धारावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं तेलंगाना की पूरी प्रजा की ओर से आपको तेलंगाना की समस्या के लिए सहानुभूति जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे नेताओं के प्रति हाउस ने जो सहानुभूति जताई उसके लिए भी मैं आपका और पूरे सदन का नमन करता हूं। मैं चार पंक्तियों में तेलंगाना की स्थिति का वर्णन करना चाहता हूं-

"तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा
सफर न होते हुए भी किसी सफर में रहा
होंगे वे लोग जिन्हें होगी खबर सितारों की
लेकिन यह मेरा देश तो रोटी की फिकर में रहा।"

महोदय, तेलंगाना की स्थिति 50 साल से बहुत खराब है। तेलंगाना राज्य की मांग कोई नई नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना को 1948 में आज़ादी मिली। 1948 से 1956 तक हैदराबाद स्टेट के नाम से यह अलग राज्य रहा। तेलंगाना में बहुत रिसोर्सेस थे, लेकिन मद्रास से अलग होने के नाम पर आंध्र प्रान्त के लोगों ने अलग राज्य की मांग की और अलग होने के बाद तेलंगाना को आंध्र के साथ मिला दिया गया।

महोदय, मैं एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु जी ने कहा था कि "मासूम तेलंगाना को नटखट आंध्र से मिलाया जा रहा है। यह मिलाप चलेगा, तो चलेगा, नहीं तो तेलंगाना (अलग) कभी भी तलाक ले सकता है।" तेलंगाना में बहुत सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी वहां की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। आज आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का शोषण हो रहा है। गरीबी के कारण आदिवासी लोग छोटे बच्चों को मार देते हैं, या बेच देते हैं, इसके कारण पिछले 50 सालों से टाइम एंड अगेन मूवमेंट चलता रहा है।

महोदय, कांग्रेस के नेता डा. एम. चेन्ना रेड्डी ने 1969 में तेलंगाना राज्य की मूवमेंट चलाई। उस समय तेलंगाना की 14 पार्लियामेंट्री

सीटों में से 11 पार्लियामेंट्री सीटें तेलंगाना प्रजा समिति को मिलीं। उसी समय से लेकर आज तक यह मूवमेंट चलता आ रहा है। 1972 में भी सैपरेट आंध्रा के नाम से एक मूवमेंट चलाया गया था।

महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि तेलंगाना क्षेत्र को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। वर्ष 2000 में श्री चन्द्रबाबू नायडू जब एक तातकवर नेता थे, उस समय कांग्रेस की हालत बहुत पतली थी। श्री चन्द्रबाबू नायडू को हराने के लिए क्या किया जाए, इस बारे में सुराग ढूंढने के लिए कांग्रेसी नेता टार्च लेकर घूमते थे, लेकिन वे उन्हें मात नहीं दे पाए। यह सभी को पता है कि उस समय श्री चन्द्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाज उठाई और वर्ष 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई। उस समय श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी अपोजीशन के लीडर थे, जो अब आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। उस समय वे पॉवर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के तेलंगाना क्षेत्र के 41 एम.एल.ए. को लेकर, कांग्रेस, अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात की और अलग तेलंगाना राज्य के लिए एक मैमोरेंडम दिया। यह बात उन्होंने हाल ही में बताई। हम लोग वर्ष 2004 में डंका बजाकर लड़े और पूरा मैंडेट लेकर आए। केवल तेलंगाना से ही नहीं, बल्कि तेलंगान अलग राज्य की मांग करने वाली टी.आर.एस. पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो आंध्र प्रान्त ही नहीं रॉयलसीमा प्रांत ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों का पूरा मैंडेट मिला।

महोदय, अब ये लोग हमसे बार-बार पूछते हैं कि म्युनिसिपल चुनावों में क्या हुआ, पंचायत के चुनावों में क्या हुआ। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल चुनाव और पंचायतों के चुनाव तेलंगाना राज्य के नाम पर नहीं लड़े गए, वे तो लोकल चुनाव हैं। हम समझे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, नये जमाने की नेता हैं और कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, इसलिए वे तेलंगाना राज्य की मांग को मानेंगी और हमारे साथ न्याय करेंगी। हमने उन पर पूरा भरोसा किया। हम पिछले कई दिनों से इस बारे में बनी यू.पी.ए. कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए हमारे दोनों नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज कांग्रेस के जो एम.एल.ए. हैं, उन्हें यह देखना होगा कि तेलंगाना में पिछले 50 सालों से क्या स्थिति है और वहां क्या चल रहा है। इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, इस बारे में भी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। तेलंगाना क्षेत्र में 90 प्रतिशत लोग ओ.बी.सी., एस.सी एस.टी. और अल्पसंख्यक जातियां रहती हैं जिनकी आवाज धनवानों के सामने, बलवानों के सामने और सत्ताधारियों के सामने झुक गई है। इसके सामने सोनिया जी भी पीछे हटा रही हैं, मैं यह मान रहा हूं। इसके लिए कांग्रेस को फिर सोचना होगा। मैं कांग्रेस के बारे में और क्या बोलूं, आप जानते ही हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैंने आपको पूरा अवसर दिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री रविन्दर नाइक धारावत :** महोदय, वर्ष 1969 के एजिटेशन के बाद भले ही यूपीए सरकार हमारे मसले को नजरअंदाज कर रही है, भारत की आजादी के लिए जब 1857 में लड़ी गई लड़ाई में भले ही हम हारे लेकिन दूसरी बार जब महात्मा जी के नेतृत्व में आजादी की जंग लड़ी गयी, हमने हिन्दुस्तान को आजादी दिलायी। इसी तरह हम इस हार को पहली हार नहीं मान रहे हैं बल्कि हम डबल हिम्मत से तेलंगाना की प्रजा के सामने जाएंगे और इस चीज को हम हमारे नेता केसीआर के नेतृत्व में हासिल करके रहेंगे। आज तेलंगाना में जो अन्याय हो रहा है, चाहे वह पानी का मसला हो या अन्य मसलें हों। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की 43 प्रतिशत पापुलेशन है, लेकिन आंध्र प्रदेश सचिवालय में तेलंगाना के केवल 8 प्रतिशत कर्मचारी ही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पिछले पचास साल से एक एडवोकेट जनरल को बनने का मौका नहीं मिला है। हमारे पिछड़े हुए इलाकों का विकास करने के लिए तेलंगाना राज्य का होना बहुत जरूरी है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से तेलंगाना बनाने के लिए समर्थन चाहता हूं। हम सोनिया जी पर पूरा भरोसा कर रहे थे और अब भी पूरा भरोसा जताना चाहता हूं। अब भी वे धनवानों और बलवानों के सामने न झुकते हुए तेलंगाना को देने से उनका काफी नाम होगा। मैं यह उनके ऊपर छोड़ता हूं। स्वाभिमान, स्वशासन के लिए तेलंगाना राज्य का गठन जरूरी है। मैं आपका और सभी सम्मानित सदस्यों को तेलंगाना की प्रजा की ओर से धन्यवाद देता हूं।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री नायक, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कही है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब थोड़ा-थोड़ा बोलिए।

*[अनुवाद]*

अब अपराह्न में 3.30 बज चुके हैं। हम अभी भी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण संबंधी मामलों पर कल चर्चा की जाएगी।

**अपराह्न 3.32 बजे**

## (दो) देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 24 जुलाई से लोक सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ तो देश की सबसे ज्वलंत समस्या महंगाई पर इस सदन में चर्चा हुई थी और चर्चा के आद वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि महंगाई पर अंकुश लगाने का काम सरकार करेगी। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई थी तो उस समय भी इस तरह का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि उसके बाद भी 20-25 प्रतिशत महंगाई बढ़ गयी है। दिल्ली में गेहूं का दाम 10 रुपये प्रति किलो हो गया, मुंबई में 14 रुपये प्रति किलो हो गया। देश के कुछ हिस्सों में गेहूं का दाम 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। चीनी का उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए जितना आवश्यक होना चाहिए था, उससे जयादा उत्पादन हमारे देश में हुआ, इसके बाद भी चीनी का दाम 27 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यही हाल दालों के भाव का है। दालों के भाव भी आसमान पर चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बड़े पैमाने पर गेहूं आयात करने का जो फैसला किया था। गेहूं खरीदने की जो बात थी, उसमें खाद्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2.37 लाख टन गेहूं हमारे देश में आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है और उसमें कीटनाशकों की मात्रा इतनी अधिक है कि उस गेहूं को तमाम राज्यों ने लेने से इंकार कर दिया है।

हम आपकी वेदना को समझते हैं। कभी-कभी आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन लोक सभा चल रही है और हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। हम जनता की वकालत करने आए हैं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यही सब सोचते हैं।

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, महंगाई जैसे गम्भीर सवाल पर भी यह सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं रख पायी है। आज समाचार पत्रों में समाचार छपा है, उनमें लिखा है कि लगता है कि पांच महीने तक भी सरकार इस महंगाई पर कोई अंकुश नहीं रख पाएगी। सदन के नेता यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा या वित्तमंत्री यहां आयें और बतायें कि वे महंगाई पर कैसे अंकुश लगाएंगे? यह बहुत ही गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य।

**श्री किन्जरपु येरनायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं अपने आपको माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन से संबद्ध करता हूं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य, जो अपने आपको उस मामले से संबद्ध करते हैं, वे कृपया अपना नाम भेज दें। मैं सभी का नाम नहीं पुकार सकता हूं। आप यह जानते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामस्वरूप कोली, श्री कीरेन रिजीजू, श्री अविनाश राय खन्ना, श्री किशन सिंह सांगवान, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री दुष्यंत सिंह, श्री सुभाष महरियां, श्री श्रीचन्द कृपलानी, श्री अशोक प्रधान, डा. सत्यनारायण जटिया, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री सी.के. चन्द्रप्पन, श्री रघुनाथ झा, श्री पारस नाथ यादव, श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री उषा वर्मा, श्री चन्द्रभूषण सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राजनारायन बुधौलिया, श्री जय प्रकाश, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जी. अरुणाकर रेड्डी श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली को इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दे दी गई है।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरा

नाम पुकारा है। कृपया मुझे बोलने दें। मैंने नोटिस दिया है।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी का नाम सम्मिलित कर लिया जायेगा। कृपया नोटिस भेजें।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, गत तीन दिनों से मैं नोटिस देते आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री अब्दुल रशीद शाहीन बोलेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण आप जानते हैं कि सामान्यत:, मैं इन चीजों की अनुमति नहीं देता हूं। लेकिन यह मामला लोगों के लिए चिंता का विषय है तथा आपने इसे उचित रूप से उठाया है। इसलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। मैं सभी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए, आप सभी के नाम पूर्ण महत्व के साथ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएंगे। अब श्री अब्दुल रशीद शाहीन बोलेंगे।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा हैं। ...*(व्यवधान)* गत तीन दिनो से मैं इस विषय पर नोटिस देता आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* आपने मेरा नाम पुकारा था।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी भी माननीय मंत्री को उत्तर देने, कुछ कहने या न कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहां बैठे हैं, ये बतायें कि क्या करेंगे। ये बतायें कि सरकार इस सवाल पर क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या बात है? यह नया तरीका है।

*[अनुवाद]*

यह नयी प्रणाली है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले। हम समझ गये हैं कि आप जो हाउस के बारे में बोलते हैं, वह सब बात की बात है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले तो ठीक है, हम हाउस एडजर्न करके चले जाते हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपका नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री रामजीलाल सुमन ने नोटिस दिया है।

*[हिन्दी]*

आप लोगों ने तो कोई नोटिस नहीं दिया थां रामजीलाल सुमन जी ने नोटिस दिया है, इन्होने नोटिस दिया है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य एक मिनट बोलेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)* महोदय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का उत्तर देते समय, माननीय वित्त मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का हर प्रयास करेगी तथा वह भी वहनीय कीमतों पर। हमने इस संबंध में कई सुझाव दिए थे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं? आप इसे पहले ही उठा चुके हैं। सदन के माननीय नेता यहां पर उपस्थिति हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मि. नायडू, खड़े होने से कैसे काम होगा?

*[अनुवाद]*

आप एक अखिल भारतीय दल के नेता हैं तथा आप यहां खड़े हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री वसुदेव आचार्य** : हमने वायदा तथा फॉरवार्ड ट्रेडिंग को बंद करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम को सुदृढ़ बनाने जैसे कई सुझाव दिए हैं। सरकार कीमतों पर काबू पाने में असफल रही है। कीमतें असाधारण रूप से बढ़ रही हैं तथा लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल श्री अब्दुल रशीद शाहीन का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला) : जनाबे स्पीकर, 8 अक्टूबर, 2005 को बदकिस्मती से फरिश्ता ए अजल जमीन पर उतरा और मेरी कांस्टीट्वेंसी के अगले हिस्से में जो तंगदार और उड़ी का इलाका है, वहां बहुत सारे लोगों की जानें तल्ख कर दीं और उनकी जायदाद बर्बाद हो गई।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल श्री अब्दुल रशीद शाहीन का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला) : मैं उन लोगों की आवाज इस एवान में लाना चाहता था, लेकिन मैदाने जंग में जैसे हालात से गुजरकर हम उस मरहले पर पहुंचे हैं, जहां नादार लोगों की आवाज यहां उठाने का मौका मिला है। जनाबे स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके होते हुए इस एवान को यह कहना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर, 2005 को फरिश्ता ए अजल जमीन पर उतरा और मेरे इलाके के तंगदार और उड़ी में बहुत सारे घरों को और बहुत सारी जानों को तलफ कर दिया। अल्लाह का करम यह था कि हमारी तरफ की जानें बख्शी गईं, जायदादें तबाह हो गईं, लेकिन सरहद के उस पार हजारों लोग मर गये, तब भी हमारे इलाके में 567 लोग जांबहक हो गए और तकरीबन 66 हजार घर जिला कुपवाड़ा में और 92 हजार घर जिला बारामूला में तबाह हो गये। उनमें से आठ हजार घर कुपवाड़ा टन्गडार में बिल्कुल बर्बाद हो गये, जिनका नामोनिशान नहीं रहा। कुपवाड़ा में हमारे मुल्क की अगली सरहद है, वहां उन लाचार लोगों को कहीं जाने का कोई मौका नहीं है। अगर आर्मी की छोटी-मोटी मजदूरी नहीं होती, तो ये लोग दाने-दाने के लिए तरसते। मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि जिस वक्त बैनल अक्वामी अदारे ने चाहा कि उन लाचार लोगों के घर बना दें और उनकी जिंदगी को फिर से बसायें, तब हमारी सरकार ने सीना ठोककर कहा कि हां, इस मुल्क की क्षमता है कि हम उनके घर बना सकते हैं और उन्हें फिर से आबाद कर सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक साल करीब होने वाला है, एक महीना और 15 दिन साल को बाकी हैं, लेकिन अभी तक वे घर नहीं बने हैं और सब जीरो टैंपरेचर में वहां के बच्चे फिर अगली विंटर में बिलखते रहेंगे। मैं इस सरकार को नकारा बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों की जिम्मेदारी जो हालात के शिकार हो गए या नागहानी आफत के शिकार हो गए। वहां चालीस हजार रुपए की पहली किस्त अदा की गयी, जो उन लोगों ने खर्च करके खत्म कर दी और उनके घर वैसे के वैसे हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि विंटर सेट होने से पहले इनके लिए फौरी कार्यवाही करें। मै उन एनजीओज, आप अगर चाहें, तो मैं उनके नाम दे सकता हूं, उन्होंने वरवक्त हमें इमदाद की। जिसमें कुछ बैनल अक्वामी इदारे और मुल्क के इदारे मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी फौरी मदद की और उससे हमें आसानी हो गयी। लेकिन सरकार को जो काम करना था, वह सरकार ने नहीं किया। मैं बारामूला के उरी और टन्गडार के उन लोगों की तरफ से, उन बच्चों और औरतों की तरफ से जो फिर माइनस बारह डिग्री सेंटीग्रेड में इस जाड़े में छत से बाहर रहेंगे, मैं सरकार से अपील करता हूं कि खुदा के लिए ऐसे मसाईल न करें और उन्हें उनका हक दें...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**جناب عبدالرشید شاہین (بارہ مولہ):** جناب اسپیکر صاحب، 8 اکتوبر، 2005 کو بدقسمتی سے فرشتہ اجل زمین پر اترا اور میری کنسٹیٹوینسی کے اگلے حصے میں جو تنگدار اور اُڑی کا علاقہ ہے، وہاں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی اور ان کی جائداد برباد ہوگئی۔ میں ان لوگوں کی آواز اس ایوان میں لانا چاہتا تھا، لیکن میدان جنگ جیسے حالات سے گزر کر ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں، جہاں نادار لوگوں کی آواز یہاں اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقعہ دیا۔ میں آپ کے اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر، 2005 کہ فرشتہ اجل زمین پر اترا اور میرے علاقے کے تنگدار اور اُڑی میں بہت سارے گھروں کو اور بہت ساری جانوں کو تلخ کر دیا۔ اللہ کا کرم یہ تھا کہ ہماری طرف سے جانیں بخشی گئی، جائداد تباہ ہوگئی، لیکن سرحدوں کے اس پر ہزاروں لوگ مارے گئے، تب بھی ہمارے علاقے میں 567 لوگ جاں بحق ہوگئے اور تقریباً 66 ہزار گھر ضلع کپواڑہ میں اور 92 ہزار گھر ضلع بارہمولہ میں تباہ ہوگئے۔ ان میں سے آٹھ ہزار گھر کپواڑہ میں بالکل برباد ہوگئے، جنکا نام و نشان نہیں رہا۔ کپواڑہ میں ہمارے ملک کی اگلی سرحد ہے، وہاں ان لاچار لوگوں کو کہیں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اگر آرمی کی چھوٹی موٹی مزدوری نہیں ہوتی تو یہ لوگ دانے دانے کو ترستے۔ میں اپنی سرکار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس وقت بین الاقوامی ادارے نے چاہا کہ ان لاچار لوگوں کے گھر بنا دیں، اور ان کی زندگی کو پھر سے بسائے، تب ہماری سرکار نے سینہ ٹھوک کر کہا کہ اس ملک کی شمتا ہے کہ ہم ان کے گھر بنا سکتے ہیں اور انہیں پھر سے آباد کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سال قریب ہونے والا ہے۔ ایک مہینہ اور 15 دن سال کو باقی ہیں لیکن ابھی تک وہ گھر نہیں بنیں، اور سرد زیرو ٹمپریچر میں وہاں کے بچے پھر اگلی ونٹر میں بلکھتے رہیں گے۔ میں اس سرکار کو ناکارہ بتاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی زمہ داری لیتے ہیں جو حالات کے شکار ہوگئے یا ناگہانی آفت کے شکار ہوگئے۔ وہاں 40 ہزار روپے کی پہلی قسط ادا کی گئی، جو ان لوگوں نے خرچ کر کے ختم کر دی اور ان کے گھر ویسے کے ویسے ہیں۔ میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ونٹر سیٹ ہونے سے پہلے ان کے لئے فوری کاروائی کریں۔ میں ان این۔جی۔اوز۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نام دے سکتا ہوں، انہوں نے بروقت ہمیں امداد کی۔ جس میں کچھ بین الاقوامی ادارے اور کچھ ملک کے ادارے موجود ہیں، جنہوں نے ہماری فوری مدد کی اور اس سے ہمیں آسانی ہوگئی۔ لیکن سرکار کو جو کام کرنا تھا، وہ سرکار نے نہیں کیا۔ میں بارہمولہ کے ان لوگوں کی طرف سے ان بچوں اور عورتوں کی طرف سے جو پھر مائنس 12 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس جاڑے میں باہر رہیں گے میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لئے ایسی مسائل نہ کریں اور انہیں ان کا حق دیں۔

**अध्यक्ष महोदय** : आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : बड़े दुख की बात है।

*(व्यवधान)*

**डा. सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा से देश में विषम स्थिति बनी हुयी है। बरसात, सूखे अकाल के कारण आज देश में भयावह स्थिति बनी हुयी है। देश के अनेक प्रदेशों में इस संकट से लोग जूझ रहे हैं और इन सारी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को जो सहायता देनी चाहिए, उसके बारे में चिंता नहीं की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के कइ जिलों में भारी बरसात ने जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहां अवर्षा के कारण उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश का जनजीवन कष्टप्रद स्थिति में है। भीषण वर्षा के कारण जन-जन को भारी क्षति हुयी है, 121 लोगों की मौत हो गयी, 8 लोगों का अभी तक पता नहीं लगा है, 8819 पशु मारे गए हैं और 77080 घर ध्वस्त होकर बरसात में बह गए हैं। बरसात की बाढ़ से साढ़े पांच लाख की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हुयी है और साढ़े तीन लाख एकड़ कृषि भूमि जिसमें फसल उगायी गयी थी, उसे भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से साढ़े बारह सौ करोड़ रुपए की मांग की है, किंतु मध्य प्रदेश को सहायता देने के संबंध में अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मध्य प्रदेश की संकट की परिस्थितियों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषम परिस्थिति में साढ़े बारह सौ करोड़ रुपए की सहायता देकर, मुश्किल में फंसे हुए लोगों को सहायता देने का काम करें। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अन्य मामलों पर बाद में साथ में चर्चा की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप जानते हैं और हमने तय किया है कि थोड़ा भाग पहले होगा और थोड़ा बाद में होगा।

*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 3.45 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मांग के लिए नियम 377 के अधीन सूचित मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

### (एक) राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए पेपर और प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी) : महोदय, प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उस देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक होता है और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत देश में राष्ट्रीय पर्वों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इन पर्वों पर करोड़ो की संख्या में कागज एवं प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग होता है लेकिन अत्यंत दुख का विषय है कि राष्ट्रीय पर्वों के दूसरे ही दिन उन्हीं कागज एवं प्लास्टिक के तिरंगों को सड़कों पर, नालियों में एवं कूड़ाखानों में फेंक दिया जाता है जिससे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है। यह अत्यंत ही शोचनीय विषय है क्योंकि जिस तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा एवं उसे जमीं पर गिरने से बचाने के लिए वीर क्रांतिकारयों ने अपनी कुर्बानियां दी आज उनकी दी कुर्बानियों से मिली आजादी के नशे में मदमस्त होकर इस देश के नागरिक कागज एव प्लास्टिक के तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। सरकारी कानून दि प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल आनर

*सभा पटल पर रखे माने गए।

एक्ट के अनुसार इसके लिए सजा का प्रावधान है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कागज एवं प्लास्टिक से बने तिरंगों पर रोक लगायी जाये तथा ऐसे पर्वो पर सिर्फ खादी का तिरंगा फहराने का प्रावधान किया जाये।

**(दो) पश्चिम बंगाल में बरहमपुर दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र को एक पूर्ण प्रसारण केन्द्र के रूप में बदले जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : आकाशवाणी, दिल्ली से प्रसारित होने वाले बांग्ला समाचारों की गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है जिससे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। अन्य कार्यक्रमों सहित समाचारों का उच्चारण तथा प्रस्तुतीकरण उन आम लोगों में उत्सुकता नहीं जगा पाता, जिनके पास अपनी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक समय आकाशवाणी में हमें ईवा-नाग, नीलिया सान्याल तथा बिजोन बोस की आवाजें सुनाई देती थी, जोकि बंगाल के घर-घर में जानी जाती थीं। रेडियो प्रसारण के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बंग्लादेशी रेडियो ने पश्चिम बंगाल के रेडियो-प्रिय लोगों के बीच बेरोक घुसपैठ की है। मैं मंत्रालय से आकाशवाणी के बंग्ला संस्करण तथा एफ एम बैंड की कम होती प्रतिष्ठा को बहाल करने का अनुरोध करता हूं। मुर्शिदाबाद जिले में 58 लाख लोग हैं, जोकि किसी आधुनिक संचार सुविधाओं के बिना मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जिले में दूरदर्शन का एक प्रसारण केन्द्र बरहामपुर में है, परन्तु इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग है कि स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों, जोकि काफी संख्या में हैं, को रोजगार देकर तथा इस जिले की सांस्कृतिक विविधताओं में अपार संभाव्यताओं के मद्देनजर उक्त प्रसारण केन्द्र को एक पूर्ण प्रसारण केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**(एक) झारखण्ड में गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपाय किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री फुरकान अंसारी** (गोड्डा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा, झारखण्ड के लगभग 79 गांवों मे गत माह हुयी भारी वृष्टि व आंधी से जानमाल की भारी क्षति हुयी है। अचानक आये आंधी व पानी से जिले में जानमाल व फसल की भयंकर तबाही हुयी है। यह एक अत्यंत आदिवासी एवं हरिजन बहुल क्षेत्र है। यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। इस प्राकृतिक आपदा में जहां 4 लोगों की मौत हुयी है, वहीं लगभग 5 हजार परिवारों का मकान पूर्णत: ध्वस्त हो गया है तथा लगभग 13 हजार परिवारों का मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। हजारों पालतू जानवर बाढ़ की चपेट में बह/मर गये हैं। सभी प्रकार की फसलें बरबाद हो गयीं। त्रिवेणी डेम का बांध एवं तटबंध टूट जाने से आसपास के गांवों में भारी तबाही हुयी है। कई पुल ध्वस्त हो गये जिससे प्रभावित ग्रामों का जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क खत्म हो गया है। स्थिति को सामान्य करने में आज तक राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करता हूं कि अविलम्ब प्रभावित ग्रामों में पुनर्वास एवं जनजीवन सामान्य करने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें एवं प्रभावित किसानों एवें गरीब लोगों को अवलिम्ब आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

**(चार) साऊथ-ईस्टर्न कोल लिमिटेड के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता**

**श्री चन्द्र शेखर दूबे** (धनबाद) : आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोल कंपनियों में कंपनी के पदाधिकारी तथा निजी ठेकेदारों की मिलीभगत से कोल कंपनियों को हो रहे करोड़ों के नुकसान की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि निम्नलिखित तथ्यों से प्रतीत हो रहा है कि कोल इंडिया लि. की इकाई साउथ ईस्टर्न कोल लि. के पदाधिकारी डी.जी.आर.—सी.आई.एल. और इ.एस.एम. ठेकेदार के बीच हुए एम.ओ.यू. को नजरअंदाज करते हुए ठेकेदार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की साजिश की तहत मैसर्स आर्यन के एजेंट के तरह कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित तथ्य इस बात को इंगित करते हैं—

1. अनलोडिंग प्लांट पर वे-ब्रिज का प्रावधान नहीं करना।

2. कुल क्षमता केवल 7.00 मिलियन होने के बावजूद मैसर्स आर्यन को 10.71 मिलियन टन कच्चा कोयला उठाने की अनुमति देना तथा मैसर्स आर्यन को एफ ग्रेड कोल की

[श्री चन्द्र शेखर दूबे]

जगह डी/एफ ग्रेड कच्चा कोयला दिया जाना जिसमें कंपनी को करोड़ों का नुकसान है।

3. जीडीआर-सीआइएल और इएसएम ठेकेदार के साथ हुए समझौता (एमओयू) का पालन नहीं करते हुए खानों से सतह, फेस, टू सरफेस, पर लगभग 9 से 10 किमी. की दूरी के लिए 3 से 4 गुणा अधिक दर से भुगतान करना।

4. एमओयू के प्रावधान के अनुसार मैसर्स वाटर हाउस एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के आधारित दर पर ही इएसएम ठेकेदार को दिया जाना है किंतु इस प्रावधान को नजरअंदाज कर ऊंचे दर पर भुगतान देना।

5. सभी कानूनी पहलूओं को ताक पर रखकर मैसर्स आर्यन को सीएमपीडीआइएल द्वारा घोषित डम्प लैंड पर वासरी लगाने की अनुमति दिया जाना।

6. कोल इंडिया लि. की इक्वायरी रिपोर्ट पत्र सं. सीआइएल/री. जे./101/एम/1470 दिनांक 5.11.2004 का अनुपालन नही करना, साउथ ईस्टर्न कोल लि. के कार्यकलापों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में बिन्दुवार जांच सतर्कता विभाग के द्वारा कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि कोल कंपनी को हो रहे करोड़ों के नुसान को रोका जा सके।

*[अनुवाद]*

**(पांच) असम के धुबरी जिले में सत्रसाल टीवी प्रसारण केन्द्र का उन्नयन एक निर्माण केन्द्र के रूप में किए जाने की आवश्यकता**

**श्री अनवर हुसैन** (धुबरी) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत धुबरी जिले में सत्रसाल टेलीविजन प्रसारण केन्द्र भारत- बंग्लादेश सीमा पर स्थित है। यह शुरू होने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र के लोग बंग्लादेश कार्यक्रमों को देखने के लिए विवश हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यों की कवरेज अधिक नहीं है। इसका तत्काल उद्घाटन किए जाने की आवश्यकता है।

अविभाजित गोलपाड़ा जिले की एक अलग तथा अद्वितीय लोक संस्कृति है, जिसे गोलपाड़ा लोक संस्कृतिक कहा जाता है। वह संस्कृतिक उत्तरी बंगाल के एक भाग तथा धुबरी जिले के साथ सटे वर्तमान बंगलादेश की लोक संस्कृति के समान है। परंतु इसके उचित निर्माण तथा प्रचार के अभाव के कारण दिन प्रतिदिन यह समाप्त होती जा रही है। इसके अतिरिक्त, इसपर विचार करना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विशेष कर्त्तव्य भी है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं सरकार से सत्रसाल प्रसारण केन्द्र को निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा इसे चालू करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

**(छह) बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फारबिसगंज, जोगबनी और नरपतगंज में बीएसएनएल मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री सुकदेव पासवान** (अररिया) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में फारबिसगंज, नरपतगंज और जोगबनी से बीएसएनएल की मोबाइल सेवा अभी तक शुरू नहीं की गयी है। यह क्षेत्र नेपाल सीमा क्षेत्र से नजदीक है। काफी समय से यह मांग होती रही है किंतु सरकार ने यहां से मोबाइल सेवा अभी तक शुरू करने की अनुमति नहीं दिया है। यहां से भारत और नेपाल के बीच व्यापार होते हैं। यहां से नेपाल जाने के लिए जोगबनी ही एकमात्र दूसरा रास्ता है बिहार में अन्य सीमावर्ती क्षेत्र मधुबनी, रक्सौल, सिलीगुड़ी आदि जगहों से तो बीएसएनएल के मोबाइल सेवा चालू है किंतु फारबिसगंज और जोगबनी से सेवा शुरू नहीं किया जा रहा है। डीओटी, आईबी और टी.इ.सी की टीम इन इलाकों का निरीक्षण कर चुकी है, किंतु गृह मंत्रालय में यह मामला लंबित है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय संचार एवं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज सूचना क्रांति के दौर में फारबिसगंज और जोगबनी, नरपतगंज से भी अविलंब बीएसएनएल के मोबाइल सेवा चालू करने का कष्ट करें।

**(सात) राजस्थान के अनुभवी निजी प्रैक्टिशनरों को आर.एम.पी. डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की एसोसिएशन बनी हुयी है और लगभग

3000 डॉक्टर्स उसके सदस्य हैं। यह संस्था एक पंजीकृत संस्था है। इस संस्था के सदस्य बहुत लंबे समय से अनुभव प्राप्त चिकित्सक हैं और ग्रामीण व असहाय जनता को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। प्रत्येक गांव में ये अपना कार्य कर रहे हैं। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों के और गरीब हल्के के लोगों को सस्ते में व कई स्थानों पर निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। यदि इन प्राइवेट प्रैक्टीसनर्स को जिनके पास अनुभव है, से एक परीक्षा लेकर आरएमपीएस की डिग्री दे दी जाये तो इनको भी मान्यता मिल जाएगी और यह भी कानूनन रूप से सेवा कार्य में जुट जायेंगे।

**(आठ) देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती नीता पटैरिया** (सिवनी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान देश में विभिन्न राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहती हूं। विशेषकर मादा भ्रूण हत्या की घटनाओं में जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, विभिन्न टीवी चैनलों पर समय-समय पर जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि किस प्रकार से बड़ी मात्रा में मादा भ्रूण हत्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और जनगणना के आंकड़ों से भी पता लगता है कि बालक-बालिका अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है और कुछ राज्यों और जिलों तथा यहां तक कि गांवों में लड़कियों की संख्या में बहुत कमी आ गयी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश इस सबसे बड़ी समस्या से निपटने के लिए समय रहते तत्काल कड़े कदम उठाये तथा इन मामलों में सबसे अधिक योगदान निजी अस्पतालों का है, इन पर कड़ी कार्यवाही करें।

**(नौ) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर, झसौत और नगरम में पानी के बढ़ते खारेपन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता**

**श्री मनसुखभाई डी. वसावा** (भरुच) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के क्षेत्र जैसे अंकलेश्वर, झसौट, नगरम में खारे पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह खारा पानी पीने के बिल्कुल योग्य नहीं है। अगर कोई पीता है तो उससे कई बीमारी लग जाती हैं और बीमारी से शरीर के अंग विक्लांग हो जाते हैं। यह खारा पानी जब किसानों के खेतों में पहुंचता है उनके खेतों का उपजाऊपन कम हो जाता है और धीरे धीरे उनके खेत बंजर हो रहे हैं वह बंजर भूमि समय के साथ बढ़ रही है। इस संबंध में पेयजल तथा भूमि की बंजरता को बढ़ने से रोकने हेतु कई बार पत्र व्यवहार किया। खेद है कि इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं का जल्द सर्वे किया जाये और इन समस्याओं का निदान किया जाये।

**(दस) मध्य प्रदेश के नया गांव, जिला नीमच, में स्थित सीमेंट संयंत्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : महोदय, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कई ऐसे सीमेंट प्लांट हैं जो कि कार्यक्षम होते हुए भी बंद कर दिये गये हैं और उनकी करोड़ों रुपये की मशीनरी तथा संपत्तियां आज किसी निर्णय के अभाव में नष्ट होने जा रही है। इसी प्रकार के प्लांटों में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नया गांव स्थित सीमेंट प्लांट भी आता है जो कि विगत कई सालों से कार्यक्षम होते हुए भी केवल बिजली के अभाव में बंद हैं। ऐसे प्लांटों को न तो चलाये जाने की सरकार की कोई योजना है न ही इनको बेचे जाने की कोई योजना है। सरकार के अनिर्णय के फलस्वरूप ऐसे सीमेंट प्लांटों की जमीनों पर अतिक्रमण होता चला जा रहा है तथा शासकीय सम्पत्ति का भी भारी नुकसान हो रहा है। उधर करोड़ों रुपयों की मशीनरी जो इन प्लांटों में लगी है वह बेकार हो रही है। साथ ही लाखों रुपये का भुगतान भी कर्मचारियों को करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले ताकि मूल्यवान मशीनरी को बरबाद होने से बचाया जा सके तथा करोड़ों रुपये की भूमि जो बेकार पड़ी हुयी है और जिस पर अतिक्रमण हो रहा है उसका सही उपयोग हो सके। अच्छा तो यह होगा कि नया गांव जिला नीमच स्थित सीमेंट प्लांट के बिजली की बकाया राशि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को दे दी जाये और इस प्लांट को पुनः चलाया जाये और यदि सरकार यह निर्णय करती है कि इसको नहीं चलाया जाना है तो इसकी भूमि, मशीनरी, सम्पत्ति, कर्मचारी आदि के बारे में योग्य निर्णय किया जाये ताकि बरबाद हो रही सम्पत्ति को बचाया जा सके।

*[अनुवाद]*

**(ग्यारह) हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में बलारी बार चैनल को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री लक्ष्मण सेठ** (तामलुक) : हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, जिसने पिछले वर्ष लगभग 42 मिलियन एम टी कार्गो संभाला था, बलारी बार के बंद होने के कारण अब संकट में है। कोलकाता जाने वाले सभी पोत बलारी बार के माध्यम से जाते हैं परंतु इस क्षेत्र में भारी

[श्री लक्ष्मण सेठ]

गाद के कारण इस चैनल को बंद कर दिया गया है। कोलकाता जाने वाले पोत अब रंगापाला चैनल से जाते हैं।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा केवल उत्तरी गाइड का निर्माण किया गया है। परंतु, दक्षिणी गाइड वॉल का निर्माण, नदी संरक्षण प्रशिक्षण कार्य, निकाली गई मृदा के तट निपटान के कार्य शुरू किए गए है। केवल उत्तरी गाइड वॉल के निर्माण का चैनल पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप बलारी बार बंद करनी पड़ी। के ओ पी टी के गैर-बुद्धिमतापूर्ण निर्णय से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की स्थिति बिगड़ गई है।

उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए में तत्काल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अल्प अवधि तथा दीर्घ लंबी अवधि के उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं।

**अल्प-अवधि उपाय**

1. कैपिटल ड्रेजिंग
2. शोर डिस्पोज़ल
3. दक्षिणी गाइड वॉल का निर्माण
4. नदी संरक्षण
5. नदी प्रशिक्षण
6. सैंडहेड तथा कोनिका सैंड में ट्रान्सलोडिंग
7. पूर्बा मोदिनीपुर जिले के कोनटाई/दीघा से सैंडहेड की ओर कच्चे तेल तथा 50 के.एम. तक के रासायनिक कार्गो की ढुलाई के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु ठोस स्तम्भों का निर्माण।

**लंबी अवधि के उपाय**

**गहरा समुद्र पत्तन**

30 मीटर ड्राफ्ट वाले सैंडहैड के निकटवर्ती क्षेत्र में 50 के. एम. में गहरे वॉटर पॉकेट के एक पुल के निर्माण द्वारा कोनटाई/दीघा तटा से गहरा समुद्र पत्तन व्यवहार्य है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा पोत परिवहन मंत्री से इन समस्याओं का सकारात्मक तरीके से समाधान करने का अनुरोध करता हूं ताकि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को आसन्न संकट से बचाया जा सके।

**(बारह) बिहार के विभिन्न भागों में चीनी मिलें खोले जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के समय उत्तरी बिहार के काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता था तथा पूरे देश की करीब 25 प्रतिशत चीनी का उत्पादन इस क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों द्वारा किया जाता था। अभी इन चीनी मिलों में तीन चौथाई मिलें बंद हो चुकी हैं। जो हैं उनकी स्थिति भी अत्यंत जर्जर हो चुकी है जिससे इस क्षेत्र में गन्ना किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी मृत प्राय: है। बिहार राज्य चीनी निगम के सभी मिलें सालों से बंद पड़ी हैं एवं मजदूर बेकार पड़े हैं। किसानों की बकाया राशि भुगतान भी नहीं हो पाया है।

स्थिति निराशाजनक हो गयी है कि न मजदूरों का बकाया और न किसानों का बकाया राशि का भुगतान ही हो रहा है।

आजादी के बाद भी चीनी मिल बिहार में न सरकारी, न सहकारी और न निजी क्षेत्र में खोले जा सके हैं। 32 चीनी मिलें थीं, अब मात्र 6 चीनी मिलें निजी क्षेत्र में चल रही हैं। बिहार में चीनी उद्योग की काफी संभावनायें हैं।

मैं मांग करता हूं कि बेतिया, चनपटिया, नौतन, सौरिया, सुगौली, चकिया, मोतिहारी, मोतीपुर सकरी, ओरौल में चीनी मिलें खोले जाने हेतु आवश्यक कदम उठावें।

**(तेरह) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य से होकर जाने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वन क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसे बांध संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किशनपुर सैंक्चुरी बना दिया गया है। सैंक्चुरी एवं दूसरे वन क्षेत्रों के मध्य महाराजनगर, कांप, एलनगंज, किशनपुर इत्यादि कई गांव पुराने समय से बसे हुए हैं। इन गांवों तक जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। वन विभाग वन मार्गों पर निकलने में एतराज करता है तथा

हर बार ग्रामीण को जुर्माना देना पड़ता है। इन सभी कारणों से भारत सरकार की योजनाएं इन ग्रामों में नहीं पहुंच पा रही हैं और तकरीबन 15 हजार लोगों की आबादी अत्यंत ही पिछड़ेपन में जी रही हैं तथा विकास नहीं कर पा रही है।

अत: भारत सरकार शीघ्र ही किशनपुर सेंक्चुरी के मध्य से पक्के मार्ग के निर्माण की अनुमति दें।

*[अनुवाद]*

**(चौदह) तमिलनाडु के नल्लाथुर, जिला कांचीपुरम, के स्थानीय लोगों को मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र की नयी परियोजना में रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन** (वेल्लौर) : चेन्नई के निकट कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र पिछले 30 वर्षों से अपनी एमएपीएस, भावीनी; आई.जी.सी.ए.आर.जी.सो. एम डी जी इत्यादि जैसी परियोजना और अपने विद्युत स्टेशन के लिए 25 से अधिक बड़े नलकूपों के माध्यम से भूजल प्राप्त कर रहा है। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पड़ोसी गांववालों की उपजाऊ कृषि भूमि और कुएं सूख रहे है। गांववाले बेरोजगार हो गए है और उनकी आय का कोई अन्य साधन भी नही है।

ऐसे समय मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र (स्टेशन) ने अतिरिक्त भूजल प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त परियोजना की स्थापना की है। इससे गांव वालों में असंतोष फैल गया है और उन्होंने प्रदर्शन किए है और सड़कों को अवरुद्ध किया है। परमाणु ऊजा संयंत्र (स्टेशन) के अधिकारियों और कांचीपुरम जिले के अधिकारियों ने एक शांति समिति की बैठक की थी जिसमें परमाणु ऊजा संयंत्र (स्टेशन) के निदेशक ने गांव के सरपंचो और गांव वालों को विशेषकर नल्लाथुर पंचायत संघ के लोगो को इस बात का आश्वासन दिया है कि वह 200 लोगों को रोजगार देगें। रोजगार का आश्वासन मिलने के बाद गांव वालों ने अपने क्षेत्रों में नई परियोजनाओं और भूजल दोहन के लिए चार नए कुओं के निर्माण के लिए सहमती दी है। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद गांव वालों ने रोजगार के लिए आवेदन किए है। लेकिन आज की तिथि तक गांव वालों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है। इसी समय बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। गांव वालों ने इस संबंध में शिकायत की है।

गांव वालों कृषि संबंधी कार्य छोड़ने के बाद आज भूखमरी के कगार पर आ गए है। वे इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे है कि मद्रास परमाणु ऊजा संयंत्र (स्टेशन) द्वारा उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए और उन्हे रोजगार दिया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री से गांव वालों विशेषकर नल्लाथुर के युवाओं को परमाणु ऊजा संयंत्र द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार देने को अनुरोध करता हूं। मजबूरों की सहायता करना ही एक सच्चे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है।

**(पन्द्रह) उड़ीसा के भद्रक जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री अर्जुन सेठी** (भद्रक) : यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले का जनप्रतिनिधि होने के नाते मै अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि मै इस सम्मानीय सभा के ध्यान में यह बात लाऊं कि वर्तमान में भद्रक में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मैंने केन्द्र सरकार के साथ-साथ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। तथापि मेरे एक पत्र के उत्तर में माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि भद्रक में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को ऐसे परिपक्व प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित किया गया है जो केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी सभी मानदण्डों को पूरा करते है और इस संबंध में जल्दी ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

चालू वर्ष का शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और शीघ्र ही प्रवेश प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी? यदि इस समय भद्रक में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधी निर्णय को तत्काल नही लिया जाता तो हमें एक वर्ष तक और इंतजार करना पड़ेगा।

इसलिए, मै सरकार से वर्ष 2006-07 के चालू शैक्षिक सत्र के दौरान छात्रों को प्रवेश की सुविधा देने हेतु और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगो की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करने के लिए भद्रक में तत्काल केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध करता हूं।

**(सोलह) महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोयना क्षेत्र में डॉप्लर रडार सिस्टम लगाए जाने की आवश्यकता**

**श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** (कराड़) : महाराष्ट्र के सतारा जिले का कोयना और महाबलेश्वर क्षेत्र भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है।

[श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील]

इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है जिसके कारण कृष्णा और कोयना नदियों में बाढ़ आ जाती है और कराड़ और सांगली शहरों में जान-माल की क्षति होती है। इन क्षेत्रो में कोयना नदी पर कोयना बांध, कृष्णा नही पर धूम बांध, वीना नदी पर कानहेर बांध, वारना नदी पर वारना बांध कुछ बड़े बांध है। इन बांधो से लगातार छोड़े जाने वाला अत्यधिक पानी ही बाढ़ का कारण है। पिछले दो वर्षो के दौरान इसी प्रकार की बाढ़ का सामना किया गया है।

महाबलेश्वर में होने वाली भारी वृष्टिपात बाढ़ का प्रमुख कारण है। महाबलेश्वर से कोयना बांध तक पहुंचने में पानी को आठ घंटे लगते है। भारी वर्षा में पानी के भंडारण और निकासी प्रबंधन में कठिनाई होती है और इस प्रकार अनहोनी परिस्थिति पैदा होती है जिससे बाढ़ आ जाती है।

यदि हम भारी वर्षा का पूर्वानुमान कर पाए तो इससे इन बांधों से संबंधित जल निकासी प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। अत: कोयना क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर एक अत्याधुनिक डॉपलर राडार प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

**(सत्रह) पंजाब और देश के अन्य भागों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से किए जाने वाले विवाहों को रोकने के लिए एक तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर) : अनिवासी भारतीयों द्वारा धोखाधड़ी से की जाने वाली शादियो में वृद्धि हो रही है लेकिन ऐसा करने वालो की सजा नहीं हो पाती है। विदेशों में ऐसी अनेक निराश महिलाएं है जिन्हे उनके अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा धोखा दिया गया है अथवा उन्हें घर से निकाला गया है और हजारों महिलाएं ऐसी है जो गांवों में अपने घरों पर अपने अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा विदेशों में बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन ऐसा संदेशा कभी नहीं आता। इन असफल शादियों के पीछे झूठ बोलना, धोखाधड़ी, झूठे वायदे, दहेज की बेहुदी मांग जैसे कुछ कारण है। पंजाब में ही अनिवासी भारतीयों द्वारा 15,000 महिलाओ को छोड़ दिया गया है।

विदेशों में असहाय और बिना किसी वित्तीय सहायता के उनके पास मदद के लिए भारत सरकार की ओर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए ऐसे विवाहों से पूर्व वास्तविक सूचना प्राप्त करने के लिए किसी संस्थानिक तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन इस संबंध में मदद कर सकते हैं। सरकार को भारतीय महिलाओं को विवाह, विवाह विच्छेद भरण-पोषण, उत्तराधिकार और बालक की अभिरक्षा इत्यादि का अधिकार देने के संबंध में विधि द्वारा सभी सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विनियमन/विधान लाने पर विचार करना चाहिए।

**(अठारह) उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम को चालू वर्ष के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री हितेन बर्मन** (कूच बिहार) : उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत 15 अप्रैल, 1950 को हुई। इसके गठन के समय, भारत सरकार ने राज्य और केन्द्र सरकार के अंशदान क्रमश: 2:1 पर अपनी सहमति दी थी। तत्पश्चात् 1 अप्रैल, 1983 को इस निगम का अंशदान रेल मंत्रालय से पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष 1960-61 से 1986-87 तक केन्द्र सरकार द्वारा किया पूंजी अंशदान 4,82,51,500.00 रु. था। वर्ष 1987-88 के बाद से केन्द्र सरकार के अंशदान में अनियमितता हो गई और वर्ष 1992-93 से केन्द्र सरकार ने इसे पूर्णत बंद कर दिया। समझौते के अनुसार, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय अंश प्रदान करना था किंतु इसके बजाय इसने इसे पूर्णत: बंद कर दिया और इसकी वजह से निगम बंद होने के कगार पर है। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम, उत्तर बंगाल का एकमात्र उद्योग है और केन्द्र सरकार को इसे बचाना चाहिए। महोदय, मैं दृढ़तापूर्वक माननीय भूतल परिवहन मंत्री से उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान देने और चालू वर्ष हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना हिस्सा जारी करने का अनुरोध करता हूं और इसके साथ ही गत वर्षों के बकाया अंश अर्थात् केन्द्रीय अंश को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का भी अनुरोध करता हूं।

**(उन्नीस) असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सम्पर्क के लिए एनएलसीपीआर निधि के अंतर्गत रंगनाडी और काकोई नदियों पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**डा. अरुण कुमार शर्मा** (लखीमपुर) : मैं सरकार का ध्यान असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सम्पर्क हेतु आवश्यक दो पुलों के तत्काल निर्माण के अतिरिक्त लखीमपुर नगर के बाहर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.52 के वैकल्पिक मार्ग की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं। रंगाझाड़ी नदी पर गेनधाली-नोबोइचा-जी.के. दत्ता मार्ग पर गेनधाली घाट पर या फिर पानीगांव-खरकती-अहोमोनी-मिरिगांव रोड पर फटसती धार पर जोड़ने वाले एक पुल की तत्काल आवश्यकता है जो न केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के कृषक बहुल 98,000 जनसंख्या के लिए लाभदायक होगा अपितु मौजूदा पुल जो पहले ही पुराना हो चुका है एवं वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, की आपातकालीन स्थिति में एनएल केबी रोड के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उपयोज्य हो सकेगा। असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के राजगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के साथ लीला-बाड़ी सिया जुली रोड़ पर जोड़ने के लिए काकोई नदी पर एक अन्य पुल के अतिरिक्त लीलाबाड़ी विमानपत्तन, लखीमपुर सिविल अस्पताल, लखीमपुर कालेज ऑफ वेटेरिनरी साईंस के साथ-साथ सियाजुली एवं चाइनातोलिया चाय बागान के सम्पर्क के अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों चाय उत्पादकों और अन्य पिछड़े समुदायों की 62,000 से अधिक जनसंख्या को लाभ पहुंचायेगा।

इसलिए, मैं सरकार से विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के मंत्रालय से अंतर-राज्यीय महत्व के इन दोनों महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं को असम लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले से तैयार अनुमानित धनराशि के अनुसार एनएलसीपीआर के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु असम सरकार के साथ शीघ्र आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं।

## (बीस) कश्मीर में किसानों के हितों के लिए वित्तीय पैकेज और वैज्ञानिक उपकरण दिए जाने की आवश्यकता

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला) : कश्मीर के वास्तविक कृषकों का आय स्तर बहुत गिर गया है और बागवानी के अंतर्गत छोटे भूखण्डों से भी लाभ दर कम हो गई है। कई मामलों में तो कच्चे मालों की लागत भी वसूल नहीं हो पाई है। एक ओर छोटे कृषक और दूसरी ओर तुलनात्मक रूप से बड़े कृषक भी बहुत असंतुष्ट हैं क्योंकि श्रम बहुल कृषि और कम लाभ ने उनके खेतों की अपनी प्रबंधन योजना को बिगाड़ दिया है। विदेशों में कश्मीर के प्रसिद्ध सुगन्धित पौधों तथा औषधीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियों की अत्यधिक मांग ने कृषि समुदाय को एक आशा की किरण दिखाई है। कश्मीर में फसलों के विविधीकरण के सुचारू परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि मंत्रालय को वित्तीय पैकेज और सीएसआईआर एवं अन्य वैज्ञानिक निकायों जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वैज्ञानिक कच्चे मालों के साथ आगे आना चाहिए जिससे कि कश्मीर की फसल विविधीकरण की सफलता की कहानी अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सके।

---



## मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006–*जारी*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मद संख्या 15—मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001। श्री अधीर चौधरी—अनुपस्थित

डा. सुजान चक्रवर्ती

**डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। कि आपने मुझे मानव अधिकर संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया। सामान्यत: और व्यापक तौर पर, मैं इस विधेयक के घटकों से सहमत हूं। सामान्यत: मैं इससे सहमत हूं किंतु इसमें कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जो तकनीकी प्रकृति के हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.45½ बजे

*[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]*

किन्तु इन संशोधनों का पूर्ण प्रभाव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली पर पड़ेगा।। इसलिए, ये सभग्र रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

हम सभी यह जानते हैं कि ये संशोधन न्यायमूर्ति अहमदी समिति के सुझावों और सिफारिशों पर आधारित हैं और उन्होंने छह या सात महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये हैं। यद्यपि मैं इस विधेयक के मूल संशोधनों से अधिकतर सहमत हूं फिर भी, मेरे पास इस मुद्दे पर चार या पांच बिन्दु हैं।

सर्वप्रथम, इसका आशय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को लाने का है जिन्हे तीन वर्ष या पांच वर्ष का अनुभव हो। मैं यह महसूस करता हूं कि एनएचआरसी के दर्जे को देखते हुए यह संशोधन

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

इसकी गरिमा को कम कर देगा। इसलिए, यह संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु तक उपलब्ध रहते हैं और यह मानव अधिकार आयोग की स्थिति के लिए बेहतर होगा यदि उनकी सेवाऐं ली जाती हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे व्यापक दृष्टिकोण को अपना सकते हैं।

दूसरा, यह विधेयक शक्ति देता है कि वह आयोग को राज्य सरकार को सूचना दिए बिना भी किसी भी कारागार अथवा विरोध केन्द्र का दौरा कर सकता हैं अत्यावश्यकता के दौरान ऐसा करना तो ठीक है किंतु एक उपबंध के रूप में राज्य सरकारों को सूचित किए बिना अथवा उन्हें जानकारी दिए बिना कारगार अथवा विरोध केन्द्र का दौरा करना एक अच्छी प्रथा नहीं है। राज्यों का अपना ढांचा और अधिकार हैं। यह सदैव तर्कसंगत है कि पहले राज्यों को सूचना दी जाए और उसके पश्चात कार्यवाही की जाए। स्पष्टत:, यह उपबंध इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से यह किया गया है। इसे इस नीति से किया जाना चाहिए कि जब भी ऐसी अत्यावश्यकता हो जैसे में कोई राज्य कार्रवाई न कर रहा हो अथवा वह इच्छुक न हो अथवा कोई रहस्योद्घाटन न करना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति की गुंजाइश होनी चाहिए।

तीसरा, मानव अधिकारों में मूल अधिकार शामिल होते हैं, और यह व्यक्तिगत आजादी का प्रश्न नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी दुनिया में व्यक्तिगत आजादी का प्रश्न जयादा महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है क्योंकि वहां हमारे देश जैसी सामाजिक असमानता व्याप्त नहीं है। हमारे समाज में कुछेक प्रकार की सामाजिक असमानता अथवा अन्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, सामाजिक समानता अथवा सामाजिक न्याय भी किसी भी प्रकार के न्याय का एक अति महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए और यह वहां पहले ही से मौजूद है। हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इसी प्रकार से, आंका जाता है अर्थात् वे बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, हमारे देश में जीने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार आदि से समझौता किया जाता है और इन्हें खतरे में डाला जाता है। क्या लोगों के बीच अभावग्रस्तता और बेचैनी के प्रश्न को इस मुद्दे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए?

हजारों किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। क्या यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है? आप किसानों के मानव अधिकारों की रक्षा करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? आप उनकी जीवनयापन में सहायता क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि आत्महत्या करना भी निश्चित तौर पर मानव अधिकारों का ही एक उल्लंघन है। आयोग इन सभी मूल अधिकारों से किस प्रकार निपटेगा? काम के अधिकार रोजगार के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार को भी इस विधेयक अथवा संशोधन में स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरे विचार से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन यह पुन: अस्पष्ट है, विशेष रूप से आतंकवाद और हत्यारे के अधिकारों के संबंध में। आप इस संबंध में किस प्रकार विचार करेंगे? इसमें किस प्रकार भेद किया जाएगा? इस प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है और न ही इसे ठीक से सुपरिभाषित किया गया है। इन बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

वस्तुत:, अमरीका पूरे विश्व में मानव अधिकारों की वकालत कर रहा है लेकिन मानव अधिकारों का सबसे अधिक हनन वह करता है और इस बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। घातक हथियारों की खोज के नाम पर उसने जिस प्रकार इराक पर हमला किया, क्या वह मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन नहीं है? जिस प्रकार लेबनान में घटनाएं हो रही हैं? जिस प्रकार इजरायल को अमरीका द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, और जिस प्रकार लेबनान के साथ बर्ताव किया जा रहा हैं क्या यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है? उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि इतिहास में ऐसी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां यह देखने में आएगा कि पूरे विश्व में अमरीका द्वारा प्रायोजित शक्तियों द्वारा या स्वयं अमरीका द्वारा मानव अधिकारों का सतत उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वह इसका प्रचार-प्रसार कर रहा है उससे ऐसा प्रतित होता है कि वह मानव अधिकारों का प्रचारक हो।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि संशोधन में वाकई कुछेक घटक मौजूद हैं, लेकिन यह फिर भी त्रुटिरहित नहीं हैं।

क्या विदेश में कार्य करने और रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की ओर हमारे मानव अधिकार आयोग का ध्यान नहीं जाना चाहिए।

क्या उनकी भी सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए? मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हमारे मानव अधिकार आयोग द्वारा भारतीय मूल के उन सभी लोगों, जो विदेश में रह रहे हैं, के मानव अधिकारों के संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते वक्त यह बतलाएंगे।

अंत में मेरा कहना है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के लिए कुछेक उपबंध हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए कोई उपबंध नहीं हैं। ऐसे उपबंध होने चाहिए और आयोग के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिएं ताकि वह स्पष्ट तौर पर इसे सुनिश्चित कर सके। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में होते हैं, और मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

इन सुझावों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री अधीर चौधरी से बोलने के लिए अवसर देता हूं। आपके बोलने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि आपको पहले भी बुलाया गया था। लेकिन आप मौजूद नहीं थे। यदि आप सभा से माफी मांगे, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप खेद प्रकट करें, आप सभा से माफी मांगे, जो कि एक संप्रभु निकाय है।

**श्री अधीर चौधरी** (बरहमपुर, पश्चिम बंगाल) : मैं सभा से बिना शर्त क्षमा याचना करता हूं।

**सभापति महोदय** : इसमें कोई बुराई नहीं हैं सभा सर्वोच्च है। मैंने भी कुछेक अवसरों पर क्षमा याचना की है।

**श्री अधीर चौधरी** : मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने के लिए बाहर चला गया था।

**सभापति महोदय** : आज के पश्चात् आप तत्पर रहेंगे।

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय, मैं मानव अधिकार (संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 नामक विधायी दस्तावेज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक हमारे समाज की भावनाओं को और मौजूदा मानव अधिकारों को अधिक कारगर बनाने के प्रति सरकार के इरादे को परिलक्षित करता है। इस विधायी दस्तावेज की अभिव्यक्ति और दिशा पर विस्तारपूर्वक बोलने से पहले, मैं विश्व में मानव अधिकारों के विकास के संबंध में ऊपरी तौर पर कुछ बताना चाहता हूं।

जैसा कि हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और विभिन्न सिद्धांत बनाए गए। उस समय, विश्व ऐसी स्थिति में था। जहां मानव अधिकारों के सभी मूल नियमों को साम्राज्यवादी ताकतें कुचल रही थीं। वर्ष 1776 में अमरीकी स्वतंत्रता की घोषण में मानव अधिकारों की संकल्पना पहली बार उजागार हुई थी। पुन: वर्ष 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, नागरिकों के अधिकारों की एक बार फिर घोषणा की गई। वर्ष 1948 में, संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। वर्ष 1966 में, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा समझौतें की घोषणा की गई। वर्ष 1966 में, अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की भी घोषणा की गई।

तेहरान में, संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अधिकारिक रूप दिया गया। मानव अधिकार घोषणाओं और प्रसंविदा समझौतों के ऐसे 90 से ज्यादा दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं।

जहां तक भारत का संबंध है। हमने वर्ष 1993 में मानवाधिकार अधिनियम बनाया। इस सरकार द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मूलत:, संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग की संरचना और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग में फेरबदल करना है।

उसके अलावा अन्य निर्णायक खंडों में संशोधन किया गया है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि इस संशोधन के माध्यम से मानवाधिकार आयोग को अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं ताकि मानवाधिकार अधिनियम को सही तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। इस कानून में न्यायमूर्ति अहमदी की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कुछ वर्षों से यह देखा और वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस बात पर जोर दिया गया कि मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण के उद्देश्य को कार्यान्वित करने में असक्षम हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आखिरकार इस विधेयक में ज्यादा कुछ नहीं है। यह केवल एक संशोधन विधेयक है।

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय मैं अपने दल से इस विधेयक पर बोलने वाला पहला व्यक्ति हूं।

**सभापति महोदय** : यह एक मूल विधेयक नहीं है। यह केवल एक संशोधन है।

**श्री अधीर चौधरी** : वर्ष 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। 14 वर्ष के बाद न्यायमूर्ति अहमदी समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

मूल अधिनियम की सत्रह धाराओं का संशोधन किया गया है परंतु केवल धारा 40(ख) जोड़ी गई है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यहां इस संशोधन में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायाल के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के हैं। इस संशोधन से योग्यता मानदण्ड को प्रचलन में लाया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें तीन वर्ष का अनुभव हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इससे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अधिकारों को कम करने का गलत अर्थ लग सकता है, जो मूल अधिनियम में विद्यमान है। ऐसा पता लगा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बजाय किसी भी न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें। यदि आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं कर पायेंगे।

**श्री अधीर चौधरी** : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य भी होते हैं। यहां मैं यह अनुरोध करूंगा कि महिला आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य माना जाए। हमारे देश के कानून तथा समाज की द्वन्द्वात्मक पद्धति उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद तक के लंबे ऐतिहासिक अनुभवों द्वारा निर्धारित की गई है। हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। इसने हमारे देश के लोगों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्र जीवन दिया है। मूल रूप से हमारे देश के किसी भी कानून का लक्ष्य हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान विवाद को निपटाना नहीं है जहां सम्पन्न वर्ग के लोग कानून के बल पर समाज में प्रभावी होने का प्रयास करते हैं। कानून स्वयं हमारे लोकतांत्रिक समाज में लोगों की भागीदारी के माध्यम से उच्च वर्ग के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास करता है। जैसाकि हमने देखा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वयं मानवाधिकार आयोग द्वारा मानव हिंसा में केवल 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें हमारे देश में कलंकित किया जा रहा है। इस तथ्य को देखते हुए मैं मंत्री जी से यह प्रस्ताव करना चाहुंगा कि अल्पसंख्यक आयोग के तथा महिला आयोग के एक-एक सदस्य को मानवाधिकार आयोग का सदस्य माना जाए।

इस संशोधन को सही ढंग तथा सही दिशा में कार्यान्वित करने के लिए हमें प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता होगी क्योंकि पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में इस संशोधन के तथा विधेयक के उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। देश भर में पुलिस द्वारा आम लोगों पर अत्याचार किए जाते है। जनता के विभिन्न वर्गों पर अत्याचार की खबर मिलती है।

मैं पश्चिम बंगाल से हूं जहां पूरे देशकी तुलना में हिरासत में मौते सबसे अधिक होती हैं। न केवल राजनैतिक कार्यकर्ताओं की बल्कि विपक्षी दलों के लोगों की भी हिरासत में मौतें हुई हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की मंत्रणाएं दी गई, उत्पीड़न और अत्याचार किए गए।

इतना ही नहीं उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : मैंने आपको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की पर मैं असफल रहा। संशोधन विधेयक एक छोटा विधेयक है।

*(व्यवधान)*

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय मुझे अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री खारवेनथन जी के भाषण को सभा पटल पर रखा समझा जाए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री अधीर चौधरी यदि आपको कुछ और कहना है तो आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

***श्री अधीर चौधरी** : मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 नामक विधान से सरकार की विद्यमान मानव अधिकार बल को और शक्ति प्रदान करने की इच्छा दिखाई देती है।

इस विधेयक का उद्देश्य मानवाधिकार आयोग की संरचना तथा इसके अधिकारों के संरचनात्मक सुधार लाना लगता है।

उक्त संशोधन विधेयक के स्वरूप और उद्देश्य पर चर्चा करने से पहले, मैं मानव अधिकारों के विकास पर विस्तार पूर्वक बोलना चाहता हूं जिनकी कल्पना नाजी जर्मन द्वारा की गई लूटमार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपचारिक रूप से की गई थी। यूरोप ने देखा कि मानवाधिकारों के सभी मूलभूत सिद्धांतों को शैतानी तरीके से कुचला गया था। उसने यहूदियों के नरसंहार को देखा जो कि मानव-इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित देशों के प्रयास से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रतिमान के अंतर्गत ऐतिहासिक पत्र था। तथापि 20वीं सदी में स्वीकृत मानव अधिकार पूर्वकालीन प्राकृतिक अधिकारों से व्युत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक सभ्यता अपने जन्म से ही प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को विकसित करती है जिनको मानव-जीवन में समाविष्ट किया जाता है।

मानव - मूल्य तथा मानव - गौरव आदि काल से ही भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक अविभाज्य अंग रहे हैं। यहां तक कि पवित्र वेदों में भी पूरे विश्व को एक परिवार कहा गया है और मानवाधिकारों पर चिंतन किया गया है।

आधुनिक काल में मानव अधिकारों की ओर लोगों का ध्यान सर्वप्रथम वर्ष 1776 में अमरीकी स्वतंत्रता युद्ध ने आकर्षित किया था।

वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई थी।

1948 में संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की।

यह स्पष्ट है कि मानव अधिकारों का इतिहास एक निरंतर चलने वाली और कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो हमारे समाज को ज्ञान देती है, और उसके नैतिक, कानूनी तथा सामाजिक ताने-बाने की बुनियाद को सुदृढ़ करती है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति ने भारतीय जनता को सदियों तक दबाए रखा और सदियों तक लगभग सभी स्थापित संस्थानों को छिन्न-भिन्न कर दिया। हम आर्थिक सांस्कृतिक राजनैतिक और धार्मिक रूप से बर्बाद हो गए थे। भारतीय जनता ने उन चौतरफा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हर संभव तरह से प्रतिरोध किया, जोकि जनता के लिए सिविल, राजनैतिक अधिकारों सहित मौलिक स्वतंत्रता की मांग के रूप में व्यक्त हुआ। इसे स्वराज के संग्राम के माध्यम से व्यक्त किया गया। इसकी पुरजोर अभिव्यक्ति स्वराज के संघर्ष में हुई।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा प्रतिष्ठा से संबंधित अधिकार मानवाधिकार हैं जो मूल अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं में शामिल हैं।

अंततः, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों सहित मूल अधिकारों ने व्यापक पहचान स्थापित की।

स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्र संघ के साथ-साथ जो कुछ भी मानव जीवन के स्वतंत्र अस्तित्व को मजबूत करता है तथा मानव जीवन की महत्ता बढ़ाता है, को मानव अधिकार माना जाना चाहिए।

विधायी दस्तावेज में उस अधिनियम में एक नई धारा 40 बी जोड़ते हुए उक्त अधिनियम की 17 धाराओं में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अधीर चौधरी]

अवलोकन पश्चात् संशोधनों की प्रकृति का वर्गीकरण किया जा सकता है: 1 मूलभूत 2 परिणामी 3. स्पष्टीकरणात्मक।

भारत में मानवाधिकार अधिनियम 1993 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पर हस्ताक्षर होने के साथ आया।

आयोग ने औपचारिक अभिलेख में कुछ कमियों पायी तथा कुछ खामियों का पता लगाया तथा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया। इसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के सभी खण्डों और प्रस्तावित संशोधनों का मूल्यांकन करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए.एच. अहमदी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति स्थापित की।

इस सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने के लिए इसमें कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया। इन संशोधनों की मुख्य बातें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना तथा पुनर्गठन से संबंधित हैं।

2. राज्य मानवाधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु परिभाषा खंड में संशोधन : योग्यता मापदंड की विद्यमान स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया।

अब कम से कम तीन वर्ष की सेवा अवधि वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के योग्य होंगे।

इस उपबंध को अध्यक्ष पद के महत्व को कम करने के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि मूल अधिनियम में यह पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए था।

मैं अध्यक्ष के संबंध में नीति परिवर्तन पर स्पष्टीकरण हेतु माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा।

राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए कम से कम पांच वर्ष की सेवाकाल वाले उच्च न्यायाल के न्यायाधीश तथा कम से कम सात वर्ष की सेवाकाल वाले जिला न्यायाधीश योग्य होंगें।

उक्त संशोधनों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न्यायालय द्वारा सौंपे गये मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त पीड़ी द्वारा प्रावधान दर्ज शिकायत में भी स्वत: जांच करने का आदेश होगा। यह एक स्वस्थ प्रावधान है इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। जिससे आयोग अपना कर्त्तव्य निर्वहन कर पायेगा।

विधेयक ने आगे आयोग को जांच के लंबित रहने तक पीड़ितों को अंतरिम राहत की क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश देने का अधिकार होगा जो अब तक जांच पूरा होने पर ही दिया जाता था।

विधेयक में उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। यह हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत बढ़ गई हैं।

बलात्कार की पीड़ित महिला की सुनवाई के लिए महिला न्यायाधीश की नियुक्ति पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। हमारी जनसंख्या का 49 प्रतिशत महिलाएं हैं।

इसे देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक महिला को सदस्य के रूप में शामिल करने का अनुरोध करूंगा। इसके अलावा, हमारे देश में अत्यधिक विभिन्नता है और यहां अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव की बहुत ज्यादा घटनाएं प्रकाश में आती है जैसे कि गुजरात के दंगे अंग में इसाइयों के विरोध में हिंसा तथा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ भेदभाव, आदि। अत: मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाये।

भारत में कानून तथा समाज के बीच की द्वंद्वात्मक पद्धति उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद तक के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हैं। इसी प्रक्रिया में कानूनी तथा सामाजिक तंत्र विकसित हुए है। भारत की संविधान सभा ने हमारे समाज में विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया। हमारे समाज में अभिजात वर्ग समाज में प्रभावशाली स्थान बनाने के लिए कानून का उपयोग करता है। जबकि संविधान सुविधाहीन वर्गों के लिए भागीदारी के और अधिक अवसर प्रदान करके इस प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कतिपय शक्तियों तथा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव को प्रत्यायोजित करने की

शक्तियां प्रदान की गयी जिससे कि संस्थागत कार्यों में नौकरशाही के दखल की बू आती है।

अंत में, यह तथ्य सामने आता है कि मानवाधिकार भारत में अभी भी शैशवावस्था में है।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार निम्नवत् हैं:

1. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1998
2. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार, 1966
3. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार, 1966
4. वैकल्पिक अधिकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय करार अन्य दस घोषणा तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़ जो मानवाधिकार विलेख के रूप में जाने जाते हैं जिनमें पेरिस सिद्धांत हैं भी सम्मिलित है जिसे भारत ने अधिसूचना के अध्याधीन मंजूरी दी है।

सरकार अधिसूचना जारी करके यह निर्दिष्ट कर सकती है कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकअधिकार पूर्णत: क्रियान्वित करना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के उपागम को तेहरान घोषणा के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था

मानवाधिकार पर गौर करते समय हमें मानवाधिकार आकांक्षा को विकसीत करने के प्रसंग में राजा राम मोहन राय के योगदान को याद रखना चाहिए। उन्होने भारत में 'सती प्रथा' को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा विधवा विवाह तथा महिलाओं के लिए समान अधिकार की जमकर वकालत की।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

1. प्रतयेक जिले में विशिष्ट मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए अथवा कम से कम आयोग द्वारा मानवाधिकार कैंप आयोजित किए जाने चाहिए।
2. मानवाधिकार कार्यवाही की भावना को बल देने के लिए जिला मानवाधिकार आयोग स्थापित करने चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अवसंरचना ग्रामीण तथा अर्द्धनगरीय जनसंख्या तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त है यद्यपि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसे प्राप्त मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोग को अंतरित कर सकता है।
3. अनैतिक पुलिस अधिकारियों द्वारा यातना के उपाय अपनाने के कारण हमारे देश में हिरासत में मौत की घटनायें काफी बढ़ रही है। कानून के मुताबिक एक अभियोगी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इस नियम का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। जब पीड़ित के संबंधी न्यायालय की शरण में जाते हैं तो अभियोगी को किसी और पुलिस नियंत्रण में भेज दिया जाता है। अत:, यदि हिरासत में रखा गया व्यक्ति बंदीगृह जाता है तो पुलिस उन्हें परेशान करती है।

इस प्रावधान के अंतर्गत आयोग को हिरासत केन्द्र का दौरा बिना पूर्व सूचना के करने का अधिकार होगा। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि पीड़ित के संबंधियों के लिए आयोग तक पहुंच को और अधिक आसान बनाना चाहिए। पुलिस द्वारा अत्याचार तथा शारीरिक यातना का मामला आयुक्त को सौंपा जा सकता है लेकिन जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है जो अपने सहकर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा उन्हे दोषमुक्त करार देते हैं।

4. संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अन्य राज्य से होना चाहिए ताकि राजनीतिक लाभ से बचा जा सके तथा उसे स्थानीय भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अंत में, मैं प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मानवाधिकार साक्षरता चलाने तथा मानवाधिकार आंदोलन चलाकर इसके प्रति जन चेतना का आह्वान करने का प्रस्ताव देता हूं राहत के लिए लोग अधिकाधिक न्यायपालिका पर निर्भर रहते हैं तथा न्यायपालिका अपने सक्रिय रूप से अधिकारों को शक्ल दे रही है। न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकार को लागू करना विधिशास्त्र का अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 32 तथा 226 के चलते, न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षा का क्षेत्राधिकार विकसित करते हैं तथा गरीबों तथा पिछड़े लोगों के लिए जनहित याचिका के माध्यम से विचार करते हैं। 1951 तथा 1967 के संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकोल जिसे भारत ने मंजूर किया, के बावजूद शरणार्थियों की स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है।

[श्री अधीर चौधरी]

बाशम ने अपनी पुस्तक 'द वंडर दैट वाज़ इंडिया' में लिखा है-

हमारी समग्र धारणा यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य और मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और राज्य के बीच संबंध इतने अच्छे और मानवीय नहीं रहे हैं।

किसी अन्य सभ्यता में दासों की संख्या इतनी कम नहीं रही है और विधि की किसी भी अन्य प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकारो को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया गया था जितना कि अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य प्राचीन विधि में युद्ध के दौरान ईमानदारी बनाए रखने के लिए इतने अच्छे विचारों का उल्लेख भी किया गया है जितना की 'मनु' ने किया हैं वह प्राचीन भारतीय सभ्यता की मानवता के परिप्रेक्ष्य में एक अति महत्वपूर्ण विशेषता है।

मैं बेहिचक ऐसा विधान लाने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं। मै इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपन भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : सभापति जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही मामूली संशोधन है। जो ह्यूमन राइट कमीशन का कंपोजीशन है कि कौन उसका जज बन सकता है, उनकी योग्यता में परिवर्तन करने का सुझाव है, इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। काफी परिश्रम के बाद, एक कमेटी बनाकर, किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने के बाद उसकी संस्तुति को स्वीकार किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी और राज्य सभा के बहुत से सम्माननीय सदस्यो ने इसको लंबी बहस के बाद स्वीकार कर हमें दिया है। इसलिए चर्चा लम्बी न करते हुए, हमारे कुछ मित्रों ने बहस के दौरान कहा कि मानव अधिकार की दृष्टि, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली और कहा कि तेहरान में कोई सम्मेलन हुआ, वहां से भारत ने कुछ सीखा, इसीलिए मैं मजबूर हुआ कि इस पर कुछ कहूं। संयुक्त राष्ट्र संघ और तेहरान डिक्लेरेशन का जब पता भी नहीं था, तब से मानव अधिकार के संबंध में, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन उससे जागरूक था। सन् 1925 में लखनऊ में पंडित मोती लाल नेहरु ने ऑल इंडिया कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद, मौहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया, पंडित मदन मोहन ने भाग लिया और जवाहर लाल नेहरु ने सैक्रेट्री की हैसियत से उस कांग्रेस में शिरकत की थी। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, मानव अधिकार के जितने नियम हैं वे हमारे दस्तावेज के रूप में जुड़े और लखनऊ डिक्लेरेशन के नाम से, एक मानव अधिकार चार्टर भारत के सभी नेताओं ने स्वीकार किया जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य मुद्दा बना। उसके बाद सन् 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और पंडित मोती लाल नेहरु कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उस समय ह्युमन राइट्स के संबंध में एक वृहद दस्तावेज, जो लखनऊ ऑल पार्टीज कांफ्रेंस के द्वारा तय किया गया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। फिर 1930 में लाहौर अधिवेशन में, जो जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में हुआ कांग्रेस पार्टी ने फिर से मानव अधिकारों के उसी चार्टर को स्वीकार किया। जब सन् 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार्स पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उसी चार्टर को कांग्रेस ने अपने संकल्प के रूप में स्वीकार किया।

महोदय, इसीलिए जब हमने अपने संविधान का निर्माण शुरू किया तो उन्हीं मानवाधिकारों का प्रस्ताव संविधान सभा में आया, जिसे सरदार पटेल ने प्रस्तुत किया था। भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने स्वीकार किया था कि जो मानवाधिकार का जज्बा आधुनिक भारत में है, वह राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। हमने ह्यूमन राइट्स के अध्याय को संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं ओढ़ा है, न हमने उसके चार्टर को स्वीकार किया है, बल्कि हमारे बनाए चार्टर को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया है, इसलिए इतिहास के इस कथन को दुरूस्त करके हमें इस संसद में देखना चाहिए।

संविधान निर्माताओं ने हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं, उनकी निगरानी करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों को दिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया के किसी संविधान में व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मानवाधिकारों का अपहरण होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सीधा दरवाजा खटखटा सके। हैबियस कारपस पैटिशन की मान्यता और प्रावधान भारत की मुख्य विशेषताओं में गिनी गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ह्युमन राइट्स के प्रति हमारे राष्ट्र नेताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया, वे हमारे संविधान का प्रमुख अंग बने और इसकी निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधा दरवाजा खटखटाने का अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। हमने अपने निजी अनुभव से देखा कि अंग्रेजी जमाने का सिविल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था, हमारे फौजदारी की धारा

109, 110 थी, हमारे देश में समय-समय पर बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि पोटा क्यों नहीं? हमारे देश में इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ जिससे सिविल लिबर्टी का नुकसान होता है, वह क्यों नहीं आता। हमारे देश में जब रौलेट एक्ट आया, जिसे आज हम कह सकते हैं कि वह पोटा का जन्मदाता है, पितामाह है या हम कह सकते हैं कि वह टाडा का बाप है, वह हमारे देश में रौलेट एक्ट के जरिए आया था, जिसके विरोध में जलियांवाला कांड हुआ था। उस समय भारत की संसद को पंडित मोती लाल नेहरु को, खास तौर से महात्मा गांधी ने टेलीग्राम करके कहा था कि यह राक्षसी कानून का भारत की संसद में जितना जबदरस्त विरोध हो सके, किया जाना चाहिए।

हमारे देश के अंदर नागरिक अधिकारों को खत्म करने वाले ज्यादातर कानून अंग्रेजी जमाने में लाए गए। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के आजाद होने के बाद मानवाधिकारों के प्रति पूरी जागरूकता के बाद हमने कुछ ऐसे कानून इस देश में बनाए रखे जो हमारी सिविल लिबर्टी का सीधा नुकसान करते हैं। हम निजी अनुभव से कह सकते हैं, उस समय हम श्री मधु लियमे साहब के साथ तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्होंने कहा कि सर्वे करो कि बिहार के कितने लड़के, जो नौकरी करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आए थे, बंद हैं। 147 लड़के थे, जिन्हें धारा 109 के अंतर्गत तिहाड़ जेल में बंद करके झाड़ू लगवाया जा रहा था। मधु लियमे जी ने जेल से चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया तो डेढ़ साल के बाद फौजदारी धारा 117, 151 सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत गिरफ्तार बच्चे जेल से रिहा किए गए।

हमारे देश के अंदर यह जो प्रणाली है, जिसे हम अफसरशाही कहते हैं, इसका कोई आदर, कोई सम्मान सिविल लिबर्टी के प्रति नहीं है। उसकी निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपर्याप्त है इसलिए हमने ह्युमन राइट्स कमीशन का अलग से गठन किया। लेकिन वह ह्युमन राइट्स कमीशन भी हमारे देश के मानवाधिकारों को सम्पूर्ण रूप से लागू करने में उतना प्रभावशाली नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज बैठा दिए जाते हैं, जिनकी सुनवाई नीचे का अधीनस्थ नौकरशाही का कोई आदमी नहीं करता। यह बहुत अच्छी बात सोची गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक्टिव जजों को पदाधिकारी बना कर बैठा दिया जाए, सम्भवत: उनकी सुनवाई कंटेम्पट आफ कोर्ट के डर से सबको करनी चाहिए। इसलिए इसमें यह सुझाव आया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। संभवत: इसमें शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर को भी रखने की बात कही गई है। शायद इसलिए कही गई है कि उसका एक संवैधानिक स्टेटस है लेकिन इसी के साथ-साथ मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि माइनॉरिटीज कमीशन और महिला आयोग के सदस्यों को भी इसमें स्थान देना चाहिए। एक नया आयाम देश में आया है। जब नक्सलवाद पनप रहा है, आतंकवाद बड़ी तेजी से सिर उठा रहा है, उग्रवादी तत्व देश में बहुत जोर से कदम उठा रहे हैं, वे आम और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, जो मानवाधिकार का हनन है। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि हम मानवाधिकार के संरक्षण के जबर्दस्त हिमायती हैं क्योंकि मैं आपातकाल के दौरान 21 महीने बिना मुकदमा चलाए मीसा जैसे राक्षसी कानून के अंतर्गत बरेली केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध रहा हूं। राक्षसी कानूनों का कितना जबर्दस्त आक्रमण निजी स्वाधीनता के ऊपर होता है, मैं उसका भुक्तभोगी रहा हूं। इसलिए इसका जबर्दस्त समर्थक हूं।

इसी के साथ-साथ जो लोग आतंक पैदा करते हैं, साम्प्रदायिक हिंसा में लोगों की हत्या करते हैं, जो लोग हथियार उठा कर, अपने सवाल को लेकर संघर्ष करने के लिए उठते हैं, उनको अपना सिविल राइट क्लेम करने का किसी भी लोकतांत्रिक देश में अधिकार नहीं होना चाहिए। यह भी कानून होना चाहिए।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए ह्युमन राइट्स क्लेम का जबर्दस्त समर्थन करता हूं। जो लोग ह्युमन राइट्स को शस्त्रों के जरिए वॉयलेट करते हैं, उन्हें ह्युमन राइट्स क्लेम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सुझाव देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

*[अनुवाद]*

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी) : महोदय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 24.09.93 को लागू हुआ। उपर्युक्त अधिनियम में निम्नलिखित तीन विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था;

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

(दो) राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन और

(तीन) पूरे देश के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करना।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उपर्युक्त अधिनियम में और संशोधन करने के लिए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया था।

न्यायमूर्ति अहमदी समिति की सिफारिशों और गृह रक्षा, विदेश और विधि मंत्रियों की अंतर-मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय गृह मंत्री द्वारा संशोधन पेश किए गए है। मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को लाने के लिए गृह मंत्री को मुबाकरबाद देता हूं।

इस संशोधन विधेयक का प्रमाणन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की 17 धाराओं में संशोधन करना और एक नई धारा 40(ख) को पुर:स्थापित किया जाना हैं

धारा 3 (2)(क) में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष संबंधी पात्रता मानदंडो में संशोधन का प्रस्ताव है। विद्यमान अधिनियम के अनुसार भारत का सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र है अब वर्तमान संशोधन केन्द्र सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो, को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने पर विचार करें। इस अधिनियम में संशोधन स्वागतयोग्य है। इस संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में विलम्ब नहीं होगा क्योंकि इस संशोधन के पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की उपलब्धता की प्रतीक्षा नही करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के दो पृथक-पृथक आयोगो अर्थात एक आयोग अनुसूचित जातियो के लिए और दूसरा आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए जाने के मद्देनजर धारा 3(3) के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानद सदस्यों की संख्या 3 से 4 हो जाएगी।

इस विधेयक की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली कारागारो और अन्य संस्थाओ का औचक निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है। जहां पर लोगो को उपचार, सुधार अथवा सुरक्षा के लिए निरुद्ध और बंद किया गया है और उनके सहयोगियो की रहने की स्थितियों के अध्ययन करने तथा सरकार को इस संबंध में सिफारिशे देने के लिए भी प्राधिकृत करता है।

धारा 13 की प्रस्तावित नई उप धारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राज्य मानव अधिकार आयोग के पास मामलो को अंतरित करने में समर्थ बनाती है जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह लगता है कि ऐसी शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार में आती है।

इस विधेयक में एक स्वागतयोग्य संशोधन यह है कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि यह जांच के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा अथवा अंतरित राहत प्रदान कर सकता है जोकि वर्तमान में जांच पूरी होने के बाद ही दी जाती है। लेकिन यह केवल सिफारिश करने तक ही सीमित है। इसमें परिवर्तन करके इसे बाध्यकारी प्रकृति का बनाया जाना चाहिए। सरकार की अधिकतर एजेन्सिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा राज्य मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं करती है।

संशोधन विधेयक 2005 की धारा 21(2) राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र है। भाषाई समस्या के कारण अनेक राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे है। प्रस्तावित संशोधन के आधार पर अब पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष बन सकते हैं। अत: यह भी एक स्वागतयोग्य संशोधन है।

इसके अतिरिक्त धारा 21(2) में राज्य मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या पांच से तीन करने का प्रस्ताव है। इससे राज्य सरकारो के खर्चो में कमी आएगी। धारा 21 की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इस धारा के अंतर्गत सरकार दो या अधिक राज्यों के राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए एक सामान्य अध्यक्ष और सामान्य सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। यह संशोधन उत्तर-पूर्व के सात राज्यो जैसे छोटे राज्यो के लिए स्वागतयोग्य है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकारों को राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन और अध्याय

छः की धारा 30 के अंतर्गत प्रतयेक जिले के लिए अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की स्वीकृति से मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करने हेतु प्राधिकृत करती है।

इस समय मैं खेद के साथ यह भी बताना चाहता हूं कि अधिकतर राज्य, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करने में असफल रहे है। दिनांक 19.08.2006 को एन.ए.एल.एस.ए.एस (नलसास) द्वारा विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। चर्चा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री वाई.के. सभरवाल जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहे थे, ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू होने के 13 वर्ष बाद भी केवल 14 राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोगो की स्थापना कर पाए है और इनमे से चार आयोगो ने कार्य करना बंद कर दिया है। कार्य करने वाले इन आयोगो मे से केवल कुछ आयोग ही कानून की सच्ची भावना के अनुसार कार्य कर रहे है।" पूरे देश में यही स्थिति है सरकार को पूरे देश में राज्य मानव अधिकार ओग की स्थापना करवाने के लिए प्रभावी कदम उठने चाहिए।

मैं जिला स्तर पर स्थापित मानव अधिकार न्यायालयों के बारे में कुछ सच्चाईयों का उल्लेख करना चाहता हूं जिला न्यायाधीशों को संबंधित जिले में मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों का निपटान करने की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे देश में कोई भी न्यायालय उचित ढंग से कार्य नही कर रहा है। अधिकतर जिला न्यायालयो के पास मामलों की जांच करने के लिए कोई भी अवसंरचनात्मक सुविधा मौजूद नहीं है तो वे इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच कैसे करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने भी उन्नीसवें सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है कि हम सही अर्थों में लाखों लोगों के लिए विधि का शासन तभी स्थापित कर सकते है जबकि हम अपने यहां कानून का पालन करने वाले नागरिको के अधिकारो की सुरक्षा कर सके"। माना लोगो को न्याय देने और कमजोर तथा वंचित वर्ग के अधिकारो की रक्षा के लिए हमे एक कुशल और प्रभावी न्यायपालिका की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह राज्य स्तरीय मानवाधिकार न्यायालयों तथा जिला स्तरीय मानवाधिकार न्यायालयों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित करें। तभी हम गरीब पीड़ितों को शीघ्रता से तथा प्रभावी-न्याय प्रदान कर सकते हैं।

एक बार पुनः मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उपयुक्त एवं आवश्यक संशोधन लाने के लिए माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील जी को बधाई देता हूं तथा धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री निखिल कुमार** (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं मोहन सिंह जी की तकरीर की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। उन्होंने जो इतिहास की बात इतने सुन्दर ढंग से रखी है और बेकग्राउंड दिया है, उसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक में जो संशोधन करने की बात है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

**श्री विजय कृष्ण** (बाढ़) : सभापति महोदय, आदरणीय मोहन सिंह जी ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक के बारे में अपनी बात रखने का काम किया है और राष्ट्रीय आन्दोलन से लेकर आज तक का ऐतिहासिक विवेचन किया है। मानवाधिकार संशोधन विधेयक के जरिए इसे और ताकतवर बनाने की कोशिश की गई है और इस कोशिश की पहली कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के जज या जो प्रस्तावित है कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया जाएगा, उन्हें रखने का काम किया है। आरक्षण के प्रावधान सही ढंग से लागू हों, इसके लिए शेडयूल्ड कास्ट्स कमीशन के सदस्य और चेयरमैन को भी शामिल करने की बात कही गई है। माइनॉरिटीज कमीशन और महिला आयोग की भी सदस्यता ली जाएगी, मैं समझता हूं कि वह और भी ज्यादा सार्थक कदम होगा। इस समय दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, अमेरिका साम्राज्यवादी नीतियों की ताकत से आगे बढ़ रहा है और इस्त्राइल लेबनान में न जाने कितनी हत्याओं को अंजाम दे रहा है। इस तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद पनप रहा है। एक तरफ अमेरिका सिविल राइट्स के लिए चिल्लाता है और दूसरी तरफ उनका हनन कर रहा है। ऐसे समय में भारत को मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। इसका जो राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, उसे देखते हुए इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्व है। नागरिक आजादी के लिए जो काम करने वाले लोग है, उनके लिए यह विधेयक बहुत ताकतवर बन कर आएगा।

नक्सलवादी मूवमैंट और उग्रवाद के जरिए जो हत्याएं होती हैं, उनके बारे में भाई मोहन सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, खास तौर पर हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, वे साधारण हत्याएं

[श्री विजय कृष्ण]

नहीं हैं। अकेले जम्मू-कश्मीर में चालीस से अधिक लोग हिरासत में मारे गये हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में सबसे अधिक लोग हिरासत में मारे गये हैं। इस तरह से यह सारी स्थिति बनती जा रही है। इसलिए हिरासत में मौत पर रोक लगाने के बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि अब सीधे कमीशन के लोग जेल में जा सकेंगे, उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि मुआवजे की राशि अब कमीशन तय कर सकेगा तथा निदेशित कर सकेगा कि मुआवजे की कितनी राशि उन्हें दी जाए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती वी. राधिका सेल्वी** (तिरुचेन्दूर) : महोदय, इस विधेयक के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं तथा मैं अपने प्रिय नेता डॉक्टर कलईगनार-करुणानिधि तथा तमिल त्तालापैथी, श्री एम.के. स्टालिन जिनकी सहायता के बिना मैं आज यहां नहीं पहुंच पाती, को धन्यवाद देती हूं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का संशोधन 12 वर्ष की अवधि के बाद प्रभावी हुआ है। हालांकि मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन यह 2006 से ही प्रभावी होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेल अथवा अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है। आयोग पूरे देश में सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे नजरबंदी तथा पूछताछ केन्द्रों का दौरा नहीं कर सकता है।

मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या को उसे बढ़ाकर 4 किये जाने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आयोग बनाए जाने का स्वागत करती हूं।

मानवाधिकार उल्लंघन की प्रतिवर्ष लगभग 70,000 शिकायतें प्राप्त होती हैं। क्या इन समस्याओं का शीघ्रता से निवारण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

मैं इस सम्मानीय सभा में स्वयं का अनुभव बताना चाहती हूं। मेरे पति पिछड़े समुदाय के नेता थे। वर्ष 2003 में, जयललिता सरकार ने मुठभेड़ के नाम पर मेरे पति को मार डाला लेकिन यह पूर्णतया एक योजना के अंतर्गत किया गया था तथा यह एक मुठभेड़ नहीं थी। यह तत्कालीन जयललिता सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम था तथा यह मानवाधिकारों का उल्लंघन था। मैंने वर्ष 2003 के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक शिकायत की थी तथा जिसके जांच के परिणामों की मुझे अभी भी प्रतीक्षा है। आज की तिथि तक कोई जांच तथा कार्रवाई नहीं की गई है। क्या मेरी शिकायत की जांच की जाएगी?

अन्ततः अब, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लम्बित पड़ी शिकायतें की जांच करने के लिए एक फास्ट ट्रैक आयोग बनाया जाए। मैं उनसे यह भी अनुरोध करती हूं कि वे मेरी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के लिए मानवाधिकार आयोग को निर्देश दें।

महोदय, जब कभी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो महिलाएं तथा बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि महिलाओं को अपने पति खोने पड़ते हैं। उनमें से अधिकांश को अपने बच्चों का लालन-पालन में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अधिकांश बच्चे डर के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें तक नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे विभिन्न कारणों से अवसादग्रस्त हो जाते हैं। उनके साथ हुए अन्याय के कारण जब वे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वे असामाजिक तत्व बन जाते हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को बाल्यकाल की समस्याओं का गूढ़ ज्ञान हो।

मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य पुरुष हैं। जब हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात करते हैं, तो मानवाधिकार आयोग में ही कम से कम एक महिला क्यों नही। पूर्व में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता था। जबकि अब, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। यहां तक कि राज्यों में भी यह संशोधन किया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। यह एक सराहनीय कदम है।

पूर्व में, मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को जांच पूरी होने के बाद अपना मुआवजा मिलता था। जबकि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच के दौरान क्षतिपूर्ति की सिफारिश करने की शक्ति हैं, जो कि स्वागत योग्य कदम है।

आयोग को जांच की अवधि के दौरान दी जाने वाली राशि का प्रतिशत भी निर्धारित करना चाहिए। इससे पीड़ित व्यक्ति के परिवार को सहायता मिलेगी। हमारे देश में, मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे अधिक मामले पुलिस थानों में होते हैं।

डा. बलइगनर के मुख्यमंत्रित्व में तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन कर रही हैं कि किसी भी महिला से पूछताछ सायं छह बजे के बाद नहीं की जाए। तमिलनाडु सरकार ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य में बाल श्रम तथा बन्धुआ मजदूरी का भी उन्मूलन कर दिया है।

मात्र सोलह राज्यों ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है जबकि अन्य राज्यों के पास मानवाधिकार आयोग नहीं है। चूंकि मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है अत: प्रत्येक राज्य के पास मानवाधिकार आयोग होना चाहिए।

मैं आशा करती हूं कि सरकार देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों को कम करने हेतु सकारात्मक कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और द्रमुक पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

**अपराह्न 4.26 बजे**

*[श्री मोहन सिंह पीठासीन हुए।]*

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सभापति, मै मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। बीजू जनता दल की ओर से अधिनियम संशोधित करने के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव प्रस्तुत करती हूं।

मानवाधिकार के क्षेत्र में, पिछले तेरह वर्ष इस देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अधिकांश भारतीयों के लिए कुछेक अधिकार और सुदृढ़ हुए तथा हमारे नागरिको को अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने दिनांक 19 अगस्त, 2006 को सामाजिक न्याय संबंधी अखिल भारतीय अंतर विभागीय सहयोग, वार्ता और बैठक को संबोधित करते समय समाज के कमजोर वर्गों को मानवाधिकारों से वंचित रखने पर अपनी चिन्ता जतायी थी तथा न्यायपालिका से निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनने की अपील की थी।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल ने, जिन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी, खेद जताया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू होने के तेरह वर्षों के बाद भी मात्र चौदह राज्यों ने मानवाधिकार आयोग गठित किया है और उनमें भी चार अक्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि जो मानवाधिकार आयोग क्रियाशील है उनमें भी कुछेक ही कानून के पूर्णत: अनुसरण में कार्य कर रहे हैं।

अब मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव पर आती हूं। मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड 3 में प्रस्तावित संशोधन अस्पष्ट है। मूल अधिनियम में परिकल्पित है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। वर्तमान संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कोई न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। ठीक इसी प्रकार, इसमें प्रस्ताव किया गया है कि कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाला उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने का पात्र होगा। ऐसे संशोधन के पीछे कारण यह सुझाया गया है कि अध्यक्ष के पद पर उचित व्यक्ति के पदस्थापन की सिफारिश करते समय अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प उपलब्ध होंगे।

सामान्यत:, एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मिलाकर दो दशक से अधिक की न्यायिक सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुका होगा। उसकी वरिष्ठता, उसका अनुभव, उसका कद और उसकी दृष्टि विलक्षण होगी। इसलिए, यदि यह संशोधन किया जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का महत्व और विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इस संशोधन से आयोग की महत्ता व प्रताप कम हो जाएंगे।

नए संशोधन के अनुसार, मानवाधिकार आयोग को सबंधित राज्य को बिना कोई पूर्व सूचना दिए बगैर वहां के किसी जेल अथवा अन्य संस्था का दौरा करने का अधिकार होगा। इससे आयोग औचक दौरा करने में सक्षम होगा। यह स्वागतयोग्य कदम है। परंतु इसके साथ

[श्रीमती अर्चना नायक]

ही, यदि संबंधित विभाग अथवा सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी किसी आदेश का पालन न करे तो इसका उपाय क्या है? इसलिए एक अधिकारविहीन आयोग निरर्थक है।

दूसरा संशोधन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य बनाने का है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को इस मानवाधिकार आयोग में शामिल करने से क्यों छोड़ दिया गया है। उन्हे मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही छह मिनट का समय ले चुकी हैं।

*(व्यवधान)*

**श्रीमती अर्चना नायक** : महोदय, मैं अपने दल की ओर से अकेली वक्ता हूं। इसलिए, मुझे कुछ और समय दीजिए।... *(व्यवधान)*

मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक किए जाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन्हें सुलभ बनाया जाना चाहिए। आयोग राज्य सरकार को कुछ प्रतिवेदन भेजता है, और यदि इन प्रतिवेदनों को जनता की जानकारी में न लाया जाए, यदि इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित न किया जाए तो इनसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा? मानवाधिकार आयोग के पास कानून लागू करने हेतु न तो आदमी है, न अपेक्षित अवसंरचना है और न ही अपेक्षित अधिकार हैं। विधान लागू कराने हेतु अपेक्षित शक्तियां प्रदान किए बगैर मानवाधिकार आयोग का गठन मात्र कागजी बनकर रह जाएगा। इसलिए, क्या मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर सकती हूं कि आयोग को अपेक्षित अवसंरचना और धन मुहैय्या कराया जाए ताकि यह और अधिक क्रियाशील और प्रभावी बन सके। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर पर रख दें।

*(व्यवधान)*

**श्रीमती अर्चना नायक** : महोदय, मैं अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करूंगी।

मूल अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 8 में संशोधन यह प्रस्ताव करता है कि मुन्सिफ कोर्ट के पास यह अधिकार होगा कि वह मुकदमों को राष्ट्रीय मानवाधिकार को सौंप सके। ऐसा करने से मानवाधिकार आयोग से अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे। इससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महत्ता व सत्ता कम होगी। इससे काफी संख्या में मुकदमों के लिए मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खुलेगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए, मैं ऐसे किसी संशोधन का विरोध करती हूं।

इस अधिनियम की धारा 18(ग) प्रभावित पक्षों के लिए अंतरिम राहत का उपबंध करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पहले भी अंतरिम राहत दी जा सकती थी। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है जो ठीक है। तथापि, पहले मुआवजा विशिष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता था। अब हमने प्रावधान किया है कि मुआवजा दिया जा सकता है। यह एक अच्छा कदम है।

महोदय, एक दूसरा उपबंध किया गया है कि एक विशेष राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य दूसरे राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो सकता है। मैं समझती हूं कि यह व्यवहार्य नहीं है यदि राज्यों के पास बहुत सारे मामले लम्बित पड़े हो। अधिकांश राज्यों के पास अध्यक्ष नहीं थे और कुछ राज्यों में रिक्तियां हैं।

अब, कोई न्यायालय निर्धन व्यक्ति के शोषण के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा; मात्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है, मात्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रभावपूर्ण तरीके से काम कर सकता है?

हमारे देश के लाखों-करोड़ों लोगों के लिए विधि का शासन एक सच्चाई बन सकती है यदि कानून का पालन करने वाले नागरिको के अधिकारों, कमजोर और दबे-कुचले लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

महोदय, इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं एक बार पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज अपनी मातृभाषा में बोलूंगा।...*(व्यवधान)* 'जनगणमन अधिनायक' और 'वन्दे मातरम' की भाषा है।

*माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज अपनी मातृभाषा में बोलूंगा। जिस भाषा में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन लिखा; जिस भाषा में बंकिम चन्द्र चटर्जी ने वन्दे मातरम लिखा; "ओ मेरी प्यारी भाषा मैं पुर:स्थापित किए गए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर इसी भाषा में संक्षेप में बोलूंगा।

महोदय, आज यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुर:स्थापित विधेयक एक दिखावा मात्र है या यह मानवाधिकार संरक्षण हेतु एक ईमानदार प्रयास है। हमारे देश में और हमारे देश से बाहर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, अमेरिका, लेबनान, इराक, में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि हम भारत की ओर देखें तो यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है- समय-समय पर आयोग द्वारा सिफारिशें की गयी हैं। किंतु इन सिफारिशों को कौन क्रियान्वित करेगा? राज्य सरकारें और उनकी एजेन्सियां। प्रथमत: पुलिस विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह मानवाधिकारों का संरक्षण करें- किंतु क्या वे अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर रहे हैं। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसे पांच दिन से अधिक समय तक निरुद्ध रखा जाता हैं उसे न्यायालय के समरूप प्रस्तुत नहीं किया जाता है। मान लीजिए एक लड़का अपराध करता है- उसके पिता को गिरफ्तार किया जाता है और तब तक निरुद्ध रखा जाता है जब तक वह लड़का आत्मसमर्पण नहीं कर देता। वे तार्किक ढंग से कार्य करना ही नहीं चाहते।

पुलिस द्वारा विधि व्यवस्था का संरक्षण किया जाना चाहिए किंतु वे ही इनके मुख्य उल्लंघनकर्त्ता हैं। इस संकट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मैं यहां किसी राज्य सरकार का नाम लेना नहीं चाहता अन्यथा गलतफहमी पैदा होगी। किंतु कतिपय राज्य ऐसे हैं जहां मानवाधिकार आयोग नहीं हैं अथवा कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन को कुचलने के नाम पर पुलिस युवाओं को गिरफ्तार रही थी। वे हमारे सहपाठी थे; हम साथ पढ़ा करते थे। वे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभावान छात्र थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, निरुद्ध किया गया, क्रूरतापूर्व यातनाएं दी गयी और शारीरिक चोटें पहुंचाई गईं।

जहां तक बंदी ग्रहों या कारावासों की बात है। आजकल उन्हें सुधार गृह कहा जाता है। महोदय, मुझे नहीं पता कि आपने कभी कारावास जाकर देखा है अथवा नहीं। मुझे कई बार एक अपराधी के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में कारावास में निरुद्ध किया गया है। जिन दिनों में विद्यार्थी था विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत, मुझे आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। मैंने देखा है कि जेल में रहने वालों को किस प्रकार क्रूरतापूर्वक प्रतिदिन यातनाएं दी जाती हैं। उनको दिया जाने वाला भोजन मानव उपभोग के योग्य नहीं होता है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत नहीं आता- मैं बीएसएफ की छवि धूमिल करना नहीं चाहता किंतु मैं ऐसा कहने को बाध्य हूं क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में है और मैं भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि किस प्रकार वहां बीएसएफ द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही यह जान सकते हैं। एक महिला नौका द्वारा सपरिवार आ रही थी, बीएसएफ कर्मियों ने नौका डूबो दी, महिला का अपहरण कर लिया और बीएसएफ शिविर में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बीएसएफ अधिकारियों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया और उस महिला ने उस कमांडर की पहचान की। मैंने माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील को एक पत्र लिखा, किंतु 6 महीनो तक कोई जवाब नहीं आया। 6 महीनों के बाद उन्होंने जवाब दिया कि यह विषय उच्च-न्यायालय के विचाराधीन है। जब एक महिला का बीएसएफ शिविर में सामूहिक बलात्कार हुआ तब भारत सरकार मूक-बधिर विद्यालय के विद्यार्थी की तरह मूक रही। उसके पति और बच्चों को डूबो दिया- इतने संवेदनशील विषय पर माननीय गृह मंत्री ने उत्तर देने में इतना लंबा समय लिया।

आम आदमी के सहयोग के बिना शत्रुओं से लड़ना संभव नहीं है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मानवाधिकार आयोग कुछ भी नहीं बल्कि छलावा है। राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां यथा पुलिस विभाग को अपना कर्त्तव्य निवर्हन ईमानदारी से करना होगा अन्यथा कोई सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होगा।

बालश्रमिक, जो रेस्टोरेंट्स, होटलों, चाय स्टालों पर देर रात तक काम कर रहे हैं, प्लेट, कप और बर्तन धो रहे हैं, ऐसे 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे सभी प्रकार से कष्ट झेल रहे हैं। हम कानून बना सकते हैं- जितना संभव हो उतने कानून बना सकते हैं- किंतु इससे उद्देश्यपूर्ति नहीं होगी। प्रथमत: देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए; अन्यथा मानवाधिकारों का उल्लंघन होना जारी रहेगा।

जो बालक अनाथ हैं जिन्हे अनाथालयों में रखा जाता हैं वे भी वंचित हैं। अधिकांश अनाथ बच्चों को अनाथालयों में प्रवेश का अवसर

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

नहीं मिल जा रहा है। अधिकांश अनाथों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। किंतु जिन्हे प्रवेश मिल जाता है वे वहां की परिस्थिति को जान पाते हैं। हम बच्चों की तुलना उद्यान के पुष्पों से करते हैं किंतु वे अनाथालयों में अत्यधिक उपेक्षित हैं। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों और उनके विभिन्न विभागों को मानवाधिकारों का संरक्षण करने को कहे। किसी भी प्रकार से मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस कार्य को केन्द सरकार द्वारा सही भावना से किया जाएगा - ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : बांगला भाषा बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। देश की सभी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन सभी भाषाएं एक साथ नहीं बोली जाती। एक समय में एक ही भाषा बोली जाती है।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इन्दौर) : सभापति महोदय, आज यहां मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आए संशोधन के प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं। मानव अधिकारों की रक्षा, कभी मैग्नाकार्टा के रूप में, कभी पिटीशन ऑफ राइट और कभी बिल ऑफ राइट के नाम पर, साल-दर-साल होती आई है। हिन्दुस्तान में हम मनुष्य को एक अलग प्रकार से देखते हैं और अलग मानते हैं। हमने जो कल्पना की है कि "आहार निद्रा भय मैथुन च" इसमें भी एक कल्पना है। हम मनुष्य हैं। इसलिए हमारे कुछ अधिकार हैं और अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान में भी अगर हम देखें, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ-साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी दर्शाई गई हैं। दोनों बातें साथ-साथ चलनी चाहिए। तभी हम एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जब हमारे कर्तव्यों की बात आती है, तो इस बिल का वास्तव में अपना एक महत्व है।

महोदय, मैं छोटी-छोटी दो-तीन बातों की तरफ सदन के माध्यम से सरकार का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इसमें आज जो संशोधन आया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का जज चेयरपर्सन होना चाहिए, उसे देखकर मुझे लगता है कि जजेज पर कहीं हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती तो नहीं जा रही है। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं। यह सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने है और यह लीगल समस्या से ज्यादा सामाजिक समस्या है। यह कानूनी समस्या नहीं है। यह एक सामाजिक समस्या है। यह विषय सामाजिक संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ज्यादा से जयादा समाज में घुलता-मिलता है, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समाज के मानस को पढ़ने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समाज के हित-अहित से सतत रूप से जुड़ा हुआ है और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है, वह ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता।

महोदय, हम हमेशा कल्पना करते आए हैं और यह कहते आए हैं कि चूंकि जज को निष्पक्ष रूप से न्याय देना है, इसलिए वह समाज से थोड़ा कटा रहता है जब समाज में ज्यादा घुलता-मिलता नहीं है। वह समाज से थोड़ा दूर रहता है। इसलिए जजेज को चेयरपर्सन बनाने की बात कह कर हमारी डिपेंडेंसी कहीं जजेज के ऊपर बढ़ती तो नहीं जा रही है, यह हमें देखना होगा। जजेज न्याय करने में सक्षम होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन यह जो एक सामाजिक मामला है, इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति को जो समाज से ज्यादा से ज्यादा घुलता-मिलता हो, उसे इस पद पर बैठना चाहिए।

महोदय, आज हम देखते हैं कि यदि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे राइट टू इन्फर्मेशन की लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरे समाज का उस बात की तरफ तत्काल ध्यान जाता है, और उनकी कही हुई बात का समाज के ऊपर जयादा वजन होता है। वह सोचता है कि इस व्यक्ति ने सतत लड़ाई लड़ी है। कोई श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई सोश्योलौजी के प्रोफेसर हैं, पूर्व सांसद या विधायक हैं, वे क्यों इस कमीशन के चेयरमैन नहीं हो सकते? सांसद या विधायकों को राजनीति ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो पूर्व सांसद या विधायक हैं, वे इसके चेयरमैन हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से भी इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। हमारा इन चीजों पर सोचना आवश्यक है, क्योंकि यह सामाजिक समस्या है, ऐसा मेरा मानना है।

एक बात और है कि जब हम मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं और इसमें जो बात आयी है कि जेल को विजीट करने का अधिकार होना चाहिए, यह आज के बिल में संशोधन के रूप में दिया भी हुआ है, लेकिन उसमें एक बात सोचनी होगी कि जब हम मानवाधिकार आयोग इस बिल के माध्यम से बना रहे हैं तो उसका काम केवल जेलों में सुधार करना नहीं है। जेलों में सुधार तो आवश्यक है, लेकिन जेलों में सुधार के साथ-साथ वहां जो कैदी रहते हैं, उनके मनसे आपराधिक प्रवृत्तियों का निर्मूलन किस तरह से हो सकता है, इस पर भी एक सोच बनना बहुत आवश्यक है।

महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मानवाधिकार आयोग के बारे में कई बार ऐसा होता है कि जहां कहीं भी सामाजिक अपराध होते हैं, उसके लिए संवेदना जगाने का इनका काम होना चाहिए न कि किसी निरपराध को फंसाने का काम होना चाहिए। इनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। कइ बार ऐसा होता है, मैं किसी को इंगित नहीं कर रही हूं, लेकिन घटनाएं घटती हैं और वे घटनाएं घटते समय किसी को कुछ काम करना पड़ता है, अंकुश लगाने के लिए, उसका इन्टेन्शन खराब नहीं होता है, जैसा कि पंजाब में घटनाएं हुईं, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कुछ हुआ। एक बार एक बीएसएफ का आफिसर मुझसे चर्चा कर रहा था। हम बहुत ही फार्मल बात कर रहे थे। चर्चा करते समय मैंने यूं ही उससे पूछा कि कश्मीर में इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादी आते हैं और गोली चलाकर के चले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप हेल्पलैस हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे कहा कि आतंकवादी अपना निशाना भीड़ में से लगाता है। उसका निशाना या तो हम हैं या कोई नेता है या कोई इमारत है। लेकिन वह जो काम करता है, वह भीड़ में से करता है, भीड़ में छिपकर करता है। हम उसे मारने के लिए गोली चलाएं और यदि गलती से भी गोली उसके पास वाले किसी निरपराध व्यक्ति को लग जाती है तो हो सकता है कि हम पर मानवाधिकार की कार्यवाही शुरू हो जाए। यह वास्तविकता भी है। कई बार इस प्रकार की चर्चा होती है। मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की कार्यवाहियों में उस समय की घटना की इन्टेशन को भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार दांत से जीभ कट जाती है, वह अनायास ही कट जाती है, लेकिन हम दांत को नहीं गिराते हैं। इसलिए मानवाधिकार आयोग में जो लोग काम करते हैं, उनका समाज के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। कई बार उनकी जिस तरह की स्थिति बनती है, उससे लगता है कि यह दंगा जांच आयोग बन गया है। कहीं भी दंगा हो गया तो ये वहां पर पहुंच जाते हैं। इसका राजनीतिक उपयोग होने से रोकना भी बहुत आवश्यक है। मानवाधिकार आयोग सत्ता हितार्थ नहीं है, यह बात मानव हितार्थ है, इस बात को प्रमुखता से ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।

एक बात और ध्यान में रखना आवश्यक है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। घटना होने के बाद जांच करो, किसके हाथों मानवाधिकारों का हनन हो गया, इसकी जांच करो, उसको इंगित करो। उसके भी आगे कहीं न कहीं काम करने की आवश्यकता है। इसलिए घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कुछ सुझाव भी मानवाधिकार आयोग को अभ्यास करके देने चाहिए।

कई बार देखने में आया है कि अधिकारों के बारे में जनता में जागृति ही नहीं होती है। आज जिस घटना का यहां उल्लेख हो रहा था, मैंने जब अपनी आंखों से टीवी पर वह पूरी बात देखी तो वास्तव में मुझे लगा कि यह तो एक प्रकार से हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरे पास यदि मेरा बेटा बैठा हुआ है या वहां भी मैंने जिस तरीके से देखा कि छोटे-छोटे युवा लड़के थे, कुछ लड़के हंस रहे थे, कुछ इसको देख रहे थे, कुछ चौंक रहे थे। वहां उपस्थित लोगों पर इस घटना का क्या असर हुआ होगा? इस तरह के संस्कार पाने के लिए उन्होंने थोड़े ही जन्म लिया था। उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको जो भीड़ में अच्छे संस्कार मिलने चाहिए थे, उनके भी अधिकारों का वहां हनन हो गया है। अपराध हुआ, वह अलग बात है, लेकिन यह जो हमें देखना पड़ता है, उसकी भी कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि जागृति का कार्यक्रम सबसे ज्यादा अगर यह आयोग अपने हाथ में ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए तो बोला ही जाता है, महिलाएं हैं या अशिक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों पर ज्यादा से ज्यादा अपराध होते हैं जिनको अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। वे अपना कर्तव्य करते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को केवल अपने अधिकारों की जानकारी है या उसके लिए वे जागृत हैं और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, यह एक प्रकार की डिस्पैरिटी जो समाज में दिखती है, इसको भी कहीं न कहीं खत्म करने का काम मानवाधिकार आयोग को करना चाहिए, यह मेरा अपना सुझाव है।

हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी केवल जजेज़ पर नहीं रहे, यह भी कहीं न कहीं दिखना चाहिए। कम से कम आयोग बनाते समय यह दिखना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। सोशल फील्ड के लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें समाहित किये जायें, यह मेरा निवेदन है।

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : सभापति महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध कर सकता हूं? आज, मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित करने के बाद हमें पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 और वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 को पारित करना है।

*[हिन्दी]*

उसके बाद किसानों की बहस है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

*[अनुवाद]*

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से अपील करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हम पांडिचेरी विधेयक पारित कर सकते हैं। चूंकि कल कोई गैर-सरकारी कार्य नहीं है, हम वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक कल ले सकते है। आज इन दोनों विधेयकों को पारित करने के बाद हम देश में किसानों के बीच व्याप्त निराशा के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा को ले सकते हैं और चूंकि यह चर्चा लंबे समय से चल रही है, अपना उत्तर आज ही समाप्त कर सकते है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : यह सुझाव ठीक है, इस पर सदन की सहमति है।

श्री किरिप चालिहा, आप बहुत संक्षेप में बोलिये।

*[अनुवाद]*

**श्री किरिप चालिहा** (गुवाहाटी) : महोदय, मैं अपनी बात जितना संभव होगा उतनी संक्षेप में रखूंगा। मैं मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में इसलिए कहूंगा क्योंकि राज्य सभा में इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस विधेयक को स्थायी समिति ने पारित किया है। दूसरी सभा में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। मैं इस बारे में कुछेक शब्द केवल इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता जो अब पीठासीन है, ने कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है और मैं सोचता हूं कि मुझे इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा आरंभ करने से पूर्व मानव अधिकार के विषय और इसके इतिहास पर संक्षेप में सामान्य चर्चा भी करनी चाहिए।

महोदय, मैं श्री मोहन सिंह से पूर्णत: सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि भारत को मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में किसी से प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के लिए अधिकार मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अपेक्षित कदम उठाने की भावना इस देश में अनादि काल से, जब से सभ्यता का उदय हुआ है तब से यहां की सभ्यता में रची-बसी हैं। इस देश में, महोदय, जैसा कि आपने कहा है, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं। हम नर को नारायण समझते हैं और हम मनुष्य को भगवान का एक अंश मानते हैं। यह वह भूमि है जहां जैन और बौद्ध धर्म जैसे मानवी धर्मों की स्थापना हुई। महोदय, इस बारे में हमें किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, जैसा कि आपने कहा है, मैग्ना कार्य के आने से पहले भारत मानव अधिकारों से परिचित था। संयुक्त राष्ट्र के जन्म से बहुत पहले से ही भारत में मानव अधिकारों के बारे में चर्चा होती रही थी। महोदय, आपके 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची संकल्प का उल्लेख किया है। मैंने इतिहास में झांका है। मैं उन संकल्पों को पढ़ रहा था। मुझे कांग्रेस का वह संकल्प मिला जिसमें उस समय स्वराज की बात कही गई थी। इसमें कहा गया है:

> "कांग्रेस की अवधारणा के अनुसार उनके लिए स्वराज का एक विशेष अर्थ है यह वांछनिय है कि वे उस को सरलतम ढंग से उन्हें समझाएं। जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए उन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता दी जाए जिनमें यह भी शामिल है कि लाखों भूखों मरने वाले भारतीयों को वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए"

*[हिन्दी]*

आपने सही बताया, उस समय जब चार्टर ऑफ राइट्स बनाया गया था, जिसे कांग्रेस के रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया गया था।

**अपराह्न 5.00 बजे**

*[अनुवाद]*

संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक् स्वतंत्रता, जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषायी संस्कृति, अल्पसंख्यकों की लिपि का संरक्षण - ये सभी अधिकार संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र से बहुत पहले कांग्रेस के संकल्प में शामिल थे।

सभापति महोदय, आपने ये सभी बातें बिल्कुल सही ढंग दसे रखी थी। इसी प्रकार, आजकल विभिन्न मानव अधिकारों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये सब विभिन्न मानव अधिकार जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और अभिसमयों में अपनाए गए हैं, इन पर वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले विभिन्न कांग्रेस सत्रों में भारतीय मनीषियों ने वाद-विवाद और चर्चा कर ली थी। इनका उल्लेख हमारे स्वतंत्र संविधान में मौलिक अधिकारों, राज्य की नीति निदेशक तत्वों के रूप में, हमारी कानून व्यवस्था में, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता,

उच्च न्यायालयों की याचिकाओं के विभिन्न प्रावधानों और विभिन्न अन्य प्रावधानों में हुआ है। क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए यह सब इसमें शामिल है।

महोदय, मानव अधिकारों के बारे यही कहूंगा कि ये पहले से ही भारतीय विधि के अंग थे। यही सत्य है। इसके अलावा, स्वतंत्रता के बाद हमनें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों में स्पष्ट विभाजन है। भारत में न्यायपालिका सदैव स्वतंत्र रही है जिसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है।

महोदय, हम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे यहां प्रेस बहुत सक्रिय है। वास्तव में, मेरे विचार में, आज भारत में प्रेस विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्र है। आज भारत में कोई भी, कैसा भी उल्लंघन हो उसे प्रेस द्वारा, चाहे वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो अथवा प्रिंट मीडिया, उठाया जाता है। वास्तव में, उनकी स्वतंत्रता-हम कभी-कभी महसूस करते हैं- आवश्यकता से अधिक है। किंतु यह हमारी मानव अधिकारों के प्रति श्रद्धा है और यह सत्य है कि हम प्रत्येक संस्थागत प्रक्रियाओं से न होने देने के लिए निगरानी चाहते हैं।

महोदय, मानव अधिकारों के प्रति भारत में आदर का भाव हमारी सभ्यतागत सहिष्णुता और सौहार्दता के मूल्यों से उत्पन्न होता है। इसमें हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था ने और वृद्धि कर दी है और यह नींव राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना से और अधिक मजबूत हो गई है।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा वर्ष 1993 में हम दोनों इस महत् सभा के सदस्य थे और हम दोनों 1993 में लोकसभा में पारित मानव अधिकार विधेयक के प्रत्यक्षदर्शी थे। उस समय, हमने कहा था कि यह विधेयक कतिपय वर्गों की कतिपय शंकाओं को दूर करने के लिए पारित किया जाना चाहिए। वर्ष 1993 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्यीय मानव अधिकार आयोग की उपलब्धियों को न केवल देश में अपितु देश से बाहर भी मान्यता दी जाती रही है।

महोदय, भारत ने 2002 में मानव अधिकारों के एशिया पेसेफिक फोरम का आयोजन किया था। आप इससे सहमत होंगे कि उस समय जो मानव अधिकारों की अवधारणा थी और 1993 में जिन पर चर्चा की गई थी, उनमें बदलाव आ गया है।

महोदय, 9/11 की घटना के बाद से जब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में आतंकवाद फैलना शुरू हुआ तब से मानव अधिकारों सहित विदेश नीति के उद्देश्यों के अर्थ में भी परिवर्तन आ गए हैं। क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि यही पश्चिमी देश और अमेरिका एक समय भारत पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते थे और अब यह मानने लगे हैं कि आतंकवाद सभी प्रकार की सभ्यताओं के लिए बहुत खतरनाक है; और आतंकवाद से मुकाबले और मानव अधिकारों को बनाए रखने के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। भारत आरम्भ से ही आतंकवाद से बहुत पीड़ित रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस बारे में आयोजित परिवर्तन और विकास होना हाल ही के वर्षों में आरम्भ हुआ है। इसी संदर्भ में आपने ठीक ही कहा है कि हमें इसे समझना चाहिए और हमें ऐसी भावनाओं को दूर करना होगा कि मानव अधिकारों का संरक्षण केवल उन्ही संगठनों को प्रदान किया जाता है जो आतंकवादियों/कानून तोड़ने वालो का समर्थन करते हैं। मानव अधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघन कर्ता आतंकवादी है। किंतु इनमें से कितनों को मानव अधिकार आयोग के सामने पेश किया गया है। यह प्रश्न आज नहीं तो 10 वर्षों बाद पूछा जायेगा।

इसके विस्तार में न जाते हुए, मैं केवल यही कहूंगा। अब मैं खण्डों के विशिष्ट बिन्दुओं पर आता हूं। खण्ड 12(ग) के अंतर्गत - मंत्रीजी यह नोट करेंगे-मुझे विश्वास है कोई भी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है। इस खण्ड में संशोधन के लिए मांग होगी। लोग यह मांग करेंगे कि उन्हें सेना और अर्धसैन्य बलों के हिरासत केन्द्रों का दौरा करने की अनुमति दी जाए क्योंकि आप उन्हें इससे अलग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को जेलों का दौरा करने की अनुमति देंगे। किंतु उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, उन स्थानों के दौरों का क्या होगा जहां बंदी रखे जाते हैं ऐसा हो सकता है।

मुझे अन्य खण्डों से कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान एक मुद्दे की ओर गम्भीरतापूर्वक आकर्षित करना चाहूंगा। कई राज्यों में मानव अधिकार आयोग नहीं है। आप यह जानते हैं कि यह बहुत प्रशंसनीय खण्ड है कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए।

पूर्वोत्तर में जहां विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितियों की वजह से मानव अधिकारों का उल्लंघन अत्यधिक होता है, एक मुख्य न्यायाधीश के लिए स्थानीय भाषा को समझना बहुत कठिन है। कई राज्यों में मुख्य

[श्री किरिप चालिहा]

न्यायाधीश नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्ण सात या आठ पूर्वोत्तर राज्यों के सम्मिलित न्यायालयों का केवल एक ही उच्च न्यायालय हैं वहां के लिए मुख्य न्यायाधीश ढूंढ पाना बहुत कठिन होगा। सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश भी वहां नहीं होंगे। मेरे राज्य असम के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अब भी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कई अन्य मुख्य सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश बाहर से आए हैं। वे स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं। वे वहां अपने कार्यकाल तक रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों का मिलना एक समस्या होगी।

महोदय, मैंने राज्य सभा की कार्यवाही को पढ़ा है। मैंने देखा कि उत्तर पूर्व से किसी ने भाग नहीं लिया। इसीलिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य न्यायाधीशों को खोजने में पूर्वोत्तर राज्यों को पेश आने वाली इस कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया गया था। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम राज्य मानव अधिकार आयोग के मामले में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए या कोई छूट होनी चाहिए अथवा कोई ऐसा आधार होना चाहिए जिससे न केवल मुख्य न्यायाधीश बल्कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों जिन्हें तीन वर्षों का अनुभव हो, अथवा उच्च न्यायालय के उन सेवानिवृत न्यायाधीशों, जिन्हें पांच वर्षों का अनुभव हो, को भी रखा जा सके क्योंकि अन्यथा कई राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्षहीन अथवा समाप्त हो जायेंगे और राज्यों में मानव अधिकार आयोग नहीं रह जायेंगे जहां इनकी सख्त जरूरत होती है।

महोदय, मै आपके माध्यम से यह जोरदार अपील करना चाहूंगा और मैं सभा से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे ताकि हमें और विकल्प मिल सकें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : अभी नहीं। अभी समय नहीं है।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप नोटिस दीजिए और कल बहस करवाइए, आज कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप भाषण दे चुके, लेकिन दूसरे माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं।

*[अनुवाद]*

कृपया अपने स्थान पर जायें

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप इस विषय पर बोल चुके हैं और दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 वर्ष 1993 के मूल विधेयक में संशोधन के लिए है। हमारे 13 वर्ष के अनुभव के बाद सरकार मूल अधिनियम के कुछ संशोधन ला रही है।

मैं सभी संशोधनों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अधिकांश मानवाधिकार आयोग संबंधी उल्लंघन महिलाओं, बच्चों, कमजोर तथा गरीब वर्गों के संबंध में होते हैं। हमारी जनसंख्या में 50% से अधिक महिलायें हैं, प्रस्तावित संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक महिला सदस्य को रखना अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोगों के अध्यक्षों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल कर रहे हैं परंतु सरकार ने महिला अथवा अल्पसंख्यक आयोगों को शामिल नही किया है।

हमारे देश में 14 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है। इसीलिए मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया जाये। महिलाओं और बच्चों पर अधिक अत्याचार किए जाते हैं। इससे इन सभी बातों पर ध्यान दिया जा सकेगा। वे मूलभूत सच्चाई तथा अन्य बातों से परिचित हैं। हमें हर वर्ष लगभग 70,000 शिकायतें मिलती हैं। स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार अधिनियम का संवर्धन और संरक्षण सरकार पर निर्भर करता है। यदि सरकार ईमानदार है और मानव अधिकार आयोग के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू करने में रूचि रखती है तो शिकायतों की संख्या कम हो जाएगी। अन्यथा यदि

आप इतने संशोधन लाएंगे, यदि सरकार इन पर विशेष ध्यान नहीं देती, तो अत्याचार तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन जारी रहेंगे।

उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लगभग 2000 लोग मलेरिया डेंगु तथा अन्य बीमारियों के कारण मारे गए। हमने यह मुद्दा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष पेश किया है। मानव अधिकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी। कई महीनों तक उन्होंने यह जानकारी नहीं भेजी। हमारे देश में यह हालत है। राज्य विद्युत आयोग की तरह इस अधिनियम में कोई अनिवार्य उपबंध नहीं है। राज्य विद्युत आयोग की तरह हमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अनिवार्य उपबंध शामिल करने होंगे ताकि वे राज्य प्रशासन पर भी नियंत्रण रख सकें। इस समय वे कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिवेदनों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोग पढ़ पायेंगे कि वे किस प्रकार के प्रतिवेदन दे रहे हैं। यदि उन्हें पूर्ण जानकारी है, तो वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उपबंधों तथा अन्य चीजों का लाभ उठा सकेंगे।

कोई वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है। यहां तक कि राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए हमें इसे अनिवार्य करना होगा। इस समय तक सभी राज्यों को राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित करने चाहिए। वे इसमें विलम्ब क्यो कर रहे हैं? यह इसलिए है क्योंकि अनिवार्य प्रावधान नहीं हैं! 73वें तथा 74वें संशोधन के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक चुनाव प्राधिकारी बनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य हर पांच वर्षों में चुनाव कराएगा। इस मामले में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसीलिए यदि कोई राज्य अपना राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित करना चाहता है तो वे ऐसा करेंगे : यदि वे नहीं करना चाहते तो वे विलम्ब करेंगे। परंतु इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। कुछ राज्यों ने अभी तक राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना नहीं की है।

आंध्र प्रदेश में राजनैतिक हत्याएं, बंदी बनाना, हिरासत में मृत्यु जैसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यदि वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं और जानकारी मांगते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उन्हें रिकार्ड नहीं दिए जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या कर सकता है?

यह संशोधन लाकर हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव को शक्तियां प्रदान की हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया जा रहा है? वह भारत सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी है। यहां तक कि इसके स्टाफ भी विभिन्न सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर है। स्वतंत्रता यहां है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए स्वायत्तता कहां हैं? राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए स्वायतत्ता कहां है?

जैसा कि भारत के चुनाव आयुक्त के मामले में होता है, यहां भी स्वतंत्र भर्ती होनी चाहिए। आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने होंगे ताकि उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकारों की नियुक्ति की जा सके। ये स्वतंत्र आयोग होने चाहिएं। अब अध्यक्ष तथा सदस्यों के अलावा सभी व्यक्तियों को राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। ये सभी विधेयक की कमियां हैं।

इन अनुभवो के साथ हमें सभी चीजें सुधारनी होंगी, अन्यथा इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। महोदय आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको इन सभी बातों की जानकारी है। आप नागरिक स्वतंत्रता पर बहस भी करते हैं। हर जगह यह समस्या है। इसीलिए सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिक शक्तियां, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए। हमें पर्याप्त अवसंरचना देनी होगी। अन्यथा सभी शिकायतों पर ध्यान देना कठिन होगा।

तीसरी बात हमने किसी भी न्यायालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किसी याचिका को भेजने का अधिकार दिया है। हमारे देश में हजारों न्यायालय हैं। अत: वे सीधे ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को याचिकाएं भेज रहे हैं। यदि आप यह निर्दिष्ट कर दें कि केवल जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही इसको मामले भेज सकता है तो ठीक है लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नही किया है कि कौन सा न्यायालय इसे मामले भेज सकता है। प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट का न्यायालय भी एक न्यायालय है। वे भी मामले भेज सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हजारो अभ्यावेदन आएंगे। इनके पास उपलब्ध मशीनरी के बल पर ये इन सभी याचिकाओं का निपटान नहीं कर सकते और ये इन सभी शिकायतों के मामले में न्याय नहीं कर सकते हैं।

अंत: में, इसे सेना पर भी लागू किया जाना चाहिए। उन्हें सेना के हिरासत केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों का उसी तरह से निरीक्षण करने तथा जांच करने, की शक्ति होनी चाहिए जिस प्रकार वे जेलों तथा अन्य राज्य सरकार की संस्थाओं का करते हैं। हम सेना को क्यों छोड़ दें? मानवाधिकार का उल्लंघन मानवाधिकार का उल्लंघन ही है चाहे यह देश में नहीं भी हो रहा किसी भी विभाग में हो। इसलिए आपको सेना को शामिल करना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**कुमारी ममता बैनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं यह विधेयक कुछ तकनीकी मुद्दों के संदर्भ में संशोधन विधेयक है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अनेक सदस्य मुझसे पूर्व बोल चुके हैं तथा उन्होंने अपने भाषण में विभिन्न प्रकार के मुद्दों को शामिल किया। उन्होंने अपना दृष्टिकोण तथा भावना को व्यक्त किया है।

मेरे विचार में, मानवाधिकार मेरा प्रिय विषय है। हमे मानवाधिकार प्रिय हैं क्योंकि हम मानव कुटुम्ब के सदस्य है। यदि हम मानव कुटुम्ब के सदस्य नहीं होते तो हम मानवाधिकार के बारे में नहीं जानते तथा मानव हित के बारे में नहीं जानते। मैं महसूस करती हूं कि 'मानवाधिकार' हमारी तीसरी आंख हैं। हमारे पास दो आंखें हैं क्योंकि हम भगवान नहीं है; हम मानव है। मेरे विचार में हमारी तीसरी आंख सृजनात्मकता की है और इसके ऊपर हम मानवाधिकार को देखते है तथा यह अनुभव करते हैं कि मानव से किस प्रकार अच्छी तरह व्यवहार किया जाये।

मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा की अंतर्राष्ट्रीय संविदा के अनुच्छेद एक के अनुसार सभी मानव स्वतंत्र है तथा गरिमा तथा अधिकार के संदर्भ में बराबर हैं। मानव वास्तव में स्वतंत्र पैदा होता हैं। यह एक तथ्य है। सचमुच में, इस संबंध में भारत की भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा भारत में पैदा हुए सभी नेताओं के संदर्भ में काफी अच्छी है।

तथ्य यह है कि हमने अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की। 1995 में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए मैं सड़क पर 21 दिनों तक के लिए धरने पर बैठी क्योंकि प्रतिदिन में गरीब लोगों को हिरासत में मरते देखती थी। इसके विरोध में, मैं सड़क पर धरना पर बैठी। उस समय मैंने एक किताब 'मान्विक' लिखी। अभी तक, मेरी 32 किताबें प्रकाशित होचुकी है। मैं यह बता नही रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि मानवाधिकार के क्षेत्र में, हमारे पास करने को बड़ा कार्यक्षेत्र हैं, लेकिन अवसंरचना तथा प्रचार के अभावमें तथा समन्वयन की कमी के कारण हम पिछड़ रहे है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक पृथक निकाय है। हम अवश्य ही इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। मुझे खुशी है कि विधेयक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अहर्यतों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख नहीं किया है। मेरे विचार में, इसमें अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम अन्य पिछड़ा वर्गों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष को भी शामिल कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम किसी राज्य विशेष में बहुसंख्यक में हो सकते हैं जबकि दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। यह विशेषरूप से भाषाई अल्पसंख्यक के मामले में सही है क्योंकि इसाई लोग विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्या में हैं। मैं उनकी एक राज्य से दूसरे राज्य में भाषाई स्थिति में परिवर्तन के विषय में ही कह रही हूं। मेरे राज्य में वे अवश्य ही भाषाई अल्पसंख्यक में हैं। उसी प्रकार, यदि मैं गुजरात में रहूं तो हम वहां भाषाई अल्पसंख्यक में कहेंगे। उसी प्रकार, सभी जगह ऐसी व्यवस्था है। मेरे विचार में, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के हितों को संरक्षण देने के लिए - आपने कर्मचारियों के बारे में सब कुछ शामिल कर लिया- भाषाई अल्पसंख्यक को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना है।

महोदय, हम महसूस करते हैं कि मानव के अधिकार को चोट पंहुच रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल)** : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हो सकता है कुछ और माननीय सदस्य भी बोलें। यहां पर कहा गया है कि माइनोरिटी कमीशन के सदस्य को और ह्यूमन कमीशन के सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर आप रूल देखेंगे, तो मालूम होगा कि माइनोरिटी कमीशन के चेयरपर्सन और ह्यूमैन कमीशन के चेयरपर्सन आलरेडी इसमें शामिल हैं। इसलिए इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बैनर्जी** : यह ठीक है यदि ऐसा हो। हम प्रसन्न हैं तथा इसके बारे में हमें और कुछ नहीं कहना है।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : यदि ऐया हो तो हमें प्रसन्नता है तथा हमें इससे कोई समस्या नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : एस.सी. और एस.टी. का प्रावधान

किया गया है, लेकिन वे पहले से ही हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा था इसलिए मैंने इसे स्पष्ट किया है।

**सभापति महोदय** : आपने बहुत देर से सफाई दी, पहले ही बता देते।

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : लेकिन ऐसा विधेयक में नहीं है।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इसमें शामिल हैं। यह ठीक है। यह आपके अधिनियम में हो सकता है जिसका आपने यहां उल्लेख नहीं किया। इसलिए, हम लोग इसका उल्लेख कर रहे हैं। शायद यह अधिनियम में शामिल है। यह अच्छा है कि आपने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया हैं। मैं भाषाई अल्पसंख्यकों को भी शामिल करने की अपील करूंगी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है।

मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार क्या हैं। यदि इस मामले पर बोलना पड़ा तो मुझे महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल, इत्यादि पर बोलना पड़ेगा, तथा मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे सभी के बारे में बोलना पड़ेगा क्योंकि मानवाधिकार की कोई निश्चित सीमा नहीं है। मानवाधिकार की भी कोई विशिष्ट सीमा नहीं है। यह, बालिका, बच्चे, पुरुष, महिला, मजदूर इत्यादि सभी से संबंधित है यह काफी व्यापक विषय है।

मुझे महसूस होता है कि इसमें कुछ त्रुटि है क्योंकि वे केवल मामले पर सिफारिश कर सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रही हू क्योंकि हमने इन्हे देखा है। उन्हें कार्रवाई करने की आदेशात्मक शक्ति नहीं है। यदि आप उन्हे आदेशात्मक शक्ति नहीं प्रदान करते हैं तो वे दर्ज किए गए मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सब केवल नाम के लिए रह जाएगा, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। मानवाधिकार का नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कृपया उन्हें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराके उन्हें प्रतिष्ठा अर्जित करने दें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मानवाधिकार के मामले मानवशक्ति की कमी, आधारभूत ढांचे कमी तथा प्रक्रियात्मक विलंब के चलते प्रभावित हो रहे हैं। अतएव, मैं आपसे इस मामले के ब्यौरों में जाने का अनुरोध करूंगी। मैं यह नहीं कह सकती हूं कि आप अभी निर्णय लें क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शायद आपको अपने अधिकारियों तथा अन्य एजेन्सियों से भी इस मामले पर परामर्श लेना होगा।

हमने स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कई लोक अदालतों का भी गठन किया गया है। हमारे देश में राज्यों के विभिन्न जिलों में कुछ मानवाधिकार अदालतें भी स्थापित की गई हैं। हम महसूस करते हैं कि न्यायपालिका तथा मानवाधिकार अदालतों के बीच भी समन्वय होना चाहिए क्योंकि हम विद्यमान तंत्र से ऊब चुके हैं। मैं यह इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि बहुत समय से हजारों मामले लंबित हैं और चूंकि कोई परिणाम या कार्यान्वयन नहीं दिखाई दे रहा है। अतएव, मैं आपसे स्थिति की समीक्षा करने और कुछ मानवाधिकार अदालते स्थापित करने का अनुरोध करती हूं।

मनावाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्य केवल अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध करना या सिफारिशें करना एक अलग बात है किन्तु उस पर कार्रवाई करना दूसरी बात है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि कुछ नहीं होगा। हम बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं और हम बोलते रहेंगे किन्तु अन्ततोगत्वा परिणाम शून्य रहेगा। अतएव, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखना चाहूंगी। हम कुछ सुझाव स्वीकार कर सकते हैं कुछ अन्य सुझाव अस्वीकार कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : महोदया, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : महोदय, मैं पिछले करीब चार मिनट से ही बोल रही हूं। कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ मिनट और दीजिए।

महोदय, मेरे कुछ विशिष्ट सुझाव हैं। मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रख सकती हूं, और कोई अन्य किसी अन्य राजनीतिक दल से संबंध रख सकता है। एक राजनीतिक दल का दृष्टिकोण कुछ हो सकता है और किसी अन्य का कुछ और। लोकतंत्रात्मक प्रणाली में यह संभव है। किसान आन्दोलन हो सकता है। मजदूर आन्दोलन हो सकता है या कोई अन्य लोकतांत्रिक आन्दोलन हो सकता है। आज क्या हो रहा है? छात्र किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। आप

[कुमारी ममता बैनर्जी]

उनकी मांगें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, किन्तु उन्हें आप आंसू गैस गोलियों या लाठियों का इस्तेमाल करके धकेल नहीं सकते। डाक्टरों और बच्चों के साथ भी यही मामला है। उनके दिमाग में कुछ बात होती है। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आप उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लेते ताकि वे आपको कुछ जानकारी दे सकें? ...(व्यवधान)

**प्रो. एम. रामदास** : आप मुद्दे से हट रही हैं।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : यह मानवाधिकार के मुद्दे से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि मानवाधिकारों की कोई विशिष्ट सीमाएं नहीं हैं और मैं उस बात पर टिकी हुई हूं। यह मुद्दा भिन्न हो सकता है किन्तु हमें अमानवीय तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जीवन की सुरक्षा नहीं होगी अपितु एक काला दिन ही सिद्ध होगा। इस संबंध में कृपया सभी राज्य सरकारों को भी एक संदेश भेजिए।

नियुक्तियों के संबंध में, एक समस्या है। राज्य में मुख्य मंत्री, विधान सभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता मानवाधिकार आयोग के लिए सदस्यों के नाम की सिफारिश करता है। इन तीनों में से यदि मुख्य मंत्री और अध्यक्ष नामों की सिफारिश करते हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि तीन में से दो इसके पक्ष में हैं और अतएव यह बहुमत है। किंतु आपका मंतव्य क्या है? आपका मंतव्य यह देखना है कि मानवाधिकार का अध्यक्ष पूर्णतया निष्पक्ष हो। इस संबंध में बहुमत पर बल न दें, अपितु उसकी विश्वसनीयता और ईमानदारी पर बल दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि सभी पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक विधेयक लाएं ताकि इस देश के लोगों के जीवन, संपत्ति उनसे संबंधित हर एक चीज की सुरक्षा हो सके और विश्व को यह पता चले कि हमारे मन में डर नहीं हैं और हमारा सर ऊंचा उठा हुआ है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल) : मैं इस संशोधन का कई तरह से समर्थन करता हूं। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किसी लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। मानवाधिकारों के बिना कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। अत: यह एक व्यापक शब्द है जिसमें मानव जीवन के दैनिक जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। एक मामला है जिसमें हमने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के साथ-साथ विपक्ष के नेता और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की गई है, और उन्होंने समिति नियुक्त की है। इस राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश होगें। अत: इससे उच्चतर समिति नहीं हो सकती और यह स्वीकार किया गया है। राज्यों में भी इस समिति में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और वहां भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में पांच, वर्ष का अनुभव रखने वाला न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होता है क्योंकि यही प्रावधान है। हम इस प्रकार गठित समितियों को मानवाधिकार की रक्षा का कार्य सौंपते हैं। मूलत: मानवाधिकार आयोग एक परामर्शदायी निकाय है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। जब हम ऐसी अति उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करते हैं तो उन्हें अपने निर्णय कार्यान्वित करने के लिए कुछ शक्तियां क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उन्हें जब भी जरूरत हो अपने निर्णयों को लागू करने के लिए शक्तियां दी जानी चाहिए।

सौभाग्य से, सरकार ने एक चीज पहले ही स्वीकार कर ली है और वह यह है कि उन्होंने अभियोजन कार्यवाही शुरू करने की शक्ति दे दी है। आयोग को जब भी कोई उल्लंघन हो, अभियोजन कार्यवाही शुरू करने की शक्ति दी गई है।

मैं खण्ड 18 का उल्लेख कर रहा हूं। खण्ड 18 (क) (ii) में कहा गया है :-

"संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करना या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करना जो आयोग आवश्यक समझे।" यह बिलकुल ठीक है। किन्तु इस आयोग को कुछ उपचारात्मक कार्रवाई भी करने के लिए अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? धारा 18(क) (i) में कहा गया है "शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे।" आयोग को प्रतिकर लगाने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इस समिति का अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश एक निर्णय ले रहे हैं। क्या यह सिफारिश छानबीन और अंतिम निर्णय लेने के लिए नौकरशाही को, आई ए एस अधिकारी

को जानी चाहिए? यह न्यायसंगत नहीं है। साथ ही ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

चूंकि आपने अभियोजन शुरू करने की शक्ति दी है, अत: मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आपको बहनीय उपाय के तौर प्रतिकर या राहत प्रदान करने के लिए शक्ति देनी चाहिए। राष्ट्रीय आयोग को केवल सरकार को सिफारिश देने वाला बनाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। यही कारण है कि मैं तो यहीं कहूंगा कि मैं काफी दुखी हूं।

प्रयोग किए गए शब्द है "संबंधित सरकार का अर्थ है एक आईएएस अधिकारी जिसे निर्णय लेना होगा। खण्ड 18 (ग) में कहा गया है" जांच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना।" यह शक्ति आयोग को क्यों नहीं दी जा सकती? यदि यह शक्ति स्वयं आयोग को ही दे दी जाए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा?

आपने अभियोजन के लिए स्वप्रेरित शक्ति दी है। आप आयोग को अंतरिम राहत देने के लिए भी शक्ति क्यों नहीं देते? क्या यह सिफारिश एक आईएएस अधिकारी को जानी चाहिए? या यह राज्य सचिवालय को जानी चाहिए, या केन्द्रीय सचिवालय को, या संबंधित मंत्रालय को? मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश आयु 65 से 70 के बीच होगी, वे अनुभवी व्यक्ति हैं। वे ऐसे लोग है जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के उच्च पदों को सुशोभित किया है। वे निर्णय लेने वाले लोग हैं। क्या उनके निर्णय को केवल सिफारिश के तौर पर लेना चाहिए?

मैं सरकार से आयोग को जब आवश्यक हो, प्रतिकर लगाने के लिए वैधानिक शक्तियां देने का अनुरोध करूंगा। अन्यथा पीड़ित को कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। वह केवल आंसू बहाता रहेगा। सिफारिश सरकार के सचिव के पास विचारार्थ जाएगी और पुन: एक अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। इसमें महीने या वर्षों का समय लगेगा। कौन जानता है कि यह जारी की भी जाएगी या नहीं? अन्तरिम राहत तुरंत जारी की जानी होती हैं। इस अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अतएव, अस प्रकार सिफारिश की जानी चाहिए कि आयोग को किसी भी मामले में जरूरत पड़ने पर अन्तरिम राहत या क्षतिपूर्ति देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें संबद्ध व्यक्तियों को बताना चाहता हूं। अधिकारों के बारे में सिफारिशों की बात करते हुए, खण्ड 18 (क) में कहा गया है, "जहां जांच से मानव अधिकारों के अतिक्रमण या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या उसका उत्प्रेरण का होना प्रकट होता है तो वहां वह संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को-" यहां भी आयोग निर्णय क्यों नहीं ले सकता है? सरकार निर्णय क्यों नहीं ले सकती और आयोग को शक्तियां क्यों नहीं दे सकती?

इसकी अध्यक्षता तीन वर्षों के अनुभव वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य आयोग में अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश अथवा पांच वर्षों के अनुभव वाले न्यायाधीश द्वारा की जाती है। वे अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन बातों को निपटाने का अधिकार उन्हें ही दिया जाना चाहिए। आपने स्वत: संज्ञान लेकर अभियोजन का अधिकार दिया है यह अच्छी बात है। मैं पूर्णत: सहमत हूं, इसकी प्रशंसा करता हूं। अन्य सदस्यों को अधिकार क्यों नहीं दिया जाएं? जब जांच की जाती है तो अंतरिम राहत या अन्य बहुत सी बातों के संबंध में अन्तिम आदेश का अधिकार आयोग को दिया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा सोच विचार कर बनाया गया सर्वोच्च निकाय है। इसके नियुक्तिकर्त्ता मुख्य मंत्री, अथवा विपक्ष के नेता या अध्यक्ष होते हैं। क्या इस प्रकार किसी अन्य समिति का गठन किया जा सकता है? अत: जब इस समिति का गठन किया जाता है तो मानवाधिकार के मूल मुद्दे पर इसे सिफारिश करने वाला या परामर्शदायी निकाय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में हिरासत में मौंते बहुधा होती हैं। इन मामलों में आयोग द्वारा तत्काल राहत दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आयोग को कुछ करने का सांविधिक अधिकार दें। अन्यथा यह व्यर्थ का कार्य होगा और इसे जो अभ्यावेदन मिलेंगे वे लंबित पड़े रहेंगे। अतएव, मैं सरकार से आयोग को और अधिकार देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे मानवाधिकार संरक्षण का मामला जुड़ा है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2006 का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठतम रचना है। वेद कहता है - मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। महाभारत में कहा गया है कि न हि मानुषात हि श्रेष्ठतर किंचित, अर्थात

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

मानव से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। उस मानव के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। श्रीमान भारत के लिये यह मानवाधिकार की रक्षा कोई नयी बात नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वेभवन्तु सुखा न: सर्वेसन्तु निरामय:। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, माकश्चिद, दुखभाग्य भवेत अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों। सब कल्याण को देखें। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं हो।

मान्यवर, इस मानवाधिकार संरक्षण विधेयक के सभी प्रावधानों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मानवाधिकार आयोगों की स्थापना सभी राज्यों में शीघ्र होनी चाहिए। अभी केवल 16 राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और भी अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य स्तर पर राज्य का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो।

इसके सदस्यों में एस सी एवं एस टी आयोगों के अध्यक्षों के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हों। मानवाधिकार आयोगों के संवेदनशील सदस्य हों। महिलाओं की संख्या ज्यादा हो। मान्यवर, आज मानवाधिकार आयोग नखदंतविहीन है। इसे दण्डात्मक प्रावधानों का अधिकार हो। जांच करने का अधिकार है परन्तु कार्यवाही का नहीं।

महोदय, कश्मीर में आतंकवादी मानवाधिकारों की आड़ में बचने तथा अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे हैं। कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडित घरबार, जायदाद सबकुछ छोड़ कर दिल्ली, चण्डीगढ़, जम्मू में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके मानवाधिकार कहां हैं? क्यों नहीं मानव अधिकार वादी उनके बारे में आवाज उठाते है।

सामाजिक समता और सामाजिक न्याय, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न आदि को रोकने बालश्रम/बेगार, बंधुआ मजदूर प्रवृत्ति रोकने, कैदियों की दुर्दशा, जेलों की जांच, वृद्धों की देखभाल अशक्त लोगों के प्रकरण प्राप्त हो आदि का भी दायरा मानवाधिकार आयोग को दिया जाना चाहिए। नागरिकों को बुनियादी सुविधायें मिलें, जीने का अधिकार हो। सामाजिक भेदभाव नहीं हो आदि भी इसमें होने चाहिये।

मान्यवर, पुलिस हिरासत में जेलों में मरने वालों की संख्या में वृद्धि चिंताजनक है। मानवाधिकारों का हनन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हो।

कर्तव्य एवं अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार के साथ कर्तव्यों का पालन भी हो।

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** (राजापुर) : मानव अधिकार (संशोधन) विधेयक, वस्तुत: भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अहमदी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है।

मेरी सीधी बात यह है कि जब भी हम रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित विधान बना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि वह रिपोर्ट संसद के सभी सदस्यों को भेजी जानी चाहिए जब हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो रिपोर्ट को हमारे पास भेजना ही चाहिए ताकि हम समझ सकें कि किन सिफारिशों को शामिल किया गया है और किन्हें नहीं। यदि उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो इसका उल्लेख होना चाहिए कि इन्हे शामिल नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं। मेरे विचार से सामान्यत: मैं सचिवालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी हम किसी समिति की सिफारिशों के आधार पर कानून बना रहे हों तो उस रिपोर्ट को हमारे पास भेजना चाहिए। जब इसका विशेष उल्लेख किया गया है और उद्देश्य में भी यह कहा गया है कि आप यह कानून न्यायमूर्ति अहमदी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बना रहे हैं तो यह उचित होगा यदि आप इसे हमारे पास भेजते। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय हमें बता सकेंगे कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और किन्हें नहीं तथा इसके क्या कारण हैं।

सामान्यत: मानव अधिकार बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मानव समूह समाज के रूप में हितों व अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य का सृजन करते हैं। राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी मानव प्राणियों को समान समझे और उनके साथ कोई अन्याय न करे। किन्तु हमने यही देखा है कि राज्य के लम्बे हाथ मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। अतएव, राज्य के अत्याचार से नागरिकों को बचाने के लिए हमें वास्तव में मानवाधिकार संरक्षण विधि की आवश्यकता है। वस्तुत: मानवाधिकार का अभिप्राय अपने साथी मानव के साथ वही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार हम स्वयं के प्रति चाहते हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करें जैसा आचरण आप अपने प्रति चाहते हैं और यही बात हमारी

परंपरा और संस्कृति का अंश रही है। किन्तु कालान्तर में माननीय मंत्री संसद में बार-बार कुछ व्यक्तियों द्वारा अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर उत्तर देते रहे हैं जिनसे स्वयं उन व्यक्तियों और अन्य नागरिकों को नुकसान पहुंचता है और यह भी आतंकवाद का ही स्वरूप है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है, यह कानून इन बढ़ती नई घटनाओं को नियंत्रित कर पाएगा जो सामने आ रही हैं तथा इनसे प्रभावी ढंग से निपट पाएगा जैसा कि हम राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करे।

साथ ही आप अवश्य ही यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों का कोई समूह अन्य नागरिकों को बेवकूफ न बनाए और राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। यह एक चुनौती है और मुझे विश्वास है कि आप इससे निपट पाएंगे।

अब मैं इस विधेयक के कुछ खास उपबंधों की चर्चा करूंगा। खण्ड 18 कहता है कि केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया जाने वाला वेतन राज्य मानव अधिकार आयोग के समकक्ष होना चाहिए। यदि आप ऐसे उपबंध रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ राज्य ऐसा करने में सक्षम न हों। आपका आशय बढ़िया, उत्तम है कि सभी को समान वेतन मिले ताकि उन्हें कुछ स्वतंत्रता रहे। यदि आप यही चाहते हैं तो वेतन केन्द्रीय पूल से दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक लागत नहीं आने वाली है। अन्यथा आप राज्यों पर ऐसे वेतन देने का बोझ डाल रहे हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सामान्यत: हम ऐसी प्रणाली का अनुपालन करते हैं जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने गृह राज्य में नियुक्त नहीं होते हैं। गुजरात का रहने वाला संभवत: कर्नाटक या तमिलनाडु में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अतएव, हमें ऐसी प्रणाली का अनुकरण करना चाहिए कि राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने गृह राज्य में नियुक्त न हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जिस राज्य सरकार के प्राधिकार की जांच करने जा रहे हैं उन पर बेहतर नियंत्रण दिखा सकें।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : बिल में ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : तीसरी बात चयन समिति के संबंध में है। श्री वरकला राधाकृष्णन ने भी उल्लेख किया है कि तीन सदस्यों वाली चयन समिति होगी। इसमें कहा गया है कि एक सदस्य की अनुपस्थिति से चयन की प्रक्रिया दुष्प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि संभवत: सभी तीनों सदस्य एक साथ नहीं आएं। किन्तु मूलत: इससे तीन सदस्यीय समिति बनाने की भावना दुष्प्रभावित होती है। तीन सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए रखे गए हैं कि कोई पक्षपात न हो। मान लीजिए किसी कारण से एक व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी किन्तु इससे कानून की भावना दुष्प्रभावित होगी। संभवत: आप एक शर्त रख रहे हैं कि यदि कुछ कारणों से तीन सदस्यों में से एक सदस्य उपस्थित नहीं है तो इससे कार्यवाही बाधित नहीं होगी किन्तु आप यह भी सुनिश्चित करें और सारी सावधानियां बरतें कि दो सदस्य उपस्थित रहें अन्यथा इससे कानून की भावना दुष्प्रभावित होगी और उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाएगी।

दूसरी बात जेल के दौरे के बारे में है। केन्द्रीय आयोग को कतिपय जेलों का दौरा करना है। अब इसका खास उल्लेख है कि ऐसा राज्य सरकार को सूचित किए बिना किया जा सकता है। मैं इस बात की प्रशंसा कर सकता हूं, अन्यथा वह राज्य जिसने किसी व्यक्ति के विरूद्ध कतिपय अपराध किए हैं, हो सकता है केन्द्रीय आयोग को आने न दे। अतएव इस प्रावधान की आवश्यकता है। साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि में कुछ समर्थकारी अनुबंध होने चाहिएं, जिससे राज्य सरकारें सहयोग करें। अन्यथा, आप वहां सूचना के बिना पहुंचेंगे किन्तु उन्हें देख नहीं पाएंगे। बिना सूचना के वहां पहुंच कर समर्थकारी अनुबंधों के आभाव में केन्द्रीय आयोग किस प्रकार जेलों का दौरा कर पाएगा? अतएव यह अनुबंध उचित ढंग से बनाया जाना चाहिए।

मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और ऐसा खास समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथा यह एक अपहरण मात्र होगा। हम एक और कानून बनाकर रह जाएंगे।

इस विधेयक में कहा गया है कि अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग महिला आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। हमने हाल ही में घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून पारित किया है। यह बहुत विशिष्ट मामला है। मैं उस अधिनियम का स्वागत

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

करता हूं और वस्तुत: मैं ऐसे विधान का समर्थन करता हूं। यदि आप वास्तव में संचालन में एकात्मकता लाना चाहते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दे भी आयोग द्वारा देखे जाएं।

**श्री असादूद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरी कुछ बातें हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री उन्हें स्पष्ट करें।

पहली बात है कि जुलाई, 2006 में भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था जिस में सभी राज्य मानव अधिकार आयोग एकत्रित हुए थे। विशेषत: इस विधेयक के संबंध में सभी एकमत थे कि आयोग का अध्यक्ष या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए।

दूसरी बात है कि उनकी राय थी कि यह विधेयक संख्या को पांच से घटा कर तीन करता है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनने के अधिकार से वंचित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे जुलाई माह में भोपाल में हुए राज्य मानव अधिकार सम्मेलन से कोई महत्व देने जा रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम का प्रश्न है, बालश्रम के संबंध में सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन होता है। अब, जहां तक इस अधिनियम का प्रश्न है, यह केवल लोक सेवकों के संबंध में है। क्या माननीय मंत्री या सरकार ऐसा विधान लाने या इस खास अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बालश्रम के संबंध में उल्लंघन की जांच भी कर सके? इस संबंध में कई रिपोर्टें आई हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने हाल के दिनों में रिपोर्टें सौंपी हैं जिनमें दिखाया गया है कि हमारे देश में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

तीसरी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पदेन सदस्यों के बारे में है। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मंत्रीजी इससे सहमत होंगे?

चौथे, जहां तक क्षतिपूर्ति की सिफारिशी प्रकृति का सवाल है मैं अन्तरिम आदेश दिए जाने संबंधी समस्याओं को समझ सकता हूं क्योंकि आप विधिक शब्दावली में कहें तो एक ही कार्यवाही में दोहरा उपचार या दोहरी क्षतिपूर्ति नहीं पा सकते हैं। किन्तु जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है आप इसे अनिवार्य बनाए। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमुक या अमुक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और उसे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने की क्या बात है? क्षतिपूर्ति से किसी का आत्म सम्मान या गरिमा वापस नहीं लौटती। किन्तु साथ ही इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन कर्त्ताओं को कड़ा संदेश देने में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। अत: कम से कम क्षतिपूर्ति पहलू को अनिवार्य बनाएं।

पांचवां, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जब पद से हटाए जाने वाली धारा आती है तो मानसिक शैथिल्य या विकृत चित्र वाले व्यक्ति में क्या अंतर है। यद्यपि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है किन्तु मुझे विकृत चित्र और मानसिक शैथिल्य में कोई अन्तर पता नहीं चलता है।

क्या माननीय मंत्री हम सभी को यह बतायेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों ने तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया है किन्तु गुजरात राज्य ने अब तक मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों नहीं किया है? केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगी कि गुजरात राज्य भी मानवाधिकार आयोग का गठन करे? जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं और कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, दुर्भाग्यवश राज्य मानवाधिकार आयोग गुजरात में कार्य नहीं कर रहा है?

अन्त में, जो शिवसेना के माननीय सदस्य ने कहा मुम्बई में जो कुछ हुआ वह निन्दनीय है किन्तु जो अब हो रहा है वह भी निन्दनीय है। मुस्लिम समुदाय के कई लोग हैं जिन्हें 25 दिन या 30 दिन या 40 दिनों तक अवैध रूप से गिरफ्तार करके रखा जा रहा है। उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। राज्य सरकार कहती है कि उन्हें छोड़ा जा रहा है किन्तु महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोगों को छोड़ने में और त्रिपुरा सरकार द्वारा लोगों को छोड़ने में अंतर है जब त्रिपुरा सरकार ने छह-सात मुस्लिमों को गिरफ्तार किया। किन्तु महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? वहां अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल हम इसे माननीय प्रधान मंत्री के ध्यान में भी लेकर आए थे। एक 68 वर्षीय वृद्ध को 20 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया। उसे नंगा किया गया। उसकी बहू का बुर्का जबर्दस्ती हटवा दिया गया और उसे धमकी दी गयी कि यदि

वह मुम्बई विस्फोट के संबंध में एक खास अपराध नहीं कबूलेगी तो उसे भी नंगा किया जाएगा। अत: ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा कहा गया है, जब तक आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शक्तियां नहीं देते हमारा सारा प्रयास व्यर्थ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*।

**सभापति महोदय** : मुझे खेद है कि एजेंडा में आज बहुत सारे विषय हैं और लगता है कि हम लोगों को बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने नाम इसी विषय पर बोलने के लिए दिए थे – प्रो. रासा सिंह रावत, श्री टी.के. हमजा, श्री शैलेन्द्र कुमार और ब्रह्मानन्द पंडा – सभी माननीय सदस्य अपने भाषण यहां टेबल पर दे सकते हैं, इसे प्रोसीडिंग का हिस्सा मान लिया जाएगा। अब इस बहस को समाप्त करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इसका जवाब दें।

*[अनुवाद]*

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगत सिंह पुर) : माननीय सभापति महोदय, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक, 2006 का उद्देश्य मानव-अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन की मांग करना है, जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसमें कोई शंका नहीं है कि समय के साथ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, विधेयक 2006 में अधिनियम में जिस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, उसका इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों, स्वतंत्रता और इसके प्रभाव को सीमित करने के कारण स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों और स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आलोचना की गई है। यह दर्शाता है कि संशोधन विधेयक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के आस्तित्व में रहने के गत 13 वर्षों के दौरान नागरिक समाज और स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा है। वस्तुत: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी संबंधी शक्तियों में सुधार करने के प्रयासों के अलावा, संशोधन विधेयक में वास्तविक रूप से कुछ पश्चगामी प्रावधान शामिल हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता और इसके कार्यकरण को कम करते हैं। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है :

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**कारागार का दौरा**

संशोधन विधेयक कारागार का दौरा करने के पहले कारागार अधिकारियों को पूर्व में सूचना देने [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (ग)] की जरूरत को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कारागारों एवं अन्य संस्थाओं का औचक दौरा किया जा सके और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कारागारों के अंतर्गत वास्तविक स्थिति पर मत तैयार करने की शक्ति प्राप्त हो। यह एक प्रशसंनीय प्रस्ताव है क्योंकि संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से इन संस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। तथापि, यह संशोधन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को केवल राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कारागारों और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करने की बहुत ही सीमित शक्ति प्रदान करेगा। संशोधन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश भर में राज्य सरकार के अन्तर्गत कारागारों और संस्थाओं, पूरे देश में सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे बंदी गृहों एवं पूछ-ताछ केन्द्रों का बिना किसी अग्रिम सूचना के निरीक्षण करने की शक्ति दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में अवैध बंदी गृहों के विद्यमान होने की प्रभावी जांच करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शक्ति प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए।

**अन्तर्राष्ट्रीय अधिसमय**

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत, 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा' की परिभाषा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (आई सी ई एस सी आर) तक ही सीमित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्र, 'मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं का दर्जा एवं कार्यकरण से संबंधित सिद्धांतों,' ('पेरिस सिद्धातं) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। पेरिस सिद्धांत राष्ट्रीय विधान को अब अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ सुसंगत बनाने का आहवान करता है जिसपर हमारे देश ने हस्ताक्षर किए हैं।

[श्री बह्मानन्द पंडा]

"संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकृत उक्त प्रसंविदा अथवा अभिसमय जैसाकि केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा स्पष्ट करेगी" को शामिल करने हेतु परिभाषा को विस्तृत कर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार करने वाले संशोधन विधेयक को पेरिस सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

**महासचिव की अधिकारिता**

अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव को जो कि सामान्यता एक सेवारत सिविल सेवक होता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है, को कार्य-करण को सौंपने की शक्ति प्रदान करने वाले संशोधनों से मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के संरक्षण में बाधा हो सकती है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता हैं क्योंकि इसके कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा अन्य सरकारी विभागों, विशेषकर आसूचना ब्यूरो से प्रतिनियुक्तिपर आए होते है।

**जांच**

हलांकि मानवाधिकार मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को अंतरिम सिफारिश देने हेतु समर्थ बनाने का प्रावधान स्वागतयोग है, परन्तु इसकी सीमित उपयोगिता है क्योंकि आयोग केवल सिफारिश देने की भूमिका निभा सकते हैं जोकि बाध्य कारी नहीं होते है। अत: संशोधन को मानवाधिकार आयोगों की सिफारिशों को संबंधित अधिकारियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

**राष्ट्रीय मानवाधिकरण आयोग का संशोधिकरण**

हमें गर्व है कि 'पेरिस सिद्धांतों' के अनुसरण में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से देश के लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लोकप्रियता बढ़ रही है। अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में, आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन की केवल 496 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जोकि वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़कर 74,444 हो गई। आयोग को की जाने वाली शिकायतों में वृद्धि हो रही है। पिछली सारी लंबित शिकायतों को अगले वर्ष भी लिया जाता है। इन परिस्थितियों में, देश में मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों की बड़ी संख्या को शीघ्र निपटाने हेतु एक रूप-रेखा तैयार करने के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

अभिलेखबद्ध एवं प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के अलावा यह बताया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे मुद्दे या तो दबा दिए जाते हैं अथवा छिपे रहते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में आम लोगों की जागरूकता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों जैसी अधिकार संरक्षक संस्थाओं की दक्षता की उपेक्षा के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के मामले कम संख्या में दर्ज होते है ताकि आम जनता अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से अच्छी तरह अवगत हों।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने गठन के बाद के वर्षों से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की कमजोरियों को वार्षिक रिपोर्टों के विभिन्न संस्करणों में केन्द्र सरकार को अवगत कराया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम विधेयक-2006 के संशोधन धारी उपबंधों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित माननीय न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी के सुझावों के आलोक में देखा जाना चाहिए।

संशोधन विधेयक से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रयासों की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए आयोग को अभियोजन कार्यवाही आरंभ करने और अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने जैसा वह आवश्यक समझे, की शक्ति प्रदान की जाए।

**आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार**

भारत जैसे विकासशील देशों में व्यापक असमानताएं विद्यमान हैं जो मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान द्वारा अभिकल्पित अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकते हैं। ऐसे समय में जब देश की जनसंख्या का 26% से ज्यादा हिस्सा गरीबी और व्यापक अभावग्रस्तता से जूझ रहा है, मानवाधिकारों के संरक्षण

से संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन से सच्चे अर्थों में उस स्वतंत्रता को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इन लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार नहीं दिए जाते। इसलिए नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को साकार करने के लिए मानवाधिकारों के संरक्षण के माध्यम से गहन, उद्देश्यपूर्ण और गंभीर प्रयासों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मानवाधिकार अधिनियम में किसी संशोधन को करते हुए हमारे संविधान के भाग-III और भाग-IV में अभिकल्पित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाग-III में सुनिश्चित नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार और भाग-IV में सूचीबद्धआर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा हैं। प्रावधानों को संशोधित करने के दौरान मानवीय गरीमा के साथ जीवन का अधिकार और जीने का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत अध्ययन करना होगा। इस संदर्भ में हम यह उम्मीद करें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का हमारा प्रयास मानवाधिकारों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा।

*श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : महोदय, वास्तव में मानव अधिकार और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिक के मौलिक अधिकार हैं।

हमें संविधान द्वारा गारंटीकृत कई अधिकार मिले हुए हैं जैसे- जीवित रहो आजीविका कमाने, संपत्ति धारित करने, कारोबार करने, देश भर में आने-जाने, बोलने और अभिव्यक्ति आदि का अधिकार जब हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का किसी व्यक्ति, किसी प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा हनन होता है तो अधिकारों के संरक्षण की बात होती है। व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन को ध्यान में लाया जाता है और तीन प्रकार से इसके उपचार पर चर्चा की जाती है।

सर्वप्रथम, हम या तो संसद में अथवा राज्यों की विधान सभाओं में चर्चा के माध्यम से इसे सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। हमनें कई वर्षों तक कई मौकों पर इन अवसरों का उपयोग किया है।

दूसरे, हम न्यायालय जाते है और किसी रूकावट अथवा उल्लंघन के विरूद्ध लड़ते है। किंतु वित्तीय संकट और अन्य कारणों से सभी लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

तीसरे, जब हम उपर्युक्त दो रास्तों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो एक गरीब आदमी अपनी शिकायतों को जनमत हेतु सामने ला सकता है। सौभाग्य से हमारे पास कई सशक्त मीडिया, समाचार-पत्र के साथ-साथ दृश्य मीडिया भी है। आजकल ये इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मानव अधिकारों का हनन या उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन निस्संदेह एक गंभीर और जघन्य अपराध है। हमारे देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उसके संरक्षण हेतु कई प्राधिकरण और कानून हैं। किंतु अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हम केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में ये मानव अधिकार आयोग होने के बारे में सोचने हेतु बाध्य हुए हैं। फिर भी हम वर्तमान कानून और आयोग के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हमें आयोग को सशक्त बनाने और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए संशोधन के बारे में सोचना पड़ा है।

अब लाए गए संशोधनों के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, एन एच आर सी और एस एच आर सी के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों, मैं संशोधन के इन सुझावों से सहमत हूं कि किसी भी न्यायाधीश जिसे उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय जैसा भी मामला हो, में 3 वर्ष काम करने का अनुभव हो, को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि आयोग पूर्व सूचना के बिना जेल अथवा संदिग्ध व्यक्तियों को रखने की जगह का निरीक्षण कर सकता है। इस संशोधन की खूब प्रशंसा योग्य है।

एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी है कि अध्यक्ष, एन एच आर सी के महासचिव को कुछ शक्तियों और कार्यों को प्रत्यायोजित करने हेतु सक्षम किया गया है। मेरे अनुसार यह एक गंभीर मामला है क्योंकि महासचिव संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त किया हुआ एक कर्मचारी होता है। यदि इस संशोधन को अनुमोदित किया गया तो सरकार इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी भी मामले को प्रभावित कर सकती है। इससे आयोग के न्यायिक कार्य की स्वतंत्र प्रकृति प्रभावित होगी।

जब सरकार के पास कतिपय मामलों में ऐसी शक्तियां हैं तो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी.के. हमजा]

लोगों के अधिकारों को स्वंतत्र रूप से नहीं बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं एक मामले के बारे में बताता हूं :-

तमिलनाडु में कोयम्बटूर जेल में एक व्यक्ति अब्दुल नजेर मइदनी गत 8 वर्षों से एक विचाराधीन कैदी है। हमारा संविधान और देश का सुस्थापित कानून यह कहता है कि व्यक्ति को बिना सुनवाई के जेल में नहीं रखा जा सकता हैं''। अभी तक उसके मामले में सुनवाई पूरी नहीं हुई है। गत 8 वर्षों से, उसने कई बार जमानत के लिए आवेदन किया किंतु राज्य सरकार द्वारा विरोध करने पर इसे अस्वीकार कर दिया गया।

दूसरे मामले में तमिलनाडु में वाई. गोपालस्वामी (वाई के ओ) को सुनवाई किए बिना 3 वर्ष तक जेल में रखा गया। तीन वर्ष के बाद उसे रिहा किया गया और उसे तथा उसकी पार्टी को सत्तारूढ़ दल गठबंधन में शामिल किया गया।

ये सभी मामले मानव अधिकार के हनन और उल्लंघन के मामले हैं। इसलिए मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी संशोधन पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

जो भी हो आजादी के 60 वर्षों के बाद भी हमारे नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, आयोग को सुदृढ़ बनाने की काफी आवश्यकता महसूस की गई है और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

*श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, मानवाधिकार के बारे में सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार राज्यों से है। सदस्यों को बगैर पूर्व सूचना के घटना की जांच करने में स्वतंत्र होंगे, पहले राज्य की सरकारों को विश्वास में लेकर जांचें की जाती रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य के सदस्यों को योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर रखकर बनाया गया है, इससे आयोग को शक्ति प्राप्त होगी। हिरासत में जो मौतें हो रही हैं, उनसे आयोग काफी चिंतित रहा है। उत्तर प्रदेश में 199, महाराष्ट्र में 148, बिहार में 134, गुजरात में 20 मौतें इस तरह से हुई हैं। आज देखा जाए तो जेलों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। पूरे देश में 2,34,462 कैदियों की क्षमता वाली जेलों के विपरीत 3,24,852 कैदी जेलों में हैं। अब तक आयोग में 1,18,502 मामले आए, जिनमें से 57,694 का निपटारा हुआ है। अक्टूबर, 1993 में इसके गठन से अब तक 8,84,10,634 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट में गुजरात सबसे ऊपर है। पोटा वापस लेने के एक वर्ष बाद भी इस अधिनयम के तहत पकड़े गए लोगों के मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। गोधरा कांड, जम्मू-कश्मीर में ज्यादा हुआ है। एमनेस्टी इन्टरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट हाल ही में पेश हुई है। इस रिपोर्ट में सुरक्षा अधिनियम को निरस्त करने के लिए सरकार की तारीफ की गयी है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के साथ भेदभाव जारी रहने से सरकार की विफलता दिखती है। आयोग के अधिकारों के बारे में अगर न्यायमूर्ति ए.आर. अहमदी समिति की रिपोर्ट लागू हो तो आयोग सशक्त होगा। इस आयोग में अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों को इसमें सदस्य बनाया गया है, इससे उल्लंघन पर विराम लगेगा। साथ ही जेलों एवं अन्य संस्थानों का दौरा करने के अधिकार से लोगों को राहत मिलेगी।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

*श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रशंसनीय लक्ष्यों और उद्देश्यों वाला यह विधेयक इस सभा के समक्ष लाया गया है। इस विधेयक का एक उद्देश्य एन एच आर सी ओ और एस एच आर सी के समक्ष आए मामलों का निपटान करने की प्रक्रिया को तेज करना है। महोदय, भारत संसार के उन प्रमुख देशों में से एक है जहां मानव अधिकार के उल्लंघन के काफी मामले घटित होते हैं। एन एच आर सी के पास मानव अधिकार उल्लंघन की स्वत: जांच करने का प्रावधान और शक्ति होने के बावजूद हर वर्ष मानव अधिकार उल्लंघन के 70,000 से अधिक मामले सामने आते हैं। ऐसा इसलिए है कि वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाने के बावजूद 16 राज्य एस एच आर सी की स्थापना करने में नाकाम रहे हैं। किंतु यह विधेयक दोनों समस्याओं अर्थात् एस एच आर सी की स्थापना करने और उनमें मामलों की संख्या को कम करने का एक अच्छा समाधान है। महोदय, विधेयक का खंड 12 (6) कहता है, ''दो या उससे अधिक राज्य सरकारें, अध्यक्ष अथवा राज्य आयोग के सदस्य की सहमति से ऐसे अध्यक्ष की या,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसी भी स्थिति हो, साथ-साथ दूसरे राज्य आयोग के ऐसे सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं यदि ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य ऐसी नियुक्ति से सहमति प्रकट करता हो' यह एक काफी अच्छा कदम है और मुझे आशा है कि इससे न केवल मामलों की संख्या कम होगी अपितु यह एस एच आर सी की स्थापना पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले भारी व्यय को भी कम करेगा। चूंकि सरकार इस विधेयक के माध्यम से दो या तीन या चार राज्यों को आयोग स्थापित करने की अनुमति दे रही है, मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि एस एच आर सी और एन एच आर सी को संबंधित न्यायालयों के निर्देशों अथवा आदेशों का उल्लंघन करने के मामलों की भी जांच करने का आदेश दिया जाए अर्थात् एस एच आर सी राज्य के भीतर उल्लंघन के मामलों की जांच करे और एन एच आर सी, उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले उल्लंघन के मामलों की जांच करे।

महोदय, अब मैं, एन एच आर सी के गठन से संबंधित खंड 3 (क) की बात पर आता हूं। यह अच्छा है कि मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों, के लिए एक पृथक आयोग बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होने के बारे में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की है। किंतु मैं आयोग में पिछड़े वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व न देने के तर्क को नहीं समझ पाया हूं। महोदय, हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो देश के एक बड़े वर्ग अर्थात पिछड़े वर्ग के लोग के कल्याण और उनकी देखभाल का काम करता है। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एन एच आर सी का सदस्य भी बनाया जाए। एक और बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद है, पिछले 13 सालों में महिला आयोग की केवल एक सदस्य बनी है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को काफी अवसर दे रही है। किंतु यह निराशाजनक है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को छोड़कर जो आयोग की एक वास्तविक सदस्या हैं, एन एच आर सी में कोई महिला नहीं है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि एन सी डब्ल्यू को छोड़कर, आयोग में महिला के लिए एक पद आरक्षित हो।

तत्पश्चात् महोदय, मैं खंड 8 (ग) का स्वागत करता हूं जिसमें आयोग को संबंधि राज्य सरकार को पहले सूचित किए बिना किसी जेल का दौरा करने की व्यवस्था की गई है और इसकी अनुमति दी गई है। पहले, यदि आयोग किसी जेल का दौरा करना चाहता था तो उसे संबंधित राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य था, और जब तक आयोग वहां पर पहुंचता था तो स्थानीय जेल प्रधिकारी हर चीज को दुरूस्त कर लेते थे। इस नए प्रावधान से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि हमारी जेलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है। इससे कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करने में भी सहायता मिलती है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस कदम से कैदियों की रहने की स्थिति में भी निश्चित तौर पर सुधार होगा।

महोदय, अब मैं खंड-11 पर आता हूं जिसमें मूल अधिनियम की धारा-18 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस खंड की प्रशंसनीय बात है कि यदि जांच में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने या लापरवाही करने या उपशमन करने की बात का पता चले तो जांच या अन्वेषण के दौरान भी आयोग को संबंधित सरकार को शिकायतकर्त्ता या पीड़ित या परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति या हर्जाने का भुगतान करने का निदेश देने का अधिकार होगा। यह प्रावधान पहले नहीं था और मैं सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 को संशोधित करने हेतु यह संशोधन लाने पर बधाई देता हूं। इससे पहले की व्यवस्था जिसमें प्रक्रिया को पूरा कर लेने' जिसमे कई साल लग जाते है, के बाद क्षतिपूर्ति दी जाती है, से इतर पीडितों को सहायता मिलेगी अथवा मानव अधिकारों के उल्लंघन से कुछ आराम तो मिलेगा ही।

महोदय, यह भी आशंका है कि राज्य सरकारें विधेयक के खंड-12 के अंतर्गत आयोग का अध्ययन या सदस्य चुनते समय विधेयक के खंड 22 (1) के अंतर्गत चयन समिति की अनदेखी करें। इस विधेयक में, जिसे राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है, यह खामी छोड़ी गई है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि आप राज्यों को थोड़ी सी भी जगह देंगे तो वे इस खामी का लाभ उठाएंगे और अंतत: देश में मानव अधिकारों का संरक्षण करने का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा। स्थायी समिति ने इस मुद्दे की बारीकी से जांच की है और सिफारिश की है कि एस एच आर सी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर की जाए। और सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करके तथा हमारे समक्ष विधेयक में इसे अंतर्विष्ट करके बिल्कुल ठीक काम किया है।

अगली बात विभिन्न विभागों द्वारा आयोग को जानकारी देने में विलम्ब करने से संबंधित है। न तो विधेयक और न ही मूल अधिनियम में उन्हें दंडित करने के बारे में कुछ कहा गया है। यहां तक कि

[श्री एल. राजगोपाल]

हाल ही में पारित पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग विधेयक में भी एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग को अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहने पर अधिकारी को दंडित करने का उपबंध है। किंतु हमारे अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। ऐसे दांडिक उपबंध के अभाव में हमारे अधिकारियों को आयोग को आवश्यक दस्तावेज देने में विलम्ब करने का रास्ता मिल जाता है और वे दंड से बच जाते हैं। इसके कारण, आयोग का काम बाधित होता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह अनिवार्य बना दें कि जानकारी दो या तीन महीनों अथवा जो वह उपयुक्त समझें, के भीतर उपलब्ध करा दी जाए। यदि कोई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो आयोग को संबंधित अधिकारी को इस चूक के लिए दंडित करने की शक्ति होनी चाहिए।

मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि आयोग कड़ा परिश्रम करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है। किंतु इस अधिनियम के अनुसार सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सिफारिशें केवल अनुसंशात्मक अथवा अनुनय करने वाली प्रकृति की हैं। यह सरकार के ऊपर है कि वह आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करे या उसे अस्वीकार करे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि सरकार आयोग की सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य होना कि उसे सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया जाए।

महोदय, जनता के बिना राष्ट्र कुछ भी नहीं है। किसी राष्ट्र की संपदा उस देश की जनता होती है। हमारे संविधान में इस बात पर बल दिया गया है जो एक साथ दोनों की सुरक्षा करने का वचन देता है- जैसे न्याय के बिना कोई शांति नहीं हो सकती है; मानव अधिकारों के बिना कोई आजादी नहीं हो सकती है।

किंतु इन मानव अधिकारों की गोधरा के दंगों में वहां की स्थानीय सरकार द्वारा खिल्ली उडाई गई है। गुजरात में हजारों लोगों का कत्ल किया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया। मानव अधिकारों का गला घोंट दिया गया है। यहां तक कि हाल ही में एन एच आर सी ने सीबीआई को एक रिपोर्ट देने का नोटिस दिया है क्योंकि पनम नदी के किनारे स्थित कब्रिस्तान से प्राप्त सबूत के साथ छेडछाड करने के षडयंत्र का पता चला है। इस मामले में उनके सगे-संबंधी इन वर्षों में अपने परिवार के सदस्यों की लाश के लिए पागलों की तरह तलाश कर रहे थे ताकि वे उनका अंतिम संस्कार कर सकें और उन्हें सम्मानपूर्वक दफना सकें। गुजरात सरकार द्वारा दंड पीड़ितों को मूल मानव अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है।

हम यह भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार का किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में उत्तर प्रदेश में बांदा जिला कारागार में एक विचाराधीन कैदी को जलाकर मार दिया गया। यहां तक कि उसे पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान नहीं की गई और एन एच आर सी ने जेल प्राधिकारियों द्वारा उसके मूल न्यूनतम मानव अधिकारों के प्रति अपार संवेदन हीनता दिखाने पर अपनी नाराजगी प्रकट की है। अब, यह उपबंध करने से, कि एन एच आर सी और एस एच आर सी बिना पूर्व सूचना के जेल का दौरा कर सकते हैं, मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा।

हमने यह भी देखा कि किस प्रकार तमिलनाडु में कुछ मानसिक रूप से कमजोर लोगों को वर्ष 2004 में जंजीरों में बांधा गया और किस प्रकार उस छप्पर में, जिनमें उन्हें रखा गया था, आग लग जाने के कारण वे जलकर मर गए। यह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि हमारे कुछ राज्यों में पागल लोगों को तो छोडिए मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कोई मानव अधिकार नहीं है।

हमने यह भी देखा कि किस प्रकार उड़ीसा में ग्राहम स्टैंस को जलाकर मार दिया गया और मध्य प्रदेश आदि में रोजाना मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

इसलिए, अंत में मैं इस सभा से यह अनुरोध करता हूं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मानव अधिकार की रक्षा करने से बेहतर कोई धर्म नहीं है। एक व्यक्ति के मानव अधिकारों का आदर करने से बेहतर और कोई सेवा नहीं है। इसलिए, आईए आज हम यह प्रण लें कि हम अपने लोगों को मानव अधिकारों का उल्लंघन किए बिना हरेक के मानव अधिकार का आदर करने की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे।

इन कुछ शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल)** : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक,

2006 पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हालांकि इस विधेयक में संशोधन हेतु चर्चा के लिये एक घंटा समय निर्धारित किया गया था और यह संशोधन कोई बड़ा संशोधन नहीं था लेकिन मानव अधिकारों के बारे में हमारे माननीय सदस्य इतने जागरूक हैं कि हमें केवल इस बात से ही संतोष नहीं होता है बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे देश का भविष्य और भविष्य के साथ साथ हमारे देश के हालात भी कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। जिन चीजों को हम आज देखते हैं या महसूस करते हैं या जिस तरह से अत्याचारों को मानवाधिकार के हनन के संदर्भ में अपनी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में यह बहुत दूर की बात होगी।

सभापति महोदय, आप अभी आसन पर हैं और मैं आप द्वारा शुरू की गई बात को लेता हूं। आपने जो वक्तव्य यहां दिया या जिन लोगों ने यहां बात कही कि यू.एन.ओ. में मानवाधिकारों की चर्चा हुई और उसके प्रत्युत्तर में जो साक्ष्य दिया और यह बताया कि 1929 में जब कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थी, उस समय पं. मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में मानवाधिकार के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद यह प्रस्ताव 1930 और 1936 में भी पारित किया गया था। आपके इस कथन से इस बात का ट्रेड रिकार्ड मिलता है कि दुनिया के दूसरे विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में मानवाधिकारों की चर्चा करना बेहतर रहा है। हमारे भारतवर्ष जैसे गुलाम, गरीब और पिछड़े देश ने 1929 और 1930 में मानवाधिकारों के बारे में चर्चा की और एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह इस बात का सकेत है कि हमारे देश में मानवाधिकारों के बारे में आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों की गुलामी के समय से मानवाधिकारों का बीज प्रस्फुटित हो रहा था। यह बात अलग है कि हमारे देश को आजादी 1947 में मिली। हम मानवाधिकारों के प्रति सतर्क रहते हुये भी मानवाधिकारों का हनन अपनी आंखों से देखते रहे और उसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाये। यह बात सही है कि 1929 से ही हम लोगों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करके यह काम शुरू कर दिया था। यह बात भी सही है कि आज वर्ष 2006 में हमारे देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनायें दूसरे विकसित देशों की अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही हैं। इस आशय के प्रस्ताव का बीजारोपण 1929 में हमारे देश में हो चुका था। हमें उम्मीद करनी चाहिये कि जिस देश का संस्कार मानवाधिकार रहा हो, जिस देश का इतिहास मानवाधिकारों की रक्षा के लिये शानदार रहा हो, उस देश के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये भविष्य भी शानदार होगा। हम सब लोगों को इस बात पर पूरे तरीके से यकीन होना चाहिए।

सभापति जी, इस विधेयक पर चर्चा की शुरूआत श्री बी.के. देव जी ने की थी। मैं समझता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है।

**सभापति महोदय** : सभी ने किया है।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : सभी ने किया है। कुछ तकनीकी बातों पर अपनी-अपनी राय माननीय सदस्यों ने रखी है। श्री देव ने कल कहा था कि 16 राज्यों में ही अभी तक आयोग गठित हो पाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के केवल 16 राज्यों में ही ये आयोग गठित हो पाए हैं, अब शायद 16 से 17 में हो गए हैं क्योंकि मुझे जानकारी दी गई है कि गुजरात में भी मानवाधिकार आयोग हाल के दिनों में गठित कर दिया गया है। लेकिन यह 16 या 17 राज्यों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग गठित होना चाहिए, इस बात का प्रयास केन्द्र सरकार निरंतर करती रही है, करती रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग गठित हो जाएगा। जो हमारे देश के छोटे राज्य हैं, जिनके पास अर्थ की समस्या है, बजट की समस्या है, जिसके कारण अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित करने में उनको मुश्किलें आ सकती हैं, उनको यह लिबर्टी इस विधेयक के माध्यम से दी गई है कि वे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ ही अपने मानवाधिकार आयोग भी सन्निहित कर दें। छोटे-छोटे राज्यों में घटनाएं भी कम होती हैं और उनको अलग से इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आयोग बनाने में मुश्किल भी होती है। वे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ इसको सन्निहित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दीजिए।

**श्री विक्रम केशरी देव** (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि छोटे राज्यों में मानवाधिकार का हनन बहुत कम होता है। मुझे उसके आंकड़े मंत्री जी से चाहिए। मैं समझता हूं कि जो छोटे राज्य हैं, खासकर नार्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां मानवाधिकार का हनन ज्यादा होता है।

**सभापति महोदय** : देव जी, आप इस पर एक प्रश्न लगा दीजिए।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मैंने जो बात कही है, उसके आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। मेरा तात्पर्य केवल इतना था कि छोटे राज्यों

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

में बजट की समस्या होती है, पैसे की समस्या होती है, इसलिए वे दूसरे राज्यों के साथ अपने को सन्निहित करके अपने बजट की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी में ज्यादा होती हो, किसी राज्य में कम होती हो, लेकिन माननीय सदस्य का कहना भी सही है कि छोटे राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन की संख्या भले ही ज्यादा न हो, लेकिन कम भी नहीं है। यह बात तो हम स्वीकार करते हैं।

श्री सुजान चक्रवर्ती ने इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए एक बात कही थी कि बिना राज्य सरकार की जानकारी के जेलों में विजिट करना उचित नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मेरा इस पर यह कहना है कि यह प्रावधान किया गया है कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के मानवाधिकार आयोग जेलों की विजिट कर सकता है, लेकिन यह बैन नहीं किया गया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह राज्य सरकार को सूचित नहीं करे। अगर वह चाहते हैं, बेहतर समझते हैं कि राज्य सरकार को सूचना देकर जेलों में जाएं तो वे ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके अधिकारी खड़े होकर हमें बतलाए कि कौन कौन सी चीजों की कमी है, कौन सी चीजों की कमी नहीं है जिससे हम उनसे वार्ता कर सकें कि आपने यह व्यवस्था क्यों नहीं की। वे चाहें तो राज्य सरकारों की जानकारी में जा सकते हैं, लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों की जानकारी के बिना भी आयोग के सदस्य जेलों में विजिट कर सकते हैं।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : जो प्रावधान आपने रखा है, वही ठीक है।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : यही किया जाएगा लेकिन अगर कोई आयोग यह ससमझता है कि हमें जानकारी देकर जाना चाहिए तो जानकारी देकर जाए।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : वह मैनडेटरी होना चाहिए।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : श्री अधीर चौधरी ने महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को इसमें शामिल करने की बात कही थी। वह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। रूल्स में देखा जाए तो महिला आयोग की अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, दोनों ही इस आयोग के सदस्य होंगे। माननीय सदस्य ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग स्थापित किये जाने पर भी बल दिया था। मेरा इस संबंध में यही अनुरोध है कि अभी तक तो देश के सारे राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं हो पाये हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : सभी माननीय सदस्यों ने एकमत से यह अनुरोध किया है कि आयोग में महिला सदस्यों को शामिल करें।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : वह उन्होंने कह दिया है। उन्होंने पहले ही सफाई दे दी है। उनके नियमों में प्रावधान है।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : वह रूल्स में है।

हम उम्मीद करते हैं कि वह दिन जल्द आए, जब प्रत्येक जिले में ह्यूमन राइट्स कमीशन स्थापित हो जाए।

**सायं 6.00 बजे**

**सभापति महोदय** : आपके रहते आ जाए, तो बहुत अच्छा होगा।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : अगर हमारे और आपके जैसे लोग रहेंगे तो जरूर आएगा, इस बात की हम कल्पना करते हैं। आपने जो बातें कही थीं, उनका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। मैं माइनोरिटीज और महिला कमीशन के बारे में क्लेरीफाई कर ही चुका हूं। एससी, एसटी के लिए अलग से कमीशन बनाने के लिए श्रीमती राधिका सेलवी जी ने कहा। श्री विजय कृष्णा ने कहा कि एससी, एसटी के लिए मानवाधिकार उल्लंघन का अलग से कमीशन बनाया जाए, लेकिन अभी हमारे देश में यह संभव नहीं है। श्रीमती अर्चना नायक जी ने कहा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, आफिस बनाया जाए और महिलाओं को भी आयोग का सदस्य बनाया जाए, वह आलरेडी इसमें है। श्री अजय चक्रवर्ती जी ने इस संशोधन का समर्थन किया है। जेलों में भोजन आदि की सही व्यवस्था नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, जिनके बारे में सरकार हमेशा भविष्य में ध्यान रखेगी और जो कुछ भी संभव हो सकेगा, उसके लिए उपाय किया जाएगा। बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में

बताया गया, बीएसएफ के अधिकारियों के बंगलादेश बार्डर के बारे में चक्रवर्ती जी ने बताया था, वे शायद चले गए हैं, चूंकि वे बंगाल के प्रतिनिधि हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने बंगलादेश बार्डर पर बीएसएफ की कहीं जुल्म और ज्यादती देखी होगी।... *(व्यवधान)* अगर इस तरीके की कोई कम्प्लेंट आप लोगों के पास आए, तो हमें बताएं।...*(व्यवधान)* उसका निदान अवश्य किया जाएगा। श्रीमती सुमित्रा जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मंत्री जी, अब आप समाप्त करिए।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : महोदय, हम नाम तो सब के ले लें, नहीं तो ये माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया। श्री किरिप चालिहा जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। श्री के. येरननायडु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप उन्हीं माननीय सदस्यों का नाम लीजिए, जो यहां मौजूद हैं।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : कुमारी ममता बैनर्जी हमारी दीदी हैं और यह आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। इन्होंने भी बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है। छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन और राजनैतिक आंदोलन में ताकत का प्रयोग न किया जाए।

सभापति महोदय, आप चाहते हैं कि इस विधेयक को जल्दी पारित किया जाए।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : पूरा सदन चाहता है।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मैं आप सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाए।... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मंत्री जी के जवाब के बाद कुछ नहीं होता। आप पुराने सदस्य हैं, आपको तो मालूम है कि मंत्री जी के जवाब के बाद कुछ नहीं होता।

*(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट के लिए बोलने की इजाजत दी जाए। श्रीमती राधिका सेलवी जी ने हमें बहुत बड़े अन्याय की बात कही। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें अपना रिप्रजेंटेशन व्यक्तिगत रूप से दे दें, मैं आपके केस की पूरी छानबीन कराऊंगा और आपको न्याय दिलवाने की कोशिश करूंगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राज्य सभा द्वारा यथापारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

**सभापति महोदय** : अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 19 विधेयक के अंग बनें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*खंड 2 से 19 विधेयक में जोड दिये गए।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए।*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

---

सायं 6.05 बजे

## पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब, सभा मद सं. 16-पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 पर विचार करेगी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति)** : महोदय, मुझे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। साथ इस अवसर पर मैं कुछ शब्द भी कहना चाहता हूं।

पांडिचेरी 16 अगस्त, 1962 को संघराज्य क्षेत्र बना संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को संविधान के भाग दो की अनुसूची में 'पांडिचेरी' नाम दिया गया है। परंतु यह काफी समय से लंबित मुद्दा है और पांडिचेरी के लोग पांडिचेरी का नाम पुन: पुदुचेरी रखे जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र का यही नाम प्राचीन समय में जाना जाता था विदेशी शासकों द्वारा इसे पांडिचेरी बोलना शुरू किया गया था।

पांडिचेरी विधान सभा ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 को अपनी बैठक में एक शासकीय संकल्प पारित किया जिसमें भारत सरकार से पांडिचेरी के नाम में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक कानून पारित करने का अनुरोध किया जाना था। इस प्रस्ताव का पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन भी किया गया था। पांडिचेरी सरकार की मंत्रि-परिषद ने दिनांक 30 जुलाई 1996 की अपनी बैठक में पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी करने की बात दोहराई और उस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किया। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने दिनांक 29.4.1999 के अपने पत्र में इस प्रस्ताव को पुन: दोहराया?

राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। राज्यों के मामले में, भारत का राष्ट्रपति संसद में पुर:स्थापित किए जाने वाले राज्य के नाम में परिवर्तन हेतु किसी विधेयक की सिफारिश करने से पूर्व राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त करता है। तथापि, संघराज्य क्षेत्रों के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 के कारण ऐसा परामर्श आवश्यक नहीं है। तथापि, संघराज्य क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभा ने नाम में परिवर्तन हेतु अनुरोध करने वाला संकल्प भी पारित किया।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सभा से इस विधेयक का अनुमोदन करने की सिफारिश करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

**सभापति महोदय** : प्रो. एम. रामदासी आप पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी)** : महोदय, मैं पांडिचेरी से अकेला लोकसभा...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मुझे मालूम है।

*(व्यवधान)*

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, मुझे इसका औचित्य स्पष्ट करना चाहिए कि हम नाम में परिवर्तन की मांग क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

**श्री ए. कृष्णस्वामी (श्री चेक्म्बुटूर)** : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में, इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया था. ..*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं जानता हूं। मंत्री जी पहले ही तीन मिनट ले चुके हैं।

*(व्यवधान)*

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि मुझे पांच मिनट तक ही बोलना है?...*(व्यवधान)*

*प्रो. एम. रामदास : माननीय सभापति महोदय, मैं पांडिचेरी का नाम परिवर्तन करके पुदुचेरी करने के लिए इस सम्माननीय सभा के समक्ष इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि पुदुचेरी हमारी प्राचीन तमिल भाषा और इसकी संस्कृति के साथ तमिल जनता की भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है। जब मैं 'पुदुचेरी' और 'तमिल' के बारे में बोलता हूं तो मुझे केवल महान धरती पुत्र, क्रांतिकारी कवि भारतीदासन की याद आती हैं।

वे यह गीत गाया करते थे :-

''इंगल वझवुम इंगल वलमुम
मंगत तामिझ ऐद सांगे मुझांगु''

[यही शंखनाद गूंजें कि कभी दुर्बल नहीं होने वाला तमिझ हमें जीवन और समृद्धि दे]

मैं यहां पर यह भी स्मरण करना चाहूंगा कि सम्राट के सम्मान उस महान कवि का तामिझ के बारे में क्या कहना है। उसने किया था:

''कसंबु तंथा थनिकैटे
काजी तंथा नैरूधुलैवे
केविन से मुल्लई अरूंबु तंता वेन्ना गैये
अनि तंता सेंथामिझे, एनबे''

[तमिझ गन्ने की मीठे रस, कटहल की सुखद दावत, नए खिलते मुल्लई पुष्प की मासूमियत भरी सफेद मुस्कान के समान है और तमिझ का अर्थ प्रेम तथा स्नेह है]

मुझे तामिझ में बोलते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसका अर्थ गौरव और भव्यता, प्रेम और स्नेह है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

आज हमारी जन्मभूमि का इतिहास पुन: लिखा जा रहा है। यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक दिन है। पांडिचेरी कहे जाने वाले हमारे क्षेत्र को अपना गौरव प्राप्त कराने के लिए इसका नाम बदलकर -पुदुचेरी' रखा जा रहा है। यह तमिझ तमिझियों तथा तमिझ संस्कृति की विजय है। यह हर्षोल्लास का दिन है।

संप्रग की अध्यक्ष हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी तथा विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और हमारे सुयोग्य तथा प्रगतिशील प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा पुदुचेरी के लोगों को यह सुखद उपहार दिया गया है। मैं तमिलनाडु के लोगों की ओर से इन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे में मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय गृह राज्य मंत्री थिरू रघुपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

इस समय मैं महान विश्व प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा के धनी तमिझ विद्वान डा. कलयगनार करूणानिधी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्ही के नेतृत्व वाले द्रमुक तथा तत्कालीन कांग्रेस दल, जिसका नेतृत्व इस समय श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, ने वर्ष 1980 में सरकार का गठन करने के लिए गठबंधन किया और पहली बार अपनी विधान सभा में 'पांडिचेरी' का नाम बदलकर 'पुदुचेरी' करने का संकल्प पारित किया।

वर्ष 1996 में पुन: जब द्रमुक सरकार थी और थिरन आर.वी. जानकीरमन ने मुख्य मंत्री के रूप में पांडिचेरी विधान सभा में पांडिचेरी का नाम परिवर्तन करके पुदुचेरी रखने वाला संकल्प पारित किया था और उसे केंद्र सरकार को भेजा था इस कार्य को पूरी निष्ठा से करने के लिए मैं पांडिचेरी के लोगों और स्वयं अपनी और तथा द्रमुक के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलयगनार करूणानिधि की ओर से धन्यवाद देता हूं। पीएमके के संस्थापक नेता और सामाजिक न्याय तथा तमिझ और तमिझ संस्कृति हित के अध्यक्ष डा. रामदास 'अय्या' तमिल संरक्षण मंच के अध्यक्ष के रूप में निरंतर तमिझ के गौरव की रक्षा करते रहे हैं तथा उन्होंने सरकारों से पांडिचेरी का नाम परिवर्तन करके पुदुचेरी रखने की अपील की है। उन्होंने ही मुझे पांडिचेरी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और मुझे निदेश दिया है कि मैं पांडिचेरी के नाम को परिवर्तित कराके पुदुचेरी कराने के प्रयास करूं। मैंने उनेक आदेश का पालन किया गत 25 वर्षों से विचाराधीन दस्तावेजों पर मेरे द्वारा अधिकारियों के साथ विचार शुरू किया गया था। इस संबंध में मैं गत दो वर्षों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्री जी से अनेक बार मिल चुका हूं। जहां तक मेरी बात है तो मैं आज के समय संतुष्ट हूं। मैं जनता और अपने प्रियनेता की इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहा हूं। हमारे संस्थापन नेता डा. रामदास अय्या इस उपलब्धि के लिए मार्गदर्शक रहे और मैं उनको इस परिवर्तन के लिए उत्पेरक बनने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा इस परिवर्तन का आशय रखने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए उनका स्वागत करता हूं जोकि लंबे समय से लंबित मांग रही है। इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। इसे समुचित ढंग से तैयार किया गया है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[प्रो. एम. रामदास]

इस विधेयक के माध्यम से, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रूप में नामकरण करने की इच्छा व्यक्त की गई है? भारतीय संविधान में जहां कहीं भी हम पांडिचेरी शब्द पाते है, इसे इसके पश्चात 'पुदुचेरी' में बदल दिया जाएगा। संविधान की प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में प्रभावित शब्द 'पांडिचेरी' को पुदुचेरी में बदल दिया जाएगा, संविधान की चौथी अनुसूची के खण्ड 30 में पांडिचेरी को पुदुचेरी में बदल दिया जाएगा, पांडिचेरी संघ के संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1961 के खंड 2 के उपखण्ड 5 में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हो जाएगा। इसी प्रकार एक वर्ष के अन्दर सभी अधिनियमों में पुदुचेरी जोड़ दिया जाएगा और उपयुक्त कानूनों को लागू करने में कुछ भी बाधा नहीं आएगी, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण किसी भी मामले में अथवा किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई में 'पांडिचेरी' शब्द के आने पर इसे पुदुचेरी में बदल देंगे।

पुनः यह विधेयक इन आठ विशेषताओं के साथ ब्रिटिश लोगों द्वारा दिए गए पांडिचेरी नाम को इतिहास से हटाने का प्रावधान करता हूं। इसके पश्चात, पांडिचेरी का कानूनी रूप से विधिवत अपना नाम होगा। इस विधेयक का मेरे द्वारा समर्थन करने के दो महत्वपूर्ण कारण है।

पहला, हम इतिहास में की गई गलती के लिए सुधारात्मक कदम उठा रहें हैं। यह बताना ठीक होगा वह क्या था।

यह कहा जाता है कि लगभग 12000 वर्ष पूर्व पांडिचेरी अस्तित्व में आया। आज जो तटीय नगर है वह पहले मछुआरों का एक छोटा गांव था। ऐसा इतिहास कार कहतें हैं। प्राचीन काल में, इसे 'वेदपुरम' अथवा 'वेदपुरी' कहा जाता था। महान ऋषि 'अगस्तय' ने इस स्थान पर आ कर इसे गरिमा पूर्ण महत्ता प्रदान की। पांडिचेरी को अगस्तीस्वरम कहा गया था। पांडिचेरी के 12000 वर्षों के इस इतिहास को हम चार भागों में बांट सकतें हैं। पहला भाग प्राचीन काल था, दूसरा राजाओं का युग था, तीसरा औपनिवेशिक युग था और चौथा स्वतंत्रता संग्राम अवधि थी। प्राचीन काल में पांडिचेरी के लोगों का प्राचीन रोमवासियें से व्यापार संबंध थे। इस संबंध में अरियान कुप्पम के निकट अरिकामेडू में पुरातात्विक उत्खननों में कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फिर पांडिचेरी पल्लव वंश चोल साम्राज्य और फिर पाण्डय राजवंश के अन्तर्गत आया। राजाओं के काल का अंत औपनिवेशिक युग से हुआ। पुर्तगालियो, डेनमार्क वासियों, डच लोगों ने फ्रांसिसियों ने और ब्रिटिश लोगों ने पांडिचेरी पर लगातार राज्य किए। फ्रांसिसी शासन ठीक 138 वर्ष, एक माह और पांच दिन तक चला। पांडिचेरी को स्वतंत्रता 1 नवम्बर, 1954 में प्राप्त हुई। इसे वर्ष 1963 में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में भारत संघ में मिला दिया गया।

यूनानी विद्वान पेरिप्लस ने 16वीं ईसवीं में पांडिचेरी का उल्लेख 'पाऊडुके' के रूप में किया था। 200 ए.डी. में एक अन्य यूनानी विद्वान थालमें द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में पांडिचेरी का उल्लेख 'पाऊडुके' अथवा 'पुदुचेरी' के रूप में किया गया है। पुर्तगाली अभिलेखों में, जब वे कोरोमंडल तट पर अपने व्यापारिक घरानों को दर्शातें हैं तो वे 'पुदुचेरी) को 'पुदुशायरा' बतातें हैं

रोमन उल्लेखों में पाऊडुके और पुर्तगाली अभिलेखों में पुदुशायरा इसके प्राचीन नाम पुदुचेरी के समान है।

प्राचीन तमिल वासियों ने 'चेरी' नामक स्थान का उल्लेख किया है जहां एक ही प्रजाति के लोग एक साथ रहते थे। जिस स्थान पर 'पल्लार' रहते थे उसे 'पत्चेरी' कहा गया। जहां 'अय्यर' (गड़ेरिए) रहते थे वह स्थान 'अय्याचेरी' कहलाया। वह स्थान जहां ब्राह्मण रहते थे वह 'परपन्ना चेरी' कहलाया।

इसी प्रकार, ऐसे मछुआरे जो इस जगह मछली पकड़ने और वस्तुओं के निर्यात और आयात का काम करते थे, उन्होंने 'पुदुचेरी' नामक एक नया 'चेरी' बनाया क्योंकि 'पुदु' का तमिल में अर्थ है 'नया'। तमिल इतिहासकार आर थिरूमुरूगन यही कहते हैं। एक विशेषण के रूप में पुदु से तमिलनाडु में पुदुपट्टिनम, पुदुकोट्टई, पुदुपेट्टई, पुडाकारम, पुडुर जैसे स्थानों के नाम हुए।

सायं 6.13 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

डेनमार्क वासियों ने पांडिचेरी को 'पोलोशराय' कहा, डचवासियों ने 'पोलेचेरी' कहा, फ्रांसिसियों ने इसे (पुदायशायरा', फिर 'पुडिशायरी' कहा और फिर 'पाऊडिचेरी' कहा। यह 'पाऊडिचेरी' ही है जो बाद में पांडिचेरी बन गया। ब्रिटिश शासकों के काल में पांडिचेरी नाम अस्तित्व में आया।

'पुदुवई' नाम का उल्लेख तमिल साहित्य में भी मिलता है। कोयम्बटूर को 'कोवई' कहा जाता है। इसीप्रकार 'तिरुनेलवेल्ली' को 'नेल्लई' कहा जाता है। तंजावुर को 'तंजई' कहा जाता है। इसी प्रकार, 'पुदुचेरी' का उल्लेख 'पुदुवई' के रूप में किया जा रहा था। 'कम्बार' के काल

के दौरान उसे सदयप्पा वल्लाल द्वारा संरक्षण दिया गया था। हितैषी सदयप्पा के पिता का तटीय नगर 'पुदुचेरी' में अपना कारोबार था। उसके पास नौवहण कारोबार था, इसीलिए 'कम्बर' ने अपने कम्ब रामायण में अपने हितैषी का उल्लेख 'पुदुवई सद्यान', 'पुदुवईकोडियान', 'पुदुवई त्रिकर्त्तन' के रूप में किया है।

पेरून्थोकई में, पुदुचेरी का उल्लेख 'थारू उयारन्थायडू पुदुवई अम्पाति के रूप में उल्लेख किया गया है।

पुदुवई का गौखत्थान करने वाले आनन्द रंगार ने अपने प्रसिद्ध सामाजिक इतिहास डायरी में कई स्थानों पर पुदुचेरी का उल्लेख पुदुवई के रूप में किया है।

इस विधेयक का समर्थन करने का दूसरा कारण इस विधेयक द्वारा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने का उद्देश्य रखना है। कई तमिल विद्वान लंबे समय से यह अनुरोध करते रहे हैं। पांडिचेरी विधान सभा जोकि पांडिचेरी के लोगों की प्रतिनिधि सभा है, ने इस संबंध में एक बार नहीं बल्कि तीन-बार संकल्प पारित किया है। 26 वर्षों के बाद, अब हम पाते हैं कि आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। जब केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार आई तो पांडिचेरी के लोगों की आकांक्षाएं साकार हुई। यह इस बात को साबित करता है कि यह एक लोकप्रिय सरकार है जो अपने कार्यों से लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है और यह शासन लोगों के लिए है।

पुदुचेरी फ्रांसिसी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और बौद्धिक लोगों का प्रिय स्थान है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरविन्दों यही पर रहकर विश्व एकता और शांति तथा सामाजिक सौहार्द का संदेश फैलाते रहे। कल ही उनकी प्रतिमा का हमारे संसदीय परिसर में अनावरण किया गया था। प्रतिमा के अनावरण के पश्चात ठीक अगले ही दिन पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी करना उचित श्रद्धांजलि है। महाकवि सुब्रमणियम भारती जैसे प्रतिष्टित स्वतंत्रता सेनानी का इसी धरती पर निवास था जहां से ब्रिटिश शासन के विरूद्ध विद्रोह की रणनीतियां उपजी। क्रांतिकारी कवि भारती दसन यही पैदा हुए थे और उन्होंने यहीं रह कर इसी धरती पर अपनी कविताएं लिखीं। इन महान लोगों की आत्माएं इसके प्राचीन गौरव को वापस लाने हेतु इसका नाम पुदुचेरी के रूप में करने के हमारे कदम को देखकर प्रसन्न होंगी।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ कतिपय मुद्दों को रखता हूं।

(एक) सरकारी एवं अन्य अभिलेखों में अंकित नाम को बदलने के लिए एक वर्ष की अवधि के बजाय छह माह की अवधि पर्याप्त होगी।

(दो) पांडिचेरी में कई केन्द्रीय संस्थान एवं उपक्रम कार्यरत हैं। उदाहरणार्थ, पांडिचेरी रेलवे स्टेशन आकाशवाणी के पांडिचेरी केन्द्र का नाम अवश्य बदल कर पुदुचेरी किया जाए।

(तीन) पुदुचेरी में पुदुवई और करिक्काल दोनों में तमिल को राज भाषा बनाई जाए।

(चार) तमिल को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए जैसाकि तमिलनाडु में है।

(पांच) जिन्होने तमिल का अध्ययन और इस भाषा को सीखा है, उन्हें रोजगार अवसरों और रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

(छह) पुदुचेरी का चतुर्मुखी विकास करने हेतु पुदुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। केन्द्र को भी पुदुचेरी को बी-2का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र के जनजातिय लोगों को उचित मान्यता देने का कार्य केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(सात) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले करिक्काल को पिछड़ा जिला घोषित किया जाए और उक्त पिछड़े जिले में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु विशेषपैकेज दिया जाना चाहिए।

हार्दिक धन्यवाद और सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री एन.एस.वी. चित्तन** (डिंडीगुल) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पांडिचेरी राज्य में तमिलनाडु के पांडिचेरी और कनाइ क्कल आंध्र प्रदेश के निकट एनम, केरल के निकट माहे और पश्चिम बंगाल के निकट चन्द्रनगर जैसे भग शामिल थे। ये क्षेत्र फ्रांसीसी आधिपत्य में थे, लेकिन बाद में चन्द्रनगर को पश्चिम बंगाल

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

के साथ मिला दिया गया और शेष पाकेट पांडिचेरी राज्य के भाग हैं।

पांडिचेरी राज्य की पृष्ठभूमि समृद्ध और ऐतिहासिक है। काफी पहले इस पर महान चोल राजाओं और पांड्य राजाओं का शासन था, जो अपनी बहादुरी, संस्कृति एवं प्रशासन के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल के दौरान तमिलनाडु में अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके बाद कल्लापिरन आए। उनके बाद पल्लव आए और तदनन्तर यह डच आधिपत्य के अंतर्गत आ गया, जिसके बाद फ्रांसीसी आए।

1954 में इसे फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त कराया गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू इसे फ्रांसीसी संस्कृति का झरोखा कहा करते थे आज भी 10,000 से अधिक फ्रांसीसी लोग यहां रहते हैं। फ्रांसीसी सरकार के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं।

यह सोचा जा सकता है कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी किए जाने का कोई महत्व अथवा सार्थकता नहीं है। मैं कुछ उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई किया गया है। इसी प्रकार, कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है। मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। विश्व स्तर पर भी पीकिंग का नाम बदलकर बीजिंग कर दिया गया है; बर्मा अब म्यान्मार हो गया है। केवल शहर अथवा देश की परम्परा और विरासत को कायम रखने के लिए उपरोल्लिखित नाम बदले गए हैं। अत:, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी करने के पर्याप्त कारण एवं औचित्य हैं। आज भी 'पांडिचेरी' को लोकप्रिय रूप से 'पुदुवई' के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ पांडिचेरी है।

महोदय, मैं गर्व के साथ हमारे महान राष्ट्रीय तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती का स्मरण करता हूं जिन्होंने अपने देश भक्तिपूर्ण एवं भावनात्मक गीतों द्वारा ब्रिटिश शासन के चंगुल से निकलने की लालसा को मन में बिठा लिया था और भागकर फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी क्षेत्र चले गए थे। इसी प्रकार एक अन्य देशभक्त कवि सुब्रमण्यम सिवा ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा अभियोग लगाए जाने पर पांडिचेरी में शरण ली थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध करने वाले महान श्री अरविन्द ने अपना आश्रम पांडिचेरी में शुरू किया। आज भी आश्रम की मौजूदगी की याद न सिर्फ हमारे देशवासी करते हैं, बल्कि इसकी प्रतिष्ठा सार्वभौमिक सांत्वना और शांति पाने के लिए आश्रम आते रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पांडिचेरी राज्य का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा स्थल के रूप में किया जाता था।

महोदय, पांडिचेरी एक छोटा एवं सुंदर राज्य है जो अपनी विलक्षणता, महानता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस नन्हे राज्य के प्रति भारत सरकार का रूख अच्छा है और राज्य में अनेक संस्थाए आरम्भ हुई हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रैजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि 'जिपमेर' के नाम से विख्यात है, मानवता की काफी सेवा कर रही है।

अगर मैं सही हूं तो, जब श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब पांडिचेरी को तमिलनाडु के साथ मिलाने का प्रस्ताव था। पांडिचेरी की जनता इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। 1980 में भी पांडिचेरी विधान सभा ने पुनर्नामकरण के लिए एक संकल्प पारित किया और वर्ष 1997 में विधान सभा द्वारा इसी प्रकार का संकल्प पुन: पारित किया गया। मुझे खुशी है कि राज्य सभा ने विधेयक पारित कर दिया है। इस ऐतिहासिक दिन को यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के सक्षम मार्ग निर्देशन में यह ऐतिहासिक विधेयक लाया गया है। पांडिचेरी का नामकरण पुदुचेरी करने वाले इस विधेयक का समर्थन करके मुझे गर्व और खुशी हो रही है।

**सभापति महोदय** : मेरे पास लंबी सूची है, इसलिए कृपया अपना भाषण दो अथवा तीन मिनट तक सीमित रखिए।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिसिस्ट) की ओर से मैं पांडीचेरी का नाम इसके पुराने गौरव के अनुसार पुदुचेरी में परिवर्तित करने के प्रयोजन से इस सम्माननीय सभा में पेश किए गए इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं उन सभी व्यक्तियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस संबंध में गंभीर एवं ईमानदार प्रयास किए हैं।

भारत में औपनिवेशिक शासन ने कई गौरवशाली विरासत भंडारों को नष्ट किया है। अनेक प्राचीन शहरों और नगरों के नाम विरूपित करते हुए बदले गए हैं।

उदाहरणार्थ, देशभर में ऐसे शहर एवं नगर हैं जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा नामों में परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खो चुके हैं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

अब हमारी प्रवृत्ति यह है कि उन पुराने गौरवशाली नामों को पुन: सामने लाया जाए। मद्रास चेन्नई हो गया है, त्रिवेन्द्रम तिरुअनन्तपुरम हो गया है, कलकत्ता कोलकाता बन गया है, बम्बई मुम्बई बन गया है। औपनिवेशिक छाप के रूप में बने हुए औपनिवेशिक नामों के स्थान पर पुराने नामों को लाने का प्रयास करते हुए केरल ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कई शहरों का नाम परिवर्तित कर प्राचीन नामों को पुन: अपनाया है। मैं केरल के लोगों की भावना की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने क्वेलान का नाम बदलकर कोल्लम तथा कालीकट का नाम बदलकर कोझिकोडे कर दिया है। इस तरह उन्होंने अपने राज्य में अनेक शहरों के नाम बदले है।

अभी भी हमें औपनिवेशिक छाप देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, हम स्वतंत्र भारत में पांडिचेरी (औपनिवेशिक शासकों द्वारा दिया गया नाम) का नाम बदलकर पुदुचेरी करना चाहते हैं। पुदुचेरी अब अपने प्राचीन गौरव को पुन: प्राप्त कर सकता है। जहां तक पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, यहां कई प्रशंसनीय चीजें हैं। लेकिन मैं उनमें से सिर्फ दो का उल्लेख करना चाहूंगा।

मेरी राय में भारत के किसी भी राज्य का वैसा रिकार्ड किया हुआ सामाजिक इतिहास नहीं है जैसा कि आनन्दरंगम पिल्लई डायरी के रूप में पांडिचेरी का पाया जाता है। प्रभावशाली और विद्वान आनन्दरंगम पिल्लई फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासकों के यहां 'दुभाषिया' था वह दुभाषिया और लेखाकार दोनों था। उसने तत्कालीन पुदुचेरी के सामाजिक जीवन का बड़ा ही सक्षम चित्रण किया है।

दूसरे, मैं दोहरी नागरिकता का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे हाल में प्रदान किया गया है जिसके बारे में हम पिछले दो-तीन वर्षों से विचार-विमर्श कर रहे थे। पांडिचेरी में दोहरी नागरिकता तथा दोनों देशों की संसदों के लिए मतदान का अधिकार फ्रांस के अनेक पूर्ववर्ती नागरिकों के पास है जो अभी भी वहां रह रहे हैं। यह दोहरी नागरिकता पांडिचेरी/पुदुचेरी में विगत 40 वर्षों अथवा उससे अधिक समय से है।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विलय भारतीय संघ में 1962 में ही किया जा सका। इस प्रकार पूर्ववर्ती फ्रांसीसी उपनिवेश प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के लाभों से वंचित रह गया। अब उस राज्य क्षेत्र के लोग इस नाम परिवर्तन के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा भी पाना चाहते हैं। अत:, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को ध्यान में रखेंगें।

चूंकि उन्हें प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सका और चूंकि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, अत: केंद्र सरकार को इसे विशेष राज्य का दर्जा तत्काल प्रदान करना चाहिए और अगले पांच वर्षों तक पर्याप्त निधियां आवंटित करनी चाहिए ताकि उस राज्य क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मैं केंद्र सरकार से इस राज्यक्षेत्र को बी-2 श्रेणी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं जिससे सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों दोनों को लाभ मिलेगा। मैं सी.पी. आई (एम.) की ओर से पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी करने का पुन: स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : सभापति महोदय, पांडिचेरी के नाम परिवर्तनके संबंध में जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई दशक से पांडिचेरी की जनता की आकांक्षा, अभिलाषा की पूर्ति वर्तमान यूपीए सरकार द्वारा की गयी है। यह जो विधेयक लाया गया है, उसमें हर जगह से पांडिचेरी का नाम हटाकर पुदुच्चेरी नाम जोड़ा गया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

***श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्री पेरूम्बुदूर) : महोदय, डी एम के की ओर से मैं संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के नाम में एतिहासिक परिवर्तन लाने सम्बधी विधान का स्वागत करता हूं। जिससे अब से इसे संघ राज्य-क्षेत्र पुदुच्चेरी कहा जायेगा। यह भारत के प्राचीन नगरों में से एक है और मुझसे पहले प्रो. रामदास ने इसकी व्याख्या ठीक से की है। उस निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य होने के नाते, उन्होंने पौराणिक युग से इसके ऐतिहासिक गौरव पर समुचित प्रकाश डाला।

यह कानून भारतीय संघ के एक क्षेत्र, एक राज्य से संबंधित है। किन्तु, दुर्भाग्यवश हमें इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कम

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

समय दिया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि भाजपा जैसी कतिपय पार्टियों के कतिपय सदस्य इस सभा के समक्ष बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दों के रूप में पूर्णत: असंबद्ध मुद्दों को उठाते हैं और इस सभा का समय बर्बाद करते हैं। जब कई घन्टे कई दिनों से लगातार बर्बाद हो रहे हैं, तो यह अनुचित होगा कि हमें इस विधेयक के लिए कम से कम एक घन्टे का समय भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह समय सीमा हम पर क्यों और कैसे लागू की जा रही है? पांडिचेरी को पुदुचेरी में बदलना अहानिकर प्रतीत होता है। किन्तु तमिल भाषायी एवं संस्कृति वाले लोगों के लिए यह क्षण खुशियां मनाने का है जो दीर्घ काल से संजोई गई परम्परा और अब इतिहास का संस्मरण करना चाहेंगे। यह बहुत ही दु:खद है कि हमें इसे आरम्भ करने के साथ अपनी बात समाप्त करनी होगी।

**सभापति महोदय** : कृपया पीठ के साथ सहयोग करें, कृपया एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : हम अपने स्थान की महानता के बारे में अन्य लोगों के सामने इसे रिकार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसका उल्लेख गर्व पूर्वक अपनी मातृभाषा तमिल में करना चाहते हैं किन्तु, दुर्भाग्यवश यहां समय का प्रतिबन्ध है। मैं इस ओर संकेत करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के सदस्य विचार-विमर्श में कम समय लेते हैं। हम मौखिक झगड़ो और मुकाबलों का आश्रय नहीं लेते हैं। हम बहस करने के लिए नहीं लड़ते हैं अपितु अपने तर्क पेश करते हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया आप मुद्दे पर आए।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : मैंने कहा था कि उत्तर भारत के सदस्य होहल्ला करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं किन्तु हम उनकी तरह नहीं कर रहे है...*(व्यवधान)*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ) : सभापति महोदय, उन्होंने भाजपा का नाम लिया है। वह भाजपा का नाम कैसे ले सकते हैं?... *(व्यवधान)*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : ये पार्टियां कोई भी हो सकती हैं, वे बहुत समय लेती हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कुछ भी कार्य वृतांत में सम्मिलित न किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : डा. कृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइये।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री कृष्णास्वामी, आप कृपया अपने भाषण को जारी रखें।

*(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण सभा हमारे पुदुचेरी के भाइयों के साथ है। हम इसका समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर पूरे सदन में कोई विरोध नहीं है। इसलिए, वाद-विवाद दलगत भावना से ऊपर होना चाहिए; हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम भी बंगलौर का पुनर्नाम बंगालुरू चाहते हैं जैसे मद्रास का पुन: नामकरण चैन्नें और बाम्बे का मुम्बई किया गया है। इसलिए, पांडिचेरी का पुन: नामकरण पुदुचेरी के रूप में किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

इसलिए, हम आपके साथ है।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : धन्यवाद, महोदय।

**सभापति महोदय** : श्री कृष्णास्वामी, कृपया अब अपने मुद्दे पर आइये और शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : जी हां, भाजपा के सदस्य अक्सर सभा के बीचों-बीच आ जाते हैं और कई बार कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हैं जिसमें सभा का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : श्री कृष्णास्वामी, आप कृपया अपनी बात जारी रखें और अपनी बात भी पूरी करें क्योंकि इसमें भी दो तीन मिनट लगेंगे।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : हमारा अध्यक्ष पीठ से अनुरोध है कि हमें अपनी बात कहने का अवसर दें। जहां तक नाम बदलकर पुदुच्चेरी करने का संबंध है, यह 1980 में आरम्भ हुए प्रयासों का फल है जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने डीएम के हमारे नेता, डा. कलाईगर करूणानिधि जो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ संधि की थी। विधान सभा में समय पारित संकल्प को अब विधेयक का रूप दे दिया गया है जो एक ऐतिहासिक विधान है। यह एक एतिहासिक दिन है क्योंकि हम बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद संप्रग सरकार की अध्यक्षा, सुश्री सोनिया गांधी के निर्देशन में अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। मैं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान करने और ऐतिहासिक नाम को अपनाने की बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक महत्व की बात है क्योंकि सुब्रमणिया भारती और भारती दासन जैसे महान कवि वहां रहते थे। मैं इस विधेयक का हार्दिक रूप से स्वागत और समर्थन करता हूं और इस ऐतिहासिक कदम के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी) : माननीय सभापति महोदय, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की ओर से इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

पुदुचेरी सदियों से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर रहा है और मुझसे पहले बोलने वाले मेरे आदरणीय मित्रों द्वारा सही वर्णन किया गया है।

"आडुवोम पल्लुपाडुवोम
आनंद सुतांतिरम
अदैंतु विट्टोमें"

(आइए हम अपनी स्वतंत्रता का नाचकर और गाकर आनंद मनाएं)

ऐसा ही हमारे महान राष्ट्रीय कवि, महाकवि सुब्रहमण्यम भारती ने स्वंतत्रा से लंबे समय पूर्व गाया था। अपनी स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वासित किए जाने के बाद वह कवि पांडिचेरी में रहते थे।

पूरे भारत में न्यूनतम मजदूरी और कार्य के अधिकतम समय के तौर पर आठ घंटे के समय पर जोर देने वाला कोई कवि है तो वह सिर्फ महान क्रांतिकारी कवि भारतीय दासन हैं। अग्रणी संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर पांडिचेरी ने ही इसे सब से पहली बार देश में लागू किया था।

हमारे कामरेड सुब्बैया को पांडिचेरी के नेहरू के रूप में जाना जाता था और उन्होंने फ्रांस की संसदीय कार्यवाही में प्रभावी रूप से भाग लिया था। पांडिचेरी की जनता के बीच ऐसी ऐतिहासिक गौरवपूर्ण विरासत है।

पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी रखने की लंबे समय से लंबित मांग को इस समय स्वीकार किया जा रहा है। मुझे गौरवपूर्ण दिनों की याद आती है जब हमारे कामरेड सुब्बैया इस संघ राज्य क्षेत्र में गर्व से चला करते थे और उन्हें प्यार से पुडुचेरी का प्रधान मंत्री कहा जाता था।

अब, कम्युनिष्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त केंद्र सरकार ने पांडिचेरी की जनता की भावनाओं को समझकर पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी रखने की उनकी मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। मैं संप्रग सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं जो पहले ही हमारी प्राचीन भाषा तमिल को पुरा भाषा का दर्जा प्रदान कर चुका है।

केंद्र सरकार को इस संघराज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करके ही नहीं रह जाना होगा, बल्कि इसे पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान करने के लिए भी आगे आना होगा। केवल तभी हम वास्तव में यहां की जनता की भावनाओं का इस संघराज्य क्षेत्र को भारत के भाग के रूप में जोड़ते समय औपनिवेशिक शासकों के साथ की गई संधि का सम्मान करेंगे। मैं माननीय गृहराज्य मंत्री के माध्यम से केंद्रीय गृहमंत्रालय से आग्रह करता हूं कि पुडुचेरी की जनता को स्वयं अपने राज्य के अधिकार प्रदान करें। पुडुचेरी का सृजन करने वाले इस क़ानून का स्वागत और समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*श्री चिन्नी एन. रामचन्द्रन (चन्डावासी) : माननीय सभापति महोदय, इस महान सभा में विधेयक के माध्यम से पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके प्राचीन नाम पुद्दुचेरी रखने के शुभ अवसर पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

लगभग 53 वर्षों के बाद, नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। यह काफी समय से लंबित मांग है जो आज पूरी हो रही है। वर्ष 1980 में, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा में इस संबंध में एक विधान सभा संकल्प पारित किया गया था। हम पुद्दुचेरी को इसका मूल नाम वापस देकर पुन: इतिहास लिख रहे हैं। वहां रह रही तमिल जनता का इस कदम के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। मैं अपने दल मारूमलर्ची द्रविड़ मुनेज कड़गम तथा अपने महासचिव क्रांतिकारी वाइको और पांडिचेरी की जनता की ओर से संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

पुद्दुचेरी तमिल गृह राज्य का भाग हुआ करता था अनेक आक्रमणों और औपनिवेशिक कब्जों के कारण यह एक अलग क्षेत्र बना रहा और यह अब तक ऐसा ही बना हुआ है। अपने दमन कार्यों में लगे रहने वाले औपनिवेशिक शासकों के षडयंत्रों के कारण हमारा प्राचीन गौरव खो गया था। विभिन्न मूल के औपनिवेशिक शासकों के बाद पुद्दुचेरी का नाम पांडिचेरी रखने में कई वर्ष लगे। इस स्वतंत्र भारत में इस समय पांडिचेरी जिसका भाग है, यहां भी इसके नाम में परिवर्तन करके पुन: पुदुचेरी रखने में कई वर्षों का समय लगा तथापि, हमने अब यह कार्य कर दिया है। इसे "पांडि" भी कहा जाता है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो बीज हैं वो पुदुचेरी की भूमि से प्राप्त हुए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इसी भूमि पर महसूस किया गया था। हमारे एक महान स्वतंत्रता आंदोलन कालीन कवि महाकवि सुब्रहमण्यम भारती और क्रांतिकारी कवि भारती दासन वहां रहते थे। सुब्रहमण्यम भारती ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तत्कालीन फ्रांसीसी क्षेत्र में छिपकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की रणनीतियां बनाईं। इस विधेयक को स्वीकार करके पांडिचेरी को पुन: प्राचीन तमिल नाम दिया जा रहा है। तमिल को पुरातन भाषा के रूप में घोषणा करने के प्रशंसनीय कदम के बाद, इस संप्रग सरकार ने पांडिचेरी को पुन: इसका प्राचीन तमिल नाम पुद्दुचेरी नाम देकर एक बार फिर प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*[हिन्दी]*

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारा देश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से विख्यात है। हमारी परम्परा सदियों पुरानी है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद हम बहुत से ऐसे परिवर्तन नहीं कर पाए, जो आज धीरे-धीरे कर रहे हैं। उसी विरासत के तहत हम पांडिचेरी का नाम परिवर्तन कर रहे हैं। आदि-शंकराचार्य हों या जैसे अभी सुब्रहमण्यम भारती जी की बात कही गई, उन्होंने देश को एक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

मेरे मित्रों ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। कई और शहरों के नाम भी ऐसे हैं, जिन्हें दूसरे नाम में परिवर्तित किए जाने की जरूरत है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस काम को जल्दी किया जाएगा।

पुडुचेरी शब्द का अपना अलग महत्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार एक बार तय कर ले, क्योंकि हम टुकड़ों में शहरों के नाम बदल रहे हैं, जैसे मुम्बई किया, अब पांडिचेरी का बदल रहे हैं, बैंगलोर का भी बदलना है, इसलिए ऐसे जो भी नाम हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर हैं, उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करें और अपनी पहचान बनाने का काम करें।

मैं तमिलनाडु के मित्रों से कहना चाहूंगा कि यहां कोई विवाद का विषय नहीं है। लोक सभा में जो कुछ होता है, वह सौहार्द से होता है। हमें लगता है कि हमारे तमिल मित्र अपनी विधान सभा में, जिन को प्रदर्शित करते हैं, वहां जो प्रेम भाव प्रकट करते हैं, उसकी यहां उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इस सदन का अपना महत्व है। जिस प्रकार हम इसका संचालन करते हैं, उसका अपना एक नजरिया है, अपना एक तरीका है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं इस विश्वास के साथ कि जो दो-चार और ऐसे नाम हैं, उनका नाम भी शीघ्र परिवर्तित किया जाएगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, पांडिचेरी, का नाम पुडुचेरी करने का जो विधेयक माननीय रघुपति जी लाए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। इसकी सन् 1980 में मांग हुई थी और वर्ष 1996 में असेम्बली में इसका प्रस्ताव पास हुआ था। जो नाम बदला गया है उसका हम अभिनंदन करते हैं। एनडीए के कार्यकाल में यह

हो जाता तो अच्छा होता, अभी आपकी सरकार ने किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए केन्द्र सरकार को उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए और ज्यादा पैसा देना चाहिए। तमिल भाइयों की खुशी में हम भी शामिल हैं। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर का नाम देने के लिए हमने 16 साल तक आंदोलन किया था। जब पवार साहब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नाम दिया था लेकिन आपको बिना आंदोलन के यह नाम मिला है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : माननीय सभापति जी, सदन में पांडिचेरी का नाम बदलकर जो पुडुचेरी रखा जा रहा है, मैं अपने दल की ओर से उसका समर्थन और हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

*[अनुवाद]*

***श्री एस. रघुपति** : माननीय सभापति महोदय, हम सभी को इस ऐतिहासिक विधेयक को पुर:स्थापित तथा पारित करते हुए गर्व हो रहा है, जिसमें पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही महान आंदोलनकारी कवि भारती दसन जैसे शूरवीर तथा सुयोग्य व्यक्ति की भूमि का नाम बदल जाएगा। भारती दसन ने गाया था,

"संबोधय तमिष पडितु सहावुनदय–एन
संबालुप तमिष मननधू वेगा वेनदुय।"

(मेरे आखिरी सांस तक मुझे तमिष सीखने दीजिए–तथा
मेरी अस्थियों को तमिष का उत्ताप लेने दीजिए)

इससे चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने 'पांडिचेरी' का नाम बदलकर 'पुडुचेरी' रखने के लिए इस विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु सरकार के कदम का स्वागत किया है।

प्रो. रामदास ने बताया कि पांडिचेरी में प्रथम विधान सभा संकल्प 1980 में पारित किया गया था जब पांडिचेरी में डी एम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार थी। 26 वर्ष बाद अब इस सम्मानीय सभा में इस कानून के रूप में उसे मूर्त रूप दिया गया है। हम सभी को इस पर गर्व है तथा हमारे महान नेता, डी.एम.के. के अध्यक्ष तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईनार करुणानिधि के प्रति समुचित सम्मान है जिन्हें कि विश्वभर में एक महान तमिल विधान के रूप में जाना जाता है, जिन्हें 75 वर्षों से अधिक समय तक तमिल के प्रति योगदान के लिए शीघ्र ही 'थोलकाप्पीआर' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रखने के इस यूपीए सरकार के कदम का हार्दिक स्वागत किया है। पांडिचेरी के लोगों, जिन्हें अब पुडुचेरी के लोगों के नाम से जाना जाएगा, की आकांक्षाए अब पूरी हुई हैं तथा इस सम्मानीय सभा लोक सभा द्वारा उनकी भावनाओं के साथ सही तरीके से जोड़ा जा रहा है तथा उनका सम्मान किया जा रहा है।

शुरू से पुडुचेरी कहे जाने के बाद यह नाम पांडिचेरी आया था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान इसका नाम बदला गया था। यह सब भाषा तथा उच्चारण क्षमता से निकले निष्कर्ष के कारण था।

औपनिवेशिक शासन के दौरान जो नाम पुडुचेरी पांडिचेरी नाम में खो गया था, उसे हमारे स्वतंत्र देश के भाग स्वरूप आज फिर से बहाल कर दिया गया है।

पुडुचेरी को और विकसित करने के सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हुए मैं इस सम्माननीय सभा से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 10 विधेयक के अंग बनें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**श्री एस. रघुपति** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**सायं 6.51 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के किसानों में व्याप्त भारी निराशा

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब हम 17 अगस्त, 2006 को श्री मोहन सिंह द्वारा उठाए गए विषय देश में किसानों में व्याप्त व्यापक असंतोष संबंधी मद सं. 18 के बारे में आगे चर्चा करेंगे।

इस चर्चा में भाग लेने वाले 45 से अधिक सदस्य हैं। अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें तथा जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना भाषण सभा पटल पर रख दें।

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों की दुर्दशा पर बहुत देरी से ध्यान दिया गया है। वस्तुत:, हमने चर्चा एक सप्ताह पहले शुरू की थी लेकिन विभिन्न राजनीतिक मुद्दों जैसे भारत-अमरीका परमाणु संधि तथा पाठक प्राधिकरण रिपोर्ट को वरीयता मिल गई जो पीड़ित लाखों भारतीय किसानों को नहीं मिली। इसलिए, महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि वक्ताओं की संख्या ज्यादा है तो उन्हें चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

यह भी काफी संतुष्टि का विषय है कि श्री शरद पवार, जो किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कृषि मंत्री हैं, तथा वे चर्चा का उत्तर देंगे। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि गत दस वर्षों, विशेषकर वर्ष 1993 से 2003 तक देश में, 1,80,248 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। तथा यह संख्या वर्ष 2003 से 2006 तक बढ़ रही हैं तथा जैसे कि चर्चा चल रही हैं, आत्महत्याओं की संख्या भी बढ़ रही है।

यह देश के सक्षम आ रही बहुत ही गंभीर कृषि संकट की एक निशानी मात्र है। यह कृषि संकट किसानों की समस्याओं का समाधान करने की गलत राजनीतिक नीतियों, गलत दृष्टिकोण तथा समग्र दृष्टिकोण की कमी के कारण है। माननीय मंत्री अक्सर इस कृषि संकट के मुख्य कारण बताते रहे हैं। उनके अनुसार किसानों की समस्याओं के मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे वे अत्याधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं, फसल खराब हो जाये, मानसून की अनिश्चितता, सावधिक ऋण की अनुपलब्धता, निजी साहूकारों से ली जा रही ब्याज की ऊंची दरें, शादी, बीमारी, शिक्षा सकल फसल के लिए ऋण का उपयोग, कृषि के सिवाय कोई और पूरक आय न होना तथा भूमि जोतों पर बहुत अधिक दबाव होना।

हाल ही में प्रधानमंत्री ने विदर्भ का दौरा किया था तथा विदर्भ पैकेज की घोषणा की थी। मैं अभी अभी विदर्भ पैकेज के ब्यौरे का अध्ययन कर रहा था। श्री शरद पवार भी इस मुद्दे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला, अमरावती, यवतमाल जिलों में गत दस वर्षों में 1069 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसलिए भारत सरकार ने महाराष्ट्र के 6 जिलों, कर्नाटक के 6 जिलों, आंध्र प्रदेश के 16 जिलों, केरल के 3 जिलों, कुल मिलाकर 31 जिलों को सरकार ने लिया जिनमें वर्ष 2001 से 8000 किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं तथा उन्होंने विदर्भ पैकेज ही दिया है। यह विरोधाभास ही है।

दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की है कि यह वर्ष कृषक वर्ष के रूप में मनाया जाए। इसी वर्ष में - 'कृषक वर्ष' में आत्महत्याओं के अधिकांश मामले हमारे सामने आ रहे है। हम धन्यवाद नहीं दे सकते, हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, हम मौतों तथा आत्महत्याओं के बारे में कुछ भी अच्छी बात नहीं कह सकते हैं।

मैं स्वतंत्रता से पूर्व की बात कहना चाहता हूं। किसान नेताओं ने श्री शरद पवार से मुलाकात की थी तथा उन्होंने उल्लेख किया था कि

"यदि सरकार ने अविभाजित पंजाब के कृषि मंत्री सर छोटू राम का सूत्र लागू किया होता कि किसानों को मूलधन से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा तो हजारों जाने बच जाती...।"

महोदय, सर छोटू राम विख्यात प्रशासक हुए हैं। उन्होंने दो कानून बनाए थे, अर्थात पंजाब ऋणग्रस्तता राहत, अधिनियम, 1934 तथा पंजाब देनदार संरक्षण अधिनियम, 1936, जिनसे यह सिद्धांत निकलकर आया कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री इस बात पर ध्यान दे तथा इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

**सायं 6.58 बजे**

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*]

राष्ट्रीय कृषक आयोग में अध्यक्ष डा. एम. एल. स्वामीनाथन ने भी केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय फसल तथा खेत ऋण पर ब्याज दर घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गई थी। अब, यह घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है, तथा मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हैं कि कर्नाटक राज्य में, हमारे उप-मुख्यमंत्री श्री एस. येदीयुरूपा जो वित्त मंत्री भी हैं, ने ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी है। डा. स्वामीनाथन की सिफारिश भी ब्याज दर को घटाकर चार प्रतिशत करना था।

**सायं 7.00 बजे**

महोदय, मैं आपके ही भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं। आपने यह भी कहा कि भारत सरकार चाहती है कि ब्याज दर घटाकर चार प्रतिशत कर दी जाए तथा आप उसी राह पर है। यह जल्दी ही होना चाहिए।

जैसा कि आप जानते है कि हमारे वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के अनुसार किसानों को वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से 10 करोड़ किसान परिवारों में से केवल चार करोड़ किसान परिवारों की पहुंच संस्थागत वित्त तक है। तो शेष छह करोड़ किसान परिवारों का क्या होगा? उन्हें उसी साहूकार प्रणाली में जाना पड़ेगा जहां उसे 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। यदि मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल नहीं हो पाती है, तो उन्हे पर्याप्त आय नहीं होगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बन्धित बहुत बड़ी समस्या है, जिसे माननीय कृषि मंत्री भी जानते हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं वह अपर्याप्त है। यदि यह मूल्य पर्याप्त भी है, तो विपणन सुविधा का अभाव है। इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं है तथा उत्पादों को खरीदने के लिए सरकार को बाजार सुविधा भी देनी होगी। इसे उत्पादों को खरीदना होगा, चाहे वह गेहूं हो, धान या अन्य कोई उत्पाद हों। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, किसान इस दुष्चक्र में फंसे हुए हैं तथा आत्महत्याएं कर रहे हैं।

मैं यह आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन विदर्भ पैकेज की भी आलोचना हुई है। "प्रधानमंत्री की खैरात से विदर्भ के किसान निराश: फ्री-प्रेस जनरल, मुम्बई"। पत्र कहता है," यद्यपि बड़ी छानबीन से स्पष्ट होता है कि धनराशि का अधिकांश भाग सामान्य बजटीय प्रावधान है। कृषि के लिए 2,177 करोड़ रुपये का आबंटन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित आबंटन है जो ऐसे भी इस क्षेत्र को मिल जाता। इसके अलावा, आबंटन राज्य सरकार को ऋण तथा राजसहायता का योग है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऋण की धनराशि कितनी होगी लेकिन आबंटन से महाराष्ट्र के सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। मामला यह है।

इसलिए, महोदय, एक ही उपाय है, जिसका मैं निरन्तर इस सम्माननीय सभा में प्रस्ताव कर रहा हूं, कि केन्द्र सरकार कृषि बजट की व्यवस्था करे। जैसा अलग से रेल बजट होता है, भारत सरकार की कृषि बजट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सिंचाई एक मुख्य घटक है। लेकिन सिंचाई के लिए क्या हो रहा है? चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था।

*[हिन्दी]*

"क्योंकि इरिगेशन के लिए बजट का जो टोटल अमाउन्ट जाता है, वह धनराशि केवल 0.35 प्रतिशत है। यह आधा प्रतिशत भी नहीं है। यह अच्छा नहीं है। सूखा पड़ने के बाद पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और सूखा रोकने के लिए इरिगेशन की आवश्यकता हुई, इसलिएं भारत सरकार को इस पर ज्यादा ब्याज देने की आवश्यकता है।"

*[अनुवाद]*

इसका अर्थ है माननीय कृषि मंत्री से सर्वप्रथम सहमत है कि जो भी सकल ऋण है, वह केवल 40 प्रतिशत किसानों के लिए ही है तथा जो छोटे एवं सीमान्त किसान है जो कुल किसानों का 60 प्रतिशत हैं, उन्हें यह ऋण सुविधा नहीं मिलती है। सिंचाई पर केवल 0.35 प्रतिशत खर्च हो रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके दल से 20 वक्ताओं को और बोलना है कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : सर, आप चिंता न करें, आधे मैम्बर्स भी नहीं बोलेंगे, केवल पांच सात मैम्बर्स ही बोलेंगे। इन्हें पांच मिनट और बोलने दीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : एन डी ए शासन के दौरान हमने नदियों को परस्पर जोड़ने की बड़ी योजना शुरू की थी। हम सभी जानते हैं कि मेरे प्रिय साथी श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कार्य बल की नियुक्ति की गई थी। इस परियोजना को दो चरणों हिमालयी संपर्कों तथा प्रायद्वीपीय संपर्कों में क्रियान्वित किया जाना था तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी को जोड़ने के लिए तीस संपर्क प्रदान किए जाने थे। मैं इस सम्मानीय सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान;* मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, महोदय। महोदय मैं जानता हूं कि इस सम्मानीय सभा में किसानों के मुद्दों पर न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट तथा भारत-अमरीका परमाणु समझौते को वरीयता दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि किसानों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1960 और 1970 में अमरीका के कैलिफोर्निया में टेनेसी वैली अथारिटी का गठन किया गया था। उस टेनेसी वैली अथारिटी के कारण कैलिफोर्निया विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था बन गई क्योंकि इसने सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की। इस तथ्य को सभी जानते हैं। चीन ने भी यही रास्ता अपनाया, जब उसने यांग्टजे नदी घाटी परियोजना शुरू की। वहां यांग्टजे पदी पर थ्री गोरजेज डैम नामक एक विशाल बांध है। अकेला यह बांध ही 34,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है।

मैं इस समय नदियों को जोड़ने का हवाला क्यों दे रहा हूं क्योंकि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार डा. विश्वेश्वरैया, डा. अंबेडकर स्वर्गीय राजीव गांधी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा. के. एल. राव की संकल्पना के अनुसार यह परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे देश में लगभग नौ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो पाएगी तथा 35,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो पाएगा। वह विद्युत स्वच्छ सस्ती तथा पर्यावरण अनुकूल होगी।

यदि यू पी ए सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति गंभीर है तो वह दो दृष्टिकोण अपना सकती है। पहला उपचारात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें आप ऋण प्रदान करते हैं, ऋण माफ करते हैं, विदर्भ जैसे पैकेज प्रदान करते हैं, नाबार्ड से कोआपरेटिव्ह बैंकिंग के चार चरणों को घटाकर गांवों में प्राइमरी बैंकों पर लाना तथा ऋणों पर ब्याज दरों में वृद्धि करना। यह सात प्रतिशत से शुरू होता है तथा 12 प्रतिशत तक जाता है। यह सभी उपचारात्मक दृष्टिकोण के घटक हैं तथा इनकी आवश्यकता है। इसे किया जाना है। साथ ही साथ लंबी अवधि का उपचारात्मक उपाय क्या है? सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना विद्युत प्रदान करना बाजार प्रदान करना वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, लंबी अवधि के उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं।

मैं इस सभा में माननीय कृषि मंत्री के भाषणों का विशेष हवाला देना नहीं चाहता हूं। हालांकि वह किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते है, परन्तु ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि गेंहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बोनस हेतु माननीय वित्त मंत्री महोदय को मनाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि यू पी ए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसान और आम आदमी उनकी प्राथमिकता हैं। जब किसान और आम आदमी ही यू पी ए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्राथमिकता हैं तो पूरी सरकार को ही इसका ध्यान रखना चाहिए।

इसलिए मैं, किसानों की आत्महत्या के संबंध में कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव करना चाहिए तथा विदर्भ पैकेज की तरह सैद्धांतिक पैकेज न लाकर राष्ट्रीय पैकेज बनाना चाहिए।

दूसरे, कृषि फसल तथा फसल ऋण पर संपूर्ण देश में ब्याज दर कर्नाटक के समान घटाकर चार प्रतिशत कर देनी चाहिए।

तीसरे, लाभकारी मूल्य प्रदान करने के बारे में उन्हें एक समग्र नीति बनानी चाहिए।

अंततः, लंबी अवधि के समाधान के रूप में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल की दोनों रिपोर्टों को क्रियान्वित किया जाना है। इसे बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुझे लगता है कि इन कार्यों से पीड़ित किसानों को कुछ सहायता तथा राहत मिलेगी तथा एक नई हरित क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त होगा

तथा देश में किसानों को मदद मिलेगी। मेरा मानना है कि यह केवल सरकार तथा इस सभा की ही जिम्मेदारी नहीं हे बल्कि इसे गंभीरता से लेना और आगे बढ़ाना पूरे देश की भी जिम्मेदारी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास 40 से ज्यादा सदस्यों की सूची है। इसलिए मैं, उन सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि वे चाहें तो अपने-अपने भाषणों को सभा-पटल पर रख सकते हैं, क्योंकि उसे भी कार्यवाही का भाग ही माना जाता है। उनसे संक्षेप में अपने सुझाव देने का भी अनुरोध है ताकि हम इसे आसानी से तथा शीघ्र समाप्त कर सकें।

*[अनुवाद]*

**श्री जय प्रकाश** (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मोहन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लाने का काम किया है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। सदन और सदन के बाहर सब लोग कहते हैं लेकिन मैं आज बहुत ही पीड़ा से कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद एक लम्बे अरसे से किसानों की माली हालत दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इसलिये में 2-4 सुझाव माननीय कृषि मंत्री जी के लिये देना चाहता हूं क्योंकि वह स्वयं किसान नेता हैं और किसानों के दुख-दर्द को समझते हैं।

उपाध्यक्ष जी, जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, तब से किसानों को काफी राहत मिली है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हूं। पिछले दिनों धान का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया। हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, हरियाणा और पंजाब के सभी सासंदों ने कहा कि यह न्यूनतम मूल्य बहुत कम है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कृषि मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि यह मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया जाये क्योंकि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग स्थिति है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा में फाईन और सुपरफाईन दो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी हैं। आईआरए और टीआरए दोनों अलग-अलग किस्में हैं। हमारे देश से सुपरफाइन चावल विदेशों को भारी मात्रा में एक्पोर्ट किया जाता है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि न्यूनतम मूल्य अधिक दिया जाये ताकि किसान लाभान्वित हो सकें। मेरा यह भी कहना है कि यह मूल्य 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथी कह रहे थे कि गेहूं का आयात क्यों किया गया है। मेरा कहना है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जब गेहूं का आयात किया तो उस समय यहां बाजार मूल्य 850 रुपये प्रति क्विंटल था और विदेश से यह 700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से खरीदा गया। यदि उसी वक्त आप किसान को 850 रुपये का भाव दे देते तो हमें विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ता। हमारे साथियों ने कहा कि वह गेहूं भी ठीक नहीं है। उसमें क्वालिटीवाइज और वेराइटीवाइज कमियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गेहूं का एम.एस.पी. बढ़ाएं। इस देश के किसान के मन में खुशी है कि हमें धान का मूल्य कृषि मंत्री जी ने दिया है। जिस समय गेहूं की फसल की बिजाई होती है, उसी वक्त गेहूं का समर्थन मूल्य आप निर्धारित कर दें ताकि किसान फैसला कर ले कि उसे कौन सी फसल बीजनी है। धान के साथ साथ गेहूं के लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आपने भाव 700 रुपये रखा, 650 रुपये भाव और 50 रुपये बोनस रखा, बोनस को भी एम.एस.पी. में शामिल करके 700 रुपये भाव मानकर 150 रुपये बढ़ाकर 850 रुपये का दाम यदि केन्द्र सरकार घोषित कर देगी तो आने वाले समय में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इतना गेहूं पैदा कर देंगे कि आपके जितने गोदाम खाली हैं, सब भर जाऐंगे। आप अभी इस बात की घोषणा कीजिए।

एक बात अनंत कुमार जी ने कही कि कृषि आयोग चार प्रतिशत ब्याज की बात कहना है। मेरा सुझाव है कि कर्ज पर ब्याज को कम करो लेकिन उसके साथ साथ जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक किसान तरक्की नहीं कर पाएगा, किसान की आर्थिक हालत सुधर नहीं सकेगी। आज इस देश में हजारों किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसका मूल कारण यह है कि देश में जो एम.एस.पी. निर्धारित किया जाता है; उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को नहीं लिया जाता, देश के बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिकों को नहीं लिया जाता। मेरी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इसमें कोई लंबी चौड़ी समस्या भी नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि विश्वविद्यालय हिसार और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कोई फसल उगाने पर जो खर्चा आता है, उसके ऊपर 20 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर आप किसान को दीजिए। एक बार फिर हरित क्रांति देश में आ जाएगी और धान, गेहूं, दालें, तिलहन और चीनी आपको दूसरे देशों में भेजनी पड़ेगी, इतना यहां का किसान पैदा कर सकता है। मूल्य निर्धारित करने पर किसान का प्राफिट उसमें जरूर रखा जाए। इसके अलावा चार-पांच

[श्री जय प्रकाश]

चीजें और हैं जिनका ध्यान मूल्य निर्धारित करते समय रखा जाना चाहिए। डीजल के दाम आये दिन बढ़ते रहते हैं। जब किसान को सबसिडी देने की चर्चा होती है तो बहुत से लोगों के मन में पीड़ा और तकलीफ होती है। मेरा सुझाव है कि किसान को डीजल की आवश्यकता खेत की बिजाई के लिए, सिंचाई के लिए और ट्यूबवैल से पानी निकालने के लिए पड़ती रहती है। देश के बहुत से प्रदेशों में बिजली की भी कमी है। जब बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो किसान को पानी निकालने के लिए डीजल इंजन चलाना पड़ता है जिसके लिए डीजल बहुत महंगा है। मेरा सुझाव है कि जिन किसानों के नलकूप हैं, उनको ट्रैक्टर के लिए और डीजल जनरेटर्स के लिए अवश्य सबसिडी दी जाए। आपने एक बार सुझाव दिया था और मैंने इस सदन में वह सुझाव रखा था और आज भी रखना चाहता हूं। नहरों के पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले जिस तरीके से नहरों को जोड़ने के लिए बजट रखा गया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना पर एक रिजर्वायर बनाकर रेणुका, केसौ और लक्सर कोसी पर यदि तीन डैम बना दिये जाएं तो हरियाणा और राजस्थान में जहां नहरों के द्वारा खेतों के लिए पानी मिलेगा, वहीं दिल्ली में पीने के पानी की समस्या भी दूर हो सकती है। उसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली तैयार होगी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली से इस संबंध में वायदा भी किया था। मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान के तहत यमुना पर रिजर्वायर बनाकर डैम बनाएं क्योंकि आज यमुना का 70 प्रतिशत पानी समुद्र में जा रहा है। यहां पर पानी की कमी है और दिल्ली से आगे निकलकर यमुना तबाही मचाती है और पूरे हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों को डुबोती है।

बिजली के लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा। पिछले दिनों खबर थी कि आंध्र प्रदेश में बिजली सरप्लस है जबकि हरियाणा और दिल्ली में बिजली की कमी है, लेकिन हम वहां से बिजली नहीं ला सकते। जिस तरीके से नदियों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई है, उसी प्रकार पूरे देश का एक ट्रांसमिशन हो। आज चार ग्रिडों में देश बंटा हुआ है, उन चार ग्रिडों को जोड़ने का काम किया जाए ताकि जिस प्रदेश में ज्यादा बिजली हो, सरप्लस हो, वह दूसरे क्षेत्रों में जा सके और किसानों की फसल बर्बादी से बचाई जा सके।

महोदय, मैं आपके मध्यम से कृषि मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि हरियाणा और पंजाब में अगर चार-पांच दिन में वर्षा नहीं हुई, क्योंकि वहां अकाल की हालत हो चुकी है, वहां अकाल पड़ जाएगा। इन प्रदेशों के लिए कहीं से बिजली का प्रबंध करके, यहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलाई जाए। खाद का मामला है, हम रसायनिक खाद खेतों में डालते हैं और जमीन की पैदावार की केपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग चार-चार कट्टे डाल देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है एनएसपी निर्धारित करते वक्त यह घोषणा कर दी जाए कि जो गोबर की खाद से फसल तैयार करेंगे, उन्हें डेढ़ सौ रुपए क्विंटल दाम ज्यादा मिलेगा और जो उर्वरक खाद से तैयार करेंगे, उनके निर्धारित मूल्य होंगे, क्योंकि यदि आप गोबर की खाद डाल कर फसल तैयार करेंगे तो उससे जमीन की पैदावार बढ़ेगी और हमें खाने के लिए अच्छा गेहूं मिलेगा। चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए इसके भाव अलग से निर्धारित किए जाएं।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे सर छोटू राम जी, जो हरियाणा के जाट लीडर थे, उनका नाम लिया गया। वह आपकी धरती में पैदा हुए और आज भगवान के बाद इस देश का किसान उनको याद करता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों को जो राहत दी, वह सारे देश में लागू होनी चाहिए। किसानों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए कोआपरेटिव बैंक की वसूली न होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। उनकी बहुत बुरी हालत है, उनकी जमानत नहीं होती, क्योंकि अदालत जमानत लेती नहीं है। प्रदेश की सरकारें 40 दिन से पहले उन किसानों को निकाल देती हैं, क्योंकि नियम यह है कि यदि कोई कर्जदार 40 दिन तक जेल में रहेगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा, इसलिए सरकार उन्हें 39 दिन जेल में रखती है और एक दिन पहले छोड़ देती है। इसलिए उस बेचारे किसान की हालत बड़ी खराब होती है। किसान की वसूली के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम किसी किसान को जेल में नहीं डालेंगे, हम उनकी आर्थिक हालत मजबूत करके उनसे कर्जा वसूली करेंगे। मेरा एक सुझाव फसल बीमा योजना के बारे में है। हर सरकार कहती है, इसे एनडीए ने लागू किया। आज भी हम कहते हैं कि इसमें तीन-चार चीजें जोड़ी जानी चाहिए। महोदय, आप भी उसी इलाके से आते हैं। वहां पिछले दिनों टमाटर की फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वहां ज्यादा ठंड पड़ गई थी। उसके बाद सरसों की फसल पाले से खत्म हो गई थी, इसलिए इन चीजों को भी फसल बीमा योजना में लागू किया जाए।

रेलवे का अलग से बजट है, डिफेंस को भी बहुत बजट मिलता है, उन्हें मिले, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हर व्यक्ति कहता है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसका अलग से बजट नहीं है। इसलिए आज यहां पर सभी सांसदों को एक ध्वनि से इसे पास करना चाहिए। कृषि का बजट अलग हो और उसके अंदर नहर और बिजली विवाद शामिल किया जाए ताकि किसानों को बहुत बड़ा लाभकारी मूल्य दिया जा सके।

महोदय, मैं आपको और मोहन सिंह जी को धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप एनएसपी बढ़ाने का काम करेंगे।

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी इस पर बोलना है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : झा जी, मुझे पता है कि आपको भी एकोमोडेट करना है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मैं आपका नाम बोलूं और आप यहां उपस्थित न हों।

**श्री रघुनाथ झा** : हम यहां उपस्थित रहेंगे।

*[अनुवाद]*

***श्री दुष्यंत सिंह** (झालावाड़) : महोदय, यह सच है कि हमारी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। केन्द्र सरकार स्वयं को "आम आदमी" की सरकार कहती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कृषि क्षेत्र पर बल देने का प्रयास किया है। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। किसान भी गंभीर मुद्दों तथा समस्याओं का सामना कर रहे है। मैं राजस्थान राज्य से हूं। राज्य में इस समय 1 प्रतिशत जल भंडार तथा जल संसाधन हैं।

परन्तु किसानों की मूल समस्या का समाधान कैसे किया जाए इसका विश्लेषण करते हैं:

प्रथम, तो यह कि किसानों को उनके कृषि उत्पादन के लिए अपेक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए किसान खेतों में कड़ा परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए मैं झालावाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान की दक्षिण-पूर्व सीमा पर है। खरीफ के मौसम के दौरान किसान सोयाबीन की खेती करते हैं तथा रबी के मौसम के दौरान धनिया सरसों उगाते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मानसून के मौसम में किसान बहुत ही खराब मौसम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करते हैं। परन्तु वे कड़ी मेहनत करते हैं तथा भारी मात्रा में सोयाबीन तथा अन्य उत्पाद सामग्री का उत्पादन करते हैं। परन्तु हमारे देश में भी अलग-अलग मौसमों में कृषि वस्तुओं के उत्पादन के पश्चात् फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा? किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए। डीजल यूरिया तथा बीजों के भी मूल्य बढ़ गए हैं। इसलिए वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाली कच्ची सामग्री का मूल्य बढ़ गया है। इसलिए किसानों को सोयाबीन, सरसों, धनिया आदि जैसी वस्तुओं के लिए अनुरूप मूल्य मिलते हैं।

दूसरे विश्वभर में विशेषकर पश्चिमी देशों में राजसहायता दी जाती है। लेकिन विकसित राष्ट्र द्वारा ये प्रयास किए जा रहे है कि उभरते हुए बाजार किसानों को दी जाने वाली अपनी राजसहायता में कटौती करें। हम दोहरे मानदंड क्यों अपना रहे हैं? क्या यह भारत के ठोस आधार में अमरीकी हस्तक्षेप है?

महोदय, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अमरीका का दौरा किया था, तब दोनों देशों के बीच कृषि पहल के बारे में जोर शोर से चर्चा हुई थी।

महोदय, मैं सम्माननीय सभा को जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री की अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दो सबसे बड़ी बीज कंपनियों के अध्यक्षों ने बैठक में भाग लिया और अपनी कंपनियों की सहायता के लिए कृषि पहल का मसौदा तैयार किया। क्या हम अमरीकी समर्थित उद्योग के लिए पूरे बीज बाजार को खोलने का प्रयास करके गरीब किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं।

महोदय, हमें कड़ा रूख अपनाने की आवश्यकता है और अमरीका को विकासशील देशों को बर्बाद करने से रोकना होगा।

दूसरा, महोदय हमें पर्याप्त जल साधनों का सृजन करने की आवश्यकता है। यदि पंचायत और स्थानीय निकायों की एनिकटों और छोटे जल साधनों की स्थापना करने में सहायता नहीं की जाएगी, तो कृषि उत्पादन नहीं किया जा सकता। महोदय, हमें अपनी सिंचाई प्रक्रिया में नए तरीके ईजाद करने की आवश्यकता है। हमें इजरायल में सिंचाई योजना का फायदा उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि शुष्क सिंचाई। मैं एक रेगिस्तानी राज्य से आया हूं, यह हमारे किसानों की अधिकतम स्तर तक उत्पादन करने में सहायता करेगा। इसलिए, हमें जल साधनों का सृजन करना चाहिए और जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल को संचित करना चाहिए।

[श्री दुष्यंत सिंह]

तीसरा, हमें अपने किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि आलू, प्याज या टमाटर जैसे कृषि उत्पादों को सही बाजार (मंडी) में नहीं पहुंचाया जाएगा, तो किसानों के उत्पाद उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस प्रकार उत्पादों की कमी के कारण उत्पादों की कीमतें बढ़ाने में बिचौलियों की सहायता करेंगे। इसका प्रमुख उदाहरण वर्ष 1990 में दिल्ली में पैदा हुआ प्याज का संकट है।

महोदय, किसानों के उत्पादों का शीतागारों और गोदामों जैसे क्षेत्रों में भंडारण किया जाना चाहिए, जहां उन्हें संरक्षित किया जा सके। इन उत्पादों का प्रसंस्करण करने के पश्चात् इन्हें मूल्यवर्धित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों का मूल्य वर्धन एस एच जी समूह के माध्यम से किया जाना चाहिए और एस एच जी समूहों के मालिक किसान होने चाहिए। इसका बेहतरीन उदाहरण कर्नाटक में एस.आई.आर.आई. के रूप में देखा जा सकता है।

महोदय, किसानों को उनके द्वारा अर्जित राजस्व में वृद्धि करने हेतु क्षेत्रीय विपणन केन्द्रों का सृजन करने के लिए स्थानीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। विपणन बाजार के.वी.के से जुड़े होने चाहिए, जो मांग में बने रहने वाले कृषक उत्पादों का अनुसंधान कर सकते हैं और उत्पादों के उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी कौशल की जानकारी दे सकते हैं।

चौथे, हमें फसल पद्धति के विविधिकरण पर विचार करने और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का फायदा उठाने की आवश्यकता है। यह मिशन बागवानी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किसानों की सहायता करेगा। महोदय, झालावार क्षेत्र में संतरों का भारी उत्पादन होता है। लेकिन संतरों को मूल्यवर्धित करने के लिए प्रसंस्कृत किया जा सकता है। इसमें किसानों को शामिल किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि उत्पादक राष्ट्र है और हमें इसका फायदा उठाने और किसानों की सहायता हेतु यांत्रिक खेती, संविदागत खेती आदि जैसी आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) का किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की आवश्यकता का भी उल्लेख करना चाहता हूं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को बिना ऋण दिए लौटा रहे हैं, इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

महोदय, भारत एक विशाल देश है। हम समय-समय पर बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करते हैं। उनसे फसल नष्ट हो जाती है। हमें व्यापक बीमा नीति बनाने की आवश्यकता है, जहां गांव को केंद्र बिंदु बनाया जाए, न कि तहसील को जैसे कि पहले किया जाता रहा है। महोदय, हमारे माननीय कृषि मंत्री एक किसान हैं और उन्होंने हमारे राजस्थान राज्य को हमेशा सहायता की है। हम उनकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर, मैं आपका मुझे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने हेतु धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर किसानों का उत्थान करें और भारत को एक कृषि समृद्ध देश बनाएं तथा इस प्रकार अपने जी जी पी में वृद्धि करके सहायता करें।

महोदय, आपका धन्यवाद और मुझे आशा है कि मेरे विचारों पर केन्द्र सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा और भारत के किसानों तथा हाड़ोती क्षेत्र के किसानों को सहायता मिलेगी।

*श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के बीच भारी असंतोष पैदा करने वाली उनकी मूल समस्याओं पर स्वतंत्रता के 60 वर्षों के पश्चात् अभी भी ध्यान दिया जाना है। किसानों के लिए विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृषकों को भी समुचित रूप से गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य आवश्यक आदान नहीं मिल पाते हैं। जब उन्हें इनकी नितांत आवश्यकता होती है, तब ऐसे आदानों की या तो कमी हो जाती है या फिर इनकी विलंब से आपूर्ति होती है। उनकी परेशानी, जिसका आरंभ खेती की शुरूआत के साथ होता है। उनके द्वारा फसलों की कटाई और अनाजों का भंडारण करने तक जारी रहती है। ज्यादातर छोटे और गरीब किसान अपना जीवन लगभग प्रतिदिन मरकर व्यतीत करते हैं।

जब फसल की खेती हो रही होती है, तब अत्यधिक वर्षा अथवा वर्षा की कमी पैदावार और उपज को बुरी तरह प्रभावित करती है। यदि वे वर्षा से बच जाते हैं, तो परेशान करने वाले कीट और कृमि पैदा हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, मानसून की विफलता, कुछेक जगहों पर कृषि विस्तार सेवाओं के उपलब्ध न होने, निजी साहुकारों की मजबूत पकड़ से इस देश में गरीब किसानों के जीवन और जीविका

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

को भारी खतरा रहा है। यदि वे इन सब चीजों के चंगुल से निकल आते हैं और जब वे उत्पाद को बाजार में बेचने जाते हैं, तो उन्हें लाभ कारी मूल्य नहीं मिल पाता। एक किसान की आंखों में हजारों सपने होते हैं कि उसके परिवार में समृद्धि आएगी किंतु अंत में उन सबकी आखों में आंसू भरकर रह जाते हैं। जब पैदावर प्रचुर मात्रा में होती है, तो एक अर्थक्षम विपणन और वितरण तंत्र के अभाव में भी किसानों को भारी खतरा रहता है। देश के अनेक स्थानों में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियां दोनों के, कृषि उत्पाद, विशेषकर चावल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं का समय से खरीदने के अपने कर्त्तव्य में असफल पाई गई हैं। इससे किसानों को औने पौने दामों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अर्थात, वे अपने उत्पाद को बहुत ही कम दाम पर बेच पाते हैं। इसके फलस्वरूप, उनका व्यवसाय उन्हीं के द्वारा चुना गया एक लाभहीन रोजगार बन जाता हैं, जिससे निराशा और दुख पैदा होता है।

कृषि उत्पाद के लिए मूल्य निर्धारण के चरण में किसानों और उनके परिवार के सदस्यों की श्रम लागत और खाद विशेषकर प्राकृतिक खाद की लागत पर भी सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाता। दुर्भाग्यवश, ऐसा केवल भारतीय संदर्भ में ही पाया जाता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों के कृषि उत्पाद हेतु मूल्य निर्धारण करने के लिए उनको अधिकार देने हेतु एक उचित रणनीति बनाए। केवल तभी किसान हमारे जैसे स्वतंत्र देश, जो कि विश्वव्यापीकरण की प्रकिया में स्वयं के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था के अधिकार की मांग करता है, में संघर्ष से वास्तव में मुक्ति पा सकते हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कृषि पर निर्भर रहने वाले देश के किसानों के भाग्य को सुधारने हेतु वैकल्पिक, रणनीति, योजना और स्कीमें ईजाद करे। सरकार, इस संबंध में उसके द्वारा बनाई जाने वाली व्यापक योजना पर इस सभा के समक्ष विचार-विमर्श करने के लिए आए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

*श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, देश की आबादी 1 अरब 8 करोड़ है। 60 परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसानों को अच्छे बीज, समुचित सिंचाई, सस्ती ब्याज दर पर ऋण और कृषि बीमा की सख्त जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान बेहाल है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बैंकों की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आसान प्रक्रिया से साहूकारों से ऊंची दर पर ऋण लेने को मजबूर है। सूदखोरों से कर्ज ले रहा है। कृषि क्षेत्र की अनदेखी से देश का भविष्य खतरे में है।

आज पूरे भारत में 100 किसानों में से 27 किसान बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज ले रहा है। देश में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यहां तक की किसान अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाता है। किसानों का भविष्य खतरे में है। किसानों पर 25 करोड़ का कर्जा है, तभी किसान आत्महत्या कर रहा है। विदर्भ के 6 जिलों में 3750 करोड़ रुपयों की सहायता प्रधानमंत्री जी ने की है। 530 किसान परिवारों से प्रधानमंत्री मिले, लेकिन किसानों को हताशा से उबारने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रदेशों में कर रहा है। आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में 3 वर्ष में 4261 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्नाटक के 6 जिलों में 5912 आत्महत्या, केरल के 3 जिलों में 201 आत्महत्याएं हुई हैं। उपरोक्त सभी प्रदेशों की स्थिति देख कर पुनर्वास पैकेज बनाने की जरूरत है। पूरे देश में किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 40 परसेंट किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। कहीं से भी स्थिति संतोषजनक या उत्साहवर्द्धक नहीं है इस कारण बाकी 60 परसेंट किसान मजबूरी में खेती से जुड़े हैं। 27 परसेंट किसान खेती को अलाभकारी पेशा मानते हैं। 5 परसेंट किसान मानता है कि खेती सामाजिक प्रतिष्ठा का पेशा नहीं है। छोटे मझोले किसान कम लाभ के कारण खेती छोड़ कर दूसरे काम करने लगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। देश की आबादी निरंतर सिमटती कृषि भूमि खेती पर प्रतिकूल असर डाल ही रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पर्दापण ने बिजली, पानी और बीजों को महंगा कर दिया है। दस वर्षों में सीमांत कृषकों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। विकसित देश अपने किसानों को प्रतिदिन 5 हजार करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। भारत सरकार एक वर्ष में इतना अनुदान किसानों को देती है। पूरे विश्व में आज अगर खाद्यान्न के मामले में तुलना करें तो भारत अग्रणी हो सकता है। फल, सब्जी दूसरे स्थान पर है। फिर भी हम किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। भारतीय कृषक आयोग बने, तभी देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है।

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इस संबंध में पहले भी इस

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

विषय पर चर्चा हुई थी। हम अपेक्षा करते थे कि कुछ सकारात्मक और ठोस प्रयास किसानों के हालात सुधारने के लिए होंगे, लेकिन जितनी तेजी के साथ इस दिशा में काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। देश की आबादी बढ़ रही है और कृषि योग्य जो भूमि है, उसका आकार कम हो रहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज जो देश की मूल समस्या है, वह चाहे बेरोजगारी हो या खाद्य संकट अगर इन सब चीजों से निपटना है तो कृषि को संरक्षण देने के अलावा अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाए बगैर यह काम पूरा नहीं हो सकता। देश का पूरा विकास करने और देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए जो विभिन्न क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं,, उनमें अब तक का हमारा तजुर्बा यह बताता है कि हमारे जितने भी प्रयास हुए, वे अभी तक फलीभूत नहीं हुए। देश में 1951 बेरोजगारी 0.21 प्रतिशत जो अब बढ़कर 13 प्रतिशत हो गई है। देश के 72.4 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि की दुर्दशा का परिणाम यह है कि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर इस पलायन को रोकना है, तो कृषि क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा।

महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का बड़ा प्रचार हुआ कि उसके माध्यम से देश की बेरोजगारी दूर हुई। उसके क्या परिणाम निकले हैं, वह मैं आपको बताता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था 'एस्केप' है जिसने सर्वेक्षण करके बताया है कि भारत की बेरोजगार लोगों की संख्या के केवल एक प्रतिशत से भी कम को आई.टी. क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के 45 करोड़ बेरोजगारों में से केवल 10 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार मिल सका है।

महोदय, मैं श्री शरद पवार जी के ध्यान में लाना चाहूंगा के अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बन रहा है। मैं सोचता था कि उसके प्रारूप पर इस सत्र में चर्चा होती, लेकिन नहीं हो पाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मांटेक सिंह अहलूवालियां हैं। उन्होंने कहा है कि 9.5 प्रतिशत विकास की दर का लक्ष्य हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन यह लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें या अन्य लोगों को कृषि की ओर विशेष ध्यान देने से कौन रोकता है और कौन मना करता है कि कृषि की ओर विशेष ध्यान न दें? यह कहने से नहीं, बल्कि करने से होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करते हुए मांग करना चाहता हूं कि जब इस प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए, तब उसमें सबसे अधिक हस्तक्षेप मंत्री महोदय का होना चाहिए। खासतौर से कृषि क्षेत्र के विकास हेतु मैं सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देने की बात कहना चाहता हूं। खेती के लिए सिंचाई की नितान्त आवश्यकता है। सिंचाई खेती का प्राण है। देश में 64 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि पड़ी हुई है, यानी इतनी अधिक मात्रा में गैर-उपजाऊ भूमि को सिंचाई की व्यवस्था कर के कृषि योग्य बनाया जा सकता है। योजना आयोग देश की 88 मिलियन हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने की बात कर रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 15 मिलियन हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस मुद्दे पर हुई बहस का जवाब दें, तब वे मेहरबानी कर के यह बताने की कृपा करें कि उसमें से कितना लक्ष्य हम हासिल कर पाए और जब 9वीं पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम भूमि को हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए थे। इसके साथ-साथ यह भी बताने की कृपा करें कि अगर हम अपने देश में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से खेती को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो उसके क्या कारण हैं?

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई देश की 494 सिंचाई परियोजनाओं में से मार्च, 2006 तक हम केवल 38 परियोजनाओं को ही पूर्ण कर पाए हैं। हमारे जल प्रबन्धन का यह हाल है। आंध्र प्रदेश का कानपुर इंटीग्रेटेड इर्रीगेशन प्रोजैक्ट और गुड़गांव का मेजर कैनाल इर्रीगेशन प्रोजैक्ट ऐसे हैं, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए थे, लेकिन अब 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर यही स्थिति रही, तो हम कब तक इन्द्र के भरोसे बैठे रहेंगे, हम कब तक प्रकृति के भरोसे बैठे रहेंगे? मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप सिंचाई की ओर तवज्जोह नहीं देंगे और अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा, तो निश्चितरूप से आप खेती से जो विकास की दर हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल नहीं हो सकती है।

महोदय, सिंचाई की तरफ अनदेखी का आज परिणाम यह

हो रहा है कि देश की 133 मिलियन हैक्टेयर भूमि जोत की है उसमें से केवल 53 मिलियन हैक्टेयर भूमि में ही अभी तक सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिंचित और असिंचित भूमि में होने वाली कृषि उपज में कितना अन्तर होता है। मंत्री महोदय खुद जानते हैं कि सिंचित और असिंचित भूमि से कृषि उपज में 70 से लेकर 120 प्रतिशत तक का अन्तर होता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार किया जा रहा है, जो समचार पत्रों में छपा है, उसमें उल्लेख हो रहा है, योजना आयोग के सलाहकार गजेन्द्र हल्ला जी ने कहा है कि ग्यारहवीं योजना में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 320 लाख करोड़ रुपये का व्यय होना है। यह व्यय कहां होना है? 40 हजार करोड़ रुपये एयरपोर्टों के विकास के लिए व्यय होना है, 60 हजार करोड़ रुपये बंदरगाहों के विकास के लिए व्यय होना है, 2,20,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए व्यय होना है। राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाहों और एयरपोर्टों पर यह दौलत खर्च हो, लेकिन कृषि की उपेक्षा करके नहीं। लगता है कि आपका दृष्टिकोण व्यावसायिक है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि दौलत खर्च करने की प्रमुखता जब तक कृषि नहीं होगी, तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई व्यवस्था को छोड़कर हमने ड्राई फार्मिंग और असिंचित भूमि में कृषि को बढ़ावा देने की बात की। गत दशकों से दलहनों और तिलहनों की ड्राई लैण्ड उपज के लिए अनेकों तकनीकी मिशन बनाए गए, लेकिन देश में उनका उत्पादन नहीं बढ़ पाया। मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, वह फलीभूत क्यों नहीं हो पाए? कृषि यन्त्र, कीटनाशक उत्पादों, बीज उत्पाद कम्पनियों, रसायन उर्वरक कम्पनियों के लिए जो सब्सिडी का मामला है। यह सब्सिडी किसानों के नाम पर दी जाती है। वर्ष 2005-06 में 17,253 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गयी। यह सब्सिडी फर्टिलाइजर उत्पादकों को दी जा रही है। लेकिन फर्टिलाइजर का दाम भी बढ़ता जा रहा है। इस सब्सिडी को देने की आखिर उपयोगिता क्या है?

हम तमाम मामलों में दुनिया की नकल करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अमरीका अपने कृषि उत्पादकों को 180 बिलियन डालर सीधे सब्सिडी देता है, यूरोपियन देश 320 बिलियन डालर सब्सिडी देते हैं और यह सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाती है। हमने इन सम्भावनाओं पर कभी विचार नहीं किया है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने एक सर्वेक्षण के मुताबिक खुद स्वीकार किया है। 3 जुलाई को कोयम्बटूर में वित्त मंत्री का बयान छपा कि 27 फीसदी किसानों को ही वित्तीय संस्थानों से ऋण मिल पाता है। शेष किसानों को निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके ब्याज दर की कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं से और ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा कि जिस तरह से रेल का बजट होता है, ठीक उसी तरह से कृषि के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, शरद जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस सरकार में कृषि मंत्री हैं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो खाका बन रहा है, चाहे कृषि के लिए आप अलग से बजट बनाएं या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को कृषि आधारित करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के पाप में आप शामिल न हों। कौन कितने दिन मंत्री रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस सरकार से अलग हो जाएंगे तो कम से कम इतिहास में आपका नाम होगा कि आपने किसानों की बर्बादी के नाम पर इस सरकार को सहयोग नहीं किया। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में यदि देश को बचाना है, तो कृषि को बचाना होगा। कृषि को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो दौलत है, उस दौलत को खर्च करने की दिशा गांव हो, गरीब हो, खेती हो, यही एकमात्र विकल्प है, इस देश को बचाने का।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ झा, आपकी पार्टी के बोलने का टाइम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको पांच-सात मिनट बोलने के लिए दे रहा हूं।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी) : हमारा देश कृषि पर आधारित है। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस देश के किसान मुख्यत: प्याज, कपास, मिर्च, गन्ना, धान तथा गेहूं की खेती करते हैं। किसानों की मुख्य समस्याएं हैं (1) बाढ़ (2) पर्याप्त मात्रा में जल की अनुपलब्धता (3) उत्पादों के उचित मूल्य (4) खेती के लिए वित्तीय सहायता की कमी (5) अच्छे बीज, कीटनाशक तथा उर्वरक न प्राप्त कर पाना (6) सरकार की बदलती नीतियां।

यदि हम दक्षिण की ओर जाएं तो हम देखते है कि किसान मानसून के सक्रिय न होने के कारण सिचाई के लिए जल के अभाव से जूझ रहे हैं। उत्तर में किसान भारी वर्षा और बाढ़ से पीड़ित हैं। किसानों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

को लगातार कई सालों से पौधरोपण के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। अचानक यदि भारी वर्षा होती है और पानी उपलब्ध हो जाता है तो उन्हें खेती शुरू करनी पड़ती है। उन्हें बीज, उर्वरक तथा खेती के अन्य उपकरणों के लिए पैसा जुटाना पड़ता है। वे तुरन्त महाजनों से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। इसके बाद किसानों को नकली बीज, मिलावटी कीटनाशक तथा उर्वरक दिए जाते हैं। इन समस्याओं के कारण किसानों को अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। साथ ही उत्पाद की लागत अधिक होने के कारण किसानों को भारी घाटा होता है और वे कर्जदार हो जाते हैं। चूंकि किसान ऋण देने में आनाकानी करते हैं। उनका एकमात्र सहारा महाजन रह जाता है जो 30 से 50 प्रतिशत ब्याज पर पैसे देता है और किसान उधार के बोझ से दब जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, किसानों को राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अनुसूचित ग्रामीण बैंकों से आवश्यक ऋण नहीं मिलता। किसान को 10,000/- रु. देने के लिए भी सहकारी बैंकों के कई दस्तावेजों की बाधा है। ऋण प्राप्त करने से पहले किसानों को 10,000 रु. के ऋण हेतु 2500/-रु. खर्च करने पड़ते हैं। सहकारी बैंक 10,000/- रुपये के ऋण पर अधिक ब्याज, दण्ड ब्याज तथा खर्च लेते हैं और यदि किसान ऋण नहीं दे पाता तो सहकारी सोसाइटिया कुर्की संबंधी कार्यवाही शुरू कर देती हैं। को-ओपरेटिव सोसाइटियां ऋण की शेष राशि के लिए "मंगल सूत्र" की भी कुर्की कर देती हैं। इस दयनीय दशा को देखने के बाद तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री डा. के. करूणानिधि ने तमिलनाडु के किसानों द्वारा उधार ली गई 6826 करोड़ रु. की ऋण की राशि माफ कर दी है। इस समय मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभी राष्ट्रीकृत बैंकों को किसानों द्वारा लिए गए ऋण का ब्याज माफ करने का निदेश दे।

इसके अतिरिक्त, पूरे देश में किसानों को बीज कंपनियों, कीटनाशक कंपनियों तथा उर्वरक कंपनियों द्वारा धोखा दिया जाता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से इन सभी धोखेबाज एजेन्सियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाने के लिए आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

मानसून न आने की समस्या को सुलझाने के लिए इस देश की सभी नदियों को जोड़ना होगा। कम से कम दक्षिण राज्यों में बारहमासी नदियों को जोड़ा जाए। नदियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त निधियों का आबंटन करना होगा।

विशेष रूप से सब्जी उगाने वाले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों को जिला स्तर पर सहकारी विपणन एजेन्सियां खोलने का निर्देश देना होगा।

इस देश में किसानों की आत्महत्या के कारण व्यापक असंतोष पैदा हो गया है। किसानों की आत्महत्या को कर्ज तथा छोटे किसानों की आर्थिक विपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता। कर्जा कोई नई बात नहीं है। किसान हमेशा कर्ज से मुक्ति के लिए एकजुट रहे हैं। 19वीं सदी में तथाकथित "दक्कन दंगे", ब्रिटेन की वस्त्र मिलों को सस्ती कपास की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किए जाने के कारण कर्जे में फंसे किसानों का विरोध था। अस्सी के दशक में तमिलनाडु में किसानों ने निशुल्क बिजली, ऋण की बकाया राशि माफ करने के लिए आन्दोलन किया। उक्त आन्दोलन की अगुवाई किसानों के नेता स्वर्गीय श्री सी नारायणसामी नायडु द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों का पूरा समर्थन किया था। वर्ष 1989 में तत्कालीन मुख्य मंत्री डा. के. करूणानिधि की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु सरकार ने सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सभी किसानों को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निदेश दिया जाए।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना विलम्ब ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए तथा संबंद्ध प्राधिकारियों को निदेश दें कि वह अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक तथा अच्छे उर्वरक उपलब्ध कराकर किसानों की मदद करें। केवल तभी किसानों की समस्याओं का हल हो सकेगा।

*[हिन्दी]*

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि पर निर्भर है। जब फसल अच्छी होती है तब किसान खरीददारी में, शादी विवाह में, मकान बनाने में, पिछले वर्ष लिए गए ऋण को चुकाने में मुक्त हस्त से खर्च करता है। किसान की फसल जब बाढ़ अथवा सूखा से खराब हो जाती है, तब वह निराश हो जाता है और अगर 2-3 वर्षों तक फसल खराब होती रहे वह घोर निराशा की स्थिति में पहुंच जाता है। पिछले वर्षों में कई राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में इसी कारण वृद्धि हुई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे देश का किसान काफी साहसी एवं हिम्मत वाला है। अगर उसे सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं, अच्छे उन्नत किस्म के बीज दिलाए जाएं तथा समय पर बिजली उपलब्ध कराई जाए तो वह इतनी अच्छी एवं विशाल मात्रा में फसल पैदा कर सकता है कि वह अपना कर्ज चुकाने के साथ ही देश को भी कर्ज मुक्त कराने में बड़ा सहयोग दे सकता है क्योंकि अच्छी फसल आने पर किसान उस पैसे को देश में खर्च करता है जिससे मांग बढ़ती है, उद्योगों में उत्पादन भी बढ़ता है, व्यापार बढ़ जाता है। कल कारखानों के पहिए तेजी से चलने लगते हैं एवं देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्र मजबूत होने लगता है। अब हमारे देश में खाद्यान्नों के विपुल भंडार भरे होने पर भी अगर विदेशों से महंगा खाद्यान्न आयात किया जाएगा, तो किसान निराश होगा ही, साथ ही देश का पैसा भी विदेशों में जाने से अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अत: किसान को आत्म निर्भर एवं मजबूत बनाने के लिए सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड एवं ऋण ही नहीं, बल्कि उसे कर्ज के चक्र से निकालने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था का भी बजट में प्रावधान होना चाहिए तथा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को गतिशीलता से सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। साथ ही किसानों की फसल के साथ ही डेयरी तथा सब्जी बागवानी आदि दूसरे कार्यों को भी विशेष प्रशिक्षण अभियान चला कर प्रोत्साहित करना चाहिए एवं फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए तहसील के बजाए पटवारी हल्का को ईकाई मानना चाहिए। इन प्रयत्नों को रोकने से किसानों को निराशा से बचाया जा सकता है।

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मेरी पार्टी का टाइम समाप्त होने के बाद भी आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ऐसा व्यक्ति देश का कृषि मंत्री है, जो सीधे किसान है और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। भिन्न-भिन्न कठिनाइयों से किसानों को गुजरना पड़ता है। आज देश की क्या स्थिति है और 70 के दशक में, जब हम हरित क्रान्ति को लाये औा खाद्य के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने, उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया में जो अंडरवेट बच्चों की संख्या है, उसका 35 प्रतिशत सिर्फ भारत में है, यह चिन्ता की बात है कि हम स्वतंत्रता का 60वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन इसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यूनीसेफ के आंकड़ों के मुताबिक 5.70 करोड़ बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, जबकि चीन, जिसकी आबादी हमसे अधिक है, वहां मात्र 70 लाख ऐसे बच्चे हैं। आज विश्व में 1.10 अरब लोग ऐसे हैं, जिनकी आमदनी रोजाना एक अमेरिकन डालर से कम है, उनमें से 26 करोड़ इंडियन हैं।

आज हम दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि हमारे यहां दो तिहाई किसान हैं, जो खेती पर निर्भर करते हैं और मजदूर भी इसमें लगे हुए हैं। आज हम माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं, जैसा हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा है कि आज दूसरे क्षेत्रों में पैसा लगाया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी सदन में चर्चा हुई कि इस देश में पिछले 10 वर्षों के अन्दर एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की और हम किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। आज भी किसानों को जो उनका हक मिलना चाहिए, उनकी उपज का मुनासिब दाम उनको मिलना चाहिए, उस पर हम तवज्जह नहीं दे रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हमारी सफलता ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर निर्भर करती है। गरीब के लिए खाद्य सुरक्षा की हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, आय के अवसरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें अभी यथास्थितिवाद बना हुआ है। वर्ल्ड हंगर सीरीज, 2006 की एक साइलेंस इमरजेंसी करके रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि बंगाल का जो फैमिन आया था, बंगाल के फैमिन में जितने लोग मरे थे, उससे अधिक लोग हर वर्ष इस देश में मर रहे हैं और हम उसके बारे में कोई विशेष चिन्ता प्रकट नहीं कर रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं दर्शाता कि अभी भी खाद्य और पोषण की सुरक्षा, जिसे हम एक्सेस टू फूड कहते हैं, आम लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। भारत में अभी भी जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि हमारी दो तिहाई जनसंख्या किसान है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सर्वे किया है, जिसमें एक चिन्ताजनक स्थिति का संकेत किया गया है। उसमें कहा गया है कि 60 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। आखिर वे खेती क्यों छोड़ना चाहते हैं, जब उनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कारण है कि खेती में इनपुट, खेती करने में जो उनका सामान लगता है, उनको खाद चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको डीजल चाहिए, पानी चाहिए, इन चीजों की कमी है और जो उनके दामों में महंगाई बढ़ी है, उस रफ्तार से आप उसको उचित मूल्य नहीं दे रहे। जैसा हमारे साथी जयप्रकाश जी ने कहा कि आपने एम. एस.पी. जो घोषित किया है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप 6 से 10 रुपये धान की कीमत बढ़ाकर देने जा रहे हैं, आपने गेहूं की कीमत कम दी तो बाजार में दूसरे लोगों ने खरीद लिया। इस कारण बाहर वालों को आपने ज्यादा कीमत दी और हमारे

[श्री रघुनाथ झा]

देश के किसानों को कम कीमत दी। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम 600 या 700 रुपये तो धान की कीमत कीजिए। आप गेहूं की कीमत आठ सौ रुपए से अधिक कीजिए। आज किसानों को कितनी अधिक लागत लगती है और डीजल का दाम कितना बढ़ गया है? आप तो किसान हैं, आप तो खुद खेती करते हैं, आपको सब चीजों का पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आप बढ़ोत्तरी करने का काम करिए। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या बीज की है। आज भी प्रमाणिक बीज किसानों को ठीक तरह से और समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिस समय गेहूं या धान की बुआई करनी है, उस समय प्रमाणिक बीज किसानों को नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके बीज के बारे में कोई नीति बनाएं, मैं कृषि की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, हम लोगों ने तीन-चार दिन तक देश में कृषि का काम करने वाले लोगों को बुलाकर सिफारिश की है, हम चाहते हैं कि उस सिफारिश के मुताबिक काम हो। हमें कृषि प्रणाली संबंधी विकल्पों पर भी अधिक तवज्जह देने की जरूरत है, ताकि हमारे किसान संसाधनों को बाजार की दिशा की ओर मोड़ें। कृषि प्रणाली संबंधित विकल्पों से मेरा अर्थ है, खेत, पशुधन, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, अगर इस संयुक्त पद्धति से काम होगा, पहले भी हमारे यहां हमारी मां-बहनें कौशल के रूप में बकरी, गाय, भेड़, भैस खरीद कर काम करती थीं। आज वह सब चीज बंद हो गया है। इसलिए खेती में परिवर्तन लाने की जरूरत है। खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं, खासकर अपने उत्पादों के लिए कृषि संबंधी जानकारी का अभाव आज किसानों को बाजार में तलाशने में सबसे बड़ी बाधा है। किसानों को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि उसको कहां जाना चाहिए, कहां उनको बीज और खाद सही मिल सकता है, इसके लिए उनमें जागरूकता होनी चाहिए, इस बात की भी आज हमारे देश में कमी है।

महोदय, यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, जहां एक ओर जहां कृषि क्षेत्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है, वहीं खेती पर लगे लोगों की निर्भरता भी कम होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि गैर कृषि क्रियाकलापों, खासकर ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता करायें और प्रछन्न बेरोजगारी को दूर करें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ रोजगार का आवरण ही काफी नहीं होगा और इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आज आवश्यकता इस बात की है लोगों की उत्पादकता और रोजगार की गुणवत्ता भी बढ़े। कृषि क्षेत्र में अभी भी इसकी कमी है। इसके लिए लोगों की कार्यकुशलता बढ़ाना जरूरी है। जहां तक कृषि नीति की बात है, हम कृषि मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप इसका पुनरावलोकन करें और इस पर फिर से विचार करने का काम करें। इस संबंध में एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। राष्ट्रीय कृषि नीति के द्वारा ही इस बात का ठीक से प्रबंधन हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे बिहार में आम होता है, लीची होती है, मखाना होता है, परवल होता है और दूसरी साग सब्जियां होती हैं, लेकिन उचित रख-रखाव और कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण, वहां कृषि के उत्पादन साठ प्रतिशत तक बरबाद हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान दें। माननीय सदस्य अनंत कुमार जी बैंकों के ऋण के संबंध में कह रहे थे। आज भी हमको मोटर-कार खरीदने के लिए बैंक की ऋण दर, किसानों को दिए जाने वाले ऋण की दर से कम है। आपको किसानों के ऋण को चार प्रतिशत तक ले जाने का काम करना चाहिए, हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे। कृषि को मुक्त बाजार के जोखिम से भी बचाना होगा। जिसों का बजार, कमोडिटी मार्केट कितना अस्थिर है? फ्यूचर मार्केट इस दिशा में सही कदम है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव जैसे जोखिम, जमाखोरी और अप्राकृतिक रूप से मूल्यवृद्धि कर मुनाफाखोरी जो आम लोगों के हित में नहीं है, उस पर काबू पाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि फ्यूचर मार्केट को मजबूत किया जाए एवं उसको उचित रूप से नियमित रैग्यूलेट भी किया जाए। आज फ्यूचर मार्केट का लाभ बिचौलियों को ज्यादा मिल रहा है। किसानों और उत्पादकों का इसे सीधा संबंध नहीं हो सकता है। उपयुक्त कॉट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इनका सीधा लिंकेज संभव है, इस प्रकार हम बाजार के जोखिम को कृषि से कम नहीं कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि देश में कभी बाढ़, कभी सुखाड़ होता है और सिंचाई का उचित प्रबंधन नहीं है।...*(व्यवधान)* अलग राज्य बिहार आज पूरा सूखाग्रस्त हो गया है। जो खेती लगी हुई थी, वह भी समाप्त हो गई। धान की फसल चली गई और उससे पहले गेहूं की फसल भी चली गई। बिहार में 10 लाख हैक्टेयर जमीन में वाटर लागिंग की समस्या से निदान मिल जाए तो उससे लाभ होगा।

प्रति वर्ष बक्सर से फरक्का (बंगाल) तक किसानों की गंगा किनारे हजारों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो जाती है। इसके कारण अच्छे-अच्छे किसान मजदूर बन गए। इससे बचाव के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

कृषि मंत्री जी गंगा किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित

हैं। 32 शुगर फैक्ट्रीज थी। देश आजाद होने के समय हम 25 प्रतिशत चीनी का उत्पादन करते थे। आज 32 शुगर फैक्ट्रीज में से सिर्फ 6 शुगर फैक्ट्रीज चालू हैं, बाकी सब बंद हो गई हैं। देश की आजादी के बाद भिन्न-भिन्न राज्यों में, चाहे सहकारी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, चीनी मिलें खोली गई, लेकिन बिहार, जो आज झारखंड में बंट गया, उसकी 10 करोड़ पौपुलेशन थी, लेकिन हमारे राज्य में एक भी शुगर फैक्ट्री नहीं खुली। हमारे यहां दर्जनों जूट की अच्छी-अच्छी फैक्ट्रीज थीं। कृषि पर आधारित सारे कार्य खत्म हो गए, कागज के कारखाने खत्म हो गए। हम कृषि मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के किसानों के लिए मनी क्राप, जो शुगर फैक्ट्री थी, उसे चलाने का कार्य करें।

अंत में, मैं खेती में अधिक निवेश पर बल देना चाहूंगा। ऐसा करना सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि में निवेश या तो स्थिर है या साल-दर-साल कम होता जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अभी बहुत कम है। ...*(व्यवधान)* रिलायन्स जैसी कम्पनी अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और किसानों से सीधा सम्पर्क किसानों के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। पर यह ध्यान रहे कि बाद में किसानों के हित की अनदेखी न हो एवं हमारे प्राकृतिक संसाधनों को दोहन सिर्फ निजी हित के लिए सीमित न हो जाए और हमारे किसान एक नए चक्रव्यूह में फिर से न फंस जाएं। कृषि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी। आप पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन** (त्रिचूर) : महोदय, मैं सहयोग करूंगा।

हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं, यह अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकतम लोगों को रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा औद्योगिक कच्चा माल देता है। 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 23 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है। अतः यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक अत्यंक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परन्तु यदि आप दूसरी ओर देखें, यह क्षेत्र किसानों की आत्महत्याओं से ग्रस्त है जिस पर कई बार इस सभा में चर्चा की गई है।

महोदय, एक और चिंताजनक बात है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कृषि से जुड़ी 40 प्रतिशत जनसंख्या, अर्थात् कृषि कार्य करने वाले 40 प्रतिशत लोग कृषि कार्य छोड़ना चाहते हैं। वह कहते हैं कि वह अब कृषि कार्य नहीं करना चाहते। वे अब काफी परेशान तथा निराश हैं। अतः इस स्थिति में हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि इस समस्या का किस प्रकार निदान किया जा सकता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह स्वयं एक अच्छे कृषि शास्त्री हैं, किसानों के मित्र हैं और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं।

वह पैकेज की पेशकश करते रहे हैं। पैकेज अच्छे हैं। एक निराशाजनक स्थिति में सम्भवतः पैकेज पुनर्वास उपाय के रूप में सहायता करेंगे और ये पैकेज भी ऐसे होते है जैसे एक कंजूस व्यक्ति ने अपना बटुआ खोल दिया हो।

महोदय, मंत्री जी केरल की समस्या के बारे में भलीभांति परिचित हैं, हम उनसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान के लिए उन्हें अलेप्पी तथा इडुक्की जिलों को कुछ राहत पैकेज देने चाहिए क्योंकि ये जिले संकट से बर्बाद हो गया हैं। इडुक्की जिले में जागान उद्योग में संकट है और अलेप्पी जिले में संकट कुट्टानड क्षेत्र में है जहां मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वह केरल के इन दो जिलों के किसानों की समस्याओं पर विचार करें और कुछ राहत पैकेज की घोषणा करें।

राहत पैकेजों के अलावा, कतिपय मूलभूत कार्यों को भी करने की आवश्यकता है और मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री उन पर विचार करेंगे। यदि कृषि को इस संकट से बचाना है तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से और अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। योजना आयोग को तदनुसार योजना बनानी चाहिए और कृषि के लिए और अधिक बजट आबंटन किया जाना चाहिए। मंत्री जी स्वयं एक दिन कह रहे थे कि सिंचाई के लिए निर्धारित राशि बजट के एक प्रतिशत से भी कम है और हर जगह यही स्थिति है। यदि हमें इस संकट से उबरना है तो इस क्षेत्र की नीति में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है जिससे हमारे देश के कृषकों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सके।

जहां तक फसलोत्तर प्रौद्योगिकी का संबंध है, जितना कहा जाए कम है। इस क्षेत्र में शायद ही कुछ है। कृषक कुछ भी उगा सकते

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

हैं किन्तु फसलोत्तर प्रौद्योगिकी की कोई सहायता नहीं मिल पाती है जिससे कि वह अपने उत्पाद का मूल्य वर्धन कर सके और इसे बाजार में बेच सके। कृषक के लिए कोई बाजार सहायता नहीं है। उसे सदा अपने उत्पाद को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए कहा जाता है।

अत: ये क्षेत्र है जहां कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जाने हैं। तब, हमें अपने किसानों को पूरक आय प्रदान करती है। एक अन्य क्षेत्र पशुपालन और डेयरी फार्मिंग है जिससे किसान काफी कुछ जुड़ा है। भारत विगत में विश्व में शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश था, किन्तु अब इस क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण निवेशित नहीं है। इसी प्रकार, कुक्कुट पालन और रेशम उत्पादन भी उचित निवेशन और ध्यान की कमी के शिकार हैं। कृषि मंत्री मत्स्य पालन के भी प्रभारी हैं। यह एक बड़ा मंत्रालय है क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र से संबंध रखता है। किन्तु इसे योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से उस प्रकार की सहायता नहीं मिलती। जो इसे मिलनी चाहिए। अत: यह सभा इस संबंध में मंत्रीजी को अपना पूरा समर्थन देती है।

महोदय, कृषि मंत्रालय को यथेष्ट वित्तीय सहायता की कमी के कारण क्या होता है? होता यह है कि कृषकों की आय कम हो रही है इस व्यवसाय में किसान की रूचि कम से कमतर होती जा रही है। यदि हमें इसकी गारंटी चाहिए कि किसान इस क्षेत्र में रहे तो हमें उन्हें काफी बड़ी सहायता देनी होगी। हमें उन्हें किफायती मूल्यों पर कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी होगी और उन इनपुट्समें पूंजी भी शामिल है जिसके बारे में यहां प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। यह डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले कृषि आयोग की सिफारिश है। मंत्री जी ने स्वयं आयोग की नियुक्ति की है। इस संबंध में मैं मंत्री जी को वह याद दिलाना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यदि कृषि में 4 प्रतिशत की दर से विकास नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत वृद्धि दर एक सपना ही रह जाएगी।

यह सपना साकार नहीं हो पाएगा। हम इस क्षेत्र में विफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम आज भी मानसून पर निर्भर हैं। यहां सिंचाई का महत्व, और अधिक धन व्यय करने का महत्व है ताकि आप बेहतर परिणाम तथा अन्य सभी कुछ करें।

एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां हमारे किसान के पास जो कि भारतीयों का 60 प्रतिशत है, अपनी पत्नी के लिए एक और साड़ी खरीदने के लिए, खुद के लिए एक और लूंगी या कमीज खरीदने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त धन है। यदि वह एक साड़ी एक कमीज, एक लूंगी, एक चप्पल और अन्य चीजें खरीदता है तो इससे कपड़ा मिलों में हजारों कामगारों को रोजगार मिलेगा। इससे अत्यधिक बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसके पास अतिरिक्त धन नहीं है। वह सदा ऋणग्रस्त रहता है।

अंग्रेजों के राज में गठित 'रॉयल कमीशन आन एग्रीकल्चर' ने कहा था कि भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है, ऋण के साथ मरता है, अपनी बिक्सत स्वरूप ऋण छोड़ कर जाता है। आज भी वही स्थिति है। हमें ऐसे उपाय खोजने होंगे जिनसे उसे सहायता दी जा सके ताकि वह इतना पैदा कर सके जिससे उसका गुजारा चल जाए और थोड़ा-बहुत अतिरिक्त धन हो जाए ताकि वह अन्य चीजें खरीद सकें और जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। यदि ऐसा करना है तो हमें सही दिशा में कतिपय उपाय करने होंगे।

सरकार छोटे और सीमान्त किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के बारे में क्यों नहीं सोचती? चीन में ऐसा किया गया और इसके परिणामस्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई क्योंकि जिसे सहायता प्रदान की गई थी, उसने आत्महत्या करने के बारे नहीं सोचा। वह कृषि में रहेगा और गुजारा करेगा। वह कठोर मेहनत करेगा और अधिक उत्पादन करेगा और उससे वह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा।

मुझे उम्मीद है कि श्री शरद पवार, जो संप्रग सरकार के बहुत कल्पनाशील कद्दावर नेता और स्वयं कृषिविद् भी हैं, कृषि की समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, वे इन सभी समस्याओं पर भलीभांति विचार करेंगे और विगत की प्रथा को बदलेंगे और कृषकों को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएंगे।

**श्री किन्जरपु येरनायडु** (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान इस देश की रीढ़ हैं। हमारी भारतीय कृषि विश्व में सबसे बड़ी है और यह जीडीपी में 24 प्रतिशत से 25 प्रतिशत योगदान भी करती है। यह 65 प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करती है। किन्तु किसान बहुत कुछ झेल रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय कृषि दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। गेहूं और चावल के उत्पादन में यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। सब्जियों के उत्पादन में यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। कपास, मूंगफली और फलों के उत्पादन में यह विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह गन्ने और आलू के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है।

किन्तु भारतीय किसान की क्या स्थिति है? कृषक समुदाय उपेक्षित दुखी, बर्बाद है और आत्महत्या कर रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान, पूरे देश में विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और केरल में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की।

**कुमारी ममता बैनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : देश के अन्य भागों में भी।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : जी हां, देश के अन्य भागों में भी। मैं मुख्य राज्यों का उल्लेख कर रहा था जहां अधिक संख्या में किसानों ने आत्महत्या की।

गत दो वर्षों में, अकेले आन्ध्र प्रदेश में 3,200 किसानों ने आत्महत्या की है।

**श्री एल. राजगोपाल** (विजयवाड़ा) : वह 1994-95 में था।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : चाहे ये जो भी हो। माननीय कृषि मंत्री के पास आंकड़े हैं।

किन्तु अन्ततः, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई, 2006 को विदर्भ के लिए एक पैकेज की घोषणा की है।

**रात्रि 8.00 बजे**

इसलिए हम इसके लिए काफी खुश हैं। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में करीब 16 जिले मुसीबत में हैं और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने करीब 51,826 करोड़ रुपये का पैकेज प्रस्तुत किया है परन्तु भारत सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सभा में माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रियाधीन है और इसे शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के किसान उत्सुकतापूर्वक इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अंततः, हमें यही करना है कि हम किसानों का ऋण माफ करें अन्यथा किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कृषि मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह पूरा ऋण माफ करें। तभी जाकर किसान खुश होंगे। ऋणग्रस्तता की वजह से, किसान निजी कर्जदाताओं से 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत की भारी ब्याज दर पर धन उधार ले रहे हैं जिसका वे भुगतानल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, किसानों का अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ऋणग्रस्तता की स्थिति बनी हुई है, इसी कारण से किसान आत्महत्याएं कर हैं। पूरा देश, सभी राजनीतिक दल, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों और कृषक समुदाय ने भारत सरकार से ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत करने का अनेक बार अनुरोध किया है। इस मौसम, खरीफ के मौसम से, भारत सरकार ने मात्र खरीफ के मौसम हेतु सिर्फ फसल ऋण के लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है परन्तु यह सम्पूर्ण कृषि पर लागू नहीं है। यदि कोई किसान खरीफ फसल के लिए ऋण लेता है तो उसके लिए मात्र 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी।

किसानों को उनके उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हाल ही में, भारत सरकार ने धान हेतु 10 रु. प्रति क्विन्टल की दर से इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। यह कैसे संभव है। लागत मूल्य में अतिशय वृद्धि हुई है। श्रम लागत, उर्वरक, जल और डीजल के मूल्य में पिछले दो वर्षों में छह बार वृद्धि हुई है। किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा? इसलिए कृषि मंत्री जी से मेरी मांग है कि धान का मूल्य बढ़ाकर 700 रु. प्रति क्विन्टल कर दिया जाए।

हम अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुसूचित जातियों के लोग नियुक्त करते है, महिला आयोग के लिए महिला प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं; परन्तु कृषि मूल्य निर्धारण आयोग में कोई किसान प्रतिनिधि नहीं है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन का समय आठ बजे तक था, लेकिन अभी मेरे पास इस चर्चा पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की काफी लम्बी लिस्ट है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच टेबल पर ले करना चाहते हैं, वे करे दें। उनकी स्पीच भी पार्ट आफ दि प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय यह चर्चा समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

**अनेक माननीय सदस्य** : ठीक है।

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : विगत अनेक वर्षों से, दलगत विचारों से ऊपर उठकर सभी ने भारत सरकार से कृषि मूल्य निर्धारण आयोग में किसान प्रतिनिधि शामिल करने का अनुरोधकिया है परन्तु सभी उत्तरोत्तर सरकारें ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के सामने धरना दिए गए हैं। इसलिए कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि हमें पूरे देश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व अन्य राज्यों से किसान प्रतिनिधि नियुक्त करने चाहिए। आप उन्हें जोनों में बांट सकते हैं। आप कृषि मूल्य निर्धारण आयोग में कुछ विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और कुछ गैर सरकारी संगठनों को शामिल करें। तभी जाकर उन्हें वस्तु स्थिति का पता चलेगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा जिसका वे कानूनी रूप से हकदार हैं। आप संप्रग के साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लें, कृषक समुदाय को प्राथमिकता दी गयी है। वर्ष 2005-06 हेतु स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार कृषि में निवेश 2.0 प्रतिशत था। वर्ष 2004-05 में यह घटकर 1.7 प्रतिशत हो गया।

इस प्रकार, हम एक चीज पर बात कर रहे हैं परन्तु हम सिर्फ दिखाने की सहानुभूति दिखा रहे हैं। धन मुहैय्या कराए बगैर कृषि मंत्रालय के लिए यह कैसे संभव होगा कि किसानों की आवश्यकताओं व मांगों को पूरा कर सके। नौवीं योजना में, कृषि मंत्रालय ने योजना आयोग से 18,253 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया था परन्तु मात्र 9,293 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। दसवीं योजना के दौरान भी कृषि मंत्रालय ने 25,001 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था परन्तु योजना आयोग ने मात्र 13,300 करोड़ आवंटित किए हैं। इसलिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की मांग पूरा करना कैसे संभव है?

महोदय, शुरू में हमने नाबार्ड की स्थापना कृषक समुदाय को ऋण देने के लिए की थी। अंततः वे अब सड़क निर्माण, पुल निर्माण व अन्य कार्यों हेतु राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। वर्तमान में, वे किसानों को कोई ऋण नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें इस संबंध में पुनः सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ नाबार्ड की शुरूआत की गयी थी अर्थात् कृषक समुदाय को ऋण प्रदान करने के प्रारम्भिक उद्देश्य को प्राप्त किया जाए।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात नदियों को आपस में जोड़ना है। मैं इस बात को इस सभा में बार-बार दोहराता रहा हूं। यदि हम यह कार्य कर सकें तो इससे सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इससे रोजगार सृजित होंगे, इससे किसानों को पानी मिलेगा तथा इससे किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी।...*(व्यवधान)*

**श्री एल, राजगोपाल** : आप बतायें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में क्या किया है।...*(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति और पूरे देश को पता है कि वे लोग परियोजनाओं के नाम पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे लोग तीन वर्षों के अंदर 16 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए जल मुहैया कराएंगे परन्तु दो वर्ष चार महीने बीत जाने के बाद भी वे यहां तक कि एक एकड़ जमीन के लिए भी जल मुहैया कराने में समर्थ नहीं है। आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में यही स्थिति है। महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति बनाए रखें।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : महोदय, हमने रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु 17,000 करोड़ रुपये से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि मुहैय्या करायी है। यदि आप नदियों को आपस में जोड़ने हेतु 20,000 करोड़ रुपये अथवा 30,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो इसके बदले में आप लोगों को रोजगार मुहैय्या करा सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते है तथा अनेकानेक गांवों को पेयजल मुहैय्या करा सकते हैं।

महोदय, विभिन्न राज्यों में काफी संख्या में परियोजनाएं पूरा होने के लिए लम्बित पड़ी हैं। विभिन्न राज्यों में करीब, 300 परियोजनाएं लगभग पूरा होने को है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, आपने 6,000 करोड़ रुपये प्रदान किए है जो इन सभी परियोजनाओं हेतु पर्याप्त नहीं है। एक बार जब आप सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर दें तो किसानों को जल उपलब्ध हो जाएगा और वे खुश होंगे तथा उन्हें सुनिश्चित फसल प्राप्त होगी।

अंततः, पूरे देश में एक तंत्र होना चाहिए। रेलवे का बजट आम बजट से अलग होता है। कृषि के लिए भी एक अलग बजट होना चाहिए। भारत की करीब 65 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। देश को अलग कृषि बजट की आवश्यकता है। कृषि राज्य-सूची के अंतर्गत है, इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला जाना

चाहिए। वर्तमान में, कृषि राज्य-सूची में है तथा भारत सरकार राज्यों को संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और कुछ वित्तीय सहयोग मुहैय्या करा रही है। यदि आप इसे समवर्ती सूची में लाएं तो भारत सरकार के पास कुछ शक्तियां होंगी और वे कृषि के लिए कुछ कर सकते हैं।

महोदय, ये मेरे सुझाव हैं। मैं इन सुझावों को स्वीकार करने हेतु कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं।

*[अनुवाद]*

*श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, कृषि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन है लेकिन फिर भी कृषि के संबंध में मुझे दु:ख के साथ टिप्पणिया करनी पड़ रही है। आज भारत में कृषि दम तोड़ रही है क्योंकि किसान और उनके ऊपर आश्रित लोग आत्महत्याएं कर रहें है। वर्ष 2005 में 25,000 किसान द्वारा आत्महत्याएं की गई थी जबकि वर्ष 2002 में 10,000 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई थी। 750 मिलियन की ग्रामीण जनसंख्या में से प्रति दस लाख ग्रामीण आबादी मे से ओसतन 33 किसान आत्महत्याएं करते है। केरल के छोटे से जिले वायनाड में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, में वर्ष 1999 के बाद से आज की तिथि तक 529 लोग आत्महत्याएं कर चुके है।

जून माह में केन्द्रीय योजना आयोग के दल की यात्रा के बाद काफी आशाएं की गई थी। दुर्भाग्यवश यह घोषणा की गई थी कि तीन वर्षों से अधिक समय में (केरल के वायनाड, कासरगौड और पलक्काड जिलों सहित) 31 जिलों के लिए केवल 698 करोड़ ही आबंटित किए गए।

किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए यह उपाय नाकाफी है। इसके कारण केरल से संबंधित सभी सांसदो का एक प्रतिनिधिमंडल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर 22 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिला था। हमने किसानों की समस्याओं की गंभीरता के बारे में बताया था और तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया था। लेकिन आत्महत्याओं का सिलसिला जारी रहा और कल भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है।

कृषि क्षेत्र की समस्याओं के चलते किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई आत्महत्याएं उस जनादेश का भी मजाक है जिसके कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता में आई। इसके साथ ही शहरोन्मुख विकास को भी अस्वीकार करती है। अभी भी विकास के ऐसे एक-पक्षीय दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक लाख करोड़ रुपए (सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी और उधार द्वारा) मुंबई को शंघाई बनाने के लिए दिए जाने वाला यह उदार आबंटन है जबकि कृषि क्षेत्र में हो रहे विनाश की अनदेखी की जा रही है।

मैं पी साईनाथ का उदाहरण देना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि "हमे पैकेज नहीं, मूल्य दीजिए"। हम कपास के मूल्य के बारे में चिंतित है"। यह कहना है 'काका' मनोहर मोतीराम जी टडास। अगर हमे उचित मूल्य मिल जाता है तो हम इस समय काम चला लेंगे। टडास इस विषय के बारे जानकारी रखते है वे लगभग 45 वर्षो से भी अधिक समय से इससे जुड़े हुए है। उनकी अन्य मांगें भी है जैसे ऋण माफी और ऋण की व्यवस्था परंतु इस समय उनकी सूची में सबसे ऊपर कपास का मूल्य है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ने तात्कालिक समाधान को खोज लिया है जोकि हमारे नीति-निर्धारकों की दृष्टि से बाहर है। क्योंकि वे जानते है कि इस पूरे कृषि संकट पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा सृजित आर्थिक उदारीकरण का साया है। बाजार उदारीकरण का अर्थ है। एकतरफा बाजार में घुसपैठ जिससे बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ पहुंचता है। जिनपर उनकी सरकारों का वरदहस्त है। जिससे कि वे तीसरी दुनिया की घरेलू अर्थव्यवस्था में आसानी से पहुंच बना सकें। कृषि आयात, आसन्न कोरपोरेटीजेशन; राजसहायता पर से सभी प्रकार की मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने और बी.टी. की खेती से फसल उगाने की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। हम ये सरल विकल्प इसलिए चुन रहे है क्योंकि अब हम कृषि की परवाह नहीं करते। कई वर्षों से कृषि के महत्व में कमी आई है। अब यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 25 प्रतिशत है यद्यपि 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए इसी पर निर्भर है। 1999 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र पर लोक विकास व्यय 14.5 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2001 में गिरकर मात्र 5.9 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट बहुत ही त्रासद है।

महोदय, आज कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही अभूतपूर्व है। लगभग सभी फसलों की कीमतों में गिरावट आई है। केवल मेरे राज्य में ही न केवल काली मिर्च, अपितु, कॉफी; इलायची, वनिला, सुपारी; अदरक और अन्य नकदी फसलो के दामो में गिरावट आई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत श्रीलंका के माध्यम से घटिया किस्म की काली मिर्च के शुल्कमुक्त आयात और उसे हमारी बढ़िया किस्म मालाबार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

काली मिर्च में मिलाने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है इसके अतिरिक्त घरेलू बाजार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण मूल्यों में गिरावट आ रही है। वायनाड के कालीमिर्च उगाने वाले किसानों की रक्षा करने के लिए हमें इस नीति में परिवर्तन करना होगा। इलायची के मामले में भी नेपाल से इसी प्रकार का आयात हो रहा है।

कॉटन का सबसे बड़े निर्यातक होने के बावजूद आज हम विश्व में दूसरा स्थान रखते है लेकिन वही दूसरी तरफ आत्महत्याओं में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मालवा में सरसों उगाने वालों को सस्ते पॉम आयल और सोया ऑयल के आयात के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। केरल में 46 प्रतिशत भूमि पर 6 मिलियन से ज्यादा नारीयल किसान, नारीयल की खेती पर निर्भर है जो आज गहरे संकट में है। वर्ष 2005 में 1000 नारीयलों (बिना खोल वाले) का मूल्य 6638 से गिरकर 4100 रुपए हो गया है जबकि नारीयल के तेल का मूल्य 7286 से गिरकर 4850 रुपए हो गया है। 1 जुलाई, 2006 से लागू होने वाले सॉफ्टा जैसे मुक्त व्यापार समझौते और 1 जनवरी, 2007 के प्रभावी होने वाले असियान जैसे समझौते के क्रियान्वयन से समस्या में और इजाफा हुआ है। अनुभव यह बताता है कि ऐसे मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत दी गई आयात सुविधाओं का भोले भाले किसानों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2000 की एक्जिम पॉलिसी के परिणामस्वरूप जनवरी 2000 में नारीयल के मूल्य 5050/1000 से घटकर जनवरी 2001 में 2446/1000 रुपए हो गए और नारीयल तेल का मूल्य 5339 प्रति क्विंटल से गिरकर 2836 प्रति क्विंटल हो गया। आश्चर्य है कि वर्ष 2004-05 में आयात शुल्क की औसत प्रयुक्त दर वर्ष 1990-91 की औसत प्रयुक्त दर की तुलना में 65 प्रतिशत कम है। भारत में न्यूनतम प्रयुक्त दर वाली कुछ महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं में दलहन 10 प्रतिशत, मक्का 15 प्रतिशत, दुग्ध चूर्ण 15 प्रतिशत इत्यादि शामिल है।

स्थानीय खरीद मूल्यो की तुलना में ज्यादा मूल्य पर गेंहू आयात करने का निर्णय बेतुका है। 1968 मे गेहूं का उत्पादन बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया जो 1964 में 12 मिलियन टन था अर्थात इसमें 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई। सरकार ने कृषि क्षेत्र में संभी छलांग लगाते हुए जुलाई 1968 में "गेहूं क्रांति" का एक विशेष नारा दिया था। इसके बाद चावल के क्षेत्र में भी यही सफलता दोहराई गई और कॉटन, गन्ना, बाजरा और तिलहनों की पैदावार में इसी प्रकार की वृद्धि दर्ज की गई थी। आज जब खाद्य उत्पादन देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाफी है इस स्थिति के बावजूद किसानों से विविधीकरण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य फसलों को उगाने के लिए कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के वायदे के कारण कृषि से ध्यान हटाकर उद्योग वाणिज्य और व्यापार और कृषि प्रसंस्करण कंपनियों पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2001-02 में 20-63 मिलियन टन खरीद की गई थी जो 2005-06 में गिरकर 14.79 मिलियन टन रह गयी। सबसे बुरी बात यह हुई थी कि हमने इस वर्ष में अभी तक 3.5 मिलियन टन गेहूं का आयात किया है।

सरकार द्वारा व्यापारिक घरानों जैसे कारगिल, कांटीनेंटल, रिलायंस, आई टी सी और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को सीधे किसानो से खरीद की अनुमति देने के बाद यह संकट उत्पन्न हुआ है। आयात करने का निर्णय और 84 लाख टन के बफर स्टॉक मानक की तुलना में अनुमानत: 62 लाख टन के केन्द्रीय पूल से हमारे देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा? यह तथ्य बहुत ही दुखद है कि पिछले दशक में खाद्य तेलों, चीनी, फलों और सब्जियों सहित कृषि आयात में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने इसे देश के लिए "खतरे की घंटी" कहा है अमरीका और आस्ट्रेलिया से किए जाने वाले निर्यात से विदेशी जंगली पौधो का खतरा भी है। यहां पर इसका एक ही उदाहरण काफी है। पारथीनियम खरपतवार जो अब 15 प्रतिशत भू-भाग पर फैल गया है। यह खरपतवार पी एल 480 के साथ आया था।

पिछले कई वर्षों से दलहनों की पैदावार 12-13 मिलियन टन पर रूकी हुई है जिसके लिए हमें वर्ष 2004-05 में 2,261 करोड़ रुपए की मूल्य की दालों का आयात करने की आवश्यकता पड़ी। उड़द और मूंग की दाल को जीरो शुल्क पर म्यांमार से आयात किया गया। कनाडा, आस्ट्रेलिया, तुर्की और मैक्सिको जैसे देशो ने दलहनों की खेती में वृद्धि करने के लिए इसे विस्तृत भू-भाग पर उगाना शुरू कर दिया जिससे स्थानीय किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदारीकरण के बाद दैनिक रूप से प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्रतिबंधित सूची से निकालकर खुली सामान्य लाइसेंस की सूची में डाल दिया गया।

कृषि राज्य का विषय है। लेकिन केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों जिन पर ऐसे समझौतों से बुरा असर पड़ता है से सलाह-मशविरा किए बिना अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए है। यह हमारी संघीय संरचना के सिद्धांत के विरुद्ध है।

यह किसानों विशेषकर वायनाड के किसानों के लिए हानिकारक है जिनके पास दो हेक्टेयर की तुलना में 92 प्रतिशत कम जोत है। अत: वह पूरी तरह उचित मूल्यो पर निर्भर है। उदाहरण के लिए कॉफी को लेते है वायनाड में 80 प्रतिशत कॉफी होती है जोकि विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली है। उत्पादक से खुदरा बाजार तक पहुंचते-पहुंचते कॉफी के मूल्य में सौ फीसदी का इजाफा हो जाता है। नेस्ले, यूनीलीवर और स्टारबक्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमा रही है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि सभी नकदी फसलों के लिए कमोडिटी बोर्डों को सुदृढ़ किया जाए; न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए और तत्काल प्रसंस्करण तथा विपणन अवसंरचना को तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, प्रस्तावित बीज विधेयक पर की जा रही चर्चा से कारगिल, मोनसेन्टो, सिजेन्टा इत्यादि जैसे अंतरराष्ट्रीय बीज विक्रय निगम सुदृढ़ होंगे। 14 राज्यों में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में संशोधन और एक समेकित खाद्य विधेयक के पुर:स्थापित हो जाने से भारत के निगमित निकायो की दृष्टि कृषि पर गई है।

अनुबंध कृषि को कानून में परिवर्तन करके सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने का तात्पर्य यह होगा कि किसानों को अपनी स्वतंत्रता और भूमि पर अपने अधिकारों का त्याग करना होगा। कारगिल एवं मोजांटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कृषि के सभी चरणों यथा बीज, कीटनाशक, खरीद एवं प्रसंस्करण में तेजी से संलग्न होती जा रही हैं। भारतीय कंपनियां रिलायंस (गुजरात में औषधीय एवं सुगंधित पौधे) कर्नाटक में हिन्दुस्तान लीवर (टमाटर), राजस्थान और हरियाणा में बिरला सब्जियां पहले से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। हाल में दिल्ली ने इस प्रणाली के परिणामों में से एक परिणाम को भुगता। टमाटर के मूल्यों में वृद्धि हुई क्योंकि पेप्सी कंपनी जिसने वर्ष 1989 में पंजाब होशियारपुर में टमाटर कृषि के माध्यम से भारत में अनुबंध कृषि के रूझान को आरंभ किया, ने बाजार से शेष उत्पाद भी समेट लिए। अब वे बासमती का कारोबार भी कर रहे हैं। महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक 2005 में किसानों के खून पसीने की कीमत पर निगमों के स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रावधान है।

उदारीकरण यह उनके जीवन की क्या कीमत है के दौर के बाद के एक शर्मनाक आंकड़े यानि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की न्यून खपत जोकि 175 किलो से 155 किलो है, से साबित होता है। अमर्त्य सेन यह कहते हैं कि बार-बार अकाल पड़ने के बावजूद, "अफ्रीका भारत के मुकाबले नियमित रूप से पोषण का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम है" और अफ्रीका की तुलना में हमारे बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषित हैं।

राजसहायता के संबंध में, महोदय मैं कुछ रहस्योदघाटन करने वाले आंकड़ें दूंगा। विकसित राष्ट्रों द्वारा व्यापार प्रतिबंधों से विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 मिलियन डालर की हानि होती है, जोकि उनके द्वारा सहायता के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि से 20 बिलियन डालर अधिक होता है। यदि तीसरा विश्व उन्हीं व्यापार प्रतिबंधों का प्रयोग करे तो उसे संरक्षणवाद कहा जाता है। चालू अवधि के अनुमान यह है कि पश्चिमी देशों में राजसहायता की राशि 350 बिलियन डालर प्रतिवर्ष है जोकि वर्ष 1994 से पहले 276 बिलियन डालर थी। यूरुग्वे दौर की वार्ता में यूरोपीय संघ और अमरीका ने 'ग्रीन' एवं 'ब्लू' बक्सों के अंतर्गत अपनी राजसहायता को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा, जिसके संबंध में कटौती करने का कोई वायदा नहीं किया गया था। मैं तीसरी दुनिया के देश ब्राजील और हमारे देश के बीच के अंतर को बताने के लिए केवल कॉफी के मामले का उल्लेख करूंगा। उतार-चढ़ाव वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण कॉफी के मूल्यों में गिरावट आई है। वायनाड में, सर्वोत्तम किस्म की रोबस्ता कॉफी को ऐसी स्थिति के प्रकोप से कोई संरक्षण हासिल नहीं है, जैसाकि ब्राजील में है, जहां काफी डेवलपमेंट फंड (फनकेस) कॉफी की फसल एवं छोटे उत्पादकों की भंडारण लागतों के वित्त-पोषण हेतु 1.67 बिलियन डालर नियत करने के अलावा सरकार से और 392 मिलियन डालर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

डब्ल्यू टी ओ के बाद के समय में भारतीय कृषि आयात की वृद्धि दर 132% थी और निर्यात की वृद्धि-दर 90.7% थी। डब्ल्यू टी ओ समझौतों के दौरान कृषि, चमड़ा, वस्त्र और परिधानो जैसे क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि होने का अनुमान था, जबकि वस्तुत इन श्रेणियों में गिरावट आई है।

महोदय, मुझे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करने की अनुमति दी जाए। पूरे देश में लगभग 1.8 करोड़ परिवारों को 150 बिलियन रुपए से ज्यादा की वस्तुओं का संवितरण करने वाले 4,51,000 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के साथ, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में अपने प्रकार की सबसे बड़ी संवितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक रसद-नियंत्रणकारी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन एवं खाद्य तेलों का राज-सहायता प्राप्त दरों पर संवितरण किया जाता है। भारत में, वर्ष 1995 से, जब डब्ल्यू टी ओ के नियम क्रियान्वित करने आरंभ किए

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

गए, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आ रही है। वस्तुतः, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 38वें दौर से वर्ष 1992 के बाद से अनाज की खपत में गिरावट को दर्ज किया है। अनुमान के अनुसार 63% भारतीय बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कुल भारतीय बच्चों में से 53% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश के अधिकतर राज्यों में ज्यादातर किसान अपना पूरा धन भोजन पर व्यय कर देते है और शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल के लिए थोड़ा धन ही बचता है। इसलिए कल्याणकारी उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखा जाए और इसे समाप्त करने के सभी प्रयासों का विरोध किया जाए।

इस स्थिति को और गंभीर बनाया है बीटी बैंगन के आगमन ने, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखा गया है। तथापि, मैं इन फसलों से हुए खतरे की दो उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्तरी बंगाल औरर पुरुलिया के पर्वतीय क्षेत्रों में लगाए गए संगरोध पर खबर आई है, जहां पेप्सी द्वारा आलू की अटलांटिक किस्म उपजाई जा रही है। यह संभावना है कि इससे रोग फैल सकता है। इनका चिप्स के रूप में प्रसंस्करण किया जाता हैं हमें इस मुद्दे का समाधान करना होगा कि क्या यह मानव खपत के लिए उपयुक्त है या नहीं। कल पर्यावरण समूहों ने यूरोपीय संघ से कहा था कि वह जापा का अनुसरण करे और अमरीकी सरकार द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि एक गैरकानूनी एवं गैरपरीक्षित जैवे संवर्धित कड़ी (स्ट्रेन) ने खाद्य-श्रृखला को संतुलित कर दिया है, अमरीकी चावल के आयातों को प्रतिबंधित करे। दि गार्जियन के 22 अगस्त, 2006 के एक समाचार के अनुसार संदूषण का स्रोत जर्मनी स्थित जैवप्रौद्योगिकी कंपनी 'बेयर' द्वारा उत्पन्न एल एल राइस 601 के नाम से ज्ञात एक प्रायोगिक जी एम चावल है।

बैंक किसानों को कृषि प्रयोजनों हेतु गैर-कृषि ऋण प्रदान करते है। जब फसल खराब होती है, जो भुगतान में चूक होती है। अनुभव से यह साबित हुआ है कि, संकट के अलावा किसान कभी भुगतान में चूक नहीं करते हैं। उक्त पुनर्निधारित ऋणों पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अधिक हो जाता है। चूंकि किसान अत्यंत गरीबी की हालत में होता है, उक्त सभी ऋणों को माफ कर देना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों, नाबार्ड, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी बैंकों के बीच घनिष्ठ समन्वय अनिवार्य है। जालसाज महाजनों से अत्यंत ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने वाले किसानों को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय किसान आयोग की किसानों को 4% ब्याज पर किसानों को ऋण प्रदान करने की सिफारिश को तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मैं किसानों की ओर से एक अपील के साथ समाप्त करना चाहता हूं। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों तक, वायानाड अमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक अक्षय पात्र था। वर्तमान में, वायानाड में किसानों पर कुल बकाया ऋण लगभग 800 करोड़ रुपए है, जोकि इस वर्ष 28 अप्रैल की स्थिति के अनुसार 7,77, 435 करोड़ रुपए 160.67 बिलियन डालर के विदेशी मुद्रार भंडार और 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सभी बैंकों की 90,000 करोड़ रुपए की गैर निष्पादनकारी आस्तियों का एक अंश मात्र है। उपरोक्त वित्तीय परिदृश्य में क्या किसानों के संकट के दौर में उनके लिए मानवीय पैकेज नहीं देना चाहिए?

मै इस दावे के साथ कहता हुआ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे किसान प्रौद्योगिकी और उदारीकरण के नाम पर भूमि, जल और बीज पर अपने अधिकारों को खो रहे हैं। इसके अलावा, इन नीतियों को सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर बिना किसी चर्चा के चुपके से क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या हम अपनी कृषि भूमि को विशाल कब्रगाह में बदलना चाहते हैं?

*[हिन्दी]*

*श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश के किसानों में व्याप्त निराशा पर बहस की वजह सरकार की नीति किसानों के हित में आजादी के बाद 60 सालों तक कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी। इसी वजह से किसानों की बदहाली बरबादी हो रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्व. पं. जवाहरलाल नेहरु जी ने सभी क्षेत्रों में नीति बनने में विलम्ब हो सकेगा, लेकिन किसानों के प्रति सर्वेक्षण नीति हमें बनानी होगी व मैं बनाऊंगा। इसके बावजूद पं. नेहरु जी के बाद आज तक कृषि नीति नहीं बनवाना, यह भी निराशा आत्महत्याओं की वजह है।

इस कृषि प्रधान देश में किसानों की बदहाली निराशा, खेती के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रति निरुत्साह व किसानों की आत्महत्या से सभी व्यथित हैं। कई बार तो प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं।

इस निराशा के आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों को हम तुरंत हल नहीं कर पायेंगे। यह भी सत्य है। हमारे कई सदस्यों ने यहां विचार रखे। सभी ने चिंता व चिंतन किया। मैं भी उन्हीं की तरह। किसानों के कृषि उपज को दाम मिलना खेत की सिंचाई व कर्ज माफ-कम ब्याज पर कर्ज मिलना इत्यादि बातों से मैं सहमत रहते कृषि मंत्री जी को मैं कृषि आयोग के अध्यक्ष श्री डा. स्वामीनाथन जब विदर्भ के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था- प्रेस में छपा था विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की वजह सिंचाई क्षेत्र की कमी, अनाज का मूल्य नहीं मिलना तथा बैंकों के ब्याज के दर में किसान गड़ रहा है। इन तीनों बातों पर ध्यान दिला चाहता हूं।

मैं मानता हूं कि हम सिंचाई हेतु बांध व सिंचाइ परियोजनाएं तुरंत नहीं बन पायेंगे। अनेक दिक्कतें आयेंगी। धनराशि के साथ पर्यावरण मंत्रालय व अन्य कारणों से विलम्ब संभव है, लेकिन जिन किसानों को वैयक्तिक स्तर पर सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी उन्हें सरकार मदद करे। कुआ नाले नदी से सिंचाई हेतु मांगे उतनी कनैक्शन बिजली का देने की व्यवस्था करें। बिजली मुफ्त नहीं, लेकिन कनैक्शन बिजली जल्द देने की नीति बनाएं। मेरे अकेले महाराष्ट्र में 6 लाख के करीब किसानों ने बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया तो देश में कितने लाखों करोड़ के पास किसान बिजली कनैकशन हेतु प्रतीक्षा सूची में होंगे। उन्हें कनैक्शन देना है। हमारे व किसानों के हित में होगा। प्रलंबित सिंचाई परियोजनाएं वन पर्यावरण मंत्रालय की समती की वजह रूकी है। उन परियोजनाओं को पूरा करने का भी प्रयास जाने रहे। ताकि ही निकट भविष्य में किसानों को अधिक सिंचाइ प्राप्त हो।

किसानों की कृषि उत्पादकों जो समर्थन मूल्य दिया जाता है उस मूल्य से कोई भी दल किसी राज्य का किसान खुश नहीं है। लागत के अनुरूप उत्पादकों को दाम नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में धान की प्रति क्विंटल उत्पाद की लागत 950 रुपये आती है। उन्हें 610 रुपये समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान 340 रुपये नुकसान प्रति क्विंटल पर होता है वह कैसे जिंदा रहेगा।

बाजार में मूल्य बढ़ते हैं सरकार अंकुश लगाने में अनेक प्रयास करती है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दलहन के दाम टमाटर के दाम घटाने हेतु राज सहायता दी इन किसानों के उत्पाद की अधिक मूल्य न मिले इसलिए पूरे प्रयास किये लेकिन सीमेंट, लौहा, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज अन्य वस्तुओं के बढ़ते दामों को कम करने का प्रयास नहीं किया। राज सहायता नहीं दी इससे कांग्रेस सरकार की किसानों के प्रति नीति स्पष्ट होती है।

महोदय, बाजार में कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ने को अनेक बाधायें आ रही हैं जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही काम को बदले अनाज योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के माध्यम से मजदूरों को मिलने वाला अनाज काला बाजार में बिकता है। यह चोरी के रास्ते बिकने वाला अनाज मार्केट में सस्ता बिकता है। अनाज की कीमतों को बाजार में बढ़ने नहीं देता, यही नहीं कई कई राज्यों में चुनावों में घोषणा की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा कि हमें चुनकर दो हम 2 रुपये किलो चावल, गेंहू देंगे। यह सस्ते गेहूं चावल की काला बाजारी होती है। बाजार सस्ते दामों पर बिकता है। इन विविध योजना से मिलने वाला अनाज बाजार में मार्ग से आता है। बाजार में मंदी लाता है। इस पर विचार होना चाहिए यह घोषणा व काम के बदले अनाज के कार्यक्रम बंद होने चाहिए।

किसानों की आत्महत्याओं को राज्य सरकार जिम्मेवार दिखती है। लेकिन हमें चाहिए धान, कपास, गेंहू व दलहन उत्पाद को उचित दाम लाभप्रद मूल्य देना ही किसानों की निराशा की तथा आत्महत्याएं रोक सकेगा।

हमें चाहिए किसानों को पंरपरागत फसल के साथ अन्य उत्पाद हेतु भी प्रोत्साहित करे। तिलहन हेतु नये संशोधन कर पाम ट्री जैसे, जट्रोपा, करण, महुआ अन्य ऑयल शिड वाले वृक्ष कृषि में लगाने हेतु प्रयत्न करें ताकि किसान इन पेड़ों से कई सालों तक नियमित उत्पाद ले सके, जिस पर बाढ़ सूखे का ज्यादा असर नहीं होगा। इस सुझाव पर भी विचार करें ताकि देश को खाद्य तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थो पर होने वाली विदेशी मुद्रा को व्यय रोक सके व किसानों को भी आय बढ़ सके।

मैं चाहता हूं किसानों को न्याय देने हेतु निराशा समाप्त करने हेतु इस कृषि प्रधान देश में किसान को आत्महत्या से रोके उसे सम्पन्न बनाने हेतु कारगर प्रयास हों।

**कुमारी ममता बैनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को एक स्लोगन दिया था "जय जवान, जय किसान," लेकिन हम उस नारे को भूल गये। आज हम कहते हैं कि,

[कुमारी ममता बैनर्जी]

*[अनुवाद]*

"हम आत्मनिर्भर हैं, और हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं"

*[हिन्दी]*

हमें किसानों को ज्यादा महत्व देना है लेकिन यह सच है कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो या केरल हो,

*[अनुवाद]*

हर जगह के किसान परिस्थितियों के शिकार हुए हैं। मैं नहीं जानती, क्यों।

*[हिन्दी]*

मैं दो-तीन बातों की ओर माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं। आजादी के 59 सालों के बाद एक रिव्यू करा लीजिए -

*[अनुवाद]*

कितनी कृषि भूमि थी?

*[हिन्दी]*

कितनी जमीन थी और अब कितनी है - हमारा देश में हरित क्रांति हुई है, लेकिन आज कितनी नेट एग्रीकल्चरल लैंड है और कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है?

*[अनुवाद]*

काफी अधिक भूमि कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई है। कृपया उस कृषि भूमि को लौटा दीजिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सरकार को कृषि भूमि के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

ये लैंड किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड दे देंगे तो किसान कैसे खेती करेंगे।

*[अनुवाद]*

आप समझेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफी अधिक है। अत: यहां मैं कृषि संबंधी नीति की पूर्व समीक्षा के लिए जोर दूंगी। आज कृषि मजदूर, भूमिहीन मजदूर और गरीब किसानों की स्थिति क्या है?

*[हिन्दी]*

इसे रिव्यू करना बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई, अगर ऐसा होगा, तो देश में फूड क्राइसिस हो जाएगा यह सच है। यहां हमारे दोस्त मौजूद हैं और वे अपनी बात भी कहेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी।

हमारे राज्य में प्रोडक्शन अच्छा था। हमारे राज्य में 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर में उत्पादन होता था, वह अभी कम होकर 1 करोड़ 50 लाख रह गया है। 10000 हेक्टेयर एकड़ में प्रोडक्शन कम हो गया है। फिर 2007-08 में 1 करोड़ 80 लाख का टार्गेट है, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर में प्रोडक्शन होगा। पूरे देश का क्या होगा? ऐसी बहुत सी जगहें हैं। चुनाव के समय हम किसान की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कहीं भी किसानों की बात नहीं की जाती है। अगर करते भी हैं तो रात के 10 बजे करते हैं, जब सारे सदस्य दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, प्रेस भी व्यस्त रहती है।

*[अनुवाद]*

उन्हें समय-सीमा मिली हुई है। यह संदेश लोगों में नहीं जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

ऐसा क्यों है? मैं समझती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय किसान का है। किसान का इश्यू डिस्कस करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में रिव्यू कीजिए।

*[अनुवाद]*

सरकार को एक भूमि बैंक की स्थापना करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

उस लैंड बैंक में लैंड मैप भी होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

हम औद्योगीकरण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन कृपया भगवान के लिए कृषि मजदूरों की दयनीय दशा पर, कृषि भूमि पर विचार

कीजिए। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं। उद्योगों को बढ़ने दीजिए, लेकिन इसके साथ ही कृषि कार्य के लिए पर्याप्त कृषि भूमि रहने दीजिए। हम कृषि भूमि के बिना कुछ भी नहीं बो सकते।

*[हिन्दी]*

अगर खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कपड़ा नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो जीवनयापन के लिए दूसरी आवश्यक चीजें कैसे प्राप्त होगी? एग्रीकल्चरल लैंड मैप हर राज्य के लिए होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

अतः, कृषि भूमि बैंक की जरूरत है। एक अन्य आवश्यकता कृषि मैचिंग की है।

*[हिन्दी]*

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि किसानों के लिए एक बैंक होना चाहिए, जहां से सिर्फ किसान को लोन मिले।

*[अनुवाद]*

कृषि मजदूरों और किसानों को ऋण मिलना चाहिए।

*[हिन्दी]*

वहां किसान को पता चलेगा कि यह बैंक हमें लोन देने के लिए बनाया गया है और अगर किसी कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो किसान को पता होगा कि यह बैंक उसे लोन देगा। वह पैसा बैंक में जमा भी कर सकता है। क्या हम किसान के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं?

*[अनुवाद]*

हमारी जनसंख्या का साठ प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। हम कृषि मजदूरों के लिए भूमि बैंक की स्थापना कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

अभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यही कोशिश होती है कि किसान की एग्रीकल्चर लैंड बेच दी जाए। क्या होगा? उसके ऊपर शॉपिंग मॉल होगा, ब्यूटी पार्लर होगा। शॉपिंग मॉल होने चाहिए लेकिन हमारे किसान कहां जाएंगे। अगर एग्रीकल्चर लैंड शॉपिंग मॉल के लिए दे देंगे, हाउसिंग के लिए दे देंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों को कोई मार्किट बनाने के लिए दे देंगे तो किसान कहां जाएंगे?

*[अनुवाद]*

हमें अपने किसानों पर गर्व है। हमें अपने उद्योग पर भी गर्व है। हम औद्योगिक भूमि और कृषि भूमि के बीच कोई अंतर नहीं चाहते हैं। बात केवल यह है कि कुछ प्रतिबंध होना चाहिए।

*[हिन्दी]*

कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड में जिसे खेती करनी है, उससे अपना परिवार चलाना है। देश में लैंडलैस लेबर कितनी है? यह पहले 39 लाख थी लेकिन तीन-चार बरस में 79 लाख हो गई है। क्यों हो गयी है? हम 50 हजार एकड़ जमीन प्रमोटिंग के लिए देते हैं। इससे जमीन कम

*[अनुवाद]*

महोदय, आप कृपया पता लगाएं कि यह सच है अथवा नहीं। छः लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए दी गई है।

*[हिन्दी]*

शॉपिंग मॉल बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बनाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन पहले किसान को जिंदा रखना आवश्यक है। अगर आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो जिन्दा लाश किस काम की होगी?

*[अनुवाद]*

इसके साथ ही, मेरी राय यह नहीं है कि मुझे कृषि मजदूरों में रूचि नहीं है।

*[हिन्दी]*

हमें एग्रीकल्चरल लेबर की प्रॉबलम देखनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्हें सस्ते दाम पर उर्वरक नहीं मिल रहा है।

[कुमारी ममता बैनर्जी]

*[हिन्दी]*

अब इलैक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए हैं। पहले किसान को एक मोटर चलाने के लिए एक हजार रुपए एक महीने में देने पड़ते थे। एक स्टेट में उसके रेट दस हजार रुपए हो गए है। किसान कैसे देंगे? ऐसा स्वयं गवर्नमेंट ने कहा है। चार हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और हमारे बंगाल में भी किसानों ने आत्महत्या की है। बंगाल में पहले किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। एक हजार से ज्यादा वर्कर टी गार्डन में मर गए। वे सब बिहार के थे। चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, वे सब जगह मर रहे है। चाहे डोंकाल हो, चाहे जालंगी हो, चाहे राजरहाट हो, चाहे भांगोड़ हो चाहे सिंगूर हो...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे यह पता है कि काफी सदस्यों को बोलना है।

*[हिन्दी]*

अभी नोटिफिकेशन हुआ है। आज फर्टिलाइजर के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं कि जमीन दे दी जाए। क्यों दी जाए। कहते है कि पंसद है। पंसद है तो क्या दे दी जाए? अगर किसी को कोई चीज पसंद है और वह कह दे कि पार्लियामेंट दे दो, क्या आप दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। वह पसंद हो सकती है। बहुत सारी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है जिसे आप दे दें। कोई दिक्कत नहीं है। राजरहाट में 9 हजार एकड़ लैंड लेने के लिए तैयार हो गए। सिंगूर में दो हजार एकड़ लैंड लेने के लिए तैयार हो गए। हल्दिया में चार हजार एकड़ लैंड लेने के लिए तैयार हो गए। भांगोड़, रायचौक और कुल्फी में 40 हजार एकड़ लैंड लेने के लिए तैयार हो गये। वर्कर्स को खाना नहीं मिलता है। बाहर से कोई आता है और कहता है कि जमीन दो। उन्हें जमीन दे दी जाती है। यह भी एक कारण है जिसके लिए किसान मरते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो

*[अनुवाद]*

केन्द्र सरकार को इस मामले को देखना चाहिए।

*[हिन्दी]*

एक पॉलिसी होनी चाहिए। किसी के लिए दूसरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ आपसे रिकवैस्ट करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। लैंडलैस लेबर देश में सबसे ज्यादा है लेकिन उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना देश के लिए भी अच्छा है। रिम्यूनरेटिव प्राइज होने चाहिए और किसानों को बचाने के लिए नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए सेव किसान स्कीम, किसान बचाओ, देश बचाओ - इस तरह की स्कीम देश में होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी किसानों के लिए जरूर कुछ करेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के किसानों के ऊपर जो एकतरफा बुलडोजर चलता है, वह नहीं चलना चाहिए, इसे आप खत्म करिये। यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खत्म हो जायेगा तो देश खत्म हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इस संबंध में कुछ कीजिए। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे और देश के लोग समझेंगे कि हम लोग जो भी लड़ाई करते हैं, देश के लोगों के लिए करते हैं। जनता के लिए हम हमेशा लड़ाई करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री सुरेश प्रभु बोलेंगे। कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखें।

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** (राजापुर) : मैं अपनी बहन से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

***प्रो. एम. रामदास** (पांडिचेरी) : महोदय, मुझे यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण तथा पीड़ादायक है कि 10 पंचवर्षीय योजनाओं तथा 50 वर्षों के विकास अनुभव के बाद भी हम बार-बार किसानों की व्यथा की चर्चा कर रहे हैं। पिछले ढाई वर्षों में इस सभा ने किसानों की समस्याओं किसानों द्वारा आत्महत्या तथा किसानों की कठिनाईयों पर चर्चा करने में पर्याप्त ध्यान दिया है। लेकिन हम जब भी किसानों की पीड़ाओं की चर्चा करते हैं, हमारे सामने किसानों की पीड़ाओं और दुर्गति के और साक्ष्य सामने आते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हम जानते हैं और हमें इस पर गर्व है कि भारत 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय किसानों द्वारा आत्महत्या करने की दर में भी वृद्धि हो रही है। अगर दुर्दशा का एक सूचकांक, अभावग्रस्तता का एक सूचकांक तैयार किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि की दर और दुर्दशा की दर में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह काफी विरोधाभासी है क्योंकि विकास से आय में सृजन क्रय शक्ति वृद्धि और इस प्रकार खुशहाली में वृद्धि की आशा की जाती है। यह स्पष्ट विरोधाभास केवल यही दर्शाता है कि हमने ऐसा माडल अपनाया है जो कृषि विकास के लिए अनुकूल नहीं है। भारतीय कृषि विकास की उस दर को जिसे हिन्दू विकास दर कहा जाता है और यह 3% की दर है, को पार नहीं कर पाती है जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में किसान हाशिए पर अकेले जा रहे हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य क्यों है? हमारी नीतियों में क्या खामियां है? हमारे किसान क्यों दुर्दशा की स्थिति में हैं? क्या किसानों की दुर्दशा के लिए यह सरकार उत्तरदायी है? क्या हमारे किसान उत्तरदायी हैं? क्या इसके लिए प्रकृति उत्तरदायी है?

मेरी राय में दोष उपर्युक्त इन तीनों कारकों में है। प्रकृति विनाशात्मक भूमिका निभा रही है। कभी बाढ़ अथवा कभी सूखे के फलस्वरूप काफी दुर्दशा होती है। जहां तक भारत का संबंध है प्रकृति का स्वभाव काफी कृपण रहा है जिसके फलस्वरूप कृषि कार्यों में काफी अनिश्चितताएं एवं जोखिम पैदा हो जाते हैं।

जहां तक किसानों का संबंध है तो गरीबी का दुश्चक्र, जिसमें वे निर्वाह करते हैं, अल्प उत्पादकता, भूमिजोतों का छोटा आकार तथा सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं में उनका विश्वास उनके दुःखों के कारण हैं।

सरकारी पक्ष की ओर से कृषि निवेश में ह्रास, राजसहायता में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप निविष्टियों की बढ़ी हुई लागतें, मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने तथा असावधानीपूर्ण आयात प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप उत्पादों के मूल्यों में तीव्र गिरावट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव, अपर्याप्त एवं असामयिक ऋण आधार ने किसानों की समस्याओं को बढ़ाया है। इस उभरती परिस्थिति में निम्नांकित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

सरकारी निवेश में वृद्धि, राज्यों में भूमि सुधार तथा जमीन जोतने वालों में अधिशेष भूमि बांटने जैसा कि तमिलनाडु में किया जाता है, राजसहायता में वृद्धि, जल संसाधनों का सामाजिक नियंत्रण एवं साम्यपूर्ण वितरण, सहकारी बैंकिंग का सुदृढ़ीकरण, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार तथा देश के सभी भागों से खरीद, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक एवं सतत भूमि उपयोग नीति की शुरूआत तथा पर्यावरण संरक्षण। हमें कृषि संसाधनों, पंचायती राज के लिए निधियों की सुपुर्दगी तथा सूखा, बाढ़ तथा भूमि कटाव नियंत्रण के लिए पर्याप्त निधियों के आबंटन पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

हमें किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे प्रेरित करना होगा कि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं और सरकार को किसानों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तब पहले प्रश्नकाल होता है, उसी तरह से हर सैशन से एग्रीकल्चर के ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक सैशन जाता है और दूसरा सैशन आता है तो उसमें भी हम चर्चा करते हैं। मेरा कहना है कि सैशन के बिजनेस में फार्मर्स सुसाइड और एग्रीकल्चर की समस्याओं पर बहस कराने के लिए पहले ही एक कार्यकाल तय किया जाए, ताकि इस तरह से जल्दी में इस विषय पर चर्चा न हो। इस पर दो-तीन दिन का समय रखना चाहिए। हर सैशन में हम चर्चा करते हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर सैशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में कृषि की समस्या है, मैं समझता हूं कि आज बुनियादी स्तर पर इसमें बदलाव लाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम आज तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमने देखा है कि हर तरफ जो बयान दिये जाते हैं, उनमें हम हमेशा कहते आये हैं कि कृषि क्षेत्र की जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे हल करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया गया है। लेकिन जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने जो ऋण लिया है

**रात्रि 8.22 बजे**

**[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]**

उसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। यदि हम उसे और ऋण देंगे तो आत्महत्याओं का सिलसिला कैसे कम होगा, यह मेरी समझ

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

में नहीं आता है। क्योंकि सरकार की तरफ से नेशनल सैम्पल सर्वे का जो बयान आया है, उसमें लिखा है कि 51 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सैक्टर से ऋण नहीं मिल रहा है, उन्होंने इनफोर्मल सैक्टर से पैसा लिया है। उसकी वजह यही है कि जिन लोगों को ऋण की जरूरत है, उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह बैंकिंग सैक्टर से बाहर है और बैंक की तरफ से जिन्हें ऋण दिया जा रहा है, उनमें जिन्होंने पहले ऋण लिया था, उनके लिए क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं है, उसकी और कोई डाइमैन्शन है, उसके लिए भी सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को आज जिस तरह की राहत की जरूरत है, उसमें मैं दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं। हमारे देश में कृषि मंत्री, श्री शरद पवार साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन राजनीति में जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें कृषि के बारे में हिस्ट्री, प्रेजैन्ट सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी शायद ही किसी को होगी उन्होंने बारामती में किसानों की हालत जिस तरह से सुधारी है, उसे देखकर देश का हर किसान शायद यही चाहेगा कि उसे भी बारामती के किसानों जैसा जीवन जीने का मौका मिले। मुझे पता है कि आज जो खेती की जाती है, उसमें 83 प्रतिशत ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनोमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें कहा गया है कि हम कितना ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। यांग्से, जो चीन की रिवर है, माइकेश रिवर उसके ढाई एन्युअल इनफ्लो के बराबर हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। इतना ग्राउंड वाटर कहा से आयेगा। आज जो हमारी हालत हैं, आगे आने वाले दिनों में हमारी हालत इससे भी अधिक खराब हो जायगी, यदि पानी की समस्या को हम किसानों की समस्या से नहीं जोड़ेंगे। मैं यह मानता हूं कि यह हमारे लिए एक चैलेन्ज हैं और दूसरा चैलेन्ज फ्रैगमैन्टेशन ऑफ लैन्ड है। यदि इसी तरह से हमारी आबादी बढ़ेगी तो वर्ष 2050 में हमारी आबादी 60 प्रतिशत बढ़ने वाली है, यानी हमारी आबादी 160 करोड़ हो जायेगी। इसका असर हमारे फ्रैगमैन्शन पर क्या होगा, यह भी सोचने की जरूरत है।

तीसरी बात मैं सॉइल के बारे में कहना चाहता हूं। जहां भी ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति हुई, वह सही हुई। लेकिन जहां भी हरित क्रांति हुई है, उन राज्यों को हालत आज बहुत खराब है, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में जहां ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं पहुंची है, जिनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वांचल आदि प्रदेश हैं, वहां हम ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे लाएं, यह हमारे सामने एक चुनौती है।

[अनुवाद]

चौथे, 1991 से लगातार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कृषि में हमारा निवेश लगातार कम होता जा रहा है।

[हिन्दी]

नहीं मानता हूं कि जिस तरह से रिफॉर्म्स हमने शुरू किये, उन रिफॉर्म्स में हमने इंडस्ट्री और ट्रेड की तरफ ध्यान देकर रिफॉर्म्स किए। चीन में, 1978 में जब रिफॉर्म्स की शुरूआत हुई थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर से यह शुरूआत की थी। लेकिन हमने बहुत गलत ढंग से काम करने की शुरूआत की, जैसे अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो टॉप की बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की तो वह खड़ी नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले हमारे क्षेत्र में पब्लिक इंवेस्टमेंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात, आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो सेन्ट्रल स्टैटिस्टीकल ऑरगेनाइजेशन ने सर्वे किया, उसमें यह आया कि 45 प्रतिशत किसानों का यह कहना है कि सोशल स्टेटस न होने के कारण हम एग्रीकल्चर छोड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से किसानों को सोशल स्टेटस दिया जाए। यह भी सोचने की बात है। आज हालत यह है कि अगर किसान कहेगा कि मैं किसान हूं तो शायद उससे शादी करने के लिए अपनी कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सोशल स्टेटस गिरता जा रहा है, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले सालों में हमने देखा कि जीडीपी की ग्रोथ तो हो रही है,

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की तुलना में कृषि का हिस्सा कम हुआ है जबकि कृषि पर आश्रित जनसंख्या में 'कमी नहीं' आई है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसानों की प्रतिव्यक्ति आय में व्यापक स्तर पर कमी हुई है। इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि सूक्ष्म स्तर पर भी इसमें किस प्रकार कमी आई है।

महोदय, मैं आपसे सहयोग करते हुए अपनी तरह से ही समाधान लेकर आऊंगा ताकि मैं ज्यादा समय न लूं। सर्वप्रथम, मेरे विचार में

इस पूर्वाग्रह से हमें मुक्त हो जाना चाहिए कि किसानों की समस्या केवल कृषिगत ऋण से संबंधित है। यह कई समस्याओं में से एक है न कि सारी समस्याएं इसी में निहित है। अतएव, हमें कई अन्य समाधानों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। पहला, हम किस प्रकार किसानों को मूल्य संवर्धित उत्पाद उपलब्ध करा सकते है। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। एक दिन जब मोहन सिंह बोल रहे थे तब उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि जो किसान गन्ना लगा रहे हैं, यदि वे गन्ने का उत्पादन सहकारी संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो उनकी आय बढ़ी है। अतएव, हमें अधिक से अधिक किसानों को मूल्य संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराने चाहिए तथा उन्हें निजी क्षेत्र में न ले जाकर बल्कि किसानों के बीच लाना चाहिए ताकि उनकी आय बढ़ सके।

दूसरे हमें वास्तव में किसानों के लिए बाजार समर्थन प्रणाली लाने की आवश्यकता है। हम भारत में ऐसी प्रणाली नहीं स्थापित कर सकते हैं जहां सब कुछ बाजार ताकतों पर छोड़ दिया जाय। बाजार पर तभी विश्वास किया जा सकता है जहां बाजार आदर्श हो लेकिन हम उस चरण में नहीं पहुंचे हैं जहां बाजार उस तरह परिचालन करे जैसा कि इसे करना चाहिए। अतएव, सरकार की ओर से बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम तथा भारत के सभी किसानों को बाजार समर्थन प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

तीसरे हमें इनकी आदान लागत को कम करना चाहिए। मेरे विचार में, सरकार को लीक से हटकर सोचना चाहिए। विद्युत काफी महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि किसान भूजल पर 83 प्रतिशत तक निर्भर हैं। आप बिजली के बिना भूजल नहीं निकाल सकते हैं तथा बिजली अब महंगी है। अतएव, हमने मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है परंतु मुफ्त बिजली का अर्थ किसानों को बिजली नहीं मिलना होता है। वे केवल मुफ्त बिजली का आश्वासन पाते हैं किंतु उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिल पाती है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप मेरे लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं जिसका मैं अनुसरण कर सकूं। आप जब यहां से बोलते है तो क्या करते है, मैं करूंगा...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : तब इसका कोई अंत नहीं है।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कल भी यही हुआ था। मैं यहां पर 9.00 बजे तक था। आज भी वही बात हुई। यह कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। मैं यहां पर 9.00 बजे तक हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : महोदय, मैं आपको विद्युत के संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा।

महोदय, क्या आप यह सोच सकते हैं कि केन्द्र सरकार विशेषकर कोयला खान मुहांनो का उपयोग करके ऊर्जा के सस्ते स्रोत का उत्पादन कर सकती है और फीडर के माध्यम से उस ऊर्जा का उपयोग केवल किसानों की आपूर्ति के लिए किया जाए? क्या आप इसके बारे में सोच सकते है जिससे मुफ्त बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी और पानी का भी समुचित उपयोग किया जा सकेगा। इससे किसानों को कम दामों पर बिजली की अबाधित आपूर्ति भी हो सकेगी। मैंने वैयक्तिक रूप से "किसानो के सभी संगठनो" से बातचीत की है। कोई नहीं कहता की उन्हे मुफ्त में बिजली मिले। वे यही कहते हैं कि उन्हें केवल विद्युत भी अबाधित आपूर्ति की जाए। इसलिए, क्या इस बारे में सोच सकते है? हमें निश्चित तौर पर इस बारे में सोचना चाहिए।

दूसरी चीज है बीमा। हमें किसानों को व्यापक बीमा कवर देना चाहिए ताकि किसानों के सभी जोखिमो को कवर किया जा सके। आप उन्हें हर चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें एक समुचित बीमा कवर नहीं दे रहे है। अत: हमें एक समुचित बीमा कार्यक्रम की आवश्यकता है। आज जो बीमा कवर उपलब्ध है वह भ्रमित करने वाला है। इसलिए हमे इस संबंध में वास्तव में कुछ करना चाहिए।

जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूं कि श्री शरद पवार भी इससे सहमत होंगे कि हमारे पास जल के केवल 4 प्रतिशत संसाधन हैं और विश्व जनसंख्या में से 17 प्रतिशत जनसंख्या इस जल का उपयोग कर रही है। हम जल का विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि प्राकृतिक पूंजी का विस्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? सरकार को इस संबंध में कोई ठोस नीति बनानी चाहिए।

कृषि मंत्रालय केवल एक मंत्रालय है। इस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही अनेक समस्याओं के समाधान के लिए केवल कृषि मंत्रालय को दोष नहीं दे सकते। अत: समस्याओं का समाधान करना ही होगा।

**सभापति महोदय** : श्री प्रभु। कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : महोदय, मै केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। इसके पश्चात मैं अपने वक्तव्य समाप्त करूंगा। सर्वप्रथम, मै जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बोलना चाहता हूं मै समझता हूं कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर विचार किए बिना कृषि की समस्या को हल नहीं कर सकते।

आज मै प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ रहा था जिसमे कहा गया था कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। यह एक भ्रम है। हम एक युवा राष्ट्र बनते जा रहे है यह एक जनसांख्यिकीय लाभांश का सिद्धांत है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम ताउम्र ऐसे ही रहने वाले है। हम कुछ समय तक ऐसे राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं जिसमे सबसे अधिक युवा होंगे लेकिन कृषि इसका समर्थन नहीं करती क्योंकि कृषि के लिए यह एक समस्या है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को भी कृषि समस्या से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए।

आखिर में, मै विज्ञान के बारे में बात करना चाहता हूं। कृषि में विज्ञान का उपयोग किए जाने के बारे में अनेक भ्रम हैं। हम जब कभी भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो नैतिकता, पर्यावरणीय जैसे अन्य मुद्दे उठाए जाते हैं। मै समझता हूं कि यह उपयुक्त समय है जब सरकार को सभी संबंधित लोगों को बुलाना चाहिए और इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए। सरकार को इन मुद्दों को हमेशा के लिए हल करना चाहिए? हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते है?

*[हिन्दी]*

*श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, आज की स्थिति में जब आर्थिक विकास की दर 8 प्रतिशत तथा अधिक की तरफ जा रही है तब हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करने के लिए विडम्बनापूर्ण स्थिति है। यह एक कठोर सच्चाई है कि आर्थिक विकास का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। बेसक कृषि में विकास की दर सिर्फ 2.4 प्रतिशत की दर पर रूक गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढती हुयी बेरोजगारी इस क्षेत्र का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनोमिक स्टेगिनेशन के कारण बहुत बड़ी तादाद में किसान तथा मजदूर देहात में पलायन करके अच्छे जीवन की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संघर्षों की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। जिसका सीधा प्रभाव देश की राजनीतिक स्थिरता पर पड़ा है। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भारत में विकास दर 14 प्रतिशत के आसपास निरंतरता में अपेक्षित है जिसमें कृषि क्षेत्र की भागीदारी 8 प्रतिशत के आसपास निरंतरता में होनी चाहिए। परंतु दुखद स्थिति यह है कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ नहीं रही है। उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ रही है तथा परिवार टूट रहे हैं।

यह जानने योग्य तथ्य है कि आज भी हिन्दुस्तान में 66 प्रतिशत से ज्यादा आबादी मुख्यत: कृषि पर निर्भर है कृषि कार्य हिन्दुस्तान का परम्परागत आजीविका का आधार रहा है यह मानव अध्यवसाय रहा है। परंतु इन्ही किसानों ने सब्सिटेंस एग्रीकल्चर में कमिंशियल क्रोप की खेती तक एक लंबा रास्ता तय किया है और हिन्दुतान को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल की है।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है और बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के समय में हिन्दुस्तान की कृषि पिछड़ रही है और किसान हताश हो रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर सरकार की कृषि संबंधी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां जिम्मेदार हैं।

हिन्दुस्तान एक विविध भौगोलिक संसाधनों का देश है जो पूरे विश्व के लिए सीड डब की तरह कार्य कर सकता है परंतु सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निवेश की कमी के कारण बायो टैक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिल सका। ग्रामीण क्षेत्रों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा. शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की स्थिति महिलाओं की स्थिति तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण की स्थिति सभी जगह सरकार की विफलताएं स्पष्ट दिखायी पड़ रही है। सरकार अभी तक सभी गांवों में बिजली भी उपलब्ध नहीं करा सकी है।

बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण स्थिति बद से बदतर हुयी है। सरकार भी कुल कृषि योग्य जमीनों को सिंचित नहीं कर पायी है। कई बड़ी परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। डीजल की कीमत दिनों दिन बढ़ रही है जिसके कारण किसान की उत्पादक लागत बढ़ रही है तथा जीवन का स्तर गिर रहा है।

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय सही समय पर उचित निर्णय ले पाने में नाकाम रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किसानों को वित्तीय उपलब्धि तीन गुना की जाएगी परंतु भ्रष्टाचार के कारण आज भी कमजोर किसान बैंकों से लाभ नहीं उठा पा रहा है, बल्कि साहूकारों के माध्यम से लुटने के लिए विवश है।

सरकार आर्थिक सुधार लागू करना चाहती है परंतु मेरी राय में सरकार को पहले व्यापक प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार लागू करने चाहिए थे ताकि सरकारी तंत्र की जवाबदेही स्पष्ट की जा सके तथा किसानों एवं श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ सके। परंतु ऐसा नहीं हुआ है।

आबादी बढ़ रही है और नियोजक विभाग एवं सरकारी तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशेष तौर पर कृषि क्षेत्रों में आर्थिक विकास की एक निश्चित दर लगभग 8 प्रतिशत संविधानिक बाध्यता के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों पर तथा केंद्र सरकार पर लाजमी होना चाहिए। ताकि आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा बन सके तथा दूसरे गैर जरूरी कार्यक्रमों से इस राष्ट्र को निजात मिल सके।

यह भी आवश्यक है कि कृषि प्रसंस्करण को लक्ष्य बनाकर बढ़ाया, जाए तथा प्रत्येक ग्राम सभा को उत्पादन तथा प्रसंस्करण की इकाई के तौर पर विकसित कर दिया जाये ताकि प्रत्येक ग्राम की आमदनी एक निश्चित गति से बढ़ सके।

देश में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत कानून लागू किया गया है परंतु पंचायतें अभी तक नियोजन के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं उठा सकी हैं। इसके लिए विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है तथा यह कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के माध्यम से उचित आर्थिक नीतियां अपना कर किसानों का सशक्तीकरण किया जा सकता है और यह प्रयोग पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक किया गया है।

हिंदुस्तान एक बड़े उपभोक्ता बाजार के तौर पर विकसित हो रहा है। जिसके लिए आउट सोर्सिंग इन ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। सरकार को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक अनुकूल माहोल तैयार करना चाहिए तथा विदेशों में स्थित हिंदुस्तानी दूतावासों में एग्रीकल्चर कांउसलर की नियुक्ति करके लाभपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

यह आवश्यक हो गया है कि चीन का उदाहरण देखते हुए कृषि क्षेत्रों में लो कास्ट लेबर इंटेंशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर वैल्यू एडीसन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ायी जा सके।

हिंदुस्तान में यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि सहकारिता का विकास आगे नहीं बढ़ सका। इस क्षेत्र में सरकार को सामने आकर विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि किसान आर्थिक रूप से संगठित होकर परिस्थितियों का सामना कर सके।

कृषि क्षेत्रों में टैक्नोलॉजी तथा स्किल अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। लेब टू लैंड प्रोग्राम को विशेष तौर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नए उच्च तकनीकी यंत्र, हाई प्रोडक्टीविटी तथा अधिक दूध देने वाली गाएं तथा भैंस निश्चित रूप से ग्रामीण तरक्की एवं खुशहाली की भूमिका रख सकते हैं। कृषि को मशीनीकरण तथा श्रमिकों को स्किल अपग्रेडेशन के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता वृद्धि हो सके।

काम की तलाश में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरों की तरफ भाग रहा है तथा असुरक्षा का शिकार हो रहा है। यह जरूरी हो गया है कि जो लोग खेती छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं। सरकार उनके लिए एक एग्जिट पॉलिसी बनाए ताकि किसानों तथा उनके परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सके और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके।

कृषि क्षेत्र अपार संभावनाओं का क्षेत्र है और उचित नीतियों पर चलकर कृषि क्षेत्र की भागीदारी राष्ट्रीय आर्थिक विकास से निश्चित तौर पर बढ़ायी जा सकती है। परंतु इसके अभाव में कृषि क्षेत्र दुर्दशा की ओर जा रहा है तथा किसान भी परेशान हैं। आज की हालात में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार विशेष प्रयास करते हुए किसानों की मदद करे ताकि किसान आत्महत्या करने के लिए विवश न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

**श्रीमती रुपाताई डी. पाटील** (लातूर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है। इसके पूर्व किसानों के बारे में इसी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है किंतु यहां पर चर्चा होती है, सरकार आश्वासन देती है और सरकार सदन से बाहर जाकर सो जाती है। आज पूरे देश में किसानों की हालत बहुत गंभीर है। चूंकि मैं महाराष्ट्र से चुनकर आयी

[श्रीमती रुपाताई डी. पाटील]

हूं, इसलिये मैं आज महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति को आपके माध्यम से यहां रखना चाहती हूं।

महाराष्ट्र में पिछले 5-6 सालों में 2300 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। फसल बर्बादी, कर्जेदारी बढ़ने, और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा निरंतर उपेक्षा किये जाने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की विदर्भ यात्रा के दौरान किसानों को 3750 करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान किया, फिर भी आत्महत्याओं का क्रम नहीं रूक रहा है। देश के लिये यह अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस दिन प्रधानमंत्री दौरा था, उस दिन भी वहां किसान आत्महत्या कर रहे थे और दौरे के बाद भी अब तक लगभग 80-90 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुख्य रूप से चार कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिये गये आश्वासनों को पूरा न करना, राज्य में 16 से 18 घंटे लोडशैडिंग करना, किसानों का खून चूसने वाली बैंकों की ब्याज दरें और कॉटन प्राइस मैकेनिज्म। इन चारों बातों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। एक एकड़ जमीन के लिये भी यदि किसान को वांछित पानी मुहैय्या कराया जाये तो उसे ढाई गुना पैदावार ज्यादा मिलती है। पैदावार बढ़ने से आर्थिक दशा बदलती है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास पानी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा संवैधानिक निर्देश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्र का सिंचाई बैकलॉग दूर करने की जरूरत पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार के द्वारा बैकलॉग के लिये उपलब्ध रकम आबंटित नहीं की गई है। इसलिये सिंचाई प्रोजैक्ट अधूरे पड़े नतीजे से किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आयी।

महाराष्ट्र में लगभग 16-18 घंटे लोडशैडिंग है। बिजली पम्प पानी के लिये 6 लाख 60 हजार आवेदन कनेक्शन की प्रतीक्षा में फाइलों में बंद हैं। किसानों ने कुंए टैंकों के लिये कर्ज लिया है। एक ओर ब्याज बढ़ रहा है और लोडशैडिंग के कारण खेती के लिये पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है जो उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान ऊर्जा मंत्री श्री शिन्दे ने इस तरह का कैबिनेट निर्णय करके किसानों को शून्य के बिजली बिल भेजे थे। उनकी बात पर भरोसा करते हुये मुफ्त में बिजली मिलने की खोटी उम्मीदों ने उनको फिर से चुना किंतु कांग्रेस सरकार वादे से मुकर गई। चुनाव के बाद सरकार बनते ही बेहिचक कह दिया कि चुनाव में दिये गये आश्वासन पूरे नहीं करने के लिये होते हैं। श्री शिन्दे ने भी स्वीकार किया कि मुफ्त बिजली देने का निर्णय रणनीति का हिस्सा था। यह किसानों के साथ वर्तमान सरकार द्वारा किया गया विश्वासघात है। महाराष्ट्र में कृषि, औजार और बीज खरीदने के लिए किसानों को 13 से 14 प्रतिशत की दरों पर कर्ज़ लेना पड़ रहा है जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक 7 से 8 प्रतिशत की दर से किसानों को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : महोदया, यदि यह एक लम्बा वक्तव्य है तो आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने के लिए सभा पटल पर रख सकती है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रुपाताई डी. पाटील** : मैं दो मिनट में खत्म कर रही हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : यदि यह आपका पहला वक्तव्य है तो आप इसे जारी रख सकती हैं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रुपाताई डी. पाटील** : महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में नाबार्ड से 5 प्रतिशत की दर पर कर्ज़ उपलब्ध होता है। उस पर राज्य सहकारिता बैंक द्वारा 3 प्रतिशत, जिला सहकारी बैंक द्वारा 3 प्रतिशत और सेवा सहकारी सोसाइटी द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। इस प्रकार यह कुल अंत में 13-14 प्रतिशत बैठता है। इसी चक्र में किसान कुचला जाता है। महाराष्ट्र का किसान यदि 10 हजार रुपये कर्ज़ लेता है तो उसको 40 हजार रुपये चुकाने होते हैं।

केन्द्र में एनडीए सरकार थी तो कपास उत्पादकों को कपास का भाव प्रति क्विंटल 300 रुपये दिया गया और सोयाबीन का भाव 1900 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। महाराष्ट्र में अधिकांश किसान कपास और सोयाबीन की खेती करते हैं। इस वर्ष सरकार ने कपास 1500

और सोयाबीन 1200 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से खरीदा। उपज न होने के संकट में फंसा किसान गिरे हुए दामों के कारण टूट गया। वह कैसे जिन्दा रह सकता है? किसानों के लिए जो बात एनडीए कर सकी, वह यूपीए के लिए संभव क्यों नहीं?

केन्द्र एवं राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इन घटनाओं का जात-पात, पंथ-धर्म या प्रांत से सरोकार नहीं होता बल्कि वह सरकारी नीतियों से ही होता है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं हों तो केन्द्र सरकार समितियां गठित करके अक्षम्य समय बरबाद करती हैं। किसानों को समितियों की नहीं, सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता है

अत: मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्ज़ से तुरन्त मुक्त किया जाए उसका सारा कर्जा माफ किया जाए। उनको पांच प्रतिशत की दर से नया कर्ज उपलब्ध कराया जाए एवं सस्ते दाम में बीज उपलब्ध कराए जाएं। महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में आत्महत्याएं अधिक हो रही हैं एवं जिनकी ज़मीन असिंचित है और जिन किसानों द्वारा कर्ज़ की रकम पर जितना ब्याज अदा कर दिया गया है, उन्हें तत्काल कर्ज़मुक्त करें। मेरी मांग है कि कपास पर कस्टम डयूटी बढ़ाएं व आयात पर आंशिक पाबंदी लागू करें ताकि देशी कपास की मांग और दाम बढ़े।

मेरी सरकार से मांग है कि सिंचाई का बैकलॉग दूर करने के लिए केन्द्र अलग से सिंचाई विभाग स्थापित करे तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार इस खर्च होने वाले पेसे का भार आधा-आधा वहन करें।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस किसी के पास भी लिखित वक्तव्य है वे उसे सभापटल पर रखे दें। यह हमारे लिए सुविधाजनक होगा। उन्हें इसलिए अनुमति दी गई थी क्योंकि इनका यह पहला वक्तव्य है। हमारे पास केवल कल का दिन शेष है और कल के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। कृपया मेरी सहायता कीजिए क्योंकि मैं यहां पर आधी रात तक नहीं बैठ सकता।

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी) : मैं आपसे किसानों की भी मदद करने का अनुरोध करता हूं।

**सभापति महोदय** : मैं आपकी सहायता चाहता हूं। कल भी जब सभी चले गए थे तब भी हम रात 9.00 बजे तक बैठे थे और मैं आज भी पूरे समय तक बैठूंगा।

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी) : मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, उस समय देश की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी। आज आज़ादी के 59वें साल बाद स्थिति यह आ गई है और नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि 40 प्रतिशत लोग कृषि का कार्य छोड़ना चाहते हैं और 60 प्रतिशत लोगों की भी उसमें कोई उत्सुकता नहीं है। इससे महसूस होता है कि आज हिन्दुस्तान के अंदर खेती की क्या स्थिति है। पिछले दस सालों की चर्चा बार-बार इस सदन में हो रही है कि हिन्दुस्तान के अंदर करीब 1,40,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उसमें दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों के किसानों ने आत्महत्याएं की लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, वह घुट-घुट कर दम तोड़ रहा है। कोई एक बार सूसाइड कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की स्थिति यह है कि वे घुट-घुट कर मरने के कगार पर पहुंच रहे हैं और मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

महोदय, हम किसानों की समस्या के बारे में समझते हैं। हिन्दुस्तान एक संघीय देश है और यहां जो जिम्मेदारी केन्द्र की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी वही जिम्मदारियां होती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वहां पिछले 15-16 सालों से यह हालात हो गए हैं कि किसानों को गांव में चार-पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। 15 सालों में सिंचाई के लिए टयूबवैल नहीं लगाए गए, नये टयूबवेल नहीं लगे और पुराने टयूबवैल लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि किसान अपने खेत में खाद नहीं डाल सकता और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आई तो जो प्रदेशों की सरकारें हैं, हमें याद है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के करीब 42-43 जनपदों में सुखे की स्थिति थी और हमने उस समय इस सम्मानित सदन में उस पर प्रश्न किया था तो कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रदेश सरकार से जब हमें सूचना दी जाएगी तब हम सर्वे कराएंगे तथा उसके बाद उस पर कार्यवाही करेंगे। यह बात सही है कि प्रदेश सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में इतने जनपदों में सूखा पड़ा है। प्रदेश सरकारों की स्थिति यह है कि वे इस सामान्य कार्य को

[डा. राजेश मिश्रा]

भी नहीं करना चाहती कि पत्र लिख कर केन्द्र सरकार से यह कहें कि आप सर्वे करा कर, फलां-फलां जनपदों को सूखाग्रस्त जनपद घोषित कर दीजिए। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह हो गई है। एक तरफ पूरे हिन्दुस्तान के जो अलग-अलग प्रदेश हैं, वहां के किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं। हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं। हमारे अपने जनपद वाराणसी के अंतर्गत पहले एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना साहुपुरी का हुआ करता था। वह पिछले 12 सालों में बंद हो गया। एक ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा कारखाना गोरखपुर में होता था, वह भी पिछले दस-बारह सालों से बंद पड़ा है। हमारे यहां जितनी शुगर मिलें थीं, प्रदेश की सरकारों ने एक-एक करके, उन सारी शुगर मिलों को बेच दिया और आज वे प्राईवेट सैक्टर में चली गई हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि इन सारी शुगर मिलों को लेने वाले लोग अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके, वहां बिल्डिंग बना करके ज्यादा पेसा कमा रहे हैं। आज जो किसानों की हालत है, उस हालत में यह स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम किसे ज्यादा दोषी कहें और किसे कम दोषी कहें।

महोदय, हम समझते हैं कि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। आपने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 31 जनपदों को पैकेज दिया। हम माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो तुरंत फौरी कार्यवाही हो सकती थी, वह उन्होंने किसानों के लिए की। आज स्थिति यह है और हम महसूस कर रहे हैं कि यदि हम हिन्दुस्तान के किसानों के मनोबल को ऊंचा नहीं करेंगे, उन्हें ऊंचा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज जहां हिन्दुस्तान की मूल अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, यदि वह चरमरा जाएगी तो हिन्दुस्तान कमजोर होगा और जिस हिन्दुस्तान का हम आने वाले समय में सपना देखते हैं, वैसा हिन्दुस्तान नहीं बन पाएगा। हमारा एक सुझाव है,...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप आराम से घंटों बोल सकते है क्योंकि विषय ही ऐसा है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा** : महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूं कि मुझे दो मिनट बोलने के लिए और दे दीजिए। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और जितनी फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, इंडस्ट्री सैक्टर में बन विंडो सिस्टम है, बड़े-बड़े जितने हिन्दुस्तान के बैंक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वे ऋण देते हैं। हमने कभी यह नहीं सुना कि ऋण वसूली के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहां कभी छापे पड़े हों। यदि किसान दस हजार रुपए कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके यहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुंच जाता है तथा उसे जेल भेज दिया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार से हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों को सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसी प्रकार से हिन्दुस्तान के किसानों को भी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। देश में जो लोग खेती पर निर्भर हैं, उन्हें उद्योगपतियों के समान सारी सुविधाएं दी जाएं, तब हिन्दुस्तान के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें खेती में लाभ होने लगेगा और हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मै आपको ज्यादा समय दे देता लेकिन हमारे पास समयाभाव है।

*श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल) : पूरे देश में किसान इतने दु:खों का सामना कर रहे है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मूसलाधारा और लगातार वर्षा के कारण, कतिपय राज्यों में खेतों और समुद्र में दोनों ही जगह की स्थिति अत्यंत खराब है। मै स्वयं को डा. सुजान चक्रवर्ती द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्बद्ध करते हुए, जो मुझसे पहले बोल चुके है, अपने जिले से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मैं तमिलनाडु राज्य विशेषकर कन्याकुमारी जिले से संबंध रखता हूं जिसे लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने तबाह कर दिया है मूसलाधार वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में केले की खेती, रबड़, धान और अन्य नकदी फसलों जैसे काली मिर्च, इलायची लौंग इत्यादि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। केले और रबड़ की खेती के बर्बाद होने के कारण किसान अत्यंत गरीबी और ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए है। सरकार द्वारा केले की खेती के संबंध में प्रति हेक्टेयर 1000 रुपए का मुआवजा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देने की घोषणा की गई है जबकि किसानो ने प्रत्येक पेड़ पर आदानों और श्रम लागत सहित 150 रुपए खर्च किए है इसी प्रकार रबड़ की खेती में भी रबड़ के प्रत्येक पौधे पर, जब तक उससे आमदनी शुरू नहीं हो जाती उस पर, 20,000 से 25,000 रुपए की लागत धान के मामले में यह बहुत अधिक है। अत: सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और इस प्रकार वे ऋणजाल में फंसते जा रहे हैं तथा उन्हें आत्महत्या की ओर धकेला जा रहा हैं

इसी प्रकार जीविकोपार्जन के लिए समुद्र पर निर्भर मछुआरों की स्थिति भी दयनीय है। मछुआरों को प्रत्येक वर्ष में मई और जून के दो महीनो के दौरान समुद्र में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। सामान्यत: चार महीनों के दौरान, विशेषकर मानसूनी मौसम में, समुद्र बहुत अशांत होता है और मछली पकड़ने के अनुकूल नहीं होता। अत: प्रत्येक वर्ष में छ: महीनों के लिए वह जिविकोपार्जन से वंचित रहते हैं। इसलिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। यही हाल अंतरदेशीय मछुआरों का भी है जो मात्स्यन संग्रहण पर आश्रित है।

हम हर बार इस सभा में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं और किसानों के दु:खों पर चर्चा करते है लेकिन सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है सरकार को पूरे देश के किसानों को बचाने के लिए हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों और स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। पर्याप्त बीमे के अभाव मे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा देने हेतु, तत्काल आदेश दिए जाएं।

**श्रीमती सी.एस. सुजाता** (मवेलीकारा) : हमारे देश ने हाल के वर्षों में सबसे बुरे कृषि संकट को देखा है। इस स्थिति ने हमारे देश के हजारों ऐसे किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है जो वित्तीय भार उठाने में असमर्थ है।

कृषि क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ रहा है वही कृषि हमारे देश में 1990 के आरंभ में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से पतनोन्मुखी हो गई। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश को वापस लेने, हमारे घरेलू बाजार को खोलने, उत्पादों विशेषकर कृषि उपजों के आयात से प्रतिबंध हटाने, फसल विविधीकरण, निगमित घरानों के प्रवेश और ठेका कृषि को बढ़ावा देने से हमारे देश में कृषि विनाश के कगार पर पहुंच गई है। लगातार गिरते हुए मूल्यों और राजसहायता को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कृषि घाटे का सौदा हो गया है और उस पर बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों, विशेषकर छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों की समस्याओ में और वृद्धि की है।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए हमें अपनी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने चाहिएं। सरकार को इस क्षेत्र में पर्याप्त स्तर पर सरकारी निवेश करना चाहिए और इससे संबंद्ध उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सके। ग्रामीण किसानों को कम ब्याज दर पर धनराशि देनी चाहिए ताकि ये किसान साहूकारों के शिकार न बन सकें। यहां यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्य समर्थन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और इसका विस्तार करने, कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के सृजन और फसल बीमा का सार्वभौमिकरण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

मै माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केरल देश का एक ऐसा राज्य है जिसपर वर्तमान कृषि संकट का सबसे बुरा असर पड़ा है। यह संकट राज्य के हजारों किसानों की जान ले चुका है। इस संकट से राज्य के पांच जिले अर्थात वायनाड, कासरगौड, पलक्कड़, इदुकी और अलपुज्जा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए वायनाड, पलक्कड़, और कासरगौड जिलों की ही पहचान की गई है।

केरल राज्य सरकार और संसद सदस्य अन्य दो जिलों को भी संकटग्रस्त क्षेत्र में शामिल किए जाने और किसानों को राहत देने की मांग करते रहे हैं। ऐसा किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा विदर्भ क्षेत्र के लिए घोषित किए गए पैकेज के समान ही तुरंत राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस राज्य का कृषि क्षेत्र अन्य राज्यों के कृषि क्षेत्र से भिन्न है। राज्यो में प्रमुख कृषि उत्पाद नकदी फसलें और बारहमासी फसलें हैं और इसलिए, राहत पैकेज के लिए इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

***श्री मोहन रावले** (मुंबई दक्षिण-मध्य) : महोदय, हिन्दुस्तान की 60 प्रतिशत जनता आज खेती पर निर्भर हैं खेती के लिये निर्धारण ठीक नहीं होने के कारण आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो चीजें किसान को खेती करने के लिए लगती है, उसमें 15-20

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मोहन रावले]

प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। किसान को नई टेक्नोलॉजी, नया-नया बिजाना (बौने) आदि की खोज में संशोधन, पैदावार की बिक्री की उचित व्यवस्था न होने के कारण आज किसान बर्बाद हो रहा है। आज किसान को कर्ज लेने के बावजूद फसल का समुचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिससे उसका कर्ज बराबर बढ़ता रहता है। कर्ज चुकाने के लिए उसे पुन: साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज न चुकाये जाने पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी आपसे विनती होगी कि अगर कृषि उद्योग को बढ़ाना है, तो किसान को बचाना आवश्यक है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था। इसलिए किसान को बचाना हमारा पहला कदम होना चाहिए।

अभी जो किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक कर्ज दिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि उनके कर्ज को तुरंत माफ किया जाये किसान को अमरीका, चीन तथा दूसरे देशों में जिस तरह सब्सिडी दी जाती है वैसे यहां भी सब्सिडी दी जाये। अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद तथा पेस्टीसाइड लाते-लाते ही किसान परेशान हो जाता है, बेजार हो जाता है। उसकी इनपुट कॉस्ट में जो 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है, तो वह भी खत्म होनी चाहिए। जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान का मार्गदर्शन होना चाहिए। दूरदर्शन पर 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम अभी 30 मिनट के लिए प्रसारित होता है। इसे कम से कम घंटा और बढ़ाया जाये तथा एक दिन में दो बार प्रसारित किया जाये जिससे किसानों को ज्यादा नई जानकारी मिल सके। साहूकार की ब्याज दर अत्यधिक होती है जिसको देने के लिए किसान पर दबाव बनाया जाता है। जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे साहूकारों को सुरक्षा कानून में तुरंत बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ किसान तथा उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसे सुरक्षा गारंटी मिल सके।

उद्योगों के नाम पर बैंकों से लाखों-करोड़ों रुपये ऋण के रूप में लिये जाते हैं और उद्योग के डूबने पर बैंकों के लोगों के साथ मैनीपुलेट करके ऋण को रफा-दफा करा लेते हैं तथा वे लोग स्वयं बच जाते हैं। क्या सरकार बता सकती है कि उनकी आत्महत्या की कोई सूचना उसके पास है? बेचारे किसान का कर्जा 50,000 से 1,00,000 रुपये होते हुए भी बैंक उनके पीछे सख्ती से लग जाते हैं। कर्ज की अदायगी में अक्षम होने के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कृषि उद्योग बहुत ही सेंसीटिव है तथा फसल की बिक्री होने तक उसे हर कदम पर संरक्षण मिलना ही चाहिए।

सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों को हर साल पर 4 प्रतिशत ब्याज दर कर्ज देने की सिफारिश की है। मेरा सुझाव होगा कि ब्याज की दर 4 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत होनी चाहिए।

अभी खेती में लागत ज्यादा आती है तथा उपज मूल्य उसकी तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए उसका कर्ज बढ़ता जाता है तथा दैविक आपदा की मार किसानों पर अलग होती है। इसलिए किसान समुचित मार्गदर्शन की अत्याधिक आवश्यकता है क्योंकि वे पढ़े-लिखे बहुत कम होते हैं। किसान को जमीन की मिट्टी, उसके अनुरूप फसल का चयन जलवायु तथा फसल की बिक्री की समुचित व्यवस्था की जानकारी देना अत्याधिक आवश्यक है। इसके बाद ही उसको फसल की वाजिब कीमत मिल पायेगी।

सरकार अपने समर्थन मूल्य पर किसान का माल समय पर खरीदे तथा उसका भुगतान तुरंत (एट दी स्पाट) करे तो बाजार का मूल्य भी स्थिर रह सकता है और किसान को हानि से बचाया जा सकता है। दैविक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने पर भरपाई करने के लिए एक सुरक्षा कोष की स्थापना होनी चाहिए जिससे उसके नुकसान के समय में किसान की मदद की जा सके।

प्रधान मंत्री जी द्वारा विदर्भ के दौरे के बाद पैकेज की घोषणा की गयी। उसके बावजूद भी टी.वी. प्रसारण के अनुसार 17-18 अगस्त को छ: किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गयी हैं। यह सिलसिला अभी भी चालू है। अत: मेरी प्रार्थना होगी कि 50 हजार से एक लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाये तथा बिजली पानी के बिल भी तुरंत माफ किये जायें। यह व्यवस्था तुरंत लागू होनी चाहिए तभी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रूक सकेगा तथा किसानों को राहत मिल सकेगी।

जटरोफा वनस्पति अगर समुद्र किनारे पर लगायी जाये जैसे महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात में लगाई जायें, तो तीन साल में उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। जिससे तेल की भारी बचत तथा इसमें हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक निगम की स्थापना कर ली जाये तथा किसानो को बहुत मदद मिलेगी।

इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक निगम की स्थापना कर ली जाये तथा किसानों को सहकारिता बेसिस पर इसके लिए तैयार किया जाये तो बहुत बड़ी मदद हो सकेगी। महाराष्ट्र में किसानों ने अनुभव किया है कि प्रति हैक्टेयर ज्वार के मुकाबले फूलों की खेती से कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मेरी प्रार्थना होगी कि देश भर के किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये।

किसानों को सहकारी एजेंसियों द्वारा खेती के काम में आने वाले सामान को सस्ते मूल्य पर दिलाया जाये। उनकी फसल की समुचित कीमत किसानों को दिलवाने की व्यवस्था की जाये। उनकी कीमत का भुगतान नकद कराया जाये। साथ ही उनकी जीवनयापन की चीजों की उपलब्धता भी सस्ते मूल्य पर सहकारिता के आधार पर कराने की व्यवस्था की जाये जिससे उनमें जीने का विश्वास पैदा हो सके और किसान समझे कि सरकार को उनकी चिन्ता है और वह उदासीन नहीं है।

**श्री गणेश सिंह** (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय मोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सदन में किसानों के संबंध में चर्चा उठाने का काम किया। आज मैं भारी मन के साथ कह रहा हूं कि देश का किसान ही एक ऐसा वर्ग है, जो अपने को सबसे ज्यादा बेसहारा महसूस कर रहा है। आजादी के बाद से अब तक किसानों की इमदाद के जो आंकड़े हैं, यदि हम उन पर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट होता है कि किसानों में जितनी निराशा आई है उतनी और किसी वर्ग में नही आई।

सभापति महोदय, भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है है। यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। देश में आज भी खेती का काम पूरी तरह से घाटे का माना गया है। इसके बावजूद भी अभी तक जो प्रयास हुए हैं, मैं समझता हूं कि वे बहुत अच्छी दिशा में नहीं हुए हैं। 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस देश में खेती के काम में लगे हुए हैं और जितनी खेती की समस्याएं अभी तक चिन्हित की गयी है, चाहे साहूकारों के ऋण का विषय हो, चाहे सिंचाई की कमी हो, चाहे बिजली की कमी हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या अन्य कोई कारण हो, इन तमाम कारणों के चलते किसान पूरी तरह से दुखी हुआ है। देश के 48 से 60 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। छोटा किसान पूरी तरह से महसूस कर चुका है कि खेती में कोई काम नहीं बचा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 12585 रुपये प्रति किसान के ऊपर कर्जा है। स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि देश में खेती का धन्धा घाटे का है। लगातार खेती का रकबा भी घट रहा हैं कर्ज की शर्तें कठोर तथा महंगी होती जा रही हैं, उपज का दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, भण्डारण की कमी है, प्रसंस्करण की कमी है, विपणन संबंधी सुविधाओं का अभाव है, रोजगार के अवसर भी घटते क्रम में हैं, इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने कहा कि एक समग्र राष्ट्रीय कृषि नीति बनायी जानी चाहिए। उस संबंध में जो पहल हुई है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएं।

महोदय, पूरे देश में तीन तरह के किसान हैं - एक वह किसान है, जो अपने हाथ से काम नहीं करता है, लेकिन जमीन का 75 प्रतिशत हिस्सा उसी के पास है, दूसरी तरह का किसान वह है जो हाथों से काम करने वाला है, वह पूरी तरह से मझौला किसान माना जाता है और तीसरी तरह का किसान बटाईदार तथा भूमिहीन है, जो दूसरों की जमीन लेकर खेती का काम करता है। मैं समझता हूं कि जितनी भी आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, वह एक लाख से ज्यादा है। यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। यह बात सच है कि जो आत्महत्याएं किसानों की हुई हैं, वह वाकई में भूमिहीनों और बटाई में जमीन लेकर खेती करने का काम करने वाले किसानों की चिन्हित की गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में एन्ट्री मिल रही थी, तो उस समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कम से कम कृषि के क्षेत्र में इनका प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी हमने उनको प्रवेश दे दिया। आज की तारीख में हम मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मुक्त अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से हिमायती हैं। आप हिमायती बनिए, लेकिन इसके परिणाम जो सामने आए हैं कि एक तरफ तो अमीरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी भी तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार इस अंतर को हमें कहीं न कहीं खत्म करना होगा। हम डब्ल्यूटीओ का मुकाबला करने जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में किसानों को सौ प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, वहीं हमारे देश के किसानो की क्या हालत है? हम उनके कर्ज को पूरी तरह से नहीं पटा पा रहे हैं। जितनी मौते आज तक हुई हैं, उन सभी मौतों के पीछे एक ही कारण है कि वह कर्ज नहीं पटा पाए। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की फसल का दाम ठीक तरह से नहीं देना भी इसका एक कारण हैं 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया। उसमें भी पांच सौ प्रतिशत से ज्यादा कीटनाशक दवाइयां मिली हुई हैं। एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि हमारे देश के किसान 6 सौ रुपये प्रति क्विंटल में अपना अनाज नहीं दे रहे हैं,

[श्री गणेश सिंह]

इसीलिए इस बार सरकारी गोदाम खाली पड़े हुए हैं। किसानों ने कह दिया है कि हम नहीं देंगे। मण्डियों के सामने जो चौपाल लगी, उनमें किसानों ने पूरी तरह से अपनी फसल को बेच दिया। उनको चौपाल लगाकर देने वाले कौन लोग हैं? हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वह काम भी दे दिया। हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मण्डी भी समर्पित कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में यह क्या हो रहा है? हमारे देश में एक सर्वे हुआ था कि वर्ष 1987-88 में भूमिहीन किसानों की संख्या 35.4 प्रतिशत थी और सीमान्त किसानों की संख्या 19.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1999-2000 में भूमिहीनों की संख्या बढ़कर 40.9 प्रतिशत हो गयी और सीमान्त किसानों की संख्या 22.3 प्रतिशत हो गयी। आखिरकार यह सिलसिला कहीं रूकेगा या नहीं? हमारी जोत का औसत रकबा भी घटता जा रहा है 1985-86 में यह 1.69 हेक्टेयर था, जो दस वर्षों में यह घटरक 1.41 पर आ गया है। 2003 में 6638 गांवों के 51777 घरों में एक सर्वे हुआ, उसमें 40 प्रतिशत किसानों ने कहा कि हमें खेती नहीं करनी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि निश्चित तौर पर जनसंख्या का लोड है, उसको घटाना पड़ेगा और उसको कहीं न कहीं दूसरे रोजगार में ले जाना पड़ेगा। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा क्षेत्र होगा, आप कहां पर ले जाएंगे? आज करोड़ों की संख्या में वे बेरोजगार हो गये हैं। आपने ही बयान दिया है कि जिसके घर में गाय थी, जिसके घर में बैल था, जिसके घर में पशुधन था, उस घर का किसान आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन जिसके घर में यह सब कुछ नहीं था, वे आत्महत्या के शिकार हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एन.पी.ए. का 70 हजार करोड़ रुपया समाप्त कर दिया, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता।

मैं अंत में अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो देश के हालात हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी विदर्भ के इलाके में गये हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने वहां जाकर अच्छा खासा पैकेज वहां पर सब किसानों को दिया है। वह पूरे देश में भी देना चाहिए, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे 30 जिले चिन्हित हुए हैं, 30 जिलों में सब जगह पैकेज दें, लेकिन उन इलाकों को भी शामिल करें, जहां के किसान वाकई में परेशानी में हैं। जिस प्रदेश मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, जिस सतना क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में सिंचाई का औसत रकबा बहुत कम है। वहां पर सिंचाई का औसत रकबा बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी वहां भी प्रधानमंत्री जी से आर्थिक पैकेज किसानों को दिलायें। मध्य प्रदेश चूंकि एक पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां के आधे से ज्यादा जिले वर्तमान में जो बाढ़ आई है, 22 जिले उससे तबाह हैं। वहीं हमारे 20 जिले सूखे से प्रभावित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उन सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए वहां कि किसानों को पैसा दिया जाये, वहां के किसानों की आर्थिक मदद के लिए हमें आर्थिक मदद दी जाये। प्रदेश में बिजली का संकट है, बिजली के संकट के लिए आप हमें आर्थिक मदद देने का काम करें। हमारी सरकर ने अपने स्तर से बहुत कुछ काम किया है, डेढ़ हजार से ज्यादा भूमि पर सिंचाई के नये साधन बढ़ाने का काम किया। हमारी ही सरकार ने प्राकृतिक आपदा में आर.वी.सी.एफ. एक्ट में संशोधन करके किसानों को ज्यादा मदद देने का काम किया। फसल बीमा योजना में अकेले मध्य प्रदेश की सरकार ने पटवार हल्कों को इकाई बनाया है। हिन्दुस्तान के किसी दूसरे राज्य में इसे इकाई बनाने का काम नहीं किया।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : पहले ही 9 बज चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री करण सिंह यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों की समस्या पर बोलते हुए माननीय सदस्या कुमारी ममता बनर्जी की उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को किसान नहीं रहने दिया जा रहा।

औद्योगीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर सरकारी सहयोग से बड़े-बड़े भू-माफिया, बड़े-बड़े व्यापारी किसानों की उपजाऊ जमीन को किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। सरकारें इस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तरह के बयान अखबारों में दे देती हैं कि यह जमीन औद्योगीकरण के लिए अधिगृहीत की जायेगी और व्यापारी लोग किसानों के पास चले जाते हैं कि सरकार आपको अच्छा मूल्य नहीं देगी, हम आपको अच्छा मूल्य देंगे। वह किसान, जो जिंदगी भर कर्जे में जिया हो, जिसने कभी सुख से रोटी नहीं खाई हो, उसको जो जमीन पुश्तैनी मिली है, उस जमीन को वह औने-पौने दामों पर बेच देता है। लाख-दो लाख रुपये उसके लिए उस वक्त में बहुत बड़ी रकम उसको दिखाई देती है, अगर पांच बीघा जमीन हुई तो 10-20 लाख रुपये में वह सपने लेने लगता है कि मैं अपनी बच्ची की अच्छी शादी कर दूंगा, बच्चे को अच्छा पढ़ा दूंगा, कोई व्यापार कर लूंगा और नतीजा यह होता है कि उसके पास जमीन नहीं रहती। वह जमीन से बेदखल हो जाता है और आज माननीय मंत्री महोदय यह स्थिति कमोबेश सभी नेशनल हाईवेज़ के साथ में है। दिल्ली से निकल कर गुड़गांवा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं। तो मेरा अलवर क्षेत्र उसमें आता है। वहां दोनों तरफ की जमीन और चारों तरफ वहां लंबी-लंबी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और किसानों से वे सौदा करते हुए नजर आते हैं। किसानों की जमीनें उनके हाथ से जा रही हैं। जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, वे इतने निष्ठुर हैं कि जहां लगता है कि जमीन मिलनी चाहिए, जहां उन्होंने उंगली टेक दी, वही जमीन उनको मिलनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे राजस्थान में मेरे क्षेत्र के पास कोटपुतली नाम की एक जगह है।

**रात्रि 9.00 बजे**

एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना बिड़ला समूह द्वारा ग्रासिस इंडस्ट्रीज के नाम से लगाया जा रहा है। वहां के किसान सरकार के सामने रो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, हमारी जमीन में अच्छा पानी है और अपनी जमीन में हम पुश्तैनी रूप से रह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यहां से दो-चार किलोमीटर दूरी पर बंजर और पहाड़ी जमीन है, आप वहां कारखाना बना लीजिए। उनकी बात को न सरकार सुनती है और न ही व्यापारी उनकी बात सुनते हैं। बाद में उन्हें घोट-घोटकर और प्रलोभन देकर जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी जिस बात को कह रही थी, उस बात को मैं कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि किसान की उपजाऊ जमीन को किसी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा कोई नियम कृषि विभाग या सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, वहां की वर्तमान सरकार ने जयपुर के आसपास की हजारों एकड़ बीघा जमीन किसानों की लेकर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्पेशल इकॉनामिक जोन के नाम से दे दी, यह किसानों को सबसे बड़ा दुख और दर्द है।

महोदय, राजस्थान सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादक है। माननीय कृषि मंत्री जी के इन्टरवेंशन से पिछले सालों में फसलों और सरसों की खरीद समय-समय पर हुयी है। लेकिन जितनी खरीद होनी चाहिए, उतनी खरीद नहीं हो पाती है। खरीद का जो काम नाफेड या सरकारी एजेंसियां करती हैं, वह आधा-अधूरा ही करती हैं। हमारा क्षेत्र प्रति बीघा दस से पन्द्रह मन प्रति बीघा सरसों पैदा करता है और सरकार यह कह देती है कि हम छः मन प्रति बीघा के हिसाब से ही खरीदेंगे। खरीदकर जब वे चली जाती हैं, तो सरसों गोदामों में रह जाती है। मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आयल सीड आयल की समस्या को समझा, परखा और सदन में इस बात को स्वीकार किया कि श्रीलंका में जो सन् 2003 में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके माध्यम फ्री फ्लो आफ वेजिटेबल आयल्स, जो श्रीलंका से यहां आ रही हैं, उससे हमारे देश की तेल और घी बनाने वाली इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। आपने जब से नैफेड को एनेलाइजिंग एजेंसी बनाया है, तब से सरसों के भाव में सुधार आया है। लोकल इंडस्ट्री के अंदर कुछ उछाल आया है, कुछ जीवन आया है, मेरे क्षेत्र की बहुत सी आयल मिल्स धीरे-धीरे गति करने लगी हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो फ्री फ्लो आ रहा है, उसे बंद किया जाए और उसमें कुछ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन की जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, राजस्थान के अंदर कुछ फसलें हैं, मोठ, बाजरा, धनिया, मेथी, ज्वार, ग्वार आदि जो गोल फसलें राजस्थान में काफी मात्रा में पैदा की जाती हैं, माननीय कृषि मंत्री जी जब आप समर्थन मूल्य की चर्चा करें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पेदा होने वाली बाजरे, मोठ, सरसों आदि का समर्थन मूल्य बढ़ाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।

***डा. अरविन्द शर्मा** (करनाल) : महोदय, 14 अगस्त, 2006, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के राष्ट्र के नाम संदेश में भी कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादनों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. अरविन्द शर्मा]

पर जोर दिया है। उन्होंने टाइफैक मिशन के जरिये खेती करना और इसके लिए जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। ताकि 2020 तक मौजूदा 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 360 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादों को बढ़ोत्तरी हो सके।

ठीक उसी प्रकार 15 अगस्त, 2006, स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री, गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी डा. मनमोहन सिंह जी ने भी दुखी हृदय से अन्नदाताओं की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधान मंत्री जी के इस अभिभाषण में पूरे देश को किसानों की दुखद स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज दुनिया का पेट भरने वाला वह किसान दुखी होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हैं स्वतंत्रता दिवस से ठीक 5-6 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री व श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश के तीन बड़े बाढ़ग्रस्त राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात का दौरा किया जहां पर बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया, वहां के किसान, खेतिहर मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व उद्यमी व व्यवसायी बरबादी के कगार पर खड़े हो गये हैं। फिर भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से तीनों राज्यों के किसानों एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों के राहत के लिए 1150 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है ठीक उसी प्रकार 15 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के ऋणों का ब्याज पूर्ण रूप से माफ करने की बात दोहरायी है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी एवं यूपीए सरकार की किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति है।

भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर बड़ी ही मेहनत से अनाज, गेहूं, दाल, चावल, चना, बाजरा, कपास एवं तिहलन पैदा करता है और देश की खुशहाली एवं उन्नति में भागीदारी दर्ज करता है। भारतीय किसानों द्वारा की गयी पैदावार विश्व के कई अन्य विकासशील एवं गरीब देशों की भी अन्न एवं दालों की मांगों को भी पूरा करते हैं और जिससे विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। फिर भी भारतीय कृषि विकसित एवं पश्चिमी देशों के मुकाबले में कमजोर स्थिति में है। क्योंकि आज भी भारतीय कृषि पुराने तौर तरीकों पर आधारित है। आज भी खेतीबाड़ी वर्षा के पानी को तरसती है और जिस साल ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है और जिस भी साल बारिश नहीं होती तो किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ती है।

आज भी भारतीय कृषि उद्योग आधुनिक तकनीकी कमी की वजह से चीन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अन्य कई विकासशील देशों से भी पिछड़ा हुआ है जिस कारण खेती में पैदावार कम होती है। कृषि पर पूर्ण रूप से आश्रित किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय एवं सोचनीय बनी रहती है। आज आधुनिक युग में भारतीय कृषि रोजगार के क्षेत्र में सबसे निचले दर्जे की श्रेणी में आ गयी है। भारत सरकार, (यूपीए सरकार) ने समय समय पर किसानों एवं कृषि संबंधित उद्योगों की स्थिति को सुधारने का जोरदार प्रयास किया है। ताकि कृषि पर निर्भर लोग अपने जीवन यापन को आधुनिक बना सकें।

भारत सरकार ने कृषि संबंधी नीतियों और योजनाओं के प्रति किसानों को जागरूक करना चाहिए। कृषि एवं किसानों को अत्यधिक आधुनिक बनाने के लिए समय समय पर कृषि संबंधी पंचवर्षीय योजनाएं बनानी चाहिएं उसके अंतर्गत आधुनिक एवं वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, नये नये प्रकार की फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ताकि कृषि की पैदावार बढ़ सके और देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय किसानों को नयी नयी तकनीक सीखने के लिए भेजना चाहिए।

नदियों के जल बंटवारें एवं बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने संबंधी नीतियां बनानी चाहिए ताकि देश के छोटे और बड़े राज्यों में समान रूप से कृषि के लिए किसानों को समय पर पानी की उपलब्धता हो सके। इसके अंतर्गत नदियों को जोड़ने व बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की योजना जल्द से जल्द क्रियान्वित होनी चाहिए।

सरकार द्वारा किसानों के लिए बिजली तथा पानी की समुचित व्यवस्था करना चाहिए कम रेट पर बिजली उपलब्ध करानी चाहिए, बिजली के बिलों में भी छूट देनी चाहिए। सरकार को तालाब, कुएं, समरसीब्ल पम्प, सोलन पम्प, डेम, नदियां, रजवाहों की व्यवस्था करके हर छोटे बड़े किसान को उसके खेत की आखिरी छोर तक पानी की उपलब्धता करानी चाहिए ताकि फसलों को कोई नुकसान न हो सके।

सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। खेती के लिए अच्छे बीज, आधुनिक कृषि यंत्र कम रेट पर उपलब्ध कराने चाहिए। ऋणों के भुगतान के समय किसानों के साथ कोई सख्त कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा दिये गये ऋणों को समय पर न भरने पर किसानों के प्रति सख्त कार्यवाही से मना किया है।

किसानों द्वारा की जा रही आत्म इत्याओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसानों के कृषि उत्पादन पर उनकी लागत मूल्य के बराबर उनकी फसलों का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। समय समय पर उनकी फसलों को समर्थन मूल्य एवं लागत मूल्य के हिसाब से बढ़ाना चाहिए और किसानों एवं उनकी फसलों के लिए बीमा योजनाएं तैयार करवानी चाहिए।

महोदय, मैं किसानों के सच्चे हमदर्द स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु एवं राजीव गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए यूपीए की सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कृषि को बढ़ावा देना देश की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना है।

*[अनुवाद]*

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सभा में चर्चा हेतु लाने के लिए श्री मोहनसिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उसका अपना आधार समाप्त हो रहा है। उसके सभी सपने बिखर गए हैं। माननीय कृषि मंत्री, श्री शरदर पवारजी के वक्तव्य के अनुसार वर्ष 1993 और 2003 के बीच 100248 किसानों ने आत्महत्या की है। स्वतंत्रता के 59 वर्षों के पश्चात् भी किसानों की यही दुर्दशा है।

केवल कुछेक दिन पहले (बृहस्पतिवार को) महाराष्ट्र के अकोला जिले में हाटा गांव के छः किसानों ने, माड़ राहत योजनाओं के अंतर्गत उन्हें कथित रूप से नकदी मुआवजा न दिए जाने के कारण कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। यदि हम किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यही स्थिति बनी रहेगी। आवधिक रूप से घोषित किया जा रहा समर्थन मूल्य पर्याप्त होना चाहिए। यह गन्ना, नारियल, रागी, धान अथवा कोई अन्य फसल हो सकती है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया मूल्य पर्याप्त होना चाहिए।

कोलार में टमाटर के उत्पादक 2 रु./- प्रति किलो प्राप्त करने के लिए जूझ रहे थे। उनमें से अनेक उत्पादक हताशा में सड़क पर टमाटर फेंक रहे थे। उनमें से कुछेक ने 50 हजार रु. का ऋण लिया था और अन्ततोगत्वा, अपने उत्पाद को बेचने के पश्चात् उन्हें केवल 5000/-रु. प्राप्त हुए।

इसी प्रकार, नारियल के उत्पादक भी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक के बाद एक पौधे गिर रहे हैं। अनेक पेड़ एनयूएसआई बीमारी के कारण गिर रहे हैं। उत्पादकों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। कॉफी उत्पादक, विशेषकर, छोटे उत्पादक संकट से जूझ रहे हैं।

ये किसान ही हैं, जो इस देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेकर आए। लेकिन दुग्ध का मूल्य क्या है? किसान द्वारा उत्पादित दुग्ध के लिए लगभग आठ रुपए प्रति लि. मिलते हैं जबकि बिसलरी कंपनी पंद्रह रु. प्रति लि. जल के लिए प्राप्त करती है। यही किसानों की दुर्दशा है।

ये हमारे दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने "जय जवान जय किसान' का नारा दिया था आज स्वतंत्रता के 59 वर्षों के पश्चात् किसान की क्या स्थिति है? अब समय आ गया है कि हम इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करें। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को ही इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र, में किसानों के पास फसल बीमा नहीं है। वे पूर्णरूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं और प्रत्येक दो वर्ष में फसल नष्ट हो जाती है। अतः, यह अत्यावश्यक है कि सभी फसलों को बीमा योजना में शामिल किया जाए।

हाल ही में, वित्त मंत्री ने कृषि ऋण की ब्याज दर में कटौती की है और इसे 7% किया है। चीन में, यह शून्य प्रतिशत है। तमिलनाडु सरकार ने ब्याज घटाया है और वह मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। एक व्यक्ति जो कार ऋण लेता है, वह कम ब्याज अदा करता है। कर्नाटक में, ब्याज दर केवल 4% है। वास्तव में, यह केवल एक प्रतिशत होनी चाहिए और यही मेरी केन्द्र से मांग है।

अब केन्द्र सरकार को किसानों के लाभ के लिए कुछेक क्रांतिकारी उपाय करने चाहिएं। गत कई दशकों से नदियों को जोड़ने का मामला लटका हुआ है। वी.के.आर.वी. राव ने नदियों को जोड़ने की अपनी योजना दी थी। इस संबंध में आगे कुछ भी नहीं किया गया है। इस मामले में सरकार के समक्ष अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। उसे नदियों को जोड़ने का कार्य बहुत ही गंभीरतापूर्वक शुरू करना चाहिए और इस देश के किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराना चाहिए। इससे हमारे देश की ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*[हिन्दी]*

**श्री सुनिल कुमार महतो** (जमेशदपुर) : सभापति महोदय, आज किसानों के विषय पर जो चर्चा हो रही है, इस में भाग लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी झारखंड के किसान परिवार से आए हैं। पहले सम्पूर्ण बिहार में झारखंड था। देश में किसान की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी समृद्धि के लिए कई नीतियां बनीं, कई कानून बनाए गए और योजनाएं बनी है। लेकिन सम्पूर्ण बिहार में, झारखंड के होते हुए उसका एक परसेंट लाभ भी वहां के किसानों को नहीं मिला। धीरे-धीरे झारखंड के किसान आक्रोशित हुए, बिहार से अलग हुए। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद आज उस राज्य की जो स्थिति है, जो प्राकृतिक देन है, वहां की जमीन उबड़-खाबड़ है, पठारी, पहाड़ी क्षेत्र हैं आज तक वहां का किसान प्रकृति पर ही निर्भर रहा है। अगर ऊपर से पानी गिरा यानी बरसात होती है, तो किसान की खेती होती है। अगर पानी नहीं गिरा, तो किसान को जंगल के कंद-मूल खाकर जीवित रहना पड़ता है। वहां के अधिकरत किसान दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। वे अपने बाल-बच्चों को जीवित रखने के लिए बंगाल, पंजाब आदि हर प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय, यूपीए के आदरणीय कृषि मंत्री काफी अनुभवी हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि कृषि मंत्री ऐसी कोई नीति बनायेंगे जिसके तहत झारखंड के किसान का भविष्य उज्जवल होगा। झारखंड में किसान की जमीन किसी की दी हुई नहीं है। वे तीन पीढ़ी से जंगल काटकर, जमीन को समतल बनाकर रहते हैं। वे उस जमीन को सीढ़ीनुमा खेती करने लायक बनाते हैं। उस जमीन में प्रकृति की बहुत देन है। उस राज्य के नीचे काफी सम्पदा है। कहीं आयरन ओर है, तो कहीं तरह-तरह की खनिज सम्पदा है।

आज उस सम्पदा पर बड़े-बड़े मल्टी नेशनल के व्यावसायियों की तीखी नजर है। दुनिया के लोग उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए वहां आ रहे हैं। वहां बड़े-बड़े कारखाने खुल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां किसान को जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस संबंध में तमाम पूर्व वक्ताओं और हमारे मित्र ने बताया है कि वे लोगों को प्रलोभन बहुत अच्छा दिखाते हैं। वहां अच्छे पैकेज की घोषणा होती है। उनके दलाल किसान को समझते हैं कि अगर यह जमीन उनको दे दी गयी, तो आपके बेटा-बेटी की जिंदगी सुधर जायेगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों में उन लोगों को कुछ दिन के लिए नौकरी भी दी जाती है। लेकिन माइनाइजेशन के नाम पर ईएसएल और बीआरएस के तहत उन किसानों को निकाल भी दिया जाता है। आज किसान न घर का है और न घाट का है।

ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सभी दलों के अधिकतर संसद सदस्य गांव से आये हुए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष तभी मजबूत होगा जब गांव मजबूत होगा। इसलिए आज संकल्प लेने और नीति बनाने की जरूरत है, जिसके तहत किसान की जिंदगी सुधरे। ऐसी नीति की जरूरत है जिससे वह अपने बेटा-बेटी अच्छी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छा माहौल मिल सके जिससे वे अपने बाल-बच्चों को अच्छी तरह से रख सकें।

आज गांव में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। वहां कोई भी कृषि उत्पादित वस्तु बाजार में नहीं लाई जा सकती। उस राज्य में 22 जिले हैं। उदयमान राज्य नया राज्य बना है। आज वहां के किसान इस व्यवस्था से बहुत बेजार हैं, दुखी हैं। जब किसान का बेटा भूख से मरता है तब वह राइफल्स उठा लेता है। आज वहां के 19 जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। पूरा झारखंड उग्रवाद से प्रभावित है क्योंकि वहां खदान बंद हो रहे हैं। वहां जो पब्लिक सैक्टर की कंपनियां हैं, वे बंद होने की स्थिति में हैं। अगर देश में शांति रखनी है, किसान के हाथ में अगर काम देना है, तो गांव में पानी और बिजली देने की जरूरत है। झारखंड के 70 से 80 प्रतिशत गांवों के लोगों ने अभी तक बिजली नहीं देखी है। जमशेदपुर शहर छोटा शहर है रांची के तोला, हजारी बाग और धनबाद में आज वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। पहले किसान अपने कुंए खोदकर उस पानी से खेती करते थे। लेकिन आज शहरीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, उद्यमी उद्योग लगा रहे हैं, वे यहां के पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी स्थिति में आज किसान को पानी देना होगा। आज सरकार जो पैसा इण्डस्ट्री के लिए खर्च कर रही है, वह किसानों के लिए खर्च होना चाहिए। आज किसान के हाथों में बिजली और पहुंचाने की जरूरत है तभी हम इस उग्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं और युवाओं में बढ़ रहे आक्रोश को रोक सकते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम झारखण्ड राज्य पर विशेष ध्यान दें और कृषि के क्षेत्र में हम आपकी ऐसी पहल देखना चाहते हैं।

**श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने नियम 193 के तहत

हो रही किसानों से संबंधित इस चर्चा पर बोलने के लिए मुझे समय दिया।

आज किसानों की समस्याओं और उनकी निराशा पर चर्चा हो रही है। यहां जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनमें से लगभग 80 प्रतिशत सदस्य किसान हैं या किसानों द्वारा चुने गए हैं। जब से यह देश आजद हुआ है, यह हाउस बना है, यहां लोकतंत्र कायम हुआ है, लगभग हर सेशन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती आई है।

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं ही एक किसान हैं। हमें खुशी है कि किसानों के बारे में इनको चिन्ता है। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए पांच चीजों - पानी, बिजली, इनपुट्स जैसे खाद, बीज, डीजल, पेस्टीसाइड्स और कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य तथा कर्जे से मुक्ति - की आवश्यकता है। अगर ये पांचों चीजें मिल जाएं तो किसान खुशहाल हो सकता है। जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे मजबूरी में हो रही हैं मैं अपने राज्य हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी के बारे में बता सकता हूं कि जब देश आजाद हुआ, किसान के पास औसतन 18 से 20 एकड़ जमीन प्रति परिवार थी। आजादी के बाद आज 59 साल के बाद, अब तक तीन पीढ़िया गुजर गयीं, आज लैण्ड होल्डिंग दो से तीन एकड़ प्रति किसान रह गयी है। उस वक्त परिवार 10 आदमियों का था और आज परिवार 100 आदमियों का है। जमीन घट गयी, जमीन पर भार बढ़ गया, किसानों की दुर्दशा का यह भी एक प्रमुख कारण है।

महोदय, जब पानी की बात आती है, तो हमारे देश की जियोग्राफी ऐसी है कि कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा है। हर साल हजारों करोड़ रुपए सूखे और बाढ़ में बर्बाद हो रहे हैं और किसान को पानी नहीं मिल रहा है। अटल जी की सरकार ने सभी नदियों को जोड़ने की एक योजना बनाई थी, अगर वह ठीक तरीके से लागू हो जाए तो शायद पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। इस पर प्रयोग करना चाहिए, यद्यपि बरसात कुदरत की चीज है। आज हरियाणा में सूखे की स्थिति है और देश के कई अन्य राज्यों में जबर्दस्त बाढ़ की स्थिति है। राजस्थान जैसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गयी है, लेकिन हरियाणा में सूखा पड़ा है। हम इसके लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। हरियाणा और पंजाब, जिनको कृषि की दृष्टि से खुशहाल प्रान्त कहा जाता है, आज के वहां का किसान खोखला हो गया है, थोथा हो गया है। उसमें अब क्षमता नहीं रही है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किसान की क्या हालत है। आज पंजाब में भी किसान आत्महत्या कर रहा है और हरियाणा में भी कर रहा है, क्योंकि वह कर्ज से इतना दब गया है कि और कोई चारा उसके सामने नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री जी को और सरकार को किसान को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए नियम बनाने चाहिए।

बीमा योजना की बात आती है, अटल जी ने भी 20 प्रांतों में इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया था। लेकिन यह योजना उसके आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए किसान की आशा लगातार टूट रही है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार देश में 48 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो किसी भी हालत में कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि किसान कहां जाएगा।

योजना आयोग की बात आती है, वह एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1,40,000 करोड़ रुपए अगले दस साल में देने को राजी है। एक तरह से यह सब्सिडी है, इन उद्योगों को सब्सिडी देना मंजूर है, लेकिन किसान को मुआवजा देने की या अन्य रूप से राहत देने की बात आती है, तो योजना आयोग अंगूठा दिखा देता है कि हमारे पास बजट नहीं है। इस तरह की किसान विरोधी नीतियां बनाने वाले लोग कौन हैं, क्या ये वे लोग हैं जो ए.सी. में बैठकर किसान के बारे में नीतियां बनाते हैं और उसकी उपज का दाम तय करते हैं, जैसे धान का रेट सिर्फ दस रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है? मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन हैं वे लोग जिन्होंने यह दाम तय किया है? दाम तय करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि इनपुट की चीजें महंगी हो गई हैं और आम चीजों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन रेट सिर्फ दस रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा रहा है।

यदि आप किसानों के बारे में सही सोच रखते हैं, तो उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के हक में नहीं हैं। किसान अपनी पूरी दिहाड़ी लगाता है, मेहनत करता है इसलिए उसे लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले जरूरत थी, आज नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक किसानों को ब्याज पर कर्ज देने की बात है, आज किसान कर्ज तले डूबता जा रहा है। दो-तीन साल पहले किसान को

[श्री किशन सिंह सांगवान]

18-19 प्रतिशत की ब्याज दर से कर्ज मिलता था। अटल जी की सरकार ने उसे घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया। इस सरकार ने उसे और घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में किसान को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है? आपने इस बारे में बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। किसान को बीच, खाद इत्यादि के लिए आपने तीन लाख रुपए की लिमिट बनाई है और वह उसे सात प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा लेकिन आप एक भी किसान ऐसा बता दें जिसने तीन लाख रुपए लिए हों, उसकी तो 50,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट ही नहीं है। उसके लिए भी जब वह बैंकों में जाता है, तो कहा जाता है कि हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं इसलिए ये निर्देश जारी होने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। सरकार का ट्रेंड बन गया है, हमने पिछली बार देखा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे कर्ज उतारने के लिए और कर्जा देने की बात हो रही है। कर्ज लेकर कर्ज उतारना समस्या का समाधान नहीं है जब तक किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं बनाएंगे, उसकी फसल के उचित दाम नहीं देंगे, उसे खाद, बीज नहीं देंगे, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं कराएंगे, तब तक कर्ज के लिए कर्ज देना किसान को एक तरह से और मारने के बराबर है।

बिजली की समस्या अत्यंत गंभीर है। बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली के बारे में कहा। अभी जीरी की फसल का समय है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज कृषि मंत्री जी सर्वे करा लें करीब 25 प्रतिशत किसानों ने धान की फसल उखाड़ दी। पानी नहीं है, मानूसन नहीं आया, बिजली नहीं है, ट्यूबवैल्स नहीं चल रहे हैं, तो किसान को उखाड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। इसलिए बिजली की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बरसात होना या न होना कुदरत के हाथ में है, लेकिन बिजली की व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। आप जीरी खरीदने का लक्ष्य बना रहे हैं। आपने देखा ही है कि गेहूं की हालत क्या हुई। आपने 650 रुपए प्रति क्विंटल उसके दाम तय कर दिए, उसकी वजह से यह हालत हुई और व्यापारियों ने वह गेहूं खरीद लिया, आपके पास नहीं आया। उसके बाद आपने 50 रुपए बोनस के रूप में देने की घोषणा की, लेकिन तब किसान के पास गेहूं नहीं था। व्यापारी बोनस का फायदा उठा गये। आप किसानों को पैसा ठीक नहीं दे रहे हैं, इससे जीरी की फसल में भी आपका टार्गेट ठीक नहीं रहेगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री किशन सिंह सांगवान** : एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा कई साथियों ने अभी कहा कि प्रदेश की सरकारों का यह एक ट्रेंड बन गया है कि किसानों की जमीन एक्वायर करो और बड़े-बड़े डीलरों को बेचो। बड़ी-बड़ी कंपनियां आकर जमीन एक्वायर कर रही हैं, अच्छी जमीनें एक्वायर कर रही हैं कहीं विशेष आर्थिक जोन बनाया जाता है, मार्किट बनाई जाती हैं। उनके सारे टैक्स माफ कर दिये जाते हैं। मेरा क्षेत्र सोनीपत दिल्ली के पास है और दिल्ली के तीन ओर हरियाणा लगता है। वहां की जमीन कितनी उपजाऊ और कीमती है लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को वह जमीन सस्ते दामों पर दी गयी है। मेरे क्षेत्र में 2200 एकड़ जमीन, जिसका भाव एक से डेढ़ करोड़ एकड़ है, सरकार किसानों से 18 से 19 लाख रुपये में ले रही है। हम आर्थिक जोन के विरोध में नहीं हैं लेकिन वह ऐसी जगह बनाया जाए जहां रेट कम हैं, जहां जमीन उपजाऊ नहीं है। गुड़गांव आजकल हांगकांग बन गया है। ये लोग वहां जमीन एक्वायर करते हैं। आप सिरसा में जाओ, महेन्द्रगढ़ में जाओ, वहां आप आर्थिक जोन बनाएंगे तो किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल सरकार प्रॉपर्टी-डीलर का काम कर रही है। केवल मेरे प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि सारे प्रदेश की सरकारों का यही हाल है सस्ते दामों पर किसान की जमीन लो और महंगे दामों पर बेचो, इससे बड़ा विकास नजर आयेगा।

मैं माननीय कृषि मंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कृषि मंत्रालय का बजट रेल विभाग जैसा होना चाहिए। उसमें इरिगेशन, बिजली और रूरल डैवलेपमेंट भी आ गया, अलग-अलग विभागों का कोई फायदा नहीं है। सब विभागों को मिलाकर कृषि संबंधी एक विभाग बनाया जाए और उसका रेलवे की तरह अलग से बजट पेश किया जाए तभी गांवों का विकास हो सकता है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब, मुझे एक घोषणा करनी है। अभी भी दस से ज्यादा सदस्यों का बोलना बाकी है तत्पश्चात्, माननीय

मंत्री जी को उत्तर देना है। इसमें बहुत देर हो जाएगी। अत:, मैं नहीं समझता कि आज "शून्यकाल" में मामलों को उठाया जाना संभव होगा।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : हम तो उसी के लिए बैठे हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं विचार करूंगा। यदि अन्य सदस्य सहयोग करें और संक्षेप में बोलें तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : ठीक है सर।

*[अनुवाद]*

***श्री हितेन बर्मन** (कूच बिहार) : महोदय, स्वतंत्रता क बाद अब तक कई बजट पारित हो चुके हैं। कृषकों को बचाने के लिए कई योजनाएँ तैयार की गई। किंतु कृषकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया हैं किन्तु देश के कृषकों को व्यथित करने वाले इतने सारे कारण क्यों है। कृषकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सभी कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा नहीं है। उर्वरकों पर और कृषकों के औजारों पर राजसहायता में धीरे धीरे कमी आई है। वर्षा के अभाव में कई राज्यों में सूखा पड़ा और कृषकों को आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा। केवल विशेष पैकेज से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। बिड़वा क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा के बाद 70 कृषकों ने आत्महत्या की।

इस चर्चा में, में कृषि मंत्री का ध्यान उत्तरी बंगाल अर्थात् पश्चिम बंगाल के हिस्से की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। सिंचाई हेतु केवल तीस्ता परियोजना ही कार्यरत योजना हैं किंतु पिछले 30 वर्षों से सरकार द्वारा धनराशि को मंजूरी न दिये जाने के कारण, इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री शरद पवार जी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के क्षेत्र में और आस पास के जिलों में इस वर्ष कम वर्षा की वजह से कृषक केवल 40% भूमि की ही जुताई कर पाए और जिस भूमि की जुताई हुई वह भी कम वर्षा की वजह से सूख गई। कम वर्षा की वजह से केवल "जूट" की आर्थिक फसल अपघटित नहीं हुई। इस क्षेत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौजो को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित कर दिया हैं इन परिस्थितियों में, मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था किंतु मंत्रालय से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं शरद पवार जी से इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने और सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

: **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** (रोहतक) : सभापति महोदय इस वाद-विवद के महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जैसा कि बहुत से वक्ताओं ने संकेत किया है, हम गंभीर कृषि संकट के कगार पर हैं। आज कृषि जीवन पद्धति और हमारी जनसंख्या के लगभग 65 प्रतिशत लोगों के लिए आजीविका प्रमुख साधन है और फिर भी यह सकल घरेलू उत्पाद में केवल 20 प्रतिशत का सहयोग करती है। सचमुच में यह लाखों लोगों की कहानी है।

महोदय, हमारी कृषि जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इस संबंध में, हम अन्य पश्चिमी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से बहुत अलग हैं जहां कृषि औद्योगिकीकरण के आगाज से और अन्य क्षेत्रों के अधिक प्रचलित होने के बाद कृषि जनसंख्या में कमी आई थीं इसके परिणामस्वरूप हमारी भूमिधारिता का आकार बहुत तेजी से घटता जा रहा है और यह सब हमारे कृषकों के लिए अतिसंवेदनशील लागत जोखिम-लाभ संरचना के लिए जिम्मेदार है। हाल ही के एनएसएसओ के एक सर्वेक्षण ने यह दर्शाया है कि यदि अवसर मिले तो लगभग 40 से 50 प्रतिशत कृषक कृषि को छोड़ना पसंद करेंगे और अन्य व्यवसायों को अपना लेंगे। यह कृषि प्रधान देश कहलाने वाले देश के लिए सचमुच खतरनाक स्थिति है।

हाल ही में हरीश दामोदरन द्वारा लिखे गए लेख का निष्कर्ष यह है कि तीन-चौथाई भारतीय कृषक प्रतिमाह 3000 रु. से कम कमा पाते है जो कि सरकारी चपरासी के आरम्भिक वेतन से 60 प्रतिशत से भी कम है। यह एक अन्य मुद्दा है जिससे यह पता चलता है कि हमें किस स्थिति पर गौर करना हैं

महोदय, भारत में कृषि अलाभप्रद है और सामान्यत: इससे मोह

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भंग हो रहा है और मैं सोचता हूं कि इस पर इस सभा में अच्छी तरह चर्चा हो गई है। मैं इस विषय पर और अधिक चर्चा नहीं करूंगा किंतु मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मेरे वाद-विवाद का मुख्य बिन्दु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था है। यद्यपि मैं श्री किशन सिंह सांगवान सहित अधिकतर माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं कि खरीफ के लिए एमएसजी काफी अधिक होना चाहिए, मैं एमएसपी व्यवस्था के कुछ अन्य कमियों पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा जो हम आजकल देखते हैं।

*[हिन्दी]*

महोदय, जब मैं नौजवान था, तब मैं हिंदी का एक गाना सुनता था।

**श्री किशन सिंह सांगवान** : आप आज भी नौजवान ही हैं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : जब मैं छोटा बच्चा था, तब एक गाना सुनता था 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।' यह बात आज भी सही है। मैं बच्चे से जवान हुआ। हमारे देश की धरती सोना, हीरे, मोती उगल रही है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सोने, हीरे, मोती को मिट्टी के मोल खरीदने का काम न करें। खरीफ का जो एमएसपी बढ़ा है, जो प्वायंट आउट किया है वह 0.15 परसेंट बढ़ा है।

*[अनुवाद]*

इससे तो मुद्रास्फीति दर भी पूरी नहीं होती है। वास्तव में यह वार्षिक मुद्रास्फीति दर से 50 गुना कम है।

महोदय, मैं कृषि मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के विपरित एमएसपी निर्धारित क्यों किया? उदाहरण के लिए, खरीफ की फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले दो राज्यो पंजाब और हरियाणा में धान के मामले में 150 रु. और 173 रु. की वृद्धि की सिफारिश की गई थी किंतु इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

**सभापति महोदय** : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : महोदय, मैं अपनी बात दो तीन मिनट में पूरी करता हूं।

महोदय, दूसरी बात सीएसीपी की सिफारिश है। यह वास्तव में गंभीर है। इससे न केवल कृषको को कम मूल्य प्राप्त होता है अपितु इससे हमारे राष्ट्र में खाद्यान्न सुरक्षा को भी खतरा है गेहूं के मामले की तरह, हम इसी प्रकार की स्थिति का सामना धान के मामले में भी कर सकते हैं। अब धान के मामले में एक तर्क दिया गया है, हमारे मौजूदा भण्डार, बफर स्टॉक गेहूं की तुलना में बेहतर हैं। किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि गेहूं संकट दो-तीन वर्ष पहले आरम्भ हुआ था, जब तत्कालिक सरकार ने एमएसपी में मामूली धनराशि की वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार, मैं मेरे विचार में, हम ऐसी ही प्रवृति धान के लिए भी चाह रहे हैं। इसलिए, हमें आरम्भ से ही सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम किसान हैं, भिखारी नहीं है। एक ट्रेंड चला आ रहा है। वर्ष 2002 से पहले एनडीए की सरकार थी। पहले कम मूल्य देते थे और बाद में वृद्धि करते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के हमारे सारे नेतागण थे, उन्होंने फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देंगे, तब मूल्य में वृद्धि की गई। रबी के सीजन में 50 रुपए का मूल्य बढ़ाया गया। क्या हर बार किसानों को इस देश में मांगना पड़ेगा और उसके बाद मूल्य बढ़ाया जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर सीएसीपी एमएसपी का कैलकूलेशन करती है और मांगने के बाद ही मूल्य क्यों बढ़ाया जाता है? जब सारी स्थिति सामने होती है, तो कहां कमी रह जाती है?

*[अनुवाद]*

मैं इस तथ्य से सहमत हूं कि हमें एमएसपी में बहुत वृद्धि करनी होगी। किंतु मैं एमएसपी के आकलन की पद्धति में कुछ कमियों की ओर भी इशारा करना चाहूंगा।

*[हिन्दी]*

मैं एक और गाना सुना करता था कि 'गोल माल है सब गोल माल है।' आज यह हालत है कि किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, लेकिन जब ग्राहक वही अनाज खरीदने के लिए जाता है तो उसे ज्यादा मूल्य देना पड़ता है।

*[अनुवाद]*

मैक किंसे और सीआईआई के हाल ही के अध्ययन में इस ओर संकते किया गया है कि भारतीय कृषक को अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन के कृषक की तुलना में बहुत कम मिलता है जबकि भारतीय उपभोक्ता, अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन के कृषक की तुलना में बहुत अधिक अदा करता है।

*[हिन्दी]*

इस प्रकार, हमें हमारी सम्पूर्ण योजना में से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना होगा। एक महत्वपूर्ण प्वाइंट है एमएसपी को सीएसीपी जो कैलकुलेशन करता है, उसमें क्यूमिलेटिव एवरेज लेता हैं हमें प्रदेश के आधार एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री पी. करुणा करना।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : हमें राज्य-विशेष की एमएसपी निर्धारित करना चाहिए क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी कृषि उत्पाद के लिए उत्पादन लागत में बहुत अंतर होता है। यह बहुत सामान्य तथ्य है कि कुछ राज्यों में विद्युत की प्रचुरता है।

**सभापति महोदय** : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं?

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : महोदय कृपया मुझे बोलने दें, मैं दो या तीन और महत्वपूर्ण बिन्दु उठाना चाहता हूं।

कुछ राज्यों के पास बिजली अधिक है और कुछ के पास बिजली की कमी है। जिन राज्यों में बिजली कम है वहां बिजली की लागत काफी अधिक है और किसानों को भी बिजली के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। भूमि के दामों के साथ भी ऐसा ही है।

*[हिन्दी]*

जो एनसीआर प्रदेश हैं वहां कॉस्ट ऑफ लैंड ज्यादा हैं। किसान का उसी आधार पर ज्यादा खर्चा होता है। एमएसपी बुआई से पहले डिक्लेयर करना चाहिए और संविधान में मैंडेट है कि सीएसपी बुआई के सीजन से बहुत पहले बताए कि एमएसपी कितना होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन ब्यूरोक्रैट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो एमएसपी की घोषणा में इतना डिले करते हैं। इसके कारण देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री पी. करुणाकरन जी आप बोल सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत कुछ भी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हर बात की कोई हद होती है।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आप एक युवा व्यक्ति हैं, आप परेशानी समझ सकते हैं। कृपया अपनी बात पूरी करें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : सीएसीपी के कैलकुलेशन में बहुत बड़ी कमी है। रेट ऑफ इंटरस्ट का जिक्र नहीं है। जितना खर्चा है वह करते हैं लेकिन

*[अनुवाद]*

वह उस ब्याज दर पर ध्यान नहीं देते जो उस विशेष निवेश में किसान देता है। आज हमारा किसान उधार लेने वाला एक किसान हैं

**रात्रि 9.37 बजे**

**[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए।*]**

वह एक विशेष उपज पर कुछ रकम खर्च करता है परंतु साथ ही उस पैसे पर वह भारी ब्याज भी दे रहा है जो कुछ मामलों में दो से पांच प्रतिशत प्रतिमाह करता है। अत: हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना में ब्याज दर की भी गणना की जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

मेरी आखिरी बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है एक किसान जिसे अच्छा दाम मिले तथा दूसरा उपभोक्ता जिसे बहुत ज्यादा न देना पड़े। परंतु आज हमने पिछले पांच या छः सालों में ऐसा क्या देख लिया है जो हम पिछले दशक के दौरान नहीं देख पाये? इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया से न तो किसान और न ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो पाई है। अतः हमें खाद्य सुरक्षा तथा समर्थन मूल्य प्रचालनों से खरीद की राहत को पृथक करना होगा। यह मेरी मुख्य सिफारिश है।

**सभापति महोदय** : हुड्डा जी कृपया अपनी बात पूरी करे।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : मेरी दूसरी सिफारिश यह है कि हमें दोहरे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी विचार करना होगा... *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : हमारी बात छोड़ दीजिए लेकिन स्टाफ के लिए डिनर का इंतजाम नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : बीच में टोका-टाकी न करें।

*[अनुवाद]*

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : हमें दोहरे न्यूनतम समर्थन मूल्य के मूल्य निर्धारण पर विचार करना होगा ताकि हमारे पास मूल न्यूनतम समर्थन मूल्य न हो परंतु इसके लिए एफ सी आई को कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो खरीद सुनिश्चित करेगा।

*[हिन्दी]*

मैंने कहा था कि मैं अपना बिंदु एमएसपी पर रखूंगा। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि किसान की इनकम बढ़ाने के लिए हमें एमएसपी के साथ-साथ एनिमल हसबैंडरी से रिलेटिड चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एनिमल हसबैंडरी के क्षेत्र में पहली बार इतना ज्यादा ध्यान दिया है। खास कर हमारे राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री जी ने इतनी बड़ी ग्रांट दी जो आज तक कभी नहीं दी गई थी। पूरी दुनिया में कहीं जर्सी चलती है, कहीं बोस्टेन गाय चलती है, उसका दूध पूरी दुनिया में पीया जाता है। मैं खुशी और गर्व के साथ एक सपना देखता हूं कि 21वीं सदी में जिस प्रकार मुर्रा की भैंस दुनिया में सबसे अच्छी है पूरी दुनिया में चाहे अमेरिकी हो, चाहे चीनी या जापानी हो, हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ें और कृषि मंत्री जी हमारा साथ देते रहें तो आगे आने वाले दिनों में, 21वीं सदी में सारी दुनिया वाले दूध पीएं तो जर्सी और बोस्टेन का नहीं बल्कि हरियाणा की भैंस का दूध पीएं। यही माननीय कृषि मंत्री को कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (चितौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें शून्यकाल में बोलना था, यदि अभी अलाऊ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

**सभापति महोदय** : अभी बीच में नहीं होगा, क्योंकि किसानों की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। किसानों की समस्याओं को पूरा सदन बहुत गंभीरता से ले रहा है और आप लोगों को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

*[अनुवाद]*

अब श्री पी. करुणाकरन बोलेंगे।

**श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड) : सभापति महोदय इस सभा में हम किसानों के मुद्दों की चर्चा करते रहे हैं और हमने 14वीं लोक सभा के अन्य क्षेत्रों में भी इन पर चर्चा की है। हम इससे भली भांति परिचित हैं। जब हम दो वर्ष पहले तथा आज के मुद्दों की तुलना करते हैं, तो इस सभा के सभी सदस्यों का निःसंदेह यही विचार होगा कि स्थिति बिगड़ रही है।

महोदय मैं समझता हूं कि सरकार ने कृषक समाज के लिए बजट में काफी धन का प्रावधान किया है। साथ ही हालांकि वृद्धि दर आठ प्रतिशत है, तथा मुद्रास्फीति दर केवल चार प्रतिशत है, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने दावा किया है, किंतु यह किताबी संकल्पना किसानों अथवा कृषक समाज के दैनिक जीवन में नही दिखाई पड़ती। अतः पहली बात मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई नीति पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई नीति के प्रभावों पर विचार करना होगा। हालांकि हम कृषि क्षेत्र में अधिक खर्च करते हैं किंतु, हम किसानों की स्थिति नहीं सुधार पाए, हैं। यह अब एक सच्चाई बन गयी है। अतः हमें उन नीतियों का पता लगाकर उनपर पुनर्विचार करना होगा जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई हैं।

दूसरी बात मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हाल के समय में सरकार ने केरल के तीन जिलों सहित 31 जिलों के लिए एक विशेष पैकेज नीति की घोषणा की है। महोदय यह केवल 639 करोड़ रु. की है। केरल में सामान्यतया यह समझा जा रहा है कि यह सरकार द्वारा घोषित एक विशेष पैकेज है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सही है या नहीं। लगभग हर समाचार पत्र में इस विशेष पैकेज के बारे में समाचार आया और यह मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि यह सच है तो यह लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केरल सरकार ने यू.डी.एफ शासन के समय पहले ही एक विस्तृत अभ्यावेदन भेजा हैं हम केरल के संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री से मुलाकात की और एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। मेरे विचार से तीन अध्ययन दल पहले ही केरल का दौरा कर चुके हैं। हाल के मानूसन से केरल के चार या पांच जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसीलिए हम केरल के संसद सदस्यों तथा केरल सरकार ने भी यह मांग की है कि इस विशेष पैकेज की जल्दी घोषणा की जाए क्योंकि न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित करना है। यदि आप दो या तीन महीने बाद ऐसा करेंगे तो इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। वायानाड में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। तीन दिन पहले ही एक खबर आई थी कि एक किसान ने आत्महत्या की है और आत्महत्याओं का यह दौर जारी है। अत: कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। यह सच है और जैसाकि कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है, कि यह केवल एक अस्थायी उपाय है। जब हम एक विशेष पैकेज लेते हैं, तो यह एक अस्थायी उपाय है। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय है, फिर भी इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

महोदय, हमें विशेष रूप से कृषि मामलों में कृषि मंत्री पर पूरा भरोसा हैं केरल से संबंधित मुद्दों के संबंध में इस विशेष पैकेज की घोषणा इस सभा में ही की जानी चाहिए और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : सभापति महोदय, आपने मुझे देश के किसानों में फैली निराशा और उनकी समस्याओं पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब मैं चौपाल में अपने बुजुर्गों से सुनता था तो वे एक कहानी कहा करते थे - ''उत्तम खेती मद्धम बान, करे नौकरी भीख समान''। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है कि जिस नौकरी के लिए कहा जाता था कि भीख के समान नौकरी करना होता था। आज व्यापार बड़ा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी नौकरी करने वाले की स्थिति सुदृढ़ हो गई है लेकिन जो एक नम्बर का किसान था, आज वह अपने हालात की वजह से आत्महत्या कर रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार चालीस प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। भारत में आज की सरकार कृषि के क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं नहीं जानतीं या फिर किसानों के प्रति चिन्तित नहीं है। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण से कृषि क्षेत्र बिल्कुल तबाह हो गया है। खाद, डीजल और बीज के दाम बढ़ गये हैं। सिंचाई के लिए किसान को पानी नहीं मिलता है। कृषि के न्यूनतम मूल्य कम हो गये हैं। उत्पादन लागत बढ़ गई है।

जब हमारा किसान फसल बोता है तब फसल बोने के बाद उसकी समझ में नहीं आता कि कब कौन सी समस्या आ जाए जिससे उसकी सारी फसल खेत में ही रह जाए। किसी तरीके से किसान फसल काटकर अगर घर ले जाता है तो उसके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है और इसीलिए उसे मंडी में जाकर अपना अनाज बेचना पड़ता है और कम दामों में वह अपना अनाज बेचता है। जो आड़तिया होता है, वह मंडी में एक महीने या दो महीने के उधार पर उसका अनाज लेता है।

आज केन्द्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना चलाई गई है, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, जो किसान क्रेडिट कार्ड बैंक में लेने जाता है, वहां बगैर कमीशन दिये उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जालौन की बात कर सकता हूं। वहां कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जहां किसान को बगैर कमीशन दिये क्रेडिट कार्ड मिल गया हो।

हम एक बात कहना चाहते हैं। जब हम किसान की समस्या के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने यह समस्या आती है कि सरकार किसानों की जमीन ले लेती है और जमीन चाहे वह सड़क के लिए ली हो या किसी और को दी हो, मैं जिस कौंच नगर से आता हूं, वहां से केलिया बाईपास जो चार कि.मी. के करीब है, उसके लिए सड़क बनाई गई और उसके लिए किसानों की जमीन ली गई। हमारे एक मित्र है श्री कन्हैया लाल यादव, पुत्र श्री राम सेवक यादव, उनकी जमीन को लिये 15-20 साल हो गये हैं लेकिन आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अगर उनके ऊपर कर्ज है तो लेखपाल या एसडीएम उनके पास पहुंच जाते हैं और उठाकर उन्हें बंद कर देते हैं। बीस-बीस साल हो गये हैं लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो कैसे हम कहें कि किसान शक्तिशाली और समृद्धशाली होंगे। जब तक हम इन सारी बातों पर विचार नहीं करेंगे,

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

किसानों को जो दाम देना है, वह उन्हें बैंक से समय पर नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत जो योजना चलाई जा रही है, ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : महोदय, पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा घोषित किया गया था राजस्व कर्मियों की प्लॉटवार और ग्रामवार सर्वे कराकर प्रभावित कस्बों को कृषि निवेश राज सहायता दी गई थी। दूसरी बात सहकारी बैंकों से जिन किसानों ने ऋण लिया था, जिन किसानों ने खाद उठाई थी, जो ऋण लिया था, उसी में बीमा योजना का पैसा काट लिया गया। 1025 रुपये काट लिये गये लेकिन बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला। जो बैंक का, जिले का महाप्रबंधक है, उसके द्वारा 95-100 किस्मों की बीमा राशि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई। मात्र 43 कृषकों को बीमा का लाभ मिला है। इतना ही नहीं, तहसील में दो न्याय पंचायतों में बीमा राशि बांटी गई है लेकिन दो न्याय पंचायतों में बीमा राशि नहीं बांटी गई है। एक न्याय पंचायत सड़क के उस तरफ है, उसे बीमा राशि नहीं मिली है और दूसरी गांव के बगल में मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर है, उसे बीमा राशि मिल गई है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा को न्याय पंचायत के तहत लिया गया है, उसे बीमा राशि मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब तक ग्राम सभा को इकाई नहीं माना जायेगा, तब तक उसे बीमा राशि नहीं मिल पायेगी।...*(व्यवधान)* यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इकाई नहीं माना जायेगा, तब तक किसानों को राष्ट्रीय बीमा योजना का पैसा नहीं मिल पायेगा। हमारे यहां पिपरमिंट की खेती हो रही है। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। अभी बीच में कुछ फाइलें तैयार की गई हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अगर इस तरह भाषण लंबा किया जायेगा तो बात नहीं बन पायेगी। अभी तक आप जो बोले हैं, ठीक बोले हैं। अब आप अपना भाषण खत्म कीजिये।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : सभापति जी, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, लखनऊ ने मेरे संसदीय क्षेत्र के लिये पैसा स्वीकृत करके काम किया जा रहा है। दिनांक 07.07.2000 को...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप बैठ जायें। आपका भाषण समाप्त माना जायेगा। आपके सारे पाइंट्स आ गये हैं। दूसरे दलों के सदस्य भी बोलने वाले हैं, आप बैठिये।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करना चाहूंगी।

मैं हमारे कृषि मंत्री को अपनी ओर से औपचारिक सादर धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस सभा में उठाई जा रहीं किसानों की समस्याओं को लगभग पांच से छह घंटे तक सुना। यह मेरे जैसे पहली बार संसद सदस्य बनने वाले व्यक्ति के लिए स्मरणीय दिन है। ये बहुत प्रभावी थे। जिस भी नेता ने यहां किसानों के बारे में जो कुछ बोला वे वास्तव में दिल से निकले हुए शब्द थे। मुझे इस सभा में थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देती है कि हमारे कृषि मंत्री किसानों की समस्या पर उत्तर देंगे और वह संप्रग सरकार के कुछ निर्णयों की कमियों का भी निराकरण करेंगे। यद्यपि मैं सत्तारूढ़ दल से हूं किंतु जब हम किसानों के मुद्दों के बारे में बोल रहे हैं तो मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगी। यही कारण है कि मेरे किसानों ने मुझे यहां उनके बारे में बोलने के लिए भेजा है। महोदय, मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देती हूं।

महोदय भारत में दो भारत हैं। एक अवास्तविक भारत है और दूसरा वास्तविक भारत। वास्तविक भारत बहुत गरीब किंतु शक्तिशाली है वह है ग्रामीण भारत। वह बहुत शक्तिशाली है जहां 65 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। हमारे जीडीपी में कृषि का 22 प्रतिशत योगदान हैं यह घट रहा है। क्यों? यह समय पर इस पर वाद-विवाद करने का है।

सन् 1998 और 2003 के बीच कुल एक लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह समय है कि देश को दुख और शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। मुझे दुख और शर्म से अपना सिर झुकाने में कोई झिझक नहीं है। गांधी की इस भूमि में हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

सन् 2005 में यूएनएचडी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि गरीबी उपशमन के क्षेत्र में हमारी प्रगति बहुत धीमी है। 177 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। क्या आपको नहीं लगता कि ग्रामीण

भारत पर इस सरकार द्वारा और अधिक ध्यान देने और धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है?

हम अपने किसानों को विशेषाधिकार नही दे रहे हैं और न ही वे हमसे विशेषाधिकार मांग रहे हैं। यह उनका अधिकार है। वे अन्नदाता के रूप में देश के लोगों का पेट भरते हैं। किंतु आज वे अपमान के स्थान पर जहर को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्यों?

यह केवल उनकी किसान के तौर पर गरिमा बचाए रखने के लिए है। सिर्फ इसलिए कि वे किसान हैं, वे मर जाएंगे, वे अपमान और बेइज्जती के बजाय मरना पंसद करते हैं।

कृषि का विकास एकांगिक रूप से नहीं हो सकता है। कृषि भारतीय आर्थिक मजबूती का केन्द्र है। जबकि हमारे 70 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर हैं हमारा इस क्षेत्र के लिए आवंटन कितना है? यह केवल दो प्रतिशत है। जबकि 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण भारत में रहती है और हम बजट में उन्हें केवल दो प्रतिशत आबंटित कर रहे हैं। हम सिंचाई के लिए कितना दे रहे हैं? केवल 0.35 प्रतिशत। इस 0.35 प्रतिशत आबंटन में माननीय मंत्री को इस सबसे बड़े देश में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। वे इतने सीमित संसाधनों से कैसे आबंटन करेंगे? वे इन आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करेंगे? इस तरह की नीतियां कौन बनाता है? क्या ये नौकरशाहों और प्रौद्योगिकीविदों ने बनाई हैं जिन्होंने गांवों की जमीनी हकीकत नहीं देखी है। क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के अनुकूल नीतियां बनाने के लिए निर्णय लेने वाले निकायों में हमें किसानों, कृषि विद्धानो वैज्ञानिकों को शामिल करना चाहिए?

हम किसानों के प्रति सहानुभति के साथ किसानों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। क्या इससे उन्हें मदद मिलेगी? क्या इस सहानुभूति से उन्हें मदद मिलेगी? कृषि एक कमाई वाला व्यवसाय नहीं है अपितु मानवता की सेवा करने में सहायता करता है। जबकि मानवमात्र कृषि पर जीवनयापन करता है, तो फिर इस देश में किसानों द्वारा आत्महत्याएं क्यों की जा रही है? यह अवास्तविक भारत और वास्तविक भारत के मध्य समन्वय की कमी का स्पष्ट द्योतक हैं अवास्तविक भारत समूह है और भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाता है किंतु ग्रामीण भारत को आगे लाने के लिए वास्तविक प्रयास हमारे सामने एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है।

महोदय, हमारी संप्रग सरकार निश्चित रूप से कृषक समुदाय से सराहना की हकदार करती है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र कनकपुरा के 27 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कह सकती हूं कि यह एक सूखा प्रवण क्षेत्र है। वहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहां कोई नहीं है। भूजल स्तर हजारों फुट नीचे जा रहा है। जब तक उसका विकास न हो और जब तक टैंकों और जल निकायों, जलाशयों का नवीकरण न हो, तब तक मैं अपने किसानों के किस प्रकार के भविष्य की कामना कर सकती हूं। मैं इसे नहीं देख सकती हूं। जब तक हम रेशमकीट क्षेत्र की सहायता नहीं करते जब तक हम पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्यन क्षेत्रों का विकास नहीं करते जहां वे कृषि से जुड़े हुए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में विकसित हों, तब तक यह मुश्किल होगा।

हमारी सरकार अर्थात संप्रग सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज दर घटा करसात प्रतिशत कर दी है। राजग सरकार के दौरान भी, निसंदेह उन्होंने इसे 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया था। किंतु उनके ऋण की सीमा 55,000 रु. तक थी किंतु संप्रग सरकार ने इसे बढ़ा कर तीन लाख रुपए कर दिया है जबकि ब्याज दर कम कर सात प्रतिशत कर दी है।

निश्चित तौर पर यह कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी सहायता है। निसंदेह, डा. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में भी बैंकों द्वारा कृषि ऋण के लिए दो प्रतिशत ब्याज दर का लाभ दिया था। ये किसान यह ऋण राशि कहां से प्राप्त कर रहे हैं? एक तो अनुसूचित बैंक हैं जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरे हैं क्षेत्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंक जैसे कि केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहबाद बैंक आदि और तीसरे हैं जिला सहकारी बैंक जो कि ग्राम सहकारी समितियों को धन देते हैं जहां से किसान ऋण लेते हैं।

यही पर एक कमी है। मैं इसकी चिंता नहीं करती, मुझे अपनी सरकार को इस कमी के बारे में बताने करने में कोई झिझक नहीं है और मैं इसमें सुधार का अनुरोध करती हूं। जब वे क्षेत्रीय और राष्ट्रीयकृत बैंकों को सहायता दे रहे थे, तो जिला सहकारी बैंकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया था। वाणिज्यिक बैंक व्यापारियों और उद्योगपतियों को ऋण देकर लाभ कमा सकते हैं। किंतु ये बेचारे सहकारी बैंक केवल किसानों पर निर्भर हैं और उन्हें लाभ कमाने का कोई क्षेत्र नहीं हैं

मेरा निजी विचार है कि माननीय मंत्री श्री शरद पवार वास्तव में एक वयोवृद्ध राजनेता हैं। संप्रग सरकार में उनकी अपनी अलग अहमियत है। मैं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर जिला सहकारी बैंकों को भी लाभ देने का आग्रह करती हूं। अन्यथा इस निर्णय से आप

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूं।

साथ ही मेरे राज्य कर्नाटक में चार वर्ष से सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में यही बैंक किसानों के बचाव के लिए आए। वाणिज्यिक बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग कर रहे थे।

जब यहां किसानों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है तो वे बैंकों को क्या संपार्श्विक प्रतिभूति दे सकते हैं? इसीलिए, ये जिला सहकारी बैंक किसानों की जीवन रेखा थे। इन बैंकों को सभी तरह से सुदृढ़ किया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस संबंध में कदम उठाए।

रात्रि 10.00 बजे

बजट तैयार करते समय, हम कृषि तथा सिंचाई के लिए कितना आवंटन करते हैं? यह आवंटन केवल 2.35 प्रतिशत है। इसलिए मैं श्री शरद पवार से पूछना चाहती हूं कि वे फसल बीमा के लिए भुगतान कैसे करेंगे। वे किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जानती हूं कि वे किसानों के हितैषी हैं। उन्हे किसानों की चिन्ता लगी रहती है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली थी। उन्हें किसान समुदाय से बहुत प्यार है, श्री शरद पवार कृपया मुझे भरोसा दिलाएं कि इस 2.35 प्रतिशत के मामूली आवंटन से आप फसल बीमा के लिए भुगतान कैसे करेंगे आप प्रौद्योगिकी का उन्नयन कैसे करेंगे, कृषि विश्वविद्यालयों में आप अनुसंधान एवं विकास कार्य कैसे करेंगे, आप बांध कैसे बनाएंगे, आप जल निकायों, जैसे झीलो तथा तालाबों का पुनरूद्धार कैसे करेंगे, आप कर्नाटक की ऊपरि कृष्णा परियोजना की सहायता कैसे करेंगे? जल संग्रहण के लिए इस परियोजना पर हम 8,700 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन जब तक आप 1,000 करोड़ रुपये की और सहायता नहीं देते, यह किसी काम का नहीं रहेगा तथा हम उसी पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

ग्रामीण भारत में धन कहां है? इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन्हें हमारे बचाव के लिए आगे आना चाहिए। क्या आप नहीं समझते कि यह शर्म की बात है कि हम टेलिफोन सुविधाओं के लिए 11 से 12 प्रतिशत तक आवंटन दे सकते हैं, जबकि कृषि जिसमें 50 प्रतिशत श्रम बल लगा है, के लिए केवल 2 प्रतिशत ही आवंटन देते है? मैं समझती हूं कि नजरिये में बदलाव आना चाहिए।

**सभापति महोदय** : आप अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख सकती हैं। श्री सुरेश वाघमोर।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूं। राजग तो 2.35 प्रतिशत भी उपलब्ध कराने में असफल रहा था। इसलिए, मैं अपनी सरकार की प्रशंसा करती हूं।

चीन में क्या हो रहा है? चीन कृषि पर 10 से 12 प्रतिशत खर्च कर रहा हैं। हमारे पास भी चीन को चुनौती देने की क्षमता है। मुझे लगता है कि भारत का कृषि क्षेत्र 10 से 12 प्रतिशत आबंटन का हकदार हैं।

हाल ही में क्या हुआ है? दक्षिण भारत में बाढ़, सुनामी तथा सूखे से भारी नुकसान हुआ है। क्या आप नहीं समझते कि अब अंतर-राज्यीय नदियों को आपस में जोड़ने का समय आ गया है? जनसंख्या 35 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गई हैं जबकि कृषि भूमि उतनी की उतनी ही रही है। इसलिए, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण किसानों के पास जमीन की कमी है।

**सभापति महोदय** : श्री सुरेश वाघमोर। अब, श्री सुरेश वाघमोर के सिवाय किसी का भी भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** : महोदय, मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे किसानों को जल प्रबंधन के बारे में शिक्षित कराएं। अपनी निरक्षरता एवं अज्ञानता के कारण वे नहीं जानते कि जल प्रबंध कैसे किया जाए। किसानों को वर्षा जल संचयन जैसी बातों को जानने की आवश्यकता है। विपणन सुविधाएं, मांग, शीतागार सुविधाएं एवं ऐसी अन्य सुविधाएं सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

हम सभी को साथ मिलकर किसानों के आसूं-पौंछने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करती हूं।

**"जब हम 1947 में अंग्रेजों के राज से आजाद हुए, हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक। क्या हमारी कृषि भूमि बढ़ी है? नहीं, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण यह कम हो गयी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**....भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

आज 85 प्रतिशत किसानों की कृषि कार्य करने में रूचि नहीं है। यह व्यवहार्य भी नहीं है।

एक किसान के रूप में मेरी यह राय है कि हमारे किसान अधिक आत्मसम्मान वाले लोग है। वे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहते हैं। उन्हे सही नीतियों की जरूरत है। वे भिखारियों की तरह जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन वे इस देश की आधारशिला बने हुए हैं। क्या हम उन्हें गुणवत्ता वाले बीज, बिजली स्थिर मूल्य, फसल बीमा तथा किसानों के बच्चों को ग्रामीण पृष्ठभूमि का लाभ नहीं दे सकते हैं।

उनकी सहायता के लिए अल्पकालिक उपायों जैसे राजसहायता, फसल बीमा - बाढ़ राहत, के बजाय दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिएं। यद्यपि उस समय उन्हें इन चीजों की आवश्यकता है। हमें उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। सीमेंन्ट के भाव 150 रुपए से बढ़कर 250 रुपये हो गए हैं। किसान अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

विपणन, मांग, से शीतागारों, प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकता होगी। निर्यातोन्मुखी वस्तएं उगाने के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। किसानों के उत्पादों का मूल्यवर्धन हो हमारे यहां यह केवल 4 प्रतिशत हैं विदेशों में यह मूल्यवर्धन 15 से 20 प्रतिशत है।

प्रसार के माध्यम से प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास किसानों के खेतों तक पहुंचने चाहिए। मृदा जांच फसल आदि के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि-विश्विद्यालयों का उपयोग सलाहकार के रूप में किया जाना चाहिए।

हमारे किसान पानी का महत्व नहीं जानते हैं। अपनी निरक्षरता एवं अज्ञानता के कारण, वे नहीं जानते कि पानी का अभाव है। वे पानी का महत्व नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उन्हें जल-प्रबंधन, और वर्षा जल संचयन भूजल स्तर बढ़ाने तथा ड्रिप सिंचाई अपनाने के सबंध में और अधिक शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश वाघमारे** (वर्धा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। कृषि के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, गए 60 वर्ष में इस देश के किसानों की जो हालत हुई और आज भी हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। किसानों की यह हालत क्यों हुई, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक प्रमुख कारण सामने आता है कि किसानों को उसकी लागत मूल्य पर आधारित जो मिलना चाहिए, जो मदद होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से किसानों की आज यह हालत है। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जब कि देश के विकास में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि का योगदान है। इसके बावजूद भी कृषि की जो स्थिति है, हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हैं आज यह स्थिति क्यों है, इसका कारण यह है कि जो लोग अनेक वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने कृषि के प्रति जो अनास्था दिखाई, उसकी वजह से यह स्थिति हमारे ऊपर आई। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की पूरी व्यवस्था करते, सिंचाई की सुविधा देते, गांवों को पक्के रास्ते से जोड़ा जाता और सिंचाई के लिए किसानों को बिजली देते तो यह स्थिति न होती।

माननीय सभापति जी, इन सभी बातों को तुलनात्मक दृष्टि से तत्काल करने की आवश्यकता है। इनके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने चर्चा भी की है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो सुधार करने के प्रयास इस सरकार ने किए, वे ठीक नहीं थे। यही कारण है कि आज देश में बहुत इम्बैलैंस देखने को मिल रहा है। इस इम्बैलेंस के कारण ही देश में आज कहीं सूखा है, तो कहीं बाढ़।

महोदय, देश में जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, तब उसने दो प्रमुख कार्यक्रम प्रारम्भ किए जिनमें प्रथम देश की नदियों को आपस में जोड़ना तथा दूसरा देश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना। एन.डी.ए. की सरकार जाने के बाद, ये दोनों ही काम इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। जहां कहीं ग्रामों को शहरों से जोड़ने हेतु सड़कें बनाई भी जा रही है, वहां बहुत धीमी रफ्तार से काम हो रहा है जिसके कारण गांव पिछड़े ही बने हुए हैं मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के काम की रफ्तार बढ़ाइ जाए, क्योंकि यदि यह हो सका, तो ही हम किसानों को बचा पाएंगे।

महोदय, देश की कृषि का देश के विकास में 50 प्रतिशत योगदान है, लेकिन उसके लिए बजट बहुत कम रखा जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कृषि का बजट बढ़ाया जाए। मैं दूसरी मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रेल का बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से कृषि का भी अलग बजट प्रस्तुत किया जाए। मैं तीसरी मांग करना चाहता हूं कि कृषि को उद्योगों के साथ जोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अगले वक्ता हैं श्री मधुसूदन मिस्त्री हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया सभा में टोका-टाकी मत कीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा) : महोदय, मुझे सिर्फ कुछ सुझाव देने हैं, और इस मुद्दे पर मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं गुजरात राज्य के बारे में बात करना चाहूंगा। वहां पर पोखरों के फटने और बांधों से पानी छोड़े जाने की घटनाएं हुई हैं जिनसे पूरे राज्य में किसानों की भूमि को क्षति पहुंच रही है।

मेरा समझना हैं कि आपका मंत्रालय आपदाराहत कोष (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (एनसीसीएफ) हेतु नौडल एजेंसी है। मेरा सुझाव है कि बांधों से पानी छोड़े जाने और पोखरों के फटने के कारण जिन किसानों की भूमि को क्षति पहुंची है उन्हें सीआरएफ और एनसीसीएफ से पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह निर्धारित किया जाना चाहिए और यह 30 अथवा 40 प्रतिशत हो सकता है।

वास्तव में, बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार क्षतिग्रस्त हुई भूमि के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता है। यह मानवजनित आपदा है। वास्तव में, सिंचाई विभाग किसानों के लिए बहुत सारी विपदाएं उत्पन्न कर रहा हैं बावजूद इसके, आप और आपका मंत्रालय दोनों इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, फिर भी यह आरोप कृषि मंत्रालय पर लगता है।

दूसरा, मुझे यह पता चला है कि गत दो वर्षों में नैफेड द्वारा की गई खरीदों में बहुत अनियमीतता बरती गई है। मेरे तथा अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जब वह सरसों के बीज खरीदना शुरू करता है, व्यापारी पहले बीज खरीदते हैं, किसानों के लिए 7:12 प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, और तब उन्हें बेचते हैं। किसानों के नाम पर स्वयं नैफेड हेतु बहुत कम मूल्यों पर उनके अपने उत्पाद खरीदे जाते हैं। इस प्रवृत्ति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है परंतु मुझे मालूम नहीं है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

तीसरे, मैं यह किसानों हेतु बीमा के मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि राज्य को भी 25 प्रतिशत अंशदान देना होता है। केंद्र सरकार से धनराशि राज्य को जाती है परंतु यह धनराशि जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी किया गया है- उसे राज्य के हिस्से के अनुपलब्धता के कारण वितरित नहीं किया जाता है।

बीटी कॉटन सीड्स सहित बायोसीड्स की, बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में, हम अभी तक बीटी कॉटन सीड्स का भूमि पर और इसे खाने वाले मवेशियों पर दुष्प्रभाव का अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। हमारे पास कॉटन सीड्स का उपभोग करने वाले व्यक्तियों पर इसके दुषप्रभावों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में अनभिज्ञ प्रतीत होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया हैं यदि आप बीटी कॉटन सीड्स का उपभोग करते हैं तो आपके शरीर अथवा रक्त में किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ेंगे? इसका पता लगाया जाना आवश्यक है। अब नाबार्ड द्वारा ऋण देने के मुद्दे पर आता हूं। मैं अपने जिले में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता हूं। मैने पिछली बैठक में उनसे यह पूछा था कि उन्होंने किसानों विशेषकर उन किसानों जिनके पास सिंचाई सुविधाएं नहीं तथा जनजातियों को कितना धन दिया है क्योंकि जनजातीय व्यक्ति भी किसान है। इसके अतिरिक्त ऐसे छोटे किसान भी हैं जो पिछड़े समुदाय के हैं तथा जिनके पास सिंचाई सुविधाएं आदि नहीं हैं। इसके बावजूद हम क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया गया हैं अधिकांश धनराशि बड़े किसानों को ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए दी जाती है तथा इन गरीब किसानों को सदैव छोड़ दिया जाता है। नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले ऋण की पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि ऋण की राशि गरीब किसानों तक पहुंच पाएगी।

बिजली के विषय पर आते हुए, मेरे विचार से, आपके मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय करना चाहिए और हमे सभी को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को अभ्यावेदन देना चाहिए क्योंकि राज्यों में बिजली की कमी है। मेरे अपने राज्य में, 10,000 मेगावाट बिजली की मांग है, परंतु राज्य केवल 5600 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है।

गत पांच वर्षों में वे 660 मेगावाट विद्युत क्षमता बढ़ा पाए थे। 3500 मेगावाट विद्युत की कमी है। किसानों की सफलता हेतु विद्युत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से हमें संबंधित मंत्रालय से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करना चाहिए।

अंत में मैं अपने सभी साथियों से सहमत हूं और उन्हें इस मुद्दे पर समर्थन देता हूं कि हमें अवश्य ही कृषि मंत्रालय के बजट को बढ़ाना चाहिए ताकि इस देश के किसान संपन्न हो सकें।

**श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड उत्तर) : मैं दो या तीन सुझाव दूंगा और फिर अपना शेष भाषण सभापटल पर रखूंगा।

महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सत्तर प्रतिशत आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है किन्तु कृषि में निवेश प्रथमयोजना के 14.9 प्रतिशत से हटकर अब 5.2 प्रतिशत रह गया है। हाल ही में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने एक विस्तृत सर्वेक्षण किया है, मुझे विश्वास है कि माननीय शरद पवार इससे भलीभांति परिचित हैं, जिसमें किसानों द्वारा आत्महत्या/किसानों की दुर्दशा के लिए महत्वपूर्ण कारण कृषि उत्पादों की लागत के संबंध में बिचौलियों द्वारा हेराफेरी करना बताया गया है। यदि माननीय शरद पवार यह सुनिश्चित करें कि बिचौलिया प्रणाली समाप्त हो तो उनकी पूजा भविष्य में भगवान की तरह की जाएगी और वे इतिहास रच देंगे। कृपया एक योजना बनाइए या एक तंत्र बनाइए जिससे इन बिचौलियों से बचा जा सके।

गत दिसम्बर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब इस सभा में प्याज की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा हो रही थी। जब सत्र समाप्त हो गया, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हुबली गया, तो वहां किसान अपने प्याज की समुचित कीमत के मिलने के लिए आन्दोलन कर रहे थे।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि मेरे धारवाड़ जिले में वर्ष 2003 का फसल राहत बीमा नहीं किया गया हैं। मैंने इस संबंध में आपको ज्ञापन भेजा है। अब वर्ष 2006 चल रहा है, तब से तीन साल पहले ही बीत चुके हैं किन्तु इन 642 किसानों को कोई भी आधिकारिक संदेश नहीं प्राप्त हुआ है। अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, आपने वर्ष 2004-05 के लिए कोई बीमा राहत जारी नहीं की है। एक और समस्या है।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

**श्री प्रहलाद जोशी** : मैं एक दो बातें और कहूंगा। कुछ व्यावसायिक फसलों के संबंध में अनिवार्य बीमा किया गया है जो 13 प्रतिशत से चौदह प्रतिशत है। इससे और अधिक समस्याएं हो रही हैं।

दूसरी बात खरीफ के मौसम के लिए 7 प्रतिशत की दर पर दिए जा रहे ऋण के बारे में है। यह दर सभी कृषि ऋणों पर लागू की जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात उर्वरकों के उपलब्ध न होने के बारे में है।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण सभा-पटल पर रख सकते हैं।

**श्री प्रहलाद जोशी** : उर्वरक की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है। आप इस संबंध में भारतीय रेल से बात कीजिए। हाल ही में भारतीय रेल ने उर्वरक के वर्गीकरण में बदलाव किया है जिसके फलस्वरूप उर्वरकों की कीमत में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। भारतीय स्टेट बैंक किसानों को 'कुछ बकाया नहीं' प्रमाण-पत्र देने के लिए 150/- रु. वसूल रहा है। अन्य बैंक भी इसके लिए काफी अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री प्रहलाद जोशी** : महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण सभा-पटल पर रख दें।

***श्री प्रहलाद जोशी** : मैं कृषक वर्ग की परेशानी के बजाय उनकी समस्याओं के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बड़ी डिम्बना है कि आजादी के छह दशकों के बाद भी देश के कृषक की परेशानी समाप्त नहीं हुई है। यह भी विडम्बनापूर्ण है कि देश द्वारा एक दशक पूर्व आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाएं जाने के बाद भी भारतीय किसान प्रमुखत: भूख, कर्जदारी, फसल हानि, अपमान बिचौलियों द्वारा शोषण करने की समस्याओं से जूझ रहा है और अंत में इन परेशानियों के कारण आत्महत्या तक कर लेता है। सर्वप्रथम, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि किसानों की ये समस्याएं और अन्य कृषि संबंधी समस्याएं तथा संकट वर्षों से केन्द्र की सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां के कारण उत्पन्न हुआ है।

पहली बात यह है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी के कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने और जी डी पी में इस क्षेत्र का 25 प्रतिशत योगदान

---

*....भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री प्रहलाद जोशी]

होने के बावजूद भी 5 दशकों में योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र में निवेश में भारी कमी आई है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में निवेश पहली योजना के दौरान 14.9 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत तक आ गया। सिंचाई की कई योजनाएं होने के बावजूद भारतीय कृषि अभी भी पानी की कमी का सामना कर रही है जिससे किसानों को अनिश्चित मानसून पर निर्भर होना पड़ता है।

इस सम्माननीय सभा को इस एक और पहलू अर्थात् सरकारी एजेंसियों द्वारा फसल पद्धति, कीटों के दुष्प्रभाव, भूमि की घटती उत्पादकता और विनिर्माताओं द्वारा नकली बीजों की आपूर्ति के बारे में इन एजेंसियों द्वारा समय पर चेतावनी न देने आदि की अपेक्षित जानकारी देने के प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकारी एजेंसियों, द्वारा किसानों को अद्यतन तकनीकी जानकारी न देने के कारण कर्नाटक में काफी भूमि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण अनुपजाऊ हो गई है। इसलिए, सरकार को किसानों को भूमि पर उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और उसे उर्वरक बनाए रखने के लिए सलाह देने हेतु सभी संभव उपाय करने चाहिए।

**किसानों की समस्या का मूल वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुकूल नीतियों का निर्माण**

कुछ कृषि अर्थशास्त्रियों ने सही ही कहा है कि अधिकतर किसानों की तकलीफ का हरित क्रांति के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकीपरक पूंजी, सघन खेती की शुरूआत से पता लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ में और तमिलनाडु जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में किसानों मुख्यत: कपास उत्पादों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों का पता चला है। एक अन्य पहलू जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है वह आई एम एफ और विश्व बैंक के दिशानिर्देश के अंतर्गत ग्रामीण विकास और कृषि पर निवेश और व्यय को कम करना है।

**आदान लागत और विक्रय मूल्य के बीच असमानता**

कृषि समुदाय सदैव व्यापारियों और सटोरियों द्वारा मूल्य में हेराफेरी के कारण परेशान रहता है। उत्पादन की वास्तविक लागत और कृषि उत्पादों की बिक्री से हुई वसूली के बीच अत्याधिक असमानता है। यह प्रमुख मुद्दा पांच दशक से भी अधिक समय से सारे कृषक समुदाय को प्रभावित कर रहा है और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पैकेज देने के बाद भी भारतीय कृषि की वृद्धि निरन्तर अनियमित है। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि समय पर तैयार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद के बावजूद बिचौलियों द्वारा किसानों का किस प्रकार शोषण किया जाता है तथा किसान अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं इस तथ्य को सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष प्याज के संबंध में कर्नाटक में क्या हुआ। पिछले वर्ष प्याज की कीमतें आसमान छू रही थीं और यहां तक कि लोगों को बाजार में प्याज मिल ही नहीं रही थी। उस दौरान प्याज 100 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक रहा था। परन्तु उसी समय कर्नाटक के उत्तरी भाग के प्याज उत्पादक अपने उत्पाद जो प्रचुर मात्रा में था, का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए सड़कों पर आन्दोलन कर रहे थे यह घटना इंगित करती है कि न तो किसान और न ही उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं परन्तु बिचौलियों की चांदी रहती है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्याओं के मद्देनजर व्यक्तिगत रूप से वहां का दौरा करके इस संबंध में सरकार की चिन्ता को दर्शाने का प्रयास किया। मैं उनसे कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों का दौरा करने का भी अनुरोध करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस दौरे से उन्हें उस "चक्रव्यूह" का अवश्य पता चला होगा जिस चक्रव्यूह में भारतीय किसान पिछले कुछ वर्षों से फंसे हुए हैं।

लगभग 1000,000 किसान अपनी जान गवा चुके हैं और आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह विफल रही है। पिछले दो बजटों में राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र हेतु संस्थागत ऋण के आगम को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। परन्तु इस बात पर गौर नहीं किया जा रहा है कि बढ़ती ऋणग्रस्तता इस संकट का मूल है तथा मात्र ऋण राहत पैकेज किसानों को घोर संकट से बाहर नहीं निकाल सकता है। किसानों को सुनिश्चित आय की नितांत आवश्यकता है और इस संबंध में संप्रग सरकार बुरी तरह विफल रही है। कृषक वर्ग को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता है। परन्तु यह सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय सस्ते आयात हेतु खाद्यान्न पर से आयात प्रशुल्क घटाने के उपायों पर जोर दे रही है। सरकार की इन नीतियों से कृषक वर्ग बुरी तरह प्रभावित है क्योंकि खाद्यान्न आयात करने का अर्थ बेरोजगारी आयात करना है। स्वयं एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के नाते इस बात से माननीय प्रधान मंत्री पूरी तरह अवगत हैं।

इसलिए हम सभी और विशेषकर इस सरकार के लिए किसानों के संकट और उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पर विशेष रूप

से ध्यान देने तथा कुछ उपाय करने का यह उचित समय है। ऋण नीतियों के सभी पैकेजों के सभी बैंकों सहित कुल ऋण अभी भी 27 प्रतिशत है जिसे तर्कसंगत संस्थागत ऋण नीति के साथ बढ़ाया जाना चाहिए।

कर्नाटक में 60 लाख किसान परिवार और 65 लाख कृषि श्रमिक हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि मात्र 14 लाख किसानों को संस्थागत वित्तीय सहायता की सुविधा प्राप्त है और शेष किसानों को साहूकारों द्वारा शोषण का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया है। मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि सरकार किसानों को दिए जा रहे ऋण को दुगुना और तिगुना करने की घोषणा का रही है बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कि और अधिक किसानों को संस्थागत वित्त की सुविधा प्रदान की जाए ताकि सरकारों द्वारा उनका शोषण बंद किया जा सके।

कर्नाटक में लाल मिर्च उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पैकेज सुविधा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इस राज्य के उत्तरी भागों में 'बयाडगी चिली' नाम से विश्व प्रसिद्ध अच्छी गुणवत्ता वाली लाल मिर्च की फसल होती है। परन्तु पिछले दस वर्षों से कर्नाटक के लाल मिर्च उत्पादक संकट में हैं क्योंकि उनके उत्पाद का उन्हें पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

एक अलग लाल मिर्च बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो लाल मिर्च उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। कर्नाटक में लाल मिर्च अनुसंधान संस्थान का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु उसे अपेक्षित तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद मुहैय्या करायी जानी चाहिए। मैं किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों और अन्य शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों हेतु कर्नाटक के सभी तालुकाओं में सुविधा सम्पन्न भण्डारण सुविधा और शीतागार सुविधा मुहैय्या कराने का भी अनुरोध करता हूं।

अंततः, कर्नाटक विशेषकर धारवाड़ जिले के लिए विदर्भ जैसा पैकेज भी दिया जाना चाहिए। जहां फसलों के बार-बार नष्ट हो जाने के कारण भारी संख्या में किसान आत्महत्या करने जैसे कठोर कदम उठा लेते है और जहां की स्थिति कम संकटपूर्ण नहीं है। मैं इस सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय आपदा राहत कोष अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धारवाड़ जिले के कालाघटगी तालुक के किसानों को केन्द्रीय सहायता मुहैय्या कराए जहां अतिवृष्टि से फसले बर्बाद हुई हैं।*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिभाऊ राठौड** (यवतमाल) : सभापति महोदय, किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसका गहराई से आज इस सदन में चिन्तन कर रहे हैं। जो किसान हमारा अन्नदाता कहलाता है, उस किसान को बचाने के लिए हमें हर प्रयास करना जरूरी हो गया है। लेकिन किसानों की इस आत्महत्या की बीमारी रोकने के लिए सही इलाज की जरूरत है, लेकिन इस बीमारी का अगर सही पता हम नहीं लगा सके तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। कोई भी डाक्टर जब मरीज की बीमारी का पता नहीं कर सके तो वह सही इलाज नहीं कर पाएगा। किसान आत्महत्या करने पर तुला है और वहां खेती भी नहीं छोड़ता है, यह उसकी मजबूरी है। जीवन व्यतीत करने के लिए खेती के सिवा उसके पास दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं रहा है। दूसरी साइड पर हम देखते है कि रोटी कपड़ा मकान देने वाला आम आदमी की जरूरत आज किसान ही पूरी कर रहा है।

अभी-अभी हमारे साथी ने बताया कि उत्तम खेती, दोयम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, यह टर्म तो अब पूरी तरह बदल चुकी है। मेरा मानना है कि इस सरकार की जो आज तक आर्थिक पालिसी रही है, आज तक 60 साल में से करीब 50 साल कांग्रेस का ही राज्य था और उसी की बदौलत जो इनकी नीतियां रही, वहीं इसका एक कारण हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई, उसमें मेरा क्षेत्र यवतमाल है, उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई। वहां प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया। उनके साथ हमारे आदरणीय शरद पवार जी, कृषि मंत्री भी मेरे क्षेत्र में आये थे। विदर्भ में केवल एक परसेंट इर्रीगेशन है और हमने पश्चिम महाराष्ट्र में देखा है कि जहां शरद पवार जी के क्षेत्र में 100 परसेंट इर्रीगेशन है। इसीलिए संविधान में एक प्रावधान किया गया था, आर्टीकल 371 में सेवंथ एमेंडमेंट किया गया था। उसके मुताबिक उस समय यह डर था कि उन्होंने जब देख लिया था, सूंघ लिया था कि आगे चलकर इम्बेलेंस होने वाला है, इसलिए कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 371 में एमेंडमेंट किया गया था कि।

*[अनुवाद]*

जिसका आशय महाराष्ट्र के संबंध में, विदर्भ हेतु एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करना था। पूरे राज्य की आवश्यकता के अध्यधीन पनधारा क्षेत्रों के विकास हेतु निधियों का न्याय संगत आवंटन।

*[हिन्दी]*

यह बात क्लियर कट अभी देखने को मिली है और यही हुआ। आंध्र प्रदेश में हमने देखा, तेलंगाना में ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अगर आपके पास लिखा भाषण है तो टेबल पर ले कर दीजिए।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : एक मिनट।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : एक मिनट का मतलब एक मिनट।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में और विदर्भ में हुई हैं, इसलिए अलग तेलंगाना राज्य की मांग उठी है। तेलंगाना की मांग आज से नहीं, हम तो कई साल से कर रहे हैं। यह टी.आर.एस. तो 2001 में अभी आया है, इसके पहले से हमारी मांग थी कि सैपरेट तेलंगाना राज्य होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप कहां तेलंगाना पर चले गये। आप विषयान्तर हो रहे हैं, विषय के बाहर जा रहे हैं। इतना समय हमारे पासनहीं है। आप चेयर को सहयोग कीजिए।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : 3750 करोड़ रुपया विदर्भ पैकेज का दिया, इसमें से 712 करोड़ रुपया कोआपरेटिव सैक्टर में जो बैंक थे, उनके लिए गया। यह रुपया किसानों के हाथ में नहीं आया, जो बैंक हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में यह काम हुआ।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हम दूसरा नाम पुकारते हैं। अब आपका भाषण समाप्त होता है।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : किसानों के साथ आज तक यही हुआ, इसीलिए किसान मरता जा रहा है।

**सभापति महोदय** : आपके भाषण का समय समाप्त हो गया है।

*(व्यवधान)*

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : मेरा यही कहना है कि जब सोलह-सोलह घंटे बिजली गायब रहती है, लोअर शेडिंग होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में किसान कैसे उबरेगा?...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए। आप चाहे तो अपने बचे हुए भाषण को सभा के पटल पर रख दीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अशोक अर्गल** (मुरैना) : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत होने वाली चर्चा में भाग लेते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के किसानों में जो निराशा थी, उसके संबंध में इस सदन के माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने जो चर्चा यहां उठाई हैं, इसमें बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। आज भारत को आजाद हुए 59 साल बीत चुके हैं। कृषि ही भारत का सबसे प्रमुख व्यवसाय, है। लगभग 22 करोड़ किसान कृषि श्रमिक हैं, जो कि कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है कर्ज में पलता है और अंत में कर्ज में ही मर जाता है। आज देश में करीब एक लाख किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों में आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, केरल, पंजाब आदि राज्यों के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विदर्भ के लिए तीन हजार सात सौ पचास करोड़ का जो स्पेशल पैकेज दिया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान के लिए चिंता की।

महोदय, सर्वेक्षण में बताया गया है कि एक हजार किसानों में से 356 किसान बैंक से लोन लेते हैं और 309 किसान व्यापारी या महाजन से कर्ज लेते हैं। कई किसानों की फसल बाढ़, सूखे और ओलावृष्टि के कारण बरबाद हो जाती है। किसान कर्ज के कारण अपनी जमीन बेच देता है और जब कर्ज नहीं उतार पाता तो अंतिम रास्ता वह आत्महत्या के रूप में अपनाता है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, यह भी उनकी आत्महत्या का एक कारण है। महोदय, खेती वास्तव में आज घाटे का सौदा है। जितनी लागत किसान की आती है, उतना उसे खेती के माध्यम में नहीं मिल पाता है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, वास्तव में किसान हैं, वे बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और सहकारिता से भी जुड़े हुए हैं।

चार माह पूर्व मध्य प्रदेश में काफी फसल ओलावृष्टि से बरबाद हो गई थी। वर्तमान में इस प्रदेश के बीस-बाइस जिले बाढ़ की स्थिति के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में चंबल का इलाका सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। चंबल क्षेत्र, जो कि डाकूग्रस्त क्षेत्र के नाम से मशहूर है, मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान चंबल के बीहड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां हजारों एकड़ भूमि प्रति वर्ष बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है, इस संबंध में आप विचार करें और चंबल क्षेत्र के लिए कोई स्पेशल पैकेज लाएं। मैं कहना चाहता हूं कि कई छोटी-छोटी नदियां हैं, यदि उनको रोका जाए और छोटे-छोटे

बांध बना दिए जाए, तो इससे जहां पानी का लेवल बढ़ेगा, उससे वहीं किसानों को काफी सुविधा भी होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार छोटी-छोटी नदियों का सर्वे करायें, जिससे वाटर रिचार्जिंग भी होगी और किसानों को पानी भी मिलेगा।

**सभापति महोदय** : आप अपने भाषण के शेष भाग को सदन के पटल पर रख दीजिए।

**श्री अशोक अर्गल** : मैं अपने भाषण का शेष भाग सदन के पटल पर रखता हूं।

"महोदय, प्रति वर्ष चंबल नदी के बीहड़ बढ़ रहे हैं जिसके कारण मुरैना जिले के कई गांव बीहड़ कटाव के कारण खाली हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार को कोई उपाय किये जायें। इसके साथ-साथ जो कृषि भूमि बीहड़ों में बदल रही है, उसे रोकने के लिए सरकार कोई योजना या पैकेज बिना किसी विलंब के दे।

मध्य प्रदेश का चंबल अंचल देश में सरसों का रिकार्ड उत्पादन करता है। इस इलाके में कोई उद्योग लगाया जाये जिससे किसानों के परिवार-बच्चों को रोजगार मिलेगा। कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से चंबल क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान मेले लगाए जायें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक नए अनुसंधानों से संबंधित जानकारी मिल सके। किसानों को पर्याप्त बिजली पानी मिले, इस बाबत राज्यों को और अधिक राजकीय आर्थिक सहायता दी जाये। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में किसानों की फसल सूखें, ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो जाने से उनका विद्युत का पैसा बकाया है उसे माफ किया जाए। कृपया वहां सर्वे कराकर सहायता दी जाये जिससे किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर न हो।

मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की नदियों के माध्यम से वर्षा का पानी बहकर चला जाता है। इसे रोकने हेतु क्वारी, कूनो, सोन, थाक, और आसन नामक नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाये जाने हेतु सहायता दी जाये। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, जल स्तर भी बढ़ेगा और किसानों के कुंओं, और नलकूपों को पर्याप्त पानी मिलेगा।

किसानों को पशुपालन, सुअर, पालन आदि से संबंधित अधिक जानकारी दी जाये। रेल मंत्रालय की तरह कृषि मंत्रालय का बजट भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।"

---

*....भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार)** : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदन में नौ या दस घंटे से ज्यादा सदन के सभी सदस्यों के मन में किसानों के प्रति चिंता है, इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी गंभीरता से डिस्कशन हुआ है। यह जो विषय था, इसके दो हिस्से थे—एक किसानों की आत्महत्या और दूसरा उचित मूल्य।

ये दो ऐसे विषय हैं, जिनके आधार पर पूरे देश की कृषि नीति और कृषि स्थिति के बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जिन सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने यहां जो अपने विचार रखे, उनमें कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, जिनका फायदा शायद मुझे नए कदम उठाने में होगा। सभी सदस्यों ने कहा कि देश का बहुत बड़ा वर्ग खेती पर निर्भर रहता है। हिन्दुस्तान का चित्र अलग है। हिन्दुस्तान में दुनिया की 16-17 प्रतिशत आबादी रहती है, दुनिया का 4.2 प्रतिशत वाटर इस देश में है, दुनिया की 2.4 प्रतिशत जमीन इस देश में है, 65 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर रहती है, देश के वार्षिक उत्पादन में 21 प्रतिशत जीडीपी की जिम्मेदारी इस देश के किसान और जमीन में मेहनत करने वाले मजदूर करते हैं और देश के एक्सपोर्ट में 11 प्रतिशत हिस्सा खेती क्षेत्र का है। हमने पिछले 4-5 सालों में अनाज का उत्पादन देखा, तो पता लगा कि प्रति वर्ष हम 208, 209 और 210 मिलियन टन उत्पादन करने में कामयाब हुए। हर साल इस देश के किसान खेती के माध्यम से जो सम्पत्ति पैदा करते हैं, उसकी कीमत 517 लाख करोड़ रुपये है। इस देश के किसान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आज यह पूरा सैक्टर संकट में है। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था। श्री सुरेश प्रभु यहां नहीं हैं। उन्होंने यहां बहुत अच्छे सुझाव दिए थे, कई और माननीय सदस्यों ने भी अच्छे सुझाव रखे कि आज इस देश की जमीन पर कितना ज्यादा बोझ आ गया है।

1947 में जब हम आजाद हुए, तब इस देश की आबादी 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 106 करोड़ हो गई है। 35 करोड़ आबादी में से 70 या 80 प्रतिशत लोग खेती करते थे, लेकिन आज 106 करोड़ की आबादी में 60 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, यानी जमीन कम हो गई है। 1947 में दिल्ली की क्या व्यवस्था थी और आज क्या है। दिल्ली के आस-पास का सारा इलाका, जिसमें खेती होती थी, आज अर्बनाइज बन गया है। देश का एक जिला, एक ब्लाक या एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां खेती की जमीन नान-एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन के लिए कन्वर्ट न हुई हो। हमने बड़े-बड़े घर बनाए,

[श्री शरद पवार]

इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए, एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स बनाए, गांवों में स्कूल बनाए और जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती थी, वह नान-एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई, यानी 1947 से जमीन कम हो गई, लेकिन उस पर डिपैंड रहने वाला वर्ग बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके साथ-साथ परिवार में जमीन का बंटवारा हुआ, फ्रैगमैंटेशन हुआ, उसके कारण खेती अनइकोनामिक होने के रास्ते पर जा रही है।

ऐसी तमाम बातें सदस्यों ने कहीं। जो सर्वे हुआ, उसके माध्यम से 40 प्रतिशत लोग आज खेती नहीं करना चाहते। उनको खेती करने में दिलचस्पी नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। उनके परिवार खेत संभालने के लिए सक्षम नहीं हैं। उनकी खेती, उनका क्षेत्र इतना सीमित हो गया है जिसको उनका परिवार चला नहीं सकता। हम सभी जगह पर देखते हैं, सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि एक परिवार का सदस्य नौकरी करता है और दूसरे परिवार का सदस्य गांव में खेती करता है, तो उनकी स्थिति कम्पैयरेटिवली अच्छी रहती है। उनका मकान इच्छा होता है। शायद एक मोटरसाइकिल भी उनके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। मगर जिस परिवार में एक, दो बच्चे या सभी परिवार के सदस्य खाली खेती करते हैं, उनकी परिस्थिति बड़ी गंभीर होती है। आप उनका लैंड रिकार्ड देखिये। इस रिकार्ड में उन्होंने दुनिया भर का कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने बैंक, लैंड डेवलपमैंट, सोसायटी या जहां से भी पैसा मिलता है वहां से पैसा लिया है क्योंकि उनको परिवार चलाने के लिए खेती की आमदनी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए आज लोग खेती से बाहर जाने की सोच रहे हैं। हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं?

यहां पर किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गयी। मैंने सदन के सामने किसानों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में डिटेल्ड इनफोर्मेशन दी थी। लोगों द्वारा आत्महत्या करने की घटना कोई आज से नहीं है। मेरे पास 1950 से लोगों द्वारा आत्महत्या करने के आंकड़े हैं। इनमें से किसान परिवार के सदस्य कितनी आत्महत्या करते हैं, इसकी सेपरेट इन्फोर्मेशन 1995 से इस देश में इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1995 से आज तक इस देश में एक लाख के पास लोग आत्महत्या करते हैं। इन आत्महत्याओं में 12 से 14 परसेंट लोग किसान परिवार के होते हैं। बाकी अन्य परिवार के लोग होते हैं मगर 12,14,16 प्रतिशत करने वाले लोग किसान परिवार के होते हैं। यानी 10 हजार से 12 हजार तक लोग हर साल आत्महत्या करते हैं।

पिछले पांच सालों से आत्महत्या का प्रमाण इस देश में बढ़ा है। मगर इस पर चर्चा पिछले दो सालों से हो रही है। मैं खुद पिछली बार आत्महत्या पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज जिस सरकार की हुकूमत है, इस सैक्टर में, इस समस्या के बारे में ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए सदन में आत्महत्या की समस्या पर बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें हम रास्ता निकालना चाहते हैं। सदन में बैठे हुए सदस्य किसी भी साइड के हों, किसी को भी इस देश का किसान द्वारा आत्महत्या करने में खुशी नहीं है। उनको इससे वेदना होती है। कई लोगों की इससे नींद खराब होती है। इतने बड़े देश में फूड सिक्योरिटी की समस्या करने वाले परिवारों द्वारा आत्महत्या का रास्ता स्वीकार करने की जो परिस्थिति है, वह मेरे और आपके लिए बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता है कि वे आत्महत्या क्यों करते हैं? इस बारे में बहुत गहराई से इंक्वायरी की गयी, एलबीओज की मदद ली गयी। टाटा इंस्टीट्यूट जैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट की मदद ली गयी। इंदिरा गांधी डेवलपमैंट इंस्टीट्यूट की मदद ली गयी, मैनेज इस्टीट्यूट जो भारत सरकार की है, वह आंध्र प्रदेश में काम करती है, उसकी मदद ली गयी। इसके तहत हर परिवार की जांच की गयी। इनमें से कई बातें सामने आयी हैं, जिनका जिक्र कई माननीय सदस्यों ने सदन में किया है। एक नान ऐवेलबिलिटी आफ ऐश्यार्ड वाटर, इरीगेशन के बारे में 40 प्रतिशत खेती आज इरीगेटड है जबकि बाकी खेती मानसून पर निर्भर रहती है।

अगर मानसून ठीक हो गया तो स्थिति ठीक, अन्यथा परिस्थिति गंभीर हो जाती है। आपके बिहार जैसे राज्य पर अगर ठीक तरह से ध्यान दिया जाए तो शायद हिन्दुस्तान की अनाज की समस्या हल करने की ताकत बिहार में, वहां की धरती में और वहां के लोगों में है। लेकिन आज वहां सूखे की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर वहां यह परिस्थिति रही तो इसका असर पूरे देश पर हो सकता है। कभी सूखे और कभी बाढ़ की इस परिस्थिति से हमें रास्ता निकालना होगा। मानसून की यह अनसर्टेनिटी एक बड़ी समस्या है। दूसरा कारण यह है कि जमीन की प्रोडक्टिविटी घट रही है, इसका असर किसानों के परिवारों पर हो रहा है। जब उनको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो परिस्थिति गंभीर हो जाती है, यह तीसरा कारण है। किसानों को ऋण मिलने के लिए हमने जो जो इंतजाम हमने किए थे, उनसे आज बड़े पैमाने पर ऋण देने में कामयाबी मिलने के बावजूद 40 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को फार्मल रास्ते से ऋण अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अभी भी 60 प्रतिशत तक किसान प्राइवेट मनीलेंडर्स के पास

जाते हैं और उनको कई जगह पर 25-30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पैसा वापस करने की ताकत उनमें नहीं रह जाती तो सुसाइड के रास्ते पर जाने की भावना उनमें आती है। पूरे बैंकिंग सिस्टम में एग्रीकल्चर को देखने का जो रवैया है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज क्राप लोन के बारे में कुछ रास्ता निकला है, मगर किसानों को सिर्फ फसल लेने के लिए ही पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। उनके घर में शादी होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई की समस्या पैदा होती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, तो ऐसे कार्मों के लिए उनको पैसा मिलने के लिए बैंकिंग सिस्टम में कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में खेती के नाम पर पैसा लेने और पैसा दूसरे काम के लिए खर्च करने पर, वह पैसा डायवर्ट होने के बाद वह पैसा वापस करने की ताकत उनमें नहीं होती है। ऐसे में वह डिफाल्टर बनता है, डिफाल्टरहोने के बाद बैंक का रास्ता बन्द हो जाता है। तब वह किसान मनीलेंडर्स के पास जाता है जिससे उनको छुटकारा नहीं मिलता है। कई लोगों की आत्महत्या के पीछे इस तरह के कारण देखने में आए हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल चार दिन या चार साल में यह परिस्थित पैदा हो गयी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। जब हम आजाद हुए, पंडित जवाहर लाल नेहरू का नेतृत्व था। पंडित जी ने सबसे ज्यादा ध्यान पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए दिया था। पंडित जी ने एक जगह पर कहा था कि "कृषि के अतिरिक्त हर वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है।" उनकी कृषि के बारे में टोटल एप्रोच यही थी। इसीलिए उस जमाने में खेती के क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाऐ गए। सदन के कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि हम हमेशा जब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने समाज के दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बाबा साहेब का योगदान आता है, देश के संविधान को तैयार करने में उनका योगदान आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दूसरा पक्ष भी है। वे आजादी से पहले देश के वाटर रिर्सोसेज मिनिस्टर थे। उस समय उन्होंने देश की आगे की परिस्थिति अपनी नजर के सामने रखी और कुछ अच्छे कदम उठाए थे, उनमें भाखड़ा नांगल बांध के लिए डिसीजन, दामोदर वैली का डिसीजन, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड्स सेट-अप करने का डिसीजन और इन्टरस्टेट ग्रिड तैयार करने का डिसीजन आदि शामिल हैं। आज उनका नाम लेने वाले उनके कई समर्थकों को बाबा साहेब अम्बेडकर का यह योगदान मालूम नहीं है। पंडित जी ने एक साइंटिफिक टैम्पल की कल्पना करके उस पर काम किया था। इसमें उनका सहयोग लिया था। हमारे देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में देश की हुकूमत आने के बाद अनाज की समस्या काफी गंभीर हो गई थी। इसका रास्ता निकालने के लिए सी. सुब्रमण्यम जैसा कृषि मंत्री सौभाग्य से देश को मिला। फिर बाबू जगजीवन राम जी ने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी ली। इन दोनों के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम यह हुआ कि साइंस औरटेक्नोलाजी कृषि के क्षेत्र में लाई गई।

सदन में इस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने बीज की समस्या उठाई। यह बात सत्य है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। कई सदस्यों ने सीड में जो परिवर्तन आ रहा है, उस बारे में अपनी चिंता यहां व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रैडिशनल सीड फायदेमंद है। यह बात सच है कि कुछ ट्रैडिशनल सीड हम लोगों का मददगार हो सकता है। उसमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। जब देश में हरित क्रांति हुई, उसका एक इतिहास है। सी. सुब्रमण्यम जी ने गेहूं की कमी के कारण विदेश से गेहूं का सीड मंगाया, जो मैक्सिकन शिप से यहां आया था। नार्मन बोरलाग, जिन्हें नोबल प्राइज मिला था, उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया था और वह हिन्दुस्तान के मित्र थे। आज उनकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर है। वह करीब छः महीने पहले यहां दिल्ली में आए थे। हमारे देश में जहां-जहां कृषि क्षेत्र में अनुसंधान होता है, वहां-वहां जाकर उन्होंने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ एक रिश्ता कायम करने का काम किया था। उन्होंने एक वैराइटी डवलप की थी, जिसे शिप से भारत लाया गया था। सुब्रमण्यम साहब ने देश के सभी एग्रीकल्चर कमिश्नर्स की बैठक बुलाई और इस बारे में कहा। आपको ताज्जुब होगा कि पंजाब राज्य को छोड़ कर अन्य किसी भी राज्य के कृषि मंत्री या कमिश्नर उस बीज का ट्रायल लेने को तैयार नहीं थे। पंजाब ने वह सीड लिया। पहले ही साल पंजाब में इतने गेहूं की पैदावार हुई कि वहां रखने की जगह नहीं मिली और स्कूल की इमारतों का इस्तेमाल उसके लिए किया गया। तब देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी और हमें यह समस्या हल करने में कामयाबी मिली थी।

मैंने शुरू में कहा था कि हमें 208 मिलियन टन तक पहुंचने में कामयाबी मिली, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के बाद परिस्थिति में बदलाव आ गया। यह बदलाव ऐसा आया कि जो टोटल इंवैस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करने की आवश्यकता थी, उसमें दिन-ब-दिन कमी आनी शुरू हो गई। 1985-1986 के प्लान में।

[श्री शरद पवार]

[अनुवाद]

वर्ष 1980-95 के दौरान यानि छठी योजना के दौरान पूरे भारत की स्थिति दर्शाती है कि कृषि में सकल निर्धारित पूंजी, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3.1 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गई। छठे से नौवें प्लान में यानी 15 साल के समय में हमारा कुल निवेश जो तीन प्रतिशत तक हो गया था, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद हमारी राशि कम हो गई। वर्ष 1990-2004 के दौरान की प्रतिशत हिस्सेदारी, कृषि में निवेश के रूप में 2.56 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गई।

[हिन्दी]

इससे भी ज्यादा गम्भीर स्थिति यह हुई कि पब्लिक एंड प्राइवेट जो टोटल इंवैस्टमेंट होती है, उसमें दिन-ब-दिन पब्लिक इंवैस्टमैंट कम होने लगी और जो प्राइवेट इंवैस्टमेंट हुई, वह टाटा-बिड़ला की नहीं थी। प्राइवेट इंवैस्टमेंट यानि किसानों ने बैंकों से कर्ज का बोझ सिर पर लिया, चाहे कुंए के लिए, चाहे बोरिंग के लिए, चाहे ट्रेक्टर के लिए इंवैस्टमेंट की और इस प्राइवेट इंवैस्टमेंट से किसानों का बोझ बढ़ गया। बाकी समस्याएं भी आ गयीं और वह भी चल रही हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी जमीन की होल्डिंग का साइज फ्रैगमेंटेशन के बाद बहुत कम हो गया और खेती अलाभकारी होने लगी। इसके साथ ही कुछ और कदम भी यहां उठाने की आवश्यकता थी और जैसा मैंने कहा कि बिना सिंचाई के आप खेती नहीं कर सकते हैं। जैसा माननीय तेजस्विनी जी ने यहां कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में भी जो टोटल इंवैस्टमेंट करने की आवश्यकता थी, उसमें हमारी कमियां रह गयीं। आज पूरे हिंदुस्तान में 232 बड़े प्रोजैक्ट्स, 929 मीडिया प्रोजैक्ट्स कई सालों से बनने में लगे हैं। कुछ में तीस साल पहले काम शुरू हुआ, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रोजैक्ट की इंवैस्टमेंट 50 करोड़ थी, आज वह बढ़कर 700 करोड़ से ज्यादा हो गयी है और वह प्रोजैक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस काम पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसके साथ-साथ जो हमारी जमीन है, इसकी फर्टीलिटी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सभी समस्याएं हमारे सामने आई हैं हमें इनका रास्ता निकालना है। किस प्रकार से रास्ता निकल सकता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जमीन पर बोझ हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। किसान परिवार का लड़का खेती में ही रहना चाहिए, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और उनकी एजूकेशन बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए क्या हम कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान परिवार के लड़कों को खेती छोड़कर दूसरे कामों में मौका देने के लिए किस तरह उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। जमीन का बोझ कम करने की आवश्यकता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। सिंचाई की समस्या को दूर करने की ओर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।

मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों में पहली बार सिंचाई के लिए पिछले आठ-दस सालों में जितने प्राविजन किये गये, उससे ज्यादा कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जहां पानी आने की संभावना नहीं है वहां वाटर शैड डैवलपमेंट का काम करने की आवश्यकता है। इस देश में इसका काम चार-पांच एजेंसियां करती थीं। फारेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन से काम होता था। इनमें कहीं न कहीं तालमेल की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने रेन-फैड अथारिटी से कराने का डिसीजन ले लिया और तीन हफ्ते पहले इसका डिसीजन फाइनल हो गया है। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के नेतृत्व में रेन-फैड अथारिटी इस देश में वाटर कंजरवेशन का काम करेगी, इस बारे में एक बहुत बड़ा डिसीजन इस क्षेत्र में लेने के लिए किया है। सीड अच्छी तरह से मिलना चाहिए, इस पर भी कई सदस्यों ने यहां विचार रखे। माननीय मोहन सिंह जी ने जिस डिस्कशन की शुरूआत की थी। आईसीएआर ने दो साल में 240 नयी वैराइटीज, अलग-अलग किस्म की, इस देश का डैवलेपमेंट करने के लिए साइंटिस्टों से कहा और हमारे देश की साइंटिस्ट कम्युनिटी आगे आ गयी। मैंने पिछले दो सालों से सूचना एकत्र की है कि अलग-अलग किस्म की 240 नई वैराइटीज विकसित करने के लिए हमारी साइंटिफिक कम्यूनिटी कामयाब हो गई है, फिर भी इस बारे में काम करने की आवश्यकता है। सीड्स के बारे में सदन में अलग-अलग विचारधारा रखी गई। दुनिया के सामने एक कंट्रोवर्सी आई है, जिसे जेनेटिकली मोडिफाइड सीड्स और बीटी काटन बोलते हैं। कई सदस्यों ने बीटी काटन के बारे में अपने विचार रखे। यह बात सच है कि जो आत्महत्याएं हुई हैं, उनमें से काटन एरिया में आत्महत्या का परसेंट ज्यादा है। यह परसेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जहां काटन होता है, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा छोड़ दें, तो बाकी सभी जगह काटन या रेनफैड क्रौप है, जहां पानी मिलेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। काटन के लिए बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। अगर उत्पादन ठीक नहीं हुआ, कीमत ठीक नहीं मिली तो इसका बोझ सीधा किसानों के ऊपर पड़ता है। उस बोझ

को कुछ लोग सहन नहीं कर पाते और इसलिए किसानों को आत्महत्या के रास्ते पर जाना पड़ता है।

एक-दो सदस्यों ने यहां कहा कि बीटी काटन इसके लिए जिम्मेदार है। आज दुनिया के तीन देशों चाइना, यूएसए और मैक्सिकों में बीटी काटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन तीन देशों ने बीटी काटन का 80-90 परसेंट उत्पादन करने के लिए कदम उठाए हैं। गुजरात में बीटी काटन से लाभ हुआ है। पंजाब में बीटी काटन लगाने के लिए पिछले साल तक इजाजत नहीं थी लेकिन पंजाब के किसान ने यह नहीं सोचा कि इसकी इजाजत नहीं है और कहीं से भी बीज लाने की कोशिश की और अपने क्षेत्र में बीटी काटन का उत्पादन किया और उन्हें कामयाबी मिली है। मगर एक बात सच है कि जहां रेनफैड काटन है वहां बीटी काटन लगाना रिस्की है, क्योंकि पानी नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। बीटी काटन का बीज महंगा है और इतना अधिक निवेश करने के बाद अगर उनकी फसल खराब हो गई, तो किसान के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है। जहां पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां इस प्रकार की फसल लगाना, इस बारे में 10 बार सोचने की आवश्यकता है। लेकिन बीज ही खराब है, ऐसी स्थिति नहीं है। यह बात कही गई कि इसका क्या असर हो सकता है। जब नए किस्म का कोई उत्पादन इस देश में करना होता है तो 6-6 साल तक ट्रायल करते हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य और सायल पर उसका क्या असर होगा, यह बराबर देखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसे गंभीरता से देखने की जिम्मेदारी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी करती है। यह वैरायटी ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद ही बीटी काटन की इजाजत दी गई। इसके उत्पादन की अनुमति यूपीए सरकार आने के दो साल पहले दी गई थी। जो भी कदम पिछली सरकार ने उठाया, पुरानी सरकार का वह कदम ठीक था। इसका फायदा हमें जरूर होगा, इसका मुझे विश्वास है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, प्रोडक्शन के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को ज्यादा करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, मार्केटिंग प्रोसेसिंग की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसके साथ किसानों को सप्लीमेंटरी इनकम किस प्रकार हो सकती है, इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सभी क्षेत्रों में कुछ-न-कुछ कदम उठाए गए हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि सरकार के हुकूमत में आने के बाद पहले 15 दिनों में निर्णय ले लिया कि हम 3 साल में एग्रीकल्चर क्रेडिट दुगुना करना चाहते हैं और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। हर साल 110 परसेंट से ज्यादा जो टार्गेट था, वह पूरा करने में हमें कामयाबी मिली है। 2004-05 में हुकूमत में आने के बाद 1 लाख 5 पांच हजार करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर लोन देने का हमने टारगेट रखा। जबकि 1,25309 करोड़ रुपए खर्च हुए।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : मैंने कल परसों जायजा लिया ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री शरद पवार** : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

*[हिन्दी]*

इससे पहले 86 हजार करोड़ रुपया टोटल कर्जा दिया गया था। पहले साल हम एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए। 2005-06 में 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का टारगेट बनाया जबकि एक्चुअली 1 लाख 57 हजार 479 एचिव हुए। 111.69 परसेंट टारगेट पूरा करने में हमें कामयाबी मिली। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह बात स्वीकार करने के बाद कुछ न कुछ कदम उठाए गए। मुझे मालूम है कि शेडयूल्ड बैंकों द्वारा आज 57 परसेंट राशि के क्रैडिट की सप्लाई हुई है। कोआपरेटिव इंस्ट्टीट्यूशन्स के माध्यम से केवल 27 परसेंट हुआ है जिसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

यह बात सच है कि देश के कोआपरेटिव इंस्ट्टीट्यूशन्स की हालत खराब है। उनकी हैल्थ सुधारने के लिए यूपीए सरकार ने एक कदम उठाया और वैद्यनाथन एक्सपर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। उसकी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा कि 14 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स की हालत सुधार सकते हैं, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। प्रधान मंत्री ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुला कर डिटेल में डिसकशन किया और राज्यों की सहमति लेकर इस पर अमल करने की तैयारी की। 14 हजार करोड़ रुपए की टोटल इनवैस्टमैंट करके बैंकों की हैल्थ ठीक करने की आवश्यकता है। इनमें 12 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार देगी और सिर्फ दो हजार करोड़ रुपए की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होगी। दो साल में देश के बैंक, डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, स्टेट कोआपरेटिव बैंक और विलेज सोसायटीज तीनों की हैल्थ सुधारने के लिए एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम इस रास्ते पर जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। यहां एक बात कही गई कि हम कर्जा देकर बोझ बढ़ाते हैं। मैं उन साथियों से सवाल

[श्री शरद पवार]

पूछना चाहता हूं। हम जब तक कैपिटल और बाकी इनवैस्टमैंट करने के लिए कोई न कोई इंतजाम नहीं करेंगे तो वे कैसे खेती करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे, क्या मनी लैंडर से लाएंगे या साहूकार से लाएंगे? उनके लिए आसानी से पैसा देने का रास्ता खोलना होगा और इंटरस्ट रेट कम करने के लिए कोई न कोई कदम उठाना होगा। एनडीए सरकार ने पहली बार 50 हजार रुपए तक 9 परसेंट के आसपास इंटरस्ट करने के लिए कदम उठाया जो एक अच्छा कदम था। इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने 7 परसेंट इंटरस्ट रेट करके तीन लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ायी। हमने इस पर अमल करने की शुरूआत की है। तेजस्विनी जी ने जो समस्या उठायी है, वह बराबर चल रही है। कोआपरेटिव इस्टीट्यूशन्स को पूरी मदद करने के लिए नाबार्ड में सुधार करने की आवश्यकता है। नाबार्ड ने जो डिसिजन लिया है, उससे कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को प्राफिट मिलेगा उन्होंने 40 परसेंट क्राप लोन देने की तैयारी की है। बाकी कोआपरेटिव बैंकों के ऊपर होता है लेकिन आज उनकी उतनी ताकत नहीं है। इसके ऊपर बुरा असर होगा। इसलिए इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हम क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में डिसकशन करके रास्ता निकालने के लिए, हमने एक अक्तूबर को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलायी है। उसमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी होगी, या भारत सरकार को खुद लेनी होगी, इस पर कुछ न कुछ डिसिजन हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या अगले 15 दिन में हम दूर करेंगे और किसानों की मदद करके इस समस्या को दूर करेंगे।

रात्रि 11.00 बजे

चार राज्यों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। इन चारों के बारे में यहां ज्यादा डिस्कशन हुआ। हमने स्टडी की और पाया कि देश के सारे राज्यों में थोड़ी बहुत आत्महत्याएं हुई हैं और इन आत्महत्याओं का प्रमाण महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ज्यादा है। वहां भी कुछ जिलों में ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हमारे पास सूचना दी कि विदर्भ के छः जिलों में परिस्थिति अधिक गंभीर है। कर्नाटक ने भी छः जिलों के बारे में हमें सूचना दी। आंध्र प्रदेश ने 16 जिलों में परिस्थिति गंभीर होने की सूचना दी और केरल में जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने तीन जिलों का प्रपोजल हमारे सामने रखा। हमने इसकी बड़ी गहराई से इंक्वायरी की और सोचा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं और देखा कि सभी जिलों को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ एरियाज में हमने इस पर ध्यान देने की तैयारी की।

सभापति महोदय, यहां पैकेज के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। उनमें दो-तीन बातों पर हमने पहले ध्यान दिया कि जिन किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है, जो डिफाल्टर्स बने हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमने कदम उठाया कि इनके सिर पर जो टोटल कर्ज का बोझ है, इस कर्ज के बोझ की हम सात साल की इंस्टालमैन्ट्स करें, इसमें दो साल का मारिटोरियम दें, पहले दो साल यह पैसा रिकवर न करें और उनके डिफाल्टर्स होने के बावजूद उन्हें नया कर्ज देने का रास्ता खोलें तथा उनके ऊपर जो इंटरैस्ट का बर्डन है, इस इंटरैस्ट बर्डन का सौ प्रतिशत बैंकों में भरने का काम स्टेट गवर्नमेन्ट और भारत सरकार करेगी। यहां माननीय सदस्य श्री राठौड़ ने कहा कि किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि बैंकों से पैसा लेने के बाद किसान डिफाल्टर्स बन गये और वह बोझ उनके सिर पर आ गया, इस कर्ज के बोझ का कुछ हिस्सा भारत सरकार ने बैंकों में उनके नाम पर भरा है, इससे किसको फायदा होगा, इसका फायदा किसानों को होगा। किसी पोलिटिकल पार्टी को फायदा होगा, यह बोलने में आसान है, लेकिन यह थोड़ा समझने की बात है, यह गंभीर बात है। हमने देखा कि इसमें उन्हें मदद करने की आवश्यकता है और हमने उनकी मदद की।

दूसरा काम यह किया कि उस डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर क्रेडिट का फ्लो बढ़ाने के लिए हमने कदम उठाये। तीसरी बात यह है कि सुसाइड का मुख्य कारण वहां एग्रोर्ड इरिगेशन नहीं है, यह बात जब सामने आई, तब जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं, उन सभी जिलों के सभी प्रोजैक्ट्स, जिन्हें क्लियरेन्स मिला है, फारेस्ट क्लियरेन्स और एनवायरनमैन्ट क्लियरेन्स में कोई समस्या नहीं है। ऐसी प्रोजैक्ट्स की सौ प्रतिशत फाइनेन्शियल जिम्मेदारी भारत सरकार ने ए.आई.बी.पी. से लेना तय किया और तीन साल में ये प्रोजैक्ट्स पूरे करने के लिए कहा। महाराष्ट्र के बारे में जो बात यहां कही गई, महाराष्ट्रकी टोटल प्रोजैक्ट्स के लिए जो पैसे दिए गए, विदर्भ के बारे में यहां कहा गया, उसमें इरिगैशन के लिए टोटल प्रोजैक्ट्स का पैकेज 3753 करोड़ रुपये है। इसमें सिर्फ इरिगेशन के लिए 2177 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ये 2177 करोड़ रुपये तीन साल में मिलेंगे और तीन सालों में सभी प्रोजैक्ट्स को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है, क्योंकि खेती के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उस समस्या को दूर करने के लिए वहां वार फुटिंग पर प्रोग्राम लेने की आवश्यकता

है, इसलिए इस तरह का काम वहां किया गया। हम यहां ही नहीं रुके हैं। एग्रोर्ड इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, वाटरशैड डवलपमैन्ट, वाटर हारवेस्टिंग स्कीम और चैक डैम्स आदि के लिए हमने फाइनेन्शियल सपोर्ट दी। आज सीड्स बदलने की आवश्यकता है, इसलिए अच्छे सीड्स देकर इनको पचास प्रतिशत कास्ट भारत सरकार ने ली और पचास प्रतिशत थ्रू बैंक देने के लिए वहां कदम उठाये। इसके साथ-साथ नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का कार्यक्रम उस जिले में चालू किया। इसके साथ ही सप्लीमैन्ट्री इन्कम उन किसान परिवारों को मिलनी चाहिए। इसलिए हर जिले में, हर साल एक हजार क्रास ब्रीड काउज वहां डिस्ट्रिब्यूट का कार्यक्रम लिया और तीन साल में तीन-तीन हजार क्रास ब्रीड काउज या बफैलोज देने के लिए कदम उठाये जायेंगे तथा इनकी जो कीमत होगी, उसमें पचास प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार देगी और पचास प्रतिशत बैंक के माध्यम से कर्जा दिया जायेगा। इससे शुरू में किसानों पर कोई बोझ नहीं होगा। इस तरह का सप्लीमैन्ट्री इंकम देने का कार्यक्रम भी हमने रखा है।

इस तरह से ये पैकेज तैयार किये गये। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल सरकार के भी इस बारे में प्रपोजल आए हैं, और पैकेज तैयार किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि अगले पन्द्रह दिन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के बारे में निर्णय भारत सरकार एनाउंस करेगी लेकिन इसमें केरल की व्यवस्था अलग है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों का ही टोटल कंसंट्रेशन इरीगेशन पर है लेकिन जहां तक केरल का सवाल है, केरल की स्थिति अलग है। केरल में हमने तीन जिले लिये हैं, जिनकी सिफारिश वहां की सरकार ने की है और दो जिले-इडुक्की और एलापुला के बारे में वहां की सरकार ने सिफारिश की है। ये नये दो जिले उन्होंने दिये हैं। इन सभी पांचों जिलों की अवस्था कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की, वहां की स्थिति से बहुत फर्क है। केरल में टोटल प्लांटेशन क्रांप में कोई समस्या पैदा हुई है। पैपर देखिए, कार्डामम देखिए, इससे पहले इस देश में, खेती के क्षेत्र में इन सभी चीजों के क्षेत्र में बहुत प्रगतिशील ऐसे जिले थे मगर हमने -सार्क-देशों के साथ एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट हमने पड़ौसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए किया। वहां से कुछ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट यहां लाने के लिए और इधर से भी इनके ऊपर से हमने टैक्सेज हटा दिए। हमारा आबजर्वेशन यह है कि चाहे पैपर हो, कार्डामम हो या काफी हो, ये सभी आइटम्स पड़ौसी देशों से दूसरे देशों से लेकर यहां आते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का टैक्सेज नहीं है और इसलिए इनके साथ कम्पीट करने की ताकत हमारे केरल के किसानों की अब रही नहीं है। पिछले दो-तीन वर्ष में जबर्दस्त नुकसान उनको सहना पड़ा है। इसमें कैपिटल इंवेस्टमेंट ज्यादा है और इंकम कम हो गई है, नुकसान ज्यादा हो गया है और इसलिए बोझ ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए केरल के बारे में यदि कुछ करना है तो प्लांटेशन क्रांप पर अधिक ध्यान देना होगा। केरल की समस्या अलग समस्या है, ऐसा सोचकर इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए में सदन के माध्यम से हमारे केरल के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केरल के तीन जिले, हालांकि इस बारे में हम फाइनल प्रपोजल करेंगे और ये प्रपोजल फाइनल होने के बाद, इन तीनों जिलों के बारे में केरल सरकार और केरल के हमारे सभी सांसदों की जो डिमाण्ड है कि दो जिलों की स्थिति वैसी है, वह समझकर इसको भी इसमें इंक्लूड करने के लिए कोई निर्णय लेने का काम सरकार करेगी और केरल को भी इसमें ठीक तरह से मदद करने के लिए हम लोगों के माध्यम से मदद करेगी। यहां यह बतलाया गया कि प्रधान मंत्री विदर्भ में गये, पैकेज की अनाउंसमेंट की गई, फिर ये आत्महत्याएं क्यों नहीं रुकीं? आपको यह देखना चाहिए कि इस पैकेज में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया? इरीगेशन प्रोजेक्ट पर दिया गया और इरीगेशन प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं होता है। प्रधान मंत्री जी ने जुलाई महीने के पहले हफ्ते में वहां जाकर पैकेज एनाउंस किया, इरीगेशन के लिए 2000 करोड़ रुपये की एनाउंसमेंट की। इनमें से एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ। हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह मानसून का महीना है। बारिश के दिनों में इरीगेशन का प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो सकता। इसका काम बारिश खत्म होने के बाद ही शुरू होगा और यह काम राज्य सरकार करने वाली है। इसलिए आज उन्होंने वहां एनाउंस किया और दूसरे दिन वहां काम शुरू हो गया, तीसरे दिन पानी आ गया, चौथे दिन उनकी फसल अच्छी हो गई और आत्महत्या की स्थिति खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में यह काम हमें अगले दो-चार साल करना होगा, तीन साल का टाइम लिमिट है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, इससे हमें खुशिया मिल रही हैं लेकिन दो दिन में यह पूरी समस्या हल हो जाएगी, इस पर मेरा विश्वास है और सदन भी इससे सहमत हो सकता है। ये आत्महत्याएं कम होनी चाहिए, इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यह बात सच है।

ग्लोबेलाइजेशन के बारे में भी यहां कुछ बातें कही गई हैं। ग्लोबलाइजेशन से कुछ हमारे फायदे की भी बात हुई है और कुछ इसका बुरा असर भी पड़ा है। यह बात सदन में कही गयी थी कि हिन्दुस्तान का किसान अपनी खेती में कई क्षेत्रों में दुनिया में आगे गया है, जैसे।

[श्री शरद पवार]

*[अनुवाद]*

भारत विश्व के प्रमुख दूध उत्पादको में से है, भारत विश्व के प्रमुख फल तथा सब्जी उत्पादन देशों में से एक है, भारत विश्व के प्रमुख केला उत्पादक देशों में है तथा भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

*[हिन्दी]*

ऐसी कई एग्रीकल्चरल आटम्स हैं जिनका उत्पादन करने में हम कामयाब हुये हैं। देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद हमारे पास सरप्लस में है, काटन हमारे पास सरप्लस में है जिसे एक्सपोर्ट करने के लिये हमे दुनिया की मार्किट में जाना होगा लेकिन बाकी दुनिया के सभी देशों के साथ रिश्ते खराब करके नहीं जा सकते हैं। आपने पिछले दो सालों में देखा होगा कि टोटल एग्रीकल्चरल आइटम्स इम्पोर्ट हो गई। इस साल 17 से 20 एग्रीकल्चरल आइटम्स का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल एग्रीकल्चरल आइटम्स का एक्सपोर्ट 32 हजार करोड़ रुपये का हुआ जबकि इस साल 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। इस साल किसानों की पैदावार कम हुई, फिर भी 40 हजार करोड़ रुपये की आइटम्स का एक्सपोर्ट करने में हम कामयाब हुये। हमने 35 हजार लाख काटन बैल्स का एक्सपोर्ट किया है। मगर हमारे यहां लौंग स्टेबल काटन नहीं था। इस काटन की हमारे टैक्सटाइल्स के लिये जरूरत थी, इसलिये 8-9 हजार काटन बैल्स का इम्पोर्ट किया गया। फिर भी हम काटन एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गये। इसलिये यह बात सही नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का हमें फायदा नहीं मिलता।

सभापति जी, यह बात सदन में बार-बार उठी कि हमने गेहूं का आयात क्यों किया? इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट एक्ट में संशोधन हुआ, उसके पहले किसानों को अपनी उपज कहीं बेचने या किसी को बेचने का अधिकार नहीं था, जो बाद में मिला। पहले गेहूं और धान मंडी में ले जाने की उनकी जिम्मेदारी थी और मंडी के लाइसेंसधारी ट्रेडर्स द्वारा उन्हें दाम दिये जाने की जिम्मेदारी होती थी। मंडी में पहले एफ.सी.आई. खरीदारी करती रही है, उसे छोड़कर कोई दूसरा खरीददार नहीं जा पाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम तय करने में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और किसानों को उतना दिया जाता था। सरकार द्वारा एम.एस.पी. तय करना पड़ता है जिसमें राज्य सरकारों की सलाह ली जाती है। यह बात भी सच है कि राज्य राज्य की कीमतों में फर्क होता है। कोई राज्य सरकार ज्यादा कीमत देती है और कोई राज्य सरकार कम कीमत देती है। इसके बाद औसतन एक ऐसी पद्धति स्वीकार की गई है। यह कहा गया कि जो एस.एस.पी. तय करने वाली बौडी है, उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यह बात सच नहीं है। किसानों को उस बौडी में प्रतिनिधित्व किया गया है। जानकार किसानों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसने जो कीमत दे दी, वह कीमत खरीद के लिये इस देश में कई सालों से चल रही है। इस साल भी इस तरह से खरीद की गई है। यह बात सही है कि सरकार ने गेहूं का दाम 650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। हमारे पास बफर स्टाक कम था, मार्किट सैंटिमैंट्स हमारे खिलाफ थे। पहले साल किसानों को अपना गेहूं किसी को बेचने का अधिकार नहीं था लेकिन इस साल वह अपना माल मंडी में ले जाने के बजाय उसके दरवाजे पर व्यापारी और कुछ कम्पनियां खरीदने के लिये गई। चूंकि सरकार का भाव 650 रुपये था, इसलिये वे उसे 670 रुपये देने के लिये तैयार थे। नतीजा यह हुआ कि किसान उन्हें अपना माल बेचते रहे। इस बात से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि कुछ पैसे ज्यादा ही मिले। अपना माल मंडी ले जाने के लिये ट्रांसपोर्ट कास्ट की बचत हुई, इसलिये किसानों ने खुशी से अपना माल उन्हें दिया। पहली बार उन्हें कुछ ज्यादा पैसा मिल गया। गुजरात में अच्छा हुआ और मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी किस्म का गेहूं तैयार होता है जिसकी किसानों को कीमत 800-850 रुपये प्रति क्विंटल तक मिली। अगर फूड मिनिस्टर होने के नाते हमें 16 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी तो हमारे पास केवल 9 लाख मीट्रिक टन अनाज ही आया। बाद में हमने बोनस देने शुरू किया लेकिन फिर भी हमें किसानों को 650 रुपये से 700 रुपये देने चाहे तो व्यापारियों से किसानों को 700 रुपये से बढ़कर 735-750 रुपये प्रति क्विंटल मिले। इस प्रक्रिया से उसे ज्यादा पैसा मिला और किसानों को फायदा हुआ।

सभापति जी, हमारे नौजवान सासंद श्री हुड्डा के जो सुझाव आये हैं, हमें उन पर सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है। वह सुझाव मुझे ठीक लगता है। दो किस्म की कीमतें हमें तय करनी पड़ेंगी। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना पड़ेगा। डिसट्रैस सेल की नौबत किसानों पर आ गई तो सरकार को वह खरीदना है और किसानों को बचाना है। दूसरा, सरकार पीडीएस की जिम्मेदारी नजरंदाज नहीं कर सकती। मगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किसानों को कम कीमत देकर माल खरीदना और सरकार की सोशल स्कीम पर अमल करना किसानों के प्राफिट से पैसे लेकर, इसमें भी हमें बदलाव करना होगा। प्रीवेलिंग मार्केट रेट किसानों को हमें देना होगा और प्रीवेलिंग रेट से हमें पीडीएस के लिए गेहूं, चावल खरीदना होगा,

सबसिडी देनी होगी और फूड सिक्यूरिटी की समस्या दूर करनी होगी। यही रास्ता हमारे सामने है और इसमें सुधार करने की कोशिश हम करेंगे।

जो बातें यहां कही गई, झा साहब ने कही है, जय प्रकाश जी ने कही है, हूडा जी ने कही है, येरननायडू जी ने कही है, कई साथियों ने कहा कि आज जो पैडी की प्राइस तय की है, इससे लोगों को नाराजगी है। 600 रुपये की रिकमंडेशन हमारे पास सीएसीपी की आ गई। इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी कर 610 रुपये किया गया। यह बात सच है कि आइल क्राइसेज आने के बाद इसमें किसानों की लागत बढ़ गई है। इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जो सुझाव यहां हमारे कई साथियों ने दिया है, इसको पूरी तरह से स्वीकार करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है मगर जो सुझाव मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर और कुछ साथियों से आया कि कम से कम जो 600 रुपये कीमत थी, उसमें 10 रुपये की जो वृद्धि करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। आज 10 रुपये की जगह पर 50 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा भाव देना मैं सरकार की तरफ से अनाउंस करता हूं और 650 रुपये हम इसमें देंगे। गेहूं की कीमत तय करने की बात आएगी तो गेहूं की परिस्थिति में भी टोटल कास्ट देखने के बाद और खास तौर से पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि देश में बिजली की कमी हो गई है इससे डीजल का प्रैशर किसानों पर आ रहा है। ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए गेहूं के बारे में जो कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, वह हम उचित समय पर करेंगे। गेहूं बोने में अभी देर है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर भी ध्यान देंगे, सदन के माध्यम से मैं इस देश के किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए मगर राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हिन्दुस्तान में यह परिस्थिति है कि गेहूं का उत्पादन देश में पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यूपी तीन राज्य करते हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी लेने का ठेका इन तीन राज्यों ने लिया है। बाकी राज्यों को भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। चाहे कोई भी रीजन हो, धान का हो, गेहूं का हो, सोयाबीन का हो, आइल सीड्ज का हो, जो कुछ कर सकते हैं वह करने के लिए हर राज्य को कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने यह बात रखने वाला हूं और उनको कहने वाला हूं कि पीडीएस की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेने के लिए तैयार है मगर इसमें राज्यों की तरफ से भी कुछ न कुछ माल पीडीएस में देने की तैयारी होनी चाहिए। पूरा बोझ हरियाणा के सिर पर डालकर समस्या पैदा करना ठीक नहीं है। बाकी राज्यों को भी इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है।

कुछ और समस्याओं के बारे में भी यहां कहा गया। इसमें से जो मुख्य बातें थीं, वह मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक बात यहां कही गई कि अमेरिका के साथ जाकर हमने कुछ एग्रीमैंट किया है जिससे कुछ बड़ी कंपनियों की मदद होगी, इस तरह की आशंका यहां व्यक्त की गई है। यह बात सच है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री के अमेरिका में जाने के बाद प्रैजीडैन्ट बुश के साथ जो अंडरस्टैन्डिंग हुई इसमें कृषि क्षेत्र में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में भी बात हुई। यू.एस. नालेज इनीशियेटिव, इस तरह का एक एग्रीमैंट, भारत के साथ हो गया है। यह इंडो-यूएस एग्रीकल्चर नालेज इनिशिएटिव है, ये एग्रीकल्चर नालेज इनिशिएटिव किस क्षेत्र में मिल कर काम करेंगे, एजुकेशन, लरनिंग रिसोर्सेस, केरीकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ये एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग, यूज आफ बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो फ्यूअल अदि मिल कर इसमें काम करेंगे। बायो टैक्नोलाजी और वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करेंगे। इन चारों क्षेत्रों में अमेरिका रिसर्च में ज्यादा आगे गया है। इसलिए जहां इनका लाभ हो सकता है, उसका लाभ देश के किसानों को देने के लिए इस तरह का एक एग्रीमेंट किया है और इसका काम इस साल से शुरू हो जाएगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

महोदय, विदेश से गेहूं खरीद की जो बात कही गई है और यहां के किसानों से वहां ज्यादा कीमत दी है, यह सच भी है और नहीं भी है। हम जब पंजाब और हरियाणा से गेहूं खरीदते हैं तो पूरे देश में भेजते हैं और तब जो कीमत तय करने की बात आती है,.उसमें टोटल कास्ट लेनी पड़ती है। प्रोक्युरमेंट चार्जेज, किसानों को जो कीमत दी है, वह ट्रांसपोर्ट चार्जेज, गोदामों में रखने के चार्जेज और स्टोरिंग चार्जेज और उसके ऊपर इंटरस्ट, ये सब देखने के बाद जो इकोनोमिक कास्ट डोमेस्टिक व्हीट इस साल का 11276 रुपए है, ये फाइनल कीमत, भारत सरकार की हिन्दुस्तान में जो खरीद है, वह हम लोगों को पड़ रही थी। हमने जो पहला लाट परचेज किया, उसकी कीमत 9978 रुपए पर-टन है, दूसरे लाट में 12261 रुपए है और यह यहां के खर्चे से 15 रुपए कम है। इस तरह दूसरे लाट की कीमत मिली। तीसरा लाट, जो अभी खरीदना होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया इतने बड़े पैमाने पर खरीदता हैं, यह देखने के बाद दुनिया की मार्केट में कीमत ऊंची गई है और उसकी कीमत हम लोगों को देनी

[श्री शरद पवार]

पड़ेगी। मगर जब टोटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास तीन या चार मिलियन टन गेहूं कम है तो ऐसी परिस्थिति में हम दुनिया से गेहूं यहां लाकर अपना बफर स्टाक ठीक तरह से नहीं करेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी की समस्या आएगी। स्थिति कोई भी आए, मगर देश के गरीब लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम अनाज नहीं दे सकते, यह परिस्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए मैं इम्पोर्ट के खिलाफ बिल्कुल हूं। जब मेरे ऊपर इम्पोर्ट करने का डिसीजन आया, यह नौबत आई तो मुझे नींद नहीं आई। इम्पोर्ट के खिलाफ मेरी जो भावना है, वह मेरे सामने थी। इस देश में बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के भूख की समस्या मेरे सामने थी और अगर वह समस्या हल करनी है तो हमें यहां अनाज लाना होगा। जिस तरह हम बाहर से एडीबल आयल लाते हैं, उसी तरह इस साल गेहूं लाने की भी आवश्यकता है, यह बात हमारे सामने आई और यह डिसीजन हम लोगों ने लिया। मगर मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम अगले साल-दो-साल में इस पर इतना ध्यान देंगे कि गेहूं का उत्पादन इस देश में बढ़ सकता है तथा देश की जो रिकवायरमेंट है, वह देश में ही पूरी हो सकती है और इससे किसान को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इस तरह इस सैक्टर में हम कदम उठाएंगे, यह विश्वास में माननीय सदस्यों को दे सकता हूं।

महोदय, खेती के साथ-साथ हार्टीकल्चर के लिए ज्यादा पैसे दिए। डेयरी सैक्टर और फिशरी सैक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाएं। जिस तरह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में बनाई थी, उसी तरह फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। हैदराबाद में सात-आठ हैड क्वार्टर्स हैं, अगले महीने वहां भी हम इसका काम शुरू कर रहे हैं। फिशरीज के क्षेत्र से भी किसान को, उस क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमें एक तो उत्पादन बढ़ाना है और इसकी ठीक तरह से प्रोसेसिंग के लिए कोई बंदोबस्त करना, इसकी मार्केटिंग की परिस्थिति ठीक करना और खेती उत्पादन के लिए जो लागत लगती है, वह किसानों को ठीक तरह से, कम इंटरस्ट पर मिलने के लिए प्रबंध करना, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए ज्यादा इनवेस्टमेंट करना, इन सभी क्षेत्रों में ध्यान देना और दूसरा सप्लीमेंट्री इंकम, वह चाहे डेयरी, फिशरी पोल्ट्री या सुअर पालन के माध्यम से हो, ये किस तरह किसानों को दे सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना। इस तरह से कार्यक्रम बना कर हम आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि अगले दो साल में परिस्थिति में बदलाव आने की स्थिति आएगी और जिन किसानों को फूड सिक्योरिटी की सफलता के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है, उससे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा।

---

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। बहुत समय हो गया है। इसलिए स्पेशन मेशन भी अब संभव नहीं है। जो माननीय सदस्य जीरो आवर का विषय उठाना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि उसे टेबल पर प्रस्तुत कर दें। उनका वह विषय रिकार्ड पर चला जाएगा।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा* (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण पूरा बुन्देलखंड क्षेत्र सूखे की समस्या से जूझ रहा है क्योंकि बुन्देलखंड के मानक से वहां मात्र 25 प्रतिशत वर्षा हुई है। वहां पानी का स्तर भी नीचे चला गया है जिसकी वजह से हैंडपम्प पानी नहीं दे रहे हैं, कुंए सूख गए हैं, तालाबों में पानी नहीं है। ऐसे में किसानों की फसल सूख रही है।

महोदय, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। पाटीला बांध और माता टीला बांध में पानी ओवर हो गया है। इस पानी को नहरों द्वारा किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि विदर्भ की तरह उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए भी एक स्पेशल पैकेज देने की कृपा करें।

**श्री हरिभाऊ राठौड़* : सभापति महोदय, 1984 के दंगों से पीड़ित लोगों को अभी तक नौकरी देनी शुरू नहीं की गई है और न ही दंगे के दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही ही की गई है। दंगा पीड़ितो को जो मकान दिये गये हैं, वे फ्री होल्ड नहीं किये गये हैं और उनकी कीमत माफ की गई है। दिये गये राशि मुआवजे में सरकारी मशीनरी अपनी मनमानी कर रही है तथा जिस संस्था की अगुवाई में मांगे मानी गई हैं, को कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है तथा न ही उनको कमेटी में सम्मिलित किया जाये। बुजुर्गों के लिये पेंशन शुरू नहीं की गई है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*[अनुवाद]*

*श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे रखना चाहता हूं।

इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की (सिविल सर्विसेस) प्रारंभिक परीक्षा 2006 के परिणाम ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों में नाराजगी पैदा की है तथा छात्रों के मन में संघ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा हो गया है। छात्रों की यह राय है कि सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अकों की तुलना में संभवत: अधिक अंक होने के बावजूद बहुत से उम्मीदवारों के नाम 10 अगस्त, 2006 को प्रकाशित सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अब तक सैंकड़ों छात्रों ने निम्नलिखित जानकारी मांगी है। उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे हैं:

1. परीक्षा के पश्चात् प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक विषय तथा सामान्य अध्ययन में प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों) के लिए कट-आफ अंकों की घोषणा की जानी चाहिए।

2. उम्मीदवारों (प्रारंभिक परीक्षा) को उनके अंकों की सूचना दी जानी चाहिए।

3. प्रश्नों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रामाणिक उत्तरों की जानकारी थी उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए।

4. 18 जून 2006 को लोक प्रशासन की परीक्षा पुन: कराए जाने के कारण।

सरकार की उम्मीदवारों की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

*श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : मैं सरकार विशेषकर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान सहकारी बैंकों की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

वित्त अधिनियम 2006 में सहकारी बैंकों हेतु धारा 80 (त) के लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। अब सभी सहकारी बैंकों को आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। केवल सहकारी बैंक ही वित्तीय आयेलन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में निर्धन व्यक्तियों की भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। सहकारी बैंक ही एकमात्र जमीनी स्तर के वित्तीय संस्थान हैं, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

सहकारी बैंक अपने अधिकांश अधिशेष का संसाधनों के रूप में उपयोग करते हैं। छोटे संस्थान होने के कारण वे बहुत कम लाभ कमाते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि इन बैंकों के लिए आयकर का प्रावधान करने के पश्चात् बहुत से बैंकों के पास गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रावधान बनाने के लिए पर्याप्त अधिशेष नहीं रहेगा और उनको घाटा हो सकता है। सहकारी बैंकों के पास पूंजी जुटाने अथवा पूंजी बाजारों तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। सहकारी बैंकों से एकत्र की जाने वाली संभावित आयकर की कुल राशि शायद कर विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के अनुरूप नहीं होगी और न ही कराधान से बैंकों को कोई लाभ होगा।

सभी 1875 शहरी सहकारी बैंक, 31 राज्य सहकारी बैंक तथा 365 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है तथा जोकि देश की भुगतान प्रणाली का भाग हैं, उन्हें कर के दायरे में लाया गया है। सभा में वित्त मंत्री महोदय, का वक्तव्य तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यह दावा कि केवल 2 प्रतिशत बैंकों को ही कराधान के दायरे में लाया गया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि 98 प्रतिशत सहकारी बैंककारी संस्थाएं छूट प्राप्त है, 1,05,735 पी ए सी को 'बैंककारी संस्था' के रूप में शामिल करना ठीक नहीं है।

यह भी निवेदन करता हूं कि सहकारी बैंकों की पूंजी बाजार तक पहुंच नहीं है। वे पूंजी की पर्याप्तता के लिए अपना धन जुटाने में 'रिजर्व' के सृजन पर काफी निर्भर रहते हैं। सरकार को सहकारी बैंकों के लाभ पर तभी कर लगाना चाहिए जब बैंक बाजार से पूंजी जुटाने की स्थिति में हो अन्यथा उनपर आयकर न लगा और पूर्व की स्थिति बहाल कर उनके 'रिजर्व' के सृजन में सहायता करनी चाहिए।

सहकारी बैंक वस्तुत: लोगों के पूरे समर्थन से ही चल रहें हैं। राष्ट्रीयकृत एवं व्यावसायिक बैंकों से भिन्न, सहकारी क्षेत्र बैंकों के पास बहुत बड़ा जनाधार है और इसे निजी क्षेत्र से स्पर्धा करनी होती है तथा इसलिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना है। इसलिए सरकार को उक्त सरकारी निवेशोन्मुखी योजनाओं और संस्थाओं को बढ़ावा देना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. करुणाकरन]

क्षेत्र और उनकी सहायतार्थ सरकार को वित्त अधिनियम 2006 की परिकल्पना के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए।

*[हिन्दी]*

*श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, जनजातीय कार्यालय आदिम जाति अनुसूचित विकास विभाग तथा जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए प्रति वर्ष जो राशि दी जाती है, वह नहीं दी जा रही है। इस कारण वर्ष 2004 से अनेक योजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें स्वीकृत नहीं करने से उक्त वर्गों में आक्रोश भरा हुआ है तथा सरकार के प्रति वे लोग उदासीन हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए राशि न मिलने से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इलाकों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक संस्था के लिए 1,31,564 रुपए नहीं मिल रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति की सुविधा युक्त आवास देने के लिए 100 परसेंट अनुदान स्कीम के लिए 7,28,870 रुपए, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र हेतु 162 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ जिला काकेर में आदिवासी संग्राहलय की स्थापना के लिए 654.287 रुपए, कोचीन एवं अलाइड के लिए 1,531 लाख रुपए एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय की वित्त योजना के लिए 3,282 लाख रुपए की योजनाएं हैं। वर्ष 2004 से ये योजनाएं लम्बित हैं तथा केंद्र सरकार के पास उपरोक्त मंत्रालयों में विचाराधीन हैं और इन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है। उक्त योजनाओं को केंद्र सरकार अविलम्ब स्वीकृति दे। सामाजिक, शैक्षणिक, आवास, संग्राहलय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आईएएस, आईपीएस और टेक्नालोजी के प्रशिक्षण तथा अन्य विभिन्न योजनाओं जैसे पानी की सुविधा, सभी प्रकार के नशे को त्यागने की योजना, कन्या विवाह अनुदान एवं उक्त वर्गोंके विकास के कार्यों के लिए लगभग सरकार 2 हजार करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत करे।

*[अनुवाद]*

*श्री सीनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केरल के इरिंगालाकुडा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत का एक मात्र मंदिर, जो 'भारत' को समर्पित है, यह कुडाल मनिक्याम मंदिर केरल के इरिंगालाकुडा में स्थित है। इरिंगाला कुडा प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध कथककली नाटक 'नल चरितम' के लेखक श्री उन्नानी वारियर का जन्म स्थान भी है। इरिंगालाकुडा के निकट कोकुनगलुर स्थित है, जहां भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमान मस्जिद स्थित है।

कोडुनगल्लूर एक ऐसा स्थान भी है जहां ईसा मसीह के शिष्य संत थामस ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे। और, इसके समीप मल्यात्तुर है जिसे संत थामस ने पवित्र बनाया था। श्री शंकर का जन्म स्थान कलाडी इरिंगाला कुडा के निकट है। माला यहूदी संस्कृति का केंद्र था और हमने उनके पूजा स्थल और यहूदी कब्रगाह को संरक्षित रखा है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर अनकामली में है। कोडानाड केरल का प्रमुख केन्द्र है जहां हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है, और अतिरा पल्ली हमारे देश के सबसे सुंदर जलप्रपातों में एक है। कोचीन अन्तर्राष्टीय विमानपत्तन भी नेदुमपशेरी के निकट स्थित है जो मुकुन्दपुरम निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यह देश के अन्य भागों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है जो मुकुन्द पुरम निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है।

कलाडी के लिए इरिंगाला कुडा, छलक्कुडी और अनकामली इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। इस प्रकार, पहाड़ से लेकर समुद्र तक फैले मुकुन्द पुरम में प्रकृति की सुंदर छटा बिखरी है और यहां नौवहन के भी संसाधन हैं।

अतः, मुकुन्द पुरम में विभिन्न धार्मिक विश्वास वाले लोगों के लिए पवित्र और समृद्ध विरासत स्थल है और यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य है और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं पूरी आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इस प्रयोजनार्थ तत्काल कदम उठाएगी। केरल वाटर स्पोर्टस और सांस्कृतिक समारोहों की भूमि है। हमें इसे ईश्वर का अपना देश बनाना चाहिए जहां दुनिया भर से पर्यटक आ सकें।

*श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : केंगल हनुमनथैया मैसूर पेटा और कर्नाटक के गौरव का प्रतीक हैं। वे महान स्वप्नद्रष्टा और राजनेता नेहरूजी के निकट सहयोगी थे। उनका जन्म 1908 में हुआ था, बाद में वे छात्र के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वे 1937 में मैसूर कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और बंगलौर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सन् 1950 से 1952 तक वे मैसूर विधायिका के नेता तथा मैसूर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1952 से 1956 तक वे मुख्यमंत्री रहे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने शैक्षिक सुधारों की शुरूआत की और राज्य में साहित्यिक एवं सांस्कृति विभागों की स्थापना की।

उनके कुशल प्रशासन और उनकी उपलब्धियों ने बंगलौर को विश्व के मानचित्र पर ला दिया। इस अवधि में सर्वाधिक संख्या में विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने राजधानी का दौरा किया। कर्नाटक को उनका सर्वाधिक महान योगदान "विधान सौध" नाम से जाना जाने वाला भव्य, उद्भुत और स्थायी स्मारक है जिसमें राज्य विधान सभा और परिषद के कार्यालय हैं। यह उनका सपना था; उन्होंने अपना सपना पूरा किया और कर्नाटक के लोगों को "विधान सौध" के रूप में उपहार दिया जो हमारा गौरव है और यह यहां आने वाले प्रत्येक स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने 'विधान सौध' बनाने के लिए कैदियों का उपयोग जनशक्ति के रूप में किया। इस प्रकार वे करदाताओं का पैसा बचाने के प्रति उत्सुक थे। वर्ष 2003में मुख्यमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने विधान सौध से प्रेरणा प्राप्त कर इसके बगल में 'विकास सौध' बनवाया जो कि विधान सौध माडल की तरह ही है।

वे कन्नड़ भाषाभाषी सभी क्षेत्रों को एक साथ करने तथा राज्य के एकोकरण में सक्रिय रहें और उन्होंने इसका पुन: नामकरण कर्नाटक के रूप में किया। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में उन्होंने रेलगाड़ियों के आवागमन में समयबद्धता को कायम किया। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काफी मूल्यवान रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी नीतियों में उत्साह और विश्वास झलकता था। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुविख्यात थी। 'कैंगल' एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें 'जनसाधारण' और 'विशिष्ट' क्षेत्रों विशेषताओं के दर्शन होते हैं।

आज, 'कनकपुरा' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत छन्नपतना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 'कैंगल' का 'जन्म स्थान' है।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इस महान आत्मा के शताब्दी समारोह की तैयारी के आयोजन में वह पूरी रूचि ले। इस पृष्ठभूमि में मैं भारत सरकार से 'कैंगल' के स्थान को एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का अनुरोध करती हूं। मैं भारत सरकार से दार्जिलिंग माडल की तर्ज पर कैंगल से राम नगर पर्वतीय क्षेत्र तक 'टूबाय ट्रेन' आरम्भ करने और इसका नामकरण 'कैंगल' रेलगाड़ी करने तथा उनके नाम पर बंगलौर में एक अंतर्राष्ट्रीय-स्तर का सम्मेलन कक्ष बनाने का भी अनुरोध करती हूं।

*श्री पी.एस. गड्डवी (कच्छ) : सम्माननीय महोदय, मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात गुजरात के कच्छ जिले के साथ ही भारत के उत्तरी राज्यों के बड़े भागों से संबंधित निम्नांकन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाए।

**विषय:** भिलाडी-समदारी रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में अत्यधिक विलम्ब,

भिलाडी-समदारी रेलवे लाइन गुजरात के पत्तनों नामत: कांडला, मुन्द्रा आदि से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तरी राज्यों के कई अन्य भागों तक पहुंचने का सबसे छोटा और वैकल्पिक मार्ग है।

भिलाडी-समदारी-जोधपुर-बीकानेर-भटिण्डा रेलवे लाइन वर्तमान पालनपुर-अजमेर-रेवाड़ी-भटिण्डा रेलवे लाइन से 160 किमी छोटी है।

अत:, भिलाडी-समदारी रेलवे लाइन आमान परिवर्तन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाइन है।

पालनपुर-गांधीधाम रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कार्य कच्छ रेलवे संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पूरा किया जा चुका है।

यह निर्णय लिया गया था कि भिलाडी-समदारी रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कच्छ रेलवे कंपनी द्वारा किया जाएगा।

इन दोनों परियोजनाओं की संयुक्त लागत 797 करोड़ रुपय थी। गुजरात सरकार का इक्विटी अंशदान 14.88 करोड़ रुपए था।

गुजरात सरकार ने हिस्सेदारी समझौता में संशोधन को दिनांक 22.5.06 को अनुमोदित कर दिया था। लेकिन, इस कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिससे जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है।

इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्य पर ध्यान दें कि यह अविलम्ब से शुरू हो तथा पूरा किया जाए।

*[हिन्दी]*

*श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, मैं शून्यकाल में अति महत्व विषय की ओर माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रघुनाथ झा]

भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी ने कहलगांव पावर परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी तथा पटना जिला के बाढ़ में 2000 मेगावाट की पावर परियोजना मंजूर है। मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर प्लांट और बरौनी थर्मल प्लांट के विस्तार की स्वीकृति भी प्राप्त है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने अनेक वर्ष पहले निर्णय लिया था कि मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट एवं बरौनी थर्मल पावर प्लांट में 2x250 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाला प्लांट लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। परन्तु न जाने क्यों बिहार के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। नवीनगर में 500 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित परियोजना की दिशा में भी कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं।

यदि उपरोक्त सभी योजनाओं को अमल में लाया जाए एवं समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए तो बिहार में 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हो सकती है और इसका चहुमुखी विकास हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नए ट्रांसमिशन व वितरण नेटवर्क स्थापित करके ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में ध्वस्त वितरण प्रणाली को ठीक किया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

*श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़ उत्तर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले का आज शून्य काल में उल्लेख करना चाहता हूं। कृपया मुझे इस मामले के सम्बंध में वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए।

महोदय, देश में आवास ऋणलेकर अपने सपनों का घर बनाने वालों के लिए अप्रिय स्थिति पैदा हो गई है। लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व, सभी राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंको तथा नई पीढ़ी को बैंकों ने ब्याज दर इतनी कम कर दी थी कि विशेषकर मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग के वेतनभोगी भोले-भाले लोग आवास ऋण के प्रलोभन में आ गए, अब उनके पास अपने गलत निर्णय पर पछतावा करने के सिवाय कुछ नहीं है। इसका कारण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अलार्किक रूप से आवास ऋण ब्याज दर निर्धारित करना सरकार इससे अवगत हैं, यह सरकार यह भी जानती है कि लगभग दो वर्ष पूर्व इन कुछ बैंकों ने जिस प्रकार से घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए जोरदार ढंग से प्रचार किया था। अपने घर का सपना लेने वाले लोग इस अवसर पर टूट पड़ें लेकिन अब इन बैंकों द्वारा ब्याज में बार-बार वृद्धि कर के इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो ब्याज दर 7 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत के बीच थीं वह अब 11.5 प्रतिशत के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। देश के प्रमुख आवासीय वित्त संस्थान, एच डी एफ सी ने इस वर्ष में ब्याज दरों में तीन बार वृद्धि की है। लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आवास ऋण लिया है वे सरकारी नीति को कोस रहे हैं तथा बार-बार इस ब्याज दर में वृद्धि पर प्रश्न उठा रहे हैं जबकि भविष्य निधि एवं अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज में वृद्धि को अस्वीकृत कर दिया गया है। बैंक ऋणों पर ब्याज दर में इस तरह बार-बार परिवर्तन की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

क्या कारण हैं कि सरकार को ऋण नीति में बार-बार परिवर्तन करने पड़ते हैं? इन बैंकों तथा अन्य प्रमुख ऋणदाता संस्थानों की विश्वसनीयता दांव पर लगी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों एवं निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य सूचकों को ऋण लेने वाले लोगों में हड़कंप पैदा होने से पूर्व वह इस मामले को गंभीरता से लें।

*[हिन्दी]*

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, युवाओं एवं किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये बैंकों से जो नो ड्यूज लेने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रतिष्ठा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस बनवाने ट्रेक्टर फाइनेंस कराने, ऋण पुस्तिका बनवाने तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तथा किसानों को जो नोड्यूज प्रमाण पत्र लेने पर सर्विस चार्ज के नाम पर 100-150 रुपये सर्विस चार्ज देने के बाद ही बैंकों द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जिन गरीब किसानों की 2 एवं 5 एकड़ जमीन है, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उसी प्रक्रिया से निकलना पड़ता है जिसे गरीब किसान के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले ही 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से जब से बैंकों में 'सीबीएस' कोर बैंकिंग सिस्टम लागू हुआ है तब से बैंक के खाता धारकों को बैंक द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये यदि खाता धारक के खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस है तो न्यूनतम बैलेंस के नाम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर 300 रुपये सर्विस चार्ज के काट लेते हैं चाहे वह खाता धारक निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रहा हो या शासकीय पेंशन प्राप्त कर रहा हो या अन्य किसी शासकीय संस्था का कर्मचारी हो।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गरीब किसानों, शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों एवं अन्य पेंशनधारियों की कठिनाईयों को अनुभव करते हुये बैंकों से फ्री में नो ड्यूज बनवाने तथा न्यूनतम बैलेंस पर 300 रुपये सर्विस चार्ज कटवाने से छूट दिलाने का सहयोग करें।

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी को फ्लोराइड युक्त जल पीने से अविलंब मुक्ति दिलायी जाए। लगभग साढ़े पांच करोड़ की आबादी वाला राजस्थान प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के कुल भूजल स्रोतों में से केवल 1.9 प्रतिशत ही राजस्थान में हैं। जानकार विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में केवल 7 से 3 प्रतिशत पानी ही पीने लायक बचा है। पिछले दो दशकों में खेती एवं पीने के पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से राज्य के सभी जिलों में पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट तथा अन्य अवांछित तत्वों की मात्रा खतरे की सीमा लांघ चुकी है। जिस तेजी से भूगर्म से पानी का दोहन किया जा रहा है उसी तेजी से अवांछित तत्व पानी में घुलते जा रहे हैं। एक मापदंड के अनुसार पेयजल में फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन गत दिनों किए गए सर्वे में 23 हजार गांवों व ढानियों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा प्रति लीटर 1.5 से अधिक पायी गयी। विगत एक दशक में भूजल के अत्यधिक दोहन से राज्य के करीब पांच हजार गांवों में फ्लोराइड की समस्या ज्यादा बढ़ गयी है। इसी प्रकार नाइट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि राज्य के साढ़े सात हजार गांवों में पानी में नाइट्रेट की मात्रा सौ मिलीग्राम से अधिक पायी गयी है। राजस्थान में फ्लोराइड एवं नाइट्रेट से प्रभावित जिले टौंक, चुरु, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जोधपुर सीकर धोलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बांरा, श्री गंगानगर, करोली, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चित्तोड़गढ़, उदयपुर, झुन्झुनू, अलवर तथा भरतपुर हैं। भूजल में फ्लोराइड एवं नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ने से फ्लोरोसिस जैसी विभिन्न खतरनाक बीमारियां अपना जाल फैलाती जा रही हैं जिससे राज्य के लाखों लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हो अपंग तथा निष्क्रिय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। विश्व की फ्लोराइड से प्रभावित कुल आबादी का 10 प्रतिशत राजस्थान में ही विद्यमान है। प्रदेश के करीब 70 प्रतिशत लोग फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग कर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। राज्य में कहीं तो इतना अधिक फ्लोराइड है कि सेवन करने वालों के दांतों में पीलापन, हड्डियां कमजोर, कुबड़ापन तथा अन्य अस्थि रोगों के साथ-साथ उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं। इस प्रकार नाइट्रेट से पाचनतंत्र बिगड़ने के साथ-साथ सांस लेने में भारी तकलीफ हो जाती है। यद्यपि राजस्थान सरकार अपने सीमित वित्तीय साधनों से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास कर रही है, परंतु विकराल समस्या के सम्मुख समिति संसाधनों से पार नहीं पाया जा सकता।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के करोड़ों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा फ्लोराइड एवं नाइट्रेटयुक्त जल पीने से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष केंद्रीय योजना बनाकर भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान करवाया जाये।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब सभा कल 25 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 11.25 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री जी.एम. सिद्दीश्वर | 406 |
| 2. | डा. के. धनराजू<br>श्री किन्जरपु येरननायडु | 407 |
| 3. | श्री एम. अंजन कुमार यादव | 408 |
| 4. | श्री अर्जुन सेठी<br>श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव | 409 |
| 5. | डा. चिन्ता मोहन<br>श्री रामजीलाल सुमन | 410 |
| 6. | श्री तूफानी सरोज | 411 |
| 7. | श्री नवजोत सिंह सिद्धू<br>श्री असादूद्दीन ओवेसी | 412 |
| 8. | श्रीमती प्रतिभा सिंह<br>श्री दुष्यंत सिंह | 413 |
| 9. | श्री अधीर चौधरी<br>श्री गणेश सिंह | 414 |
| 10. | श्री इकबाल अहमद सरडगी | 415 |
| 11. | डा. आर. सेनथिल | 416 |
| 12. | श्री जी. करूणाकर रेड्डी | 417 |
| 13. | श्री के.एस. राव | 418 |
| 14. | श्री एस. अजय कुमार | 419 |
| 15. | श्रीमती किरण माहेश्वरी<br>श्री राम सिंह कस्वां | 420 |
| 16. | डा. राजेश मिश्रा | 421 |
| 17. | श्री चन्द्रभूषण सिंह | 422 |
| 18. | श्री हेमलाल मुर्मू | 423 |
| 19. | श्री एम. राजा मोहन रेड्डी<br>श्री सुग्रीव सिंह | 424 |
| 20. | श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव<br>श्री वी.के. दुग्गर | 425 |

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आरुन रशीद, श्री जे.एम. | 3277 |
| 2. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 3322, 3365, 3391, 3436, 3444 |
| 3. | अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र | 3418, 3422 |
| 4. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 3252, 3263, 3357, 3416, 3460 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | अजय कुमार, श्री एस. | 3369 |
| 6. | अंगड़ि, श्री सुरेश | 3470 |
| 7. | अर्गल, श्री अशोक | 3465, 3471 |
| 8. | आठवले, श्री रामदास | 3282, 3379, 3448 |
| 9. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 3474 |
| 10. | बर्मन, श्री हितेन | 3296, 3405 |
| 11. | बर्मन, श्री रनेन | 3315 |
| 12. | बखला, श्री जोवाकिम | 3260 |
| 13. | बेल्लारमिन, श्री ए.वी. | 3286 |
| 14. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 3291, 3371, 3423 |
| 15. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 3247, 3345 |
| 16. | बोस, श्री सुब्रत | 3312 |
| 17. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 3253 |
| 18. | चक्रवर्ती, श्री स्वदेश | 3250 |
| 19. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 3300 |
| 20. | चिन्ता मोहन, डा. | 3363, 3420 |
| 21. | चिंतन, श्री एन.एस.वी. | 3362, 3419, 3453, 3464 |
| 22. | चौधरी, श्री निखिल कुमार | 3290 |
| 23. | चौधरी, श्री बसंगोपाल | 3375 |
| 24. | चौधरी, श्री अधीर | 3366, 3421 |
| 25. | दासगुप्त, श्री गुरुदास | 3293 |
| 26. | देवरा, श्री मिलिन्द | 3252, 3552, 3412, 3452 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | दिलेर, श्री किशन लाल | 3330 |
| 28. | फैन्चम, श्री फ्रांसिस | 3303, 3378 |
| 29. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 3322, 3337, 3365, 3400 |
| 30. | गहलोत, श्री धावरचन्द | 3288 |
| 31. | गोहेन, श्री राजेन | 3426 |
| 32. | हुसैन, अनवर | 3284, 3401 |
| 33. | जगन्नाथ, डा. एम. | 3295, 3404 |
| 34. | झा, श्री रघुनाथ | 3462 |
| 35. | जिन्दल, श्री नवीन | 3251 |
| 36. | जोशी, श्री प्रहलाद | 3248, 3350, 3410, 3459 |
| 37. | कलमाडी, श्री सुरेश | 3307, 3383 |
| 38. | कस्वां, श्री राम सिंह | 3323, 3372 |
| 39. | कथीरिया, डा. वल्लभभाई | 3474 |
| 40. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 3476 |
| 41. | खां, श्री सुनील | 3264, 3344 |
| 42. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 3320, 3377, 3390, 3468 |
| 43. | खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र | 3278, 3354 |
| 44. | खन्ना, श्री अविनाश राय | 3266, 3403 |
| 45. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 3269, 3348, 3388, 3392, 3414 |
| 46. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 3270, 3349, 3409, 3451 |
| 47. | कृष्ण, श्री विजय | 3301, 3394, 3437 |
| 48. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 3314, 3375, 3420 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 49. | कुन्नुर, श्री मंजुनाथ | 3283 |
| 50. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 3276, 3385, 3432 |
| 51. | महरिया, श्री सुभाष | 3323 |
| 52. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 3300, 3361, 3391 |
| 53. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 3253 |
| 54. | महताब, श्री भर्तृहरि | 3333, 3395, 3442 |
| 55. | माझी, श्री परसुराम | 3275, 3333 |
| 56. | माने, श्रीमती निवेदिता | 3322, 3337, 3365, 3400 |
| 57. | मांझी, श्री राजेश कुमार | 3271, |
| 58. | मनोज, डा. के.एस. | 3294 |
| 59. | मसूद, श्री रशीद | 3299, 3376 |
| 60. | मेघवाल, श्री कैलाश | 3374 |
| 61. | मेहता, श्री आलोक कुमार | 3273 |
| 62. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 3313, 3387, 3469 |
| 63. | मैन्या, डा. टोकचोम | 3311 |
| 64. | मिश्रा, डा. राजेश | 3370 |
| 65. | मिस्त्री, श्री मधुसूदन | 3474 |
| 66. | मोघे, श्री कृष्ण मुरारी | 3287, 3377, 3390, 3468 |
| 67. | मोहले, श्री पुन्नूलाल | 3265 |
| 68. | मोहन, श्री पी. | 3319 |
| 69. | मो. ताहिर श्री | 3313, 3331, 3332, 3334, 3397 |
| 70. | मोहिते, श्री सुबोध | 3257, 3356 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 71. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 3373 |
| 72. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 3329, 3392 |
| 73. | नरबुला, श्री डी. | 3279 |
| 74. | नायक, श्री अनन्त | 3325, 3396, 3443 |
| 75. | निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद | 3399 |
| 76. | निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर | 3274, 3353, 3413, 3458 |
| 77. | ओराम, श्री जुएल | 3336, 3398 |
| 78. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 3351, 3411, 3456 |
| 79. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 3261, 3331, 3342, 3406, 3420 |
| 80. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 3416 |
| 81. | पटेल, श्री जीवाभाई ए. | 3321 |
| 82. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 3281, 3335 |
| 83. | पाठक, श्री ब्रजेश | 3259, 3384, 3431 |
| 84. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 3309, 3384, 3431 |
| 85. | पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड; | 3267 |
| 86. | पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब | 3268 |
| 87. | पटले, श्री शिशुपाल | 3313, 3331, 3334, 3397, 3441 |
| 88. | पिंगले, श्री देविदास | 3302 |
| 89. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 3310, 3321 |
| 90. | राजगोपाल, श्री एल. | 3249, 3339, 3428, 3454 |
| 91. | रामदास, प्रो. एम. | 3280, 3355, 3415 |
| 92. | रामकृष्णा, श्री वाडिगा | 3328, 3388, 3402 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 93. | राव, श्री के.एस. | 3368 |
| 94. | राव, श्री रायापति सांबासिवाराव | 3475 |
| 95. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 3365, 3463 |
| 96. | रावले, श्री मोहन | 3322 |
| 97. | रावत, श्री अशोक कुमार | 3313, 3331, 3332, 3334, 3397 |
| 98. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 3343, 3407, 3449 |
| 99. | रेड्डी, श्री एन. जनार्दन | 3262, 3467 |
| 100. | रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर | 3324 |
| 101. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 3422, 3427 |
| 102. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 3367, 3422 |
| 103. | शर्मा, डा. अरुण कुमार | 3304, 3380, 3438 |
| 104. | सरोज, श्री तूफानी | 3364 |
| 105. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 3360, 3433 |
| 106. | शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी | 3327 |
| 107. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 3326 |
| 108. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 3322, 3365, 3391, 3447 |
| 109. | शिवन्ना, श्री एम. | 3308, 3393, 3440, 3283 |
| 110. | शिवनकर, प्रो. महोदवराव | 3285, 3313, 3331, 3332, 3334, 3397 |
| 111. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 3300, 3343, 3347, 3461 |
| 112. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 3427 |
| 113. | सिंह, श्री लक्ष्मण | 3292 |
| 114. | सिंह, श्री चन्द भूषण | 3358, 3425 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 115. | सिंह, श्री दुष्यंत | 3398, 3439 |
| 116. | सिंह, श्री गणेश | 3340, 3417 |
| 117. | सिंह, श्री गणेश प्रसाद | 3313, 3383 |
| 118. | सिंह, श्रीमती प्रतिभा | 3255 |
| 119. | सिंह, श्री राकेश | 3316, 3388, 3446 |
| 120. | सिंह, श्री रेवती रमन | 3466, 3472 |
| 121. | सिंह, श्री सुग्रीव | 3335 |
| 122. | सिंह, श्री उदय | 3366, 3425 |
| 123. | सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन | 3256, 3338, 3435 |
| 124. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह | 3289 |
| 125. | सोनोवाल, श्री सर्बानन्द | 3318 |
| 126. | सुब्बारायण, श्री के. | 3258, 3341, 3445 |
| 127. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 3254, 3346, 3408, 3450 |
| 128. | सुमन, श्री रामजीलाल | 3363, 3375 |
| 129. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 3298 |
| 130. | थामस, श्री पी.सी. | 3305, 3381, 3429 |
| 131. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 3310 |
| 132. | थुपस्तन, श्री छेवांग | 3473 |
| 133. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 3306, 3382, 33430, 3455, 3470 |
| 134. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 3297 |
| 135. | वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 3474 |
| 136. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 3391, 3399, 3496, 3444, 3447, 3457 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 137. | विजयशंकर, श्री सी.एच. | 3272 |
| 138. | विनोद कुमार, श्री बी. | 3317, 3389, 3434 |
| 139. | यादव, श्री एम. अंजन कुमार | 3361, 3418 |
| 140. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 3331, 3332, 3334, 3397, 3441 |
| 141. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 3359, 3424 |

## अनुबंध-II

### तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | : | 413, 421 |
| संस्कृति | : | 416 |
| रक्षा | : | 408, 425 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | : | 417 |
| अल्पसंख्यक मामले | : | |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | : | 410, 411, 414, 418 |
| रेल | | 407, 409, 412, 415, 420, 422, 423 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 419, 424 |
| पर्यटन | : | 406 |

### अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | : | 3253, 3254, 3255, 3266, 3271, 3272, 3275, 3277, 3279, 3281, 3294, 3300, 3307, 3311, 3343, 3351, 3371, 3376, 3406, 3411, 3423, 3432, 3462, 3464, 3469 |
| संस्कृति | : | 3261, 3283, 3382, 3384, 3388, 3396, 3404, 3433, 3438, 3448, 3458, 3461, 3470, 3471, 3473 |
| रक्षा | : | 3251, 3270, 3282, 3285, 3303, 3325, 3364, 3366, 3378, 3386, 3397, 3399, 3402, 3407, 3410, 3412, 3416, 3425, 3427, 3452, 3456, 3467, 3475 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 3250, 3295, 3305, 3318, 3345, 3426, 3439 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | : | 3286, 3349, 3358, 3422, 3466 |
| अल्पसंख्यक मामले | : | 3248, 3284, 3368, 3434 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | : | 3256, 3262, 3276, 3292, 3298, 3304, 3310, 3313, 3314, 3317, 3322, 3332, 3333, 3334, 3335, 3339, 3346, 3348, 3352, 3356, 3357, 3360, 3363, 3375, 3380, 3383, 3389, 3398, 3414, 3418, 3420, 3441, 3454, 3465, 3474, 3476 |

रेल : 3257, 3264, 3265, 3267, 3268, 3269, 3273, 3278, 3280, 3288, 3289, 3290, 3291, 3301, 3302, 3308, 3316, 3319, 3320, 3321, 3323, 3326, 3329, 3330, 3331, 3336, 3337, 3338, 3340, 3342, 3344, 3347, 3350, 3353, 3354, 3355, 3362, 3369, 3370, 3372, 3373, 3374, 3377, 3379, 3381, 3385, 3390, 3392, 3394, 3400, 3401, 3403, 3408, 3409, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3424, 3429, 3431, 3435, 3437, 3440, 3442, 3443, 3445, 3447, 3449, 3450, 3451, 3453, 3457, 3460, 3468

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 3247, 3249, 3259, 3260, 3274, 3287, 3296, 3312, 3315, 3327, 3359, 3361, 3365, 3367, 3387, 3391, 3393, 3428, 3436, 3463

पर्यटन : 3252, 3258, 3263, 3293, 3297, 3299, 3306, 3309, 3324, 3328, 3341, 3395, 3405, 3430, 3455, 3459, 3472.

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।